



सत्यमेव जयते

वित्त लेखे

खण्ड-II

2022-2023



SUPREME AUDIT INSTITUTION OF INDIA

लोकहितार्थ सत्यनिष्ठा

Dedicated to Truth in Public Interest

जम्मू एवं कश्मीर संघ राज्य क्षेत्र सरकार

वित्त लेखा

खण्ड-II

2022-23

जम्मू एवं कश्मीर संघ राज्य क्षेत्र सरकार

विषय सूची

| | | पृष्ठ |
|---------------|--|---------|
| | भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक की रिपोर्ट | (v-vii) |
| | वित्त लेखे की मार्गदर्शिका | (ix-xv) |
| खण्ड-I | | |
| 1 | वित्तीय स्थिति का विवरण | 2-3 |
| 2 | प्राप्तियों और संवितरणों का विवरण | 4-6 |
| | अनुलग्नक क- रोकड़ शेष तथा रोकड़ शेष का निवेश | 7-9 |
| 3 | प्राप्तियों का विवरण- (समेकित निधि) | 10-13 |
| 4 | व्यय का विवरण- (समेकित निधि)- | |
| | (क) कार्यकलाप के अनुसार व्यय | 14-17 |
| | (ख) प्रकृति के अनुसार व्यय | 18-19 |
| 5 | प्रगामी पूँजीगत व्यय का विवरण | 20-32 |
| 6 | उधार एवं अन्य देयताओं का विवरण | 33-38 |
| 7 | सरकार द्वारा दिये गये ऋणों तथा अग्रिमों का विवरण | 39-46 |
| 8 | सरकार के निवेशों का विवरण | 47 |
| 9 | सरकार द्वारा दी गयी प्रत्याभूतियों का विवरण | 48 |
| 10 | सरकार द्वारा दिये गये सहायता अनुदानों का विवरण | 49 |
| 11 | दत्तमत तथा प्रभारित व्यय का विवरण | 50-51 |
| 12 | राजस्व लेखा के अतिरिक्त व्यय के लिए निधियों के स्रोतों तथा अनुप्रयोग पर विवरण | 52-58 |
| 13 | समेकित निधि, आकस्मिकता निधि और लोक लेखा के अंतर्गत शेषों का सारांश | 59-61 |
| | वित्त लेखाओं पर टिप्पणियाँ | 62-78 |

विषय सूची (जारी)

खण्ड-II

| | पृष्ठ |
|---|---------|
| भाग-I | |
| 14 लघु शीर्षवार राजस्व तथा पूँजीगत प्राप्तियों का विस्तृत विवरण | 80-109 |
| 15 लघु शीर्षवार राजस्व व्यय का विस्तृत विवरण | 110-158 |
| 16 लघु शीर्षवार तथा उप-शीर्षवार पूँजीगत व्यय का विस्तृत विवरण | 159-243 |
| 17 उधार एवं अन्य देयताओं का विस्तृत विवरण | 244-258 |
| 18 सरकार द्वारा दिये गये ऋणों तथा अग्रिमों का विस्तृत विवरण | 259-286 |
| 19 सरकार के निवेशों का विस्तृत विवरण | 287-311 |
| 20 सरकार द्वारा दी गयी प्रत्याभूतियों का विस्तृत विवरण.... | 312-319 |
| 21 आकस्मिकता निधि एवं अन्य लोक लेखा संव्यवहारों पर विस्तृत विवरण | 320-338 |
| 22 चिह्नित शेषों के निवेशों पर विस्तृत विवरण | 339-342 |
| भाग-II | |
| परिशिष्ट- | |
| I वेतन पर तुलनात्मक व्यय | 344-350 |
| II सहायिकी पर तुलनात्मक व्यय | 351 |
| III संघ राज्य क्षेत्र सरकार द्वारा दी गयी सहायता/ सहायता अनुदान (संस्थान-वार और योजना-वार) | 352-355 |
| IV बाह्य रूप से सहायता प्राप्त परियोजनाओं का विवरण ... | 356-357 |
| V योजनाओं पर व्यय- | |
| क. केन्द्रीय योजनाएं (केन्द्रीय प्रायोजित योजनाएं और केन्द्रीय योजनाएं) | 358-360 |
| ख. संघ राज्य क्षेत्र योजनाएं.... | 361-364 |

विषय सूची (समाप्त)

| भाग-II | | पृष्ठ |
|---------------------------|---|--------------|
| परिशिष्ट- (समाप्त) | | |
| VI | संघ राज्य क्षेत्र में कार्यान्वयन एजेन्सियों को केन्द्रीय योजना निधियों का प्रत्यक्ष हस्तांतरण (संघ राज्य क्षेत्र बजट के अलावा प्राप्त निधियाँ) (अलेखापरीक्षित आँकड़े) | 365-367 |
| VII | शेषों की स्वीकृति और मिलान (जैसा कि विवरण 18 और 21 में दर्शाया गया है)..... | 368-369 |
| VIII | सिंचाई योजनाओं के वित्तीय परिणाम | 370-371 |
| IX | सरकार की प्रतिबद्धताएं- ₹ 1 करोड़ और अधिक लागत वाले अधूरे पूँजीगत कार्यों की सूची | 372-375 |
| X | वेतन और गैर-वेतन भाग के विसंयोजन सहित अनुरक्षण व्यय | 376-382 |
| XI | वर्ष के दौरान सरकार के मुख्य नीतिगत निर्णय या बजट में प्रस्तावित नयी योजनाएं | 383 |
| XII | सरकार की प्रतिबद्ध देयताएं | 384-385 |
| XIII | संघ राज्य क्षेत्रों का पुनर्गठन- मर्दें जिनके लिए संघ राज्य क्षेत्रों के मध्य/ बीच शेषों के आबंटन को अंतिम रूप नहीं दिया गया है | 386-390 |

खण्ड-II

भाग-I

14. लघु शीर्षवार राजस्व तथा पूँजीगत प्राप्तियों का विस्तृत विवरण

| शीर्ष | वास्तविक | वास्तविक | वर्ष 2022-23 के दौरान प्रतिशत की वृद्धि (+)/कमी (-) | |
|---|------------------------------|--------------------|--|---------------------|
| | 2022-23 | 2021-22 | | |
| (1) | (2) | (3) | (4) | |
| | (₹ लाख में) | | | |
| प्राप्ति शीर्ष-(राजस्व लेखा) | | | | |
| क- कर राजस्व #- | | | | |
| (क) वस्तु एवं सेवा कर- | | | | |
| 0006- राज्य वस्तु एवं सेवा कर (एसजीएसटी)- | | | | |
| 101- कर | 2,15,071.60 | 1,98,470.99 | (+) 08 | |
| 102- ब्याज | 971.53 | 1,823.66 | (-) 47 | |
| 103- अर्थदण्ड | 529.09 | 263.23 | * | |
| 104- शुल्क | 569.81 | 567.44 | एन | |
| 106- आईजीएसटी का प्रभाजन-एसजीएसटी को कर घटक का हस्तांतरण | 4,92,261.99 | 4,33,463.28 | (+) 14 | |
| 500- अन्य लघु शीर्षों में हस्तांतरण हेतु प्रतीक्षित प्राप्तियाँ | 11,784.43 | 4,838.72 | * | |
| 800- अन्य प्राप्तियाँ | 9.96 | 3.24 | * | |
| | कुल-0006 | 7,21,198.41 | 6,39,430.56 | (+)13 |
| | (क) वस्तु एवं सेवा कर | 7,21,198.41 | 6,39,430.56 | (+)13 |
| (ग) संपत्ति, पूँजीगत एवं अन्य संव्यवहारों पर कर- | | | | |
| 0029- भू-राजस्व- | | | | |
| 101- भू-राजस्व/ कर | 6,500.75 | 3,651.22 | (+) 78 | |
| 103- भूमि पर दरें तथा उपकर | 4,178.75 | 2,145.22 | (+) 95 | |
| 800- अन्य प्राप्तियाँ | 2,480.11 | 5,531.99 | (-) 55 | |
| | कुल- 0029 | 13,159.61 | 11,328.43 | (+)16 |

(#) वापसी को में लेखों में लेते हुए आँकड़े निवल हैं।

(*) विवरण में सौ प्रतिशत से अधिक

(एन) विवरण में नगण्य

14. लघु शीर्षवार राजस्व तथा पूँजीगत प्राप्तियों का विस्तृत विवरण- (जारी)

| शीर्ष | वास्तविक | वास्तविक | वर्ष 2022-23 के दौरान प्रतिशत की वृद्धि (+)/कमी (-) |
|--|-------------------------|-------------------------|--|
| | 2022-23 | 2021-22 | |
| (1) | (2) | (3) | (4) |
| (₹ लाख में) | | | |
| प्राप्ति शीर्ष-(राजस्व लेखा)-(जारी) | | | |
| क- कर राजस्व-(जारी) | | | |
| (ग) संपत्ति, पूँजीगत और अन्य संव्यवहारों पर कर-(समाप्त) | | | |
| 0030- स्टाम्प एवं पंजीकरण शुल्क- | | | |
| <i>01- स्टाम्प- न्यायिक-</i> | | | |
| 101- स्टाम्प से वसूलीकृत न्यायालय शुल्क | 22.70 | 113.59 | (-) ⁸⁰ |
| 102- स्टाम्प की बिक्री | 486.20 | 311.83 | (+) ⁵⁶ |
| 800- अन्य प्राप्तियाँ | 1,109.03 | 18.72 | * |
| <i>कुल-01</i> | <u>1,617.93</u> | <u>444.14</u> | <u>*</u> |
| <i>02- स्टाम्प-गैर-न्यायिक-</i> | | | |
| 102- स्टाम्प की बिक्री | 38,002.03 | 38,034.23 | एन |
| 103- दस्तावेजों की छपाई पर शुल्क | 5.21 | 17.92 | (-) ⁷¹ |
| 800- अन्य प्राप्तियाँ | 241.70 | 329.28 | (-) ²⁷ |
| <i>कुल-02</i> | <u>38,248.94</u> | <u>38,381.43</u> | <u>एन</u> |
| <i>03- पंजीकरण शुल्क-</i> | | | |
| 104- दस्तावेजों को पंजीकृत करने के लिए शुल्क | 10,696.63 | 7,105.14 | (+) ⁵¹ |
| 800- अन्य प्राप्तियाँ | 5,102.91 | 5,270.81 | (-) ⁰³ |
| <i>कुल-03</i> | <u>15,799.54</u> | <u>12,375.95</u> | <u>(+)²⁸</u> |
| कुल-0030 | <u>55,666.41</u> | <u>51,201.52</u> | <u>(+)⁰⁹</u> |
| कुल-(ग)-संपत्ति, पूँजीगत और अन्य संव्यवहारों पर कर | <u>68,826.02</u> | <u>62,529.95</u> | <u>(+)¹⁰</u> |

14. लघु शीर्षवार राजस्व तथा पूँजीगत प्राप्तियों का विस्तृत विवरण- (जारी)

| शीर्ष | वास्तविक | वास्तविक | वर्ष 2022-23 के दौरान प्रतिशत की वृद्धि (+)/कमी (-) |
|--|----------------------|--------------------|--|
| | 2022-23 | 2021-22 | |
| (1) | (2) | (3) | (4) |
| (₹ लाख में) | | | |
| प्राप्ति शीर्ष-(राजस्व लेखा)-(जारी) | | | |
| क- कर राजस्व-(जारी) | | | |
| (घ) वस्तु एवं सेवा कर के अलावा अन्य वस्तुओं एवं सेवाओं पर कर- | | | |
| 0039- राज्य उत्पाद शुल्क- | | | |
| 101- देशी स्प्रिट्स | - | 35.90 | (-)100 |
| 105- विदेशी शराब तथा स्प्रिट्स | 79,243.36 | 1,73,464.11 | (-)54 |
| 800- अन्य प्राप्तियाँ | 1,00,130.47 | 4,779.31 | * |
| कुल-0039 | 1,79,373.83 | 1,78,279.32 | (+)01 |
| 0040- बिक्री, व्यापार आदि पर कर- | | | |
| 101- बिक्री कर अधिनियम के अंतर्गत प्राप्तियाँ | 1,900.00 | - | @ |
| 102- राज्य बिक्री कर अधिनियम के अंतर्गत प्राप्तियाँ | 1,415.11 | 1,90,631.34 | (-)99 |
| 103- मोटर स्प्रिट्स एवं लुब्रिकेंट्स की बिक्री पर कर | 1,52,117.0 | 0.15 | * |
| कुल-0040 | 1,55,432.11 § | 1,90,631.49 | (-)18 |
| 0041- वाहनों पर कर- | | | |
| 101 भारतीय मोटर वाहन अधिनियम के अंतर्गत प्राप्तियाँ | 5,893.53 | - | @ |
| 102- राज्य मोटर वाहन कराधान अधिनियमों के अंतर्गत प्राप्तियाँ | 66,448.28 | 61,623.67 | (+)08 |
| कुल -0041 | 72,341.81 | 61,623.67 | (+)17 |
| 0042- माल एवं यात्रियों पर कर- | | | |
| 102- सड़कों पर पथकर('टोल) | 2,106.43 | 391.14 | * |
| 103- कर संग्रहण-यात्री कर | 17.81 | - | @ |
| 106- स्थानीय क्षेत्रों में माल के प्रवेश पर कर | 17.45 | 1.91 | * |
| 800- अन्य प्राप्तियाँ | 232.82 | 179.93 | (+)29 |
| कुल -0042 | 2,374.51 | 572.98 | * |

(@) विवरण में लागू नहीं

§ ऑकड़े सरकार से मिलान के अधीन हैं। (अगस्त 2023)

14. लघु शीर्षवार राजस्व तथा पूँजीगत प्राप्तियों का विस्तृत विवरण- (जारी)

| शीर्ष | वास्तविक | | वर्ष 2022-23 के दौरान प्रतिशत की वृद्धि (+)/कमी (-) |
|--|---------------------|---------------------|--|
| | 2022-23 | 2021-22 | |
| (1) | (2) | (3) | (4) |
| (₹ लाख में) | | | |
| प्राप्ति शीर्ष-(राजस्व लेखा)-(जारी) | | | |
| क- कर राजस्व-(समाप्त) | | | |
| (घ) वस्तु एवं सेवा कर के अलावा अन्य वस्तुओं एवं सेवाओं पर कर-(समाप्त) | | | |
| 0043- विद्युत पर कर एवं शुल्क- | | | |
| 101- विद्युत के उपभोग एवं बिक्री पर कर | 34,000.28 | 37,660.21 | (-)10 |
| 103- सिनेमा घरों के विद्युतीय निरीक्षण हेतु शुल्क | 0.13 | - | @ |
| कुल-0043 | 34,000.41 | 37,660.21 | (-)10 |
| 0045- वस्तुओं और सेवाओं पर अन्य कर और शुल्क | | | |
| 101- मनोरंजन कर | 0.01 | 0.01 | - |
| कुल-0045 | 0.01 | 0.01 | - |
| कुल-(घ)-वस्तु एवं सेवा कर के अलावा अन्य वस्तुओं एवं सेवाओं पर कर | 4,43,522.68 | 4,68,767.68 | (-)05 |
| कुल-क-कर राजस्व | 12,33,547.11 | 11,70,728.19 | (+)05 |
| ख- गैर-कर- राजस्व- | | | |
| (ख) ब्याज प्राप्तियाँ, लाभांश एवं लाभ | | | |
| 0049- ब्याज प्राप्तियाँ- | | | |
| <i>04- राज्य विधानमण्डल युक्त राज्य/ संघ राज्य क्षेत्र सरकार की ब्याज प्राप्तियाँ-</i> | | | |
| 103- विभागीय वाणिज्यिक उपक्रमों से ब्याज | 8.31 | - | @ |
| 107- खेतीहरों से ब्याज | 0.25 | 0.14 | (+)79 |
| 110- रोकड़ शेषों के निवेश पर वसूल किया गया ब्याज | 2.61 | - | @ |
| 118- सरकारी सेवकों के ऋणों पर ब्याज | 38.38 | 12.78 | * |
| 800- अन्य प्राप्तियाँ | 1,829.48 | 1,641.12 | (+)11 |
| कुल-04 | 1,879.03 | 1,654.04 | (+)14 |
| कुल-0049 | 1,879.03 | 1,654.04 | (+)14 |
| कुल(ख)-ब्याज प्राप्तियाँ, लाभांश एवं लाभ | 1,879.03 | 1,654.04 | (+)14 |
| (ग) अन्य गैर-कर राजस्व- | | | |
| (i) सामान्य सेवाएं- | | | |
| 0051- लोक सेवा आयोग | | | |
| 105- राज्य पीएससी परीक्षा शुल्क | 1.03 | 1.00 | (+)03 |
| कुल-0051 | 1.03 | 1.00 | (+)03 |

14. लघु शीर्षवार राजस्व तथा पूँजीगत प्राप्तियों का विस्तृत विवरण- (जारी)

| शीर्ष | वास्तविक | वास्तविक | वर्ष 2022-23 के दौरान प्रतिशत की वृद्धि (+)/कमी (-) |
|--|-----------------|-----------------|--|
| | 2022-23 | 2021-22 | |
| (1) | (2) | (3) | (4) |
| (₹ लाख में) | | | |
| प्राप्ति शीर्ष-(राजस्व लेखा)-(जारी) | | | |
| ख- गैर-कर-राजस्व-(जारी) | | | |
| (ग) अन्य गैर-कर राजस्व-(जारी) | | | |
| (i) सामान्य सेवाएं-(जारी) | | | |
| 0055- पुलिस- | | | |
| 101- अन्य सरकारों को भेजी गयी पुलिस | 3.36 | 187.10 | (-)98 |
| 102- अन्य पक्षों को भेजी गयी पुलिस | 756.44 | 1,102.74 | (-)31 |
| 103- शुल्क, जुर्माना एवं जव्ती | 6.75 | 71.58 | (-)91 |
| 105- राज्य-मुख्यालय पुलिस की प्राप्तियाँ | 7,932.09 | 4,847.73 | (+)64 |
| 800- अन्य प्राप्तियाँ | 290.65 | 658.63 | (-)56 |
| कुल -0055 | 8,989.29 | 6,867.78 | (+)31 |
| 0056- कारावास- | | | |
| 102- कारावास में विनिर्माण की बिक्री | 52.70 | 45.94 | (+)15 |
| 800- अन्य प्राप्तियाँ | - | 0.01 | (-)100 |
| कुल-0056 | 52.70 | 45.95 | (+)15 |
| 0058- लेखन सामग्री एवं मुद्रण- | | | |
| 101- लेखन सामग्री प्राप्तियाँ | 458.69 | 286.31 | (+)60 |
| 102- राजपत्रों इत्यादि की बिक्री | 204.44 | 285.90 | (-)28 |
| 200- अन्य मुद्रणालय प्राप्तियाँ | - | 147.38 | (-)100 |
| 800- अन्य प्राप्तियाँ | 196.45 | - | @ |
| कुल-0058 | 859.58 | 719.59 | (+)19 |
| 0059- लोक निर्माण- | | | |
| <i>01- कार्यालय भवन-</i> | | | |
| 011- किराया | 1,351.48 | 1,079.23 | (+)25 |
| 102- मशीनरी एवं उपकरण का किराया प्रभार | 0.65 | 12.58 | (-)95 |
| 800- अन्य प्राप्तियाँ | 556.03 | 1,041.11 | (-)47 |
| <i>कुल-01</i> | <i>1,908.16</i> | <i>2,132.92</i> | <i>(-)11</i> |
| <i>60- अन्य भवन-</i> | | | |
| 103 प्रतिशत प्रभारों की वसूली | (-)0.01 | - | @ |
| 800- अन्य प्राप्तियाँ | 1,139.08 | 319.90 | * |
| <i>कुल-60</i> | <i>1,139.07</i> | <i>319.90</i> | <i>*</i> |

14. लघु शीर्षवार राजस्व तथा पूँजीगत प्राप्तियों का विस्तृत विवरण- (जारी)

| शीर्ष | वास्तविक | वास्तविक | वर्ष 2022-23 के दौरान प्रतिशत की वृद्धि (+)/कमी (-) |
|---|-----------------|-----------------|--|
| | 2022-23 | 2021-22 | |
| (1) | (2) | (3) | (4) |
| (₹ लाख में) | | | |
| प्राप्ति शीर्ष-(राजस्व लेखा)-(जारी) | | | |
| ख- गैर-कर- राजस्व-(जारी) | | | |
| (ग) अन्य गैर-कर राजस्व-(जारी) | | | |
| (i) सामान्य सेवाएं-(जारी) | | | |
| 0059- लोक निर्माण-(समाप्त) | | | |
| <i>80- सामान्य-(समाप्त)</i> | | | |
| 011- किराया | 3.12 | 13.06 | (-)76 |
| 102- मशीनरी एवं उपकरण का किराया प्रभार | 239.79 | 67.09 | * |
| 800- अन्य प्राप्तियाँ | 2,228.71 | 429.48 | * |
| | <i>कुल-80</i> | <i>509.63</i> | <i>*</i> |
| | कुल-0059 | 2,962.45 | (+)86 |
| 0070- अन्य प्रशासनिक सेवाएं- | | | |
| <i>01- न्याय प्रशासन-</i> | | | |
| 102- जुर्माना एवं जब्ती | 1,253.10 | 912.01 | (+)37 |
| 501- सेवाएं एवं सेवा शुल्क | 6.23 | 2.41 | * |
| 800- अन्य प्राप्तियाँ | 1,584.42 | 2,157.25 | (-)27 |
| | <i>कुल-01</i> | <i>3,071.67</i> | <i>(-)07</i> |
| <i>02- चुनाव-</i> | | | |
| 101- निर्वाचन प्रपत्रों और दस्तावेजों की विक्रय प्राप्तियाँ | 22.34 | 0.01 | * |
| 104- शुल्क, जुर्माना एवं जब्ती | 5.27 | 61.76 | (-)91 |
| 105- मतदाता पहचान पत्रों को जारी करने के प्रति अंशदान | 0.11 | 0.59 | (-)81 |
| 800- अन्य प्राप्तियाँ | 54.20 | 77.68 | (-)30 |
| | <i>कुल-02</i> | <i>140.04</i> | <i>(-)41</i> |
| <i>60- अन्य सेवाएं-</i> | | | |
| 101- केन्द्रीय अधिनियमों और विनियमों के प्रशासन हेतु केन्द्र सरकार से प्राप्तियाँ | - | 0.02 | (-)100 |
| 102- नागरिकता अधिनियम के अंतर्गत प्राप्तियाँ | 15.99 | 9.59 | (+)67 |

14. लघु शीर्षवार राजस्व तथा पूँजीगत प्राप्तियों का विस्तृत विवरण- (जारी)

| शीर्ष | वास्तविक | वास्तविक | वर्ष 2022-23 के दौरान प्रतिशत की वृद्धि (+)/कमी (-) | |
|---|-------------------------------|------------------|--|--------------|
| | 2022-23 | 2021-22 | | |
| (1) | (2) | (3) | (4) | |
| (₹ लाख में) | | | | |
| प्राप्ति शीर्ष-(राजस्व लेखा)-(जारी) | | | | |
| ख- गैर-कर-राजस्व-(जारी) | | | | |
| (ग) अन्य गैर- कर राजस्व-(जारी) | | | | |
| (i) सामान्य सेवाएं-(समाप्त) | | | | |
| 0070- अन्य प्रशासनिक सेवाएं-(समाप्त) | | | | |
| 103- विस्फोटक अधिनियम के अन्तर्गत प्राप्तियाँ | 0.04 | 0.04 | - | |
| 105- होम गार्ड | 0.16 | 0.11 | (+)45 | |
| 109- अग्नि सुरक्षा एवं नियंत्रण | 0.28 | 1.95 | (-)86 | |
| 111- मादक द्रव्य नियंत्रण | 0.52 | 0.40 | (+)30 | |
| 114- मोटर गैराजों इत्यादि से प्राप्तियाँ | 141.07 | 80.67 | (+)75 | |
| 115- अतिथि गृहों, सरकारी छात्रावासों आदि से प्राप्तियाँ | 334.10 | 275.30 | (+)21 | |
| 800- अन्य प्राप्तियाँ | 481.80 | 583.32 | (-)17 | |
| | <i>कुल-60</i> | 973.96 | 951.40 | (+)02 |
| | कुल-0070 | 3,899.63 | 4,163.11 | (-)06 |
| 0071- पेन्शन एवं अन्य सेवानिवृत्ति लाभों के प्रति अंशदान एवं वसूलियाँ- | | | | |
| <i>01- नागरिक-</i> | | | | |
| 101- अभिदान एवं अंशदान | 81.29 | 307.17 | (-)74 | |
| 800- अन्य प्राप्तियाँ | 444.28 | 511.98 | (-)13 | |
| | <i>कुल-01</i> | 525.57 | 819.15 | (-)36 |
| | कुल-0071 | 525.57 | 819.15 | (-)36 |
| 0075- विविध सामान्य सेवाएं- | | | | |
| 101- अदावी जमा | 1,066.70 | 1,133.31 | (-)06 | |
| 800- अन्य प्राप्तियाँ | 8,589.86 | 242.77 | * | |
| | कुल-0075 | 9,656.56 | 1,376.08 | * |
| | कुल-(i)-सामान्य सेवाएं | 29,503.21 | 16,955.11 | (+)74 |

14. लघु शीर्षवार राजस्व तथा पूँजीगत प्राप्तियों का विस्तृत विवरण- (जारी)

| शीर्ष | वास्तविक | वास्तविक | वर्ष 2022-23 के दौरान प्रतिशत की वृद्धि (+)/कमी (-) |
|---------------------------------------|------------------------|------------------|--|
| | 2022-23 | 2021-22 | |
| (1) | (2) | (3) | (4) |
| (₹ लाख में) | | | |
| प्राप्ति शीर्ष-(राजस्व लेखा)-(जारी) | | | |
| ख- गैर-कर-राजस्व-(जारी) | | | |
| (ग) अन्य गैर- कर राजस्व-(जारी) | | | |
| (ii) सामाजिक सेवाएं- | | | |
| 0202- शिक्षा, खेल, कला एवं संस्कृति- | | | |
| 01- सामान्य शिक्षा- | | | |
| 101- प्रारंभिक शिक्षा- | | | |
| प्रवेश शुल्क एवं अन्य शुल्क | 790.97 | 47,108.68 | (-)98 |
| 102- माध्यमिक शिक्षा- | | | |
| प्रवेश शुल्क एवं अन्य शुल्क | 202.00 | 124.89 | (+)62 |
| 103- विश्वविद्यालय एवं उच्च शिक्षा- | | | |
| प्रवेश शुल्क एवं अन्य शुल्क | 125.01 | 120.67 | (+)04 |
| 600- सामान्य | - | 1.27 | (-)100 |
| | <u>कुल-01</u> 1,117.98 | <u>47,355.51</u> | <u>(-)98</u> |
| 02- तकनीकी शिक्षा- | | | |
| 101- उप शिक्षण(ट्यूशन) एवं अन्य शुल्क | 24.37 | 9.94 | * |
| 800- अन्य प्राप्तियाँ | 95.85 | 16.79 | * |
| | <u>कुल-02</u> 120.22 | <u>26.73</u> | <u>*</u> |
| 03- खेल एवं युवा सेवाएं- | | | |
| 800- अन्य प्राप्तियाँ | 4.41 | 4.69 | (-)06 |
| | <u>कुल-03</u> 4.41 | <u>4.69</u> | <u>(-)06</u> |

14. लघु शीर्षवार राजस्व तथा पूँजीगत प्राप्तियों का विस्तृत विवरण- (जारी)

| शीर्ष | वास्तविक | वास्तविक | वर्ष 2022-23 के दौरान प्रतिशत की वृद्धि (+)/कमी (-) |
|---|-----------------|-----------------|--|
| | 2022-23 | 2021-22 | |
| (1) | (2) | (3) | (4) |
| (₹ लाख में) | | | |
| प्राप्ति शीर्ष-(राजस्व लेखा)-(जारी) | | | |
| ख- गैर-कर-राजस्व-(जारी) | | | |
| (ग) अन्य गैर-कर राजस्व-(जारी) | | | |
| (ii) सामाजिक सेवाएं-(जारी) | | | |
| 0202- शिक्षा, खेल, कला एवं संस्कृति-(समाप्त) | | | |
| <i>04- कला एवं संस्कृति-</i> | | | |
| 101- अभिलेखागार और संग्रहालय | 0.82 | 0.35 | * |
| 102- सार्वजनिक पुस्तकालय | 1.21 | 0.23 | * |
| 800- अन्य प्राप्तियाँ | 8.25 | 24.42 | (-)66 |
| | <i>कुल-04</i> | 10.28 | (-)59 |
| | कुल-0202 | 1,252.89 | (-)97 |
| 0210- चिकित्सा एवं जन स्वास्थ्य- | | | |
| <i>01- शहरी स्वास्थ्य सेवाएं-</i> | | | |
| 020- अस्पताल और औषधालय सेवाओं हेतु रोगियों से प्राप्तियाँ | 1,872.57 | 1,615.31 | (+)16 |
| 104- चिकित्सा भण्डार आगार | 0.03 | - | @ |
| 800- अन्य प्राप्तियाँ | 537.54 | 505.64 | (+)06 |
| | <i>कुल-01</i> | 2,410.14 | (+)14 |
| <i>02- ग्रामीण स्वास्थ्य सेवाएं-</i> | | | |
| 800- अन्य प्राप्तियाँ | 35.28 | 192.13 | (-)82 |
| | <i>कुल -02</i> | 35.28 | (-)82 |
| <i>03- चिकित्सा शिक्षा, प्रशिक्षण एवं अनुसंधान</i> | | | |
| 105- एलोपैथी | 13.79 | 5.51 | * |
| 200- अन्य प्रणाली | 0.96 | 0.41 | * |
| | <i>कुल-03</i> | 14.75 | * |

14. लघु शीर्षवार राजस्व तथा पूँजीगत प्राप्तियों का विस्तृत विवरण- (जारी)

| शीर्ष | वास्तविक | वास्तविक | वर्ष 2022-23 के दौरान प्रतिशत की वृद्धि (+)/कमी (-) |
|---|------------------------|------------------------|--|
| | 2022-23 | 2021-22 | |
| (1) | (2) | (3) | (4) |
| (₹ लाख में) | | | |
| प्राप्ति शीर्ष-(राजस्व लेखा)-(जारी) | | | |
| ख- गैर-कर-राजस्व-(जारी) | | | |
| (ग) अन्य गैर- कर राजस्व-(जारी) | | | |
| (ii) सामाजिक सेवाएं-(जारी) | | | |
| 0210- चिकित्सा एवं जन स्वास्थ्य-(समाप्त) | | | |
| <i>04- जन स्वास्थ्य-</i> | | | |
| 104- शुल्क एवं जुर्माना इत्यादि | 535.46 | 382.16 | (+)40 |
| 501- सेवाएं एवं सेवा शुल्क | 0.02 | - | @ |
| 800- अन्य प्राप्तियाँ | 309.78 | 322.06 | (-)04 |
| <i>कुल-04</i> | <u>845.26</u> | <u>704.22</u> | <u>(+)20</u> |
| <i>80- सामान्य-</i> | | | |
| 800- अन्य प्राप्तियाँ | 70.40 | 76.04 | (-)07 |
| <i>कुल-80</i> | <u>70.40</u> | <u>76.04</u> | <u>(-)07</u> |
| कुल-0210 | <u>3,375.83</u> | <u>3,099.26</u> | <u>(+)09</u> |
| 0211- परिवार कल्याण- | | | |
| 800- अन्य प्राप्तियाँ | 6.68 | 3.79 | (+)76 |
| कुल-0211 | <u>6.68</u> | <u>3.79</u> | <u>(+)76</u> |
| 0215- जलापूर्ति एवं स्वच्छता- | | | |
| <i>01- जलापूर्ति-</i> | | | |
| 102- ग्रामीण जलापूर्ति योजनाओं से प्राप्तियाँ | 9,614.44 | 9,960.09 | (-)03 |
| 103- शहरी जलापूर्ति योजनाओं से प्राप्तियाँ | 353.49 | 741.67 | (-)52 |
| 104- शुल्क, जुर्माना इत्यादि | 125.09 | 42.91 | * |
| 800- अन्य प्राप्तियाँ | 783.01 | 342.88 | * |
| <i>कुल-01</i> | <u>10,876.03</u> | <u>11,087.55</u> | <u>(-)02</u> |

14. लघु शीर्षवार राजस्व तथा पूँजीगत प्राप्तियों का विस्तृत विवरण- (जारी)

| शीर्ष | वास्तविक | | वर्ष 2022-23 के दौरान प्रतिशत की वृद्धि (+)/कमी (-) |
|--|------------------|------------------|--|
| | 2022-23 | 2021-22 | |
| (1) | (2) | (3) | (4) |
| (₹ लाख में) | | | |
| प्राप्ति शीर्ष-(राजस्व लेखा)-(जारी) | | | |
| ख- गैर-कर-राजस्व-(जारी) | | | |
| (ग) अन्य गैर-कर राजस्व-(जारी) | | | |
| (ii) सामाजिक सेवाएं-(जारी) | | | |
| 0215- जलापूर्ति एवं स्वच्छता-(समाप्त) | | | |
| <i>02- सीवरेज एवं स्वच्छता-</i> | | | |
| 103- सीवरेज योजनाओं से प्राप्तियाँ | 139.82 | 100.62 | (+)39 |
| <i>कुल -02</i> | 139.82 | 100.62 | (+)39 |
| कुल-0215 | 11,015.85 | 11,188.17 | (-)02 |
| 0216- आवास- | | | |
| <i>01- सरकारी आवासीय भवन-</i> | | | |
| 106- सामान्य पूल आवास | 10.66 | - | @ |
| 700- अन्य आवास | 219.09 | 239.15 | (-)08 |
| <i>कुल-01</i> | 229.75 | 239.15 | (-)04 |
| <i>03- ग्रामीण आवास-</i> | | | |
| 800- अन्य प्राप्तियाँ | 218.04 | 321.27 | (-)32 |
| <i>कुल-03</i> | 218.04 | 321.27 | (-)32 |
| <i>80- सामान्य-</i> | | | |
| 800- अन्य प्राप्तियाँ | 27.74 | 13.87 | (+)100 |
| <i>कुल-80</i> | 27.74 | 13.87 | (+)100 |
| कुल-0216 | 475.53 | 574.29 | (-)17 |

14. लघु शीर्षवार राजस्व तथा पूँजीगत प्राप्तियों का विस्तृत विवरण- (जारी)

| शीर्ष | वास्तविक | | वर्ष 2022-23 के दौरान प्रतिशत की वृद्धि (+)/कमी (-) |
|--|--------------------------|-----------------|--|
| | 2022-23 | 2021-22 | |
| (1) | (2) | (3) | (4) |
| (₹ लाख में) | | | |
| प्राप्ति शीर्ष-(राजस्व लेखा)-(जारी) | | | |
| ख- गैर-कर-राजस्व-(जारी) | | | |
| (ग) अन्य गैर-कर राजस्व-(जारी) | | | |
| (ii) सामाजिक सेवाएं-(जारी) | | | |
| 0217- शहरी विकास- | | | |
| <i>03- लघु एवं मध्यम कस्बों का एकीकृत विकास-</i> | | | |
| 800- अन्य प्राप्तियाँ | 1,049.89 | 1,217.45 | (-)14 |
| | <u>कुल-03</u> 1,049.89 | <u>1,217.45</u> | <u>(-)14</u> |
| <i>04- झुग्गी-बस्ती इलाके का सुधार</i> | | | |
| 800- अन्य प्राप्तियाँ | 0.20 | - | @ |
| | <u>कुल-04</u> 0.20 | <u>-</u> | <u>@</u> |
| <i>60- अन्य शहरी विकास योजनाएं-</i> | | | |
| 800- अन्य प्राप्तियाँ | 53.49 | 13.19 | * |
| | <u>कुल-60</u> 53.49 | <u>13.19</u> | <u>*</u> |
| | <u>कुल-0217</u> 1,103.58 | <u>1,230.64</u> | <u>(-)10</u> |
| 0220- सूचना एवं प्रचार- | | | |
| <i>60- अन्य-</i> | | | |
| 800- अन्य प्राप्तियाँ | 3.67 | 0.58 | * |
| | <u>कुल -60</u> 3.67 | <u>0.58</u> | <u>*</u> |
| | <u>कुल-0220</u> 3.67 | <u>0.58</u> | <u>*</u> |
| 0230- श्रम एवं रोजगार- | | | |
| 101- श्रम कानून के अंतर्गत प्राप्तियाँ | 403.80 | 225.22 | (+)79 |
| 102- व्यापार संगठनों के पंजीकरण हेतु शुल्क | 0.10 | 0.65 | (-)85 |
| 103- स्टीम बॉयलर के निरीक्षण हेतु शुल्क | - | 0.02 | (-)100 |
| 104- कारखाना अधिनियम के अंतर्गत शुल्क वसूली | - | 0.06 | (-)100 |
| 105- खान अधिनियम के अन्तर्गत परीक्षा शुल्क | - | 0.10 | (-)100 |
| 800- अन्य प्राप्तियाँ | 478.02 | 532.32 | (-)10 |
| | <u>कुल-0230</u> 881.92 | <u>758.37</u> | <u>(+)16</u> |

14. लघु शीर्षवार राजस्व तथा पूँजीगत प्राप्तियों का विस्तृत विवरण- (जारी)

| शीर्ष | वास्तविक | | वर्ष 2022-23 के दौरान प्रतिशत की वृद्धि (+)/कमी (-) |
|---|--------------------------------|------------------|--|
| | 2022-23 | 2021-22 | |
| (1) | (2) | (3) | (4) |
| (₹ लाख में) | | | |
| प्राप्ति शीर्ष-(राजस्व लेखा)-(जारी) | | | |
| ख- गैर-कर राजस्व-(जारी) | | | |
| (ग) अन्य गैर-कर राजस्व-(जारी) | | | |
| (ii) सामाजिक सेवाएं-(समाप्त) | | | |
| 0235- सामाजिक सुरक्षा और कल्याण- | | | |
| 01- पुनर्वास | | | |
| 800- अन्य प्राप्तियाँ | 9.18 | 279.32 | (-97 |
| | <i>कुल-01</i> | 9.18 | (-97 |
| 60- अन्य सामाजिक सुरक्षा और कल्याण कार्यक्रम- | | | |
| 800- अन्य प्राप्तियाँ | 994.34 | 283.34 | * |
| | <i>कुल-60</i> | 994.34 | * |
| | कुल-0235 | 1,003.52 | (+78 |
| 0250- अन्य सामाजिक सेवाएं- | | | |
| 800- अन्य प्राप्तियाँ | - | 2.52 | (-100 |
| | <i>कुल-0250</i> | - | (-100 |
| | कुल-(ii)-सामाजिक सेवाएं | 19,119.47 | (-71 |
| (iii) आर्थिक सेवाएं- | | | |
| 0401- फसल पैदावार- | | | |
| 103- बीज | 123.46 | 627.60 | (-80 |
| 104- कृषि फार्मों से प्राप्तियाँ | 748.15 | 52.54 | * |
| 108- वाणिज्यिक फसलों से प्राप्तियाँ | 21.13 | 2.45 | * |
| 119- उद्यान कृषि एवं शाक फसलों से प्राप्तियाँ | 664.71 | 927.87 | (-28 |
| 120- ट्रैक्टर सहित कृषि उपकरणों और मशीनरी की बिक्री किराया एवं सेवा | 30.46 | - | @ |
| 800- अन्य प्राप्तियाँ | 225.27 | 8.53 | * |
| | कुल-0401 | 1,813.18 | (+12 |

14. लघु शीर्षवार राजस्व तथा पूँजीगत प्राप्तियों का विस्तृत विवरण- (जारी)

| शीर्ष | वास्तविक | | वर्ष 2022-23 के दौरान प्रतिशत की वृद्धि (+)/कमी (-) |
|--|-----------------|-----------------|--|
| | 2022-23 | 2021-22 | |
| (1) | (2) | (3) | (4) |
| (₹ लाख में) | | | |
| प्राप्ति शीर्ष-(राजस्व लेखा)-(जारी) | | | |
| ख. गैर-कर राजस्व (जारी) | | | |
| (ग) अन्य गैर- कर राजस्व-(जारी) | | | |
| (iii) आर्थिक सेवाएं-(जारी) | | | |
| 0403- पशुपालन- | | | |
| 102- मवेशी एवं भैंस विकास से प्राप्तियाँ | 262.92 | 343.70 | (-)24 |
| 103- मुर्गी पालन विकास से प्राप्तियाँ | 40.44 | 77.29 | (-)48 |
| 104- भेड़ एवं ऊन विकास से प्राप्तियाँ | 307.04 | 272.80 | (+)13 |
| 105- सुअर पालन विकास से प्राप्तियाँ | 5.96 | 8.47 | (-)30 |
| 106- चारा और खाद्य विकास से प्राप्तियाँ | 1.39 | 1.19 | (+)17 |
| 108- अन्य पशुधन विकास से प्राप्तियाँ | 19.14 | 12.79 | (+)50 |
| 501- सेवाएं और सेवा शुल्क | 29.71 | 24.16 | (+)23 |
| 800- अन्य प्राप्तियाँ | 543.67 | 492.51 | (+)10 |
| कुल-0403 | 1,210.27 | 1,232.91 | (-)02 |
| 0405- मत्स्यपालन- | | | |
| 102- लाइसेन्स शुल्क, जुर्माना इत्यादि | 52.80 | 72.26 | (-)27 |
| 103- मछली, मछली के बीज आदि की बिक्री | 596.90 | 470.27 | (+)27 |
| 800- अन्य प्राप्तियाँ | 401.93 | 445.55 | (-)10 |
| कुल-0405 | 1,051.63 | 988.08 | (+)06 |

14. लघु शीर्षवार राजस्व तथा पूँजीगत प्राप्तियों का विस्तृत विवरण- (जारी)

| शीर्ष | वास्तविक | वास्तविक | वर्ष 2022-23 के दौरान प्रतिशत की वृद्धि (+)/कमी (-) |
|--|-------------------------|-------------------------|--|
| | 2022-23 | 2021-22 | |
| (1) | (2) | (3) | (4) |
| (₹ लाख में) | | | |
| प्राप्ति शीर्ष-(राजस्व लेखा)-(जारी) | | | |
| ख- गैर-कर राजस्व-(जारी) | | | |
| (ग) अन्य गैर-कर राजस्व-(जारी) | | | |
| (iii) आर्थिक सेवाएं-(जारी) | | | |
| 0406- वानिकी एवं वन्य जीवन- | | | |
| <i>01- वानिकी-</i> | | | |
| 101- इमारती लकड़ी एवं अन्य वन उत्पाद की बिक्री | 3,206.15 | 6,011.08 | (-)/47 |
| 102- सामाजिक एवं कृषि वानिकी से प्राप्तियाँ | 29.74 | 19.67 | (+)/51 |
| 103- पर्यावरण वानिकी से प्राप्तियाँ | 1,017.17 | 209.12 | * |
| 104- वन वृक्षारोपण से प्राप्तियाँ | 0.04 | 0.07 | (-)/43 |
| 800- अन्य प्राप्तियाँ | 13,393.41 | 8,800.30 | (+)/52 |
| <i>कुल-01</i> | <u>17,646.51</u> | <u>15,040.24</u> | <u>(+)/17</u> |
| <i>02- पर्यावरणीय वानिकी एवं वन्य जीवन-</i> | | | |
| 111- प्राणी उद्यान | 38.84 | - | @ |
| 112- सार्वजनिक उद्यान | 549.48 | 382.05 | (+)/44 |
| 800- अन्य प्राप्तियाँ | 3,214.20 | 4,700.70 | (-)/32 |
| <i>कुल-02</i> | <u>3,802.52</u> | <u>5,082.75</u> | <u>(-)/25</u> |
| कुल-0406 | <u>21,449.03</u> | <u>20,122.99</u> | <u>(+)/07</u> |
| 0408- खाद्य संग्रहण एवं भण्डारण- | | | |
| 800- अन्य प्राप्तियाँ | 173.03 | 266.47 | (-)/35 |
| कुल-0408 | <u>173.03</u> | <u>266.47</u> | <u>(-)/35</u> |

14. लघु शीर्षवार राजस्व तथा पूँजीगत प्राप्तियों का विस्तृत विवरण- (जारी)

| शीर्ष | वास्तविक | वास्तविक | वर्ष 2022-23 के दौरान प्रतिशत की वृद्धि (+)/कमी (-) |
|--|---------------|---------------|--|
| | 2022-23 | 2021-22 | |
| (1) | (2) | (3) | (4) |
| | | | (₹ लाख में) |
| प्राप्ति शीर्ष-(राजस्व लेखा)-(जारी) | | | |
| ख- गैर-कर राजस्व-(जारी) | | | |
| (ग) अन्य गैर-कर राजस्व-(जारी) | | | |
| (iii) आर्थिक सेवाएं-(जारी) | | | |
| 0425- सहकारिता- | | | |
| 101- लेखापरीक्षा शुल्क | 19.12 | 22.98 | (-)17 |
| 800- अन्य प्राप्तियाँ | - | 0.20 | (-)100 |
| कुल-0425 | 19.12 | 23.18 | (-)18 |
| 0435- अन्य कृषिगत कार्यक्रम- | | | |
| 501- सेवाएं एवं सेवा शुल्क | 40.80 | 32.21 | (+)27 |
| 800- अन्य प्राप्तियाँ | 20.05 | 17.35 | (+)16 |
| कुल-0435 | 60.85 | 49.56 | (+)23 |
| 0515- अन्य ग्रामीण विकास कार्यक्रम- | | | |
| 800- अन्य प्राप्तियाँ | 615.96 | 359.10 | (+)72 |
| कुल-0515 | 615.96 | 359.10 | (+)72 |
| 0701- मध्यम सिंचाई- | | | |
| <i>01- मध्यम सिंचाई-वाणिज्यिक-</i> | | | |
| 601- रणबीर नहर | - | - | - |
| 602- प्रताप नहर | - | - | - |
| 619- मार्तण्ड नहर | - | - | - |
| 631- आजी नहर | - | - | - |
| 632- जैनगीर नहर | - | - | - |
| 800- अन्य प्राप्तियाँ | 16.94 | - | @ |
| कुल-01 | 16.94 | - | @ |

14. लघु शीर्षवार राजस्व तथा पूँजीगत प्राप्तियों का विस्तृत विवरण- (जारी)

| शीर्ष | वास्तविक | वास्तविक | वर्ष 2022-23 के दौरान प्रतिशत की वृद्धि (+)/कमी (-) |
|--|-----------|-----------|--|
| | 2022-23 | 2021-22 | |
| (1) | (2) | (3) | (4) |
| | | | (₹ लाख में) |
| प्राप्ति शीर्ष-(राजस्व लेखा)-(जारी) | | | |
| ख- गैर-कर राजस्व-(जारी) | | | |
| (ग) अन्य गैर-कर राजस्व-(जारी) | | | |
| (iii) आर्थिक सेवाएं-(जारी) | | | |
| 0701- मध्यम सिंचाई-(समाप्त) | | | |
| 80- सामान्य- | | | |
| 800- अन्य प्राप्तियाँ | 70,605.82 | 88,662.28 | (-)/20 |
| | कुल-80 | 70,605.82 | (-)/20 |
| | कुल -0701 | 70,622.76 | (-)/20 |
| 0702- लघु सिंचाई- | | | |
| 01- सतही जल- | | | |
| 101- जल ढँकों से प्राप्तियाँ | 314.86 | 128.49 | * |
| 102- लिफ्ट सिंचाई योजनाओं से प्राप्तियाँ | 31.77 | 0.84 | * |
| 103- पधांतर योजनाओं से प्राप्तियाँ | 2.10 | 0.08 | * |
| 800- अन्य प्राप्तियाँ | 9.22 | 0.40 | * |
| | कुल-01 | 357.95 | * |
| 02- भू जल- | | | |
| 101- नल कूपों से प्राप्तियाँ | 0.01 | - | @ |
| 800- अन्य प्राप्तियाँ | 11.16 | 0.07 | * |
| | कुल-02 | 11.17 | * |
| 03- कमान क्षेत्र विकास | | | |
| 800- अन्य प्राप्तियाँ | 3.55 | - | @ |
| | कुल-03 | 3.55 | @ |
| 04- बाढ़ नियंत्रण- | | | |
| 800- अन्य प्राप्तियाँ | 13.14 | - | @ |
| | कुल-04 | 13.14 | @ |

14. लघु शीर्षवार राजस्व तथा पूँजीगत प्राप्तियों का विस्तृत विवरण- (जारी)

| शीर्ष | वास्तविक | | वर्ष 2022-23 के दौरान प्रतिशत की वृद्धि (+)/कमी (-) |
|--|--------------------|---------------------|--|
| | 2022-23 | 2021-22 | |
| (1) | (2) | (3) | (4) |
| (₹ लाख में) | | | |
| प्राप्ति शीर्ष-(राजस्व लेखा)-(जारी) | | | |
| ख- गैर-कर राजस्व-(जारी) | | | |
| (ग) अन्य गैर-कर राजस्व-(जारी) | | | |
| (iii) आर्थिक सेवाएं-(जारी) | | | |
| 0702- लघु सिंचाई-(समाप्त) | | | |
| <i>80- सामान्य-</i> | | | |
| 800- अन्य प्राप्तियाँ | 546.21 | 963.57 | (-) ⁴³ |
| <i>कुल-80</i> | 546.21 | 963.57 | (-) ⁴³ |
| कुल-0702 | 932.02 | 1,093.45 | (-)¹⁵ |
| 0801- विद्युत- | | | |
| <i>80- सामान्य-</i> | | | |
| 800- अन्य प्राप्तियाँ | 3,30,753.51 | 2,71,577.37 | (+) ²² |
| 900- कटौती-प्रतिदाय | - | (-) ^{2.69} | (-) ¹⁰⁰ |
| <i>कुल-80</i> | 3,30,753.51 | 2,71,574.68 | (+) ²² |
| कुल-0801 | 3,30,753.51 | 2,71,574.68 | (+)²² |
| 0851- ग्राम एवं लघु उद्योग- | | | |
| 101- औद्योगिक संपदा | 42.45 | 36.24 | (+) ¹⁷ |
| 102- लघु पैमाना उद्योग | 4.29 | 3.71 | (+) ¹⁶ |
| 103- हथकरघा उद्योग | 2.15 | 0.23 | * |
| 104- हस्तशिल्प उद्योग | 23,689.90 | 299.65 | * |
| 107- रेशम उत्पादन उद्योग | 268.83 | 0.79 | * |
| 800- अन्य प्राप्तियाँ | - | 4.96 | (-) ¹⁰⁰ |
| कुल-0851 | 24,007.62 | 345.58 | * |

14. लघु शीर्षवार राजस्व तथा पूँजीगत प्राप्तियों का विस्तृत विवरण- (जारी)

| शीर्ष | वास्तविक | वास्तविक | वर्ष 2022-23 के दौरान प्रतिशत की वृद्धि (+)/कमी (-) |
|--|------------------|------------------|--|
| | 2022-23 | 2021-22 | |
| (1) | (2) | (3) | (4) |
| (₹ लाख में) | | | |
| प्राप्ति शीर्ष-(राजस्व लेखा)-(जारी) | | | |
| ख- गैर-कर राजस्व-(जारी) | | | |
| (ग) अन्य गैर-कर राजस्व-(जारी) | | | |
| (iii) आर्थिक सेवाएं-(जारी) | | | |
| 0853- अलौह खनन तथा धातुकर्म उद्योग- | | | |
| 101- भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण | 718.20 | - | @ |
| 102- खनिज रियायत शुल्क, किराया एवं रॉयल्टी | 3,511.72 | 3,260.68 | (+)08 |
| 103- कैल्शियम कार्बाइड नियमों के अंतर्गत प्राप्तियाँ | 1.27 | - | @ |
| 104- खदान विभाग | 436.69 | 1,440.39 | (-)70 |
| 800- अन्य प्राप्तियाँ | 5,448.83 | 8,176.72 | (-)33 |
| कुल-0853 | 10,116.71 | 12,877.79 | (-)21 |
| 1452- पर्यटन- | | | |
| 105- किराया एवं खानपान प्राप्तियाँ | 4.26 | 5.20 | (-)18 |
| 800- अन्य प्राप्तियाँ | 975.25 | 984.33 | (-)01 |
| कुल-1452 | 979.51 | 989.53 | (-)01 |
| 1475- अन्य सामान्य आर्थिक सेवाएं- | | | |
| 012- सांख्यिकी | 38.75 | 20.71 | (+)87 |
| 101- एकाधिकार और प्रतिबंधात्मक व्यापार व्यवहार अधिनियम 1969 के अंतर्गत वसूल किया गया शुल्क | 1.29 | 1.80 | (-)28 |
| 102- एकस्व शुल्क | 0.54 | 0.01 | * |
| 103- व्यापार चिहनों के पंजीकरण हेतु शुल्क | 5.60 | 4.47 | (+)25 |
| 104- प्रमाणीकरण चिहनीकरण और परीक्षण शुल्क से प्राप्तियाँ | - | 2.13 | (-)100 |

14. लघु शीर्षवार राजस्व तथा पूँजीगत प्राप्तियों का विस्तृत विवरण- (जारी)

| शीर्ष | वास्तविक | वास्तविक | वर्ष 2022-23 के दौरान प्रतिशत की वृद्धि (+)/कमी (-) |
|--|--------------------|--------------------|--|
| | 2022-23 | 2021-22 | |
| (1) | (2) | (3) | (4) |
| (₹ लाख में) | | | |
| प्राप्ति शीर्ष-(राजस्व लेखा)-(जारी) | | | |
| ख- गैर-कर राजस्व-(समाप्त) | | | |
| (ग) अन्य गैर-कर राजस्व-(समाप्त) | | | |
| (iii) आर्थिक सेवाएं-(समाप्त) | | | |
| 1475- अन्य सामान्य आर्थिक सेवाएं-(समाप्त) | | | |
| 106- तौल और माप पर मोहर लगाने का शुल्क | 148.19 | 140.81 | (+)05 |
| 200- अन्य व्यवसाय उपकरणों का विनियमन | 2.84 | 0.19 | * |
| 202- माप विज्ञान | 96.25 | 134.07 | (-)-28 |
| 800- अन्य प्राप्तियाँ | 154.84 | 94.92 | (+)63 |
| कुल-1475 | 448.30 | 399.11 | (+)12 |
| कुल-(iii)-आर्थिक सेवाएं | 4,64,253.50 | 4,00,603.70 | (+)16 |
| कुल-(ग)-अन्य गैर-कर राजस्व | 5,12,876.18 | 4,82,391.02 | (+)06 |
| कुल-ख-गैर-कर राजस्व | 5,14,755.21 | 4,84,045.06 | (+)06 |
| ग- सहायता अनुदान और अंशदान- | | | |
| 1601- केन्द्र सरकार से सहायता अनुदान - | | | |
| 06- केन्द्रीय प्रायोजित योजनाएं- | | | |
| 101- केन्द्रीय सहायता/ हिस्सेदारी- | | | |
| कृषि मंत्रालय- | | | |
| राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन | - | 271.59 | (-)100 |
| राष्ट्रीय उद्यान कृषि मिशन | - | 6,775.00 | (-)100 |
| बागवानी का एकीकृत विकास | 3,425.00 | - | @ |
| खाद्य और पोषण सुरक्षा (कृषि उन्नति योजना) | 138.47 | - | @ |

14. लघु शीर्षवार राजस्व तथा पूँजीगत प्राप्तियों का विस्तृत विवरण- (जारी)

| शीर्ष | वास्तविक | वास्तविक | वर्ष 2022-23 के दौरान प्रतिशत की वृद्धि (+)/कमी (-) |
|---|-----------|-----------|--|
| | 2022-23 | 2021-22 | |
| (1) | (2) | (3) | (4) |
| (₹ लाख में) | | | |
| प्राप्ति शीर्ष-(राजस्व लेखा)-(जारी) | | | |
| ग- सहायता अनुदान और अंशदान-(जारी) | | | |
| 1601- केन्द्र सरकार से सहायता अनुदान-(जारी) | | | |
| 06- केन्द्र प्रायोजित योजनाएं-(जारी) | | | |
| 101- केन्द्रीय सहायता/ हिस्सेदारी-(जारी) | | | |
| <i>कृषि मंत्रालय-</i> | | | |
| राष्ट्रीय कृषि विकास योजना (आरकेवीवाई) | 481.05 | - | @ |
| कृषि विस्तारपर उप-योजना | 514.50 | - | @ |
| कृषिगत यंत्रीकरण पर उप-योजना | - | 1,400.00 | (-)100 |
| बीज और पौध सामग्री पर उप-मिशन | 978.78 | 139.43 | * |
| <i>कुल-कृषि मंत्रालय</i> | 5,537.80 | 8,586.02 | (-)36 |
| <i>उपभोक्ता मामले और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय-</i> | | | |
| एनएफएसए के तहत खाद्यान्नों और ईपीएस डीलरों के अंतर-राज्य संचलन पर व्यय को पूरा करने के लिए राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों को जारी केंद्रीय सहायता के मानदंडों में संशोधन | | | |
| | 6,856.00 | - | @ |
| <i>कुल-उपभोक्ता मामले और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय</i> | 6,856.00 | - | @ |
| <i>पर्यावरण एवं वन मंत्रालय-</i> | | | |
| जलीय पारिस्थितिकी प्रणाली (एक्वाटिक इको सिस्टम) का संरक्षण | 900.00 | - | @ |
| ग्रीन इंडिया मिशन-राष्ट्रीय वनीकरण कार्यक्रम | 649.00 | - | @ |
| <i>कुल-पर्यावरण एवं वन मंत्रालय</i> | 1,549.00 | - | |
| <i>खाद्य प्रसंस्करण मंत्रालय-</i> | | | |
| पीएम सूक्ष्म खाद्य प्रसंस्करण उद्यमों का औपचारिकरण पीएम-एफएमई | - | 125.07 | (-)100 |
| <i>कुल-खाद्य प्रसंस्करण मंत्रालय</i> | - | 125.07 | (-)100 |
| <i>स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय-</i> | | | |
| भारत कोविड-19 आपात प्रतिक्रिया और स्वास्थ्य प्रणाली तैयारी पैकेज- चरण-2 | - | 27,848.00 | (-)100 |
| भारत कोविड-19 आपात प्रतिक्रिया और स्वास्थ्य प्रणाली तैयारी पैकेज- चरण- ईएसी | - | 318.00 | (-)100 |
| आरसीएच और स्वास्थ्य प्रणाली सुदृढीकरण, राष्ट्रीय स्वास्थ्य कार्यक्रम और राष्ट्रीय शहरी स्वास्थ्य मिशन हेतु फ्लेक्सिबल पूल | 49,425.00 | - | @ |
| अवसंरचना रखरखाव | 13,233.12 | - | @ |

14. लघु शीर्षवार राजस्व तथा पूँजीगत प्राप्तियों का विस्तृत विवरण- (जारी)

| शीर्ष | वास्तविक | वास्तविक | वर्ष 2022-23 के दौरान प्रतिशत की वृद्धि (+)/कमी (-) |
|--|--------------------|--------------------|--|
| | 2022-23 | 2021-22 | |
| (1) | (2) | (3) | (4) |
| (₹ लाख में) | | | |
| प्राप्ति शीर्ष-(राजस्व लेखा)-(जारी) | | | |
| ग- सहायता अनुदान और अंशदान-(जारी) | | | |
| 1601- केन्द्र सरकार से सहायता अनुदान-(जारी) | | | |
| <i>06- केन्द्र प्रायोजित योजनाएं-(जारी)</i> | | | |
| 101- केन्द्रीय सहायता/ हिस्सेदारी-(जारी) | | | |
| <i>स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय-(समाप्त)</i> | | | |
| प्रधानमंत्री आयुष्मान भारत स्वास्थ्य अवसरचना मिशन (पीएम-एबीएचआईएम) | - | 1,611.00 | (-)100 |
| राज्य औषधि नियामक प्रणाली का सुदृढ़ीकरण | 1,102.00 | - | @ |
| राष्ट्रीय आयुष मिशन (एनएएम) | 4,895.09 | 1,313.10 | * |
| स्वास्थ्य और चिकित्सा शिक्षा के लिए मानव संसाधन | 1,147.00 | - | @ |
| तृतीयक देखभाल कार्यक्रम | 115.00 | 2,700.00 | (-)96 |
| राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन | - | 55,337.98 | (-)100 |
| राष्ट्रीय शहरी स्वास्थ्य मिशन | - | 341.00 | (-)100 |
| कुल-स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय | 69,917.30 | 89,469.08 | (-)22 |
| <i>गृह मंत्रालय-</i> | | | |
| पुलिस बलों का आधुनिकीकरण | 1,53,036.34 | 1,66,610.00 | (-)08 |
| कुल-गृह मंत्रालय | 1,53,036.34 | 1,66,610.00 | (-)08 |
| <i>श्रम एवं रोजगार मंत्रालय-</i> | | | |
| राष्ट्रीय वृत्ति सेवा | 98.23 | - | @ |
| कुल-श्रम एवं रोजगार मंत्रालय | 98.23 | - | @ |
| <i>विधि एवं न्याय मंत्रालय-</i> | | | |
| न्यायपालिका हेतु अवसरचना सुविधाएं | 1,260.00 | 2,000.00 | (-)37 |
| राष्ट्रीय महिला सुरक्षा मिशन (निर्भया निधि) | 158.00 | 263.50 | (-)40 |
| कुल-विधि एवं न्याय मंत्रालय | 1,418.00 | 2,263.50 | (-)37 |
| <i>सहकारिता मंत्रालय-</i> | | | |
| प्राथमिक कृषि सहकारी समितियों का डिजिटलीकरण | 525.00 | - | @ |
| कुल-सहकारिता मंत्रालय | 525.00 | - | @ |

14. लघु शीर्षवार राजस्व तथा पूँजीगत प्राप्तियों का विस्तृत विवरण- (जारी)

| शीर्ष | वास्तविक | वास्तविक | वर्ष 2022-23 के दौरान प्रतिशत की वृद्धि (+)/कमी (-) |
|---|------------------|------------------|--|
| | 2022-23 | 2021-22 | |
| (1) | (2) | (3) | (4) |
| (₹ लाख में) | | | |
| प्राप्ति शीर्ष-(राजस्व लेखा)-(जारी) | | | |
| ग- सहायता अनुदान और अंशदान-(जारी) | | | |
| 1601- केन्द्र सरकार से सहायता अनुदान-(जारी) | | | |
| <i>06- केन्द्र प्रायोजित योजनाएं-(जारी)</i> | | | |
| 101- केन्द्रीय सहायता/ हिस्सेदारी-(जारी) | | | |
| <i>पेयजल एवं स्वच्छता मंत्रालय-</i> | | | |
| स्वच्छ भारत मिशन-ग्रामीण (एसबीएम -ग्रामीण) | 11,679.40 | 12,000.00 | (-)03 |
| <i>कुल-पेयजल एवं स्वच्छता मंत्रालय</i> | <u>11,679.40</u> | <u>12,000.00</u> | <u>(-)03</u> |
| <i>मत्स्यपालन, पशुपालन और डेयरी मंत्रालय-</i> | | | |
| पशुधन गणना और एकीकृत नमूना सर्वेक्षण | - | 100.00 | (-)100 |
| राष्ट्रीय पशुधन मिशन | 675.35 | 1,287.03 | (-)48 |
| प्रधान मंत्री मत्स्य संपदा योजना (पीएमएमएसवाई) | 1,475.35 | 1,493.26 | (-)01 |
| <i>कुल-मत्स्यपालन, पशुपालन और डेयरी मंत्रालय</i> | <u>2,150.70</u> | <u>2,880.29</u> | <u>(-)25</u> |
| <i>आवास एवं शहरी मामले मंत्रालय</i> | | | |
| 100 स्मार्ट शहरों के विकास हेतु मिशन | 4,900.00 | 13,600.00 | (-)64 |
| राष्ट्रीय शहरी आजीविका मिशन- राज्य घटक | 1,346.21 | 624.53 | * |
| राज्य की अन्य मदै/ संघ राज्य क्षेत्र घटक -पीएमएवाई शहरी | 7,403.31 | 14,653.46 | (-)49 |
| स्वच्छ भारत मिशन (एसबीएम)-शहरी | - | 2,798.10 | (-)100 |
| शहरी पुनर्नवीकरण मिशन-500 शहर | 15,859.70 | 10,587.75 | (+)50 |
| <i>कुल-आवास एवं शहरी मामले मंत्रालय</i> | <u>29,509.22</u> | <u>42,263.84</u> | <u>(-)30</u> |
| <i>कौशल विकास और उद्यमिता मंत्रालय</i> | | | |
| संस्थागत प्रशिक्षण के लिए अवसंरचना का सुदृढीकरण | 350.00 | 5,876.00 | (-)94 |
| औद्योगिक मूल्य वृद्धि हेतु कौशल सशक्तिकरण | 247.44 | 88.00 | * |
| <i>कुल-कौशल विकास और उद्यमिता मंत्रालय</i> | <u>597.44</u> | <u>5,964.00</u> | <u>(-)90</u> |
| <i>पंचायती राज मंत्रालय -</i> | | | |
| राष्ट्रीय ग्राम स्वराज अभियान (आरजीएसए) | 4,000.00 | 4,000.00 | - |
| <i>कुल-पंचायती राज मंत्रालय</i> | <u>4,000.00</u> | <u>4,000.00</u> | <u>-</u> |

14. लघु शीर्षवार राजस्व तथा पूँजीगत प्राप्तियों का विस्तृत विवरण- (जारी)

| शीर्ष | वास्तविक | वास्तविक | वर्ष 2022-23 के दौरान प्रतिशत की वृद्धि (+)/कमी (-) |
|--|-------------|-------------|--|
| | 2022-23 | 2021-22 | |
| (1) | (2) | (3) | (4) |
| (₹ लाख में) | | | |
| प्राप्ति शीर्ष- (राजस्व लेखा)-(जारी) | | | |
| ग- सहायता अनुदान और अंशदान-(जारी) | | | |
| 1601- केन्द्र सरकार से सहायता अनुदान-(जारी) | | | |
| <i>06- केन्द्र प्रायोजित योजनाएं-(जारी)</i> | | | |
| 101- केन्द्रीय सहायता/ हिस्सेदारी-(जारी) | | | |
| <i>ग्रामीण विकास मंत्रालय-</i> | | | |
| इंदिरा गांधी राष्ट्रीय दिव्यांगता पेन्शन योजना | 44.98 | 67.47 | (-)33 |
| इंदिरा गांधी राष्ट्रीय वृद्धावस्था पेन्शन योजना | 1,926.41 | 3,506.85 | (-)45 |
| इंदिरा गांधी राष्ट्रीय विधवा पेन्शन योजना | 141.26 | 202.40 | (-)30 |
| महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी कार्यक्रम | 34,625.41 | 9,524.25 | * |
| राष्ट्रीय परिवार लाभ योजना | - | 33.27 | (-)100 |
| राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन (एनआरएलएम) | 12,842.76 | 11,608.02 | (+)11 |
| प्रधान मंत्री आवास योजना- ग्रामीण (पीएमएवाई) | 1,03,157.62 | 12,342.60 | * |
| प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना (पीएमजीएसवाई) | 71,700.00 | 1,32,834.46 | (-)46 |
| श्यामा प्रसाद मुखर्जी शहरी मिशन | 130.94 | - | @ |
| प्रधान मंत्री कृषि सिंचाई योजना- वाटरशेड विकास घटक | 953.00 | 1,186.99 | (-)20 |
| <i>कुल-ग्रामीण विकास मंत्रालय</i> | 2,25,522.38 | 1,71,306.31 | (+)32 |
| <i>मानव संसाधन विकास मंत्रालय-</i> | | | |
| प्रधानमंत्री पोषण शक्ति निर्माण (पूर्व में विद्यालयों में राष्ट्रीय मध्याह्न भोजन कार्यक्रम) | 8,684.90 | 12,221.88 | (-)29 |
| राष्ट्रीय उच्चतर शिक्षा अभियान (आरयूसए) | - | 78.67 | (-)100 |
| समग्र शिक्षा | 36,497.18 | 95,498.01 | (-)62 |
| <i>कुल-मानव संसाधन विकास मंत्रालय</i> | 45,182.08 | 1,07,798.56 | (-)58 |

14. लघु शीर्षवार राजस्व तथा पूँजीगत प्राप्तियों का विस्तृत विवरण- (जारी)

| शीर्ष | वास्तविक | वास्तविक | वर्ष 2022-23 के दौरान प्रतिशत की वृद्धि (+)/कमी (-) |
|---|-----------------|------------------|--|
| | 2022-23 | 2021-22 | |
| (1) | (2) | (3) | (4) |
| (₹ लाख में) | | | |
| प्राप्ति शीर्ष-(राजस्व लेखा)-(जारी) | | | |
| ग- सहायता अनुदान और अंशदान-(जारी) | | | |
| 1601- केन्द्र सरकार से सहायता अनुदान-(जारी) | | | |
| <i>06- केन्द्र प्रायोजित योजनाएं-(जारी)</i> | | | |
| 101- केन्द्रीय सहायता/ हिस्सेदारी-(जारी) | | | |
| <i>सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय-</i> | | | |
| ओबीसी, ईबीसी और डीएनटी के लिए पोस्ट मैट्रिक छात्रवृत्ति - पीएम यशस्वी | - | 530.25 | (-)100 |
| अनुसूचित जातियों के लिए पोस्ट मैट्रिक छात्रवृत्ति | 5.00 | 5.00 | - |
| प्रधानमंत्री अनुसूचित जाति अभ्युदय योजना (पीएम अजय) | - | 615.63 | (-)100 |
| ओबीसी, ईबीसी और डीएनटी के लिए प्री मैट्रिक छात्रवृत्ति - पीएम यशस्वी | - | 80.00 | (-)100 |
| अनुसूचित जाति के विद्यार्थियों हेतु-पूर्व माध्यमिक छात्रवृत्ति | - | 23.00 | (-)100 |
| अटल वयस अभ्युदय (एवीवाईएवाई) | 150.10 | - | @ |
| नागरिक अधिकार संरक्षण अधिनियम 1995 और अत्याचार निवारण अधिनियम 1989 के प्रवर्तन हेतु | - | 93.20 | (-)100 |
| तंत्र का सुदृढीकरण (डीएमए) | - | - | @ |
| ड्रग की मांग में कमी लाने हेतु राष्ट्रीय कार्य योजना | 125.00 | - | @ |
| <i>कुल-सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय</i> | <u>280.10</u> | <u>1,347.08</u> | <u>(-)79</u> |
| <i>जनजातीय मामले मंत्रालय-</i> | | | |
| उत्तर माध्यमिक छात्रवृत्ति- जनजातीय | 683.57 | - | @ |
| जनजातीय उप योजनाओं को केंद्र से विशेष सहायता | 932.39 | - | @ |
| जनजातीय अनुसंधान संस्थानों को सहायता | 170.84 | 200.00 | (-)15 |
| <i>कुल-जनजातीय कार्य मंत्रालय</i> | <u>1,786.80</u> | <u>200.00</u> | <u>*</u> |
| <i>जल संसाधन मंत्रालय-</i> | | | |
| बाढ़ प्रबंधन एवं सीमा क्षेत्र कार्यक्रम (एफएमबीएपी) | - | 11,679.20 | (-)100 |
| सिंचाई गणना | 63.71 | - | @ |
| राष्ट्रीय नदी संरक्षण योजना | 2,466.50 | 2,000.00 | (+)23 |
| <i>कुल-जल संसाधन मंत्रालय</i> | <u>2,530.21</u> | <u>13,679.20</u> | <u>(-)81</u> |

14. लघु शीर्षवार राजस्व तथा पूँजीगत प्राप्तियों का विस्तृत विवरण- (जारी)

| शीर्ष | वास्तविक | वास्तविक | वर्ष 2022-23 के दौरान प्रतिशत की वृद्धि (+)/कमी (-) |
|--|-------------|-------------|--|
| | 2022-23 | 2021-22 | |
| (1) | (2) | (3) | (4) |
| (₹ लाख में) | | | |
| प्राप्ति शीर्ष-(राजस्व लेखा)-(जारी) | | | |
| ग- सहायता अनुदान और अंशदान-(जारी) | | | |
| 1601- केन्द्र सरकार से सहायता अनुदान-(जारी) | | | |
| <i>06- केन्द्र प्रायोजित योजनाएं-(समाप्त)</i> | | | |
| 101- केन्द्रीय सहायता/ हिस्सेदारी-(समाप्त) | | | |
| <i>महिला एवं बाल विकास मंत्रालय-</i> | | | |
| मिशन वात्सल्य (बाल सुरक्षा सेवा और बाल कल्याण सेवाएँ) | 2,822.85 | 1,929.69 | (+)46 |
| सक्षम आंगनवाड़ी और पोषण (अम्ब्रेला आईसीडीएस - आंगनवाड़ी सेवाएँ, पोषण अभियान, किशोर बालिकाओं के लिए योजना, राष्ट्रीय शिशुगृह योजना) | 47,901.11 | 40,573.74 | (+)18 |
| सामर्थ्य (बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ(बीबीबीपी), शिशुगृह, प्रधान मंत्री मातृ वंदना योजना(पीएमएमवीवाई)/ लिंग बजट शोध कौशल प्रशिक्षण इत्यादि) | - | 380.31 | @ |
| <i>कुल-महिला एवं बाल विकास मंत्रालय</i> | 50,723.96 | 42,883.74 | (+)18 |
| कुल-101 | 6,12,899.96 | 6,71,376.69 | (-)09 |
| 102- बाह्य रूप से सहायता प्राप्त परियोजनाएं- केन्द्रीय प्रायोजित योजनाओं हेतु अनुदान | | | |
| बाह्य रूप से सहायता प्राप्त परियोजनाओं हेतु अतिरिक्त केन्द्रीय सहायता | - | - | - |
| भारत कोविड-19 आपातकालीन प्रतिक्रिया और स्वास्थ्य प्रणाली तैयारी पैकेज | - | - | - |
| कुल-102 | - | - | - |
| 900- कटौती वापसी (भारत सरकार को पिछले वर्ष की अप्रयुक्त अनुदान की वापसी) | | | |
| | (-)9,931.70 | - | @ |
| कुल-06 | 6,02,968.26 | 6,71,376.69 | (-)10 |
| <i>08- विधानमण्डल सहित राज्यों/ संघ राज्य क्षेत्रों को अन्य हस्तांतरण/ अनुदान-</i> | | | |
| 108- केन्द्रीय सड़क एवं अवसंरचना निधि से अनुदान | 34,361.00 | 32,078.00 | (+)07 |

14. लघु शीर्षवार राजस्व तथा पूंजीगत प्राप्तियों का विस्तृत विवरण- (जारी)

| शीर्ष | वास्तविक | वास्तविक | वर्ष 2022-23 के दौरान प्रतिशत की वृद्धि (+)/कमी (-) |
|---|---------------------|---------------------|--|
| | 2022-23 | 2021-22 | |
| (1) | (2) | (3) | (4) |
| (₹ लाख में) | | | |
| प्राप्ति शीर्ष-(राजस्व लेखा)-(जारी) | | | |
| ग- सहायता अनुदान और अंशदान-(जारी) | | | |
| 1601- केन्द्र सरकार से सहायता अनुदान-(जारी) | | | |
| <i>08- विधानमण्डल सहित राज्यों/ संघ राज्य क्षेत्रों को अन्य हस्तांतरण/ अनुदान- (जारी)</i> | | | |
| 113- विशेष सहायता- | | | |
| <i>गृह मंत्रालय-</i> | | | |
| संघ राज्य क्षेत्र आपदा प्रतिक्रिया निधि-जेएण्डके को अंशदान के प्रति अनुदान | 27,900.00 | 27,900.00 | - |
| संघ राज्य क्षेत्र जम्मू एवं कश्मीर को विशेष सहायता | 44,14,052.00 | 34,46,718.00 | (+)28 |
| जम्मू एवं कश्मीर तथा हिमाचल प्रदेश में हेलिकॉप्टर सेवाएँ | 280.01 | 106.13 | * |
| 624 मेगावाट किरू एचईपी के लिए इक्विटी हेतु अनुदान | 3,250.00 | - | @ |
| 800 मेगावाट रेटल एचईपी के लिए इक्विटी हेतु अनुदान | 11,911.00 | - | @ |
| संघ राज्य क्षेत्र के पूंजीगत व्यय हेतु सहायता | 12,500.00 | - | @ |
| अन्य आपदा प्रबंधन योजनाएँ | 35.07 | 34.74 | (+)01 |
| <i>कुल-गृह मंत्रालय</i> | <u>44,69,928.08</u> | <u>34,74,758.87</u> | <u>(+)29</u> |
| <i>मत्स्यपालन, पशुपालन तथा डेयरी विकास मंत्रालय-</i> | | | |
| पशुधन गणना और एकीकृत प्रतिदर्श सर्वेक्षण | 240.00 | 1,607.00 | (-)85 |
| <i>कुल-मत्स्यपालन पशुपालन और डेयरी विकास मंत्रालय-</i> | <u>240.00</u> | <u>1,607.00</u> | <u>(-)85</u> |
| <i>कुल-113</i> | <u>44,70,168.08</u> | <u>34,76,365.87</u> | <u>(+)29</u> |

14. लघु शीर्षवार राजस्व तथा पूँजीगत प्राप्तियों का विस्तृत विवरण- (जारी)

| शीर्ष | वास्तविक | वास्तविक | वर्ष 2022-23 के दौरान प्रतिशत की वृद्धि (+)/कमी (-) |
|--|----------------------|---------------------|--|
| | 2022-23 | 2021-22 | |
| (1) | (2) | (3) | (4) |
| (₹ लाख में) | | | |
| प्राप्ति शीर्ष-(राजस्व लेखा)-(समाप्त) | | | |
| ग- सहायता अनुदान और अंशदान-(समाप्त) | | | |
| 1601- केन्द्र सरकार से सहायता अनुदान-(समाप्त) | | | |
| <i>08- विधानमण्डल सहित राज्यों/ संघ राज्य क्षेत्रों को अन्य हस्तांतरण/ अनुदान-(समाप्त)</i> | | | |
| 114- जीएसटी के कार्यान्वयन से उत्पन्न राजस्व की हानि के लिए प्रतिपूर्ति | 41,812.15 | 89,256.40 | (-) ⁵³ |
| 900 कटौती वापसी (भारत सरकार को पिछले वर्ष की अप्रयुक्त अनुदान की वापसी) | (-) ^{16.35} | - | @ |
| <i>कुल-08</i> | 45,46,324.88 | 35,97,700.27 | (+) ²⁶ |
| कुल-1601 | 51,49,293.14 | 42,69,076.96 | (+)²¹ |
| कुल ग - सहायता अनुदान और अंशदान | 51,49,293.14 | 42,69,076.96 | (+)²¹ |
| कुल योग- प्राप्ति शीर्ष (राजस्व लेखा) | 68,97,595.46 | 59,23,850.21 | (+)¹⁶ |
| प्राप्ति शीर्ष-(पूँजीगत लेखा)- | | | |
| 4000- विविध पूँजीगत प्राप्तियाँ- | | | |
| <i>01- नागरिक-</i> | | | |
| 105- सहकारी सोसाइटियों/ बैंकों की पूँजी/ विनिवेश की निवृत्ति | - | - | |
| कुल-4000 | - | - | |
| कुल प्राप्तियाँ- (पूँजीगत लेखा) | - | - | |
| कुल योग | 68,97,595.46 | 59,23,850.21 | (+)¹⁶ |

14. लघु शीर्षवार राजस्व तथा पूँजीगत प्राप्तियों का विस्तृत विवरण-

| विवरण संख्या 14 की व्याख्यात्मक टिप्पणी | | | | | | |
|---|---------------------|----------------------------------|-------------|-------------|-----------|--|
| राजस्व प्राप्तियाँ: - संघ राज्य क्षेत्र जम्मू एवं कश्मीर की राजस्व प्राप्तियाँ वर्ष 2022-23 के दौरान ₹ 68,97,595.46 लाख एवं वर्ष 2020-21 के दौरान ₹ 59,23,850.21 लाख थी। मुख्य रूप से निम्नलिखित शीर्षों के अन्तर्गत राजस्व प्राप्तियों में ₹ 9,73,745.25 लाख की वृद्धि थी। | | | | | | |
| क्र. सं. | लेखा का मुख्य शीर्ष | वर्णन | वास्तविक | | वृद्धि | कारण (ए) |
| | | | 2022-23 | 2021-22 | | |
| (₹ लाख में) | | | | | | |
| 1 | 0029- | भू-राजस्व | 13,159.61 | 11,328.43 | 1,831.18 | भू-राजस्व कर के अन्तर्गत अधिक प्राप्तियों के कारण वृद्धि |
| 2 | 0030- | स्टाम्प एवं पंजीकरण | 55,666.41 | 51,201.52 | 4,464.89 | मुख्य रूप से स्टाम्प की बिक्री एवं दस्तावेजों के पंजीकरण के अन्तर्गत अधिक प्राप्तियों के कारण वृद्धि |
| 3 | 0041- | वाहनों पर कर | 72,341.81 | 61,623.67 | 10,718.14 | मुख्य रूप से भारतीय मोटर वाहन अधिनियम के अन्तर्गत अधिक प्राप्तियों के कारण वृद्धि |
| 4 | 0042- | माल एवं यात्रियों पर कर- | 2,374.51 | 572.98 | 1,801.53 | मुख्य रूप से सड़कों पर टोल, माल तथा यात्रियों पर कर के अन्तर्गत अधिक प्राप्तियों के कारण वृद्धि |
| 5 | 0055- | पुलिस- | 8,989.29 | 6,867.78 | 2,121.51 | मुख्य रूप से राज्य पुलिस मुख्यालय के अन्तर्गत अधिक प्राप्तियों के कारण वृद्धि |
| 6 | 0059- | सार्वजनिक निर्माण | 5,518.85 | 2,962.45 | 2,556.40 | मुख्य रूप से किराये व अन्य प्राप्तियों के अन्तर्गत अधिक प्राप्तियों के कारण वृद्धि |
| 7 | 0210- | चिकित्सा एवं सार्वजनिक स्वास्थ्य | 3,375.83 | 3,099.26 | 276.57 | मुख्य रूप से रोगियों के लिए अस्पताल व औषधालय एवं शुल्क व जुर्माना इत्यादि पर अधिक प्राप्तियों के कारण वृद्धि |
| 8 | 0230- | श्रम एवं रोजगार- | 881.92 | 758.37 | 123.55 | मुख्य रूप से श्रम विधि के अंतर्गत अधिक प्राप्तियों के कारण वृद्धि |
| 9 | 0235- | सामाजिक सुरक्षा एवं कल्याण | 1,003.52 | 562.66 | 440.86 | मुख्य रूप से सामाजिक सुरक्षा, कल्याण के अंतर्गत अधिक प्राप्तियों और अन्य प्राप्तियों के कारण वृद्धि |
| 10 | 0801- | विद्युत- | 3,30,753.51 | 2,71,574.68 | 59,178.83 | मुख्य रूप से विद्युत की बिक्री पर अधिक प्राप्तियों के कारण वृद्धि |
| 11 | 0851- | ग्राम एवं लघु उद्योग | 24,007.62 | 345.58 | 23,662.04 | मुख्य रूप से औद्योगिक संपदा, लघु स्तर के उद्योग और हस्तशिल्प उद्योग पर अधिक प्राप्तियों के कारण वृद्धि |

(ए) सरकार द्वारा (जुलाई 2023) वृद्धि/कमी के कारणों की सूचना नहीं दी गई।

14. लघु शीर्षवार राजस्व तथा पूँजीगत प्राप्तियों का विस्तृत विवरण-(समाप्त)

| विवरण संख्या 14 की व्याख्यात्मक टिप्पणी (समाप्त) | | | | | | |
|--|---------------------|---|-------------|-------------|-----------|--|
| उपर्युक्त वृद्धि की आंशिक रूप से भरपाई मुख्य रूप से निम्नलिखित लेखा शीर्ष के अंतर्गत कमी से की गई: - | | | | | | |
| क्र. सं. | लेखा का मुख्य शीर्ष | वर्णन | वास्तविक | | कमी | कारण (ए) |
| | | | 2022-23 | 2021-22 | | |
| (₹ लाख में) | | | | | | |
| 1 | 0040- | बिक्री, व्यापार इत्यादी पर कर | 1,55,432.11 | 1,90,631.49 | 35,199.38 | मुख्य रूप से राज्य बिक्री कर अधिनियम के अन्तर्गत कम प्राप्तियों के कारण कमी |
| 2 | 0070- | अन्य प्रशासनिक सेवाएं | 3,899.63 | 4,163.11 | 263.48 | मुख्य रूप से शुल्क, जुर्माना ओर जब्ती के अन्तर्गत कम प्राप्तियों के कारण कमी |
| 3 | 0071- | पेंशन एवं अन्य सेवानिवृत्ति लाभों के प्रति योगदान व वसूली | 525.57 | 819.15 | 293.58 | मुख्य रूप से अभिदान एवं योगदान के अन्तर्गत कम प्राप्तियों के कारण कमी |
| 4 | 0202- | शिक्षा, खेल, कला एवं संस्कृति | 1,252.89 | 47,411.93 | 46,159.04 | मुख्य रूप से प्रवेश शुल्क एवं अन्य शुल्क के अन्तर्गत कम प्राप्तियों के कारण कमी |
| 5 | 0403- | पशुपालन | 1,210.27 | 1,232.91 | 22.64 | मुख्य रूप से पशु, भैंस व कुक्कुट (मुर्गी) विकास के अन्तर्गत कम प्राप्तियों के कारण कमी |
| 6 | 0408- | खाद्य भण्डारण एवं गोदाम | 173.03 | 266.47 | 93.44 | मुख्य रूप से अन्य प्राप्तियों के अन्तर्गत कम प्राप्तियों के कारण कमी |
| 7 | 0425- | सहकारिता | 19.12 | 23.18 | 4.06 | मुख्य रूप से लेखापरीक्षा शुल्क के अन्तर्गत कम प्राप्तियों के कारण कमी |
| 8 | 0701- | मध्यम सिंचाई | 70,622.76 | 88,662.28 | 18,039.54 | मुख्य रूप से अन्य प्राप्तियों के अन्तर्गत कम प्राप्तियों के कारण कमी |
| 9 | 0853- | अलौह खनन तथा धातुकर्म उद्योग | 10,116.71 | 12,877.79 | 2,761.08 | मुख्य रूप से खान विभाग के अन्तर्गत कम प्राप्तियों के कारण कमी |

(ए) सरकार द्वारा (जुलाई 2023) वृद्धि/ कमी के कारणों की सूचना नहीं दी गई।

15. लघु शीर्षवार राजस्व व्यय का विस्तृत विवरण

तिरछे आँकड़े प्रभारित व्यय को दर्शाते हैं

| मुख्य शीर्ष | 2022-23 के दौरान वास्तविक आँकड़े | | | कुल | 2021-22 के दौरान वास्तविक आँकड़े | 2022-23 के दौरान प्रतिशत में वृद्धि(+)/ कमी(-) |
|--|----------------------------------|-----------|---|----------|----------------------------------|--|
| | संघ राज्य-क्षेत्र | निधि व्यय | केन्द्रीय सहायता (सीएसएस/ सीएस सहित) (रुलाख में) | | | |
| व्यय शीर्ष- | | | | | | |
| (राजस्व लेखा)- | | | | | | |
| क- सामान्य सेवाएं- | | | | | | |
| (क) राज्य के अंग- | | | | | | |
| 2011- संसद/ राज्य/ संघ राज्य-क्षेत्र विधानमण्डल- | | | | | | |
| 02- राज्य/ संघ राज्य-क्षेत्र -विधानमण्डल- | | | | | | |
| 103- विधान सचिवालय | 2,363.39 | - | 2,363.39 | 2,607.08 | (-)09 | |
| 911- अधिक भुगतानों पर वसूलियों की कटौती | (-)0.21 | - | (-)0.21 | (-)0.05 | * | |
| कुल-02 | 2,363.18 | - | 2,363.18 | 2,607.03 | (-)09 | |
| कुल-2011 | 2,363.18 | - | 2,363.18 | 2,607.03 | (-)09 | |
| 2012- राष्ट्रपति, उप राष्ट्रपति/ राज्यपाल/ संघ राज्य-क्षेत्र के प्रशासक- | | | | | | |
| 03- राज्यपाल/ संघ राज्य-क्षेत्र के प्रशासक- | | | | | | |
| 090- सचिवालय | 1,375.53 | - | 1,375.53 | 1,394.31 | (-)01 | |
| 911- अधिक भुगतानों पर वसूलियों की कटौती | (-)0.51 | - | (-)0.51 | - | @ | |
| कुल-03 | 1,375.02 | - | 1,375.02 | 1,394.31 | (-)01 | |
| कुल-2012 | 1,375.02 | - | 1,375.02 | 1,394.31 | (-)01 | |

15. लघु शीर्षवार राजस्व व्यय का विस्तृत विवरण-(जारी)

| मुख्य शीर्ष | तिरछे आँकड़े प्रभारित व्यय को दर्शाते हैं | | | | | 2022-23 के दौरान प्रतिशत में वृद्धि(+)/ कमी(-) |
|---|---|---------------|---|------------------|----------------------------------|--|
| | 2022-23 के दौरान वास्तविक आँकड़े | | | कुल | 2021-22 के दौरान वास्तविक आँकड़े | |
| | संघ राज्य-क्षेत्र | निधि व्यय | केन्द्रीय सहायता (सीएसएस/ सीएस सहित) (रुलाख में) | | | |
| व्यय शीर्ष- | | | | | | |
| (राजस्व लेखा)-(जारी) | | | | | | |
| क सामान्य सेवाएं-(जारी) | | | | | | |
| (क) राज्य के अंग-(समाप्त) | | | | | | |
| 2014- न्याय प्रशासन- | | | | | | |
| 102- उच्च न्यायालय | 1,361.89 | - | - | 7,598.06 | 6,641.20 | (+)14 |
| | 6,236.17 | | | | | |
| 103- विशेष न्यायालय | 1,908.27 | - | - | 1,908.27 | 1,504.52 | (+)27 |
| 105- दीवानी एवं सत्र न्यायालय | 20,002.47 | 158.00 | - | 20,160.47 | 18,424.51 | (+)09 |
| 114- विधिक सलाहकार एवं परामर्शदाता | 2,236.10 | - | - | 2,236.10 | 1,893.90 | (+)18 |
| 116- राज्य प्रशासनिक अधिकरण | 88.32 | - | - | 88.32 | 83.33 | (+)06 |
| 911- अधिक भुगतानों पर वसूलियों की कटौती | (-39.25) | - | - | (-39.25) | (-15.41) | * |
| कुल-2014 | 25,557.80 | 158.00 | - | 31,951.97 | 28,532.05 | (+)12 |
| | 6,236.17 | | | | | |
| 2015- चुनाव- | | | | | | |
| 102- निर्वाचन अधिकारी | 4,832.87 | - | - | 4,832.87 | 5,599.18 | (-)14 |
| 800 अन्य व्यय | 66.54 | - | - | 66.54 | - | @ |
| 911- अधिक भुगतानों पर वसूलियों की कटौती | (-12.71) | - | - | (-12.71) | (-280.50) | (-)95 |
| कुल-2015 | 4,886.70 | - | - | 4,886.70 | 5,318.68 | (-)08 |
| कुल-(क)- राज्य के अंग | 32,807.68 | 158.00 | - | 40,576.87 | 37,852.07 | (+)07 |
| | 7,611.19 | | | | | |

(*) विवरण संख्या 15 में 100 प्रतिशत से अधिक

(@) विवरण संख्या 15 पर लागू नहीं है

15. लघु शीर्षवार राजस्व व्यय का विस्तृत विवरण-(जारी)

तिरछे आँकड़े प्रभारित व्यय को दर्शाते हैं

| मुख्य शीर्ष | 2022-23 के दौरान वास्तविक आँकड़े | | कुल | 2021-22 के दौरान वास्तविक आँकड़े | 2022-23 के दौरान प्रतिशत में वृद्धि(+)/ कमी(-) |
|---|----------------------------------|-----------|---------------|----------------------------------|--|
| | संघ राज्य-क्षेत्र | जिधि व्यय | | | |
| व्यय-शीर्ष | | | | | |
| (राजस्व लेखा)-(जारी) | | | | | |
| क सामान्य सेवाएं-(जारी) | | | | | |
| ख राजकोषीय सेवाएं- | | | | | |
| (ii) संपत्ति एवं पूँजी संव्यवहारों पर करों का संग्रहण- | | | | | |
| 2030- स्टाम्प एवं पंजीकरण- | | | | | |
| <i>01- न्यायिक-स्टाम्प</i> | | | | | |
| 001- निदेशन एवं प्रशासन | 542.63 | - | 542.63 | 479.21 | (+)13 |
| 101- स्टाम्प की लागत | 0.01 | - | 0.01 | 0.09 | (-)89 |
| <i>कुल-01</i> | <u>542.64</u> | <u>-</u> | <u>542.64</u> | <u>479.30</u> | <u>(+)13</u> |
| <i>02- स्टाम्प-गैर-न्यायिक-</i> | | | | | |
| 101- स्टाम्प की लागत | 9.02 | - | 9.02 | 22.97 | (-)61 |
| <i>कुल-02</i> | <u>9.02</u> | <u>-</u> | <u>9.02</u> | <u>22.97</u> | <u>(-)61</u> |

15. लघु शीर्षवार राजस्व व्यय का विस्तृत विवरण-(जारी)

तिरछे आँकड़े प्रभारित व्यय को दर्शाते हैं

| मुख्य शीर्ष | 2022-23 के दौरान वास्तविक आँकड़े | | | कुल | 2021-22 के दौरान वास्तविक आँकड़े | 2022-23 के दौरान प्रतिशत में वृद्धि(+)/ कमी(-) |
|---|----------------------------------|-----------|---|-----------------|----------------------------------|--|
| | संघ राज्य-क्षेत्र | निधि व्यय | केन्द्रीय सहायता (सीएसएस/ सीएस सहित) (रुलाख में) | | | |
| व्यय-शीर्ष | | | | | | |
| (राजस्व लेखा)-(जारी) | | | | | | |
| क सामान्य सेवाएं-(जारी) | | | | | | |
| ख राजकोषीय सेवाएं- | | | | | | |
| (ii) संपत्ति एवं पूँजी संव्यवहारों पर करों का संग्रहण-(समाप्त) | | | | | | |
| 2030- स्टाम्प एवं पंजीकरण- | | | | | | |
| <i>03- पंजीकरण-</i> | | | | | | |
| 001- निदेशन एवं प्रशासन | 972.36 | - | 972.36 | 473.43 | * | |
| <i>कुल-03</i> | 972.36 | - | 972.36 | 473.43 | * | |
| कुल-2030 | 1,524.02 | - | 1,524.02 | 975.70 | (+)56 | |
| कुल-(ii)- संपत्ति एवं पूँजी संव्यवहारों पर करों का संग्रहण | 1,524.02 | - | 1,524.02 | 975.43 | (+)56 | |
| (iii) वस्तुओं एवं सेवाओं पर करों का संग्रहण- | | | | | | |
| 2039- राज्य उत्पाद शुल्क- | | | | | | |
| 001- निदेशन एवं प्रशासन | 3,865.49 | - | 3,865.49 | 3,247.92 | (+)19 | |
| 911- अधिक भुगतानों पर वसूलियों की कटौती | - | - | - | (-)1.02 | (-)100 | |
| कुल-2039 | 3,865.49 | - | 3,865.49 | 3,246.90 | (+)19 | |
| 2040- बिक्री, व्यापार इत्यादि पर कर- | | | | | | |
| 001- निदेशन एवं प्रशासन | 65.94 | - | 65.94 | 22.85 | * | |
| 800- अन्य व्यय | 119.46 | - | 119.46 | 126.79 | (-)06 | |
| 911- अधिक भुगतानों पर वसूलियों की कटौती | - | - | - | - | - | |
| कुल-2040 | 185.40 | - | 185.40 | 149.64 | (+)24 | |

15. लघु शीर्षवार राजस्व व्यय का विस्तृत विवरण-(जारी)

| मुख्य शीर्ष | 2022-23 के दौरान वास्तविक आँकड़े | | कुल | 2021-22 के दौरान वास्तविक आँकड़े | 2022-23 के दौरान प्रतिशत में वृद्धि(+)/ कमी(-) |
|---|----------------------------------|---|------------------|----------------------------------|--|
| | संघ राज्य-क्षेत्र | निधि | | | |
| | व्यय | केन्द्रीय सहायता (सीएसएस/ सीएस सहित) (रुलाख में) | | | |
| व्यय शीर्ष | | | | | |
| (राजस्व लेखा)-(जारी) | | | | | |
| क सामान्य सेवाएं- (जारी) | | | | | |
| (ख) राजकोषीय सेवाएं-(जारी) | | | | | |
| (iii) वस्तुओं और सेवाओं पर करों का संग्रहण-(समाप्त) | | | | | |
| 2041- वाहनों पर कर- | | | | | |
| 001- निदेशन एवं प्रशासन | 1,356.32 | - | 1,356.32 | 1,729.66 | (-)22 |
| 101- संग्रहण प्रभार | 1,561.72 | - | 1,561.72 | 1,499.20 | (+)04 |
| 800- अन्य व्यय | 92.30 | - | 92.30 | 86.83 | (+)06 |
| कुल-2041 | 3,010.34 | - | 3,010.34 | 3,315.69 | (-)09 |
| 2043- राज्य वस्तु एवं सेवा कर के अंतर्गत प्रभारों का संग्रहण - | | | | | |
| 001- निदेशन एवं प्रशासन | 52,328.59 | - | 52,328.59 | 46,697.88 | (+)12 |
| 911- अधिक भुगतानों पर वसूलियों की कटौती | (-)0.36 | - | (-)0.36 | (-)11.73 | (-)97 |
| कुल-2043 | 52,328.23 | - | 52,328.23 | 46,686.15 | (+)12 |
| 2045- वस्तुओं एवं सेवाओं पर अन्य कर व शुल्क- | | | | | |
| 101- संग्रहण प्रभार-मनोरंजन कर | 28.18 | - | 28.18 | 22.59 | (+)25 |
| कुल-2045 | 28.18 | - | 28.18 | 22.59 | (+)25 |
| कुल-(iii) - वस्तुओं एवं सेवाओं पर करों का संग्रहण | 59,417.64 | - | 59,417.64 | 53,420.97 | (+)11 |

15. लघु शीर्षवार राजस्व व्यय का विस्तृत विवरण-(जारी)

| मुख्य शीर्ष | तिरछे आँकड़े प्रभारित व्यय को दर्शाते हैं | | | | | 2022-23 के दौरान वास्तविक आँकड़े | 2021-22 के दौरान वास्तविक आँकड़े | 2022-23 के दौरान प्रतिशत में वृद्धि(+)/ कमी(-) |
|---|---|-------------|---|--------------|----------------------------------|----------------------------------|----------------------------------|--|
| | 2022-23 के दौरान वास्तविक आँकड़े | | | कुल | 2021-22 के दौरान वास्तविक आँकड़े | | | |
| | संघ राज्य-क्षेत्र | निधि व्यय | केन्द्रीय सहायता (सीएसएस/ सीएस सहित) (रुलाख में) | | | | | |
| व्यय शीर्ष | | | | | | | | |
| (राजस्व लेखा)-(जारी) | | | | | | | | |
| क सामान्य सेवाएँ-(जारी) | | | | | | | | |
| (ख) राजकोषीय सेवाएँ-(समाप्त) | | | | | | | | |
| (iv) अन्य राजकोषीय सेवाएँ- | | | | | | | | |
| 2047- अन्य राजकोषीय सेवाएँ- | | | | | | | | |
| 103- लघु बचतों को प्रोत्साहन | | 1,222.13 | - | 1,222.13 | 594.57 | * | | |
| | कुल-2047 | 1,222.13 | - | 1,222.13 | 594.57 | * | | |
| | कुल-(iv)-अन्य राजकोषीय सेवाएँ | 1,222.13 | - | 1,222.13 | 594.57 | * | | |
| | कुल-(ख)-राजकोषीय सेवाएँ | 62,163.79 | - | 62,163.79 | 54,991.24 | (+)13 | | |
| (ग) ब्याज भुगतान एवं ऋण-सेवा- | | | | | | | | |
| 2048- ऋण की कमी एवं परिहार्य हेतु विनियोजन- | | | | | | | | |
| 101- ऋण शोधन निधि | | 5,891.00 | - | 5,891.00 (क) | 4,500.00 | (+)31 | | |
| | कुल-2048 | 5,891.00 | - | 5,891.00 | 4,500.00 | (+)31 | | |
| 2049- ब्याज भुगतान- | | | | | | | | |
| 01- आंतरिक ऋण पर ब्याज- | | | | | | | | |
| 101- बाजार ऋणों पर ब्याज | | 3,86,075.29 | - | 3,86,075.29 | 3,55,748.64 | (+)09 | | |

(क) ऋण शोधन निधि मुख्य शीर्ष 8222-101-"ऋण शोधन निधि" अंशदान में अंशदान को दर्शाता है। कृपया खण्ड-II के विवरण संख्या 21 के मुख्य शीर्ष 8222 के नीचे पाद टिप्पणी एवं पैरा 5 (ii) (ख)(क) "वित्त लेखाओं पर टिप्पणियों" खण्ड-I का अवलोकन करें।

15. लघु शीर्षवार राजस्व व्यय का विस्तृत विवरण-(जारी)

| मुख्य शीर्ष | 2022-23 के दौरान वास्तविक आँकड़े | | कुल | 2021-22 के दौरान वास्तविक आँकड़े | 2022-23 के दौरान प्रतिशत में वृद्धि(+)/ कमी(-) |
|--|----------------------------------|---|------------------------|----------------------------------|--|
| | संघ राज्य-क्षेत्र | निधि | | | |
| | व्यय | केन्द्रीय सहायता (सीएसएस/ सीएस सहित) (रुलाख में) | | | |
| व्यय- शीर्ष | | | | | |
| (राजस्व लेखा)-(जारी) | | | | | |
| क सामान्य सेवाएं-(जारी) | | | | | |
| (ग) ब्याज भुगतान एवं ऋण-सेवा-(जारी) | | | | | |
| 2049- ब्याज भुगतान-(जारी) | | | | | |
| <i>01- आंतरिक ऋण पर ब्याज-(समाप्त)</i> | | | | | |
| 115- अर्थोपाय अग्रिमों पर ब्याज | 4,733.63 | - | 4,733.63 (ख) | 6,113.90 | (-)23 |
| 123- राज्य सरकार द्वारा केन्द्र सरकार के राष्ट्रीय लघु बचत कोष को जारी की गई विशेष प्रतिभूतियों पर ब्याज | 60,758.87 | - | 60,758.87 | 27,624.14 | * |
| 200- अन्य आंतरिक ऋणों पर ब्याज | 1,70,013.23 | - | 1,70,013.23 | 1,25,349.25 | (+)36 |
| 305- ऋणों का प्रबंधन | 1,174.03 | - | 1,174.03 | 743.96 | (+)58 |
| | कुल -01 | 6,22,755.05 | 6,22,755.05 | 5,15,579.89 | (+)21 |
| <i>03- लघु बचतें, भविष्य निधियों आदि पर ब्याज</i> | | | | | |
| 104- राज्य भविष्य निधियों पर ब्याज | 1,83,196.04 | - | 1,83,196.04 | 1,81,268.04 | (+)01 |
| 108- बीमा एवं पेन्शन निधि पर ब्याज | 7,814.64 | - | 7,814.64 | 7,188.85 | (+)09 |
| | कुल-03 | 1,91,010.68 | 1,91,010.68 (ग) | 1,88,456.89 | (+)01 |
| <i>04- केन्द्र सरकार से ऋणों एवं अग्रिमों पर ब्याज -</i> | | | | | |
| 101- राज्य/ संघ राज्य-क्षेत्र आयोजना योजनाओं हेतु ऋण पर ब्याज | 420.82 | - | 420.82 | 1,801.43 | (-)77 |

(ख) डबल्यूएमए पर ₹3,650.83 लाख ब्याज तथा ओवरड्राफ्ट पर ₹1,082.80 लाख ब्याज को दर्शाते हैं।

(ग) सरकार द्वारा सूचित किये गये तदर्थ/ संभावित आँकड़ों को दर्शाते हैं। कृपया "वित्त लेखाओं पर टिप्पणियाँ" के खण्ड-1 के पैरा 3 (iii) (ख) का अवलोकन करें।

15. लघु शीर्षवार राजस्व व्यय का विस्तृत विवरण-(जारी)

| मुख्य शीर्ष | 2022-23 के दौरान वास्तविक आँकड़े | | कुल | 2021-22 के दौरान वास्तविक आँकड़े | 2022-23 के दौरान प्रतिशत में वृद्धि(+)/ कमी(-) |
|---|--|---|----------|----------------------------------|--|
| | संघ राज्य-क्षेत्र | निधि | | | |
| | व्यय | केन्द्रीय सहायता (सीएसएस/ सीएस सहित) (रुलाख में) | | | |
| व्यय- शीर्ष | | | | | |
| (राजस्व लेखा)-(जारी) | | | | | |
| क सामान्य सेवाएं-(जारी) | | | | | |
| (ग) ब्याज भुगतान एवं ऋण-सेवा-(समाप्त) | | | | | |
| 2049- ब्याज भुगतान-(समाप्त) | | | | | |
| <i>04- केन्द्र सरकार से ऋणों एवं अग्रिमों पर ब्याज-(समाप्त)</i> | | | | | |
| 109- 12वें वित्त आयोग की सिफारिशों के संदर्भ में समेकित राज्य योजना ऋणों पर ब्याज | | 2,670.98 | - | 2,670.98 | 3,338.72 (-)20 |
| 112- राज्य/ संघ राज्य-क्षेत्र (विधानमण्डल सहित) योजनाओं हेतु अन्य ऋणों पर ब्याज | | 1,541.49 | - | 1,541.49 | 432.23 * |
| | कुल-04 | 4,633.29 | - | 4,633.29 | 5,572.38 (-)17 |
| <i>05- आरक्षित निधियों पर ब्याज-</i> | | | | | |
| 105- सामान्य एवं अन्य आरक्षित निधियों पर ब्याज | | 7,183.20 | - | 7,183.20 (घ) | 4,960.80 (+)45 |
| | कुल-05 | 7,183.20 | - | 7,183.20 | 4,960.80 (+)45 |
| <i>60- अन्य दायित्वों पर ब्याज-</i> | | | | | |
| 701- विविध | | 23,800.00 | - | 23,800.00 | 21,461.40 (+)11 |
| | कुल-60 | 23,800.00 | - | 23,800.00 | 21,461.40 (+)11 |
| | कुल-2049 | 8,49,382.22 | - | 8,49,382.22 | 7,36,031.36 (+)15 |
| | कुल- ग-ब्याज भुगतान एवं ऋण-सेवा | 5,891.00 | - | 8,55,273.22 | 7,40,531.36 (+)15 |
| | | 8,49,382.22 | | | |

(घ) राज्य आपदा प्रतिक्रिया निधि मुख्य शीर्ष 8121-122-"एसडीआरएफ" पर प्रदत्त ब्याज को दर्शाता है। कृपया खण्ड-II के विवरण संख्या 21 के मुख्य शीर्ष 8121 के नीचे पाद टिप्पणी एवं "वित्त लेखाओं पर टिप्पणियाँ" पैरा 5 (ii) (अ) (क) का अवलोकन करें।

15. लघु शीर्षवार राजस्व व्यय का विस्तृत विवरण-(जारी)

तिरछे आँकड़े प्रभारित व्यय को दर्शाते हैं

| मुख्य शीर्ष | 2022-23 के दौरान वास्तविक आँकड़े | | कुल | 2021-22 के दौरान वास्तविक आँकड़े | 2022-23 के दौरान प्रतिशत में वृद्धि(+)/ कमी(-) |
|---|----------------------------------|-----------|------------------|----------------------------------|--|
| | संघ राज्य-क्षेत्र | निधि व्यय | | | |
| व्यय-शीर्ष | | | | | |
| (राजस्व लेखा)-(जारी) | | | | | |
| क सामान्य सेवाएं-(जारी) | | | | | |
| घ प्रशासनिक सेवाएं- | | | | | |
| 2051- लोक सेवा आयोग- | | | | | |
| 102- राज्य लोक सेवा आयोग | 995.19 | - | 995.19 | 1,094.34 | (-)09 |
| 911- अधिक भुगतानों पर वसूलियों की कटौती | - | - | - | (-)24.57 | (-)100 |
| कुल-2051 | - | - | 995.19 | 1,069.77 | (-)07 |
| | 995.19 | | | | |
| 2052- सचिवालय सामान्य सेवाएं- | | | | | |
| 090- सचिवालय | 12,201.68 | - | 12,201.68 | 12,038.99 | (+)01 |
| 092- अन्य कार्यालय | 1,901.48 | - | 1,901.48 | 1,993.43 | (-)05 |
| 911- अधिक भुगतानों पर वसूलियों की कटौती | - | - | - | (-)0.55 | (-)100 |
| कुल-2052 | 14,103.16 | - | 14,103.16 | 14,031.87 | (+)01 |
| 2053- जिला प्रशासन- | | | | | |
| 093- जिला अधिष्ठान | 7,232.84 | - | 7,232.84 | 6,331.82 | (+)14 |
| 094- अन्य अधिष्ठान | 47,334.20 | - | 47,334.20 | 43,344.95 | (+)09 |
| 101- आयुक्त | 2,435.75 | - | 2,435.75 | 1,855.93 | (+)31 |
| 911- अधिक भुगतानों पर वसूलियों की कटौती | (-)4.84 | - | (-)4.84 | (-)6.08 | (-)20 |
| कुल -2053 | 56,997.95 | - | 56,997.95 | 51,526.62 | (+)11 |
| 2054- कोषागार एवं लेखा प्रशासन- | | | | | |
| 003- प्रशिक्षण | 415.91 | - | 415.91 | 524.54 | (-)02 |
| 095- लेखा एवं कोष निदेशालय | 2,575.06 | - | 2,575.06 | 2,553.24 | (+)01 |
| 097- कोषागार अधिष्ठान | 7,112.59 | - | 7,112.59 | 6,599.30 | (+)08 |
| 098- स्थानीय निधि लेखापरीक्षा | 764.93 | - | 764.93 | 688.43 | (+)11 |
| 800- अन्य व्यय | 5,328.32 | - | 5,328.32 | 5,030.41 | (+)06 |
| 911- अधिक भुगतानों पर वसूलियों की कटौती | (-)1.04 | - | (-)1.04 | (-)0.01 | * |
| कुल-2054 | 16,195.77 | - | 16,195.77 | 15,395.91 | (+)05 |

15. लघु शीर्षवार राजस्व व्यय का विस्तृत विवरण-(जारी)

तिरछे आँकड़े प्रभारित व्यय को दर्शाते हैं

| मुख्य शीर्ष | 2022-23 के दौरान वास्तविक आँकड़े | | कुल | 2021-22 के दौरान वास्तविक आँकड़े | 2022-23 के दौरान प्रतिशत में वृद्धि(+)/ कमी(-) |
|---|----------------------------------|---------------|--------------------|----------------------------------|--|
| | संघ राज्य-क्षेत्र | निधि व्यय | | | |
| व्यय-शीर्ष | | | | | |
| (राजस्व लेखा)-(जारी) | | | | | |
| क सामान्य सेवाएं-(जारी) | | | | | |
| घ प्रशासनिक सेवाएं-(जारी) | | | | | |
| 2055 पुलिस- | | | | | |
| 001- निदेशन एवं प्रशासन | 99,263.48 | 2.14 | 99,265.62 | 97,218.11 | (+)02 |
| 003- शिक्षा एवं प्रशिक्षण | 7,850.32 | - | 7,850.32 | 8,807.37 | (-)11 |
| 101- आपराधिक जाँच एवं सतर्कता | 69,936.74 | 9.21 | 69,945.95 | 70,101.74 | ^ |
| 104- विशेष पुलिस | 1,78,280.76 | - | 1,78,280.76 | 1,56,339.35 | (+)14 |
| 109- जिला पुलिस | 2,78,677.24 | - | 2,78,677.24 | 2,58,837.16 | (+)08 |
| 111- रेलवे पुलिस | 18,024.41 | - | 18,024.41 | 16,343.43 | (+)10 |
| 113 पुलिस कार्मिक कल्याण | 22.05 | - | 22.05 | - | @ |
| 115- पुलिस बल का आधुनिकीकरण | 22,279.05 | 83.80 | 22,362.85 | 21,622.43 | (+)03 |
| 116- न्यायिक विज्ञान | 1,168.18 | 282.29 | 1,450.47 | 1,055.86 | (+)37 |
| 117- आंतरिक सुरक्षा | 1,44,419.81 | - | 1,44,419.81 | 1,33,527.93 | (+)08 |
| 911- अधिक भुगतानों पर वसूलियों की कटौती | (-)275.30 | - | (-)275.30 | (-)242.59 | (+)13 |
| कुल-2055 | 8,19,646.74 | 377.44 | 8,20,024.18 | 7,63,610.79 | (+)07 |
| 2056- कारावास- | | | | | |
| 001- निदेशन एवं प्रशासन | 246.68 | - | 246.68 | 255.86 | (-)04 |
| 101- कारावास | 8,935.61 | - | 8,935.61 | 7,933.49 | (+)13 |
| 102- कारावास विनिर्माण | 38.05 | - | 38.05 | 33.78 | (+)13 |
| 911- अधिक भुगतानों पर वसूलियों की कटौती | (-)5.86 | - | (-)5.86 | (-)0.27 | * |
| कुल-2056 | 9,214.48 | - | 9,214.48 | 8,222.86 | (+)12 |

15. लघु शीर्षवार राजस्व व्यय का विस्तृत विवरण-(जारी)

| मुख्य शीर्ष | 2022-23 के दौरान वास्तविक आँकड़े | | कुल | 2021-22 के दौरान वास्तविक आँकड़े | 2022-23 के दौरान प्रतिशत में वृद्धि(+)/ कमी(-) |
|---|----------------------------------|---|------------------|----------------------------------|--|
| | संघ राज्य-क्षेत्र | जिधि | | | |
| | व्यय | केन्द्रीय सहायता (सीएसएस/ सीएस सहित) (रुलाख में) | | | |
| व्यय-शीर्ष | | | | | |
| (राजस्व लेखा)-(जारी) | | | | | |
| क सामान्य सेवाएं-(जारी) | | | | | |
| घ प्रशासनिक सेवाएं-(जारी) | | | | | |
| 2058- लेखन सामग्री एवं मुद्रण- | | | | | |
| 001- निदेशन एवं प्रशासन | 63.23 | - | 63.23 | 212.25 | (-)70 |
| 101- लेखन सामग्री भण्डार का क्रय एवं आपूर्ति | 150.57 | - | 150.57 | 420.15 | (-)64 |
| 103- राजकीय मुद्रणालय | 3,759.32 | - | 3,759.32 | 3,228.89 | (+)16 |
| 911- अधिक भुगतानों पर वसूलियों की कटौती | (-)5.21 | - | (-)5.21 | - | @ |
| कुल-2058 | 3,967.91 | - | 3,967.91 | 3,861.29 | (+)03 |
| 2059- लोक निर्माण कार्य- | | | | | |
| 80- सामान्य- | | | | | |
| 001- निदेशन एवं प्रशासन | 68,423.99 | - | 68,423.99 | 65,605.42 | (+)04 |
| 103- साज-सज्जा | 852.39 | - | 852.39 | 662.62 | (+)29 |
| 911- अधिक भुगतानों पर वसूलियों की कटौती | (-)64.91 | - | (-)64.91 | (-)19.07 | * |
| कुल-80 | 69,211.48 | - | 69,211.48 | 66,248.97 | (+)04 |
| कुल-2059 | 69,211.48 | - | 69,211.48 | 66,248.97 | (+)04 |
| 2062- सतर्कता- | | | | | |
| 104- राज्य/ संघ राज्य-क्षेत्र का सतर्कता आयोग | | - | - | - | |
| 105- अन्य सतर्कता एजेन्सियाँ | 7,144.65 | - | 7,144.65 | 6,885.48 | (+)04 |
| कुल-2062 | 7,144.65 | - | 7,144.65 | 6,885.48 | (+)04 |

15. लघु शीर्षवार राजस्व व्यय का विस्तृत विवरण-(जारी)

तिरछे आँकड़े प्रभारित व्यय को दर्शाते हैं

| मुख्य शीर्ष | 2022-23 के दौरान वास्तविक आँकड़े | | | कुल | 2021-22 के दौरान वास्तविक आँकड़े | 2022-23 के दौरान प्रतिशत में वृद्धि(+)/ कमी(-) |
|--|----------------------------------|---------------|---|---------------------|----------------------------------|--|
| | संघ राज्य-क्षेत्र | निधि व्यय | केन्द्रीय सहायता (सीएसएस/ सीएस सहित) (रुलाख में) | | | |
| व्यय-शीर्ष | | | | | | |
| (राजस्व लेखा)-(जारी) | | | | | | |
| क सामान्य सेवाएं-(जारी) | | | | | | |
| घ प्रशासनिक सेवाएं- (सम्पत्त) | | | | | | |
| 2070- अन्य प्रशासनिक सेवाएं- | | | | | | |
| 003- प्रशिक्षण | 2,436.98 | - | - | 2,436.98 | 2,238.84 | (+09) |
| 105- विशेष जाँच आयोग | 949.59 | - | - | 949.59 | 924.95 | (+03) |
| 106- नागरिक सुरक्षा | 424.76 | - | - | 424.76 | 481.43 | (-12) |
| 107- होम गार्ड | 13,349.15 | - | - | 13,349.15 | 12,681.17 | (+05) |
| 108- अग्नि सुरक्षा एवं नियंत्रण | 19,634.37 | - | - | 19,634.37 | 18,234.31 | (+08) |
| 114- परिवहन की खरीद एवं अनुरक्षण | 4,708.91 | - | - | 4,708.91 | 4,505.82 | (+05) |
| 800- अन्य व्यय | 4,482.35 | - | - | 4,482.35 | 4,165.22 | (+08) |
| 911- अधिक भुगतानों पर वसूलियों की कटौती | (-8.28) | - | - | (-8.28) | (-10.22) | (-19) |
| कुल-2070 | 45,977.83 | - | - | 45,977.83 | 43,221.52 | (+06) |
| कुल(घ) प्रशासनिक सेवाएं | 10,42,459.97 | 377.44 | - | 10,43,832.60 | 9,74,075.08 | (+07) |
| | 995.19 | | | | | |
| (ङ) पेन्शन एवं विविध सामान्य सेवाएं- | | | | | | |
| 2071- पेन्शन एवं अन्य सेवानिवृत्ति लाभ- | | | | | | |
| 01- नागरिक- | | | | | | |
| 101- अधिवर्षिता एवं सेवानिवृत्ति भत्ते | 6,92,552.96 | - | - | 6,92,552.96 | 7,22,280.72 | (-04) |
| 102- पेन्शन की संराशीकृत राशि | 97,684.80 | - | - | 97,684.80 | 99,386.84 | (-02) |

15. लघु शीर्षवार राजस्व व्यय का विस्तृत विवरण-(जारी)

| मुख्य शीर्ष | 2022-23 के दौरान वास्तविक आँकड़े | | कुल | 2021-22 के दौरान वास्तविक आँकड़े | 2022-23 के दौरान प्रतिशत में वृद्धि(+)/ कमी(-) |
|--|---|---|-------------------------|----------------------------------|--|
| | संघ राज्य-क्षेत्र | निधि | | | |
| | व्यय | केन्द्रीय सहायता (सीएसएस/ सीएस सहित) (रुलाख में) | | | |
| व्यय-शीर्ष | | | | | |
| (राजस्व लेखा)-(जारी) | | | | | |
| क सामान्य सेवाएं-(समाप्त) | | | | | |
| (ङ) पेन्शन एवं विविध सामान्य सेवाएं-(समाप्त) | | | | | |
| 2071- पेन्शन एवं अन्य सेवानिवृत्ति लाभ- (समाप्त) | | | | | |
| <i>01- नागरिक-</i> | | | | | |
| 104- उपदान | 1,25,118.83 | - | 1,25,118.83 | 1,35,812.51 | (-)08 |
| 105- परिवार पेन्शन | 25,950.26 | - | 25,950.26 | 30,305.08 | (-)14 |
| 111- विधायकों को पेन्शन | 1,179.50 | - | 1,179.50 | 1,311.03 | (-)10 |
| 115- छुट्टी नकदीकरण | 73,992.88 | - | 73,992.88 | 76,642.79 | (-)03 |
| 117- परिभाषित अंशदायी पेन्शन योजना (नयी पेन्शन योजना) हेतु | | | | | |
| सरकारी अंशदान | 1,00,200.70 | - | 1,00,200.70 | 93,457.88 | (+)07 |
| 911- अधिक भुगतानों पर वसूलियों की कटौती | (-)2,441.68 | - | (-)2,441.68 | (-)2,896.77 | (+)16 |
| | कुल-01 | - | 11,14,238.25 (ङ) | 11,56,300.08 | (-)04 |
| | कुल-2071 | - | 11,14,238.25 (ङ) | 11,56,300.08 | (+)27 |
| 2075- विविध सामान्य सेवाएं- | | | | | |
| 104- विशिष्ट सेवाओं के प्रतिफलस्वरूप पेन्शन एवं पुरस्कार | 27.11 | - | 27.11 | 35.87 | (-)24 |
| 800- अन्य व्यय | 100.00 | - | 100.00 (च) | 200.00 | (-)50 |
| | कुल-2075 | - | 127.11 | 235.87 | (-)46 |
| | कुल-(ङ)- पेन्शन एवं विविध सामान्य सेवाएं | - | 11,14,365.36 | 11,56,535.95 | (-)04 |
| | कुल-क- सामान्य सेवाएं | 535.44 | 31,16,211.84 (छ) | 29,63,985.70 | (-)01 |
| | | | 8,57,988.60 | | |

(ङ) 2,21,613 सरकारी पेन्शनधारियों को अधिवर्षिता/ परिवार पेन्शन के लिए सम्मिलित करता है जैसा कि सरकार द्वारा सूचित किया गया है।

(च) एमएच 8235-117 "पत्याभूति मोचन निधि" में हस्तारित राशि को दर्शाता है। कृपया मुख्य शीर्ष-8235 विवरण संख्या 21, खण्ड-II के नीचे पाद टिप्पणी तथा "लेखाओं पर टिप्पणियाँ" खण्ड-I के पैरा 5 (ii) (ब) (ख) का अवलोकन करें।

(छ) ₹9,16,256.60 लाख वेतन तथा ₹8,155.58 लाख सहायता अनुदान सम्मिलित है।

15. लघु शीर्षवार राजस्व व्यय का विस्तृत विवरण-(जारी)

| मुख्य शीर्ष | तिरछे आँकड़े प्रभारित व्यय को दर्शाते हैं | | | कुल | 2021-22 के दौरान वास्तविक आँकड़े | 2022-23 के दौरान प्रतिशत में वृद्धि(+)/ कमी(-) |
|--|---|------------------|--|--------------------|----------------------------------|--|
| | 2022-23 के दौरान वास्तविक आँकड़े | | | | | |
| | संघ राज्य-क्षेत्र | निधि | केन्द्रीय सहायता (सीएसएस/ सीएस सहित) (रुलाख में) | | | |
| व्यय-शीर्ष- (राजस्व लेखा)-(जारी) | | | | | | |
| ख सामाजिक सेवाएं- | | | | | | |
| (क) शिक्षा, खेल, कला एवं संस्कृति- | | | | | | |
| 2202- सामान्य शिक्षा- | | | | | | |
| <i>01- प्रारम्भिक शिक्षा-</i> | | | | | | |
| 101- सरकारी प्राथमिक विद्यालय | 2,46,832.35 | | | 2,46,832.35 | 2,09,394.97 | (+)18 |
| 104- निरीक्षण | 2,59,536.98 | | - | 2,59,536.98 | 2,29,660.86 | (+)13 |
| 112- विद्यालयों में मध्याह्न भोजन का राष्ट्रीय कार्यक्रम | 1,195.38 | 14,516.23 | | 15,711.61 | 10,873.81 | (+)44 |
| 911- अधिक भुगतानों पर वसूलियों की कटौती | (-57.93) | | - | (-57.93) | (-163.79) | (-)65 |
| कुल-01 | 5,07,506.78 | 14,516.23 | | 5,22,023.01 | 4,49,765.85 | (+)16 |
| <i>02- माध्यमिक शिक्षा-</i> | | | | | | |
| 001- निदेशन एवं प्रशासन | 4,18,796.56 | 35,860.43 | | 4,54,656.99 | 4,52,643.20 | ^ |
| 107- छात्रवृत्ति | 1,441.88 | | - | 1,441.88 | 1,167.23 | (+)24 |
| 109- सरकारी माध्यमिक विद्यालय | 7,571.21 | | - | 7,571.21 | 7,995.57 | (-)05 |
| 911- अधिक भुगतानों पर वसूलियों की कटौती | (-)43,894.90 | | - | (-)43,894.90 | (-)19.98 | * |
| कुल-02 | 3,83,914.75 | 35,860.43 | | 4,19,775.18 | 4,61,786.02 | (-)09 |
| <i>03- विश्वविद्यालय एवं उच्चतर शिक्षा-</i> | | | | | | |
| 001- निदेशन एवं प्रशासन | 294.87 | | - | 294.87 | 176.22 | (+)67 |
| 102- विश्वविद्यालयों को सहायता | 68,625.94 | | - | 68,625.94 | 56,362.72 | (+)22 |
| 103- सरकारी महाविद्यालय और संस्थाएं | 65,772.85 | | - | 65,772.85 | 57,955.36 | (+)13 |
| 104- गैर-सरकारी महाविद्यालयों और संस्थानों को सहायता | 4,473.10 | | - | 4,473.10 | 4,386.94 | (+)02 |
| 911- अधिक भुगतानों पर वसूलियों की कटौती | (-5.47) | | - | (-5.47) | (-)1.68 | * |
| कुल-03 | 1,39,161.29 | - | | 1,39,161.29 | 1,18,879.56 | (+)17 |

15. लघु शीर्षवार राजस्व व्यय का विस्तृत विवरण-(जारी)

तिरछे आँकड़े प्रभारित व्यय को दर्शाते हैं

| मुख्य शीर्ष | 2022-23 के दौरान वास्तविक आँकड़े | | कुल | 2021-22 के दौरान वास्तविक आँकड़े | 2022-23 के दौरान प्रतिशत में वृद्धि(+)/ कमी(-) |
|---|----------------------------------|------------------|---------------------|----------------------------------|--|
| | संघ राज्य-क्षेत्र | जिधि व्यय | | | |
| व्यय-शीर्ष | | | | | |
| (राजस्व लेखा)-(जारी) | | | | | |
| ख सामाजिक सेवाएं-(जारी) | | | | | |
| (क) शिक्षा, खेल, कला एवं संस्कृति-(जारी) | | | | | |
| 2202- सामान्य शिक्षा-(समाप्त) | | | | | |
| <i>80- सामान्य-</i> | | | | | |
| 003- प्रशिक्षण | 944.20 | - | 944.20 | 815.84 | (+)16 |
| 004- अनुसंधान | 329.19 | - | 329.19 | 369.92 | (-)11 |
| 107- छात्रवृत्तियाँ | 268.51 | - | 268.51 | 438.95 | (-)39 |
| 911- अधिक भुगतानों पर वसूलियों की कटौती | - | - | - | (-)5.92 | (-)100 |
| <i>कुल-80</i> | <i>1,541.90</i> | <i>-</i> | <i>1,541.90</i> | <i>1,618.79</i> | <i>(+)05</i> |
| कुल-2202 | 10,32,124.72 | 50,376.66 | 10,82,501.38 | 10,32,050.22 | (+)05 |
| 2203- तकनीकी शिक्षा- | | | | | |
| 001- निदेशन एवं प्रशासन | 13,515.48 | - | 13,515.48 | 12,560.85 | (+)08 |
| 112- अभियांत्रिकी/ तकनीकी महाविद्यालय एवं संस्थान | - | 287.44 | 287.44 | 700.00 | (-)59 |
| 911- अधिक भुगतानों पर वसूलियों की कटौती | (-)6.49 | - | (-)6.49 | (-)0.82 | * |
| कुल-2203 | 13,508.99 | 287.44 | 13,796.43 | 13,260.03 | (+)04 |

15. लघु शीर्षवार राजस्व व्यय का विस्तृत विवरण-(जारी)

| मुख्य शीर्ष | 2022-23 के दौरान वास्तविक आँकड़े | | कुल | 2021-22 के दौरान वास्तविक आँकड़े | 2022-23 के दौरान प्रतिशत में वृद्धि(+)/ कमी(-) |
|---|----------------------------------|---|---------------------|----------------------------------|--|
| | संघ राज्य-क्षेत्र | निधि | | | |
| | व्यय | केन्द्रीय सहायता (सीएसएस/ सीएस सहित) (रुलाख में) | | | |
| व्यय-शीर्ष | | | | | |
| (राजस्व लेखा)-(जारी) | | | | | |
| ख सामाजिक सेवाएं-(जारी) | | | | | |
| (क) शिक्षा, खेल, कला एवं संस्कृति-(समाप्त) | | | | | |
| 2204- खेल एवं युवा सेवाएं- | | | | | |
| 001- निदेशन एवं प्रशासन | 35,594.11 | - | 35,594.11 | 32,465.02 | (+)10 |
| 101- शारीरिक शिक्षा | 3,900.00 | - | 3,900.00 | 2,375.00 | (+)64 |
| 102- छात्रों के लिए युवा कल्याण कार्यक्रम | 1,441.09 | - | 1,441.09 | 1,313.54 | (+)10 |
| 911- अधिक भुगतानों पर वसूलियों की कटौती | (-)4.74 | - | (-)4.74 | (-)6.62 | (-)28 |
| कुल-2204 | 40,930.46 | - | 40,930.46 | 36,146.94 | (+)13 |
| 2205- कला एवं संस्कृति- | | | | | |
| 102- कला एवं संस्कृति को प्रोत्साहन | 2,939.16 | - | 2,939.16 | 1,545.00 | (+)90 |
| 104- अभिलेखागार | 1,018.37 | - | 1,018.37 | 845.51 | (+)20 |
| 105- सार्वजनिक पुस्तकालय | 1,557.98 | - | 1,557.98 | 1,284.89 | (+)21 |
| कुल-2205 | 5,515.51 | - | 5,515.51 | 3,675.40 | (+)50 |
| कुल (क)- शिक्षा, खेल, कला एवं संस्कृति | 10,92,079.68 | 50,664.10 | 11,42,743.78 | 10,85,132.59 | (+)05 |

15. लघु शीर्षवार राजस्व व्यय का विस्तृत विवरण-(जारी)

| मुख्य शीर्ष | तिरछे आँकड़े प्रभारित व्यय को दर्शाते हैं | | | | कुल | 2021-22 के दौरान वास्तविक आँकड़े | 2022-23 के दौरान प्रतिशत में वृद्धि(+)/ कमी(-) |
|---|---|--------------------|---------------------|--------------------|--------------------|----------------------------------|--|
| | 2022-23 के दौरान वास्तविक आँकड़े | | केन्द्रीय सहायता | | | | |
| | संघ राज्य-क्षेत्र | निधि व्यय | (सीएसएस/ सीएस सहित) | (रुलाख में) | | | |
| व्यय-शीर्ष | | | | | | | |
| (राजस्व लेखा)-(जारी) | | | | | | | |
| ख सामाजिक सेवाएं-(जारी) | | | | | | | |
| ख स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण- | | | | | | | |
| 2210- चिकित्सा एवं जन स्वास्थ्य- | | | | | | | |
| <i>01- शहरी स्वास्थ्य सेवाएं-</i> | | | | | | | |
| <i>एलोपैथी-</i> | | | | | | | |
| 001- निदेशन एवं प्रशासन | 36,665.07 | - | - | 36,665.07 | 34,137.23 | (+)07 | |
| 104- चिकित्सा भण्डार आगार | 454.50 | - | - | 454.50 | 458.51 | (-)01 | |
| 109- विद्यालय स्वास्थ्य योजना | 257.65 | - | - | 257.65 | 215.55 | (+)20 | |
| 110- अस्पताल एवं औषधालय | 83,075.25 | - | - | 83,075.25 | 78,711.78 | (+)06 | |
| 200- अन्य स्वास्थ्य योजनाएं | 804.93 | - | - | 804.93 | 817.26 | (-)02 | |
| 800- अन्य व्यय | - | 87.00 | - | 87.00 | 1,292.42 | (-)93 | |
| 911- अधिक भुगतानों पर वसूलियों की कटौती | (-)132.12 | - | - | (-)132.12 | (-)49.00 | * | |
| | कुल-01 | 1,21,125.28 | 87.00 | 1,21,212.28 | 1,15,583.75 | (+)05 | |
| <i>02- शहरी स्वास्थ्य सेवाएं-</i> | | | | | | | |
| <i>औषधि की अन्य पद्धतियाँ-</i> | | | | | | | |
| 101- आयुर्वेद | 8,520.29 | - | - | 8,520.29 | 7,932.32 | (+)07 | |
| 103- यूनानी | 305.33 | - | - | 305.33 | 296.86 | (+)03 | |
| | कुल-02 | 8,825.62 | - | 8,825.62 | 8,229.18 | (+)07 | |

15. लघु शीर्षवार राजस्व व्यय का विस्तृत विवरण-(जारी)

| मुख्य शीर्ष | तिरछे आँकड़े प्रभारित व्यय को दर्शाते हैं | | | कुल | 2021-22 के दौरान वास्तविक आँकड़े | 2022-23 के दौरान प्रतिशत में वृद्धि(+)/ कमी(-) |
|---|---|------------------|---|--------------------|----------------------------------|--|
| | 2022-23 के दौरान वास्तविक आँकड़े | | | | | |
| | संघ राज्य-क्षेत्र | जिधि व्यय | केन्द्रीय सहायता (सीएसएस/ सीएस सहित) (रुलाख में) | | | |
| व्यय-शीर्ष | | | | | | |
| (राजस्व लेखा)-(जारी) | | | | | | |
| ख सामाजिक सेवाएं-(जारी) | | | | | | |
| (ख) स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण-(जारी) | | | | | | |
| 2210- चिकित्सा एवं जन स्वास्थ्य-(जारी) | | | | | | |
| <i>03- ग्रामीण स्वास्थ्य सेवाएं- रेलोपैथी-</i> | | | | | | |
| 101- स्वास्थ्य उप-केन्द्र | 15,717.57 | - | 15,717.57 | 15,615.27 | (+01) | |
| 103- प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र | 48,230.93 | - | 48,230.93 | 45,777.44 | (+05) | |
| 110- अस्पताल एवं औषधालय | 58,970.75 | 13.44 | 58,984.19 | 73,028.98 | (-19) | |
| 800- अन्य व्यय | 6,363.64 | 96,332.00 | 1,02,695.64 | 60,405.11 | (+70) | |
| <i>कुल-03</i> | <u>1,29,282.89</u> | <u>96,345.44</u> | <u>2,25,628.33</u> | <u>1,94,826.80</u> | <u>(+16)</u> | |
| <i>05- चिकित्सा शिक्षा, प्रशिक्षण एवं अनुसंधान-</i> | | | | | | |
| 101- आयुर्वेद | 555.34 | - | 555.34 | 333.19 | (+67) | |
| 103- यूनानी | 299.89 | - | 299.89 | 9.47 | * | |
| 105- रेलोपैथी | 1,34,297.55 | - | 1,34,297.55 | 1,26,698.01 | (+06) | |
| <i>कुल-05</i> | <u>1,35,152.78</u> | <u>-</u> | <u>1,35,152.78</u> | <u>1,27,040.67</u> | <u>(+06)</u> | |
| <i>06- जन स्वास्थ्य-</i> | | | | | | |
| 101- रोगों की रोकथाम एवं नियंत्रण | 7,570.50 | 0.22 | 7,570.72 | 7,156.32 | (+06) | |
| 104- औषध नियंत्रण | 3,231.63 | - | 3,231.63 | 2,947.51 | (+10) | |

15. लघु शीर्षवार राजस्व व्यय का विस्तृत विवरण-(जारी)

तिरछे आँकड़े प्रभारित व्यय को दर्शाते हैं

| मुख्य शीर्ष | 2022-23 के दौरान वास्तविक आँकड़े | | | कुल | 2021-22 के दौरान वास्तविक आँकड़े | 2022-23 के दौरान प्रतिशत में वृद्धि(+)/ कमी(-) |
|---|----------------------------------|--------------------|---|--------------------|----------------------------------|--|
| | संघ राज्य-क्षेत्र | निधि व्यय | केन्द्रीय सहायता (सीएसएस/ सीएस सहित) (रुलाख में) | | | |
| व्यय-शीर्ष | | | | | | |
| (राजस्व लेखा)-(जारी) | | | | | | |
| ख सामाजिक सेवाएं-(जारी) | | | | | | |
| (ख) स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण-(जारी) | | | | | | |
| 2210- चिकित्सा एवं जन स्वास्थ्य-(समाप्त) | | | | | | |
| <i>06- जन स्वास्थ्य-(समाप्त)</i> | | | | | | |
| 107- जन स्वास्थ्य प्रयोगशालाएं | 723.76 | - | 723.76 | 690.69 | (+)05 | |
| 112- जन स्वास्थ्य शिक्षा | 65.39 | - | 65.39 | 50.16 | (+)30 | |
| 200- अन्य पद्धतियाँ | 378.43 | - | 378.43 | 410.28 | (-)08 | |
| 911- अधिक भुगतानों पर वसूलियों की कटौती | | - | | (-)0.26 | (-)100 | |
| | <i>कुल-06</i> | 11,969.71 | 0.22 | 11,969.93 | 11,254.70 | (+)06 |
| | कुल-2210 | 4,06,356.28 | 96,432.66 | 5,02,788.94 | 4,56,935.10 | (+)10 |
| 2211- परिवार कल्याण- | | | | | | |
| 001- निदेशन एवं प्रशासन | 53,245.72 | 1,890.08 | 55,135.80 | 28,702.03 | (+)92 | |
| 003- प्रशिक्षण | 41.78 | - | 41.78 | 41.01 | (+)02 | |
| 004- अनुसंधान एवं मूल्यांकन | - | 423.28 | 423.28 | 479.40 | (-)12 | |

15. लघु शीर्षवार राजस्व व्यय का विस्तृत विवरण-(जारी)

तिरछे आँकड़े प्रभारित व्यय को दर्शाते हैं

| मुख्य शीर्ष | 2022-23 के दौरान वास्तविक आँकड़े | | कुल | 2021-22 के दौरान वास्तविक आँकड़े | 2022-23 के दौरान प्रतिशत में वृद्धि(+)/ कमी(-) |
|---|----------------------------------|--------------------|-----------------------|----------------------------------|--|
| | संघ राज्य-क्षेत्र | निधि व्यय | | | |
| व्यय-शीर्ष | | | | | |
| (राजस्व लेखा)-(जारी) | | | | | |
| ख सामाजिक सेवाएं-(जारी) | | | | | |
| (ख) स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण-(समाप्त) | | | | | |
| 2211- परिवार कल्याण-(समाप्त) | | | | | |
| 101- ग्रामीण परिवार कल्याण सेवाएं | 2,948.71 | 11,439.48 | 14,388.19 | 11,380.18 | (+) ²⁶ |
| 102- शहरी परिवार कल्याण सेवाएं | - | 109.88 | 109.88 | 156.92 | (-) ³⁰ |
| 104- परिवहन | 25.54 | - | 25.54 | 24.24 | (+) ⁰⁵ |
| 911- अधिक भुगतानों पर वसूलियों की कटौती | (-) ^{18.45} | - | (-) ^{18.45} | (-) ^{0.25} | * |
| कुल-2211 | 56,243.30 | 13,862.72 | 70,106.02 | 40,783.53 | (+)⁷² |
| कुल (ख)-स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण | 4,62,599.58 | 1,10,295.38 | 5,72,894.96 | 4,97,718.63 | (+)¹⁵ |
| (ग) जलापूर्ति, स्वच्छता, आवास और शहरी विकास- | | | | | |
| 2215- जलापूर्ति और स्वच्छता- | | | | | |
| 01- जलापूर्ति- | | | | | |
| 001- निदेशन एवं प्रशासन | 1,74,798.58 | - | 1,74,798.58 | 1,69,502.86 | (+) ⁰³ |
| 911- अधिक भुगतानों पर वसूलियों की कटौती | (-) ^{366.78} | - | (-) ^{366.78} | (-) ^{136.11} | * |
| कुल-01 | 1,74,431.80 | - | 1,74,431.80 | 1,69,366.75 | (+)⁰³ |
| कुल-2215 | 1,74,431.80 | - | 1,74,431.80 | 1,69,366.75 | (+)⁰³ |

15. लघु शीर्षवार राजस्व व्यय का विस्तृत विवरण-(जारी)

तिरछे आँकड़े प्रभारित व्यय को दर्शाते हैं

| मुख्य शीर्ष | 2022-23 के दौरान वास्तविक आँकड़े | | | कुल | 2021-22 के दौरान वास्तविक आँकड़े | 2022-23 के दौरान प्रतिशत में वृद्धि(+)/ कमी(-) |
|---|----------------------------------|-----------------|---|------------------------|----------------------------------|--|
| | संघ राज्य-क्षेत्र | जिधि व्यय | केन्द्रीय सहायता (सीएसएस/ सीएस सहित) (रुलाख में) | | | |
| व्यय-शीर्ष | | | | | | |
| (राजस्व लेखा)-(जारी) | | | | | | |
| ख सामाजिक सेवाएं-(जारी) | | | | | | |
| (ग) जलापूर्ति, स्वच्छता, आवास और शहरी विकास-(जारी) | | | | | | |
| 2216- आवास- | | | | | | |
| <i>05- सामान्य पूल आवास-</i> | | | | | | |
| 001- निदेशन एवं प्रशासन | 6,699.23 | - | 6,699.23 | 6,115.15 | (+)10 | |
| 053- अनुरक्षण एवं मरम्मतें | 2,744.42 | - | 2,744.42 | 1,888.83 | (+)45 | |
| <i>कुल-05</i> | <u>9,443.65</u> | <u>-</u> | <u>9,443.65</u> | <u>8,003.98</u> | <u>(+)18</u> | |
| <i>07- अन्य आवास-</i> | | | | | | |
| 053- अनुरक्षण एवं मरम्मतें | 1,073.21 | - | 1,073.21 | 997.44 | (+)08 | |
| 911- अधिक भुगतानों पर वसूलियों की कटौती | (-)0.18 | - | (-)0.18 | - | @ | |
| <i>कुल-07</i> | <u>1,073.03</u> | <u>-</u> | <u>1,073.03</u> | <u>997.44</u> | <u>(+)08</u> | |
| कुल-2216 | <u>10,516.68</u> | <u>-</u> | <u>10,516.68</u> | <u>9,001.42</u> | <u>(+)17</u> | |

15. लघु शीर्षवार राजस्व व्यय का विस्तृत विवरण-(जारी)

तिरछे आँकड़े प्रभारित व्यय को दर्शाते हैं

| मुख्य शीर्ष | 2022-23 के दौरान वास्तविक आँकड़े | | कुल | 2021-22 के दौरान वास्तविक आँकड़े | 2022-23 के दौरान प्रतिशत में वृद्धि(+)/ कमी(-) |
|---|----------------------------------|-----------|--------------------|----------------------------------|--|
| | संघ राज्य-क्षेत्र | निधि व्यय | | | |
| व्यय-शीर्ष | | | | | |
| (राजस्व लेखा)-(जारी) | | | | | |
| ख सामाजिक सेवाएं-(जारी) | | | | | |
| (ग) जलापूर्ति, स्वच्छता, आवास और शहरी विकास-(समाप्त) | | | | | |
| 2217- शहरी विकास- | | | | | |
| <i>03- लघु एवं मध्यम कस्बों का एकीकृत विकास-</i> | | | | | |
| 001- निदेशन एवं प्रशासन | 1,292.30 | - | 1,292.30 | 1,292.65 | ^ |
| 191- स्थानीय निकायों, निगमों, शहरी विकास प्राधिकरण, कस्बा सुधार बोर्डों इत्यादि को सहायता | 85,096.01 | - | 85,096.01 | 41,603.47 | * |
| 911- अधिक भुगतानों पर वसूलियों की कटौती | (-8.56) | - | (-8.56) | (-296.35) | (-)97 |
| कुल-03 | 86,379.75 | - | 86,379.75 | 42,599.77 | * |
| <i>05- अन्य शहरी विकास योजनाएं-</i> | | | | | |
| 001- निदेशन एवं प्रशासन | 4,938.42 | - | 4,938.42 | 5,041.74 | (-)02 |
| 191- स्थानीय निकायों, निगमों, शहरी विकास प्राधिकरण, कस्बा सुधार बोर्डों इत्यादि को सहायता | 33,173.45 | - | 33,173.45 | 25,698.32 | (-)28 |
| कुल-05 | 38,111.87 | - | 38,111.87 | 30,740.06 | (+)24 |
| <i>80- सामान्य-</i> | | | | | |
| 001- निदेशन एवं प्रशासन | 2,543.38 | - | 2,543.38 | 2,238.16 | (+)14 |
| कुल-80 | 2,543.38 | - | 2,543.38 | 2,238.16 | (+)14 |
| कुल-2217 | 1,27,035.00 | - | 1,27,035.00 | 75,577.99 | (+)68 |
| कुल-(ग)- जलापूर्ति, स्वच्छता, आवास और शहरी विकास | 3,11,983.48 | - | 3,11,983.48 | 2,53,946.16 | (+)23 |

15. लघु शीर्षवार राजस्व व्यय का विस्तृत विवरण-(जारी)

तिरछे आँकड़े प्रभारित व्यय को दर्शाते हैं

| मुख्य शीर्ष | 2022-23 के दौरान वास्तविक आँकड़े | | कुल | 2021-22 के दौरान वास्तविक आँकड़े | 2022-23 के दौरान प्रतिशत में वृद्धि(+)/ कमी(-) |
|---|-----------------------------------|------------------|------------------|----------------------------------|--|
| | संघ राज्य-क्षेत्र | निधि व्यय | | | |
| व्यय-शीर्ष | | | | | |
| (राजस्व लेखा)-(जारी) | | | | | |
| ख सामाजिक सेवाएं-(जारी) | | | | | |
| (घ) सूचना एवं प्रसारण- | | | | | |
| 2220- सूचना एवं प्रचार- | | | | | |
| <i>60- अन्य-</i> | | | | | |
| 001- निदेशन एवं प्रशासन | 9,233.27 | - | 9,233.27 | 1,011.48 | * |
| 101- विज्ञापन एवं दृश्य प्रचार | - | - | - | 5,569.65 | (-)100 |
| 102- सूचना केन्द्र | 1,267.42 | - | 1,267.42 | 1,282.99 | (-)01 |
| 106- क्षेत्र प्रचार | - | - | - | 504.66 | (-)100 |
| 109- फोटो सेवाएं | - | - | - | 125.08 | (-)100 |
| 911- अधिक भुगतानों पर वसूलियों की कटौती | (-)2.35 | - | (-)2.35 | - | @ |
| | <i>कुल-60</i> | 10,498.34 | 10,498.34 | 8,493.86 | (+)24 |
| | कुल-2220 | 10,498.34 | 10,498.34 | 8,493.86 | (+)24 |
| | कुल-(घ)- सूचना एवं प्रसारण | 10,498.34 | 10,498.34 | 8,493.86 | (+)24 |

15. लघु शीर्षवार राजस्व व्यय का विस्तृत विवरण-(जारी)

| मुख्य शीर्ष | 2022-23 के दौरान वास्तविक आँकड़े | | कुल | 2021-22 के दौरान वास्तविक आँकड़े | 2022-23 के दौरान प्रतिशत में वृद्धि(+)/ कमी(-) |
|---|----------------------------------|---|-----------------|----------------------------------|--|
| | संघ राज्य-क्षेत्र | निधि | | | |
| | व्यय | केन्द्रीय सहायता (सीएसएस/ सीएस सहित) (रुलाख में) | | | |
| व्यय-शीर्ष | | | | | |
| (राजस्व लेखा)-(जारी) | | | | | |
| ख सामाजिक सेवाएं-(जारी) | | | | | |
| (ड) अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों एवं अन्य पिछड़े वर्गों का कल्याण- | | | | | |
| 2225- अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों, अन्य पिछड़े वर्ग एवं अल्पसंख्यकों का कल्याण- | | | | | |
| <i>02- अनुसूचित जनजातियों का कल्याण-</i> | | | | | |
| 277- शिक्षा | 548.40 | 693.57 | 1,241.97 | 808.24 | (+)54 |
| 800- अन्य व्यय | 2.02 | 687.53 | 689.55 | 2,112.98 | (-)67 |
| <i>कुल-02</i> | 550.42 | 1,381.10 | 1,931.52 | 2,921.22 | (-)34 |
| <i>03- पिछड़े वर्गों का कल्याण-</i> | | | | | |
| 102- आर्थिक विकास | 7,353.45 | - | 7,353.45 | 7,152.34 | (-)03 |
| 277- शिक्षा | 156.73 | - | 156.73 | 272.74 | (-)43 |
| 911- अधिक भुगतानों पर वसूलियों की कटौती | (-)59.18 | - | (-)59.18 | (-)258.79 | (-)77 |
| <i>कुल-03</i> | 7,451.00 | - | 7,451.00 | 7,166.29 | (-)04 |
| <i>80- सामान्य-</i> | | | | | |
| 001 निदेशन एवं प्रशासन | 93.20 | - | 93.20 | - | @ |
| 800- अन्य व्यय | 79.24 | - | 79.24 | 452.68 | (-)82 |
| <i>कुल-80</i> | 172.44 | - | 172.44 | 452.68 | (-)82 |
| कुल-2225 | 8,173.86 | 1,381.10 | 9,554.96 | 10,540.19 | (-)09 |
| कुल - (ड)-अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों एवं अन्य पिछड़े वर्ग का कल्याण | 8,173.86 | 1,381.10 | 9,554.96 | 10,540.19 | (-)09 |

15. लघु शीर्षवार राजस्व व्यय का विस्तृत विवरण-(जारी)

तिरछे आँकड़े प्रभारित व्यय को दर्शाते हैं

| मुख्य शीर्ष | 2022-23 के दौरान वास्तविक आँकड़े | | | कुल | 2021-22 के दौरान वास्तविक आँकड़े | 2022-23 के दौरान प्रतिशत में वृद्धि(+)/ कमी(-) |
|---|----------------------------------|--------------|---|-----------------|----------------------------------|--|
| | संघ राज्य-क्षेत्र | निधि व्यय | केन्द्रीय सहायता (सीएसएस/ सीएस सहित) (रुलाख में) | | | |
| व्यय-शीर्ष | | | | | | |
| (राजस्व लेखा)-(जारी) | | | | | | |
| ख सामाजिक सेवाएं-(जारी) | | | | | | |
| (च) श्रम एवं श्रम कल्याण- | | | | | | |
| 2230- श्रम, रोजगार एवं कौशल विकास- | | | | | | |
| 01- श्रम- | | | | | | |
| 001- निदेशन एवं प्रशासन | 1,439.08 | - | 1,439.08 | 2,451.58 | (-)41 | |
| 101- औद्योगिक संबंध | 106.19 | - | 106.19 | 92.74 | (+)15 | |
| 102- कामकाजी स्थितियाँ एवं सुरक्षा | 246.28 | - | 246.28 | 233.39 | (+)06 | |
| 911- अधिक भुगतानों पर वसूलियों की कटौती | (-)1.48 | - | (-)1.48 | (-)5.82 | (-)75 | |
| कुल-01 | 1,790.07 | - | 1,790.07 | 2,771.89 | (-)35 | |
| 02- रोजगार सेवा - | | | | | | |
| 001- निदेशन एवं प्रशासन | 2,993.75 | 25.00 | 3,018.75 | 2,923.16 | (+)03 | |
| कुल-02 | 2,993.75 | 25.00 | 3,018.75 | 2,923.16 | (+)03 | |
| कुल-2230 | 4,783.82 | 25.00 | 4,808.82 | 5,695.05 | (-)16 | |
| कुल-(च)- श्रम एवं श्रम कल्याण | 4,783.82 | 25.00 | 4,808.82 | 5,695.05 | (-)16 | |

(ज) औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान से संबंधित व्यय अनुदानों की मांग के अनुसार मुख्य शीर्ष 2203 "तकनीकी शिक्षा" के अंतर्गत बुक किया गया है।

15. लघु शीर्षवार राजस्व व्यय का विस्तृत विवरण-(जारी)

| मुख्य शीर्ष | तिरछे आँकड़े प्रभारित व्यय को दर्शाते हैं | | | | कुल | 2021-22 के दौरान वास्तविक आँकड़े | 2022-23 के दौरान प्रतिशत में वृद्धि(+)/ कमी(-) |
|--|---|-----------------|--------------------------------------|--------------------|--------------|----------------------------------|--|
| | 2022-23 के दौरान वास्तविक आँकड़े | | केन्द्रीय सहायता (सीएसएस/ सीएस सहित) | कुल | | | |
| | संघ राज्य-क्षेत्र | निधि व्यय | | | | | |
| व्यय-शीर्ष | | | | | | | |
| (राजस्व लेखा)-(जारी) | | | | | | | |
| ख सामाजिक सेवाएं-(जारी) | | | | | | | |
| (छ) समाज कल्याण एवं पोषण- | | | | | | | |
| 2235- सामाजिक सुरक्षा एवं कल्याण- | | | | | | | |
| <i>01- पुनर्वास-</i> | | | | | | | |
| 001- निदेशन एवं प्रशासन | 19.06 | - | 19.06 | 21.78 | (-)12 | | |
| 202- अन्य पुनर्वास योजना | 1,754.94 | - | 1,754.94 | 1,344.28 | (+)31 | | |
| <i>कुल-01</i> | <u>1,774.00</u> | <u>-</u> | <u>1,774.00</u> | <u>1,366.06</u> | <u>(+)30</u> | | |
| <i>02- समाज कल्याण-</i> | | | | | | | |
| 001- निदेशन एवं प्रशासन | 7,664.81 | - | 7,664.81 | 4,584.04 | (+)67 | | |
| 101- दिव्यांगों का कल्याण | 87.09 | - | 87.09 | 76.45 | (+)14 | | |
| 102- बाल कल्याण | 25,920.83 | 4,147.72 | 30,068.55 | 19,415.20 | (+)55 | | |
| 103- महिला कल्याण | 8,352.97 | - | 8,352.97 | 6,058.55 | (+)38 | | |
| 104- वृद्ध, अशक्त और निराश्रितों का कल्याण | 1,02,827.16 | - | 1,02,827.16 | 1,02,424.22 | ^ | | |
| 800- अन्य व्यय | 126.97 | - | 126.97 | 161.58 | (-)21 | | |
| 911- अधिक भुगतानों पर वसूलियों की कटौती | (-)200.98 | - | (-)200.98 | (-)1,811.67 | (-)89 | | |
| <i>कुल-02</i> | <u>1,44,778.85</u> | <u>4,147.72</u> | <u>1,48,926.57</u> | <u>1,30,908.37</u> | <u>(+)14</u> | | |

15. लघु शीर्षवार राजस्व व्यय का विस्तृत विवरण-(जारी)

| मुख्य शीर्ष | तिरछे आँकड़े प्रभारित व्यय को दर्शाते हैं | | | | | |
|---|---|--------------------|---|------------------------|----------------------------------|--|
| | 2022-23 के दौरान वास्तविक आँकड़े | | | कुल | 2021-22 के दौरान वास्तविक आँकड़े | 2022-23 के दौरान प्रतिशत में वृद्धि(+)/ कमी(-) |
| | संघ राज्य-क्षेत्र | निधि व्यय | केन्द्रीय सहायता (सीएसएस/ सीएस सहित) (रुलाख में) | | | |
| व्यय -शीर्ष | | | | | | |
| (राजस्व लेखा)-(जारी) | | | | | | |
| ख सामाजिक सेवाएं-(जारी) | | | | | | |
| (छ) समाज कल्याण एवं पोषण-(जारी) | | | | | | |
| 2235- सामाजिक सुरक्षा एवं कल्याण-(समाप्त) | | | | | | |
| <i>03- राष्ट्रीय सामाजिक सहायता कार्यक्रम-</i> | | | | | | |
| 102- राष्ट्रीय परिवार लाभ योजना | 13,262.37 | 3,416.67 | 16,679.04 | 4,362.66 | * | |
| | <i>कुल-03</i> | 13,262.37 | 3,416.67 | 16,679.04 | 4,362.66 | * |
| <i>60- अन्य सामाजिक सुरक्षा एवं कल्याण कार्यक्रम-</i> | | | | | | |
| 102- सामाजिक सुरक्षा योजना के अन्तर्गत पेन्शन (ओएपी) | 17.44 | - | 17.44 | 38.07 | (-54) | |
| 104- जमा संबंधित बीमा योजना- सरकारी पी. एफ. | 58.25 | - | 58.25 | 17.08 | * | |
| 105- सरकारी कर्मचारी बीमा योजना | 460.05 | - | 460.05 | 1,592.03 | (-71) | |
| 107- स्वतंत्रता सैनिक सम्मान पेन्शन योजना | 1.97 | - | 1.97 | 3.47 | (-43) | |
| 200- अन्य कार्यक्रम | 76.71 | - | 76.71 | 6.30 | * | |
| 800- अन्य व्यय | 27.71 | 12.94 | 40.65 | 128.74 | (-68) | |
| 911- अधिक भुगतानों पर वसूलियों की कटौती | - | - | - | (-3.22) | (-100) | |
| | <i>कुल-60</i> | 642.13 | 12.94 | 655.07 | 1,782.47 | (-63) |
| | कुल-2235 | 1,60,457.35 | 7,577.33 | 1,68,034.68 (₹) | 1,38,419.56 | (+21) |

(₹) 10.30 लाख पेन्शनभोगियों को भुगतान की गई पेन्शन सम्मिलित है।

15. लघु शीर्षवार राजस्व व्यय का विस्तृत विवरण-(जारी)

| मुख्य शीर्ष | 2022-23 के दौरान वास्तविक आँकड़े | | कुल | 2021-22 के दौरान वास्तविक आँकड़े | 2022-23 के दौरान प्रतिशत में वृद्धि(+)/ कमी(-) |
|--|----------------------------------|---|-------------------------|----------------------------------|--|
| | संघ राज्य-क्षेत्र | निधि | | | |
| | व्यय | केन्द्रीय सहायता (सीएसएस/ सीएस सहित) (रुलाख में) | | | |
| व्यय -शीर्ष | | | | | |
| (राजस्व लेखा)-(जारी) | | | | | |
| ख सामाजिक सेवाएं-(जारी) | | | | | |
| (छ) समाज कल्याण एवं पोषण-(जारी) | | | | | |
| 2236- पोषण- | | | | | |
| <i>02- पौष्टिक आहार एवं पेय पदार्थों का वितरण-</i> | | | | | |
| 101- विशेष पोषण कार्यक्रम | 12,058.14 | 29,235.34 | 41,293.48 | 53,973.95 | (-)23 |
| 911- अधिक भुगतानों पर वसूलियों की कटौती | (-)4.88 | - | (-)4.88 | (-)0.98 | * |
| <i>कुल-02</i> | <u>12,053.26</u> | <u>29,235.34</u> | <u>41,288.60</u> | <u>53,972.97</u> | <u>(-)24</u> |
| <i>80- सामान्य-</i> | | | | | |
| 101- विशेष पोषण कार्यक्रम | - | - | - | 2,979.36 | (-)100 |
| 800- अन्य व्यय | 487.27 | - | 487.27 | 537.75 | (-)09 |
| <i>कुल-80</i> | <u>487.27</u> | <u>-</u> | <u>487.27</u> | <u>3,517.11</u> | <u>(-)86</u> |
| कुल-2236 | <u>12,540.53</u> | <u>29,235.34</u> | <u>41,775.87</u> | <u>57,490.08</u> | <u>(-)27</u> |
| 2245- प्राकृतिक आपदाओं के कारण राहत- | | | | | |
| <i>02- बाढ़, चक्रवात इत्यादि-</i> | | | | | |
| 101- आनुशुद्धिक राहत | 7,170.26 | - | 7,170.26 | 26,826.07 | (-)73 |
| <i>कुल-02</i> | <u>7,170.26</u> | <u>-</u> | <u>7,170.26</u> | <u>26,826.07</u> | <u>(-)73</u> |

15. लघु शीर्षवार राजस्व व्यय का विस्तृत विवरण-(जारी)

| मुख्य शीर्ष | तिरछे आँकड़े प्रभारित व्यय को दर्शाते हैं | | | | | 2022-23 के दौरान वास्तविक आँकड़े | 2021-22 के दौरान वास्तविक आँकड़े | 2022-23 के दौरान प्रतिशत में वृद्धि(+)/ कमी(-) |
|--|---|---------------------------|-------------------------|----------------------------------|--|----------------------------------|----------------------------------|--|
| | 2022-23 के दौरान वास्तविक आँकड़े | | कुल | 2021-22 के दौरान वास्तविक आँकड़े | 2022-23 के दौरान प्रतिशत में वृद्धि(+)/ कमी(-) | | | |
| | संघ राज्य-क्षेत्र | निधि व्यय | | | | | | |
| व्यय-शीर्ष | | | | | | | | |
| (राजस्व लेखा)-(जारी) | | | | | | | | |
| ख सामाजिक सेवाएं-(जारी) | | | | | | | | |
| (छ) समाज कल्याण एवं पोषण-(समाप्त) | | | | | | | | |
| 2245- प्राकृतिक आपदाओं के कारण राहत-(समाप्त) | | | | | | | | |
| <i>05- राज्य आपदा प्रतिक्रिया निधि-</i> | | | | | | | | |
| 101- आरक्षित निधियों एवं जमा लेखाओं का हस्तांतरण-राज्य आपदा | | | | | | | | |
| मोचन निधि | | 31,000.00 | - | 31,000.00 (अ) | 31,000.00 | | | ^ |
| 901- कटौती- राज्य आपदा मोचन निधि से प्राप्त राशि | | (-),7,170.26 | - | (-),7,170.26 (अ) | (-),26,826.07 | | | (-),73 |
| | <i>कुल-05</i> | <u>23,829.74</u> | <u>-</u> | <u>23,829.74</u> | <u>4,173.93</u> | | | * |
| <i>80- सामान्य-</i> | | | | | | | | |
| 001- निदेशन एवं प्रशासन | | 72.81 | - | 72.81 | 80.57 | | | (-),10 |
| 102- आपदा संभावित क्षेत्रों में प्राकृतिक आपदाओं, आकस्मिक योजनाओं का प्रबंधन | | - | 28.94 | 28.94 | 27.42 | | | (+),06 |
| | <i>कुल-80</i> | <u>72.81</u> | <u>28.94</u> | <u>101.75</u> | <u>107.99</u> | | | (-),06 |
| | कुल-2245 | <u>31,072.81</u> | <u>28.94</u> | <u>31,101.75</u> | <u>31,107.99</u> | | | ^ |
| | कुल-(छ)-समाज कल्याण एवं पोषण | <u>2,04,070.69</u> | <u>36,841.61</u> | <u>2,40,912.30</u> | <u>2,27,017.63</u> | | | (+),07 |

(अ) एमएच 8121-122 "राज्य आपदा प्रतिक्रिया निधि" को हस्तांतरित राशि का प्रतिनिधित्व करता है। कृपया "लेखाओं पर टिप्पणियों" के खण्ड-II के विवरण संख्या 21 में एमएच-8121 के नीचे पाद टिप्पणियों तथा खण्ड-I के पैरा 5 (ii) (अ) (क) का अवलोकन करें।

15. लघु शीर्षवार राजस्व व्यय का विस्तृत विवरण-(जारी)

तिरछे आँकड़े प्रभारित व्यय को दर्शाते हैं

| मुख्य शीर्ष | 2022-23 के दौरान वास्तविक आँकड़े | | | कुल | 2021-22 के दौरान वास्तविक आँकड़े | 2022-23 के दौरान प्रतिशत में वृद्धि(+)/ कमी(-) |
|--|----------------------------------|--------------------|---|---------------------|----------------------------------|--|
| | संघ राज्य-क्षेत्र | निधि व्यय | केन्द्रीय सहायता (सीएसएस/ सीएस सहित) (रुलाख में) | | | |
| व्यय -शीर्ष | | | | | | |
| (राजस्व लेख)-(जारी) | | | | | | |
| ख सामाजिक सेवाएं-(समाप्त) | | | | | | |
| (ज) अन्य- | | | | | | |
| 2250- अन्य सामाजिक सेवाएं- | | | | | | |
| 102- धार्मिक और धर्मार्थ अक्षय निधि अधिनियम का प्रशासन | 119.98 | - | 119.98 | 132.36 | (-)09 | |
| कुल-2250 | 119.98 | - | 119.98 | 132.36 | (-)09 | |
| 2251- सचिवालय-सामाजिक सेवाएं- | | | | | | |
| 090- सचिवालय | 4,920.40 | - | 4,920.40 | 4,639.19 | (+)06 | |
| 911- अधिक भुगतानों पर वसूलियों की कटौती | (-)0.17 | - | (-)0.17 | (-)1.52 | (-)89 | |
| कुल-2251 | 4,920.23 | - | 4,920.23 | 4,637.67 | (+)06 | |
| कुल-(ज) -अन्य | 5,040.21 | - | 5,040.21 | 4,770.03 | (+)06 | |
| कुल-ख-सामाजिक सेवाएं | 20,99,229.66 | 1,99,207.19 | 22,98,436.85 (रु) | 20,93,314.14 | (+)10 | |

(रु) ₹ 14,71,174.93 लाख वेतन एवं ₹ 4,00,468.59 लाख सहायता अनुदान सम्मिलित हैं।

15. लघु शीर्षवार राजस्व व्यय का विस्तृत विवरण-(जारी)

तिरछे आँकड़े प्रभारित व्यय को दर्शाते हैं

| मुख्य शीर्ष | 2022-23 के दौरान वास्तविक आँकड़े | | कुल | 2021-22 के दौरान वास्तविक आँकड़े | 2022-23 के दौरान प्रतिशत में वृद्धि(+)/ कमी(-) |
|---|----------------------------------|-------------|------------------|----------------------------------|--|
| | संघ राज्य-क्षेत्र | निधि व्यय | | | |
| व्यय -शीर्ष | | | | | |
| (राजस्व लेखा)-(जारी) | | | | | |
| ग आर्थिक सेवाएं- | | | | | |
| (क) कृषि एवं संबद्ध गतिविधियाँ- | | | | | |
| 2401- फसल पैदावार- | | | | | |
| 001- निदेशन एवं प्रशासन | 54,231.81 | - | 54,231.81 | 51,069.33 | (+)06 |
| 119- उद्यान कृषि एवं शाक फसलें | 12,005.35 | 0.02 | 12,005.37 | 10,759.15 | (+)12 |
| 911- अधिक भुगतानों पर वसूलियों की कटौती | (-)17.51 | - | (-)17.51 | (-)10.49 | (+)67 |
| कुल-2401 | 66,219.65 | 0.02 | 66,219.67 | 61,817.99 | (+)07 |
| 2402- मृदा एवं जल संरक्षण | | | | | |
| 001- निदेशन एवं प्रशासन | 4,301.04 | - | 4,301.04 | 4,097.86 | (+)05 |
| 102- मृदा संरक्षण | 1,514.60 | - | 1,514.60 | 1,422.57 | (+)06 |
| 911- अधिक भुगतानों पर वसूलियों की कटौती | (-)1.44 | - | (-)1.44 | (-)0.41 | * |
| कुल-2402 | 5,814.20 | - | 5,814.20 | 5,520.02 | (+)05 |
| 2403- पशुपालन- | | | | | |
| 001- निदेशन एवं प्रशासन | 58,853.06 | - | 58,853.06 | 55,510.59 | (+)06 |
| 911- अधिक भुगतानों पर वसूलियों की कटौती | (-)16.65 | - | (-)16.65 | (-)12.71 | (+)31 |
| कुल-2403 | 58,836.41 | - | 58,836.41 | 55,497.88 | (+)06 |

15. लघु शीर्षवार राजस्व व्यय का विस्तृत विवरण-(जारी)

तिरछे आँकड़े प्रभारित व्यय को दर्शाते हैं

| मुख्य शीर्ष | 2022-23 के दौरान वास्तविक आँकड़े | | कुल | 2021-22 के दौरान वास्तविक आँकड़े | 2022-23 के दौरान प्रतिशत में वृद्धि(+)/ कमी(-) |
|---|----------------------------------|---|------------------|----------------------------------|--|
| | संघ राज्य-क्षेत्र निधि व्यय | केन्द्रीय सहायता (सीएसएस/ सीएस सहित) (रुलाख में) | | | |
| व्यय -शीर्ष | | | | | |
| (राजस्व लेखा)-(जारी) | | | | | |
| ग आर्थिक सेवाएं-(जारी) | | | | | |
| (क) कृषि एवं संबद्ध गतिविधियाँ-(जारी) | | | | | |
| 2405- मत्स्यपालन- | | | | | |
| 001- निदेशन एवं प्रशासन | 10,790.01 | - | 10,790.01 | 10,005.12 | (+)08 |
| 911- अधिक भुगतानों पर वसूलियों के माध्यम से कटौती | (-)0.26 | - | (-)0.26 | - | @ |
| कुल-2405 | 10,789.75 | - | 10,789.75 | 10,005.12 | (+)08 |
| 2406- वानिकी एवं वन्य जीवन- | | | | | |
| 01- वानिकी- | | | | | |
| 001- निदेशन एवं प्रशासन | 65,029.24 | - | 65,029.24 | 62,751.50 | (+)04 |
| 004- अनुसंधान | 1,507.28 | - | 1,507.28 | 1,418.03 | (+)06 |
| 070- संचार एवं इमारतें | 40.05 | - | 40.05 | 42.48 | (-)06 |
| 101- वन संरक्षण, विकास एवं पुनरुत्थान | 36.83 | - | 36.83 | 42.40 | (-)13 |
| 102- सामाजिक एवं फार्म वानिकी | 25,993.95 | - | 25,993.95 | 24,482.78 | (+)06 |
| 105- वन उत्पाद | 428.15 | - | 428.15 | 397.28 | (+)08 |
| 800- अन्य व्यय | - | - | - | 1.08 | (-)100 |
| 911- अधिक भुगतानों पर वसूलियों के माध्यम से कटौती | (-)24.32 | - | (-)24.32 | (-)2.66 | * |
| कुल-01 | 93,011.18 | - | 93,011.18 | 89,132.89 | (+)04 |

15. लघु शीर्षवार राजस्व व्यय का विस्तृत विवरण-(जारी)

तिरछे आँकड़े प्रभारित व्यय को दर्शाते हैं

| मुख्य शीर्ष | 2022-23 के दौरान वास्तविक आँकड़े | | कुल | 2021-22 के दौरान वास्तविक आँकड़े | 2022-23 के दौरान प्रतिशत में वृद्धि(+)/ कमी(-) |
|--|----------------------------------|-----------------|---------------------------|----------------------------------|--|
| | संघ राज्य-क्षेत्र | निधि व्यय | | | |
| व्यय -शीर्ष | | | | | |
| (राजस्व लेखा)-(जारी) | | | | | |
| ग आर्थिक सेवाएं-(जारी) | | | | | |
| (क) कृषि एवं संबद्ध गतिविधियाँ-(जारी) | | | | | |
| 2406- वानिकी एवं वन्य जीवन-(समाप्त) | | | | | |
| <i>02- पर्यावरणीय वानिकी एवं वन्य जीवन-</i> | | | | | |
| 001- निदेशन एवं प्रशासन | - | - | - | 4.61 | (-) ¹⁰⁰ |
| 110- वन्य जीवन संरक्षण | 4,745.11 | - | 4,745.11 | 4,447.85 | (+) ⁰⁷ |
| 112- सार्वजनिक उद्यान | 10,308.57 | - | 10,308.57 | 9,542.57 | (+) ⁰⁸ |
| 911- अधिक भुगतानों पर वसूलियों की कटौती | (-) ^{19.39} | - | (-) ^{19.39} | (-) ^{13.99} | (+) ³⁹ |
| <i>कुल-02</i> | <u>15,034.29</u> | <u>-</u> | <u>15,034.29</u> | <u>13,981.04</u> | <u>(+)⁰⁸</u> |
| <i>04- वन-रोपण और पारिस्थितिकी-</i> | | | | | |
| 103- राज्य प्रतिकर वन-रोपण (एससीए) | 17,795.27 | - | 17,795.27 | 12,741.56 | (+) ⁴⁰ |
| <i>कुल-04</i> | <u>17,795.27</u> | <u>-</u> | <u>17,795.27</u> | <u>12,741.56</u> | <u>(+)⁴⁰</u> |
| कुल-2406 | <u>1,25,840.74</u> | <u>-</u> | <u>1,25,840.74</u> | <u>1,15,855.49</u> | <u>(+)⁰⁹</u> |

15. लघु शीर्षवार राजस्व व्यय का विस्तृत विवरण-(जारी)

तिरछे आँकड़े प्रभारित व्यय को दर्शाते हैं

| मुख्य शीर्ष | 2022-23 के दौरान वास्तविक आँकड़े | | कुल | 2021-22 के दौरान वास्तविक आँकड़े | 2022-23 के दौरान प्रतिशत में वृद्धि(+)/ कमी(-) |
|--|----------------------------------|-----------------|-------------------------|----------------------------------|--|
| | संघ राज्य-क्षेत्र | निधि व्यय | | | |
| व्यय -शीर्ष | | | | | |
| (राजस्व लेखा)-(जारी) | | | | | |
| ग आर्थिक सेवाएं-(जारी) | | | | | |
| (क) कृषि एवं संबद्ध गतिविधियाँ-(जारी) | | | | | |
| 2408- खाद्य, संग्रहण एवं भण्डारण- | | | | | |
| <i>01- भोजन-</i> | | | | | |
| 001- निदेशन एवं प्रशासन | 16,525.45 | - | 16,525.45 | 14,938.33 | (+)11 |
| 911- अधिक भुगतानों पर वसूलियों की कटौती | (-)11.18 | - | (-)11.18 | (-)3.28 | * |
| <i>कुल-01</i> | <u>16,514.27</u> | <u>-</u> | <u>16,514.27</u> | <u>14,935.05</u> | <u>(+)10</u> |
| <i>02- संग्रहण एवं भण्डारण-</i> | | | | | |
| 800- अन्य व्यय | 246.97 | - | 246.97 | - | @ |
| <i>कुल-02</i> | <u>246.97</u> | <u>-</u> | <u>246.97</u> | <u>-</u> | <u>@</u> |
| कुल-2408 | <u>16,761.24</u> | <u>-</u> | <u>16,761.24</u> | <u>14,935.05</u> | <u>(+)12</u> |

15. लघु शीर्षवार राजस्व व्यय का विस्तृत विवरण-(जारी)

तिरछे आँकड़े प्रभारित व्यय को दर्शाते हैं

| मुख्य शीर्ष | 2022-23 के दौरान वास्तविक आँकड़े | | | कुल | 2021-22 के दौरान वास्तविक आँकड़े | 2022-23 के दौरान प्रतिशत में वृद्धि(+)/ कमी(-) |
|--|----------------------------------|-----------|---|------------------|----------------------------------|--|
| | संघ राज्य-क्षेत्र | निधि व्यय | केन्द्रीय सहायता (सीएसएस/ सीएस सहित) (रुलाख में) | | | |
| व्यय -शीर्ष | | | | | | |
| (राजस्व लेखा)-(जारी) | | | | | | |
| ग आर्थिक सेवाएं-(जारी) | | | | | | |
| (क) कृषि एवं संबद्ध गतिविधियाँ-(समाप्त) | | | | | | |
| 2415- कृषि अनुसंधान एवं शिक्षा | | | | | | |
| <i>80- सामान्य</i> | | | | | | |
| 120- अन्य संस्थानों को सहायता | 40,674.94 | - | 40,674.94 | 36,255.76 | (+)12 | |
| <i>कुल-80</i> | 40,674.94 | - | 40,674.94 | 36,255.76 | (+)12 | |
| कुल-2415 | 40,674.94 | - | 40,674.94 | 36,255.76 | (+)12 | |
| 2425- सहकारिता | | | | | | |
| 001- निदेशन एवं प्रशासन | 5,120.35 | - | 5,120.35 | 4,437.09 | (+)15 | |
| 108- अन्य सहकारी समितियों को सहायता | 2,850.00 | - | 2,850.00 | 450.00 | * | |
| 911- अधिक भुगतानों पर वसूलियों की कटौती | (-)1.67 | - | (-)1.67 | - | @ | |
| कुल-2425 | 7,968.68 | - | 7,968.68 | 4,887.09 | (+)63 | |

15. लघु शीर्षवार राजस्व व्यय का विस्तृत विवरण-(जारी)

| मुख्य शीर्ष | तिरछे आँकड़े प्रभारित व्यय को दर्शाते हैं | | | | | |
|--|---|-------------|---|--------------------|----------------------------------|--|
| | 2022-23 के दौरान वास्तविक आँकड़े | | | कुल | 2021-22 के दौरान वास्तविक आँकड़े | 2022-23 के दौरान प्रतिशत में वृद्धि(+)/ कमी(-) |
| | संघ राज्य-क्षेत्र | जिधि व्यय | केन्द्रीय सहायता (सीएसएस/ सीएस सहित) (रुलाख में) | | | |
| व्यय -शीर्ष | | | | | | |
| (राजस्व लेखा)-(जारी) | | | | | | |
| ग आर्थिक सेवाएं-(जारी) | | | | | | |
| (क) कृषि एवं संबद्ध गतिविधियाँ-(समाप्त) | | | | | | |
| 2435- अन्य कृषि कार्यक्रम- | | | | | | |
| <i>01- विपणन एवं गुणवत्ता नियंत्रण-</i> | | | | | | |
| 101- विपणन सुविधाएं | 2,637.98 | - | 2,637.98 | 2,578.61 | (+02 | |
| <i>कुल-01</i> | 2,637.98 | - | 2,637.98 | 2,578.61 | (+02 | |
| कुल-2435 | 2,637.98 | - | 2,637.98 | 2,578.61 | (+02 | |
| कुल-(क)- कृषि एवं संबद्ध गतिविधियाँ | 3,35,543.59 | 0.02 | 3,35,543.61 | 3,07,353.01 | (+09 | |
| (ख) ग्रामीण विकास- | | | | | | |
| 2501- ग्रामीण विकास के लिए विशेष कार्यक्रम- | | | | | | |
| <i>04- एकीकृत ग्रामीण ऊर्जा योजना कार्यक्रम -</i> | | | | | | |
| 105- परियोजना कार्यान्वयन | 2,186.91 | - | 2,186.91 | 3,628.13 | (-)40 | |
| 911- अधिक भुगतानों पर वसूलियों की कटौती | (-)2.23 | - | (-)2.23 | - | @ | |
| <i>कुल-04</i> | 2,184.68 | - | 2,184.68 | 3,628.13 | (-)40 | |
| कुल-2501 | 2,184.68 | - | 2,184.68 | 3,628.13 | (-)40 | |
| 2515- अन्य ग्रामीण विकास कार्यक्रम- | | | | | | |
| 001- निदेशन एवं प्रशासन | 23,595.71 | - | 23,595.71 | 16,612.97 | (+)42 | |
| 101- पंचायती राज | 32.74 | - | 32.74 | 25.00 | (+)31 | |
| 102- सामुदायिक विकास | 23,805.00 | - | 23,805.00 | 22,875.22 | (+)04 | |
| 800- अन्य व्यय | 8,288.19 | - | 8,288.19 | 8,603.79 | (-)04 | |
| 911- अधिक भुगतानों पर वसूलियों की कटौती | (-)9.05 | - | (-)9.05 | (-)0.13 | * | |
| कुल-2515 | 55,712.59 | - | 55,712.59 | 48,116.85 | (+)16 | |
| कुल-(ख)-ग्रामीण विकास | 57,897.27 | - | 57,897.27 | 51,744.98 | (+)12 | |

15. लघु शीर्षवार राजस्व व्यय का विस्तृत विवरण-(जारी)

तिरछे आँकड़े प्रभारित व्यय को दर्शाते हैं

| मुख्य शीर्ष | 2022-23 के दौरान वास्तविक आँकड़े | | | कुल | 2021-22 के दौरान वास्तविक आँकड़े | 2022-23 के दौरान प्रतिशत में वृद्धि(+)/ कमी(-) |
|---|----------------------------------|-----------|---|---------------|----------------------------------|--|
| | संघ राज्य-क्षेत्र | निधि व्यय | केन्द्रीय सहायता (सीएसएस/ सीएस सहित) (रुलाख में) | | | |
| व्यय -शीर्ष | | | | | | |
| (राजस्व लेखा)-(जारी) | | | | | | |
| ग आर्थिक सेवाएं-(जारी) | | | | | | |
| (घ) सिंचाई एवं बाढ़ नियंत्रण- | | | | | | |
| 2700- प्रमुख सिंचाई- | | | | | | |
| <i>01- प्रमुख सिंचाई वाणिज्यिक-</i> | | | | | | |
| 001- निदेशन एवं प्रशासन | 838.93 | - | 838.93 | 800.72 | (+)05 | |
| <i>कुल-01</i> | 838.93 | - | 838.93 | 800.72 | (+)05 | |
| कुल-2700 | 838.93 | - | 838.93 | 800.72 | (+)05 | |
| 2701- मध्यम सिंचाई- | | | | | | |
| <i>04- मध्यम सिंचाई-गैर-वाणिज्यिक-</i> | | | | | | |
| 001- निदेशन एवं प्रशासन | 5,414.42 | - | 5,414.42 | 4,889.75 | (+)11 | |
| 612- तवी लिफ्ट सिंचाई | 1,223.05 | - | 1,223.05 | 1,503.13 | (-)19 | |
| 911- अधिक भुगतानों पर वसूलियों की कटौती | (-)21.22 | - | (-)21.22 | (-)19.66 | (+)08 | |
| <i>कुल-04</i> | 6,616.25 | - | 6,616.25 | 6,373.22 | (+)04 | |

15. लघु शीर्षवार राजस्व व्यय का विस्तृत विवरण-(जारी)

तिरछे आँकड़े प्रभारित व्यय को दर्शाते हैं

| मुख्य शीर्ष | 2022-23 के दौरान वास्तविक आँकड़े | | | कुल | 2021-22 के दौरान वास्तविक आँकड़े | 2022-23 के दौरान प्रतिशत में वृद्धि(+)/ कमी(-) |
|--|----------------------------------|------------------|---|------------------|----------------------------------|--|
| | संघ राज्य-क्षेत्र | निधि व्यय | केन्द्रीय सहायता (सीएसएस/ सीएस सहित) (रुलाख में) | | | |
| व्यय -शीर्ष | | | | | | |
| (राजस्व लेखा)-(जारी) | | | | | | |
| ग आर्थिक सेवाएं-(जारी) | | | | | | |
| (घ) सिंचाई एवं बाढ़ नियंत्रण-(जारी) | | | | | | |
| 2701- मध्यम सिंचाई-(समाप्त) | | | | | | |
| <i>80- सामान्य-</i> | | | | | | |
| 001- निदेशन एवं प्रशासन | | 423.26 | - | 423.26 | 500.62 | (-)15 |
| | <i>कुल-80</i> | 423.26 | - | 423.26 | 500.62 | (-)15 |
| | कुल-2701 | 7,039.51 | - | 7,039.51 | 6,873.84 | (-)02 |
| 2702- लघु सिंचाई- | | | | | | |
| <i>80- सामान्य-</i> | | | | | | |
| 001- निदेशन एवं प्रशासन | | 41,335.34 | - | 41,335.34 | 39,409.00 | (+)05 |
| 911- अधिक भुगतानों पर वसूलियों की कटौती | | (-)18.68 | - | (-)18.68 | (-)7.85 | * |
| | <i>कुल-80</i> | 41,316.66 | - | 41,316.66 | 39,401.15 | (+)05 |
| | कुल-2702 | 41,316.66 | - | 41,316.66 | 39,401.15 | (+)05 |
| 2705- कमान क्षेत्र विकास- | | | | | | |
| 602- कमान क्षेत्र कश्मीर | | 743.08 | - | 743.08 | 676.58 | (+)10 |
| 603- कमान क्षेत्र जम्मू | | 2,254.34 | - | 2,254.34 | 2,176.07 | (+)04 |
| 911- अधिक भुगतानों पर वसूलियों की कटौती | | (-)0.04 | - | (-)0.04 | - | @ |
| | कुल-2705 | 2,997.38 | - | 2,997.38 | 2,852.65 | (+)05 |

15. लघु शीर्षवार राजस्व व्यय का विस्तृत विवरण-(जारी)

तिरछे आँकड़े प्रभारित व्यय को दर्शाते हैं

| मुख्य शीर्ष | 2022-23 के दौरान वास्तविक आँकड़े | | | कुल | 2021-22 के दौरान वास्तविक आँकड़े | 2022-23 के दौरान प्रतिशत में वृद्धि(+)/ कमी(-) |
|--|----------------------------------|-----------|---|--------------------|----------------------------------|--|
| | संघ राज्य-क्षेत्र | निधि व्यय | केन्द्रीय सहायता (सीएसएस/ सीएस सहित) (रुलाख में) | | | |
| व्यय -शीर्ष | | | | | | |
| (राजस्व लेखा)-(जारी) | | | | | | |
| ग आर्थिक सेवाएं-(जारी) | | | | | | |
| (घ) सिंचाई एवं बाढ़ नियंत्रण-(समाप्त) | | | | | | |
| 2711- बाढ़ नियंत्रण एवं अपवाह- | | | | | | |
| <i>01- बाढ़ नियंत्रण-</i> | | | | | | |
| 001- निदेशन एवं प्रशासन | 11,741.30 | - | 11,741.30 | 11,278.31 | (+)04 | |
| 911- अधिक भुगतानों पर वसूलियों की कटौती | (-)0.79 | - | (-)0.79 | (-)0.02 | * | |
| <i>कुल-01</i> | <u>11,740.51</u> | <u>-</u> | <u>11,740.51</u> | <u>11,278.29</u> | <u>(+)04</u> | |
| कुल-2711 | 11,740.51 | - | 11,740.51 | 11,278.29 | (+)04 | |
| कुल-(घ)- सिंचाई एवं बाढ़ नियंत्रण | 63,932.99 | - | 63,932.99 | 61,206.65 | (+)04 | |
| (ङ) ऊर्जा- | | | | | | |
| 2801- विद्युत- | | | | | | |
| <i>01- जल विद्युत उत्पादन-</i> | | | | | | |
| 101- विद्युत की खरीद | 1,48,916.73 | - | 1,48,916.73 | 1,94,475.63 | (-)23 | |
| 911- अधिक भुगतानों पर वसूलियों की कटौती | (-)67.86 | - | (-)67.86 | (-)1.12 | * | |
| <i>कुल-01</i> | <u>1,48,848.87</u> | <u>-</u> | <u>1,48,848.87</u> | <u>1,94,474.51</u> | <u>(-)23</u> | |
| <i>05- संचारण एवं वितरण-</i> | | | | | | |
| 001- निदेशन एवं प्रशासन | 1,27,264.67 | - | 1,27,264.67 | 1,17,879.36 | (+)08 | |
| 911- अधिक भुगतानों पर वसूलियों की कटौती | (-)9.59 | - | (-)9.59 | (-)41.22 | (-)77 | |
| <i>कुल-05</i> | <u>1,27,255.08</u> | <u>-</u> | <u>1,27,255.08</u> | <u>1,17,838.14</u> | <u>(+)08</u> | |

15. लघु शीर्षवार राजस्व व्यय का विस्तृत विवरण-(जारी)

तिरछे आँकड़े प्रभारित व्यय को दर्शाते हैं

| मुख्य शीर्ष | 2022-23 के दौरान वास्तविक आँकड़े | | कुल | 2021-22 के दौरान वास्तविक आँकड़े | 2022-23 के दौरान प्रतिशत में वृद्धि(+)/ कमी(-) |
|---|----------------------------------|-----------|--------------------|----------------------------------|--|
| | संघ राज्य-क्षेत्र | निधि व्यय | | | |
| व्यय-शीर्ष | | | | | |
| (राजस्व लेखा)-(जारी) | | | | | |
| ग आर्थिक सेवाएं-(जारी) | | | | | |
| (ड) ऊर्जा-(समाप्त) | | | | | |
| 2801- विद्युत-(समाप्त) | | | | | |
| <i>80- सामान्य-</i> | | | | | |
| 001- निदेशन एवं प्रशासन | 222.62 | - | 222.62 | 209.28 | (+)06 |
| 005- जाँच पड़ताल | 559.19 | - | 559.19 | 588.53 | (-)05 |
| 911- अधिक भुगतानों पर वसूलियों की कटौती | (-)12.08 | - | (-)12.08 | - | @ |
| <i>कुल -80</i> | <u>769.73</u> | <u>-</u> | <u>769.73</u> | <u>797.81</u> | <u>(-)04</u> |
| कुल-2801 | 2,76,873.68 | - | 2,76,873.68 | 3,13,110.46 | (-)12 |
| कुल-(ड)-ऊर्जा | 2,76,873.68 | - | 2,76,873.68 | 3,13,110.46 | (-)12 |
| (च)- उद्योग एवं खनिज- | | | | | |
| 2851- गांव एवं लघु उद्योग- | | | | | |
| 001- निदेशन एवं प्रशासन | 15,141.39 | - | 15,141.39 | 14,814.91 | (+)02 |
| 003- प्रशिक्षण | - | - | - | 400.00 | (-)100 |
| 101- औद्योगिक संपदा | 214.44 | - | 214.44 | 185.27 | (+)16 |
| 102- लघु उद्योग | 4,482.08 | - | 4,482.08 | 4,329.26 | (+)04 |
| 103- हथकरघा उद्योग | 309.12 | - | 309.12 | 185.50 | (+)67 |
| 104- हस्तशिल्प उद्योग | 8.22 | - | 8.22 | - | @ |
| 105- खादी एवं ग्रामोद्योग | 2,700.20 | - | 2,700.20 | 2,156.00 | (+)25 |
| 107- रेशम उत्पादन उद्योग | 9,595.30 | - | 9,595.30 | 9,311.27 | (+)03 |
| 911- अधिक भुगतानों पर वसूलियों की कटौती | (-)0.16 | - | (-)0.16 | (-)2.28 | (-)93 |
| कुल-2851 | 32,450.59 | - | 32,450.59 | 31,379.93 | (+)03 |

15. लघु शीर्षवार राजस्व व्यय का विस्तृत विवरण-(जारी)

| मुख्य शीर्ष | तिरछे आँकड़े प्रभारित व्यय को दर्शाते हैं | | | | | |
|--|---|------------------|---|------------------|----------------------------------|--|
| | 2022-23 के दौरान वास्तविक आँकड़े | | | कुल | 2021-22 के दौरान वास्तविक आँकड़े | 2022-23 के दौरान प्रतिशत में वृद्धि(+)/ कमी(-) |
| | संघ राज्य-क्षेत्र | निधि व्यय | केन्द्रीय सहायता (सीएसएस/ सीएस सहित) (रुलाख में) | | | |
| व्यय-शीर्ष | | | | | | |
| (राजस्व लेखा)-(जारी) | | | | | | |
| ग आर्थिक सेवाएं-(जारी) | | | | | | |
| (च)- उद्योग एवं खनिज-(समाप्त) | | | | | | |
| 2853- अलौह खनन एवं धातुकर्म उद्योग- | | | | | | |
| <i>02- खानों का विनियमन एवं विकास-</i> | | | | | | |
| 001- निदेशन एवं प्रशासन | | 11,265.52 | - | 11,265.52 | 5,644.94 | (+)100 |
| | कुल-02 | 11,265.52 | - | 11,265.52 | 5,644.94 | (+)100 |
| | कुल-2853 | 11,265.52 | - | 11,265.52 | 5,644.94 | (+)100 |
| | कुल-(च)-उद्योग एवं खनिज | 43,716.11 | - | 43,716.11 | 37,024.87 | (+)18 |
| (छ) परिवहन | | | | | | |
| 3054- सड़कें एवं पुल- | | | | | | |
| <i>03- राज्य राजमार्ग-</i> | | | | | | |
| 103- अनुरक्षण तथा मरम्मत | | 162.77 | - | 162.77 | 527.09 | (-)69 |
| | कुल-03 | 162.77 | - | 162.77 | 527.09 | (-)69 |
| <i>04- जिला एवं अन्य सड़के</i> | | | | | | |
| 337- सड़क निर्माण | | 16,247.09 | - | 16,247.09 | 14,048.16 | (+)16 |
| | कुल-04 | 16,247.09 | - | 16,247.09 | 14,048.16 | (+)16 |
| <i>80- सामान्य-</i> | | | | | | |
| 001- निदेशन एवं प्रशासन | | 15,830.64 | - | 15,830.64 | 15,425.38 | (+)03 |
| 797- आरक्षित निधि/ जमा लेखाओं से/ को हस्तांतरण | | 34,361.00 | - | 34,361.00 (घ) | 32,078.00 | (+)07 |
| 911- अधिक भुगतानों पर वसूलियों की कटौती | | - | - | - | (-)0.07 | (-)100 |
| | कुल-80 | 50,191.64 | - | 50,191.64 | 47,503.31 | (+)06 |
| | कुल-3054 | 66,601.50 | - | 66,601.50 | 62,078.56 | (+)07 |
| | कुल-(छ)- परिवहन | 66,601.50 | - | 66,601.50 | 62,078.56 | (+)07 |

(घ) एमएच 8449-103 "केन्द्रीय सड़क एवं अवसंरचना निधि से संसहायिकी" को हस्तांतरित राशि को दर्शाता है। कृपया खण्ड-II विवरण संख्या 21 एमएच-8449 के नीचे पाद टिप्पणी का अवलोकन करें।

15. लघु शीर्षवार राजस्व व्यय का विस्तृत विवरण-(जारी)

तिरछे आँकड़े प्रभारित व्यय को दर्शाते हैं

| मुख्य शीर्ष | 2022-23 के दौरान वास्तविक आँकड़े | | कुल | 2021-22 के दौरान वास्तविक आँकड़े | 2022-23 के दौरान प्रतिशत में वृद्धि(+)/ कमी(-) |
|--|----------------------------------|-----------|---------------------|----------------------------------|--|
| | संघ राज्य-क्षेत्र | निधि व्यय | | | |
| व्यय -शीर्ष | | | | | |
| (राजस्व लेखा)-(जारी) | | | | | |
| ग आर्थिक सेवाएं-(जारी) | | | | | |
| (झ) विज्ञान, प्रौद्योगिकी एवं पर्यावरण- | | | | | |
| 3435- पारिस्थितिकी एवं पर्यावरण- | | | | | |
| <i>04- प्रदूषण की रोकथाम एवं नियंत्रण-</i> | | | | | |
| 103- वायु एवं जल प्रदूषण की रोकथाम | 3,435.11 | - | 3,435.11 | 3,180.48 | (+)08 |
| 800- अन्य व्यय | 221.14 | - | 221.14 | 186.76 | (+)18 |
| 911- अधिक भुगतानों पर वसूलियों की कटौती | (-)0.26 | - | (-)0.26 | - | @ |
| <i>कुल-04</i> | <u>3,655.99</u> | <u>-</u> | <u>3,655.99</u> | <u>3,367.24</u> | <u>(+)09</u> |
| <i>60- सामान्य-</i> | | | | | |
| 800- अन्य व्यय | 1,192.14 | - | 1,192.14 | 1,149.11 | (+)04 |
| <i>कुल-60</i> | <u>1,192.14</u> | <u>-</u> | <u>1,192.14</u> | <u>1,149.11</u> | <u>(+)04</u> |
| कुल-3435 | 4,848.13 | - | 4,848.13 (ड) | 4,516.35 | (+)07 |
| कुल-(झ)- विज्ञान, प्रौद्योगिकी एवं पर्यावरण | 4,848.13 | - | 4,848.13 | 4,516.35 | (+)07 |
| (ज) सामान्य आर्थिक सेवाएं- | | | | | |
| 3451- सचिवालय-आर्थिक सेवाएं- | | | | | |
| 090- सचिवालय | 8,860.59 | - | 8,860.59 | 8,081.54 | (+)10 |
| 911- अधिक भुगतानों पर वसूलियों की कटौती | (-)0.03 | - | (-)0.03 | (-)2.48 | (-)99 |
| कुल-3451 | 8,860.56 | - | 8,860.56 | 8,079.06 | (+)10 |

(ड) कृपया "वित्त लेखाओं पर टिप्पणियाँ" खण्ड-1 के पैरा 3 (x) का संदर्भ लें।

15. लघु शीर्षवार राजस्व व्यय का विस्तृत विवरण-(जारी)

| मुख्य शीर्ष | 2022-23 के दौरान वास्तविक आँकड़े | | कुल | 2021-22 के दौरान वास्तविक आँकड़े | 2022-23 के दौरान प्रतिशत में वृद्धि(+)/ कमी(-) |
|---|----------------------------------|---|-------------------------|----------------------------------|--|
| | संघ राज्य-क्षेत्र | निधि | | | |
| | व्यय | केन्द्रीय सहायता (सीएसएस/ सीएस सहित) (रुलाख में) | | | |
| व्यय शीर्ष | | | | | |
| (राजस्व लेखा)-(जारी) | | | | | |
| ग आर्थिक सेवाएं-(जारी) | | | | | |
| (ज) सामान्य आर्थिक सेवाएं-(जारी) | | | | | |
| 3452- पर्यटन- | | | | | |
| <i>01- पर्यटक अवसंरचना-</i> | | | | | |
| 101- पर्यटन केन्द्र | 745.18 | - | 745.18 | 724.66 | (+)03 |
| 102- पर्यटक आवास | 1,569.53 | - | 1,569.53 | 1,418.59 | (+)11 |
| 800- अन्य व्यय | 5,204.81 | - | 5,204.81 | 4,702.04 | (+)11 |
| 911- अधिक भुगतानों पर वसूलियों की कटौती | (-)134.70 | - | (-)134.70 | - | @ |
| <i>कुल-01</i> | <u>7,384.82</u> | <u>-</u> | <u>7,384.82</u> | <u>6,845.29</u> | <u>(+)08</u> |
| <i>80- सामान्य-</i> | | | | | |
| 001- निदेशन एवं प्रशासन | 6,886.45 | - | 6,886.45 | 5,008.61 | (+)37 |
| 104- प्रोत्साहन एवं प्रचार | 461.85 | - | 461.85 | 425.61 | (+)09 |
| 800- अन्य व्यय | 2,716.75 | - | 2,716.75 | 2,405.80 | (+)13 |
| 911- अधिक भुगतानों पर वसूलियों की कटौती | - | - | - | (-)68.31 | (-)100 |
| <i>कुल-80</i> | <u>10,065.05</u> | <u>-</u> | <u>10,065.05</u> | <u>7,771.71</u> | <u>(+)30</u> |
| कुल-3452 | <u>17,449.87</u> | <u>-</u> | <u>17,449.87</u> | <u>14,617.00</u> | <u>(+)19</u> |

15. लघु शीर्षवार राजस्व व्यय का विस्तृत विवरण-(जारी)

| मुख्य शीर्ष | तिरछे आँकड़े प्रभारित व्यय को दर्शाते हैं | | | | | |
|--|---|---------------------|---|---------------------|----------------------------------|--|
| | 2022-23 के दौरान वास्तविक आँकड़े | | | कुल | 2021-22 के दौरान वास्तविक आँकड़े | 2022-23 के दौरान प्रतिशत में वृद्धि(+)/ कमी(-) |
| | संघ राज्य-क्षेत्र | निधि व्यय | केन्द्रीय सहायता (सीएसएस/ सीएस सहित) (रुलाख में) | | | |
| व्यय शीर्ष | | | | | | |
| (राजस्व लेखा)-(जारी) | | | | | | |
| ग आर्थिक सेवाएं-(जारी) | | | | | | |
| (ज) सामान्य आर्थिक सेवाएं-(जारी) | | | | | | |
| 3454- जनगणना सर्वेक्षण एवं सांख्यिकी- | | | | | | |
| <i>01- जनगणना-</i> | | | | | | |
| 001- निदेशन और प्रशासन | | - | - | - | 911.06 | (-) ¹⁰⁰ |
| | <i>कुल-01</i> | - | - | - | 911.06 | |
| <i>02- सर्वेक्षण एवं सांख्यिकी-</i> | | | | | | |
| 110- स्थान-विवरणिका एवं सांख्यिकीय संस्मरण | | - | - | - | 36.76 | (-) ¹⁰⁰ |
| 112- आर्थिक सलाह एवं सांख्यिकी | | 6,889.20 | - | 6,889.20 | 6,357.25 | (+) ⁰⁸ |
| 201- राष्ट्रीय प्रतिदर्श सर्वेक्षण संगठन | | 1,211.89 | - | 1,211.89 | 1,121.88 | (+) ⁰⁸ |
| 205- राज्य सांख्यिकीय अभिकरण | | 288.59 | - | 288.59 | 248.01 | (+) ¹⁶ |
| 911- अधिक भुगतानों पर वसूलियों की कटौती | | (-) ^{0.29} | | (-) ^{0.29} | - | @ |
| | <i>कुल-02</i> | 8,389.39 | - | 8,389.39 | 7,763.90 | (+) ⁰⁸ |
| | कुल-3454 | 8,389.39 | | 8,389.39 | 8,674.96 | (-)⁰³ |

15. लघु शीर्षवार राजस्व व्यय का विस्तृत विवरण-(जारी)

तिरछे आँकड़े प्रभारित व्यय को दर्शाते हैं

| मुख्य शीर्ष | 2022-23 के दौरान वास्तविक आँकड़े | | कुल | 2021-22 के दौरान वास्तविक आँकड़े | 2022-23 के दौरान प्रतिशत में वृद्धि(+)/ कमी(-) |
|---|-----------------------------------|--------------------|-----------------------------------|----------------------------------|--|
| | संघ राज्य-क्षेत्र | निधि व्यय | | | |
| व्यय शीर्ष | | | | | |
| (राजस्व लेखा)-(समाप्त) | | | | | |
| ग आर्थिक सेवाएं-(समाप्त) | | | | | |
| (ज) सामान्य आर्थिक सेवाएं-(समाप्त) | | | | | |
| 3475- अन्य सामान्य आर्थिक सेवाएं- | | | | | |
| 106- बाट और माप का नियमन | 1,094.53 | - | 1,094.53 | 1,045.35 | (+)05 |
| 115- अवसंरचना विकास हेतु वित्तीय सहायता | 77.20 | - | 77.20 | 181.41 | (-)57 |
| कुल-3475 | 1,171.73 | - | 1,171.73 | 1,226.76 | (-)04 |
| कुल-(ज)-सामान्य आर्थिक सेवाएं | 35,871.55 | - | 35,871.55 | 32,597.78 | (+)10 |
| कुल-ग-आर्थिक सेवाएं | 8,85,284.82 | 0.02 | 8,85,284.84 ^(द) | 8,69,632.66 | (+)02 |
| कुल-व्यय शीर्ष | 52,42,202.27 ^{\$} | 1,99,742.65 | 62,99,933.53 | 59,26,932.50 | (+)06 |
| (राजस्व लेखा) | 8,57,988.60 | | | | |
| वेतन | 27,62,019.29 | 13,890.45 | 27,83,816.98 | 26,07,678.78 | (+)07 |
| | 7,907.24 | | | | |
| सहायिकियाँ | - | - | - | - | - |
| सहायता अनुदान | 4,25,879.65 | 1,83,060.94 | 6,08,940.59 | 4,80,725.56 | (+)27 |

(द) ₹ 3,96,386.01 लाख वेतन तथा ₹ 2,00,316.42 लाख सहायता अनुदान सम्मिलित हैं।

(\$) विवरण में मशीन पूर्णांकन अपनाये जाने के कारण कुल ₹ 0.01 का वास्तविक अंतर है।

15. लघु शीर्षवार राजस्व व्यय का विस्तृत विवरण-(जारी)

| विवरण संख्या 15 की व्याख्यात्मक टिप्पणी- | | | | | |
|---|---------------------------------------|--------------|--------------|-----------|--|
| विवरण संख्या 15 की अनुलग्नक "क" | | | | | |
| राजस्व लेखा पर व्यय: - जम्मू एवं कश्मीर संघ राज्य क्षेत्र का राजस्व व्यय वर्ष 2021-22 के दौरान ₹ 59,26,932.50 लाख एवं वर्ष 2022-23 के दौरान ₹ 62,99,933.52 लाख रहा। मुख्य रूप से निम्नलिखित शीर्षों के अन्तर्गत व्यय में ₹ 3,73,001.02 लाख की वृद्धि रही। | | | | | |
| क्र. सं. | मुख्य लेखा शीर्ष | वास्तविक | | वृद्धि | कारण (ए) |
| | | 2022-23 | 2021-22 | | |
| (₹ लाख में) | | | | | |
| 1 | 2014- न्याय प्रशासन- | 31,951.97 | 28,532.05 | 3,419.92 | मुख्य रूप से उच्च न्यायालय तथा सत्र न्यायालय पर बढ़े हुए व्यय के कारण वृद्धि |
| 2 | 2030-स्टाम्प एवं पंजीकरण- | 1,524.02 | 975.70 | 548.32 | मुख्य रूप से निदेशन एवं प्रशासन पर बढ़े हुए व्यय के कारण वृद्धि |
| 3 | 2040-बिक्री, व्यापार इत्यादि पर कर- | 185.40 | 149.64 | 35.76 | मुख्य रूप से निदेशन एवं प्रशासन पर बढ़े हुए व्यय के कारण वृद्धि |
| 4 | 2053-जिला प्रशासन- | 56,997.95 | 51,526.62 | 5,471.33 | मुख्य रूप से जिला तथा अन्य अधिष्ठान के अन्तर्गत बढ़े हुए व्यय के कारण वृद्धि |
| 5 | 2055-पुलिस- | 8,20,024.18 | 7,63,610.79 | 56,413.39 | मुख्य रूप से विशेष पुलिस, जिला पुलिस तथा पुलिस बल के आधुनिकीकरण पर बढ़े हुए व्यय के कारण वृद्धि |
| 6 | 2070-अन्य प्रशासनिक सेवाएं- | 45,977.83 | 43,221.52 | 2,756.31 | मुख्य रूप से प्रशिक्षणों, गृह रक्षक तथा अग्नि सुरक्षा पर बढ़े हुए व्यय के कारण वृद्धि |
| 7 | 2202-सामान्य शिक्षा- | 10,82,501.38 | 10,32,050.22 | 50,451.16 | मुख्य रूप से मध्याह्न भोजन पर व्यय तथा प्राथमिक, माध्यमिक तथा उच्चतर शिक्षा पर व्यय के कारण वृद्धि |
| 8 | 2210-चिकित्सा एवं सार्वजनिक स्वास्थ्य | 5,02,788.94 | 4,56,935.10 | 45,853.84 | मुख्य रूप से विद्यालय स्वास्थ्य योजना, आयुर्वेद एवं औषध नियंत्रण पर व्यय के कारण वृद्धि |
| 9 | 2211-परिवार कल्याण- | 70,106.02 | 40,783.53 | 29,322.49 | मुख्य रूप से निदेशन एवं प्रशासन, ग्रामीण तथा शहरी परिवार कल्याण के अन्तर्गत बढ़े हुए व्यय के कारण वृद्धि |
| 10 | 2217-शहरी विकास- | 1,27,035.00 | 75,577.99 | 51,457.01 | मुख्य रूप से निदेशन एवं प्रशासन और स्थानीय निकायों को सहायता, सहकारिताएं, शहरी विकास प्राधिकरण पर बढ़े हुए व्यय के कारण वृद्धि |

(ए) वृद्धि/ कमी के कारणों को सरकार (जुलाई 2023) द्वारा सूचित नहीं किया गया।

15. लघु शीर्षवार राजस्व व्यय का विस्तृत विवरण-(जारी)

विवरण संख्या 15 की व्याख्यात्मक टिप्पणी-(जारी)

विवरण संख्या 15 की अनुलग्नक "क"

| क्र. सं. | मुख्य लेखा शीर्ष | | वास्तविक | | वृद्धि | कारण (ए) |
|---|------------------|----------------------------------|--------------|--------------|-----------|--|
| | | | 2022-23 | 2021-22 | | |
| (₹ लाख में) | | | | | | |
| 11 | 2235- | सामाजिक सुरक्षा एवं कल्याण | 1,68,034.68 | 1,38,419.56 | 29,615.12 | मुख्य रूप से बाल कल्याण एवं राष्ट्रीय परिवार लाभ योजना पर बढ़े हुए व्यय के कारण वृद्धि |
| 12 | 2406- | वानिकी एवं वन्य जीव | 1,25,840.74 | 1,15,855.49 | 9,985.25 | मुख्य रूप से अनुसंधान, सामाजिक एवं फार्म वानिकी पर बढ़े हुए व्यय के कारण वृद्धि |
| 13 | 2425- | सहकारिता | 7,968.68 | 4,887.09 | 3,081.59 | मुख्य रूप से अन्य सहकारिताओं को सहायता पर बढ़े हुए व्यय के कारण वृद्धि |
| 14 | 2853- | अलौह खनन और धातुकर्म उद्योग | 11,265.52 | 5,644.94 | 5,620.58 | मुख्य रूप से निदेशन एवं प्रशासन पर बढ़े हुए व्यय के कारण वृद्धि |
| 15 | 3452- | पर्यटन- | 17,449.87 | 14,617.00 | 2,832.87 | पर्यटन केन्द्रों, प्रोन्नति तथा प्रचार पर अधिक व्यय के कारण वृद्धि |
| व्यय में वृद्धि की आंशिक रूप से भरपाई मुख्य रूप से निम्नलिखित लेखा शीर्ष के अंतर्गत कमी से की गई: | | | | | | |
| क्र. सं. | मुख्य लेखा शीर्ष | | वास्तविक | | कमी | कारण (ए) |
| | | | 2022-23 | 2021-22 | | |
| (₹ लाख में) | | | | | | |
| 1 | 2015- | चुनाव | 4,886.70 | 5,318.68 | 431.98 | मुख्य रूप से निर्वाचन अधिकारियों पर कम हुए व्यय के कारण कमी |
| 2 | 2071- | पेंशन एवं अन्य सेवानिवृत्ति लाभ- | 11,14,238.25 | 11,56,300.08 | 42,061.83 | उपदान एवं परिवार पेंशन पर कम हुए व्यय के कारण कमी |
| 3 | 2230- | श्रम, रोजगार एवं कौशल विकास | 4,808.82 | 5,695.05 | 886.23 | मुख्य रूप से निदेशन एवं प्रशासन पर कम हुए व्यय के कारण कमी |

15. लघु शीर्षवार राजस्व व्यय का विस्तृत विवरण-(जारी)

| विवरण संख्या 15 की व्याख्यात्मक टिप्पणी-(जारी) | | | | | | |
|--|------------------|----------------------------------|-------------|-------------|-----------|---|
| विवरण संख्या 15 की अनुलग्नक "क" | | | | | | |
| क्र. सं. | मुख्य लेखा शीर्ष | | वास्तविक | | कमी | कारण (ए) |
| | | | 2022-23 | 2021-22 | | |
| (₹ लाख में) | | | | | | |
| 4 | 2236- | पोषण | 41,775.87 | 57,490.08 | 15,741.21 | मुख्य रूप से विशेष पोषण कार्यक्रम पर कम हुए व्यय के कारण कमी |
| 5 | 2501- | ग्राम विकास हेतु विशेष कार्यक्रम | 2,184.68 | 3,628.13 | 1,443.45 | मुख्य रूप से स्थानीय निकायों, सहकारिताओं इत्यादि को कम सहायता के कारण कमी |
| 6 | 2801- | ऊर्जा | 2,76,873.68 | 3,13,110.46 | 36,236.78 | मुख्य रूप से विद्युत के क्रय पर कम हुए व्यय के कारण कमी |

(ए) वृद्धि/ कमी के कारणों को सरकार (जुलाई 2023) द्वारा सूचित नहीं किया गया।

| 16. लघु शीर्षवार तथा उप-शीर्षवार पूँजीगत व्यय का विस्तृत विवरण | | | | | | | |
|--|-----------------------|---|----------------------------|--------------------------------------|------------------|------------------------------|---|
| (बोर्ड ऑफ़े जम्मू एवं कश्मीर संघ राज्य क्षेत्र में अभी तक प्रभाजित किए जाने एवं प्रतिधारित किए जाने वाले 30 अक्टूबर 2019 के अंत तक के व्यय को दर्शाते हैं) | | | | | | | |
| लेखा शीर्ष व्यय की प्रकृति | 2021-22 के दौरान व्यय | जम्मू एवं कश्मीर संघ राज्य क्षेत्र को आबंटित राशि | वर्ष 2022-23 के दौरान व्यय | | | 31 मार्च 2023 के अंत तक व्यय | वर्ष 2022-23 के दौरान प्रतिशत में वृद्धि(+)/कमी (-) |
| | | | संघ राज्य क्षेत्र का व्यय | केन्द्रीय सहायता (सीएसएस/ सीएस सहित) | कुल | | |
| (₹ लाख में) | | | | | | | |
| व्यय शीर्ष- | | | | | | | |
| (पूँजीगत लेखा)- | | | | | | | |
| क- सामान्य सेवाओं का पूँजीगत लेखा- | | | | | | | |
| 4047- अन्य राजकोषीय सेवाओं पर पूँजीगत परिव्यय- | | | | | | | |
| 039- राज्य उत्पाद शुल्क | - | - | - | - | - | - | - |
| | | | | | | 407.12 | - |
| कुल-4047 | - | - | - | - | - | 407.12 | - |
| 4055- पुलिस पर पूँजीगत परिव्यय- | | | | | | | |
| 117- आंतरिक सुरक्षा | - | - | - | - | - | - | - |
| | | | | | | 14,429.18 | - |
| 207- राज्य पुलिस | 7,305.69 | - | 12,765.89 | 2,873.93 | 15,639.82 | 60,435.38 | * |
| | | | | | | 1,18,048.57 | - |
| 214- सीमा प्रबंधन | 3,255.78 | - | 2,272.30 | - | 2,272.30 | 5,528.08 | (-) ³⁰ |
| 216- अन्य पुलिस संगठन | 611.69 | - | 48.08 | - | 48.08 | 659.77 | (-) ⁹² |
| 800- अन्य व्यय | - | - | - | - | - | - | - |
| | | | | | | 3,209.38 | - |
| कुल-4055 | 11,173.16 | - | 15,086.27 | 2,873.93 | 17,960.20 | 66,623.23 | (+)⁶¹ |
| | | | | | | 1,35,687.13 | - |
| 4058- लेखन सामग्री एवं मुद्रण पर पूँजीगत परिव्यय- | | | | | | | |
| 001- निदेशन एवं प्रशासन | - | - | - | - | - | - | - |
| | | | | | | 97.60 | - |
| 103- सरकारी मुद्रणालय | 112.92 | - | 178.28 | - | 178.28 | 783.72 | (+) ⁵⁸ |
| | | | | | | 2,988.77 | - |
| 800- अन्य व्यय | - | - | - | - | - | - | - |
| | | | | | | 409.29 | - |
| कुल-4058 | 112.92 | - | 178.28 | - | 178.28 | 783.72 | (+)⁵⁸ |
| | | | | | | 3,495.66 | - |

(*) विवरण संख्या 16 पर 100 प्रतिशत से अधिक

16. लघु शीर्षवार तथा उप-शीर्षवार पूँजीगत व्यय का विस्तृत विवरण-(जारी)

(बौलड ऑकड़े जम्मू एवं कश्मीर संघ राज्य क्षेत्र में अभी तक प्रभाजित किए जाने एवं प्रतिधारित किए जाने वाले 30 अक्टूबर 2019 के अंत तक के व्यय को दर्शाते हैं)

| लेखा शीर्ष व्यय की प्रकृति | 2021-22 के दौरान व्यय | जम्मू एवं कश्मीर संघ राज्य क्षेत्र को आबंटित राशि | वर्ष 2022-23 के दौरान व्यय | | | 31 मार्च 2023 के अंत तक व्यय | वर्ष 2022-23 के दौरान प्रतिशत में वृद्धि(+)/कमी (-) |
|--|-----------------------|---|----------------------------|--------------------------------------|------------------|------------------------------|---|
| | | | संघ राज्य क्षेत्र का व्यय | केन्द्रीय सहायता (सीएसएस/ सीएस सहित) | कुल | | |
| (रुलाख में) | | | | | | | |
| व्यय शीर्ष- | | | | | | | |
| (पूँजीगत लेखा)-(जारी) | | | | | | | |
| क- सामान्य सेवाओं का पूँजीगत लेखा-(जारी) | | | | | | | |
| 4059- लोक निर्माण कार्यों पर पूँजीगत परिव्यय- | | | | | | | |
| <i>01- कार्यालय भवन-</i> | | | | | | | |
| 001- निदेशन एवं प्रशासन | 33,816.51 | - | 25,777.06 | 40,636.27 | 66,413.33 | 1,65,039.92 | (+)96 |
| | | | | | | 1,74,440.11 | |
| 051- निर्माण | - | - | - | - | - | - | - |
| | | | | | | 28,029.84 | |
| 052- मशीनरी एवं उपकरण | - | - | - | - | - | - | - |
| | | | | | | 1,093.61 | |
| 201- भूमि का अधिग्रहण | - | - | - | - | - | - | - |
| | | | | | | 2.85 | |
| 799- उंचत | - | - | - | - | - | - | - |
| | | | | | | 0.12 | |
| 800- अन्य व्यय | - | - | - | - | - | - | - |
| | | | | | | 25,511.73 | |
| कुल-01 | 33,816.51 | - | 25,777.06 | 40,636.27 | 66,413.33 | 1,65,039.92 | (+)96 |
| | | | | | | 2,29,078.26 | |
| <i>60- अन्य भवन</i> | | | | | | | |
| 051- निर्माण | 13,923.19 | - | 13,658.27 | 1,260.00 | 14,918.27 | 28,854.76 | (+)07 |
| | | | | | | 958.87 | |
| 117- आंतरिक सुरक्षा | - | - | - | - | - | - | - |
| | | | | | | 252.15 | |
| 800- अन्य व्यय | 3,291.81 | - | 4,298.98 | - | 4,298.98 | 33,068.16 | (+)31 |
| | | | | | | 3,63,890.55 | |
| कुल-60 | 17,215.00 | - | 17,957.25 | 1,260.00 | 19,217.25 | 61,922.92 | (+)12 |
| | | | | | | 3,65,110.57 | |

| 16. लघु शीर्षवार तथा उप-शीर्षवार पूँजीगत व्यय का विस्तृत विवरण-(जारी) | | | | | | | |
|--|-----------------------|---|----------------------------|--------------------------------------|------------------|------------------------------|---|
| (बोर्ड ऑफ़े जम्मू एवं कश्मीर संघ राज्य क्षेत्र में अभी तक प्रभाजित किए जाने एवं प्रतिधारित किए जाने वाले 30 अक्टूबर 2019 के अंत तक के व्यय को दर्शाते हैं) | | | | | | | |
| लेखा शीर्ष व्यय की प्रकृति | 2021-22 के दौरान व्यय | जम्मू एवं कश्मीर संघ राज्य क्षेत्र को आबंटित राशि | वर्ष 2022-23 के दौरान व्यय | | | 31 मार्च 2023 के अंत तक व्यय | वर्ष 2022-23 के दौरान प्रतिशत में वृद्धि(+)/कमी (-) |
| | | | संघ राज्य क्षेत्र का व्यय | केन्द्रीय सहायता (सीएसएस/ सीएस सहित) | कुल | | |
| (रुलाख में) | | | | | | | |
| व्यय शीर्ष- | | | | | | | |
| (पूँजीगत लेखा)-(जारी) | | | | | | | |
| क- सामान्य सेवाओं का पूँजीगत लेखा-(जारी) | | | | | | | |
| 4059- लोक निर्माण कार्यों पर पूँजीगत परिव्यय-(समाप्त) | | | | | | | |
| 80- सामान्य- | | | | | | | |
| 001- निदेशन एवं प्रशासन | - | - | - | - | - | - | - |
| | | | | | | 4,401.32 | - |
| 051- निर्माण | - | - | 440.71 | - | 440.71 | 440.71 | ^ |
| | | | | | | 1,883.58 | |
| 052- मशीनरी एवं उपकरण | 37.39 | - | 78.63 | - | 78.63 | 116.02 | * |
| | | | | | | 410.64 | |
| 201- भूमि का अधिग्रहण | 701.65 | - | 1,078.33 | - | 1,078.33 | 2,377.92 | (+)54 |
| | - | - | - | - | - | 8,151.65 | |
| 800- अन्य व्यय | 1,709.50 | - | 1,511.87 | - | 1,511.87 | 10,200.91 | (-)12 |
| | | | | | | 6,305.66 | |
| कुल-80 | 2,448.54 | - | 3,109.54 | - | 3,109.54 | 13,135.56 | (+)27 |
| | | | | | | 21,152.85 | |
| कुल-4059 | 53,480.05 | - | 46,843.85 | 41,896.27 | 88,740.12 | 2,40,098.40 | (+)66 |
| | | | | | | 6,15,332.68 | |
| 4070- अन्य प्रशासनिक सेवाओं पर पूँजीगत परिव्यय- | | | | | | | |
| 003- प्रशिक्षण | | | | | | | |
| | - | - | - | - | - | - | - |
| | | | | | | 57.71 | |
| 800- अन्य व्यय | 1,031.06 | - | 2,203.71 | - | 2,203.71 | 4,385.75 | * |
| | | | | | | 10,380.47 | |
| कुल-4070 | 1,031.06 | - | 2,203.71 | - | 2,203.71 | 4,385.75 | * |
| | | | | | | 10,438.18 | |

(*) विवरण पर लागू नहीं हैं।

| 16. लघु शीर्षवार तथा उप-शीर्षवार पूँजीगत व्यय का विस्तृत विवरण-(जारी) | | | | | | | |
|--|---|---|----------------------------|--------------------------------------|------------------|--------------------|-------------------------------------|
| (बौलड ऑकड़े जम्मू एवं कश्मीर संघ राज्य क्षेत्र में अभी तक प्रभाजित किए जाने एवं प्रतिधारित किए जाने वाले 30 अक्टूबर 2019 के अंत तक के व्यय को दर्शाते हैं) | | | | | | | |
| लेखा शीर्ष व्यय की प्रकृति | 2021-22 | जम्मू एवं | वर्ष 2022-23 के दौरान व्यय | | | 31 मार्च 2023 के | वर्ष 2022-23 के |
| | के दौरान व्यय | कश्मीर संघ राज्य क्षेत्र को आबंटित राशि | संघ राज्य क्षेत्र का व्यय | केन्द्रीय सहायता (सीएसएस/ सीएस सहित) | कुल | अंत तक व्यय | दौरान प्रतिशत में वृद्धि(+)/कमी (-) |
| (रुलाख में) | | | | | | | |
| व्यय शीर्ष- | | | | | | | |
| (पूँजीगत लेखा)-(जारी) | | | | | | | |
| क- सामान्य सेवाओं का पूँजीगत लेखा-(समाप्त) | | | | | | | |
| 4075- विविध सामान्य सेवाओं पर पूँजीगत परिव्यय- | | | | | | | |
| 204- आयकर अधिनियम, 1961 के अध्याय XX-सी के अंतर्गत अचल संपत्ति का अधिग्रहण | | | | | | | |
| | - | - | - | - | - | - | - |
| | | | | | | 36.19 | |
| 800- अन्य व्यय | 105.76 | - | 755.80 | - | 755.80 | 14,830.36 | * |
| | | | | | | 16,285.12 | |
| | कुल-4075 | 105.76 | 755.80 | - | 755.80 | 14,830.36 | * |
| | | | | | | 16,321.31 | |
| | कुल क-सामान्य सेवाओं का पूँजीगत लेखा | 65,902.95 | - | 65,067.91 | 44,770.20 | 1,09,838.11 | (+)67 |
| | | | | | | 7,81,682.08 | |
| ख- सामाजिक सेवाओं पर पूँजीगत परिव्यय- | | | | | | | |
| (क) शिक्षा, खेल, कला एवं संस्कृति का पूँजीगत लेखा- | | | | | | | |
| 4202- शिक्षा, खेल, कला एवं संस्कृति का पूँजीगत परिव्यय- | | | | | | | |
| 01- सामान्य शिक्षा- | | | | | | | |
| 201- प्रारंभिक शिक्षा | 7,770.77 | - | 11,160.64 | - | 11,160.64 | 27,974.50 | (+)44 |
| | | | | | | 2,14,749.84 | |
| 202- माध्यमिक शिक्षा | 5,571.16 | - | 11,758.72 | - | 11,758.72 | 27,564.39 | * |
| | | | | | | 1,08,540.95 | |
| 203- विश्वविद्यालय एवं उच्चतर शिक्षा | 19,681.33 | - | 22,246.62 | - | 22,246.62 | 91,396.37 | (+)13 |
| | | | | | | 1,84,131.47 | |
| 204- प्रौढ़ शिक्षा | - | - | - | - | - | - | - |
| | | | | | | 127.81 | |

| 16. लघु शीर्षवार तथा उप-शीर्षवार पूँजीगत व्यय का विस्तृत विवरण-(जारी) | | | | | | | |
|--|-----------------------|---|----------------------------|--------------------------------------|------------------|------------------------------|---|
| (बोर्ड ऑफ़े जम्मू एवं कश्मीर संघ राज्य क्षेत्र में अभी तक प्रभाजित किए जाने एवं प्रतिधारित किए जाने वाले 30 अक्टूबर 2019 के अंत तक के व्यय को दर्शाते हैं) | | | | | | | |
| लेखा शीर्ष व्यय की प्रकृति | 2021-22 के दौरान व्यय | जम्मू एवं कश्मीर संघ राज्य क्षेत्र को आबंटित राशि | वर्ष 2022-23 के दौरान व्यय | | | 31 मार्च 2023 के अंत तक व्यय | वर्ष 2022-23 के दौरान प्रतिशत में वृद्धि(+)/कमी (-) |
| | | | संघ राज्य क्षेत्र का व्यय | केन्द्रीय सहायता (सीएसएस/ सीएस सहित) | कुल | | |
| (रुलाख में) | | | | | | | |
| व्यय शीर्ष- | | | | | | | |
| (पूँजीगत लेखा)-(जारी) | | | | | | | |
| ख- सामाजिक सेवाओं का पूँजीगत लेखा-(जारी) | | | | | | | |
| (क) शिक्षा, खेल, कला एवं संस्कृति का पूँजीगत लेखा-(जारी) | | | | | | | |
| 4202- शिक्षा, खेल, कला एवं संस्कृति का पूँजीगत परिव्यय-(जारी) | | | | | | | |
| 01- सामान्य शिक्षा-(समाप्त) | | | | | | | |
| 600- सामान्य | - | - | - | - | - | - | - |
| | | | | | | 688.69 | |
| 800- अन्य व्यय | 22,261.53 | - | 3,395.88 | 28,171.70 | 31,567.58 | 66,862.30 | (+)42 |
| | | | | | | 1,06,034.49 | |
| कुल-01 | 55,284.79 | - | 48,561.86 | 28,171.70 | 76,733.56 | 2,13,797.56 | (+)39 |
| | | | | | | 6,14,273.25 | |
| 02- तकनीकी शिक्षा- | | | | | | | |
| 103- तकनीकी विद्यालय | - | - | - | - | - | - | - |
| | | | | | | 4,481.94 | |
| 104- पॉलिटेक्निक | 63.20 | - | - | - | - | 63.20 | (-)100 |
| | | | | | | 8,655.62 | |
| 105- अभियांत्रिकी/ तकनीकी महाविद्यालय एवं संस्थान | 1,268.83 | - | 1,243.73 | 6,161.00 | 7,404.73 | 10,353.84 | * |
| | | | | | | 41,647.20 | |
| 800- अन्य व्यय | - | - | - | - | - | - | - |
| | | | | | | 619.15 | |
| कुल-02 | 1,332.03 | - | 1,243.73 | 6,161.00 | 7,404.73 | 10,417.04 | * |
| | | | | | | 55,403.91 | |
| 03- खेल एवं युवा सेवाएं- | | | | | | | |
| 101- युवा छात्रावास | - | - | - | - | - | - | - |
| | | | | | | 1,509.81 | |

16. लघु शीर्षवार तथा उप-शीर्षवार पूँजीगत व्यय का विस्तृत विवरण-(जारी)

| (बोर्ड ऑफ़े जम्मू एवं कश्मीर संघ राज्य क्षेत्र में अभी तक प्रभाजित किए जाने एवं प्रतिधारित किए जाने वाले 30 अक्टूबर 2019 के अंत तक के व्यय को दर्शाते हैं) | | | | | | | |
|--|-----------------------|---|----------------------------|--------------------------------------|--------|------------------------------|---|
| लेखा शीर्ष व्यय की प्रकृति | 2021-22 के दौरान व्यय | जम्मू एवं कश्मीर संघ राज्य क्षेत्र को आबंटित राशि | वर्ष 2022-23 के दौरान व्यय | | | 31 मार्च 2023 के अंत तक व्यय | वर्ष 2022-23 के दौरान प्रतिशत में वृद्धि(+)/कमी (-) |
| | | | संघ राज्य क्षेत्र का व्यय | केन्द्रीय सहायता (सीएसएस/ सीएस सहित) | कुल | | |
| (रुलाख में) | | | | | | | |
| व्यय शीर्ष- | | | | | | | |
| (पूँजीगत लेखा)-(जारी) | | | | | | | |
| ख- सामाजिक सेवाओं का पूँजीगत लेखा-(जारी) | | | | | | | |
| (क) शिक्षा, खेल, कला एवं संस्कृति का पूँजीगत लेखा-(जारी) | | | | | | | |
| 4202- शिक्षा, खेल, कला एवं संस्कृति पर पूँजीगत परिव्यय-(जारी) | | | | | | | |
| <i>03- खेल एवं युवा सेवाएं (सम्पत्त)</i> | | | | | | | |
| 102- खेल स्टेडिया | - | - | - | - | - | - | - |
| 800- अन्य व्यय | - | - | - | - | - | 1,823.48 | - |
| | | | | | | 11,654.40 | |
| <i>कुल-03</i> | - | - | - | - | - | - | - |
| | | | | | | 14,987.69 | |
| <i>04- कला एवं संस्कृति-</i> | | | | | | | |
| 101- ललित कला शिक्षा | 71.80 | - | 37.02 | - | 37.02 | 308.82 | (-)/48 |
| 104- अभिलेखागार | 265.07 | - | 654.85 | - | 654.85 | 1,374.43 | * |
| 105- सार्वजनिक पुस्तकालय | 277.44 | - | 356.96 | - | 356.96 | 585.26 | (+)/29 |
| 106- संग्रहालय | - | - | - | - | - | 175.20 | - |
| 800- अन्य व्यय | - | - | - | - | - | 917.42 | - |
| | | | | | | 1,403.26 | |

| 16. लघु शीर्षवार तथा उप-शीर्षवार पूँजीगत व्यय का विस्तृत विवरण-(जारी) | | | | | | | |
|--|---------------|------------------|----------------------------|------------------|-----------|--------------------|-------------------|
| (बोर्ड ऑफ़े जम्मू एवं कश्मीर संघ राज्य क्षेत्र में अभी तक प्रभाजित किए जाने एवं प्रतिधारित किए जाने वाले 30 अक्टूबर 2019 के अंत तक के व्यय को दर्शाते हैं) | | | | | | | |
| लेखा शीर्ष व्यय की प्रकृति | 2021-22 | जम्मू एवं | वर्ष 2022-23 के दौरान व्यय | | | 31 मार्च 2023 के | वर्ष 2022-23 के |
| | के दौरान व्यय | कश्मीर संघ | संघ राज्य क्षेत्र | केन्द्रीय सहायता | कुल | अंत तक व्यय | दौरान प्रतिशत में |
| | | राज्य क्षेत्र को | का व्यय | (सीएसएस/ सीएस | | | वृद्धि(+)/कमी (-) |
| | | आबंटित राशि | | सहित) | | | |
| | (रलाख में) | | | | | | |
| व्यय शीर्ष- | | | | | | | |
| (पूँजीगत लेखा)-(जारी) | | | | | | | |
| ख- सामाजिक सेवाओं का पूँजीगत लेखा-(जारी) | | | | | | | |
| (क) शिक्षा, खेल, कला एवं संस्कृति का पूँजीगत लेखा-(समाप्त) | | | | | | | |
| 4202- शिक्षा, खेल, कला एवं संस्कृति का पूँजीगत परिव्यय--(समाप्त) | | | | | | | |
| <i>04- कला एवं संस्कृति- (समाप्त)</i> | | | | | | | |
| 911- अधिक भुगतानों पर वसूलियों की कटौती | - | - | - | - | - | - | - |
| | | | | | | (-)4.65 | |
| <i>कुल-04</i> | 614.31 | - | 1,048.83 | - | 1,048.83 | 2,661.32 | (+)71 |
| | | | | | | 13,587.85 | |
| <i>कुल-4202</i> | 57,231.13 | - | 50,854.42 | 34,332.70 | 85,187.12 | 2,26,875.92 | (+)49 |
| | | | | | | 6,98,252.70 | |
| कुल-(क)-शिक्षा, खेल, कला एवं संस्कृति का पूँजीगत लेखा | 57,231.13 | - | 50,854.42 | 34,332.70 | 85,187.12 | 2,26,875.92 | (+)49 |
| | | | | | | 6,98,252.70 | |
| (ख) स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण का पूँजीगत लेखा- | | | | | | | |
| 4210- चिकित्सा एवं जन स्वास्थ्य पर पूँजीगत परिव्यय- | | | | | | | |
| <i>01- शहरी स्वास्थ्य सेवाएं</i> | | | | | | | |
| 109- विद्यालय स्वास्थ्य सेवाएं | - | - | - | - | - | - | - |
| | | | | | | 70.02 | |
| 110- अस्पताल एवं औषधालय | - | - | - | - | - | - | - |
| | | | | | | 11,950.31 | |
| 200- अन्य स्वास्थ्य योजनाएं | - | - | - | - | - | 3,509.80 | - |
| | | | | | | 4,389.42 | |
| 800- अन्य व्यय | 18,146.69 | - | 17,504.09 | - | 17,504.09 | 64,254.66 | (-)04 |
| | | | | | | 3,62,688.22 | |
| <i>कुल-01</i> | 18,146.69 | - | 17,504.09 | - | 17,504.09 | 67,764.46 | (-)04 |
| | | | | | | 3,79,097.97 | |

| 16. लघु शीर्षवार तथा उप-शीर्षवार पूँजीगत व्यय का विस्तृत विवरण-(जारी) | | | | | | | |
|--|---------------|---|----------------------------|--------------------------------------|----------|------------------|-------------------------------------|
| (बोर्ड ऑफ़े जम्मू एवं कश्मीर संघ राज्य क्षेत्र में अभी तक प्रभाजित किए जाने एवं प्रतिधारित किए जाने वाले 30 अक्टूबर 2019 के अंत तक के व्यय को दर्शाते हैं) | | | | | | | |
| लेखा शीर्ष व्यय की प्रकृति | 2021-22 | जम्मू एवं | वर्ष 2022-23 के दौरान व्यय | | | 31 मार्च 2023 के | वर्ष 2022-23 के |
| | के दौरान व्यय | कश्मीर संघ राज्य क्षेत्र को आबंटित राशि | संघ राज्य क्षेत्र का व्यय | केन्द्रीय सहायता (सीएसएस/ सीएस सहित) | कुल | अंत तक व्यय | दौरान प्रतिशत में वृद्धि(+)/कमी (-) |
| (रुलाख में) | | | | | | | |
| व्यय शीर्ष- | | | | | | | |
| (पूँजीगत लेखा)-(जारी) | | | | | | | |
| ख- सामाजिक सेवाओं का पूँजीगत लेखा-(जारी) | | | | | | | |
| (ख) स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण का पूँजीगत लेखा-(जारी) | | | | | | | |
| 4210- चिकित्सा एवं जन स्वास्थ्य पर पूँजीगत परिव्यय-(जारी) | | | | | | | |
| <i>02- ग्रामीण स्वास्थ्य सेवाएं-</i> | | | | | | | |
| 101- स्वास्थ्य उप-केन्द्र | - | - | - | - | - | - | - |
| | | | | | | 747.29 | |
| 102- सहायक स्वास्थ्य केन्द्र | - | - | - | - | - | - | - |
| | | | | | | 80.31 | |
| 103- प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र | 9,141.73 | - | 135.50 | - | 135.50 | 19,023.15 | (-)-99 |
| | | | | | | 32,342.78 | |
| 104- सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र | - | - | - | - | - | - | - |
| | | | | | | 4.37 | |
| 110- अस्पताल एवं औषधालय | - | - | - | - | - | - | - |
| | | | | | | 2,119.50 | |
| 796- जनजातीय क्षेत्र उप योजना | - | - | - | - | - | - | - |
| | | | | | | 0.33 | |
| 800- अन्य व्यय | 6,561.96 | - | 1,725.47 | 4,819.24 | 6,544.71 | 24,710.01 | # |
| | | | | | | 3,834.70 | |
| <i>कुल-02</i> | 15,703.69 | - | 1,860.97 | 4,819.24 | 6,680.21 | 43,733.16 | (-)-57 |
| | | | | | | 39,129.28 | |
| <i>03- चिकित्सा शिक्षा प्रशिक्षण एवं अनुसंधान</i> | | | | | | | |
| 101- आयुर्वेद | - | - | - | - | - | - | - |
| | | | | | | 1.00 | |

(#) विवरण में नगण्य है।

| 16. लघु शीर्षवार तथा उप-शीर्षवार पूँजीगत व्यय का विस्तृत विवरण-(जारी) | | | | | | | |
|---|-----------------------|---|----------------------------|--------------------------------------|------------------|------------------------------|---|
| (बौलड ऑफ़े जम्मू एवं कश्मीर संघ राज्य क्षेत्र में अभी तक प्रभाजित किए जाने एवं प्रतिधारित किए जाने वाले 30 अक्टूबर 2019 के अंत तक के व्यय को दर्शाते हैं) | | | | | | | |
| लेखा शीर्ष व्यय की प्रकृति | 2021-22 के दौरान व्यय | जम्मू एवं कश्मीर संघ राज्य क्षेत्र को आबंटित राशि | वर्ष 2022-23 के दौरान व्यय | | | 31 मार्च 2023 के अंत तक व्यय | वर्ष 2022-23 के दौरान प्रतिशत में वृद्धि(+)/कमी (-) |
| | | | संघ राज्य क्षेत्र का व्यय | केन्द्रीय सहायता (सीएसएस/ सीएस सहित) | कुल | | |
| (रुलाख में) | | | | | | | |
| व्यय शीर्ष- | | | | | | | |
| (पूँजीगत लेखा)-(जारी) | | | | | | | |
| ख- सामाजिक सेवाओं का पूँजीगत लेखा-(जारी) | | | | | | | |
| (ख) स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण का पूँजीगत लेखा-(जारी) | | | | | | | |
| 4210- चिकित्सा एवं जन स्वास्थ्य पर पूँजीगत परिव्यय-(जारी) | | | | | | | |
| 03- चिकित्सा शिक्षा प्रशिक्षण एवं अनुसंधान-(समाप्त) | | | | | | | |
| 105- एलोपैथी | 19,993.53 | - | 3,209.55 | 4,121.52 | 7,331.52 | 56,052.94 | (-) 63 |
| | | | | | | 59,373.40 | |
| 200- अन्य पद्धतियां | 2,930.48 | - | - | 3,622.98 | 3,622.98 | 10,718.16 | (+) 24 |
| | | | | | | 955.62 | |
| कुल-03 | 22,924.01 | - | 3,209.55 | 7,744.95 | 10,954.50 | 66,771.10 | (-)52 |
| | | | | | | 60,330.02 | |
| 04- जन-स्वास्थ्य- | | | | | | | |
| 101- रोगों की रोकथाम एवं नियंत्रण | 5,342.71 | - | - | 1,304.79 | 1,304.79 | 12,851.09 | (-) 76 |
| | | | | | | 3,103.00 | |
| 106- सेरा/ टीका का विनिर्माण | - | - | - | - | - | - | - |
| | | | | | | 70.37 | |
| 107- जन स्वास्थ्य प्रयोगशालाएं | 1,561.45 | - | - | 130.88 | 130.88 | 1,741.81 | (-) 92 |
| | | | | | | 2,317.55 | |
| 112- जन स्वास्थ्य शिक्षा | - | - | - | - | - | - | - |
| | | | | | | 864.53 | |
| 200- अन्य कार्यक्रम | - | - | 1.63 | - | 1.63 | 1.63 | ^ |
| | | | | | | 1,210.29 | |
| कुल-04 | 6,904.16 | - | 1.63 | 1,435.67 | 1,437.30 | 14,594.53 | (-)79 |
| | | | | | | 7,565.74 | |

| 16. लघु शीर्षवार तथा उप-शीर्षवार पूँजीगत व्यय का विस्तृत विवरण-(जारी) | | | | | | | |
|--|-----------------------|---|----------------------------|--------------------------------------|---------------------|------------------------------|---|
| (बौलड ऑफ़ेड जम्मू एवं कश्मीर संघ राज्य क्षेत्र में अभी तक प्रभाजित किए जाने एवं प्रतिधारित किए जाने वाले 30 अक्टूबर 2019 के अंत तक के व्यय को दर्शाते हैं) | | | | | | | |
| लेखा शीर्ष व्यय की प्रकृति | 2021-22 के दौरान व्यय | जम्मू एवं कश्मीर संघ राज्य क्षेत्र को आबंटित राशि | वर्ष 2022-23 के दौरान व्यय | | | 31 मार्च 2023 के अंत तक व्यय | वर्ष 2022-23 के दौरान प्रतिशत में वृद्धि(+)/कमी (-) |
| | | | संघ राज्य क्षेत्र का व्यय | केन्द्रीय सहायता (सीएसएस/ सीएस सहित) | कुल | | |
| (रुलाख में) | | | | | | | |
| व्यय शीर्ष- | | | | | | | |
| (पूँजीगत लेखा)-(जारी) | | | | | | | |
| ख- सामाजिक सेवाओं का पूँजीगत लेखा-(जारी) | | | | | | | |
| (ख) स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण का पूँजीगत लेखा-(समाप्त) | | | | | | | |
| 4210- चिकित्सा एवं जन स्वास्थ्य पर पूँजीगत परिव्यय-(समाप्त) | | | | | | | |
| <i>80- सामान्य-</i> | | | | | | | |
| 800- अन्य व्यय | - | - | - | - | - | - | - |
| | | | | | | 4,498.71 | |
| <i>कुल-80</i> | - | - | - | - | - | - | - |
| | | | | | | 4,498.71 | |
| कुल-4210 | 63,678.55 | - | 22,576.24 | 13,999.86 | 36,576.10 \$ | 1,92,863.25 | (-)-43 |
| | | | | | | 4,90,621.72 | |
| 4211- परिवार कल्याण पर पूँजीगत परिव्यय- | | | | | | | |
| 101- ग्रामीण परिवार कल्याण | - | - | - | - | - | - | - |
| | | | | | | 107.15 | |
| 102- शहरी परिवार कल्याण सेवाएं | - | - | - | - | - | - | - |
| | | | | | | 108.96 | |
| 800- अन्य व्यय | - | - | - | - | - | - | - |
| | | | | | | 580.93 | |
| कुल-4211 | - | - | - | - | - | - | - |
| | | | | | | 797.04 | |
| कुल-(ख)- स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण का पूँजीगत लेखा | 63,678.55 | - | 22,576.24 | 13,999.86 | 36,576.10 | 1,92,863.25 | (-)-43 |
| | | | | | | 4,91,418.76 | |

(\$) सहायता अनुदान पर ₹ 5,650.08 लाख का व्यय सम्मिलित है।

| 16. लघु शीर्षवार तथा उप-शीर्षवार पूँजीगत व्यय का विस्तृत विवरण-(जारी) | | | | | | | |
|--|-----------------------|---|----------------------------|--------------------------------------|-----------|------------------------------|---|
| (बोर्ड ऑफ़े जम्मू एवं कश्मीर संघ राज्य क्षेत्र में अभी तक प्रभाजित किए जाने एवं प्रतिधारित किए जाने वाले 30 अक्टूबर 2019 के अंत तक के व्यय को दर्शाते हैं) | | | | | | | |
| लेखा शीर्ष व्यय की प्रकृति | 2021-22 के दौरान व्यय | जम्मू एवं कश्मीर संघ राज्य क्षेत्र को आबंटित राशि | वर्ष 2022-23 के दौरान व्यय | | | 31 मार्च 2023 के अंत तक व्यय | वर्ष 2022-23 के दौरान प्रतिशत में वृद्धि(+)/कमी (-) |
| | | | संघ राज्य क्षेत्र का व्यय | केन्द्रीय सहायता (सीएसएस/ सीएस सहित) | कुल | | |
| (रुलाख में) | | | | | | | |
| व्यय शीर्ष- | | | | | | | |
| (पूँजीगत लेखा)-(जारी) | | | | | | | |
| ख- सामाजिक सेवाओं का पूँजीगत लेखा-(जारी) | | | | | | | |
| (ग) जलापूर्ति, स्वच्छता, आवास और शहरी विकास का पूँजीगत लेखा- | | | | | | | |
| 4215- जलापूर्ति और स्वच्छता पर पूँजीगत परिव्यय- | | | | | | | |
| <i>01- जलापूर्ति-</i> | | | | | | | |
| 101- शहरी जलापूर्ति- | | | | | | | |
| जलापूर्ति जम्मू शहर | - | - | - | - | - | - | - |
| नलकूप श्रीनगर | - | - | - | - | - | 6,640.30 | - |
| | | | | | | 3,094.16 | - |
| श्रीनगर शहर के जलापूर्ति संवर्धन के लिए मास्टर प्लान | - | - | - | - | - | 5,372.49 | - |
| मास्टर प्लान के अंतर्गत जम्मू शहर की जलापूर्ति में सुधार/ संवर्धन | - | - | - | - | - | 12,357.15 | - |
| निर्माण/ परियोजनाएं जिन पर पिछले पाँच वर्षों के दौरान कोई व्यय नहीं हुआ | - | - | - | - | - | 14,666.59 | - |
| | | | | | | 2,626.98 | - |
| कुल-101 | | | | | | 5,372.49 | - |
| | | | | | | 39,385.18 | - |
| 102- ग्रामीण जलापूर्ति- | | | | | | | |
| कश्मीर मंडल की जलापूर्ति योजनाओं में संवर्धन/ सुधार | 8,606.77 | - | 14,077.65 | - | 14,077.65 | 37,024.86 | (+)64 |
| | | | | | | 1,67,403.05 | |

| 16. लघु शीर्षवार तथा उप-शीर्षवार पूँजीगत व्यय का विस्तृत विवरण-(जारी) | | | | | | | |
|--|---------------|---|----------------------------|--------------------------------------|-----------|--------------------|-------------------------------------|
| (बोर्ड ऑफ़े जम्मू एवं कश्मीर संघ राज्य क्षेत्र में अभी तक प्रभाजित किए जाने एवं प्रतिधारित किए जाने वाले 30 अक्टूबर 2019 के अंत तक के व्यय को दर्शाते हैं) | | | | | | | |
| लेखा शीर्ष व्यय की प्रकृति | 2021-22 | जम्मू एवं | वर्ष 2022-23 के दौरान व्यय | | | 31 मार्च 2023 के | वर्ष 2022-23 के |
| | के दौरान व्यय | कश्मीर संघ राज्य क्षेत्र को आबंटित राशि | संघ राज्य क्षेत्र का व्यय | केन्द्रीय सहायता (सीएसएस/ सीएस सहित) | कुल | अंत तक व्यय | दौरान प्रतिशत में वृद्धि(+)/कमी (-) |
| (रुलाख में) | | | | | | | |
| व्यय शीर्ष- | | | | | | | |
| (पूँजीगत लेखा)-(जारी) | | | | | | | |
| ख- समाज सेवाओं का पूँजीगत लेखा-(जारी) | | | | | | | |
| (ग) जलापूर्ति, स्वच्छता, आवास और शहरी विकास का पूँजीगत लेखा-(जारी) | | | | | | | |
| 4215- जलापूर्ति और स्वच्छता पर पूँजीगत परिव्यय-(जारी) | | | | | | | |
| 01- जलापूर्ति-(जारी) | | | | | | | |
| 102- ग्रामीण जलापूर्ति-(समाप्त) | | | | | | | |
| राष्ट्रीय ग्रामीण पेयजल कार्यक्रम (कश्मीर) | - | - | - | - | - | 11,533.50 | - |
| | | | | | | 24,964.69 | - |
| जम्मू मंडल की शहर जलापूर्ति का सुधार | 8,892.57 | - | 6,799.01 | - | 6,799.01 | 28,928.18 | (-)24 |
| | | | | | | 1,12,989.39 | - |
| राष्ट्रीय ग्रामीण पेयजल कार्यक्रम (जम्मू) | - | - | - | - | - | 23,138.76 | - |
| | | | | | | 29,955.91 | - |
| जलापूर्ति जम्मू कांडी क्षेत्र | - | - | - | - | - | - | - |
| त्वरित जलापूर्ति योजना | - | - | - | - | - | 1,354.70 | - |
| | | | | | | - | - |
| | | | | | | 43,705.76 | - |
| उंचत | - | - | - | - | - | - | - |
| | | | | | | (-)170.34 | - |
| निर्माण/ परियोजनाएं जिन पर पिछले पाँच वर्षों के दौरान कोई व्यय नहीं हुआ | - | - | - | - | - | - | - |
| | | | | | | 3,55,576.29 | - |
| कुल-102 | 17,499.34 | - | 20,876.66 | - | 20,876.66 | 1,00,645.42 | (+)19 |
| | | | | | | 7,35,779.45 | - |

| 16. लघु शीर्षवार तथा उप-शीर्षवार पूँजीगत व्यय का विस्तृत विवरण-(जारी) | | | | | | | |
|--|-----------------------|---|----------------------------|--------------------------------------|------------------|------------------------------|---|
| (बौलड ऑकड़े जम्मू एवं कश्मीर संघ राज्य क्षेत्र में अभी तक प्रभाजित किए जाने एवं प्रतिधारित किए जाने वाले 30 अक्टूबर 2019 के अंत तक के व्यय को दर्शाते हैं) | | | | | | | |
| लेखा शीर्ष व्यय की प्रकृति | 2021-22 के दौरान व्यय | जम्मू एवं कश्मीर संघ राज्य क्षेत्र को आबंटित राशि | वर्ष 2022-23 के दौरान व्यय | | | 31 मार्च 2023 के अंत तक व्यय | वर्ष 2022-23 के दौरान प्रतिशत में वृद्धि(+)/कमी (-) |
| | | | संघ राज्य क्षेत्र का व्यय | केन्द्रीय सहायता (सीएसएस/ सीएस सहित) | कुल | | |
| (रुलाख में) | | | | | | | |
| व्यय शीर्ष- | | | | | | | |
| (पूँजीगत लेखा)-(जारी) | | | | | | | |
| ख- सामाजिक सेवाओं का पूँजीगत लेखा-(जारी) | | | | | | | |
| (ग) जलापूर्ति, स्वच्छता, आवास और शहरी विकास का पूँजीगत लेखा-(जारी) | | | | | | | |
| 4215- जलापूर्ति और स्वच्छता पर पूँजीगत परिव्यय-(समाप्त) | | | | | | | |
| <i>01- जलापूर्ति-(समाप्त)</i> | | | | | | | |
| 800- अन्य व्यय | - | - | - | - | - | - | - |
| | | | | | | 5,380.19 | |
| कुल-01 | 17,499.34 | - | 20,876.66 | - | 20,876.66 | 1,06,017.91 | (+)19 |
| | | | | | | 7,80,544.82 | |
| <i>02- सीवरेज एवं स्वच्छता-</i> | | | | | | | |
| 101- शहरी स्वच्छता सेवाएं | - | - | - | - | - | - | - |
| | | | | | | 785.84 | |
| 102- ग्रामीण स्वच्छता सेवाएं | - | - | - | - | - | - | - |
| | | | | | | 1,212.01 | |
| 106- सीवरेज सेवाएं | - | - | - | - | - | - | - |
| | | | | | | 11,275.22 | |
| 800- अन्य व्यय | - | - | - | - | - | - | - |
| | | | | | | 858.31 | |
| कुल-02 | - | - | - | - | - | - | - |
| | | | | | | 14,131.38 | |
| कुल-4215 | 17,499.34 | - | 20,876.66 | - | 20,876.66 | 1,06,017.91 | (+)19 |
| | | | | | | 7,94,676.20 | |

| 16. लघु शीर्षवार तथा उप-शीर्षवार पूँजीगत व्यय का विस्तृत विवरण-(जारी) | | | | | | | |
|--|-----------------------|---|----------------------------|--------------------------------------|---------------|------------------------------|---|
| (बोर्ड ऑफ़े जम्मू एवं कश्मीर संघ राज्य क्षेत्र में अभी तक प्रभाजित किए जाने एवं प्रतिधारित किए जाने वाले 30 अक्टूबर 2019 के अंत तक के व्यय को दर्शाते हैं) | | | | | | | |
| लेखा शीर्ष व्यय की प्रकृति | 2021-22 के दौरान व्यय | जम्मू एवं कश्मीर संघ राज्य क्षेत्र को आबंटित राशि | वर्ष 2022-23 के दौरान व्यय | | | 31 मार्च 2023 के अंत तक व्यय | वर्ष 2022-23 के दौरान प्रतिशत में वृद्धि(+)/कमी (-) |
| | | | संघ राज्य क्षेत्र का व्यय | केन्द्रीय सहायता (सीएसएस/ सीएस सहित) | कुल | | |
| (रुलाख में) | | | | | | | |
| व्यय शीर्ष- | | | | | | | |
| (पूँजीगत लेखा)-(जारी) | | | | | | | |
| ख- सामाजिक सेवाओं का पूँजीगत लेखा-(जारी) | | | | | | | |
| (ग) जलापूर्ति, स्वच्छता, आवास और शहरी विकास का पूँजीगत लेखा-(जारी) | | | | | | | |
| 4216- आवास पर पूँजीगत परिव्यय- | | | | | | | |
| 01- सरकारी आवासीय भवन- | | | | | | | |
| 106- सामान्य पूल आवास | - | - | - | - | - | - | - |
| | | | | | | 6,731.80 | |
| 700- अन्य आवास | 60.38 | - | 115.62 | - | 115.62 | 376.00 | (+)91 |
| | | | | | | 21,171.12 | |
| 800- अन्य व्यय | - | - | - | - | - | - | - |
| | | | | | | 126.29 | |
| कुल-01 | 60.38 | - | 115.62 | - | 115.62 | 376.00 | (+)91 |
| | | | | | | 28,029.21 | |
| 02- शहरी आवास | | | | | | | |
| 800- अन्य व्यय | - | - | - | - | - | - | - |
| | | | | | | 8,030.59 | |
| कुल-02 | - | - | - | - | - | - | - |
| | | | | | | 8,030.59 | |
| 03- ग्रामीण आवास | | | | | | | |
| 800- अन्य व्यय | - | - | - | - | - | - | - |
| | | | | | | 4.60 | |
| कुल-03 | - | - | - | - | - | - | - |
| | | | | | | 4.60 | |

| 16. लघु शीर्षवार तथा उप-शीर्षवार पूँजीगत व्यय का विस्तृत विवरण-(जारी) | | | | | | | |
|--|-----------------------|---|----------------------------|--------------------------------------|---------------|------------------------------|---|
| (बोर्ड ऑफ़े जम्मू एवं कश्मीर संघ राज्य क्षेत्र में अभी तक प्रभाजित किए जाने एवं प्रतिधारित किए जाने वाले 30 अक्टूबर 2019 के अंत तक के व्यय को दर्शाते हैं) | | | | | | | |
| लेखा शीर्ष व्यय की प्रकृति | 2021-22 के दौरान व्यय | जम्मू एवं कश्मीर संघ राज्य क्षेत्र को आबंटित राशि | वर्ष 2022-23 के दौरान व्यय | | | 31 मार्च 2023 के अंत तक व्यय | वर्ष 2022-23 के दौरान प्रतिशत में वृद्धि(+)/कमी (-) |
| | | | संघ राज्य क्षेत्र का व्यय | केन्द्रीय सहायता (सीएसएस/ सीएस सहित) | कुल | | |
| (रुलाख में) | | | | | | | |
| व्यय शीर्ष- | | | | | | | |
| (पूँजीगत लेखा)-(जारी) | | | | | | | |
| ख- सामाजिक सेवाओं का पूँजीगत लेखा-(जारी) | | | | | | | |
| (ग) जलापूर्ति, स्वच्छता, आवास और शहरी विकास का पूँजीगत लेखा- (जारी) | | | | | | | |
| 4216- आवास पर पूँजीगत परिव्यय-(समाप्त) | | | | | | | |
| <i>80- सामान्य-</i> | | | | | | | |
| 001- निदेशन एवं प्रशासन | - | - | - | - | - | - | - |
| | | | | | | 188.72 | |
| 191- आवासीय निगमों में निवेश | - | - | - | - | - | - | - |
| | | | | | | 3.00 | |
| 201- आवासीय बोर्डों में निवेश | - | - | - | - | - | - | - |
| | | | | | | 149.75 | |
| 800- अन्य व्यय | 20,882.63 | - | 22.55 | 632.60 | 655.15 | 21,892.64 | (-)97 |
| | | | | | | 1,001.23 | |
| कुल-80 | 20,882.63 | - | 22.55 | 632.60 | 655.15 | 21,892.64 | (-)97 |
| | | | | | | 1,342.70 | |
| कुल-4216 | 20,943.01 | - | 138.17 | 632.60 | 770.77 | 22,268.64 | (-)96 |
| | | | | | | 37,407.10 | |
| 4217- शहरी विकास पर पूँजीगत परिव्यय- | | | | | | | |
| <i>01- राज्य पूँजीगत विकास-</i> | | | | | | | |
| 001- निदेशन एवं प्रशासन | - | - | - | - | - | - | - |
| | | | | | | 18.05 | |
| 050- भूमि | - | - | - | - | - | - | - |
| | | | | | | 1.21 | |

| 16. लघु शीर्षवार तथा उप-शीर्षवार पूँजीगत व्यय का विस्तृत विवरण-(जारी) | | | | | | | |
|--|-----------------------|---|----------------------------|--------------------------------------|-----------|------------------------------|---|
| (बोर्ड ऑफ़े जम्मू एवं कश्मीर संघ राज्य क्षेत्र में अभी तक प्रभाजित किए जाने एवं प्रतिधारित किए जाने वाले 30 अक्टूबर 2019 के अंत तक के व्यय को दर्शाते हैं) | | | | | | | |
| लेखा शीर्ष व्यय की प्रकृति | 2021-22 के दौरान व्यय | जम्मू एवं कश्मीर संघ राज्य क्षेत्र को आबंटित राशि | वर्ष 2022-23 के दौरान व्यय | | | 31 मार्च 2023 के अंत तक व्यय | वर्ष 2022-23 के दौरान प्रतिशत में वृद्धि(+)/कमी (-) |
| | | | संघ राज्य क्षेत्र का व्यय | केन्द्रीय सहायता (सीएसएस/ सीएस सहित) | कुल | | |
| (रुलाख में) | | | | | | | |
| व्यय शीर्ष- | | | | | | | |
| (पूँजीगत लेखा)-(जारी) | | | | | | | |
| ख- सामाजिक सेवाओं का पूँजीगत लेखा-(जारी) | | | | | | | |
| (ग) जलापूर्ति, स्वच्छता, आवास और शहरी विकास का पूँजीगत लेखा-(जारी) | | | | | | | |
| 4217- शहरी विकास पर पूँजीगत परिव्यय-(जारी) | | | | | | | |
| <i>01- राज्य पूँजीगत विकास-(समाप्त)</i> | | | | | | | |
| 051- निर्माण | - | - | - | - | - | 600.00 | - |
| | | | | | | 42.12 | |
| 052- मशीनरी एवं उपकरण | - | - | - | - | - | - | - |
| | | | | | | 137.51 | |
| 191- स्थानीय निकाय निगमों, शहरी विकास प्रधिकरणों, नगर सुधार बोर्डों इत्यादि को सहायता | - | - | - | - | - | - | - |
| | | | | | | 807.04 | |
| 800- अन्य व्यय | - | - | - | - | - | - | - |
| | | | | | | 73.76 | |
| <i>कुल-01</i> | - | - | - | - | - | 600.00 | - |
| | | | | | | 1,079.69 | |
| <i>03- छोटे एवं मध्यम शहरों का एकीकृत विकास-</i> | | | | | | | |
| 051- निर्माण | 21,406.83 | - | 13,452.12 | 2,466.50 | 15,918.62 | 89,792.56 | (-) ²⁶ |
| | | | | | | 52,833.39 | |
| 191- स्थानीय निकाय निगमों, शहरी विकास प्रधिकरण नगर सुधार बोर्डों इत्यादि को सहायता | 3,349.10 | - | 10,674.00 | - | 10,674.00 | 14,023.10 | * |
| | | | | | | 5,567.34 | |
| 800- अन्य व्यय | 19,100.90 | - | 28,785.72 | 13,698.00 | 42,483.72 | 96,840.16 | * |
| | | | | | | 4,38,159.98 | |
| <i>कुल-03</i> | 43,856.83 | - | 52,911.84 | 16,164.50 | 69,076.34 | 2,00,655.82 | (+) ⁵⁸ |
| | | | | | | 4,96,560.71 | |

| 16. लघु शीर्षवार तथा उप-शीर्षवार पूँजीगत व्यय का विस्तृत विवरण-(जारी) | | | | | | | |
|--|-----------------------|---|----------------------------|--------------------------------------|----------|------------------------------|---|
| (बौलड ऑकड़े जम्मू एवं कश्मीर संघ राज्य क्षेत्र में अभी तक प्रभाजित किए जाने एवं प्रतिधारित किए जाने वाले 30 अक्टूबर 2019 के अंत तक के व्यय को दर्शाते हैं) | | | | | | | |
| लेखा शीर्ष व्यय की प्रकृति | 2021-22 के दौरान व्यय | जम्मू एवं कश्मीर संघ राज्य क्षेत्र को आबंटित राशि | वर्ष 2022-23 के दौरान व्यय | | | 31 मार्च 2023 के अंत तक व्यय | वर्ष 2022-23 के दौरान प्रतिशत में वृद्धि(+)/कमी (-) |
| | | | संघ राज्य क्षेत्र का व्यय | केन्द्रीय सहायता (सीएसएस/ सीएस सहित) | कुल | | |
| (रुलाख में) | | | | | | | |
| व्यय शीर्ष- | | | | | | | |
| (पूँजीगत लेखा)-(जारी) | | | | | | | |
| ख- सामाजिक सेवाओं का पूँजीगत लेखा-(जारी) | | | | | | | |
| (ग) जलापूर्ति, स्वच्छता, आवास और शहरी विकास का पूँजीगत लेखा- (जारी) | | | | | | | |
| 4217- शहरी विकास पर पूँजीगत परिव्यय-(जारी) | | | | | | | |
| <i>04- झुगगीबस्ती क्षेत्र सुधार-</i> | | | | | | | |
| 050- भूमि | - | - | - | - | - | - | - |
| | | | | | | 0.50 | |
| 051- निर्माण | - | - | - | - | - | - | - |
| | | | | | | 36.17 | |
| 800- अन्य व्यय | - | - | - | - | - | - | - |
| | | | | | | 61.72 | |
| <i>कुल-04</i> | - | - | - | - | - | - | - |
| | | | | | | 98.39 | |
| <i>60- अन्य शहरी विकास योजनाएं-</i> | | | | | | | |
| 001- निदेशन एवं प्रशासन | - | - | - | - | - | - | - |
| | | | | | | 123.60 | |
| 051- निर्माण | 1,241.18 | - | 6,365.72 | - | 6,365.72 | 7,606.90 | * |
| | | | | | | 746.89 | |
| 052- मशीनरी एवं उपकरण | - | - | - | - | - | - | - |
| | | | | | | 880.28 | |
| 190- सार्वजनिक क्षेत्रों एवं अन्य उपक्रमों में निवेश | - | - | 1,849.18 | - | 1,849.18 | 1,849.18 | ^ |
| <i>कुल-60</i> | 1,241.18 | - | 8,214.90 | - | 8,214.90 | 9,456.08 | * |
| | | | | | | 1,750.77 | |

| 16. लघु शीर्षवार तथा उप-शीर्षवार पूँजीगत व्यय का विस्तृत विवरण-(जारी) | | | | | | | | |
|--|---|---|----------------------------|--------------------------------------|-----------|------------------------------|---|-------|
| (बोर्ड ऑफ़े जम्मू एवं कश्मीर संघ राज्य क्षेत्र में अभी तक प्रभाजित किए जाने एवं प्रतिधारित किए जाने वाले 30 अक्टूबर 2019 के अंत तक के व्यय को दर्शाते हैं) | | | | | | | | |
| लेखा शीर्ष व्यय की प्रकृति | 2021-22 के दौरान व्यय | जम्मू एवं कश्मीर संघ राज्य क्षेत्र को आबंटित राशि | वर्ष 2022-23 के दौरान व्यय | | | 31 मार्च 2023 के अंत तक व्यय | वर्ष 2022-23 के दौरान प्रतिशत में वृद्धि(+)/कमी (-) | |
| | | | संघ राज्य क्षेत्र का व्यय | केन्द्रीय सहायता (सीएसएस/ सीएस सहित) | कुल | | | |
| (रुलाख में) | | | | | | | | |
| व्यय शीर्ष- | | | | | | | | |
| (पूँजीगत लेखा)-(जारी) | | | | | | | | |
| ख- सामाजिक सेवाओं का पूँजीगत लेखा-(जारी) | | | | | | | | |
| जलापूर्ति, स्वच्छता, आवास और शहरी विकास का पूँजीगत लेखा- | | | | | | | | |
| (ग) | | | | | | | | |
| (समाप्त) | | | | | | | | |
| 4217- शहरी विकास पर पूँजीगत परिव्यय-(समाप्त) | | | | | | | | |
| | कुल-4217 | 45,098.01 | - | 61,126.74 | 16,164.50 | 77,291.24 | 2,10,711.90 | (+)71 |
| | | | | | | | 4,99,489.56 | |
| | कुल-(ग)-जलापूर्ति, स्वच्छता, आवास और शहरी विकास का पूँजीगत लेखा | 83,540.36 | - | 82,141.57 | 16,797.10 | 98,938.67 | 3,38,998.45 | (+)18 |
| | | | | | | | 13,31,572.86 | |
| (घ) सूचना एवं प्रसारण पर पूँजीगत परिव्यय- | | | | | | | | |
| 4220- सूचना एवं प्रचार पर पूँजीगत परिव्यय- | | | | | | | | |
| 60- अन्य- | | | | | | | | |
| 800- अन्य व्यय | | 21.89 | - | 3.67 | - | 3.67 | 104.39 | (-)83 |
| | | | | | | | 3,349.14 | |
| | कुल-60 | 21.89 | - | | | | 104.39 | (-)83 |
| | | | | | | | 3,349.14 | |
| | कुल-4220 | 21.89 | - | 3.67 | - | 3.67 | 104.39 | (-)83 |
| | | | | | | | 3,349.14 | |
| | कुल-(घ)- सूचना एवं प्रसारण का पूँजीगत लेखा | 21.89 | - | 3.67 | - | 3.67 | 104.39 | (-)83 |
| | | | | | | | 3,349.14 | |

| 16. लघु शीर्षवार तथा उप-शीर्षवार पूँजीगत व्यय का विस्तृत विवरण-(जारी) | | | | | | | |
|---|-----------------------|--|----------------------------|--------------------------------------|-----------------|------------------------------|---|
| (बोर्ड ऑफ़ डे जन्म एवं कश्मीर संघ राज्य क्षेत्र में अभी तक प्रभाजित किए जाने एवं प्रतिधारित किए जाने वाले 30 अक्टूबर 2019 के अंत तक के व्यय को दर्शाते हैं) | | | | | | | |
| लेखा शीर्ष व्यय की प्रकृति | 2021-22 के दौरान व्यय | जन्म एवं कश्मीर संघ राज्य क्षेत्र को आबंटित राशि | वर्ष 2022-23 के दौरान व्यय | | | 31 मार्च 2023 के अंत तक व्यय | वर्ष 2022-23 के दौरान प्रतिशत में वृद्धि(+)/कमी (-) |
| | | | संघ राज्य क्षेत्र का व्यय | केन्द्रीय सहायता (सीएसएस/ सीएस सहित) | कुल | | |
| (रुलाख में) | | | | | | | |
| व्यय शीर्ष- | | | | | | | |
| (पूँजीगत लेखा)-(जारी) | | | | | | | |
| ख समाज सेवाओं का पूँजीगत लेखा-(जारी) | | | | | | | |
| (ड) अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों एवं अन्य पिछड़े वर्ग के कल्याण का पूँजीगत लेखा- | | | | | | | |
| 4225- अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों एवं अन्य पिछड़े वर्ग एवं अल्पसंख्यकों कल्याण पर पूँजीगत परिव्यय- | | | | | | | |
| <i>01- अनुसूचित जातियों का कल्याण-</i> | | | | | | | |
| 102- आर्थिक विकास | 900.83 | - | - | - | - | 934.36 | (-)100 |
| | | | | | | 77.55 | |
| 283- आवास | - | - | - | 40.63 | 40.63 | 40.63 | ^ |
| 793- अनुसूचित जाति घटक योजना हेतु विशेष केन्द्रीय सहायता | - | - | - | - | - | - | - |
| | | | | | | 58.56 | |
| 800- अन्य व्यय | 611.32 | - | - | 1,781.26 | 1,781.26 | 2,765.94 | * |
| | | | | | | 313.34 | |
| <i>कुल-01</i> | 1,512.15 | - | - | 1,821.89 | 1,821.89 | 3,740.93 | (+)20 |
| | | | | | | 449.45 | |
| <i>02- अनुसूचित जनजातियों का कल्याण-</i> | | | | | | | |
| 102- आर्थिक विकास | - | - | - | - | - | - | - |
| | | | | | | 1.54 | |
| 277- शिक्षा | - | - | - | - | - | - | - |
| | | | | | | 61.83 | |
| 283- आवास | - | - | - | - | - | - | - |
| | | | | | | 7.53 | |

| 16. लघु शीर्षवार तथा उप-शीर्षवार पूँजीगत व्यय का विस्तृत विवरण-(जारी) | | | | | | | |
|--|-----------------------|---|----------------------------|--------------------------------------|-----------------|------------------------------|---|
| (बोर्ड ऑफ़े जम्मू एवं कश्मीर संघ राज्य क्षेत्र में अभी तक प्रभाजित किए जाने एवं प्रतिधारित किए जाने वाले 30 अक्टूबर 2019 के अंत तक के व्यय को दर्शाते हैं) | | | | | | | |
| लेखा शीर्ष व्यय की प्रकृति | 2021-22 के दौरान व्यय | जम्मू एवं कश्मीर संघ राज्य क्षेत्र को आबंटित राशि | वर्ष 2022-23 के दौरान व्यय | | | 31 मार्च 2023 के अंत तक व्यय | वर्ष 2022-23 के दौरान प्रतिशत में वृद्धि(+)/कमी (-) |
| | | | संघ राज्य क्षेत्र का व्यय | केन्द्रीय सहायता (सीएसएस/ सीएस सहित) | कुल | | |
| (रुलाख में) | | | | | | | |
| व्यय शीर्ष- | | | | | | | |
| (पूँजीगत लेखा)-(जारी) | | | | | | | |
| ख सामाजिक सेवाओं का पूँजीगत लेखा-(जारी) | | | | | | | |
| (ड) अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों एवं अन्य पिछड़े वर्ग के कल्याण का पूँजीगत लेखा-(जारी) | | | | | | | |
| 4225- अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों एवं अन्य पिछड़े वर्ग एवं अल्पसंख्यकों कल्याण पर पूँजीगत परिव्यय-(जारी) | | | | | | | |
| <i>02- अनुसूचित जनजातियों का कल्याण-(समाप्त)</i> | | | | | | | |
| 794- जनजातीय उप योजना के लिए विशेष केन्द्रीय सहायता | - | - | - | - | - | - | - |
| | | | | | | 121.21 | |
| 800- अन्य व्यय | 11,022.57 | - | 4,318.95 | 3,951.32 | 8,270.27 | 23,650.90 | (-) ²⁵ |
| | | | | | | 27,509.54 | |
| <i>कुल-02</i> | <u>11,022.57</u> | <u>-</u> | <u>4,318.95</u> | <u>3,951.32</u> | <u>8,270.27</u> | <u>23,650.90</u> | <u>(-)²⁵</u> |
| | | | | | | 27,701.65 | |
| <i>03- पिछड़े वर्ग का कल्याण-</i> | | | | | | | |
| 102- आर्थिक विकास | - | - | - | - | - | - | - |
| | | | | | | 309.95 | |
| 283- आवास | - | - | - | - | - | - | - |
| | | | | | | 3.00 | |
| 800- अन्य व्यय | - | - | - | - | - | - | - |
| | | | | | | 367.76 | |
| <i>कुल-03</i> | <u>-</u> | <u>-</u> | <u>-</u> | <u>-</u> | <u>-</u> | <u>-</u> | <u>-</u> |
| | | | | | | 680.71 | |

| 16. लघु शीर्षवार तथा उप-शीर्षवार पूँजीगत व्यय का विस्तृत विवरण-(जारी) | | | | | | | |
|--|---------------|---|----------------------------|--------------------------------------|-----------|------------------|-------------------------------------|
| (बोर्ड ऑफ़े जम्मू एवं कश्मीर संघ राज्य क्षेत्र में अभी तक प्रभाजित किए जाने एवं प्रतिधारित किए जाने वाले 30 अक्टूबर 2019 के अंत तक के व्यय को दर्शाते हैं) | | | | | | | |
| लेखा शीर्ष व्यय की प्रकृति | 2021-22 | जम्मू एवं | वर्ष 2022-23 के दौरान व्यय | | | 31 मार्च 2023 के | वर्ष 2022-23 के |
| | के दौरान व्यय | कश्मीर संघ राज्य क्षेत्र को आबंटित राशि | संघ राज्य क्षेत्र का व्यय | केन्द्रीय सहायता (सीएसएस/ सीएस सहित) | कुल | अंत तक व्यय | दौरान प्रतिशत में वृद्धि(+)/कमी (-) |
| (रुलाख में) | | | | | | | |
| व्यय शीर्ष- | | | | | | | |
| (पूँजीगत लेखा)-(जारी) | | | | | | | |
| ख सामाजिक सेवाओं का पूँजीगत लेखा-(जारी) | | | | | | | |
| (ड) अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों एवं अन्य पिछड़े वर्ग के कल्याण का पूँजीगत लेखा-(समाप्त) | | | | | | | |
| 4225- अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों एवं अन्य पिछड़े वर्ग एवं अल्पसंख्यकों कल्याण पर पूँजीगत परिव्यय-(समाप्त) | | | | | | | |
| 80- सामान्य- | | | | | | | |
| 190- सार्वजनिक क्षेत्र एवं अन्य उपक्रमों में निवेश- | | | | | | | |
| (i)- जम्मू एवं कश्मीर अनुसूचित जाति/ अनुसूचित जनजाति एवं पिछड़े वर्गों के विकास निगमों में निवेश | - | - | - | - | - | - | - |
| | | | | | | 510.00 | |
| 796- जनजातीय क्षेत्र उप-योजना | - | - | - | - | - | - | - |
| | | | | | | 92.62 | |
| 800- अन्य व्यय | - | - | - | - | - | - | - |
| | | | | | | 1,103.49 | |
| कुल-80 | - | - | - | - | - | - | - |
| | | | | | | 1,706.11 | |
| कुल-4225 | 12,534.72 | - | 4,318.95 | 5,773.21 | 10,092.16 | 27,391.83 | (-)19 |
| | | | | | | 30,537.92 | |
| कुल-(ड) अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों, अन्य पिछड़े वर्गों के कल्याण का पूँजीगत लेखा | 12,534.72 | - | 4,318.95 | 5,773.21 | 10,092.16 | 27,391.83 | (-)19 |
| | | | | | | 30,537.92 | |

| 16. लघु शीर्षवार तथा उप-शीर्षवार पूँजीगत व्यय का विस्तृत विवरण-(जारी) | | | | | | | |
|--|-----------------------|---|----------------------------|--------------------------------------|------------------|------------------------------|---|
| (बोर्ड ऑफ़े जम्मू एवं कश्मीर संघ राज्य क्षेत्र में अभी तक प्रभाजित किए जाने एवं प्रतिधारित किए जाने वाले 30 अक्टूबर 2019 के अंत तक के व्यय को दर्शाते हैं) | | | | | | | |
| लेखा शीर्ष व्यय की प्रकृति | 2021-22 के दौरान व्यय | जम्मू एवं कश्मीर संघ राज्य क्षेत्र को आबंटित राशि | वर्ष 2022-23 के दौरान व्यय | | | 31 मार्च 2023 के अंत तक व्यय | वर्ष 2022-23 के दौरान प्रतिशत में वृद्धि(+)/कमी (-) |
| | | | संघ राज्य क्षेत्र का व्यय | केन्द्रीय सहायता (सीएसएस/ सीएस सहित) | कुल | | |
| (रुलाख में) | | | | | | | |
| व्यय शीर्ष- | | | | | | | |
| (पूँजीगत लेखा)-(जारी) | | | | | | | |
| ख सामाजिक सेवाओं का पूँजीगत लेखा-(जारी) | | | | | | | |
| (ख) सामाजिक कल्याण एवं पोषण का पूँजीगत लेखा- | | | | | | | |
| 4235- सामाजिक सुरक्षा एवं कल्याण पर पूँजीगत परिव्यय- | | | | | | | |
| <i>01- पुनर्वास-</i> | | | | | | | |
| 201- अन्य पुनर्वास योजनाएं | 48,917.29 | - | 34,143.90 | - | 34,143.90 | 1,32,416.91 | (-)-30 |
| 800- अन्य व्यय | - | - | - | - | - | - | - |
| | | | | | | 0.82 | |
| <i>कुल-01</i> | <u>48,917.29</u> | <u>-</u> | <u>34,143.90</u> | <u>-</u> | <u>34,143.90</u> | <u>1,32,416.91</u> | <u>(-)-30</u> |
| | | | | | | 1,57,101.36 | |
| <i>02- सामाजिक कल्याण-</i> | | | | | | | |
| 101- दिव्यांगों का कल्याण | 239.79 | - | 300.00 | 332.26 | 632.26 | 877.29 | * |
| | | | | | | 36.33 | |
| 102- बाल कल्याण- | | | | | | | |
| सकल व्यय | 357.26 | - | - | 17.49 | 17.49 | 395.95 | (-)-95 |
| कटीती प्राप्तियाँ एवं वसूलियाँ | - | - | - | - | - | - | - |
| निवल व्यय | <u>357.26</u> | <u>-</u> | <u>-</u> | <u>17.49</u> | <u>17.49</u> | <u>395.95</u> | <u>(-)-95</u> |
| | | | | | | 57,056.41 | |
| 103- महिला कल्याण | - | - | - | - | - | - | - |
| | | | | | | 255.93 | |
| 104- वृद्ध, अशक्त एवं निराश्रितों का कल्याण | - | - | - | - | - | - | - |
| | | | | | | 224.53 | |

| 16. लघु शीर्षवार तथा उप-शीर्षवार पूँजीगत व्यय का विस्तृत विवरण-(जारी) | | | | | | | |
|--|-----------------------|---|----------------------------|--------------------------------------|--------|------------------------------|---|
| (बोर्ड ऑफ़े जम्मू एवं कश्मीर संघ राज्य क्षेत्र में अभी तक प्रभाजित किए जाने एवं प्रतिधारित किए जाने वाले 30 अक्टूबर 2019 के अंत तक के व्यय को दर्शाते हैं) | | | | | | | |
| लेखा शीर्ष व्यय की प्रकृति | 2021-22 के दौरान व्यय | जम्मू एवं कश्मीर संघ राज्य क्षेत्र को आबंटित राशि | वर्ष 2022-23 के दौरान व्यय | | | 31 मार्च 2023 के अंत तक व्यय | वर्ष 2022-23 के दौरान प्रतिशत में वृद्धि(+)/कमी (-) |
| | | | संघ राज्य क्षेत्र का व्यय | केन्द्रीय सहायता (सीएसएस/ सीएस सहित) | कुल | | |
| (रुलाख में) | | | | | | | |
| व्यय शीर्ष- | | | | | | | |
| (पूँजीगत लेखा)-(जारी) | | | | | | | |
| ख सामाजिक सेवाओं का पूँजीगत लेखा-(जारी) | | | | | | | |
| (ख) सामाजिक कल्याण एवं पोषण का पूँजीगत लेखा-(जारी) | | | | | | | |
| 4235- सामाजिक सुरक्षा एवं कल्याण पर पूँजीगत परिव्यय-(जारी) | | | | | | | |
| 02- सामाजिक कल्याण-(समाप्त) | | | | | | | |
| 190- सार्वजनिक क्षेत्र एवं अन्य उपक्रमों में निवेश- | | | | | | | |
| (i)- जम्मू एवं कश्मीर की अनुसूचित जाति/ अनुसूचित जनजाति एवं पिछड़े वर्गों के विकास निगम में निवेश | | | | | | | |
| | - | - | - | - | - | - | - |
| | | | | | | 779.81 | |
| (ii)- जम्मू एवं कश्मीर महिला विकास निगम लिमिटेड में निवेश | 220.73 | - | 222.23 | - | 222.23 | 787.87 | (-)01 |
| | | | | | | 1,826.63 | |
| कुल-190 | 220.73 | - | 222.23 | - | 222.23 | 787.87 | (-)01 |
| | | | | | | 2,606.44 | |
| 796- जनजातीय क्षेत्र उप योजना | - | - | - | - | - | - | - |
| | | | | | | 66.44 | |
| 800- अन्य व्यय | - | - | - | - | - | - | - |
| | | | | | | 2,097.15 | |
| कुल-02 | 817.78 | - | 222.23 | 349.75 | 517.98 | 2,061.11 | (+)07 |
| | | | | | | 62,343.23 | |
| 60- अन्य सामाजिक सुरक्षा एवं कल्याण कार्यक्रम- | | | | | | | |
| 800- अन्य व्यय | | | | | | | |
| चीनी- | | | | | | | |
| सकल व्यय | | | | | | | |
| | - | - | - | - | - | 3,580.06 | - |
| | | | | | | 1,62,793.53 | |

| 16. लघु शीर्षवार तथा उप-शीर्षवार पूँजीगत व्यय का विस्तृत विवरण-(जारी) | | | | | | | |
|--|---------------|---|----------------------------|--------------------------------------|-----|------------------|-------------------------------------|
| (बोर्ड ऑफ़े जम्मू एवं कश्मीर संघ राज्य क्षेत्र में अभी तक प्रभाजित किए जाने एवं प्रतिधारित किए जाने वाले 30 अक्टूबर 2019 के अंत तक के व्यय को दर्शाते हैं) | | | | | | | |
| लेखा शीर्ष व्यय की प्रकृति | 2021-22 | जम्मू एवं | वर्ष 2022-23 के दौरान व्यय | | | 31 मार्च 2023 के | वर्ष 2022-23 के |
| | के दौरान व्यय | कश्मीर संघ राज्य क्षेत्र को आबंटित राशि | संघ राज्य क्षेत्र का व्यय | केन्द्रीय सहायता (सीएसएस/ सीएस सहित) | कुल | अंत तक व्यय | दौरान प्रतिशत में वृद्धि(+)/कमी (-) |
| (रलाख में) | | | | | | | |
| व्यय शीर्ष- | | | | | | | |
| (पूँजीगत लेखा)-(जारी) | | | | | | | |
| ख सामाजिक सेवाओं का पूँजीगत लेखा-(जारी) | | | | | | | |
| (ख) सामाजिक कल्याण एवं पोषण का पूँजीगत लेखा-(जारी) | | | | | | | |
| 4235- सामाजिक सुरक्षा एवं कल्याण पर पूँजीगत परिव्यय-(जारी) | | | | | | | |
| 60- अन्य सामाजिक सुरक्षा एवं कल्याण कार्यक्रम-(जारी) | | | | | | | |
| 800- अन्य व्यय- | | | | | | | |
| चीनी- | | | | | | | |
| कटौती, प्राप्तियाँ एवं वसूलियाँ | - | - | - | - | - | - | - |
| | | | | | | (-)1,27,548.24 | |
| निवल व्यय | - | - | - | - | - | 3,580.06 | - |
| | | | | | | 35,245.29 | |
| मिठ्टी का तेल- | | | | | | | |
| सकल व्यय | - | - | - | - | - | - | - |
| | | | | | | 8,564.23 | |
| कटौती, प्राप्तियाँ एवं वसूलियाँ | - | - | - | - | - | - | - |
| | | | | | | (-)9,474.71 | |
| निवल व्यय | - | - | - | - | - | - | - |
| | | | | | | (-)910.48 | |
| हाई कोक - | | | | | | | |
| सकल व्यय | - | - | - | - | - | - | - |
| | | | | | | 820.43 | |
| कटौती-प्राप्तियाँ एवं वसूलियाँ | - | - | - | - | - | - | - |
| | | | | | | (-)714.31 | |
| निवल व्यय | - | - | - | - | - | - | - |
| | | | | | | 106.12 | |

| 16. लघु शीर्षवार तथा उप-शीर्षवार पूँजीगत व्यय का विस्तृत विवरण-(जारी) | | | | | | | |
|--|-----------------------|---|----------------------------|--------------------------------------|-----------|------------------------------|---|
| (बोर्ड ऑफ़े जम्मू एवं कश्मीर संघ राज्य क्षेत्र में अभी तक प्रभाजित किए जाने एवं प्रतिधारित किए जाने वाले 30 अक्टूबर 2019 के अंत तक के व्यय को दर्शाते हैं) | | | | | | | |
| लेखा शीर्ष व्यय की प्रकृति | 2021-22 के दौरान व्यय | जम्मू एवं कश्मीर संघ राज्य क्षेत्र को आबंटित राशि | वर्ष 2022-23 के दौरान व्यय | | | 31 मार्च 2023 के अंत तक व्यय | वर्ष 2022-23 के दौरान प्रतिशत में वृद्धि(+)/कमी (-) |
| | | | संघ राज्य क्षेत्र का व्यय | केन्द्रीय सहायता (सीएसएस/ सीएस सहित) | कुल | | |
| (रुलाख में) | | | | | | | |
| व्यय शीर्ष- | | | | | | | |
| (पूँजीगत लेखा)-(जारी) | | | | | | | |
| ख सामाजिक सेवाओं का पूँजीगत लेखा-(जारी) | | | | | | | |
| (ख) सामाजिक कल्याण एवं पोषण का पूँजीगत लेखा-(जारी) | | | | | | | |
| 4235- सामाजिक सुरक्षा एवं कल्याण पर पूँजीगत परिव्यय-(समाप्त) | | | | | | | |
| <i>60- अन्य सामाजिक सुरक्षा एवं कल्याण कार्यक्रम-(समाप्त)</i> | | | | | | | |
| 800- अन्य व्यय-(समाप्त) | | | | | | | |
| <i>अन्य व्यय-</i> | | | | | | | |
| सकल व्यय | 1,235.18 | - | 1,335.59 | - | 1,335.59 | 3,567.15 | (+) 08 |
| कटौती-प्राप्तियाँ एवं वसूलियाँ | - | - | - | - | - | - | - |
| निवल व्यय | 1,235.18 | - | 1,335.59 | - | 1,335.59 | 3,567.15 | (+) 08 |
| <i>कुल-60</i> | 1,235.18 | - | 1,335.59 | - | 1,335.59 | 7,147.21 | (+) 08 |
| कुल-4235 | 50,970.25 | - | 36,001.72 | 349.75 | 36,351.47 | 1,41,625.23 | (-) 29 |
| | | | | | | 2,77,764.10 | |
| 4236- पोषण पर पूँजीगत परिव्यय- | | | | | | | |
| <i>02- पौष्टिक आहार एवं पेय पदार्थों का वितरण-</i> | | | | | | | |
| 102- बाल कल्याण | - | - | - | - | - | - | - |
| | | | | | | 41.57 | |
| 800- अन्य व्यय | 2,686.00 | - | 2,420.81 | - | 2,420.81 | 8,732.14 | (-) 10 |
| <i>कुल-02</i> | 2,686.66 | - | 2,420.81 | - | 2,420.81 | 8,732.14 | (-) 10 |
| | | | | | | 2,577.16 | |

| 16. लघु शीर्षवार तथा उप-शीर्षवार पूँजीगत व्यय का विस्तृत विवरण-(जारी) | | | | | | | |
|--|-----------------------|---|----------------------------|--------------------------------------|------------------|------------------------------|---|
| (बोर्ड ऑफ़े जम्मू एवं कश्मीर संघ राज्य क्षेत्र में अभी तक प्रभाजित किए जाने एवं प्रतिधारित किए जाने वाले 30 अक्टूबर 2019 के अंत तक के व्यय को दर्शाते हैं) | | | | | | | |
| लेखा शीर्ष व्यय की प्रकृति | 2021-22 के दौरान व्यय | जम्मू एवं कश्मीर संघ राज्य क्षेत्र को आबंटित राशि | वर्ष 2022-23 के दौरान व्यय | | | 31 मार्च 2023 के अंत तक व्यय | वर्ष 2022-23 के दौरान प्रतिशत में वृद्धि(+)/कमी (-) |
| | | | संघ राज्य क्षेत्र का व्यय | केन्द्रीय सहायता (सीएसएस/ सीएस सहित) | कुल | | |
| (रुलाख में) | | | | | | | |
| व्यय शीर्ष- | | | | | | | |
| (पूँजीगत लेखा)-(जारी) | | | | | | | |
| ख सामाजिक सेवाओं का पूँजीगत लेखा-(जारी) | | | | | | | |
| (छ) सामाजिक कल्याण एवं पोषण का पूँजीगत लेखा-(समाप्त) | | | | | | | |
| 4236- पोषण पर पूँजीगत परिव्यय-(समाप्त) | | | | | | | |
| <i>80- सामान्य-</i> | | | | | | | |
| 800- अन्य व्यय | - | - | - | - | - | - | - |
| | | | | | | 34,505.14 | |
| <i>कुल-80</i> | - | - | - | - | - | - | - |
| | | | | | | 34,505.14 | |
| कुल-4236 | 2,686.66 | - | 2,420.81 | - | 2,420.81 | 8,732.14 | (-)10 |
| | | | | | | 37,082.30 | |
| कुल-(छ)- सामाजिक कल्याण एवं पोषण का पूँजीगत लेखा | 53,656.91 | - | 38,422.53 | 349.75 | 38,772.28 | 1,50,357.37 | (-)28 |
| | | | | | | 3,14,846.40 | |
| (ज) अन्य सामाजिक सेवाओं का पूँजीगत लेखा- | | | | | | | |
| 4250- अन्य सामाजिक सेवाओं पर पूँजीगत परिव्यय- | | | | | | | |
| 001- निदेशन एवं प्रशासन | - | - | - | - | - | - | - |
| | | | | | | 0.20 | |
| 101- प्राकृतिक आपदाएं | - | - | - | - | - | - | - |
| | | | | | | 9,787.62 | |
| 191- श्रम सहकारिताएं | - | - | - | - | - | - | - |
| | | | | | | 2.27 | |
| 201- श्रम | 145.21 | - | 83.55 | - | 83.55 | 464.85 | (-)42 |
| | | | | | | 710.42 | |

| 16. लघु शीर्षवार तथा उप-शीर्षवार पूँजीगत व्यय का विस्तृत विवरण-(जारी) | | | | | | | |
|--|-----------------------|---|----------------------------|--------------------------------------|--------------------|------------------------------|---|
| (बोर्ड ऑफ़े जम्म् एवं कश्मीर संघ राज्य क्षेत्र में अभी तक प्रभाजित किए जाने एवं प्रतिधारित किए जाने वाले 30 अक्टूबर 2019 के अंत तक के व्यय को दर्शाते हैं) | | | | | | | |
| लेखा शीर्ष व्यय की प्रकृति | 2021-22 के दौरान व्यय | जम्म् एवं कश्मीर संघ राज्य क्षेत्र को आबंटित राशि | वर्ष 2022-23 के दौरान व्यय | | | 31 मार्च 2023 के अंत तक व्यय | वर्ष 2022-23 के दौरान प्रतिशत में वृद्धि(+)/कमी (-) |
| | | | संघ राज्य क्षेत्र का व्यय | केन्द्रीय सहायता (सीएसएस/ सीएस सहित) | कुल | | |
| (रुलाख में) | | | | | | | |
| व्यय शीर्ष- | | | | | | | |
| (पूँजीगत लेखा)-(जारी) | | | | | | | |
| ख सामाजिक सेवाओं का पूँजीगत लेखा-(समाप्त) | | | | | | | |
| (ज) अन्य सामाजिक सेवाओं पर पूँजीगत लेखा-(समाप्त) | | | | | | | |
| 4250- अन्य सामाजिक सेवाओं पर पूँजीगत परिव्यय-(समाप्त) | | | | | | | |
| 203- रोजगार | 405.52 | - | 599.09 | 142.25 | 741.34 | 2,158.25 | (+) 83 |
| | | | | | | 23,858.73 | |
| 800- अन्य व्यय | 1,046.25 | - | 947.52 | - | 947.52 | 2,939.04 | (-) 09 |
| | | | | | | 2,901.64 | |
| कुल-4250 | 1,596.98 | - | 1,630.16 | 142.25 | 1,772.41 | 5,562.14 | (+)11 |
| | | | | | | 37,260.88 | |
| कुल-(ज)-अन्य सामाजिक सेवाओं पर पूँजीगत लेखा | 1,596.98 | - | 1,630.16 | 142.25 | 1,772.41 | 5,562.14 | (+)11 |
| | | | | | | 37,260.88 | |
| कुल-(ख)- सामाजिक सेवाओं पर पूँजीगत लेखा | 2,72,260.53 | - | 1,99,947.54 | 71,394.87 | 2,71,342.41 | 9,42,153.35 | # |
| | | | | | | 29,07,238.66 | |
| ग आर्थिक सेवाओं का पूँजीगत लेखा- | | | | | | | |
| (क) कृषि एवं संबद्ध गतिविधियों का पूँजीगत लेखा- | | | | | | | |
| 4401- फसल पैदावार पर पूँजीगत परिव्यय- | | | | | | | |
| 001- निदेशन एवं प्रशासन | - | - | 2,256.40 | - | 2,256.40 | 2,256.40 | ^ |
| | | | | | | 46.05 | |
| 052- मशीनरी एवं उपकरण | - | - | - | - | - | - | - |
| | | | | | | 0.51 | |
| 101- खेती सहकारी समितियाँ | - | - | - | - | - | - | - |
| | | | | | | 2,647.35 | |
| 102- खाद्यान्न फसलें | - | - | - | - | - | - | - |
| | | | | | | 0.38 | |

| 16. लघु शीर्षवार तथा उप-शीर्षवार पूँजीगत व्यय का विस्तृत विवरण-(जारी) | | | | | | | |
|--|---------------|------------------|----------------------------|------------------|-------|------------------|-------------------|
| (बोर्ड ऑफ़े जम्मू एवं कश्मीर संघ राज्य क्षेत्र में अभी तक प्रभाजित किए जाने एवं प्रतिधारित किए जाने वाले 30 अक्टूबर 2019 के अंत तक के व्यय को दर्शाते हैं) | | | | | | | |
| लेखा शीर्ष व्यय की प्रकृति | 2021-22 | जम्मू एवं | वर्ष 2022-23 के दौरान व्यय | | | 31 मार्च 2023 के | वर्ष 2022-23 के |
| | के दौरान व्यय | कश्मीर संघ | संघ राज्य क्षेत्र | केन्द्रीय सहायता | कुल | अंत तक व्यय | दौरान प्रतिशत में |
| | | राज्य क्षेत्र को | का व्यय | (सीएसएस/ सीएस | | | वृद्धि(+)/कमी (-) |
| | | आबंटित राशि | | सहित) | | | |
| | (रुलाख में) | | | | | | |
| व्यय शीर्ष- | | | | | | | |
| (पूँजीगत लेखा)-(जारी) | | | | | | | |
| ग आर्थिक सेवाओं का पूँजीगत लेखा-(जारी) | | | | | | | |
| (क) कृषि एवं संबद्ध गतिविधियों का पूँजीगत लेखा-(जारी) | | | | | | | |
| 4401- फसल पैदावार पर पूँजीगत परिव्यय-(जारी) | | | | | | | |
| 103- बीज- | | | | | | | |
| सकल व्यय | 235.45 | - | 14.87 | 45.75 | 60.62 | 2,763.89 | (-)74 |
| | | | | | | 25,203.93 | |
| कटौती-प्राप्तियाँ एवं वसूलियाँ | - | - | - | - | - | - | - |
| | | | | | | (-)19,627.91 | |
| निवल व्यय | 235.45 | - | 14.87 | 45.75 | 60.62 | 2,763.89 | (-)74 |
| | | | | | | 5,576.02 | |
| 104- कृषि फार्म- | | | | | | | |
| सकल व्यय | - | - | - | - | - | - | - |
| | | | | | | 19,044.09 | |
| कटौती- प्राप्तियाँ एवं वसूलियाँ | - | - | - | - | - | - | - |
| | | | | | | (-)3,732.25 | |
| निवल व्यय | - | - | - | - | - | - | - |
| | | | | | | 15,311.84 | |
| 105- खाद एवं उर्वरक- | | | | | | | |
| सकल व्यय | - | - | - | - | - | - | - |
| | | | | | | 5,017.56 | |
| कटौती -प्राप्तियाँ एवं वसूलियाँ | - | - | - | - | - | - | - |
| | | | | | | (-)1,717.96 | |
| निवल व्यय | - | - | - | - | - | - | - |
| | | | | | | 3,299.60 | |

| 16. लघु शीर्षवार तथा उप-शीर्षवार पूँजीगत व्यय का विस्तृत विवरण-(जारी) | | | | | | | |
|---|---------------|---|----------------------------|--------------------------------------|-----|------------------|-------------------------------------|
| (बोर्ड ऑफ़े जन्म एवं कश्मीर संघ राज्य क्षेत्र में अभी तक प्रभाजित किए जाने एवं प्रतिधारित किए जाने वाले 30 अक्टूबर 2019 के अंत तक के व्यय को दर्शाते हैं) | | | | | | | |
| लेखा शीर्ष व्यय की प्रकृति | 2021-22 | जन्म एवं | वर्ष 2022-23 के दौरान व्यय | | | 31 मार्च 2023 के | वर्ष 2022-23 के |
| | के दौरान व्यय | कश्मीर संघ राज्य क्षेत्र को आबंटित राशि | संघ राज्य क्षेत्र का व्यय | केन्द्रीय सहायता (सीएसएस/ सीएस सहित) | कुल | अंत तक व्यय | दौरान प्रतिशत में वृद्धि(+)/कमी (-) |
| (रुलाख में) | | | | | | | |
| व्यय शीर्ष- | | | | | | | |
| (पूँजीगत लेखा)-(जारी) | | | | | | | |
| ग आर्थिक सेवाओं का पूँजीगत लेखा-(जारी) | | | | | | | |
| (क) कृषि एवं संबद्ध गतिविधियों का पूँजीगत लेखा-(जारी) | | | | | | | |
| 4401- फसल पैदावार पर पूँजीगत परिव्यय-(जारी) | | | | | | | |
| 107- पौध संरक्षण-सकल व्यय | - | - | - | - | - | - | - |
| | | | | | | 10,835.05 | |
| कटौती-प्राप्तियाँ एवं वसूलियाँ | - | - | - | - | - | - | - |
| | | | | | | (-3724.66) | |
| निवल व्यय | - | - | - | - | - | - | - |
| | | | | | | 7,110.39 | |
| 108- वाणिज्यिक फसलें | - | - | - | - | - | - | - |
| | | | | | | 2,340.13 | |
| 113- कृषिगत अभियांत्रिकी-सकल व्यय | 1,494.75 | - | - | - | - | 4,577.71 | (-100) |
| | | | | | | 4,565.64 | |
| कटौती-प्राप्तियाँ एवं वसूलियाँ | - | - | - | - | - | - | - |
| | | | | | | (-199.88) | |
| निवल व्यय | 1,494.75 | - | - | - | - | 4,577.71 | (-100) |
| | | | | | | 4,365.76 | |
| 114- तिलहन का विकास | - | - | - | - | - | - | - |
| | | | | | | 105.47 | |

| 16. लघु शीर्षवार तथा उप-शीर्षवार पूँजीगत व्यय का विस्तृत विवरण-(जारी) | | | | | | | |
|--|-----------------------|---|----------------------------|--------------------------------------|----------|------------------------------|---|
| (बोर्ड ऑफ़े जम्मू एवं कश्मीर संघ राज्य क्षेत्र में अभी तक प्रभाजित किए जाने एवं प्रतिधारित किए जाने वाले 30 अक्टूबर 2019 के अंत तक के व्यय को दर्शाते हैं) | | | | | | | |
| लेखा शीर्ष व्यय की प्रकृति | 2021-22 के दौरान व्यय | जम्मू एवं कश्मीर संघ राज्य क्षेत्र को आबंटित राशि | वर्ष 2022-23 के दौरान व्यय | | | 31 मार्च 2023 के अंत तक व्यय | वर्ष 2022-23 के दौरान प्रतिशत में वृद्धि(+)/कमी (-) |
| | | | संघ राज्य क्षेत्र का व्यय | केन्द्रीय सहायता (सीएसएस/ सीएस सहित) | कुल | | |
| (रुलाख में) | | | | | | | |
| व्यय शीर्ष- | | | | | | | |
| (पूँजीगत लेखा)-(जारी) | | | | | | | |
| ग आर्थिक सेवाओं का पूँजीगत लेखा-(जारी) | | | | | | | |
| (क) कृषि एवं संबद्ध गतिविधियों का पूँजीगत लेखा-(जारी) | | | | | | | |
| 4401- फसल पैदावार पर पूँजीगत परिच्यय-(जारी) | | | | | | | |
| 119- उद्यान कृषि एवं शाक फसलें-सकल व्यय | 15,104.73 | - | 5,635.18 | 2,915.63 | 8,550.81 | 46,941.88 | (-) ⁴³ |
| कटौती -प्राप्तियाँ एवं वसूलियाँ | - | - | - | - | - | 34,340.91 | - |
| | | | | | | (-) ^{614.30} | |
| निवल व्यय | 15,104.73 | - | 5,635.18 | 2,915.63 | 8,550.81 | 46,941.88 | (-) ⁴³ |
| | | | | | | 33,726.61 | |
| 190- सार्वजनिक क्षेत्र एवं अन्य उपक्रमों में निवेश- | | | | | | | |
| (i)- जम्मू एवं कश्मीर राज्य कृषि उद्योग विकास निगम लिमिटेड | - | - | - | - | - | - | - |
| | | | | | | 256.18 | |
| (ii)- जम्मू एवं कश्मीर उद्यान कृषि उत्पाद विपणन एवं प्रसंस्करण निगम लिमिटेड | - | - | - | - | - | - | - |
| | | | | | | 120.35 | |
| (iii)- शेर-ए-कश्मीर कृषि विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय | - | - | - | - | - | - | - |
| | | | | | | 1,953.86 | |
| कुल-190 | - | - | - | - | - | - | - |
| | | | | | | 2,330.39 | |

16. लघु शीर्षवार तथा उप-शीर्षवार पूँजीगत व्यय का विस्तृत विवरण-(जारी)

| (बोर्ड ऑफ़े जम्मू एवं कश्मीर संघ राज्य क्षेत्र में अभी तक प्रभाजित किए जाने एवं प्रतिधारित किए जाने वाले 30 अक्टूबर 2019 के अंत तक के व्यय को दर्शाते हैं) | | | | | | | |
|--|-----------------------|---|----------------------------|--------------------------------------|---------------------|------------------------------|---|
| लेखा शीर्ष व्यय की प्रकृति | 2021-22 के दौरान व्यय | जम्मू एवं कश्मीर संघ राज्य क्षेत्र को आबंटित राशि | वर्ष 2022-23 के दौरान व्यय | | | 31 मार्च 2023 के अंत तक व्यय | वर्ष 2022-23 के दौरान प्रतिशत में वृद्धि(+)/कमी (-) |
| | | | संघ राज्य क्षेत्र का व्यय | केन्द्रीय सहायता (सीएसएस/ सीएस सहित) | कुल | | |
| (रुलाख में) | | | | | | | |
| व्यय शीर्ष- | | | | | | | |
| (पूँजीगत लेखा)-(जारी) | | | | | | | |
| ग आर्थिक सेवाओं का पूँजीगत लेखा-(जारी) | | | | | | | |
| (क) कृषि एवं संबद्ध गतिविधियों का पूँजीगत लेखा-(जारी) | | | | | | | |
| 4401- फसल पैदावार पर पूँजीगत परिव्यय-(समाप्त) | | | | | | | |
| 800- अन्य व्यय- | | | | | | | |
| सकल व्यय | 19,451.27 | - | 15,080.80 | 1,074.90 | 16,155.70 | 64,621.06 | (-17) |
| | | | | | | 51,851.63 | |
| कटौती -प्राप्तियाँ एवं वसूलियाँ | - | - | - | - | - | - | - |
| | | | | | | (-)215.00 | |
| निवल व्यय | 19,451.27 | - | 15,080.80 | 1,074.90 | 16,155.70 | 64,621.06 | (-17) |
| | | | | | | 51,636.63 | |
| कृषि उत्पादन-सकल व्यय | - | - | - | - | - | - | - |
| | | | | | | 3,593.91 | |
| कटौती प्राप्तियाँ एवं वसूलियाँ | - | - | - | - | - | - | - |
| | | | | | | (-)318.72 | |
| निवल व्यय | - | - | - | - | - | - | - |
| | | | | | | 3,275.19 | |
| अन्य व्यय | - | - | - | - | - | - | - |
| | | | | | | 62,894.10 | |
| कुल-800 | 19,451.27 | - | 15,080.80 | 1,074.90 | 16,155.70 | 64,621.06 | (-17) |
| | | | | | | 1,17,805.92 | |
| 911- अधिक भुगतानों पर वसूलियों की कटौती | - | - | - | - | - | - | - |
| | | | | | | (-)26.29 | |
| कुल-4401 | 36,286.20 | - | 22,987.25 | 4,036.28 | 27,023.53 \$ | 1,21,160.94 | (-)26 |
| | | | | | | 1,94,640.11 | |

(\$) सहायिकी ₹ 2,803.03 लाख तथा सहायता अनुदान ₹ 140.40 लाख सम्मिलित हैं।

| 16. लघु शीर्षवार तथा उप-शीर्षवार पूँजीगत व्यय का विस्तृत विवरण-(जारी) | | | | | | | |
|--|-----------------------|---|----------------------------|--------------------------------------|---------------|------------------------------|---|
| (बोर्ड ऑफ़े जम्मू एवं कश्मीर संघ राज्य क्षेत्र में अभी तक प्रभाजित किए जाने एवं प्रतिधारित किए जाने वाले 30 अक्टूबर 2019 के अंत तक के व्यय को दर्शाते हैं) | | | | | | | |
| लेखा शीर्ष व्यय की प्रकृति | 2021-22 के दौरान व्यय | जम्मू एवं कश्मीर संघ राज्य क्षेत्र को आबंटित राशि | वर्ष 2022-23 के दौरान व्यय | | | 31 मार्च 2023 के अंत तक व्यय | वर्ष 2022-23 के दौरान प्रतिशत में वृद्धि(+)/कमी (-) |
| | | | संघ राज्य क्षेत्र का व्यय | केन्द्रीय सहायता (सीएसएस/ सीएस सहित) | कुल | | |
| (रुलाख में) | | | | | | | |
| व्यय शीर्ष- | | | | | | | |
| (पूँजीगत लेखा)-(जारी) | | | | | | | |
| ग आर्थिक सेवाओं का पूँजीगत लेखा-(जारी) | | | | | | | |
| (क) कृषि एवं संबद्ध गतिविधियों का पूँजीगत लेखा-(जारी) | | | | | | | |
| 4402- मृदा एवं जल संरक्षण पर पूँजीगत परिव्यय- | | | | | | | |
| 001- निदेशन एवं प्रशासन | - | - | - | - | - | - | - |
| | | | | | | 3,246.43 | |
| 101- मृदा सर्वेक्षण एवं परीक्षण | 580.17 | - | - | - | - | 970.93 | (-)100 |
| | | | | | | 1,331.16 | |
| 102- मृदा संरक्षण | 269.65 | - | 528.84 | - | 528.84 | 1,167.10 | (+)96 |
| | | | | | | 15,846.70 | |
| 203- भूमि सुधार एवं विकास | - | - | - | - | - | 0.40 | - |
| | | | | | | 4.49 | |
| 800- अन्य व्यय | - | - | - | - | - | - | - |
| | | | | | | 18,667.22 | |
| कुल-4402 | 849.82 | - | 528.84 | - | 528.84 | 2,138.43 | (-)38 |
| | | | | | | 39,096.00 | |
| 4403- पशुपालन पर पूँजीगत परिव्यय- | | | | | | | |
| 001- निदेशन एवं प्रशासन | - | - | - | - | - | - | - |
| | | | | | | 1,171.60 | |
| 101- पशु चिकित्सा सेवाएं एवं पशु स्वास्थ्य | 12,438.74 | - | 9,204.87 | 1,876.42 | 11,081.29 | 40,324.69 | (-)11 |
| | | | | | | 26,074.64 | |
| 102- मवेशी एवं भैंस विकास | - | - | - | - | - | - | - |
| | | | | | | 360.23 | |

| 16. लघु शीर्षवार तथा उप-शीर्षवार पूँजीगत व्यय का विस्तृत विवरण-(जारी) | | | | | | | |
|--|-----------------------|---|----------------------------|--------------------------------------|------------------|------------------------------|---|
| (बोर्ड ऑफ़े जम्मू एवं कश्मीर संघ राज्य क्षेत्र में अभी तक प्रभाजित किए जाने एवं प्रतिधारित किए जाने वाले 30 अक्टूबर 2019 के अंत तक के व्यय को दर्शाते हैं) | | | | | | | |
| लेखा शीर्ष व्यय की प्रकृति | 2021-22 के दौरान व्यय | जम्मू एवं कश्मीर संघ राज्य क्षेत्र को आबंटित राशि | वर्ष 2022-23 के दौरान व्यय | | | 31 मार्च 2023 के अंत तक व्यय | वर्ष 2022-23 के दौरान प्रतिशत में वृद्धि(+)/कमी (-) |
| | | | संघ राज्य क्षेत्र का व्यय | केन्द्रीय सहायता (सीएसएस/ सीएस सहित) | कुल | | |
| (रुलाख में) | | | | | | | |
| व्यय शीर्ष- | | | | | | | |
| (पूँजीगत लेखा)-(जारी) | | | | | | | |
| ग- आर्थिक सेवाओं का पूँजीगत लेखा-(जारी) | | | | | | | |
| (क) कृषि एवं संबद्ध गतिविधियों का पूँजीगत लेखा-(जारी) | | | | | | | |
| 4403- पशुपालन पर पूँजीगत लेखा-(सम्पत्) | | | | | | | |
| 103- मुर्गी पालन विकास | - | - | - | - | - | - | - |
| | | | | | | 384.27 | |
| 104- भेड़ एवं ऊन विकास | - | - | - | - | - | - | - |
| | | | | | | 5,635.90 | |
| 106- अन्य पशुधन विकास | - | - | - | - | - | - | - |
| | | | | | | 12.52 | |
| 107- चारा एवं खादय विकास | - | - | - | - | - | - | - |
| | | | | | | 147.25 | |
| 109- विस्तार एवं प्रशिक्षण | - | - | - | - | - | - | - |
| | | | | | | 1,318.55 | |
| 800- अन्य व्यय | - | - | - | - | - | - | - |
| | | | | | | 1.72 | |
| | | | | | | 2,182.98 | |
| कुल-4403 | 12,438.74 | - | 9,204.87 | 1,876.42 | 11,081.29 | 40,471.94 | (-)11 |
| | | | | | | 37,142.41 | |
| 4404- डेयरी विकास पर पूँजीगत परिव्यय- | | | | | | | |
| 102- डेयरी विकास परियोजनाएं | - | - | - | - | - | - | - |
| | | | | | | 410.85 | |

| 16. लघु शीर्षवार तथा उप-शीर्षवार पूँजीगत व्यय का विस्तृत विवरण-(जारी) | | | | | | | | |
|--|-----------------------|---|----------------------------|--------------------------------------|-----------------|------------------------------|---|--------------|
| (बोर्ड ऑफ़े जम्मू एवं कश्मीर संघ राज्य क्षेत्र में अभी तक प्रभाजित किए जाने एवं प्रतिधारित किए जाने वाले 30 अक्टूबर 2019 के अंत तक के व्यय को दर्शाते हैं) | | | | | | | | |
| लेखा शीर्ष व्यय की प्रकृति | 2021-22 के दौरान व्यय | जम्मू एवं कश्मीर संघ राज्य क्षेत्र को आबंटित राशि | वर्ष 2022-23 के दौरान व्यय | | | 31 मार्च 2023 के अंत तक व्यय | वर्ष 2022-23 के दौरान प्रतिशत में वृद्धि(+)/कमी (-) | |
| | | | संघ राज्य क्षेत्र का व्यय | केन्द्रीय सहायता (सीएसएस/ सीएस सहित) | कुल | | | |
| (रुलाख में) | | | | | | | | |
| व्यय शीर्ष- | | | | | | | | |
| (पूँजीगत लेखा)-(जारी) | | | | | | | | |
| ग- आर्थिक सेवाओं का पूँजीगत लेखा-(जारी) | | | | | | | | |
| (क) कृषि एवं संबद्ध गतिविधियों का पूँजीगत लेखा-(जारी) | | | | | | | | |
| 4405- मत्स्यपालन पर पूँजीगत परिव्यय-(समाप्त) | | | | | | | | |
| 103- समुद्री मत्स्यपालन | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | | | | | | 17.33 | | |
| 105- प्रसंस्करण संरक्षण एवं विपणन | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | | | | | | 19.99 | | |
| 109- विस्तार एवं प्रशिक्षण | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | | | | | | 11.48 | | |
| 191- मछुआरों की सहकारिताएं | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | | | | | | 13.30 | | |
| 800- अन्य व्यय | 3,116.69 | - | 508.20 | 752.68 | 1,260.88 | 8,539.26 | | (-)60 |
| | | | | | | 20,705.20 | | |
| कुल-4405 | 3,116.69 | - | 508.20 | 752.68 | 1,260.88 | 8,539.26 | | (-)60 |
| | | | | | | 22,229.55 | | |
| 4406- वानिकी एवं वन्य जीवन पर पूँजीगत परिव्यय- | | | | | | | | |
| 01- वानिकी- | | | | | | | | |
| 070- संचार एवं भवन | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | | | | | | 649.06 | | |
| 101- वन संरक्षण विकास एवं पुनर्स्थापन | 2,382.05 | - | - | 649.00 | 649.00 | 3,051.74 | | (-)73 |
| | | | | | | 49.43 | | |

| 16. लघु शीर्षवार तथा उप-शीर्षवार पूँजीगत व्यय का विस्तृत विवरण-(जारी) | | | | | | | |
|--|-----------------------|---|----------------------------|--------------------------------------|-----------------|------------------------------|---|
| (बोर्ड ऑफ़े जम्मू एवं कश्मीर संघ राज्य क्षेत्र में अभी तक प्रभाजित किए जाने एवं प्रतिधारित किए जाने वाले 30 अक्टूबर 2019 के अंत तक के व्यय को दर्शाते हैं) | | | | | | | |
| लेखा शीर्ष व्यय की प्रकृति | 2021-22 के दौरान व्यय | जम्मू एवं कश्मीर संघ राज्य क्षेत्र को आबंटित राशि | वर्ष 2022-23 के दौरान व्यय | | | 31 मार्च 2023 के अंत तक व्यय | वर्ष 2022-23 के दौरान प्रतिशत में वृद्धि(+)/कमी (-) |
| | | | संघ राज्य क्षेत्र का व्यय | केन्द्रीय सहायता (सीएसएस/ सीएस सहित) | कुल | | |
| (रुलाख में) | | | | | | | |
| व्यय शीर्ष- | | | | | | | |
| (पूँजीगत लेखा)-(जारी) | | | | | | | |
| ग- आर्थिक सेवाओं का पूँजीगत लेखा-(जारी) | | | | | | | |
| (क) कृषि एवं संबद्ध गतिविधियों का पूँजीगत लेखा-(जारी) | | | | | | | |
| 4406- वानिकी एवं वन्य जीवन पर पूँजीगत परिव्यय-(समाप्त) | | | | | | | |
| <i>01- वानिकी-(समाप्त)</i> | | | | | | | |
| 102- सामाजिक एवं फार्म वानिकी | 719.05 | - | 733.58 | - | 733.58 | 1,452.63 | (+) 02 |
| | | | | | | 113.03 | |
| 105- वन उत्पाद | - | - | - | - | - | - | - |
| | | | | | | 285.78 | |
| 800- अन्य व्यय | 7,553.85 | - | 4,298.57 | | 4,298.57 | 25,064.34 | (-) 43 |
| | | | | | | 60,812.42 | |
| <i>कुल-01</i> | <u>10,654.95</u> | <u>-</u> | <u>5,032.15</u> | <u>649.00</u> | <u>5,681.15</u> | <u>29,568.71</u> | <u>(-)47</u> |
| | | | | | | 61,909.72 | |
| <i>02- पर्यावरणीय वानिकी एवं वन्य जीवन-</i> | | | | | | | |
| <i>001- निदेशन एवं प्रशासन</i> | | | | | | | |
| | - | - | - | - | - | - | - |
| | | | | | | 8.10 | |
| 110- वन्य जीवन | 197.43 | - | - | 54.61 | 54.61 | 282.17 | (-) 72 |
| | | | | | | 1,399.61 | |
| 112- सार्वजनिक उद्यान | 1,932.14 | - | 1,883.94 | - | 1,883.94 | 6,662.93 | (-) 02 |
| | | | | | | 27,962.30 | |
| 800- अन्य व्यय | - | - | - | - | - | - | - |
| | | | | | | 2,064.29 | |
| <i>कुल-02</i> | <u>2,129.57</u> | <u>-</u> | <u>1,883.94</u> | <u>54.61</u> | <u>1,938.55</u> | <u>6,945.10</u> | <u>(-)09</u> |
| | | | | | | 31,434.30 | |
| कुल-4406 | <u>12,784.52</u> | <u>-</u> | <u>6,916.09</u> | <u>703.61</u> | <u>7,619.70</u> | <u>36,513.81</u> | <u>(-)40</u> |
| | | | | | | 93,344.02 | |

| 16. लघु शीर्षवार तथा उप-शीर्षवार पूँजीगत व्यय का विस्तृत विवरण-(जारी) | | | | | | | |
|--|---------------|------------------|----------------------------|------------------|----------|------------------|-------------------|
| (बोर्ड ऑफ़े जम्मू एवं कश्मीर संघ राज्य क्षेत्र में अभी तक प्रभाजित किए जाने एवं प्रतिधारित किए जाने वाले 30 अक्टूबर 2019 के अंत तक के व्यय को दर्शाते हैं) | | | | | | | |
| लेखा शीर्ष व्यय की प्रकृति | 2021-22 | जम्मू एवं | वर्ष 2022-23 के दौरान व्यय | | | 31 मार्च 2023 के | वर्ष 2022-23 के |
| | के दौरान व्यय | कश्मीर संघ | संघ राज्य क्षेत्र | केन्द्रीय सहायता | कुल | अंत तक व्यय | दौरान प्रतिशत में |
| | | राज्य क्षेत्र को | का व्यय | (सीएसएस/ सीएस | | | वृद्धि(+)/कमी (-) |
| | | आबंटित राशि | | सहित) | | | |
| | (रुलाख में) | | | | | | |
| व्यय शीर्ष- | | | | | | | |
| (पूँजीगत लेखा)-(जारी) | | | | | | | |
| ग- आर्थिक सेवाओं का पूँजीगत लेखा-(जारी) | | | | | | | |
| (क) कृषि एवं संबद्ध गतिविधियों का पूँजीगत लेखा-(जारी) | | | | | | | |
| 4408- खाद्य संग्रहण एवं भण्डारण पर पूँजीगत परिव्यय- | | | | | | | |
| 01- खाद्य- | | | | | | | |
| 101- अधिप्राप्ति एवं आपूर्ति- | | | | | | | |
| चावल/ धान- | | | | | | | |
| सकल व्यय | 4,023.95 | - | 2,701.08 | - | 2,701.08 | 12,740.55 | (-)-33 |
| | | | | | | 7,81,167.80 | |
| कटौती-प्राप्तियाँ एवं वसूलियाँ | - | - | - | - | - | (-)255.35 | - |
| | | | | | | (-)5,92,052.99 | |
| निवल व्यय | 4,023.95 | - | 2,701.08 | - | 2,701.08 | 12,485.20 | (-)-33 |
| | | | | | | 1,89,114.81 | |
| गेहूँ/ आटा- | | | | | | | |
| सकल व्यय | 6,759.01 | - | 3,324.57 | - | 3,324.57 | 15,885.72 | (-)-51 |
| | | | | | | 2,90,063.58 | |
| कटौती-प्राप्तियाँ एवं वसूलियाँ | - | - | - | - | - | - | - |
| | | | | | | (-)2,37,782.28 | |
| निवल व्यय | 6,759.01 | - | 3,324.57 | - | 3,324.57 | 15,885.72 | (-)-51 |
| | | | | | | 52,281.30 | |
| मक्का- | | | | | | | |
| सकल व्यय | - | - | - | - | - | - | - |
| | | | | | | 13.22 | |
| कटौती-प्राप्तियाँ एवं वसूलियाँ | - | - | - | - | - | - | - |
| | | | | | | (-)1,034.71 | |
| निवल व्यय | - | - | - | - | - | - | - |
| | | | | | | (-)1,021.49 | |

| 16. लघु शीर्षवार तथा उप-शीर्षवार पूँजीगत व्यय का विस्तृत विवरण-(जारी) | | | | | | | |
|--|-----------------------|---|----------------------------|--------------------------------------|----------|------------------------------|---|
| (बोर्ड ऑफ़े जम्मू एवं कश्मीर संघ राज्य क्षेत्र में अभी तक प्रभाजित किए जाने एवं प्रतिधारित किए जाने वाले 30 अक्टूबर 2019 के अंत तक के व्यय को दर्शाते हैं) | | | | | | | |
| लेखा शीर्ष व्यय की प्रकृति | 2021-22 के दौरान व्यय | जम्मू एवं कश्मीर संघ राज्य क्षेत्र को आबंटित राशि | वर्ष 2022-23 के दौरान व्यय | | | 31 मार्च 2023 के अंत तक व्यय | वर्ष 2022-23 के दौरान प्रतिशत में वृद्धि(+)/कमी (-) |
| | | | संघ राज्य क्षेत्र का व्यय | केन्द्रीय सहायता (सीएसएस/ सीएस सहित) | कुल | | |
| (रुलाख में) | | | | | | | |
| व्यय शीर्ष- | | | | | | | |
| (पूँजीगत लेखा)-(जारी) | | | | | | | |
| ग- आर्थिक सेवाओं का पूँजीगत लेखा-(जारी) | | | | | | | |
| (क) कृषि एवं संबद्ध गतिविधियों का पूँजीगत लेखा-(जारी) | | | | | | | |
| 4408- खाद्य संग्रहण एवं भण्डारण पर पूँजीगत परिव्यय-(जारी) | | | | | | | |
| 01- खाद्य- (जारी) | | | | | | | |
| 101- अधिप्राप्ति एवं आपूर्ति-(समाप्त) | | | | | | | |
| निदेशन एवं प्रशासन-सकल व्यय | - | - | - | - | - | - | - |
| | | | | | | 84,639.63 | - |
| कटौती-प्राप्तियाँ एवं वसूतियाँ | - | - | - | - | - | - | - |
| | | | | | | (-)10,302.20 | - |
| निवल व्यय | - | - | - | - | - | - | - |
| | | | | | | 74,337.43 | - |
| अन्य व्यय-सकल व्यय | - | - | 913.87 | - | 913.87 | 10,285.64 | ^ |
| | | | | | | 35,356.19 | - |
| कटौती-प्राप्तियाँ एवं वसूतियाँ | - | - | - | - | - | - | - |
| | | | | | | (-)4,207.16 | - |
| निवल व्यय | - | - | 913.87 | - | 913.87 | 10,285.64 | ^ |
| | | | | | | 31,149.03 | - |
| कुल-101 | 10,782.96 | - | 6,939.52 | - | 6,939.52 | 38,656.56 | (-)36 |
| | | | | | | 3,45,861.08 | - |
| 103- खाद्य प्रसंस्करण-सकल व्यय | - | - | - | - | - | - | - |
| | | | | | | 1,265.28 | - |
| कटौती-प्राप्तियाँ एवं वसूतियाँ | - | - | - | - | - | - | - |
| | | | | | | (-)854.49 | - |
| निवल व्यय | - | - | - | - | - | - | - |
| | | | | | | 410.79 | - |

| 16. लघु शीर्षवार तथा उप-शीर्षवार पूँजीगत व्यय का विस्तृत विवरण-(जारी) | | | | | | | |
|--|-----------------------|---|----------------------------|--------------------------------------|-----------------|------------------------------|---|
| (बोर्ड ऑफ़े जम्मू एवं कश्मीर संघ राज्य क्षेत्र में अभी तक प्रभाजित किए जाने एवं प्रतिधारित किए जाने वाले 30 अक्टूबर 2019 के अंत तक के व्यय को दर्शाते हैं) | | | | | | | |
| लेखा शीर्ष व्यय की प्रकृति | 2021-22 के दौरान व्यय | जम्मू एवं कश्मीर संघ राज्य क्षेत्र को आबंटित राशि | वर्ष 2022-23 के दौरान व्यय | | | 31 मार्च 2023 के अंत तक व्यय | वर्ष 2022-23 के दौरान प्रतिशत में वृद्धि(+)/कमी (-) |
| | | | संघ राज्य क्षेत्र का व्यय | केन्द्रीय सहायता (सीएसएस/ सीएस सहित) | कुल | | |
| (रुलाख में) | | | | | | | |
| व्यय शीर्ष- | | | | | | | |
| (पूँजीगत लेखा)-(जारी) | | | | | | | |
| ग- आर्थिक सेवाओं का पूँजीगत लेखा-(जारी) | | | | | | | |
| (क) कृषि एवं संबद्ध गतिविधियों का पूँजीगत लेखा-(जारी) | | | | | | | |
| 4408- खाद्य संग्रहण एवं भण्डारण पर पूँजीगत परिव्यय-(जारी) | | | | | | | |
| 01- खाद्य-(समाप्त) | | | | | | | |
| 800- अन्य व्यय- | | | | | | | |
| सकल व्यय | - | - | - | - | - | - | - |
| | | | | | | 20,205.92 | |
| कटौती-प्राप्तियाँ एवं वस्तुतियाँ | - | - | - | - | - | - | - |
| | | | | | | (-42,027.94) | |
| निवल व्यय | - | - | - | - | - | - | - |
| | | | | | | (-21,822.02) | |
| कुल-01 | 10,782.96 | - | 6,939.52 | - | 6,939.52 | 38,656.56 | (-36) |
| | | | | | | 3,24,449.85 | |
| 02- संग्रहण एवं भण्डारण- | | | | | | | |
| 101- ग्रामीण गोदाम कार्यक्रम | | | | | | | |
| | - | - | - | - | - | - | - |
| | | | | | | 76.27 | |
| 190- सार्वजनिक क्षेत्र एवं अन्य उपक्रमों में निवेश- | | | | | | | |
| (i)- शीत भण्डारण संयंत्र की स्थापना के लिए शेयर पूँजी निवेश | | | | | | | |
| | - | - | - | - | - | - | - |
| | | | | | | 37.62 | |

| 16. लघु शीर्षवार तथा उप-शीर्षवार पूँजीगत व्यय का विस्तृत विवरण-(जारी) | | | | | | | | |
|--|---------------------------------------|---------------|---|----------------------------|--------------------------------------|----------|--------------------|-------------------------------------|
| (बौलड ऑकड़े जम्मू एवं कश्मीर संघ राज्य क्षेत्र में अभी तक प्रभाजित किए जाने एवं प्रतिधारित किए जाने वाले 30 अक्टूबर 2019 के अंत तक के व्यय को दर्शाते हैं) | | | | | | | | |
| लेखा शीर्षक | व्यय की प्रकृति | 2021-22 | जम्मू एवं | वर्ष 2022-23 के दौरान व्यय | | | 31 मार्च 2023 के | वर्ष 2022-23 के |
| | | के दौरान व्यय | कश्मीर संघ राज्य क्षेत्र को आबंटित राशि | संघ राज्य क्षेत्र का व्यय | केन्द्रीय सहायता (सीएसएस/ सीएस सहित) | कुल | अंत तक व्यय | दौरान प्रतिशत में वृद्धि(+)/कमी (-) |
| (रुलाख में) | | | | | | | | |
| व्यय शीर्षक- | | | | | | | | |
| (पूँजीगत लेखा)-(जारी) | | | | | | | | |
| ग- आर्थिक सेवाओं का पूँजीगत लेखा-(जारी) | | | | | | | | |
| (क) कृषि एवं संबद्ध गतिविधियों का पूँजीगत लेखा-(जारी) | | | | | | | | |
| 4408- संग्रहण एवं भण्डारण पर पूँजीगत परिव्यय-(समाप्त) | | | | | | | | |
| <i>02- संग्रहण एवं भण्डारण-(समाप्त)</i> | | | | | | | | |
| 800- अन्य व्यय | | 142.21 | - | 413.99 | - | 413.99 | 2,540.29 | * |
| | | | | | | | 2,185.63 | |
| 911- अधिक भुगतानों पर वसुलियों की कटौती | | - | - | - | - | - | - | - |
| | | | | | | | (-)0.84 | |
| | <i>कुल-02</i> | 142.21 | - | 413.99 | - | 413.99 | 2,540.29 | * |
| | | | | | | | 2,298.68 | |
| | कुल-4408 | 10,925.17 | - | 7,353.51 | - | 7,353.51 | 41,196.85 | (-)33 |
| | | | | | | | 3,26,748.53 | |
| 4415- कृषि अनुसंधान एवं शिक्षा पर पूँजीगत परिव्यय- | | | | | | | | |
| <i>01- फसल पैदावार</i> | | | | | | | | |
| 004- अनुसंधान- | | | | | | | | |
| सकल व्यय | | | | | | | | |
| | | - | - | - | - | - | - | - |
| | | | | | | | 509.62 | |
| | कटौती-प्राप्तियाँ एवं वसुलियाँ | - | - | - | - | - | - | - |
| | | | | | | | (-)18.51 | |
| | निवल व्यय | - | - | - | - | - | - | - |
| | | | | | | | 491.11 | |
| 800- अन्य व्यय | | - | - | - | - | - | - | - |
| | | | | | | | 13.19 | |
| | <i>कुल-01</i> | - | - | - | - | - | - | - |
| | | | | | | | 504.30 | |

| 16. लघु शीर्षवार तथा उप-शीर्षवार पूँजीगत व्यय का विस्तृत विवरण-(जारी) | | | | | | | |
|--|-----------------------|---|----------------------------|--------------------------------------|----------|------------------------------|---|
| (बोर्ड ऑफ़े जम्मू एवं कश्मीर संघ राज्य क्षेत्र में अभी तक प्रभाजित किए जाने एवं प्रतिधारित किए जाने वाले 30 अक्टूबर 2019 के अंत तक के व्यय को दर्शाते हैं) | | | | | | | |
| लेखा शीर्ष व्यय की प्रकृति | 2021-22 के दौरान व्यय | जम्मू एवं कश्मीर संघ राज्य क्षेत्र को आबंटित राशि | वर्ष 2022-23 के दौरान व्यय | | | 31 मार्च 2023 के अंत तक व्यय | वर्ष 2022-23 के दौरान प्रतिशत में वृद्धि(+)/कमी (-) |
| | | | संघ राज्य क्षेत्र का व्यय | केन्द्रीय सहायता (सीएसएस/ सीएस सहित) | कुल | | |
| (रुलाख में) | | | | | | | |
| व्यय शीर्ष- | | | | | | | |
| (पूँजीगत लेखा)-(जारी) | | | | | | | |
| ग- आर्थिक सेवाओं का पूँजीगत लेखा-(जारी) | | | | | | | |
| (क) कृषि एवं संबद्ध गतिविधियों का पूँजीगत लेखा-(जारी) | | | | | | | |
| 4415- कृषि अनुसंधान एवं शिक्षा पर पूँजीगत परिव्यय-(समाप्त) | | | | | | | |
| <i>03- पशुपालन-</i> | | | | | | | |
| 277- शिक्षा | - | - | - | - | - | - | - |
| | | | | | | 7.83 | |
| कुल-03 | - | - | - | - | - | - | - |
| | | | | | | 7.83 | |
| <i>04- डेयरी विकास-</i> | | | | | | | |
| 800- अन्य व्यय | - | - | - | - | - | - | - |
| | | | | | | 0.90 | |
| कुल-04 | - | - | - | - | - | - | - |
| | | | | | | 0.90 | |
| <i>80- सामान्य-</i> | | | | | | | |
| 277- शिक्षा | 2,209.19 | - | 3,503.91 | - | 3,503.91 | 8,974.26 | (+)59 |
| | | | | | | 33,023.41 | |
| 800- अन्य व्यय | - | - | - | - | - | - | - |
| | | | | | | 71.00 | |
| कुल-80 | 2,209.19 | - | 3,503.91 | - | 3,503.91 | 8,974.26 | (+)59 |
| | | | | | | 33,094.41 | |
| कुल-4415 | 2,209.19 | - | 3,503.91 | - | 3,503.91 | 8,974.26 | (+)59 |
| | | | | | | 33,607.44 | |
| 4416- कृषि वित्तीय संस्थानों में निवेश- | | | | | | | |
| 190- सार्वजनिक क्षेत्र एवं अन्य उपक्रमों में निवेश | | | | | | | |
| | - | - | - | - | - | - | - |
| | | | | | | 0.40 | |
| कुल-4416 | - | - | - | - | - | - | - |
| | | | | | | 0.40 | |

| 16. लघु शीर्षवार तथा उप-शीर्षवार पूँजीगत व्यय का विस्तृत विवरण-(जारी) | | | | | | | |
|--|-----------------------|---|----------------------------|--------------------------------------|-----|------------------------------|---|
| (बोर्ड ऑफ़े जम्मू एवं कश्मीर संघ राज्य क्षेत्र में अभी तक प्रभाजित किए जाने एवं प्रतिधारित किए जाने वाले 30 अक्टूबर 2019 के अंत तक के व्यय को दर्शाते हैं) | | | | | | | |
| लेखा शीर्ष व्यय की प्रकृति | 2021-22 के दौरान व्यय | जम्मू एवं कश्मीर संघ राज्य क्षेत्र को आबंटित राशि | वर्ष 2022-23 के दौरान व्यय | | | 31 मार्च 2023 के अंत तक व्यय | वर्ष 2022-23 के दौरान प्रतिशत में वृद्धि(+)/कमी (-) |
| | | | संघ राज्य क्षेत्र का व्यय | केन्द्रीय सहायता (सीएसएस/ सीएस सहित) | कुल | | |
| (रुलाख में) | | | | | | | |
| व्यय शीर्ष- | | | | | | | |
| (पूँजीगत लेखा)-(जारी) | | | | | | | |
| ग- आर्थिक सेवाओं का पूँजीगत लेखा-(जारी) | | | | | | | |
| (क) कृषि एवं संबद्ध गतिविधियों का पूँजीगत लेखा-(जारी) | | | | | | | |
| 4425- सहकारिता पर पूँजीगत परिव्यय- | | | | | | | |
| 001- निदेशन एवं प्रशासन | - | - | - | - | - | - | - |
| 004- अनुसंधान एवं मूल्यांकन | - | - | - | - | - | 2,507.79 | - |
| 106- बहुदृशीय ग्रामीण सहकारिताओं में निवेश | - | - | - | - | - | 32.34 | - |
| | | | | | | 26.33 | - |
| 107- क्रेडिट सहकारिता में निवेश- | | | | | | | |
| (i)- जम्मू एवं कश्मीर भूमि विकास बैंक लिमिटेड में शेयर पूँजीगत निवेश | - | - | - | - | - | - | - |
| | | | | | | 82.27 | - |
| (ii)- जम्मू एवं कश्मीर सहकारी बैंक लिमिटेड में शेयर पूँजीगत निवेश | - | - | - | - | - | - | - |
| | | | | | | 81.67 | - |
| (iii)- प्राथमिक कृषि सहकारिताओं में शेयर पूँजीगत निवेश | - | - | - | - | - | - | - |
| | | | | | | 81.40 | - |
| (iv)- क्रेडिट सहकारिता में अन्य निवेश | - | - | - | - | - | - | - |
| | | | | | | 125.55 | - |
| कुल-107 | - | - | - | - | - | - | - |
| | | | | | | 370.89 | - |

| 16. लघु शीर्षवार तथा उप-शीर्षवार पूँजीगत व्यय का विस्तृत विवरण-(जारी) | | | | | | | |
|---|---------------|---|----------------------------|--------------------------------------|--------|------------------|-------------------------------------|
| (बोर्ड ऑफ़ जम्मू एवं कश्मीर संघ राज्य क्षेत्र में अभी तक प्रभाजित किए जाने एवं प्रतिधारित किए जाने वाले 30 अक्टूबर 2019 के अंत तक के व्यय को दर्शाते हैं) | | | | | | | |
| लेखा शीर्ष व्यय की प्रकृति | 2021-22 | जम्मू एवं | वर्ष 2022-23 के दौरान व्यय | | | 31 मार्च 2023 के | वर्ष 2022-23 के |
| | के दौरान व्यय | कश्मीर संघ राज्य क्षेत्र को आबंटित राशि | संघ राज्य क्षेत्र का व्यय | केन्द्रीय सहायता (सीएसएस/ सीएस सहित) | कुल | अंत तक व्यय | दौरान प्रतिशत में वृद्धि(+)/कमी (-) |
| (रुलाख में) | | | | | | | |
| व्यय शीर्ष- | | | | | | | |
| (पूँजीगत लेखा)-(जारी) | | | | | | | |
| ग- आर्थिक सेवाओं का पूँजीगत लेखा-(जारी) | | | | | | | |
| (क) कृषि एवं संबद्ध गतिविधियों का पूँजीगत लेखा-(जारी) | | | | | | | |
| 4425- सहकारिता पर पूँजीगत परिव्यय-(जारी) | | | | | | | |
| 108- अन्य सहकारिताओं में निवेश- | | | | | | | |
| (i)- भण्डारण एवं विपणन सहकारी संस्थाएं | - | - | - | - | - | - | - |
| | | | | | | 49.30 | |
| (ii)- प्रसंस्करण सहकारी संस्थाएं | - | - | - | - | - | - | - |
| | | | | | | 104.47 | |
| (iii)- उपभोक्ता सहकारी संस्थाएं | - | - | - | - | - | - | - |
| | | | | | | 411.32 | |
| (iv)- अन्य सहकारी संस्थाएं | - | - | - | - | - | - | - |
| | | | | | | 4,392.94 | |
| | | | | | | 4,392.94 | |
| | | | | | | 4,958.03 | |
| | | | | | | | |
| कुल-108 | - | - | - | - | - | - | - |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| 190- सार्वजनिक क्षेत्र एवं अन्य उपक्रमों में निवेश- | | | | | | | |
| (i)- उपभोक्ता कारोबार विपणन समितियाँ कश्मीर में शेयर पूँजीगत निवेश | - | - | - | - | - | - | - |
| | | | | | | 368.70 | |
| (ii)- उपभोक्ता कारोबार विपणन समितियाँ जम्मू में शेयर पूँजीगत निवेश | - | - | - | - | - | - | - |
| | | | | | | 44.08 | |
| (iii)- जम्मू एवं कश्मीर सहकारी/ कृषि एवं ग्रामीण बैंक | 1,013.06 | - | 289.73 | - | 289.73 | 2,452.62 | (-)71 |
| | | | | | | 26,518.50 | |
| | | | | | | 2,452.62 | (-)71 |
| कुल-190 | 1,013.06 | - | 289.73 | - | 289.73 | 2,452.62 | (-)71 |
| | | | | | | 26,931.28 | |

| 16. लघु शीर्षवार तथा उप-शीर्षवार पूँजीगत व्यय का विस्तृत विवरण-(जारी) | | | | | | | |
|--|---------------|---|----------------------------|--------------------------------------|--------|------------------|-------------------------------------|
| (बोर्ड ऑफ़े जम्मू एवं कश्मीर संघ राज्य क्षेत्र में अभी तक प्रभाजित किए जाने एवं प्रतिधारित किए जाने वाले 30 अक्टूबर 2019 के अंत तक के व्यय को दर्शाते हैं) | | | | | | | |
| लेखा शीर्ष व्यय की प्रकृति | 2021-22 | जम्मू एवं | वर्ष 2022-23 के दौरान व्यय | | | 31 मार्च 2023 के | वर्ष 2022-23 के |
| | के दौरान व्यय | कश्मीर संघ राज्य क्षेत्र को आबंटित राशि | संघ राज्य क्षेत्र का व्यय | केन्द्रीय सहायता (सीएसएस/ सीएस सहित) | कुल | अंत तक व्यय | दौरान प्रतिशत में वृद्धि(+)/कमी (-) |
| (रुलाख में) | | | | | | | |
| व्यय शीर्ष- | | | | | | | |
| (पूँजीगत लेखा)-(जारी) | | | | | | | |
| ग- आर्थिक सेवाओं का पूँजीगत लेखा-(जारी) | | | | | | | |
| (क) कृषि एवं संबद्ध गतिविधियों का पूँजीगत लेखा-(जारी) | | | | | | | |
| 4425- अन्य सहकारिताओं में निवेश-(समाप्त) | | | | | | | |
| 200- अन्य निवेश- | | | | | | | |
| (i)- अन्य निवेश | | | | | | | |
| | - | - | - | - | - | - | - |
| | | | | | | 1,811.48 | - |
| (ii)- उर्वरक विपणन के लिए मार्जिन मनी | - | - | - | - | - | - | - |
| | | | | | | 499.20 | - |
| कुल-200 | - | - | - | - | - | - | - |
| | | | | | | 2,310.68 | - |
| 800- अन्य व्यय | - | - | - | - | - | - | - |
| | | | | | | 3,023.60 | - |
| कुल-800 | - | - | - | - | - | - | - |
| | | | | | | 3,023.60 | - |
| कुल-4425 | 1,013.06 | - | 289.73 | - | 289.73 | 2,452.62 | (-)/71 |
| | | | | | | 40,160.94 | - |
| 4435- अन्य कृषि कार्यक्रमों पर पूँजीगत परिव्यय- | | | | | | | |
| 01- विपणन एवं गुणवत्ता नियंत्रण- | | | | | | | |
| 101- विपणन सुविधाएं | | | | | | | |
| | - | - | - | - | - | - | - |
| | | | | | | 387.37 | - |
| 190- सार्वजनिक क्षेत्र एवं अन्य उपक्रमों में निवेश | - | - | - | - | - | - | - |
| | | | | | | 0.41 | - |
| 800- अन्य व्यय | - | - | - | - | - | - | - |
| | | | | | | 16.87 | - |
| कुल-01 | - | - | - | - | - | - | - |
| | | | | | | 404.65 | - |

| 16. लघु शीर्षवार तथा उप-शीर्षवार पूँजीगत व्यय का विस्तृत विवरण-(जारी) | | | | | | | |
|--|-----------------------|---|----------------------------|--------------------------------------|-------------|------------------------------|---|
| (बोर्ड ऑफ़े जम्मू एवं कश्मीर संघ राज्य क्षेत्र में अभी तक प्रभाजित किए जाने एवं प्रतिधारित किए जाने वाले 30 अक्टूबर 2019 के अंत तक के व्यय को दर्शाते हैं) | | | | | | | |
| लेखा शीर्ष व्यय की प्रकृति | 2021-22 के दौरान व्यय | जम्मू एवं कश्मीर संघ राज्य क्षेत्र को आबंटित राशि | वर्ष 2022-23 के दौरान व्यय | | | 31 मार्च 2023 के अंत तक व्यय | वर्ष 2022-23 के दौरान प्रतिशत में वृद्धि(+)/कमी (-) |
| | | | संघ राज्य क्षेत्र का व्यय | केन्द्रीय सहायता (सीएसएस/ सीएस सहित) | कुल | | |
| (रुलाख में) | | | | | | | |
| व्यय शीर्ष- | | | | | | | |
| (पूँजीगत लेखा)-(जारी) | | | | | | | |
| ग- आर्थिक सेवाओं का पूँजीगत लेखा-(जारी) | | | | | | | |
| (क) कृषि एवं संबद्ध गतिविधियों का पूँजीगत लेखा-(समाप्त) | | | | | | | |
| 4435- अन्य कृषि कार्यक्रमों पर पूँजीगत परिव्यय-(समाप्त) | | | | | | | |
| <i>60- अन्य-</i> | | | | | | | |
| 800- अन्य व्यय | - | - | - | - | - | - | - |
| | | | | | | 2.68 | |
| <i>कुल-60</i> | - | - | - | - | - | - | - |
| | | | | | | 2.68 | |
| कुल-4435 | - | - | - | - | - | - | - |
| | | | | | | 407.33 | |
| कुल-(क)-कृषि एवं संबद्ध गतिविधियों का पूँजीगत लेखा | 79,623.39 | - | 51,292.40 | 7,368.99 | 58,661.39 | 2,61,448.11 | (-)26 |
| | | | | | | 7,88,532.87 | |
| (ख) ग्रामीण विकास का पूँजीगत लेखा- | | | | | | | |
| 4515- अन्य ग्रामीण विकास कार्यक्रमों पर पूँजीगत परिव्यय- | | | | | | | |
| 101- पंचायती राज | 65,656.03 | - | 89,856.05 | - | 89,856.05 | 1,98,412.08 | (+)37 |
| | | | | | | 1,90,494.77 | |
| 102- सामुदायिक विकास | 10,839.81 | - | 7,137.52 | 17,734.82 | 24,872.34 | 49,491.13 | * |
| | | | | | | 75,117.07 | |
| 103- ग्रामीण विकास | 37,984.93 | - | 10,292.56 | 1,05,297.72 | 1,15,590.28 | 1,85,047.80 | * |
| | | | | | | 2,21,061.99 | |

| 16. लघु शीर्षवार तथा उप-शीर्षवार पूँजीगत व्यय का विस्तृत विवरण-(जारी) | | | | | | | |
|--|-----------------------|---|----------------------------|--------------------------------------|----------------------|------------------------------|---|
| (बोर्ड ऑफ़े जम्मू एवं कश्मीर संघ राज्य क्षेत्र में अभी तक प्रभाजित किए जाने एवं प्रतिधारित किए जाने वाले 30 अक्टूबर 2019 के अंत तक के व्यय को दर्शाते हैं) | | | | | | | |
| लेखा शीर्ष व्यय की प्रकृति | 2021-22 के दौरान व्यय | जम्मू एवं कश्मीर संघ राज्य क्षेत्र को आबंटित राशि | वर्ष 2022-23 के दौरान व्यय | | | 31 मार्च 2023 के अंत तक व्यय | वर्ष 2022-23 के दौरान प्रतिशत में वृद्धि(+)/कमी (-) |
| | | | संघ राज्य क्षेत्र का व्यय | केन्द्रीय सहायता (सीएसएस/ सीएस सहित) | कुल | | |
| (रुलाख में) | | | | | | | |
| व्यय शीर्ष- | | | | | | | |
| (पूँजीगत लेखा)-(जारी) | | | | | | | |
| ग- आर्थिक सेवाओं का पूँजीगत लेखा-(जारी) | | | | | | | |
| (ख) ग्रामीण विकास का पूँजीगत लेखा-(समाप्त) | | | | | | | |
| 4515- अन्य ग्रामीण विकास कार्यक्रमों पर पूँजीगत परिव्यय-(समाप्त) | | | | | | | |
| 800- अन्य व्यय | 12,284.20 | - | 500.47 | 12,819.42 | 13,319.89 | 2,08,152.47 | (+)08 |
| | | | | | | 5,39,262.00 | |
| कुल-4515 | 1,26,764.97 | - | 1,07,786.60 | 1,35,851.96 | 2,43,638.56 § | 6,41,103.48 | (+)92 |
| कुल- (ख)- ग्रामीण विकास का पूँजीगत लेखा | 1,26,764.97 | - | 1,07,786.60 | 1,35,851.96 | 2,43,638.56 | 6,41,103.48 | (+)92 |
| | | | | | | 10,25,935.83 | |
| | | | | | | 10,25,935.83 | |
| (ग) विशेष क्षेत्र कार्यक्रमों का पूँजीगत लेखा- | | | | | | | |
| 4575- अन्य विशेष क्षेत्र कार्यक्रमों पर पूँजीगत परिव्यय- | | | | | | | |
| 02- पिछड़े क्षेत्र- | | | | | | | |
| 253- जिला प्रशासन | - | - | - | - | - | - | - |
| | | | | | | 2,012.15 | |
| 259- लोक निर्माण | - | - | - | - | - | - | - |
| | | | | | | 30,085.25 | |
| 277- शिक्षा | - | - | - | - | - | - | - |
| | | | | | | 83.10 | |
| 280- चिकित्सा | - | - | - | - | - | - | - |
| | | | | | | 38.12 | |
| 282- जन स्वास्थ्य, स्वच्छता एवं जल निर्माण | - | - | - | - | - | - | - |
| | | | | | | 2,967.13 | |

§ ₹ 13,319.89 लाख का व्यय सहायता अनुदान के कारण सम्मिलित हैं।

| 16. लघु शीर्षवार तथा उप-शीर्षवार पूँजीगत व्यय का विस्तृत विवरण-(जारी) | | | | | | | | |
|---|--------------------------------|--------------------------|---|------------------------------|--|-----|---------------------------------|---|
| (बोर्ड ऑफ़ डे जन्म एवं कश्मीर संघ राज्य क्षेत्र में अभी तक प्रभाजित किए जाने एवं प्रतिधारित किए जाने वाले 30 अक्टूबर 2019 के अंत तक के व्यय को दर्शाते हैं) | | | | | | | | |
| लेखा शीर्षक | व्यय की प्रकृति | 2021-22 के दौरान व्यय | जन्म एवं कश्मीर संघ राज्य क्षेत्र को आबंटित राशि | वर्ष 2022-23 के दौरान व्यय | | | 31 मार्च 2023 के अंत तक व्यय | वर्ष 2022-23 के दौरान प्रतिशत में वृद्धि(+)/कमी (-) |
| | | | | संघ राज्य क्षेत्र का व्यय | केन्द्रीय सहायता (सीएसएस/ सीएस सहित) | कुल | | |
| (रुलाख में) | | | | | | | | |
| व्यय शीर्षक- | | | | | | | | |
| (पूँजीगत लेखा)-(जारी) | | | | | | | | |
| ग- आर्थिक सेवाओं का पूँजीगत लेखा-(जारी) | | | | | | | | |
| (ग) विशेष क्षेत्र कार्यक्रमों का पूँजीगत लेखा-(जारी) | | | | | | | | |
| 4575- अन्य विशेष क्षेत्र कार्यक्रमों पर पूँजीगत परिव्यय-(जारी) | | | | | | | | |
| 02- पिछड़े क्षेत्र-(जारी) | | | | | | | | |
| 285- | सूचना एवं प्रचार | - | - | - | - | - | - | - |
| | | | | | | | 5.35 | |
| 288- | खाद्य की उचित मूल्य की दुकानें | - | - | - | - | - | - | - |
| | | | | | | | 882.85 | |
| 298- | सहकारिता | - | - | - | - | - | - | - |
| | | | | | | | 304.27 | |
| 305- | कृषि | - | - | - | - | - | - | - |
| | | | | | | | 46.32 | |
| 306- | लघु सिंचाई | - | - | - | - | - | - | - |
| | | | | | | | 1,554.96 | |
| 307- | मृदा एवं जल संरक्षण | - | - | - | - | - | - | - |
| | | | | | | | 181.92 | |
| 309- | खाद्य एवं पोषण | - | - | - | - | - | - | - |
| | | | | | | | 76.17 | |
| 310- | पशुपालन | - | - | - | - | - | - | - |
| | | | | | | | 15.69 | |
| 313- | वाणिज्य | - | - | - | - | - | - | - |
| | | | | | | | 1,137.54 | |
| 314- | सामुदायिक विकास | - | - | - | - | - | - | - |
| | | | | | | | 330.46 | |
| 321- | ग्रामीण एवं लघु उद्योग | - | - | - | - | - | - | - |
| | | | | | | | 22.08 | |

| 16. लघु शीर्षवार तथा उप-शीर्षवार पूँजीगत व्यय का विस्तृत विवरण-(जारी) | | | | | | | |
|--|-----------------------|---|----------------------------|--------------------------------------|-----|------------------------------|---|
| (बोर्ड ऑफ़े जम्मू एवं कश्मीर संघ राज्य क्षेत्र में अभी तक प्रभाजित किए जाने एवं प्रतिधारित किए जाने वाले 30 अक्टूबर 2019 के अंत तक के व्यय को दर्शाते हैं) | | | | | | | |
| लेखा शीर्ष व्यय की प्रकृति | 2021-22 के दौरान व्यय | जम्मू एवं कश्मीर संघ राज्य क्षेत्र को आबंटित राशि | वर्ष 2022-23 के दौरान व्यय | | | 31 मार्च 2023 के अंत तक व्यय | वर्ष 2022-23 के दौरान प्रतिशत में वृद्धि(+)/कमी (-) |
| | | | संघ राज्य क्षेत्र का व्यय | केन्द्रीय सहायता (सीएसएस/ सीएस सहित) | कुल | | |
| (रुलाख में) | | | | | | | |
| व्यय शीर्ष- | | | | | | | |
| (पूँजीगत लेखा)-(जारी) | | | | | | | |
| ग- आर्थिक सेवाओं का पूँजीगत लेखा-(जारी) | | | | | | | |
| (ग) विशेष क्षेत्र कार्यक्रमों का पूँजीगत लेखा-(जारी) | | | | | | | |
| 4575- अन्य विशेष क्षेत्र कार्यक्रमों पर पूँजीगत परिव्यय-(जारी) | | | | | | | |
| <i>02- पिछड़े क्षेत्र-(समाप्त)</i> | | | | | | | |
| 333- सिंचाई एवं बाढ़ नियंत्रण परियोजनाएं | - | - | - | - | - | 2,988.00 | - |
| 334- विद्युत परियोजनाएं | - | - | - | - | - | 10,869.98 | - |
| 601- छोटी बस की खरीद | - | - | - | - | - | 0.51 | - |
| 602- बाढ़ नियंत्रण एवं सागरीय अपरदन-रोधी परियोजनाएं | - | - | - | - | - | 246.13 | - |
| 603- आठवें वित्त आयोग के अनुसार उन्नयन | - | - | - | - | - | 220.23 | - |
| 800- अन्य व्यय | - | - | - | - | - | 782.03 | - |
| कुल-02 | - | - | - | - | - | 54,850.24 | - |
| <i>04- लद्दाख स्वायत्त पर्वतीय विकास परिषद</i> | | | | | | | |
| 113- लद्दाख स्वायत्त पर्वतीय विकास परिषद निधि | - | - | - | - | - | 2,09,565.06 | - |
| 114- कारगिल स्वायत्त पर्वतीय विकास परिषद निधि | - | - | - | - | - | 1,03,880.92 | - |
| कुल-04 | - | - | - | - | - | 3,13,445.98 | - |

| 16. लघु शीर्षवार तथा उप-शीर्षवार पूँजीगत व्यय का विस्तृत विवरण-(जारी) | | | | | | | |
|--|---------------|---|----------------------------|--------------------------------------|-----|------------------|-------------------------------------|
| (बौलड ऑकड़े जम्मू एवं कश्मीर संघ राज्य क्षेत्र में अभी तक प्रभाजित किए जाने एवं प्रतिधारित किए जाने वाले 30 अक्टूबर 2019 के अंत तक के व्यय को दर्शाते हैं) | | | | | | | |
| लेखा शीर्ष व्यय की प्रकृति | 2021-22 | जम्मू एवं | वर्ष 2022-23 के दौरान व्यय | | | 31 मार्च 2023 के | वर्ष 2022-23 के |
| | के दौरान व्यय | कश्मीर संघ राज्य क्षेत्र को आबंटित राशि | संघ राज्य क्षेत्र का व्यय | केन्द्रीय सहायता (सीएसएस/ सीएस सहित) | कुल | अंत तक व्यय | दौरान प्रतिशत में वृद्धि(+)/कमी (-) |
| (रलाख में) | | | | | | | |
| व्यय शीर्ष- | | | | | | | |
| (पूँजीगत लेखा)-(जारी) | | | | | | | |
| ग- आर्थिक सेवाओं का पूँजीगत लेखा-(जारी) | | | | | | | |
| (ग) विशेष क्षेत्र कार्यक्रमों का पूँजीगत लेखा-(समाप्त) | | | | | | | |
| 4575- अन्य विशेष क्षेत्र कार्यक्रमों पर पूँजीगत परिव्यय-(समाप्त) | | | | | | | |
| 60- अन्य- | | | | | | | |
| 800- अन्य व्यय | - | - | - | - | - | - | - |
| | | | | | | 585.54 | |
| कुल-60 | - | - | - | - | - | - | - |
| | | | | | | 585.54 | |
| कुल-4575 | - | - | - | - | - | - | - |
| | | | | | | 3,68,881.76 | |
| कुल- (ग)-विशेष क्षेत्र कार्यक्रमों का पूँजीगत लेखा | - | - | - | - | - | - | - |
| | | | | | | 3,68,881.76 | |
| (घ) सिंचाई एवं बाढ़ नियंत्रण का पूँजीगत लेखा- | | | | | | | |
| 4701- मध्यम सिंचाई पर पूँजीगत परिव्यय- | | | | | | | |
| 01- प्रमुख सिंचाई वाणिज्यिक- | | | | | | | |
| 001- निदेशन एवं प्रशासन | - | - | - | - | - | - | - |
| | | | | | | 2,663.66 | |
| 052- मशीनरी एवं उपकरण | - | - | - | - | - | - | - |
| | | | | | | 159.81 | |
| 601- रणबीर नहर की रिमॉडलिंग | - | - | - | - | - | - | - |
| | | | | | | 16,456.77 | |
| 602- प्रताप नहर | - | - | - | - | - | - | - |
| | | | | | | 5,142.94 | |
| 603- कठुआ फीडर नहर | - | - | - | - | - | - | - |
| | | | | | | 1,828.32 | |

| 16. लघु शीर्षवार तथा उप-शीर्षवार पूँजीगत व्यय का विस्तृत विवरण-(जारी) | | | | | | | |
|--|-----------------------|---|----------------------------|--------------------------------------|----------|------------------------------|---|
| (बोर्ड ऑफ़े जम्मू एवं कश्मीर संघ राज्य क्षेत्र में अभी तक प्रभाजित किए जाने एवं प्रतिधारित किए जाने वाले 30 अक्टूबर 2019 के अंत तक के व्यय को दर्शाते हैं) | | | | | | | |
| लेखा शीर्ष व्यय की प्रकृति | 2021-22 के दौरान व्यय | जम्मू एवं कश्मीर संघ राज्य क्षेत्र को आबंटित राशि | वर्ष 2022-23 के दौरान व्यय | | | 31 मार्च 2023 के अंत तक व्यय | वर्ष 2022-23 के दौरान प्रतिशत में वृद्धि(+)/कमी (-) |
| | | | संघ राज्य क्षेत्र का व्यय | केन्द्रीय सहायता (सीएसएस/ सीएस सहित) | कुल | | |
| (रुलाख में) | | | | | | | |
| व्यय शीर्ष- | | | | | | | |
| (पूँजीगत लेखा)-(जारी) | | | | | | | |
| ग- आर्थिक सेवाओं का पूँजीगत लेखा-(जारी) | | | | | | | |
| (घ) सिंचाई एवं बाढ़ नियंत्रण का पूँजीगत लेखा-(जारी) | | | | | | | |
| 4701- मध्यम सिंचाई पर पूँजीगत परिव्यय-(जारी) | | | | | | | |
| <i>01- प्रमुख सिंचाई वाणिज्यिक-(समाप्त)</i> | | | | | | | |
| 612- रावी तवी लिफ्ट सिंचाई योजना | - | - | - | - | - | 2,885.65 | - |
| 619- मार्तण्ड नहर | - | - | - | - | - | 1,770.62 | - |
| 630- दादी नहर | - | - | - | - | - | 2,395.68 | - |
| 631- आजी नहर | - | - | - | - | - | 1,610.55 | - |
| 632- जैनगीर नहर | - | - | - | - | - | 8.75 | - |
| | | | | | | 773.54 | |
| निर्माण/ परियोजनाएं जिन पर पिछले पाँच वर्षों के दौरान कोई व्यय नहीं हुआ | - | - | - | - | - | - | - |
| | | | | | | 41,541.88 | |
| कुल-01 | | | | | | 8.75 | |
| | | | | | | 77,229.42 | |
| <i>02- प्रमुख सिंचाई गैर-वाणिज्यिक-</i> | | | | | | | |
| 001- निदेशन एवं प्रशासन | - | - | - | - | - | - | - |
| | | | | | | 34.03 | |
| कुल-02 | | | | | | - | |
| | | | | | | 34.03 | |
| <i>04- मध्यम सिंचाई गैर-वाणिज्यिक-</i> | | | | | | | |
| 001- निदेशन एवं प्रशासन | 1,201.58 | - | 2,257.29 | - | 2,257.29 | 4,491.31 | (+)88 |
| | | | | | | 36,902.44 | |

| 16. लघु शीर्षवार तथा उप-शीर्षवार पूँजीगत व्यय का विस्तृत विवरण-(जारी) | | | | | | | |
|--|-----------------|---|----------------------------|--------------------------------------|-----------------|--------------------|-------------------------------------|
| (बोर्ड ऑफ़े जम्मू एवं कश्मीर संघ राज्य क्षेत्र में अभी तक प्रभाजित किए जाने एवं प्रतिधारित किए जाने वाले 30 अक्टूबर 2019 के अंत तक के व्यय को दर्शाते हैं) | | | | | | | |
| लेखा शीर्ष व्यय की प्रकृति | 2021-22 | जम्मू एवं | वर्ष 2022-23 के दौरान व्यय | | | 31 मार्च 2023 के | वर्ष 2022-23 के |
| | के दौरान व्यय | कश्मीर संघ राज्य क्षेत्र को आबंटित राशि | संघ राज्य क्षेत्र का व्यय | केन्द्रीय सहायता (सीएसएस/ सीएस सहित) | कुल | अंत तक व्यय | दौरान प्रतिशत में वृद्धि(+)/कमी (-) |
| (रुलाख में) | | | | | | | |
| व्यय शीर्ष- | | | | | | | |
| (पूँजीगत लेखा)-(जारी) | | | | | | | |
| ग- आर्थिक सेवाओं का पूँजीगत लेखा-(जारी) | | | | | | | |
| (घ) सिंचाई एवं बाढ़ नियंत्रण का पूँजीगत लेखा-(जारी) | | | | | | | |
| 4701- मध्यम सिंचाई पर पूँजीगत परिव्यय-(समाप्त) | | | | | | | |
| <i>04- मध्यम सिंचाई गैर-वाणिज्यिक-</i> | | | | | | | |
| 612- रावी तवी लिफ्ट सिंचाई योजना | 469.49 | - | 603.79 | - | 603.79 | 1,528.00 | (+)29 |
| | | | | | | 8,356.45 | |
| निर्माण/ परियोजनाएं जिन पर पिछले पाँच वर्षों के दौरान कोई व्यय नहीं हुआ | - | - | - | - | - | - | - |
| | | | | | | 441.74 | |
| <i>कुल-04</i> | <u>1,671.07</u> | <u>-</u> | <u>2,861.08</u> | <u>-</u> | <u>2,861.08</u> | <u>6,019.31</u> | <u>(+)71</u> |
| | | | | | | 45,700.63 | |
| <i>80- सामान्य-</i> | | | | | | | |
| 001- निदेशन एवं प्रशासन | - | - | - | - | - | - | - |
| | | | | | | 18.66 | |
| 005- सर्वेक्षण एवं जाँच-पड़ताल | - | - | - | - | - | - | - |
| | | | | | | 13.56 | |
| 052- मशीनरी एवं उपकरण | - | - | - | - | - | - | - |
| | | | | | | 90.69 | |
| 800- अन्य व्यय | - | - | - | - | - | - | - |
| | | | | | | 2,675.22 | |
| <i>कुल-80</i> | <u>-</u> | <u>-</u> | <u>-</u> | <u>-</u> | <u>-</u> | <u>-</u> | <u>-</u> |
| | | | | | | 2,798.13 | |
| कुल-4701 | <u>1,671.07</u> | <u>-</u> | <u>2,861.08</u> | <u>-</u> | <u>2,861.08</u> | <u>6,028.06</u> | <u>(+)71</u> |
| | | | | | | 1,25,765.21 | |

| 16. लघु शीर्षवार तथा उप-शीर्षवार पूँजीगत व्यय का विस्तृत विवरण-(जारी) | | | | | | | |
|--|-----------------------|---|----------------------------|--------------------------------------|-----------------|------------------------------|---|
| (बोर्ड ऑफ़े जम्मू एवं कश्मीर संघ राज्य क्षेत्र में अभी तक प्रभाजित किए जाने एवं प्रतिधारित किए जाने वाले 30 अक्टूबर 2019 के अंत तक के व्यय को दर्शाते हैं) | | | | | | | |
| लेखा शीर्ष व्यय की प्रकृति | 2021-22 के दौरान व्यय | जम्मू एवं कश्मीर संघ राज्य क्षेत्र को आबंटित राशि | वर्ष 2022-23 के दौरान व्यय | | | 31 मार्च 2023 के अंत तक व्यय | वर्ष 2022-23 के दौरान प्रतिशत में वृद्धि(+)/कमी (-) |
| | | | संघ राज्य क्षेत्र का व्यय | केन्द्रीय सहायता (सीएसएस/ सीएस सहित) | कुल | | |
| (रुलाख में) | | | | | | | |
| व्यय शीर्ष- | | | | | | | |
| (पूँजीगत लेखा)-(जारी) | | | | | | | |
| ग- आर्थिक सेवाओं का पूँजीगत लेखा-(जारी) | | | | | | | |
| (घ) सिंचाई एवं बाढ़ नियंत्रण का पूँजीगत लेखा-(जारी) | | | | | | | |
| 4702- मध्यम सिंचाई पर पूँजीगत परिव्यय- | | | | | | | |
| 101- सतही जल | 6,264.26 | - | 3,991.30 | - | 3,991.30 | 19,980.90 | (-)-36 |
| 102- भू-जल | - | - | - | - | - | 1,71,228.94 | - |
| 800- अन्य व्यय | - | - | - | - | - | 17.04 | - |
| | | | | | | 34,816.62 | |
| कुल-4702 | 6,264.26 | - | 3,991.30 | - | 3,991.30 | 19,980.90 | (-)-36 |
| | | | | | | 2,06,062.60 | |
| 4705- कमान क्षेत्र विकास पर पूँजीगत परिव्यय- | | | | | | | |
| 602- कमान क्षेत्र कश्मीर | 1,067.20 | - | 1,115.73 | - | 1,115.73 | 3,234.71 | (+)-05 |
| 603- कमान क्षेत्र जम्मू | 647.70 | - | 855.59 | - | 855.59 | 17,518.79 | (+)-32 |
| 800- अन्य व्यय | - | - | - | - | - | 2,489.04 | - |
| | | | | | | 8,730.87 | |
| | | | | | | 5,956.35 | |
| कुल-4705 | 1,714.90 | - | 1,971.32 | - | 1,971.32 | 5,723.75 | (+)-15 |
| | | | | | | 32,206.01 | |
| 4711- बाढ़ नियंत्रण परियोजनाओं पर पूँजीगत परिव्यय- | | | | | | | |
| 01- बाढ़ नियंत्रण- | | | | | | | |
| 001- निदेशन एवं प्रशासन | - | - | - | - | - | - | - |
| | | | | | | 1,620.14 | |
| 052- मशीनरी एवं उपकरण | - | - | - | - | - | - | - |
| | | | | | | 15.28 | |

| 16. लघु शीर्षवार तथा उप-शीर्षवार पूँजीगत व्यय का विस्तृत विवरण-(जारी) | | | | | | | |
|--|-----------------------|---|----------------------------|--------------------------------------|------------------|------------------------------|---|
| (बोर्ड ऑफ़े जम्मू एवं कश्मीर संघ राज्य क्षेत्र में अभी तक प्रभाजित किए जाने एवं प्रतिधारित किए जाने वाले 30 अक्टूबर 2019 के अंत तक के व्यय को दर्शाते हैं) | | | | | | | |
| लेखा शीर्ष व्यय की प्रकृति | 2021-22 के दौरान व्यय | जम्मू एवं कश्मीर संघ राज्य क्षेत्र को आबंटित राशि | वर्ष 2022-23 के दौरान व्यय | | | 31 मार्च 2023 के अंत तक व्यय | वर्ष 2022-23 के दौरान प्रतिशत में वृद्धि(+)/कमी (-) |
| | | | संघ राज्य क्षेत्र का व्यय | केन्द्रीय सहायता (सीएसएस/ सीएस सहित) | कुल | | |
| (रुलाख में) | | | | | | | |
| व्यय शीर्ष- | | | | | | | |
| (पूँजीगत लेखा)-(जारी) | | | | | | | |
| ग- आर्थिक सेवाओं का पूँजीगत लेखा-(जारी) | | | | | | | |
| (घ) सिंचाई एवं बाढ़ नियंत्रण का पूँजीगत लेखा-(जारी) | | | | | | | |
| 4711- बाढ़ नियंत्रण परियोजनाओं पर पूँजीगत परिव्यय-(जारी) | | | | | | | |
| <i>01- बाढ़ नियंत्रण(समाप्त)</i> | | | | | | | |
| 103- सिविल निर्माण कार्य | 4,586.89 | - | 5,336.40 | 11,679.20 | 17,015.60 | 37,269.94 | * |
| | | | | | | 1,66,831.48 | |
| 799- उचंत | - | - | - | - | - | - | - |
| | | | | | | (-)4.85 | |
| 800- अन्य व्यय | - | - | - | - | - | - | - |
| | | | | | | 1,117.18 | |
| कुल-01 | 4,586.89 | - | 5,336.40 | 11,679.20 | 17,015.60 | 37,269.94 | * |
| | | | | | | 1,69,579.23 | |
| <i>03- अपवाह-</i> | | | | | | | |
| 001- निदेशन एवं प्रशासन | - | - | - | - | - | - | - |
| | | | | | | 16.22 | |
| 103- सिविल निर्माण कार्य | - | - | - | - | - | - | - |
| | | | | | | 6.01 | |
| 800- अन्य व्यय | - | - | - | - | - | - | - |
| | | | | | | 0.05 | |

| 16. लघु शीर्षवार तथा उप-शीर्षवार पूँजीगत व्यय का विस्तृत विवरण-(जारी) | | | | | | | |
|--|-----------------------|---|----------------------------|--------------------------------------|------------------|------------------------------|---|
| (बोर्ड ऑफ़े जम्मू एवं कश्मीर संघ राज्य क्षेत्र में अभी तक प्रभाजित किए जाने एवं प्रतिधारित किए जाने वाले 30 अक्टूबर 2019 के अंत तक के व्यय को दर्शाते हैं) | | | | | | | |
| लेखा शीर्ष व्यय की प्रकृति | 2021-22 के दौरान व्यय | जम्मू एवं कश्मीर संघ राज्य क्षेत्र को आबंटित राशि | वर्ष 2022-23 के दौरान व्यय | | | 31 मार्च 2023 के अंत तक व्यय | वर्ष 2022-23 के दौरान प्रतिशत में वृद्धि(+)/कमी (-) |
| | | | संघ राज्य क्षेत्र का व्यय | केन्द्रीय सहायता (सीएसएस/ सीएस सहित) | कुल | | |
| (रुलाख में) | | | | | | | |
| व्यय शीर्ष- | | | | | | | |
| (पूँजीगत लेखा)-(जारी) | | | | | | | |
| ग- आर्थिक सेवाओं का पूँजीगत लेखा-(जारी) | | | | | | | |
| (घ) सिंचाई एवं बाढ़ नियंत्रण का पूँजीगत लेखा-(जारी) | | | | | | | |
| 4711- बाढ़ नियंत्रण परियोजनाओं पर पूँजीगत परियोजनाएं-(जारी) | | | | | | | |
| <i>03- अपवाह-(समाप्त)</i> | | | | | | | |
| 911- अधिक भुगतानों पर वसूलियों की कटौती | - | - | - | - | - | - | - |
| | | | | | | (-)0.54 | |
| <i>कुल-03</i> | - | - | - | - | - | - | - |
| | | | | | | 21.74 | |
| कुल-4711 | 4,586.89 | - | 5,336.40 | 11,679.20 | 17,015.60 | 37,269.94 | * |
| | | | | | | 1,69,600.97 | |
| कुल-(घ) - सिंचाई एवं बाढ़ नियंत्रण का पूँजीगत लेखा | 14,237.12 | - | 14,160.10 | 11,679.20 | 25,839.30 | 69,002.65 | (+)81 |
| | | | | | | 5,33,634.79 | |
| (ङ) ऊर्जा का पूँजीगत लेखा- | | | | | | | |
| 4801- विद्युत परियोजनाओं पर पूँजीगत परियोजनाएं- | | | | | | | |
| <i>01- जल विद्युत उत्पादन-</i> | | | | | | | |
| 001- निदेशन एवं प्रशासन | - | - | - | - | - | - | - |
| | | | | | | 414.58 | |
| 052- मशीनरी एवं उपकरण | - | - | - | - | - | - | - |
| | | | | | | 0.73 | |
| 190- सार्वजनिक क्षेत्र एवं अन्य उपक्रमों में निवेश- | | | | | | | |
| (i) राष्ट्रीय परियोजनाएं निर्माण लिमिटेड में निवेश | - | - | - | - | - | - | - |
| | | | | | | 10.00 | |

| 16. लघु शीर्षवार तथा उप-शीर्षवार पूँजीगत व्यय का विस्तृत विवरण-(जारी) | | | | | | | |
|--|-----------------------|---|----------------------------|--------------------------------------|-----|------------------------------|---|
| (बोर्ड ऑफ़े जम्मू एवं कश्मीर संघ राज्य क्षेत्र में अभी तक प्रभाजित किए जाने एवं प्रतिधारित किए जाने वाले 30 अक्टूबर 2019 के अंत तक के व्यय को दर्शाते हैं) | | | | | | | |
| लेखा शीर्ष व्यय की प्रकृति | 2021-22 के दौरान व्यय | जम्मू एवं कश्मीर संघ राज्य क्षेत्र को आबंटित राशि | वर्ष 2022-23 के दौरान व्यय | | | 31 मार्च 2023 के अंत तक व्यय | वर्ष 2022-23 के दौरान प्रतिशत में वृद्धि(+)/कमी (-) |
| | | | संघ राज्य क्षेत्र का व्यय | केन्द्रीय सहायता (सीएसएस/ सीएस सहित) | कुल | | |
| (रुलाख में) | | | | | | | |
| व्यय शीर्ष- | | | | | | | |
| (पूँजीगत लेखा)-(जारी) | | | | | | | |
| ग- आर्थिक सेवाओं का पूँजीगत लेखा-(जारी) | | | | | | | |
| (इ) ऊर्जा का पूँजीगत लेखा-(जारी) | | | | | | | |
| 4801- विद्युत परियोजनाओं पर पूँजीगत परिव्यय-(जारी) | | | | | | | |
| 01- जल विद्युत उत्पादन (जारी) | | | | | | | |
| 190- सार्वजनिक क्षेत्र एवं अन्य उपक्रमों में निवेश-(समाप्त) | | | | | | | |
| (ii)- बाघलियर विद्युत परियोजना में निवेश | - | - | - | - | - | - | - |
| | | | | | | 14,781.72 | |
| कुल-190 | - | - | - | - | - | - | - |
| | | | | | | 14,791.72 | |
| 799- उंचत- | | | | | | | |
| विद्युत केन्द्रीय भण्डार मंडल पम्पोर-श्रीनगर | - | - | - | - | - | - | - |
| | | | | | | (-)18.07 | |
| चेनानी जल विद्युत परियोजना | - | - | - | - | - | - | - |
| | | | | | | 1,611.48 | |
| निचली झेलम जल विद्युत परियोजना | - | - | - | - | - | - | - |
| | | | | | | 18,641.55 | |
| ग्रिड स्टेशन वानपोह | - | - | - | - | - | - | - |
| | | | | | | 1,766.24 | |
| नई सुरंग | - | - | - | - | - | - | - |
| | | | | | | 4,941.43 | |
| ऊपरी सिंध जल विद्युत परियोजना-11 (कंगन) | - | - | - | - | - | - | - |
| | | | | | | 26,491.64 | |

16. लघु शीर्षवार तथा उप-शीर्षवार पूँजीगत व्यय का विस्तृत विवरण-(जारी)

| (बोर्ड ऑफ़े जम्मू एवं कश्मीर संघ राज्य क्षेत्र में अभी तक प्रभाजित किए जाने एवं प्रतिधारित किए जाने वाले 30 अक्टूबर 2019 के अंत तक के व्यय को दर्शाते हैं) | | | | | | | | |
|--|--|-----------------------|---|----------------------------|--------------------------------------|-----|------------------------------|---|
| लेखा शीर्षक | व्यय की प्रकृति | 2021-22 के दौरान व्यय | जम्मू एवं कश्मीर संघ राज्य क्षेत्र को आबंटित राशि | वर्ष 2022-23 के दौरान व्यय | | | 31 मार्च 2023 के अंत तक व्यय | वर्ष 2022-23 के दौरान प्रतिशत में वृद्धि(+)/कमी (-) |
| | | | | संघ राज्य क्षेत्र का व्यय | केन्द्रीय सहायता (सीएसएस/ सीएस सहित) | कुल | | |
| (रुलाख में) | | | | | | | | |
| व्यय शीर्षक- | | | | | | | | |
| (पूँजीगत लेखा)-(जारी) | | | | | | | | |
| ग- आर्थिक सेवाओं का पूँजीगत लेखा-(जारी) | | | | | | | | |
| (ङ) ऊर्जा का पूँजीगत लेखा-(जारी) | | | | | | | | |
| 4801- विद्युत परियोजनाओं पर पूँजीगत परिव्यय-(जारी) | | | | | | | | |
| 01- जल विद्युत उत्पादन-(समाप्त) | | | | | | | | |
| 799- उर्ध्वत-(समाप्त) | | | | | | | | |
| | सूक्ष्म जल विद्युत स्टेशन कारनाह | - | - | - | - | - | - | - |
| | 132-ग्रिड स्टेशन ग्नेडनी | - | - | - | - | - | 2,697.24 | - |
| | ग्रिड स्टेशन पम्पोर | - | - | - | - | - | 1,476.25 | - |
| | सेवा परियोजना बसोहली | - | - | - | - | - | 1,236.92 | - |
| | अन्य निर्माण जिनकी प्रत्येक की लागत ₹10 करोड़ या कम है | - | - | - | - | - | 17,619.48 | - |
| | कुल-799 | - | - | - | - | - | 29,211.80 | - |
| | | | | | | | 1,05,675.96 | |
| 800- अन्य व्यय- | | | | | | | | |
| | (i)- बगलिहार जल विद्युत परियोजना को सहायता | - | - | - | - | - | - | - |
| | | | | | | | 20,463.39 (क) | |
| | (ii)- अन्य व्यय | 60,000.00 | - | - | - | - | 80,462.94 | (-)100 |
| | कुल-800 | 60,000.00 | - | - | - | - | 91,246.24 | |
| | | | | | | | 80,462.94 | (-)100 |
| | कुल-01 | 60,000.00 | - | - | - | - | 1,11,709.63 (क) | |
| | | | | | | | 80,462.94 | (-)100 |
| | | | | | | | 2,32,592.62 | |

(क) राज्य सरकार द्वारा पिछले गलत वर्गीकरण में सुधार के कारण सूचित किए जाने पर 31 मार्च 2013 तक ₹ 167,00.00 लाख की राशि के शेष को प्रोपॉर्टी कम किया गया है। कृपया खण्ड-II के विवरण संख्या 18 में मुख्य शीर्षक -6801 के नीचे पाद टिप्पणी का संदर्भ लें।

| 16. लघु शीर्षवार तथा उप-शीर्षवार पूँजीगत व्यय का विस्तृत विवरण-(जारी) | | | | | | | |
|--|-----------------------|---|----------------------------|--------------------------------------|-----|------------------------------|---|
| (बोर्ड ऑफ़े जम्मू एवं कश्मीर संघ राज्य क्षेत्र में अभी तक प्रभाजित किए जाने एवं प्रतिधारित किए जाने वाले 30 अक्टूबर 2019 के अंत तक के व्यय को दर्शाते हैं) | | | | | | | |
| लेखा शीर्ष व्यय की प्रकृति | 2021-22 के दौरान व्यय | जम्मू एवं कश्मीर संघ राज्य क्षेत्र को आबंटित राशि | वर्ष 2022-23 के दौरान व्यय | | | 31 मार्च 2023 के अंत तक व्यय | वर्ष 2022-23 के दौरान प्रतिशत में वृद्धि(+)/कमी (-) |
| | | | संघ राज्य क्षेत्र का व्यय | केन्द्रीय सहायता (सीएसएस/ सीएस सहित) | कुल | | |
| (रुलाख में) | | | | | | | |
| व्यय शीर्ष- | | | | | | | |
| (पूँजीगत लेखा)-(जारी) | | | | | | | |
| ग- आर्थिक सेवाओं का पूँजीगत लेखा-(जारी) | | | | | | | |
| (इ) ऊर्जा का पूँजीगत लेखा-(जारी) | | | | | | | |
| 4801- विद्युत परियोजनाओं पर पूँजीगत परियोजना-(जारी) | | | | | | | |
| 02- ताप विद्युत उत्पादन- | | | | | | | |
| 001- निदेशन एवं प्रशासन | - | - | - | - | - | - | - |
| अन्य निर्माण जिनकी प्रत्येक की लागत ₹10 करोड़ या कम है। | - | - | - | - | - | 377.15 | - |
| | - | - | - | - | - | 210.24 | - |
| कुल-02 | - | - | - | - | - | - | - |
| 04- डीजल/ गैस विद्युत उत्पादन- | | | | | | | |
| 001- निदेशन एवं प्रशासन | - | - | - | - | - | - | - |
| 648- डीजी स्टेशन | - | - | - | - | - | 25.70 | - |
| 652- डीजी स्टेशन कारगिल | - | - | - | - | - | 3,826.72 | - |
| उत्पादन स्टेशन श्रीनगर की खरीद एवं संस्थापन सहित डीजल स्टेशन श्रीनगर | - | - | - | - | - | 3,334.96 | - |
| | - | - | - | - | - | 49,010.51 | - |
| निर्माण/ परियोजनाएं जिन पर पिछले पाँच वर्षों के दौरान कोई व्यय नहीं हुआ | - | - | - | - | - | 4,053.12 | - |
| अन्य निर्माण जिनकी प्रत्येक की लागत ₹10 करोड़ या कम है। | - | - | - | - | - | 3,793.51 | - |
| कुल-04 | - | - | - | - | - | - | - |
| | - | - | - | - | - | 64,044.52 | - |

| 16. लघु शीर्षवार तथा उप-शीर्षवार पूँजीगत व्यय का विस्तृत विवरण-(जारी) | | | | | | | |
|--|-----------------------|---|----------------------------|--------------------------------------|-----------|------------------------------|---|
| (बोर्ड ऑफ़े जम्मू एवं कश्मीर संघ राज्य क्षेत्र में अभी तक प्रभाजित किए जाने एवं प्रतिधारित किए जाने वाले 30 अक्टूबर 2019 के अंत तक के व्यय को दर्शाते हैं) | | | | | | | |
| लेखा शीर्ष व्यय की प्रकृति | 2021-22 के दौरान व्यय | जम्मू एवं कश्मीर संघ राज्य क्षेत्र को आबंटित राशि | वर्ष 2022-23 के दौरान व्यय | | | 31 मार्च 2023 के अंत तक व्यय | वर्ष 2022-23 के दौरान प्रतिशत में वृद्धि(+)/कमी (-) |
| | | | संघ राज्य क्षेत्र का व्यय | केन्द्रीय सहायता (सीएसएस/ सीएस सहित) | कुल | | |
| (रुलाख में) | | | | | | | |
| व्यय शीर्ष- | | | | | | | |
| (पूँजीगत लेखा)-(जारी) | | | | | | | |
| ग- आर्थिक सेवाओं का पूँजीगत लेखा-(जारी) | | | | | | | |
| (ङ) ऊर्जा का पूँजीगत लेखा-(जारी) | | | | | | | |
| 4801- विद्युत परियोजनाओं पर पूँजीगत परिव्यय-(जारी) | | | | | | | |
| <i>05- संचारण एवं वितरण-</i> | | | | | | | |
| 001- निदेशन एवं प्रशासन | 61,688.17 | - | 66,451.51 | - | 66,451.51 | 1,85,139.96 | (+)08 |
| | | | | | | 1,34,172.13 | |
| 052- मशीनरी एवं उपकरण | - | - | - | - | - | - | - |
| | | | | | | 27.47 | |
| 502- संचारण लाइन ग्लेडनी उधमपुर | - | - | - | - | - | - | - |
| | | | | | | 2.56 | |
| 503- संचारण लाइन हीरानगर बातल मनवाल | - | - | - | - | - | - | - |
| | | | | | | 1,028.61 | |
| 507- बिस्नाह मिरानसाहिब संचारण लाइन | - | - | - | - | - | - | - |
| | | | | | | 115.54 | |
| 536- बर्म नहर संचारण लाइन | - | - | - | - | - | - | - |
| | | | | | | 66.38 | |
| 537- बर्म बिस्नाह संचारण लाइन | - | - | - | - | - | - | - |
| | | | | | | 1,919.89 | |
| 540- 132/133 केवी ग्रिड स्टेशन संवर्धन | - | - | - | - | - | - | - |
| | | | | | | 323.46 | |
| 601- 132-केवी बादामपुरा संचारण लाइन | - | - | - | - | - | - | - |
| | | | | | | 25,453.36 | |
| 602- 220 केवी ग्लेडनी उधमपुर संचारण लाइन | - | - | - | - | - | - | - |
| | | | | | | 71.26 | |

| 16. लघु शीर्षवार तथा उप-शीर्षवार पूँजीगत व्यय का विस्तृत विवरण-(जारी) | | | | | | | |
|--|-----------------------|---|----------------------------|--------------------------------------|-----|------------------------------|---|
| (बोर्ड ऑफ़े जम्मू एवं कश्मीर संघ राज्य क्षेत्र में अभी तक प्रभाजित किए जाने एवं प्रतिधारित किए जाने वाले 30 अक्टूबर 2019 के अंत तक के व्यय को दर्शाते हैं) | | | | | | | |
| लेखा शीर्ष व्यय की प्रकृति | 2021-22 के दौरान व्यय | जम्मू एवं कश्मीर संघ राज्य क्षेत्र को आबंटित राशि | वर्ष 2022-23 के दौरान व्यय | | | 31 मार्च 2023 के अंत तक व्यय | वर्ष 2022-23 के दौरान प्रतिशत में वृद्धि(+)/कमी (-) |
| | | | संघ राज्य क्षेत्र का व्यय | केन्द्रीय सहायता (सीएसएस/ सीएस सहित) | कुल | | |
| (रुलाख में) | | | | | | | |
| व्यय शीर्ष- | | | | | | | |
| (पूँजीगत लेखा)-(जारी) | | | | | | | |
| ग- आर्थिक सेवाओं का पूँजीगत लेखा-(जारी) | | | | | | | |
| (इ) ऊर्जा का पूँजीगत लेखा-(जारी) | | | | | | | |
| 4801- विद्युत परियोजनाओं पर पूँजीगत परिव्यय-(जारी) | | | | | | | |
| 05- संचारण एवं वितरण-(जारी) | | | | | | | |
| 604- बुरान किशनपुर संचारण लाइन | - | - | - | - | - | - | - |
| 609- राजौरी, पुंछ संचारण लाइन | - | - | - | - | - | 1,809.12 | - |
| 615- रियासी-कलाकोट संचारण लाइन | - | - | - | - | - | 1,608.45 | - |
| 625- ग्रिड स्टेशन बेमिना | - | - | - | - | - | 896.38 | - |
| 636- ग्रिड स्टेशन हीरानगर | - | - | - | - | - | 1,304.01 | - |
| 637- ग्रिड स्टेशन बुरान | - | - | - | - | - | 101.73 | - |
| 638- ग्रिड स्टेशन सांबा | - | - | - | - | - | 4,361.69 | - |
| 639- ग्रिड स्टेशन महानपुर | - | - | - | - | - | 1.78 | - |
| 640- ग्रिड स्टेशन दरबा/ पुंछ | - | - | - | - | - | 159.97 | - |
| 641- ग्रिड स्टेशन डोडा | - | - | - | - | - | 1,028.41 | - |
| | | | | | | 46.00 | |

| 16. लघु शीर्षवार तथा उप-शीर्षवार पूँजीगत व्यय का विस्तृत विवरण-(जारी) | | | | | | | |
|--|-----------------------|---|----------------------------|--------------------------------------|-----|------------------------------|---|
| (बोर्ड ऑफ़े जम्मू एवं कश्मीर संघ राज्य क्षेत्र में अभी तक प्रभाजित किए जाने एवं प्रतिधारित किए जाने वाले 30 अक्टूबर 2019 के अंत तक के व्यय को दर्शाते हैं) | | | | | | | |
| लेखा शीर्ष व्यय की प्रकृति | 2021-22 के दौरान व्यय | जम्मू एवं कश्मीर संघ राज्य क्षेत्र को आबंटित राशि | वर्ष 2022-23 के दौरान व्यय | | | 31 मार्च 2023 के अंत तक व्यय | वर्ष 2022-23 के दौरान प्रतिशत में वृद्धि(+)/कमी (-) |
| | | | संघ राज्य क्षेत्र का व्यय | केन्द्रीय सहायता (सीएसएस/ सीएस सहित) | कुल | | |
| (रुलाख में) | | | | | | | |
| व्यय शीर्ष- | | | | | | | |
| (पूँजीगत लेखा)-(जारी) | | | | | | | |
| ग- आर्थिक सेवाओं का पूँजीगत लेखा-(जारी) | | | | | | | |
| (ङ) ऊर्जा का पूँजीगत लेखा-(जारी) | | | | | | | |
| 4801- विद्युत परियोजनाओं पर पूँजीगत परिव्यय-(जारी) | | | | | | | |
| <i>05- संचारण एवं वितरण-(जारी)</i> | | | | | | | |
| 642- ग्रिड स्टेशन सिद्धा | - | - | - | - | - | - | - |
| | | | | | | 24.49 | - |
| 670- उप-संचारण लाइनें और वितरण प्रणाली में सुधार | - | - | - | - | - | - | - |
| | | | | | | 53,730.71 | - |
| 674- 132/66 केवी ग्रिड स्टेशन हीरानगर का 42.5 एमवीए से 72.5 एमवी तक संवर्धन | - | - | - | - | - | - | - |
| | | | | | | 0.30 | - |
| 686- द्वाबा चांडक संचारण लाइन | - | - | - | - | - | - | - |
| | | | | | | 38.59 | - |
| 688- बुरान रियासी संचारण लाइन | - | - | - | - | - | - | - |
| | | | | | | 66.01 | - |
| 697- ग्रिड स्टेशन बडी ब्राहमना | - | - | - | - | - | - | - |
| | | | | | | 2,189.33 | - |
| 698- ग्रिड स्टेशन गंगयाल | - | - | - | - | - | - | - |
| | | | | | | 1,405.17 | - |
| 699- ग्रिड स्टेशन बिस्नाह | - | - | - | - | - | - | - |
| | | | | | | 5,647.88 | - |
| 700- ग्रिड स्टेशन चांडक | - | - | - | - | - | - | - |
| | | | | | | 766.53 | - |
| 701- ग्रिड स्टेशन कटरा | - | - | - | - | - | - | - |
| | | | | | | 1,234.48 | - |

16. लघु शीर्षवार तथा उप-शीर्षवार पूँजीगत व्यय का विस्तृत विवरण-(जारी)

| (बोर्ड ऑफ़ डे जम्मू एवं कश्मीर संघ राज्य क्षेत्र में अभी तक प्रभाजित किए जाने एवं प्रतिधारित किए जाने वाले 30 अक्टूबर 2019 के अंत तक के व्यय को दर्शाते हैं) | | | | | | | |
|--|-----------------------|---|----------------------------|--------------------------------------|-----|------------------------------|---|
| लेखा शीर्ष व्यय की प्रकृति | 2021-22 के दौरान व्यय | जम्मू एवं कश्मीर संघ राज्य क्षेत्र को आबंटित राशि | वर्ष 2022-23 के दौरान व्यय | | | 31 मार्च 2023 के अंत तक व्यय | वर्ष 2022-23 के दौरान प्रतिशत में वृद्धि(+)/कमी (-) |
| | | | संघ राज्य क्षेत्र का व्यय | केन्द्रीय सहायता (सीएसएस/ सीएस सहित) | कुल | | |
| (रुलाख में) | | | | | | | |
| व्यय शीर्ष- | | | | | | | |
| (पूँजीगत लेखा)-(जारी) | | | | | | | |
| ग- आर्थिक सेवाओं का पूँजीगत लेखा-(जारी) | | | | | | | |
| (ड) ऊर्जा का पूँजीगत लेखा-(जारी) | | | | | | | |
| 4801- विद्युत परियोजनाओं पर पूँजीगत परिव्यय-(जारी) | | | | | | | |
| 05- संचारण एवं वितरण-(जारी) | | | | | | | |
| 704- ग्रिड स्टेशन सीओट | - | - | - | - | - | - | - |
| 705- ग्रिड स्टेशन पोनी चाक | - | - | - | - | - | 19.05 | - |
| 719- ग्रिड स्टेशन बर्न पर केवी लाइन बेयस | - | - | - | - | - | 1,345.34 | - |
| 720- 132 बर्न-सीओट कालाकोट संचारण लाइन | - | - | - | - | - | 73.85 | - |
| 721- 132 केवी एस/सी ट्राबा चांडक संचारण लाइन | - | - | - | - | - | 826.51 | - |
| 723- 132 केवी लाइन बेयस 2. न. जी/एस चांडक | - | - | - | - | - | 47.73 | - |
| 724- 220/132 केवी जी/एस बिस्नाह | - | - | - | - | - | 7.60 | - |
| 725- 132 केवी डी/सी लिलो मुख्य रिंग से पानी पाउनी चक ग्रिड स्टेशन तक | - | - | - | - | - | 177.31 | - |
| 727- डी/सी बर्न बिस्नाह हीरानगर संचारण लाइन | - | - | - | - | - | 29.99 | - |
| | | | | | | 190.08 | |

| 16. लघु शीर्षवार तथा उप-शीर्षवार पूँजीगत व्यय का विस्तृत विवरण-(जारी) | | | | | | | |
|--|---------------|------------------|----------------------------|------------------|-----------|------------------|-------------------|
| (बोर्ड ऑफ़े जम्मू एवं कश्मीर संघ राज्य क्षेत्र में अभी तक प्रभाजित किए जाने एवं प्रतिधारित किए जाने वाले 30 अक्टूबर 2019 के अंत तक के व्यय को दर्शाते हैं) | | | | | | | |
| लेखा शीर्ष व्यय की प्रकृति | 2021-22 | जम्मू एवं | वर्ष 2022-23 के दौरान व्यय | | | 31 मार्च 2023 के | वर्ष 2022-23 के |
| | के दौरान व्यय | कश्मीर संघ | संघ राज्य क्षेत्र | केन्द्रीय सहायता | कुल | अंत तक व्यय | दौरान प्रतिशत में |
| | | राज्य क्षेत्र को | का व्यय | (सीएसएस/ सीएस | | | वृद्धि(+)/कमी (-) |
| | | आबंटित राशि | | सहित) | | | |
| | (रुलाख में) | | | | | | |
| व्यय शीर्ष- | | | | | | | |
| (पूँजीगत लेखा)-(जारी) | | | | | | | |
| ग- आर्थिक सेवाओं का पूँजीगत लेखा-(जारी) | | | | | | | |
| (इ) ऊर्जा का पूँजीगत लेखा-(जारी) | | | | | | | |
| 4801- विद्युत परियोजनाओं पर पूँजीगत परिव्यय-(जारी) | | | | | | | |
| 05- संचारण एवं वितरण(समाप्त) | | | | | | | |
| 728- 132 केवी 2 न. लाइन बेयस द्राबा | - | - | - | - | - | - | - |
| | | | | | | 6.76 | - |
| 729- 132/33 केवीजी/ बटाल मनवाल ग्रिड स्टेशन | - | - | - | - | - | - | - |
| | | | | | | 1,132.98 | - |
| 730- 132/33 केवी ग्रिड स्टेशन जोरियाँ कलीथ अखनूर | - | - | - | - | - | - | - |
| | | | | | | 1,188.84 | - |
| 731- 22 केवी लाइन ग्रिड स्टेशन बेयस हीरानगर | - | - | - | - | - | - | - |
| | | | | | | 285.35 | - |
| 750- 120 एमवीए ग्रिड स्टेशन रियासी | - | - | - | - | - | - | - |
| | | | | | | 29.76 | - |
| 799- उंचत | - | - | - | - | - | - | - |
| | | | | | | (-)35.18 | - |
| 800- अन्य व्यय | 1,311.84 | - | 5,794.01 | - | 5,794.01 | 7,120.85 | * |
| | | | | | | 6,44,683.39 | |
| अन्य निर्माण कार्य जिनकी प्रत्येक की लागत ₹10 करोड़ या कम है | - | - | - | - | - | - | - |
| | | | | | | 82,384.21 | |
| निर्माण/ परियोजनाएं जिनमें पिछले पाँच वर्षों के दौरान कोई व्यय नहीं हुआ | - | - | - | - | - | - | - |
| | | | | | | 1,20,924.05 | |
| कुल-05 | 63,000.01 | - | 72,245.52 | - | 72,245.52 | 1,92,260.81 | (+)15 |
| | | | | | | 10,92,919.31 | |

| 16. लघु शीर्षवार तथा उप-शीर्षवार पूँजीगत व्यय का विस्तृत विवरण-(जारी) | | | | | | | |
|--|-----------------------|---|----------------------------|--------------------------------------|----------|------------------------------|---|
| (बोर्ड ऑफ़े जम्मू एवं कश्मीर संघ राज्य क्षेत्र में अभी तक प्रभाजित किए जाने एवं प्रतिधारित किए जाने वाले 30 अक्टूबर 2019 के अंत तक के व्यय को दर्शाते हैं) | | | | | | | |
| लेखा शीर्ष व्यय की प्रकृति | 2021-22 के दौरान व्यय | जम्मू एवं कश्मीर संघ राज्य क्षेत्र को आबंटित राशि | वर्ष 2022-23 के दौरान व्यय | | | 31 मार्च 2023 के अंत तक व्यय | वर्ष 2022-23 के दौरान प्रतिशत में वृद्धि(+)/कमी (-) |
| | | | संघ राज्य क्षेत्र का व्यय | केन्द्रीय सहायता (सीएसएस/ सीएस सहित) | कुल | | |
| (रुलाख में) | | | | | | | |
| व्यय शीर्ष- | | | | | | | |
| (पूँजीगत लेखा)-(जारी) | | | | | | | |
| ग- आर्थिक सेवाओं का पूँजीगत लेखा-(जारी) | | | | | | | |
| (घ) उद्योग एवं खनिजों का पूँजीगत लेखा-(जारी) | | | | | | | |
| 4851- ग्राम एवं लघु उद्योग पर पूँजीगत परिव्यय-(जारी) | | | | | | | |
| 104- हस्तकला उद्योग | 2,342.27 | - | 3,662.63 | - | 3,662.63 | 12,344.18 | (+) 56 |
| | | | | | | 16,840.01 | |
| 105- खादी एवं ग्रामोद्योग | 2,514.25 | - | 2,240.00 | - | 2,240.00 | 7,899.32 | (+) 11 |
| | | | | | | 4,495.08 | |
| 107- रेशम उत्पादन उद्योग | 837.11 | - | 774.96 | - | 774.96 | 2,362.41 | (-) 07 |
| | | | | | | 10,188.08 | |
| 108- पावरलूम उद्योग | - | - | - | - | - | - | - |
| | | | | | | 14.41 | |
| 109- समग्र ग्राम और लघु उद्योग सहकारिताएं | - | - | - | - | - | - | - |
| | | | | | | 6.20 | |
| 190- सार्वजनिक क्षेत्र एवं अन्य उपक्रमों में निवेश | | | | | | | |
| (i)- जम्मू एवं कश्मीर हस्तशिल्प (एसएण्डई) निगम के पूँजीगत शेयर में निवेश | - | - | - | - | - | - | - |
| | | | | | | 1,616.60 | |
| (ii)- जम्मू एवं कश्मीर राज्य हथकरघा विकास निगम लिमिटेड में निवेश | - | - | - | - | - | - | - |
| | | | | | | 1,329.75 | |
| (iii)- जम्मू एवं कश्मीर उद्योग लिमिटेड में निवेश | - | - | - | - | - | - | - |
| | | | | | | 1,629.33 | |
| (iv)- औद्योगिक क्षेत्र में अन्य शेयर पूँजीगत निवेश | - | - | - | - | - | - | - |
| | | | | | | 63.03 | |

| 16. लघु शीर्षवार तथा उप-शीर्षवार पूँजीगत व्यय का विस्तृत विवरण-(जारी) | | | | | | | |
|---|-----------------------|---|----------------------------|--------------------------------------|-----------------|------------------------------|---|
| (बोर्ड ऑफ़ जम्मू एवं कश्मीर संघ राज्य क्षेत्र में अभी तक प्रभाजित किए जाने एवं प्रतिधारित किए जाने वाले 30 अक्टूबर 2019 के अंत तक के व्यय को दर्शाते हैं) | | | | | | | |
| लेखा शीर्ष व्यय की प्रकृति | 2021-22 के दौरान व्यय | जम्मू एवं कश्मीर संघ राज्य क्षेत्र को आबंटित राशि | वर्ष 2022-23 के दौरान व्यय | | | 31 मार्च 2023 के अंत तक व्यय | वर्ष 2022-23 के दौरान प्रतिशत में वृद्धि(+)/कमी (-) |
| | | | संघ राज्य क्षेत्र का व्यय | केन्द्रीय सहायता (सीएसएस/ सीएस सहित) | कुल | | |
| (रुलाख में) | | | | | | | |
| व्यय शीर्ष- | | | | | | | |
| (पूँजीगत लेखा)-(जारी) | | | | | | | |
| ग- आर्थिक सेवाओं का पूँजीगत लेखा-(जारी) | | | | | | | |
| (च) उद्योगों एवं खनिजों का पूँजीगत लेखा-(जारी) | | | | | | | |
| 4851- ग्राम एवं लघु उद्योगों पर पूँजीगत परिव्यय-(समाप्त) | | | | | | | |
| 190- सार्वजनिक क्षेत्र एवं अन्य उपक्रमों में निवेश-(समाप्त) | | | | | | | |
| (v)- हथकरघा क्षेत्र में अन्य शेयर पूँजीगत निवेश | - | - | - | - | - | - | - |
| | | | | | | 1,538.93 | |
| (vi)- हस्तशिल्प क्षेत्र में अन्य शेयर पूँजीगत निवेश | - | - | - | - | - | - | - |
| | | | | | | 18.50 | |
| (vii)- एसआईडीसीओ में निवेश | - | - | - | - | - | - | - |
| | | | | | | 3,008.50 | |
| (viii)- एसआसीओपी में निवेश | - | - | - | - | - | - | - |
| | | | | | | 125.00 | |
| (ix)- जम्मू एवं कश्मीर खनिज लिमिटेड | - | - | - | - | - | - | - |
| | | | | | | 45.00 | |
| (x)- बाजार विकास सहायता | - | - | - | - | - | - | - |
| | | | | | | 2,166.16 | |
| कुल-190 | - | - | - | - | - | - | - |
| | | | | | | 11,540.80 | |
| 200- अन्य ग्राम उद्योग | - | - | - | - | - | - | - |
| | | | | | | 4.84 | |
| 800- अन्य व्यय | 999.96 | - | 352.02 | - | 352.02 | 3,994.48 | (-)65 |
| | | | | | | 13,529.42 | |
| 911- अधिक भुगतानों पर वसूलियों की कटौती | - | - | - | - | - | - | - |
| | | | | | | (-)3.13 | |
| कुल-4851 | 12,530.51 | - | 9,566.71 | - | 9,566.71 | 51,301.83 | (-)24 |
| | | | | | | 1,81,859.49 | |

| 16. लघु शीर्षवार तथा उप-शीर्षवार पूँजीगत व्यय का विस्तृत विवरण-(जारी) | | | | | | | |
|--|-----------------------|---|----------------------------|--------------------------------------|---------------|------------------------------|---|
| (बोर्ड ऑफ़े जम्म् एवं कश्मीर संघ राज्य क्षेत्र में अभी तक प्रभाजित किए जाने एवं प्रतिधारित किए जाने वाले 30 अक्टूबर 2019 के अंत तक के व्यय को दर्शाते हैं) | | | | | | | |
| लेखा शीर्ष व्यय की प्रकृति | 2021-22 के दौरान व्यय | जम्म् एवं कश्मीर संघ राज्य क्षेत्र को आबंटित राशि | वर्ष 2022-23 के दौरान व्यय | | | 31 मार्च 2023 के अंत तक व्यय | वर्ष 2022-23 के दौरान प्रतिशत में वृद्धि(+)/कमी (-) |
| | | | संघ राज्य क्षेत्र का व्यय | केन्द्रीय सहायता (सीएसएस/ सीएस सहित) | कुल | | |
| (रुलाख में) | | | | | | | |
| व्यय शीर्ष- | | | | | | | |
| (पूँजीगत लेखा)-(जारी) | | | | | | | |
| ग- आर्थिक सेवाओं का पूँजीगत लेखा-(जारी) | | | | | | | |
| (च) उद्योगों एवं खनिजों का पूँजीगत लेखा-(जारी) | | | | | | | |
| 4852- लौह एवं इस्पात उद्योगों पर पूँजीगत परिव्यय- | | | | | | | |
| 01- खनन- | | | | | | | |
| 800- अन्य व्यय | - | - | - | - | - | - | - |
| | | | | | | 368.97 | |
| कुल-01 | - | - | - | - | - | 368.97 | - |
| 02- विनिर्माण- | | | | | | | |
| 190- सार्वजनिक क्षेत्र एवं अन्य उपक्रमों में निवेश- | | | | | | | |
| (i)- एसआईसीओपी | 90.00 | - | 123.27 | - | 123.27 | 509.27 | (+)37 |
| (ii)- एसआईडीसीओ | 181.29 | - | 305.82 | - | 305.82 | 999.60 | (+)69 |
| | | | | | | 712.50 | |
| कुल-190 | 271.29 | - | 429.09 | - | 429.09 | 1,508.87 | (+)58 |
| | | | | | | 712.50 | |
| 800- अन्य व्यय | - | - | - | - | - | - | - |
| | | | | | | 19,842.77 | |
| कुल-02 | 271.29 | - | 429.09 | - | 429.09 | 1,508.87 | (+)58 |
| | | | | | | 20,555.27 | |
| कुल-4852 | 271.29 | - | 429.09 | - | 429.09 | 1,508.87 | (+)58 |
| | | | | | | 20,924.24 | |

| 16. लघु शीर्षवार तथा उप-शीर्षवार पूँजीगत व्यय का विस्तृत विवरण-(जारी) | | | | | | | |
|--|-----------------------|---|----------------------------|--------------------------------------|-------|------------------------------|---|
| (बोर्ड ऑफ़े जम्मू एवं कश्मीर संघ राज्य क्षेत्र में अभी तक प्रभाजित किए जाने एवं प्रतिधारित किए जाने वाले 30 अक्टूबर 2019 के अंत तक के व्यय को दर्शाते हैं) | | | | | | | |
| लेखा शीर्ष व्यय की प्रकृति | 2021-22 के दौरान व्यय | जम्मू एवं कश्मीर संघ राज्य क्षेत्र को आबंटित राशि | वर्ष 2022-23 के दौरान व्यय | | | 31 मार्च 2023 के अंत तक व्यय | वर्ष 2022-23 के दौरान प्रतिशत में वृद्धि(+)/कमी (-) |
| | | | संघ राज्य क्षेत्र का व्यय | केन्द्रीय सहायता (सीएसएस/ सीएस सहित) | कुल | | |
| (रुलाख में) | | | | | | | |
| व्यय शीर्ष- | | | | | | | |
| (पूँजीगत लेखा)-(जारी) | | | | | | | |
| ग- आर्थिक सेवाओं का पूँजीगत लेखा-(जारी) | | | | | | | |
| (च) उद्योगों एवं खनिजों का पूँजीगत लेखा-(जारी) | | | | | | | |
| 4853- अलौह धातु खनन एवं धातुकर्म उद्योगों पर पूँजीगत परिव्यय- | | | | | | | |
| 01- खनिज उत्खनन और विकास- | | | | | | | |
| 004- अनुसंधान एवं विकास | - | - | - | - | - | - | - |
| | | | | | | 81.73 | |
| 190- सार्वजनिक क्षेत्र एवं अन्य उपक्रमों में निवेश- | | | | | | | |
| (i)- भू-विज्ञान एवं खनन | 114.23 | - | 96.68 | - | 96.68 | 292.41 | (-)15 |
| | | | | | | 1,746.16 | |
| (ii)- जम्मू एवं कश्मीर खनिज लिमिटेड | 5.34 | - | - | - | - | 345.34 | (-)100 |
| | | | | | | 274.78 | |
| (iii)- जम्मू एवं कश्मीर सीमेन्ट | - | - | - | - | - | - | - |
| | | | | | | 501.08 | |
| कुल-190 | 119.57 | - | 96.68 | - | 96.68 | 637.75 | (-)19 |
| | | | | | | 2,522.02 | |
| 800- अन्य व्यय | - | - | - | - | - | - | - |
| | | | | | | 5,139.85 | |
| कुल-01 | 119.57 | - | 96.68 | - | 96.68 | 637.75 | (-)19 |
| | | | | | | 7,743.60 | |
| 60- सामान्य- | | | | | | | |
| 800- अन्य व्यय | - | - | - | - | - | - | - |
| | | | | | | 25.95 | |
| कुल-60 | - | - | - | - | - | - | - |
| | | | | | | 25.95 | |
| कुल-4853 | 119.57 | - | 96.68 | - | 96.68 | 637.75 | (-)19 |
| | | | | | | 7,769.55 | |

| 16. लघु शीर्षवार तथा उप-शीर्षवार पूँजीगत व्यय का विस्तृत विवरण-(जारी) | | | | | | | |
|--|---------------|---|----------------------------|--------------------------------------|-----|------------------|-------------------------------------|
| (बोर्ड ऑफ़े जम्मू एवं कश्मीर संघ राज्य क्षेत्र में अभी तक प्रभाजित किए जाने एवं प्रतिधारित किए जाने वाले 30 अक्टूबर 2019 के अंत तक के व्यय को दर्शाते हैं) | | | | | | | |
| लेखा शीर्ष व्यय की प्रकृति | 2021-22 | जम्मू एवं | वर्ष 2022-23 के दौरान व्यय | | | 31 मार्च 2023 के | वर्ष 2022-23 के |
| | के दौरान व्यय | कश्मीर संघ राज्य क्षेत्र को आबंटित राशि | संघ राज्य क्षेत्र का व्यय | केन्द्रीय सहायता (सीएसएस/ सीएस सहित) | कुल | अंत तक व्यय | दौरान प्रतिशत में वृद्धि(+)/कमी (-) |
| (रुलाख में) | | | | | | | |
| व्यय शीर्ष- | | | | | | | |
| (पूँजीगत लेखा)-(जारी) | | | | | | | |
| ग- आर्थिक सेवाओं का पूँजीगत लेखा-(जारी) | | | | | | | |
| (घ) उद्योग एवं खनिजों का पूँजीगत लेखा (जारी) | | | | | | | |
| 4854- सीमेन्ट एवं अधात्विक खनिज लिमिटेड पर पूँजीगत परिव्यय- | | | | | | | |
| 01- सीमेन्ट- | | | | | | | |
| 004- अनुसंधान एवं विकास | - | - | - | - | - | - | - |
| | | | | | | 24.06 | |
| कुल-01 | - | - | - | - | - | - | - |
| | | | | | | 24.06 | |
| कुल-4854 | - | - | - | - | - | - | - |
| | | | | | | 24.06 | |
| 4858- अभियांत्रिकी उद्योगों पर पूँजीगत परिव्यय- | | | | | | | |
| 60- अन्य अभियांत्रिकी उद्योग- | | | | | | | |
| 190- सार्वजनिक क्षेत्र एवं अन्य उपक्रमों में निवेश- | | | | | | | |
| (i)- तवी स्कूटर्स लिमिटेड में निवेश | | | | | | | |
| | - | - | - | - | - | - | - |
| | | | | | | 10.00 | |
| (ii)- अन्य उद्योग | - | - | - | - | - | - | - |
| | | | | | | 115.23 | |
| कुल-190 | - | - | - | - | - | - | - |
| | | | | | | 125.23 | |
| कुल-60 | - | - | - | - | - | - | - |
| | | | | | | 125.23 | |
| कुल-4858 | - | - | - | - | - | - | - |
| | | | | | | 125.23 | |

| 16. लघु शीर्षवार तथा उप-शीर्षवार पूँजीगत व्यय का विस्तृत विवरण-(जारी) | | | | | | | | |
|--|-----------------|--------------------------|--|------------------------------|--|----------|---------------------------------|---|
| (बोर्ड ऑफ़ डे जम्मू एवं कश्मीर संघ राज्य क्षेत्र में अभी तक प्रभाजित किए जाने एवं प्रतिधारित किए जाने वाले 30 अक्टूबर 2019 के अंत तक के व्यय को दर्शाते हैं) | | | | | | | | |
| लेखा शीर्षक | व्यय की प्रकृति | 2021-22 के दौरान व्यय | जम्मू एवं कश्मीर संघ राज्य क्षेत्र को आबंटित राशि | वर्ष 2022-23 के दौरान व्यय | | | 31 मार्च 2023 के अंत तक व्यय | वर्ष 2022-23 के दौरान प्रतिशत में वृद्धि(+)/कमी (-) |
| | | | | संघ राज्य क्षेत्र का व्यय | केन्द्रीय सहायता (सीएसएस/ सीएस सहित) | कुल | | |
| (रुलाख में) | | | | | | | | |
| व्यय शीर्षक- | | | | | | | | |
| (पूँजीगत लेखा)-(जारी) | | | | | | | | |
| ग- आर्थिक सेवाओं का पूँजीगत लेखा-(जारी) | | | | | | | | |
| (च) उद्योगों एवं खनिजों का पूँजीगत लेखा-(जारी) | | | | | | | | |
| 4860- उपभोक्ता उद्योगों पर पूँजीगत परिव्यय- | | | | | | | | |
| 01- वस्त्र- | | | | | | | | |
| 800- अन्य व्यय | | - | - | - | - | - | - | |
| | | | | | | 139.40 | | |
| | कुल-01 | - | - | - | - | - | - | |
| | | | | | | 139.40 | | |
| 05- कागज एवं समाचार पत्र मुद्रण- | | | | | | | | |
| 800- अन्य व्यय | | - | - | - | - | - | - | |
| | | | | | | 1.52 | | |
| | कुल-05 | - | - | - | - | - | - | |
| | | | | | | 1.52 | | |
| 60- अन्य उद्योग- | | | | | | | | |
| 600- अन्य- सीमेन्ट | | - | - | - | - | - | - | |
| | | | | | | 1,536.17 | | |
| मिट्टी के पात्र | | - | - | - | - | - | - | |
| | | | | | | 28.36 | | |
| ऊन | | - | - | - | - | - | - | |
| | | | | | | 159.92 | | |
| माचिस कारखाना/ भेषजीय | | - | - | - | - | - | - | |
| | | | | | | 4.00 | | |
| जोड़नरी मिल | | - | - | - | - | - | - | |
| | | | | | | 60.00 | | |

| 16. लघु शीर्षवार तथा उप-शीर्षवार पूँजीगत व्यय का विस्तृत विवरण-(जारी) | | | | | | | | |
|--|--|-----------------------|---|----------------------------|--------------------------------------|----------|------------------------------|---|
| (बोर्ड ऑफ़ डे जम्मू एवं कश्मीर संघ राज्य क्षेत्र में अभी तक प्रभाजित किए जाने एवं प्रतिधारित किए जाने वाले 30 अक्टूबर 2019 के अंत तक के व्यय को दर्शाते हैं) | | | | | | | | |
| लेखा शीर्षक | व्यय की प्रकृति | 2021-22 के दौरान व्यय | जम्मू एवं कश्मीर संघ राज्य क्षेत्र को आबंटित राशि | वर्ष 2022-23 के दौरान व्यय | | | 31 मार्च 2023 के अंत तक व्यय | वर्ष 2022-23 के दौरान प्रतिशत में वृद्धि(+)/कमी (-) |
| | | | | संघ राज्य क्षेत्र का व्यय | केन्द्रीय सहायता (सीएसएस/ सीएस सहित) | कुल | | |
| (रुलाख में) | | | | | | | | |
| व्यय शीर्षक- | | | | | | | | |
| (पूँजीगत लेखा)-(जारी) | | | | | | | | |
| ग- आर्थिक सेवाओं का पूँजीगत लेखा-(जारी) | | | | | | | | |
| (च) उद्योगों एवं खनिजों पर पूँजीगत लेखा-(जारी) | | | | | | | | |
| 4860- उपभोक्ता उद्योगों पर पूँजीगत परिव्यय-(समाप्त) | | | | | | | | |
| <i>60- अन्य उद्योग-(समाप्त)</i> | | | | | | | | |
| 600- अन्य-(समाप्त) | | | | | | | | |
| जम्मू एवं कश्मीर उद्योग लिमिटेड में निवेश | | | | | | | | |
| | | - | - | - | - | - | - | |
| | जम्मू एवं कश्मीर खनिजों की पूँजीगत अंश | - | - | - | - | - | - | |
| | | | | | | 945.49 | | |
| | | | | | | 258.91 | | |
| | कुल-60 | - | - | - | - | - | - | |
| | | | | | | 2,992.85 | | |
| | कुल-4860 | - | - | - | - | - | - | |
| | | | | | | 3,133.77 | | |
| 4875- अन्य उद्योगों पर पूँजीगत परिव्यय- | | | | | | | | |
| <i>60- अन्य उद्योग-</i> | | | | | | | | |
| 800- अन्य व्यय | | | | | | | | |
| | | - | - | - | - | - | - | |
| | | | | | | 6.01 | | |
| | कुल-60 | - | - | - | - | - | - | |
| | | | | | | 6.01 | | |
| | कुल-4875 | - | - | - | - | - | - | |
| | | | | | | 6.01 | | |
| 4885- उद्योगों एवं खनिजों पर अन्य पूँजीगत परिव्यय- | | | | | | | | |
| <i>01- औद्योगिक वित्तीय संस्थानों में निवेश-</i> | | | | | | | | |
| 190- सार्वजनिक क्षेत्र एवं अन्य उपक्रमों में निवेश- | | | | | | | | |
| (i)- जम्मू एवं कश्मीर राज्य औद्योगिक विकास लिमिटेड में निवेश | | | | | | | | |
| | | - | - | - | - | - | - | |
| | | | | | | 3,076.54 | | |

| 16. लघु शीर्षवार तथा उप-शीर्षवार पूँजीगत व्यय का विस्तृत विवरण-(जारी) | | | | | | | |
|--|-----------------------|---|----------------------------|--------------------------------------|-----|------------------------------|---|
| (बोर्ड ऑफ़े जम्मू एवं कश्मीर संघ राज्य क्षेत्र में अभी तक प्रभाजित किए जाने एवं प्रतिधारित किए जाने वाले 30 अक्टूबर 2019 के अंत तक के व्यय को दर्शाते हैं) | | | | | | | |
| लेखा शीर्ष व्यय की प्रकृति | 2021-22 के दौरान व्यय | जम्मू एवं कश्मीर संघ राज्य क्षेत्र को आबंटित राशि | वर्ष 2022-23 के दौरान व्यय | | | 31 मार्च 2023 के अंत तक व्यय | वर्ष 2022-23 के दौरान प्रतिशत में वृद्धि(+)/कमी (-) |
| | | | संघ राज्य क्षेत्र का व्यय | केन्द्रीय सहायता (सीएसएस/ सीएस सहित) | कुल | | |
| (रुलाख में) | | | | | | | |
| व्यय शीर्ष- | | | | | | | |
| (पूँजीगत लेखा)-(जारी) | | | | | | | |
| ग- आर्थिक सेवाओं का पूँजीगत लेखा-(जारी) | | | | | | | |
| (च) उद्योगों एवं खनिजों पर पूँजीगत लेखा-(जारी) | | | | | | | |
| 4885- उद्योगों एवं खनिजों पर अन्य पूँजीगत परिव्यय-(जारी) | | | | | | | |
| <i>01- औद्योगिक वित्तीय संस्थानों में निवेश-(समाप्त)</i> | | | | | | | |
| 190- सार्वजनिक क्षेत्र एवं अन्य उपक्रमों में निवेश-(समाप्त) | | | | | | | |
| (ii)- जम्मू एवं कश्मीर वित्तीय निगम लिमिटेड में शेयर पूँजीगत अंश | - | - | - | - | - | 40.66 | - |
| (iii)- जम्मू एवं कश्मीर लघु पैमाना औद्योगिक विकास निगम लिमिटेड में निवेश | - | - | - | - | - | 347.50 | - |
| कुल-190 | - | - | - | - | - | 3,464.70 | - |
| 200- अन्य निवेश- | | | | | | | |
| (i)- निजी क्षेत्र के साथ सहभागिता | - | - | - | - | - | 17.27 | - |
| (ii)- ब्रिकेटिंग संयंत्र | - | - | - | - | - | 14.59 | - |
| (iii)- भवन उद्योग | - | - | - | - | - | 192.05 | - |
| कुल-200 | - | - | - | - | - | 223.91 | - |
| कुल-01 | - | - | - | - | - | 3,688.61 | - |
| 60- अन्य- | | | | | | | |
| 800- अन्य व्यय- | | | | | | | |
| (i)- औद्योगिक क्षेत्रों का विकास | - | - | - | - | - | 443.66 | - |

| 16. लघु शीर्षवार तथा उप-शीर्षवार पूँजीगत व्यय का विस्तृत विवरण-(जारी) | | | | | | | |
|--|---------------|---|----------------------------|--------------------------------------|-----------|------------------|-------------------------------------|
| (बोर्ड ऑफ़े जम्मू एवं कश्मीर संघ राज्य क्षेत्र में अभी तक प्रभाजित किए जाने एवं प्रतिधारित किए जाने वाले 30 अक्टूबर 2019 के अंत तक के व्यय को दर्शाते हैं) | | | | | | | |
| लेखा शीर्ष व्यय की प्रकृति | 2021-22 | जम्मू एवं | वर्ष 2022-23 के दौरान व्यय | | | 31 मार्च 2023 के | वर्ष 2022-23 के |
| | के दौरान व्यय | कश्मीर संघ राज्य क्षेत्र को आबंटित राशि | संघ राज्य क्षेत्र का व्यय | केन्द्रीय सहायता (सीएसएस/ सीएस सहित) | कुल | अंत तक व्यय | दौरान प्रतिशत में वृद्धि(+)/कमी (-) |
| (रुलाख में) | | | | | | | |
| व्यय शीर्ष- | | | | | | | |
| (पूँजीगत लेखा)-(जारी) | | | | | | | |
| ग- आर्थिक सेवाओं का पूँजीगत लेखा-(जारी) | | | | | | | |
| (च) उद्योगों एवं खनिजों पर पूँजीगत लेखा-(समाप्त) | | | | | | | |
| 4885- उद्योगों एवं खनिजों पर अन्य पूँजीगत परिव्यय-(समाप्त) | | | | | | | |
| 60- अन्य-(समाप्त) | | | | | | | |
| 800- अन्य व्यय-(समाप्त) | | | | | | | |
| (ii)- अन्य व्यय | | | | | | | |
| | - | - | - | - | - | - | - |
| | | | | | | 140.64 | |
| कुल-800 | - | - | - | - | - | - | - |
| | | | | | | 584.30 | |
| कुल-60 | - | - | - | - | - | - | - |
| | | | | | | 584.30 | |
| कुल-4885 | - | - | - | - | - | - | - |
| | | | | | | 4,272.91 | |
| कुल-(च)- उद्योगों एवं खनिजों पर पूँजीगत लेखा | 12,921.37 | - | 10,092.48 | - | 10,092.48 | 53,448.45 | (-)/22 |
| | | | | | | 2,18,115.26 | |
| (ख) परिवहन का पूँजीगत लेखा- | | | | | | | |
| 5054- सड़कों एवं पुलों पर पूँजीगत परिव्यय- | | | | | | | |
| 01- राष्ट्रीय राजमार्ग- | | | | | | | |
| 052- मशीनरी एवं उपकरण | | | | | | | |
| | - | - | - | - | - | - | - |
| | | | | | | 24.25 | |
| 101- स्थायी पुल | - | - | - | - | - | - | - |
| | | | | | | 182.39 | |
| 337- सड़क निर्माण कार्य | - | - | 31.78 | - | 31.78 | 31.78 | - |
| | | | | | | 5,031.67 | |
| 800- अन्य व्यय | - | - | - | - | - | - | - |
| | | | | | | 1,264.44 | |
| कुल-01 | - | - | 31.78 | - | 31.78 | 31.78 | - |
| | | | | | | 6,502.75 | |

| 16. लघु शीर्षवार तथा उप-शीर्षवार पूँजीगत व्यय का विस्तृत विवरण-(जारी) | | | | | | | |
|--|-----------------------|---|----------------------------|--------------------------------------|-------------|------------------------------|---|
| (बौलड ऑकड़े जम्मू एवं कश्मीर संघ राज्य क्षेत्र में अभी तक प्रभाजित किए जाने एवं प्रतिधारित किए जाने वाले 30 अक्टूबर 2019 के अंत तक के व्यय को दर्शाते हैं) | | | | | | | |
| लेखा शीर्ष व्यय की प्रकृति | 2021-22 के दौरान व्यय | जम्मू एवं कश्मीर संघ राज्य क्षेत्र को आबंटित राशि | वर्ष 2022-23 के दौरान व्यय | | | 31 मार्च 2023 के अंत तक व्यय | वर्ष 2022-23 के दौरान प्रतिशत में वृद्धि(+)/कमी (-) |
| | | | संघ राज्य क्षेत्र का व्यय | केन्द्रीय सहायता (सीएसएस/ सीएस सहित) | कुल | | |
| (रुलाख में) | | | | | | | |
| व्यय शीर्ष- | | | | | | | |
| (पूँजीगत लेखा)-(जारी) | | | | | | | |
| ग- आर्थिक सेवाओं का पूँजीगत लेखा-(जारी) | | | | | | | |
| (ख) परिवहन का पूँजीगत लेखा (जारी) | | | | | | | |
| 5054- सड़कों एवं पुलों पर पूँजीगत परिव्यय-(जारी) | | | | | | | |
| <i>02- सामरिक एवं सीमावर्ती सड़कें-</i> | | | | | | | |
| 101- पुल | - | - | - | - | - | 10.31 | - |
| 337- सड़क निर्माण कार्य | - | - | - | - | - | 887.07 | - |
| 800- अन्य व्यय | - | - | - | - | - | - | - |
| | | | | | | 37.53 | |
| <i>कुल-02</i> | - | - | - | - | - | 934.91 | - |
| <i>03- राज्य राजमार्ग-</i> | | | | | | | |
| 001- निदेशन एवं प्रशासन | - | - | - | - | - | 160.87 | - |
| 052- मशीनरी एवं उपकरण | - | - | - | - | - | - | - |
| 101- पुल | 1,84,957.18 | - | 49,950.41 | 55,500.00 | 1,05,450.41 | 5,43,385.84 | (-) ⁴³ |
| 337- सड़क निर्माण कार्य | - | - | - | - | - | 9,32,406.92 | - |
| 794- जनजातीय उप-योजना के लिए विशेष केन्द्रीय सहायता | - | - | - | - | - | 22,919.40 | - |
| 796- जनजातीय क्षेत्र उप-योजना | - | - | - | - | - | 241.82 | - |
| | | | | | | 63.57 | |

| 16. लघु शीर्षवार तथा उप-शीर्षवार पूँजीगत व्यय का विस्तृत विवरण-(जारी) | | | | | | | |
|--|-----------------------|---|----------------------------|--------------------------------------|-------------|------------------------------|---|
| (बोर्ड ऑफ़े जम्मू एवं कश्मीर संघ राज्य क्षेत्र में अभी तक प्रभाजित किए जाने एवं प्रतिधारित किए जाने वाले 30 अक्टूबर 2019 के अंत तक के व्यय को दर्शाते हैं) | | | | | | | |
| लेखा शीर्ष व्यय की प्रकृति | 2021-22 के दौरान व्यय | जम्मू एवं कश्मीर संघ राज्य क्षेत्र को आबंटित राशि | वर्ष 2022-23 के दौरान व्यय | | | 31 मार्च 2023 के अंत तक व्यय | वर्ष 2022-23 के दौरान प्रतिशत में वृद्धि(+)/कमी (-) |
| | | | संघ राज्य क्षेत्र का व्यय | केन्द्रीय सहायता (सीएसएस/ सीएस सहित) | कुल | | |
| (रुलाख में) | | | | | | | |
| व्यय शीर्ष- | | | | | | | |
| (पूँजीगत लेखा)-(जारी) | | | | | | | |
| ग- आर्थिक सेवाओं का पूँजीगत लेखा-(जारी) | | | | | | | |
| (ख) परिवहन का पूँजीगत लेखा-(जारी) | | | | | | | |
| 5054- सड़कों एवं पुलों पर पूँजीगत परिव्यय-(जारी) | | | | | | | |
| <i>03- राज्य राजमार्ग-(समाप्त)</i> | | | | | | | |
| 799- उंचत | - | - | - | - | - | - | - |
| | | | | | | 4.60 | |
| 800- अन्य व्यय | - | - | - | - | - | - | - |
| | | | | | | 1,78,261.01 | |
| <i>कुल-03</i> | 1,84,957.18 | | 49,950.41 | 55,500.00 | 1,05,450.41 | 5,43,385.84 | (-) 43 |
| | | | | | | 11,34,377.03 | |
| <i>04- जिला एवं अन्य सड़कें-</i> | | | | | | | |
| 101- पुल | - | - | - | - | - | - | - |
| | | | | | | 3,290.34 | |
| 337- सड़क निर्माण कार्य | 11,901.22 | - | 6,139.08 | - | 6,139.08 | 18,040.30 | (-) 48 |
| | | | | | | 24,125.47 | |
| 800- अन्य व्यय | - | - | - | - | - | - | - |
| | | | | | | 1,53,036.51 | |
| <i>कुल-04</i> | 11,901.22 | - | 6,139.08 | - | 6,139.08 | 18,040.30 | (-) 48 |
| | | | | | | 1,80,452.32 | |
| <i>05- सड़कें-</i> | | | | | | | |
| 101- पुल | - | - | - | - | - | - | - |
| | | | | | | 1,173.87 | |
| 337- सड़क निर्माण कार्य | 67,507.41 | - | 1,00,987.74 | | 1,00,987.74 | 2,35,213.54 | (+) 50 |
| | | | | | | 1,26,973.32 | |

| 16. लघु शीर्षवार तथा उप-शीर्षवार पूँजीगत व्यय का विस्तृत विवरण-(जारी) | | | | | | | |
|--|---------------|---|----------------------------|--------------------------------------|-------------|--------------------|-------------------------------------|
| (बोर्ड ऑफ़े जम्मू एवं कश्मीर संघ राज्य क्षेत्र में अभी तक प्रभाजित किए जाने एवं प्रतिधारित किए जाने वाले 30 अक्टूबर 2019 के अंत तक के व्यय को दर्शाते हैं) | | | | | | | |
| लेखा शीर्ष व्यय की प्रकृति | 2021-22 | जम्मू एवं | वर्ष 2022-23 के दौरान व्यय | | | 31 मार्च 2023 के | वर्ष 2022-23 के |
| | के दौरान व्यय | कश्मीर संघ राज्य क्षेत्र को आबंटित राशि | संघ राज्य क्षेत्र का व्यय | केन्द्रीय सहायता (सीएसएस/ सीएस सहित) | कुल | अंत तक व्यय | दौरान प्रतिशत में वृद्धि(+)/कमी (-) |
| (रुलाख में) | | | | | | | |
| व्यय शीर्ष- | | | | | | | |
| (पूँजीगत लेखा)-(जारी) | | | | | | | |
| ग- आर्थिक सेवाओं का पूँजीगत लेखा-(जारी) | | | | | | | |
| (ख) परिवहन का पूँजीगत लेखा-(जारी) | | | | | | | |
| 5054- सड़कों एवं पुलों पर पूँजीगत परिव्यय-(जारी) | | | | | | | |
| <i>05- सड़कें- (समाप्त)</i> | | | | | | | |
| 800- अन्य व्यय | - | - | - | - | - | - | - |
| | | | | | | 305.72 | |
| <i>कुल-03</i> | 67,507.41 | - | 1,00,987.74 | | 1,00,987.74 | 2,35,213.54 | (+) |
| | | | | | | 1,28,452.91 | |
| 80- सामान्य- | | | | | | | |
| 001- निदेशन एवं प्रशासन | - | - | - | - | - | - | - |
| | | | | | | 250.86 | |
| 004- अनुसंधान | - | - | - | - | - | - | - |
| | | | | | | 0.38 | |
| 052- मशीनरी एवं उपकरण | - | - | - | - | - | - | - |
| | | | | | | 60.14 | |
| 796- जनजातीय क्षेत्र उप-योजना | - | - | - | - | - | - | - |
| | | | | | | 90.78 | |
| 797- आरक्षित निधियों एवं जमा लेखाओं से/ को हस्तांतरण | - | - | - | - | - | - | - |
| | | | | | | 39,959.00 | |
| 800- अन्य व्यय | - | - | - | - | - | - | - |
| | | | | | | 5,021.25 | |

| 16. लघु शीर्षवार तथा उप-शीर्षवार पूँजीगत व्यय का विस्तृत विवरण-(जारी) | | | | | | | | |
|--|-----------------|--------------------|---|----------------------------|--------------------------------------|--------------------|-----------------------|-------------------------------------|
| (बोर्ड ऑफ़े जम्मू एवं कश्मीर संघ राज्य क्षेत्र में अभी तक प्रभाजित किए जाने एवं प्रतिधारित किए जाने वाले 30 अक्टूबर 2019 के अंत तक के व्यय को दर्शाते हैं) | | | | | | | | |
| लेखा शीर्षक | व्यय की प्रकृति | 2021-22 | जम्मू एवं | वर्ष 2022-23 के दौरान व्यय | | | 31 मार्च 2023 के | वर्ष 2022-23 के |
| | | के दौरान व्यय | कश्मीर संघ राज्य क्षेत्र को आबंटित राशि | संघ राज्य क्षेत्र का व्यय | केन्द्रीय सहायता (सीएसएस/ सीएस सहित) | कुल | अंत तक व्यय | दौरान प्रतिशत में वृद्धि(+)/कमी (-) |
| (रुलाख में) | | | | | | | | |
| व्यय शीर्षक- | | | | | | | | |
| (पूँजीगत लेखा)-(जारी) | | | | | | | | |
| ग- आर्थिक सेवाओं का पूँजीगत लेखा-(जारी) | | | | | | | | |
| (ख) परिवहन का पूँजीगत लेखा-(जारी) | | | | | | | | |
| 5054- सड़कों एवं पुलों पर पूँजीगत परिव्यय-(समाप्त) | | | | | | | | |
| <i>80- सामान्य-</i> | | | | | | | | |
| 902- केन्द्रीय सड़क एवं अवसंरचना निधि से संसाहायिकी राशि की कटौती | | (-)3,098.41 | - | (-)3,469.88 | | (-)3,469.88 (क) | (-)11,721.91 (ख) | (-)12 |
| | | | | | | | (-)1,25,283.82 | |
| | <i>कुल-80</i> | (-)3,098.41 | - | (-)3,469.88 | | (-)3,469.88 | (-)11,721.91 | (-)12 |
| | कुल-5054 | 2,61,267.40 | - | 1,53,639.13 | 55,500.00 | 2,09,139.13 | 7,84,949.56 | (-)20 |
| | | | | | | | 13,70,818.51 | |
| 5055- सड़क परिवहन पर पूँजीगत परिव्यय- | | | | | | | | |
| 050- भूमि एवं भवन | | - | - | - | - | - | - | - |
| | | | | | | | 551.68 | |
| 102- बेड़े का अधियहण | 50.00 | - | - | - | - | - | 225.00 | (-)100 |
| | | | | | | | 1,727.37 | |
| 103- कार्यशाला सुविधाएं | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | | | | | | | 158.26 | |
| 190- सार्वजनिक क्षेत्र एवं अन्य उपक्रमों में निवेश- | | | | | | | | |
| (i)- जम्मू एवं कश्मीर राज्य सड़क परिवहन निगम लिमिटेड में निवेश | 5,312.25 | - | 200.00 | - | 200.00 | 19,390.58 | 16,880.44 | (-)96 |
| | | | | | | | 7,007.27 | |
| 800- अन्य व्यय | 128.22 | - | 72.17 | - | 72.17 | 425.13 | 425.13 | (-)44 |
| | | | | | | | 7,007.27 | |
| | कुल-5055 | 5,490.47 | - | 272.17 | - | 272.17 | 20,040.71 | (-)95 |
| | | | | | | | 26,325.02 | |

(क) "केन्द्रीय सड़क एवं अवसंरचना निधि से संसाहायिका" एमएच-8449-103 में राशि के हस्तांतरण को दर्शाता है कृपया खण्ड-II विवरण संख्या-21 में एमएच-8449 के नीचे पाद टिप्पणी का अवलोकन करें।

(ख) 31-10-2019 से 31-03-2023 तक।

| 16. लघु शीर्षवार तथा उप-शीर्षवार पूँजीगत व्यय का विस्तृत विवरण-(जारी) | | | | | | | |
|--|-----------------------|---|----------------------------|--------------------------------------|--------------------|------------------------------|---|
| (बोर्ड ऑफ़े जम्मू एवं कश्मीर संघ राज्य क्षेत्र में अभी तक प्रभाजित किए जाने एवं प्रतिधारित किए जाने वाले 30 अक्टूबर 2019 के अंत तक के व्यय को दर्शाते हैं) | | | | | | | |
| लेखा शीर्ष व्यय की प्रकृति | 2021-22 के दौरान व्यय | जम्मू एवं कश्मीर संघ राज्य क्षेत्र को आबंटित राशि | वर्ष 2022-23 के दौरान व्यय | | | 31 मार्च 2023 के अंत तक व्यय | वर्ष 2022-23 के दौरान प्रतिशत में वृद्धि(+)/कमी (-) |
| | | | संघ राज्य क्षेत्र का व्यय | केन्द्रीय सहायता (सीएसएस/ सीएस सहित) | कुल | | |
| (रुलाख में) | | | | | | | |
| व्यय शीर्ष- | | | | | | | |
| (पूँजीगत लेखा)-(जारी) | | | | | | | |
| ग- आर्थिक सेवाओं का पूँजीगत लेखा-(जारी) | | | | | | | |
| (छ) परिवहन का पूँजीगत लेखा-(समाप्त) | | | | | | | |
| 5056- अन्तर्देशीय जल परिवहन पर पूँजीगत परिव्यय- | | | | | | | |
| 104- नौचालन | | | | | | | |
| तुलबुल नौचालन लॉक | - | - | - | - | - | - | - |
| | | | | | | 2,774.37 | |
| कुल-5056 | - | - | - | - | - | - | - |
| | | | | | | 2,774.37 | |
| कुल-(छ)- परिवहन का पूँजीगत लेखा | 2,66,757.87 | - | 1,53,911.30 | 55,500.00 | 2,09,411.30 | 8,04,990.27 | (-)21 |
| | | | | | | 13,99,917.90 | |
| (ज) संचार का पूँजीगत लेखा- | | | | | | | |
| 5275- अन्य संचार सेवाओं पर पूँजीगत परिव्यय- | | | | | | | |
| 101- अन्य संचार सुविधारं | | | | | | | |
| | - | - | - | - | - | - | - |
| | | | | | | 0.40 | |
| 800- अन्य व्यय | | | | | | | |
| | - | - | - | - | - | - | - |
| | | | | | | 1.69 | |
| कुल-5275 | - | - | - | - | - | - | - |
| | | | | | | 2.09 | |
| कुल-(ज)- संचार का पूँजीगत लेखा | - | - | - | - | - | - | - |
| | | | | | | 2.09 | |

| 16. लघु शीर्षवार तथा उप-शीर्षवार पूँजीगत व्यय का विस्तृत विवरण-(जारी) | | | | | | | |
|--|-----------------------|---|----------------------------|--------------------------------------|-----------------|------------------------------|---|
| (बोर्ड ऑफ़े जम्मू एवं कश्मीर संघ राज्य क्षेत्र में अभी तक प्रभाजित किए जाने एवं प्रतिधारित किए जाने वाले 30 अक्टूबर 2019 के अंत तक के व्यय को दर्शाते हैं) | | | | | | | |
| लेखा शीर्ष व्यय की प्रकृति | 2021-22 के दौरान व्यय | जम्मू एवं कश्मीर संघ राज्य क्षेत्र को आबंटित राशि | वर्ष 2022-23 के दौरान व्यय | | | 31 मार्च 2023 के अंत तक व्यय | वर्ष 2022-23 के दौरान प्रतिशत में वृद्धि(+)/कमी (-) |
| | | | संघ राज्य क्षेत्र का व्यय | केन्द्रीय सहायता (सीएसएस/ सीएस सहित) | कुल | | |
| (रुलाख में) | | | | | | | |
| व्यय शीर्ष- | | | | | | | |
| (पूँजीगत लेखा)-(जारी) | | | | | | | |
| ग- आर्थिक सेवाओं का पूँजीगत लेखा-(जारी) | | | | | | | |
| (झ) विज्ञान प्रौद्योगिकी एवं पर्यावरण का पूँजीगत लेखा- | | | | | | | |
| 5425- अन्य वैज्ञानिक एवं पर्यावरणीय अनुसंधान पर पूँजीगत परिव्यय- | | | | | | | |
| 208- पारिस्थितिकी एवं पर्यावरण | 164.58 | - | 299.53 | - | 299.53 | 683.83 | (+) 82 |
| 800- अन्य व्यय | 5,096.48 | - | 3,417.28 | - | 3,417.28 | 10,995.40 | (-) 33 |
| | | | | | | 13,544.26 | |
| कुल-5425 | 5,261.06 | - | 3,716.81 | - | 3,716.81 | 11,679.23 | (-)29 |
| | | | | | | 15,933.59 | |
| कुल-(झ)- विज्ञान प्रौद्योगिकी एवं पर्यावरण का पूँजीगत लेखा | 5,261.06 | - | 3,716.81 | - | 3,716.81 | 11,679.23 | (-)29 |
| | | | | | | 15,933.59 | |
| (ञ) सामान्य आर्थिक सेवाओं का पूँजीगत लेखा- | | | | | | | |
| 5452- पर्यटन पर पूँजीगत परिव्यय- | | | | | | | |
| 01- पर्यटक अवसंरचना- | | | | | | | |
| 101- पर्यटक केन्द्र | - | - | - | - | - | - | - |
| 102- पर्यटक आवास | - | - | - | - | - | 2,269.53 | - |
| 103- पर्यटक परिवहन | - | - | - | - | - | 13,073.01 | - |
| 800- अन्य व्यय | - | - | - | - | - | 1.99 | - |
| | | | | | | 4,458.10 | |
| कुल-01 | - | - | - | - | - | - | - |
| | | | | | | 19,802.63 | |

| 16. लघु शीर्षवार तथा उप-शीर्षवार पूँजीगत व्यय का विस्तृत विवरण-(जारी) | | | | | | | | |
|--|--|--------------------------|--|------------------------------|--|-----------|---------------------------------|---|
| (बोर्ड ऑफ़े जम्मू एवं कश्मीर संघ राज्य क्षेत्र में अभी तक प्रभाजित किए जाने एवं प्रतिधारित किए जाने वाले 30 अक्टूबर 2019 के अंत तक के व्यय को दर्शाते हैं) | | | | | | | | |
| लेखा शीर्षक | व्यय की प्रकृति | 2021-22 के दौरान व्यय | जम्मू एवं कश्मीर संघ राज्य क्षेत्र को आबंटित राशि | वर्ष 2022-23 के दौरान व्यय | | | 31 मार्च 2023 के अंत तक व्यय | वर्ष 2022-23 के दौरान प्रतिशत में वृद्धि(+)/कमी (-) |
| | | | | संघ राज्य क्षेत्र का व्यय | केन्द्रीय सहायता (सीएसएस/ सीएस सहित) | कुल | | |
| (रुलाख में) | | | | | | | | |
| व्यय शीर्षक- | | | | | | | | |
| (पूँजीगत लेखा)-(जारी) | | | | | | | | |
| ग- आर्थिक सेवाओं का पूँजीगत लेखा-(जारी) | | | | | | | | |
| (अ) सामान्य आर्थिक सेवाओं का पूँजीगत लेखा-(जारी) | | | | | | | | |
| 5452- पर्यटन पर पूँजीगत परिव्यय-(समाप्त) | | | | | | | | |
| <i>80- सामान्य-</i> | | | | | | | | |
| 104- | प्रोत्साहन एवं प्रचार | - | - | - | - | - | - | - |
| | | | | | | | 4,185.42 | |
| 190- | सार्वजनिक क्षेत्र एवं अन्य उपक्रमों में निवेश- | | | | | | | |
| (i)- | जम्मू एवं कश्मीर पर्यटन विकास निगम | - | - | - | - | - | - | - |
| | | | | | | | 2,112.79 | |
| (ii)- | शेर-ए-कश्मीर अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन केंद्र | - | - | - | - | - | - | - |
| | | | | | | | 839.52 | |
| (iii)- | जवाहर पर्वतारोहण संस्थान बटोट | - | - | - | - | - | - | - |
| | | | | | | | 7.00 | |
| (iv)- | केबल कार निगम | - | - | - | - | - | - | - |
| | | | | | | | 1,028.25 | |
| कुल-190 | | - | - | - | - | - | - | - |
| | | | | | | | 3,987.56 | |
| 800- | अन्य व्यय | 13,396.94 | - | 16,513.92 | 280.01 | 16,793.93 | 48,185.66 | (+) |
| | | | | | | | 2,00,502.13 | |
| कुल-80 | | 13,396.94 | - | 16,513.92 | 280.01 | 16,793.93 | 48,185.66 | (+) |
| | | | | | | | 2,08,675.11 | |
| कुल-5452 | | 13,396.94 | - | 16,513.92 | 280.01 | 16,793.93 | 48,185.66 | (+) |
| | | | | | | | 2,28,477.74 | |

| 16. लघु शीर्षवार तथा उप-शीर्षवार पूँजीगत व्यय का विस्तृत विवरण-(जारी) | | | | | | | |
|--|-----------------------|---|----------------------------|--------------------------------------|-----|------------------------------|---|
| (बोर्ड ऑफ़े जम्मू एवं कश्मीर संघ राज्य क्षेत्र में अभी तक प्रभाजित किए जाने एवं प्रतिधारित किए जाने वाले 30 अक्टूबर 2019 के अंत तक के व्यय को दर्शाते हैं) | | | | | | | |
| लेखा शीर्ष व्यय की प्रकृति | 2021-22 के दौरान व्यय | जम्मू एवं कश्मीर संघ राज्य क्षेत्र को आबंटित राशि | वर्ष 2022-23 के दौरान व्यय | | | 31 मार्च 2023 के अंत तक व्यय | वर्ष 2022-23 के दौरान प्रतिशत में वृद्धि(+)/कमी (-) |
| | | | संघ राज्य क्षेत्र का व्यय | केन्द्रीय सहायता (सीएसएस/ सीएस सहित) | कुल | | |
| (रुलाख में) | | | | | | | |
| व्यय शीर्ष- | | | | | | | |
| (पूँजीगत लेखा)-(जारी) | | | | | | | |
| ग- आर्थिक सेवाओं का पूँजीगत लेखा-(जारी) | | | | | | | |
| (ज) सामान्य आर्थिक सेवाओं का पूँजीगत लेखा-(जारी) | | | | | | | |
| 5465- सामान्य वित्तीय एवं व्यापारिक संस्थानों में निवेश- | | | | | | | |
| <i>01- सामान्य वित्तीय संस्थानों में निवेश-</i> | | | | | | | |
| 190- सार्वजनिक क्षेत्र एवं अन्य बैंकों, उपक्रमों आदि में निवेश- | | | | | | | |
| (i)- जम्मू एवं कश्मीर बैंक में निवेश | - | - | - | - | - | - | - |
| (ii)- जम्मू एवं कश्मीर राज्य वित्तीय निगम में निवेश | - | - | - | - | - | 55,531.35 | - |
| (iii)- कामराज ग्रामीण बैंक में निवेश | - | - | - | - | - | 4,483.64 | - |
| (iv)- जम्मू ग्रामीण बैंक में निवेश | - | - | - | - | - | 215.79 | - |
| (v)- अन्य निवेश | - | - | - | - | - | 125.96 | - |
| | | | | | | 387.60 | |
| कुल-190 | - | - | - | - | - | 60,744.34 | (ख) |
| 800- अन्य व्यय | - | - | - | - | - | 74.90 | - |
| कुल-01 | - | - | - | - | - | 60,819.24 | - |
| कुल-5465 | - | - | - | - | - | 60,819.24 | - |

(ख) भोपलोंमें समागोजन द्वारा विनिवेश के कारण ₹ 2,809.50 लाख की राशि को कम किया गया।

16. लघु शीर्षवार तथा उप-शीर्षवार पूँजीगत व्यय का विस्तृत विवरण- (जारी)

(बोन्ड आँकड़े जम्मू एवं कश्मीर संघ राज्य क्षेत्र में अभी तक प्रभाजित किए जाने एवं प्रतिधारित किए जाने वाले 30 अक्टूबर 2019 के अंत तक के व्यय को दर्शाते हैं)

| लेखा शीर्ष | व्यय की प्रकृति | 2021-22 के दौरान व्यय | जम्मू एवं कश्मीर संघ राज्य क्षेत्र को आबंटित राशि | 2022-23 के दौरान व्यय | | | 31 मार्च 2023 के अंत तक व्यय | 2022-23 के दौरान प्रतिशत में वृद्धि(+)/कमी (-)* |
|--|--|--------------------------|---|------------------------------|--|---------------------|---------------------------------|---|
| | | | | संघ राज्य क्षेत्र का व्यय | केन्द्रीय सहायता (सीएसएस/ सीएस सहित) | कुल | | |
| (₹ लाख में) | | | | | | | | |
| व्यय शीर्ष- | | | | | | | | |
| पूँजीगत लेखा (समाप्त)- | | | | | | | | |
| ग- आर्थिक सेवाओं का पूँजीगत लेखा-(समाप्त) | | | | | | | | |
| (ज) सामान्य आर्थिक सेवाओं का पूँजीगत लेखा-(समाप्त) | | | | | | | | |
| 5475- अन्य सामान्य आर्थिक सेवाओं पर पूँजीगत परिव्यय-(समाप्त) | | | | | | | | |
| 800- अन्य व्यय | | | | | | | | |
| | | 1,04,005.51 | - | 23,368.45 | 8,499.69 | 31,868.14 | 2,85,476.48 | (-)-69 |
| | | | | | | | 5,48,526.24 | |
| | कुल-5475 | 1,24,577.35 | - | 47,298.66 | 8,499.69 | 55,798.35 | 3,39,882.51 | (-)-55 |
| | | | | | | | 5,49,623.65 | |
| | कुल-(ज)-सामान्य आर्थिक सेवाओं का पूँजीगत लेखा | 1,37,974.29 | - | 63,812.58 | 8,779.70 | 72,592.28 | 3,88,068.17 | (-)-47 |
| | | | | | | | 8,38,920.63 | |
| | कुल-ग-आर्थिक सेवाओं का पूँजीगत लेखा | 7,66,540.08 | - | 4,77,017.79 | 2,19,179.85 | 6,96,197.64 | 25,02,464.11 | (-)-09 |
| | | | | | | | 66,11,154.70 | |
| | कुल पूँजीगत लेखा | 11,04,703.56 | - | 7,42,033.24 | 3,35,344.92 | 10,77,378.16 | 37,71,338.92 | (-)-02 |
| | | | | | | | 1,03,00,075.44 (ग) | |
| | वेतन | - | - | - | - | - | - | - |
| | सहायिकी | 9,515.76 | - | 0.17 | 2,802.86 | 2,803.03 | - | (-)-71 |
| | सहायता अनुदान | 6,359.86 | - | 538.57 | 18,517.80 | 19,110.37 | - | * |

(ग) प्रोफॉर्म समायोजन द्वारा विनिवेश और पूर्व गलत वर्गीकरण में सुधार के कारण ₹ 1,95,09.50 लाख की राशि से कम किया गया। कृपया इस विवरण के मुख्य शीर्ष-4801 एवं एमएच-5465 के नीचे पाद टिप्पणी का अवलोकन करें। कृपया खण्ड-II के विवरण संख्या 18 के मुख्य शीर्ष-6801 के नीचे पाद टिप्पणी का भी संदर्भ लें।

16. लघु शीर्षवार तथा उप-शीर्षवार पूँजीगत व्यय का विस्तृत विवरण-(समाप्त)

| विवरण संख्या 16 की व्याख्यात्मक टिप्पणी | | | | | | |
|---|---------------------|--|-------------|-------------|-----------|--|
| पूँजीगत लेखा पर व्यय: - संघ राज्य क्षेत्र जम्मू एवं कश्मीर का पूँजीगत व्यय वर्ष 2021-22 के दौरान ₹11,04,703.56 लाख एवं वर्ष 2022-23 के दौरान ₹10,77,378.16 लाख था। मुख्य रूप से ₹27,325.40 लाख की कमी निम्नलिखित मुख्य शीर्षों के अन्तर्गत हुई। | | | | | | |
| क्र. सं. | लेखा का मुख्य शीर्ष | वर्णन | वास्तविक | | कमी | कारण (ए) |
| | | | 2022-23 | 2021-22 | | |
| (₹लाख में) | | | | | | |
| 1 | 4210- | चिकित्सा एवं जन स्वास्थ्य पर पूँजीगत परिव्यय- | 36,576.10 | 63,678.55 | 27,102.45 | मुख्य रूप से निर्माण कार्यों पर किए गए कम व्यय के कारण कमी |
| 2 | 4216- | आवास पर पूँजीगत परिव्यय | 770.77 | 20,943.01 | 20,172.24 | मुख्य रूप से निर्माण कार्यों पर किए गए कम व्यय के कारण कमी |
| 3 | 4225- | अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों एवं अन्य पिछड़े वर्गों एवं अल्पसंख्यकों के कल्याण पर पूँजीगत परिव्यय- | 10,092.16 | 12,534.72 | 2,442.56 | मुख्य रूप से निर्माण कार्यों पर किए गए कम व्यय के कारण कमी |
| 4 | 4235- | सामाजिक सुरक्षा एवं कल्याण पर पूँजीगत परिव्यय- | 36,351.47 | 50,970.25 | 14,618.78 | मुख्य रूप से निर्माण कार्यों पर किए गए कम व्यय के कारण कमी |
| 5 | 4236- | पोषण पर पूँजीगत परिव्यय | 2,420.81 | 2,686.66 | 265.85 | मुख्य रूप से निर्माण कार्यों पर किए गए कम व्यय के कारण कमी |
| 6 | 4410- | पशुपालन पर पूँजीगत परिव्यय | 27,023.53 | 36,286.20 | 9,262.67 | मुख्य रूप से निर्माण कार्यों पर किए गए कम व्यय के कारण कमी |
| 7 | 4406- | वानिकी एवं वन्य जीवन पर पूँजीगत परिव्यय | 7,619.70 | 12,784.52 | 5,164.82 | मुख्य रूप से निर्माण कार्यों पर किए गए कम व्यय के कारण कमी |
| 8 | 4408- | खाद्य भंडारण एवं गोदाम पर पूँजीगत परिव्यय | 7,353.51 | 10,925.17 | 3,571.66 | मुख्य रूप से निर्माण कार्यों पर किए गए कम व्यय के कारण कमी |
| 9 | 4801- | विद्युत परियोजनाओं पर पूँजीगत परिव्यय- | 72,245.52 | 1,23,000.01 | 50,754.49 | मुख्य रूप से निर्माण कार्यों पर किए गए कम व्यय के कारण कमी |
| 10 | 5054- | सड़कों एवं पुलों पर पूँजीगत परिव्यय- | 2,09,139.13 | 2,61,267.40 | 52,128.27 | मुख्य रूप से निर्माण कार्यों पर किए गए कम व्यय के कारण कमी |
| 11 | 5055- | सड़क परिवहन पर पूँजीगत परिव्यय- | 272.17 | 5,490.47 | 5,218.27 | मुख्य रूप से निर्माण कार्यों पर किए गए कम व्यय के कारण कमी |

16. लघु शीर्षवार तथा उप-शीर्षवार पूँजीगत व्यय का विस्तृत विवरण-(समाप्त)

| विवरण संख्या 16 की व्याख्यात्मक टिप्पणी | | | | | | |
|--|---------------------|--|-------------|-------------|-------------|--|
| मुख्य रूप से निम्नलिखित लेखा शीर्षों के अन्तर्गत व्यय में वृद्धि को आंशिक रूप से कमी द्वारा पूरा किया गया। | | | | | | |
| क्र. सं. | लेखा का मुख्य शीर्ष | वर्णन | वास्तविक | | वृद्धि | कारण (ए) |
| | | | 2022-23 | 2021-22 | | |
| (रुलाख में) | | | | | | |
| 1 | 4055- | पुलिस पर पूँजीगत परिव्यय- | 17,960.20 | 11,173.16 | 6,787.04 | मुख्य रूप से निर्माण कार्यों पर अधिक व्यय के कारण वृद्धि |
| 2 | 4058- | लेखन सामग्री एवं मुद्रण पर पूँजीगत परिव्यय- | 178.28 | 112.92 | 65.36 | मुख्य रूप से निर्माण कार्यों पर अधिक व्यय के कारण वृद्धि |
| 3 | 4059- | लोक निर्माण कार्यों पर पूँजीगत परिव्यय- | 88,740.12 | 53,480.05 | 35,260.07 | मुख्य रूप से निर्माण कार्यों पर अधिक व्यय के कारण वृद्धि |
| 4 | 4075- | विविध सामान्य सेवाओं पर पूँजीगत परिव्यय- | 755.80 | 105.76 | 650.04 | मुख्य रूप से निर्माण कार्यों पर अधिक व्यय के कारण वृद्धि |
| 5 | 4202- | शिक्षा, खेल, कला एवं संस्कृति पर पूँजीगत परिव्यय- | 85,187.12 | 57,231.13 | 27,955.99 | मुख्य रूप से निर्माण कार्यों पर अधिक व्यय के कारण वृद्धि |
| 6 | 4215- | जलापूर्ति और स्वच्छता पर पूँजीगत परिव्यय- | 20,876.66 | 17,499.34 | 3,377.32 | मुख्य रूप से निर्माण कार्यों पर अधिक व्यय के कारण वृद्धि |
| 7 | 4217- | शहरी विकास पर पूँजीगत परिव्यय- | 77,291.41 | 45,098.01 | 32,193.23 | मुख्य रूप से निर्माण कार्यों पर अधिक व्यय के कारण वृद्धि |
| 8 | 4250- | अन्य सामाजिक सेवाओं पर पूँजीगत परिव्यय- | 1,772.41 | 1,596.98 | 175.43 | मुख्य रूप से निर्माण कार्यों पर अधिक व्यय के कारण वृद्धि |
| 9 | 4415- | कृषि अनुसंधान एवं शिक्षा पर परिव्यय- | 3,503.91 | 2,209.19 | 1,294.72 | मुख्य रूप से निर्माण कार्यों पर अधिक व्यय के कारण वृद्धि |
| 10 | 4515- | अन्य ग्रामीण विकास कार्यक्रमों पर पूँजीगत परिव्यय- | 2,43,638.56 | 1,26,764.97 | 1,16,873.59 | मुख्य रूप से निर्माण कार्यों पर अधिक व्यय के कारण वृद्धि |
| 11 | 4711- | बाढ़ नियंत्रण परियोजनाओं पर पूँजीगत परिव्यय- | 17,015.60 | 4,586.89 | 12,428.71 | मुख्य रूप से निर्माण कार्यों पर अधिक व्यय के कारण वृद्धि |
| 12 | 5452- | पर्यटन पर पूँजीगत परिव्यय- | 16,793.93 | 13,396.94 | 3,393.99 | मुख्य रूप से निर्माण कार्यों पर अधिक व्यय के कारण वृद्धि |

(ए) सरकार द्वारा वृद्धि/कमी के कारणों की सूचना नहीं दी गई। (जुलाई 2023)

17. उधार एवं अन्य देयताओं को विस्तृत विवरण

(क) लोक ऋण एवं अन्य दायित्वों का विवरण

(बोल्ड आँकड़े संघ राज्य क्षेत्र जम्मू एवं कश्मीर में अभी तक प्रभाजित किए जाने एवं प्रतिधारित किए जाने वाले 30 अक्टूबर 2019 के अंत तक के शेषों को दर्शाते हैं)

| ऋण का विवरण | 1 अप्रैल 2022 तक शेष राशि | संघ राज्य क्षेत्र जम्मू एवं कश्मीर को आंबटित राशि | वर्ष के दौरान वृद्धि | वर्ष के दौरान उन्मोचन | 31 मार्च 2023 को शेष राशि | वर्ष 2022-23 के दौरान निवल | | भुगतान ब्याज |
|---|------------------------------|---|-------------------------|--------------------------|------------------------------|----------------------------|---------|--------------|
| | | | | | | वृद्धि(+)/कमी(-) राशि | प्रतिशत | |
| (ड) लोक ऋण- | | | | | | | | |
| 6003- राज्य सरकार का आंतरिक ऋण- | | | | | | | | |
| 101- बाजार ऋण (क) | 15,02,221.96 | - | 8,47,300.00 | 2,15,001.00 | 21,34,520.96 | (+)6,32,299.00 | (+)42 | 3,86,075.29 |
| | 34,29,080.04 | | | | 34,29,080.04 | | | |
| 103- भारतीय जीवन बीमा निगम से ऋण | (-)30,122.00 | - | - | 13,154.31 | (-)43,276.31 \$ | (-)13,154.31 | (-)44 | 7,300.61 |
| | 1,14,871.40 | | | | 1,14,871.40 | | | |
| 104- भारतीय सामान्य बीमा निगम से ऋण | (-)89.28 | - | - | 20.00 | (-)109.28 \$ | (-)20.00 | (-)22 | - |
| | 99.24 | | | | 99.24 | | | |
| 105- कृषि एवं ग्रामीण विकास हेतु राष्ट्रीय बैंक से ऋण | 28,024.27 | - | 68,000.00 | 39,966.73 | 56,057.54 | (+)28,033.27 | (+)100 | 8,081.68 |
| | 1,95,122.49 | | | | 1,95,122.49 | | | |
| 106- क्षतिपूर्ति एवं अन्य बंधपत्र- | | | | | | | | |
| (i)- विद्युत बंधपत्र | - | - | - | - | - | - | - | - |
| (ii)- यूडीएवाई बंधपत्र | (-)21,400.00 | - | - | 35,375.50 | (-)56,775.50 \$ | (-)35,375.50 | * | 26,586.78 |
| | 3,53,755.00 | | | | 3,53,755.00 | | | |
| कुल-106 | (-)21,400.00 | - | - | 35,375.50 | (-)56,775.50 \$ | (-)35,375.50 | * | 26,586.78 |
| | 3,53,755.00 | | | | 3,53,755.00 | | | |
| 109- अन्य संस्थानों से ऋण (क) | (-)6,585.66 | - | 75.03 | 2,674.53 | (-)9,185.16 \$ | (-)2,599.50 | (-)39 | 1,27,927.69 |
| | 43,737.40 | | | | 43,737.40 | | | |

(क) कृपया ध्यान दें हेतु इस विवरण के अनुलग्नक का अवलोकन करें।

(*) विवरण में 100 प्रतिशत से अधिक।

(\$) विवरण में ऋण शेष 30.10.2019 (पूर्ण-पूर्णगठन) के अनुसार शेष राशि के गैर-विभाजन के कारण है।

17. उधार एवं अन्य देयताओं को विस्तृत विवरण - (जारी)

(क) लोक ऋण एवं अन्य दायित्वों का विवरण - (जारी)

(बोर्ड ऑफ़े संघ राज्य क्षेत्र जम्मू एवं कश्मीर में अभी तक प्रभाजित किए जाने एवं प्रतिधारित किए जाने वाले 30 अक्टूबर 2019 के अंत तक के शेषों को दर्शाते हैं)

| ऋण का विवरण | 1 अप्रैल 2022 तक शेष राशि | संघ राज्य क्षेत्र जम्मू एवं कश्मीर को आंबटित राशि | वर्ष के दौरान वृद्धि | वर्ष के दौरान उन्मोचन | 31 मार्च 2023 को शेष राशि | वर्ष 2022-23 के दौरान निवल | | भुगतान ब्याज |
|--|---------------------------|---|----------------------|-----------------------|---------------------------|----------------------------|-------------|--------------|
| | | | | | | वृद्धि(+)/कमी(-) | रशि प्रतिशत | |
| (ड) लोक ऋण-(जारी) | | | | | | | | |
| 6003- राज्य सरकार का आंतरिक ऋण-(समाप्त) | | | | | | | | |
| 110- आरबीआई से अर्थोपाय अग्रिम- | | | | | | | | |
| (i)- अर्थोपाय अग्रिम | 49,954.00 | - | 17,97,986.00 | 19,05,547.00 | (-)57,607.00 | (-)1,07,561.00 | * | 3,650.83 |
| | 69,211.00 | | | | 69,211.00 | | | |
| (ii)- ओवरड्राफ्ट | 0.01 | - | 10,98,086.53 | 10,98,086.53 | 0.01 | - | - | 1,082.80 |
| | - | | | | - | | | |
| कुल-110 | 49,954.01 | - | 28,96,072.53 | 30,03,633.53 | (-)57,606.99 | (-)1,07,561.00 | * | 4,733.63 |
| | 69,211.00 | | | | 69,211.00 | | | |
| 111- केन्द्र सरकार के राष्ट्रीय लघु बचत कोष को जारी विशेष प्रतिभूतियाँ | | | | | | | | |
| | 4,08,604.97 | - | - | 84,864.50 | 3,23,740.47 | (-)84,864.50 | (-)21 | 60,758.87 |
| | 3,37,032.49 | | | | 3,37,032.49 | | | |
| कुल-6003- राज्य सरकार का आंतरिक ऋण | 19,30,608.27 | - | 38,11,447.56 | 33,94,690.10 | 23,47,365.73 | (+)4,16,754.46 | (+)22 | 6,21,464.55 |
| | 45,42,909.06 | | | | 45,42,909.06 | | | |
| 6004- केन्द्र सरकार से ऋण एवं अग्रिम- | | | | | | | | |
| 01- गैर-नियोजित ऋण- | | | | | | | | |
| 201- अखिल भारतीय सेवा अधिकारियों को आवास निर्माण अग्रिम | | | | | | | | |
| | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | 107.59 | | | | 107.59 | | | |
| 800- अन्य ऋण | | | | | | | | |
| | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | 9,520.92 | | | | 9,520.92 | | | |
| कुल-01 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | 9,628.51 | | | | 9,628.51 | | | |

(₹ लाख में)

17. उधार एवं अन्य देयताओं पर विस्तृत विवरण-(जारी)

(क) लोक ऋण एवं अन्य दायित्वों का विवरण (जारी)

(बोल्ड आँकड़े संघ राज्य क्षेत्र जम्मू एवं कश्मीर में अभी तक प्रभाजित किए जाने एवं प्रतिधारित किए जाने वाले 30 अक्टूबर 2019 के अंत तक के शेषों को दर्शाते हैं)

| ऋण का विवरण | 1 अप्रैल 2022 | संघ राज्य क्षेत्र | वर्ष के दौरान | वर्ष के दौरान | 31 मार्च 2023 | वर्ष 2022-23 के दौरान निवल | | भुगतान ब्याज |
|---|--------------------|------------------------------------|---------------|---------------|--------------------|----------------------------|---------|--------------|
| | तक शेष राशि | जम्मू एवं कश्मीर को आंबटित राशि | वृद्धि | उन्मोचन | को शेष राशि | वृद्धि(+)/कमी(-) | | |
| | | | | | | राशि | प्रतिशत | |
| (₹ लाख में) | | | | | | | | |
| (ड) लोक ऋण-(जारी) | | | | | | | | |
| 6004- केन्द्र सरकार से ऋण एवं अग्रिम-(जारी) | | | | | | | | |
| <i>02- राज्य/ संघ राज्य क्षेत्र हेतु ऋण-</i> | | | | | | | | |
| 101- ब्लॉक ऋण | (-),114.30 | - | - | 2,970.59 | (-),10,084.89 | (-),2,970.59 | (-),42 | 420.82 |
| | 44,874.58 | | | | 44,874.58 | | | |
| 105- 12वें वित्त आयोग की 1979-2004 की अनुशंसाओं के अनुसार समेकित राज्य योजना ऋण | (-),22,258.17 | - | - | 8,903.26 | (-),31,161.43 \$ | (-),8,903.26 | (-),40 | 2,670.98 |
| | 60,628.34 | | | | 60,628.34 | | | |
| <i>कुल-02</i> | (-),29,372.47 | - | - | 11,873.85 | (-),41,246.32 \$ | (-),11,873.85 | (-),40 | 3,091.80 |
| | 1,05,502.92 | | | | 1,05,502.92 | | | |
| <i>06- अर्थोपाय अग्रिम-</i> | | | | | | | | |
| 800- अन्य अर्थोपाय अग्रिम- बाढ़ राहत हेतु अग्रिम | 924.54 | - | - | - | 924.54 | - | - | - |
| | 924.54 | - | - | - | 924.54 | - | - | - |
| <i>07- 1984-85 से पूर्व ऋण</i> | | | | | | | | |
| 101- विस्थापित व्यक्तियों का पुनर्वास, प्रत्यावर्तन इत्यादि। | 335.37 | - | - | - | 335.37 | - | - | - |
| 102- राष्ट्रीय ऋण छात्रवृत्ति योजना | 15.46 | - | - | - | 15.46 | - | - | - |
| 105- लघु बचत ऋण | 448.57 | - | - | - | 448.57 | - | - | - |

17. उधार एवं अन्य देयताओं पर विस्तृत विवरण-(जारी)

(क) लोक ऋण एवं अन्य दायित्वों का विवरण (जारी)

(बोल्ड आँकड़े संघ राज्य क्षेत्र जम्मू एवं कश्मीर में अभी तक प्रभाजित किए जाने एवं प्रतिधारित किए जाने वाले 30 अक्टूबर 2019 के अंत तक के शेषों को दर्शाते हैं)

| ऋण का विवरण | 1 अप्रैल 2022 तक शेष राशि | संघ राज्य क्षेत्र जम्मू एवं कश्मीर को आंबटित राशि | वर्ष के दौरान वृद्धि | वर्ष के दौरान उन्मोचन | 31 मार्च 2023 को शेष राशि | वर्ष 2022-23 के दौरान निवल वृद्धि(+)/कमी(-) | | भुगतान ब्याज | |
|---|---|---|----------------------|-----------------------|---------------------------|---|-----------------------|--------------|--------------------|
| | | | | | | राशि | प्रतिशत | | |
| (र लाख में) | | | | | | | | | |
| (ड) लोक ऋण-(समाप्त) | | | | | | | | | |
| 6004- केन्द्र सरकार से ऋण एवं अग्रिम-(समाप्त) | | | | | | | | | |
| 07- 1984-85 से पूर्व ऋण-(समाप्त) | | | | | | | | | |
| 107- 25 वर्ष और 30 वर्षीय ऋणों में पुनः समेकित 1979-80 से पूर्व समेकित ऋण | | | | | | | | | |
| | अन्य समेकित ऋण | 2,829.21 | - | - | 2,829.21 | - | - | - | |
| 109- | स्वर्णकारों का पुनर्वास | 20.43 | - | - | 20.43 | - | - | - | |
| 800- | अन्य ऋण- | | | | | | | | |
| (i) | समेकित ऋण 1984-85 | 129.92 | - | - | 129.92 | - | - | - | |
| | <i>कुल-07</i> | 3,778.96 | - | - | 3,778.96 | - | - | - | |
| 09- विधायी योजनाओं सहित राज्य/ संघ राज्य क्षेत्र हेतु अन्य ऋण | | | | | | | | | |
| 101- ब्लॉक ऋण | | | | | | | | | |
| | बाह्य रूप से सहायता प्राप्त परियोजनाओं हेतु केन्द्रीय सहायता | 798.30 | - | - | 126.76 | 671.54 | (-)126.76 | (-)16 | 1,541.49 |
| | | 3,877.47 | | | 3,877.47 | | | | |
| | बाह्य रूप से सहायता प्राप्त परियोजनाएं हेतु अतिरिक्त केन्द्रीय सहायता | 17,220.00 | - | - | - | 17,220.00 | - | - | - |
| | जीएसटी क्षतिपूर्ति कमी के बदले में राज्य को एक के बाद एक ऋण | 5,94,529.00 | - | - | - | 5,94,529.00 | - | - | - |
| | <i>कुल-09</i> | 6,12,547.30 | - | - | 126.76 | 6,12,420.54 | (-)126.76 | ^ | 1,541.49 |
| | | 3,877.47 | | | 3,877.47 | | | | |
| | कुल-6004-केन्द्र सरकार से प्राप्त ऋण एवं अग्रिम | 5,83,174.83 | - | - | 12,000.61 | 5,71,174.22 (ख) | 12,000.61 | (-)02 | 4,633.29 |
| | कुल-ड- लोक ऋण | 25,13,783.10 | - | 38,11,447.56 | 34,06,690.71 | 29,18,539.95 (ग) | (+)4,04,756.85 | (+)16 | 6,26,097.84 |
| | | 46,66,621.46 | | | | 46,66,621.46 (ग) | | | |

(ख) जीएसटी क्षतिपूर्ति में कमी के बदले एक के बाद एक निर्माचित ऋणों के रूप में ₹ 5,94,529.00 लाख सम्मिलित है।

(ग) आँकड़े भारत सरकार के मंत्रालयों/ उधारदाता संस्थानों तथा जम्मू एवं कश्मीर वित्त विभाग (जुलाई 2023) के साथ समाधान के अधीन हैं।

(^) नगण्य

17. उधार एवं अन्य देयताओं पर विस्तृत विवरण-(जारी)

(क) लोक ऋण एवं अन्य दायित्वों का विवरण-(जारी)

(बोर्ड ऑफ़े संघ राज्य क्षेत्र जम्मू एवं कश्मीर में अभी तक प्रभाजित किए जाने एवं प्रतिधारित किए जाने वाले 30 अक्टूबर 2019 के अंत तक के शेषों को दर्शाते हैं)

| ऋण का विवरण | 1 अप्रैल 2022 तक शेष राशि | संघ राज्य क्षेत्र जम्मू एवं कश्मीर को आंबटित राशि | वर्ष के दौरान वृद्धि | वर्ष के दौरान उन्मोचन | 31 मार्च 2023 को शेष राशि | वर्ष 2022-23 के दौरान निवल वृद्धि(+)/कमी(-) | | भुगतान ब्याज |
|--|---------------------------|---|----------------------|-----------------------|---------------------------|---|--------------|--------------------|
| | | | | | | राशि | प्रतिशत | |
| (र लाख में) | | | | | | | | |
| अन्य देयताएं- (घ) | | | | | | | | |
| झ- लघु बचतें, भविष्य निधियाँ आदि- | | | | | | | | |
| (ख) भविष्य निधियाँ- | | | | | | | | |
| 8009- राज्य भविष्य निधियाँ | 1,35,852.49 | - | 5,76,111.90 | 6,41,230.63 # | 70,733.76 # | (-)65,118.73 | (-)48 | 1,83,196.04 |
| | 26,15,586.49 | | | | 24,74,447.49 # | | | |
| कुल-(ख)- भविष्य निधियाँ | 1,35,852.49 | - | 5,76,111.90 | 6,41,230.63 # | 70,733.76 # | (-)65,118.73 | (-)48 | 1,83,196.04 |
| | 26,15,586.49 | | | | 24,74,447.49 | | | |
| (ग) अन्य लेखे- | | | | | | | | |
| 8011- बीमा एवं पेन्शन निधि | 23,288.85 | - | 30,137.00 | 22,388.76 # | 31,037.09 # | (+)7,748.24 | (+)33 | 7,814.64 |
| | 1,00,575.13 | | | | 99,075.13 # | | | |
| कुल-(ग)- अन्य लेखे | 23,288.85 | - | 30,137.00 | 20,888.76 # | 31,037.09 # | (+)7,748.24 | (+)33 | 7,814.64 |
| | 1,00,575.13 | | | | 99,075.13 # | | | |
| कुल-झ- लघु बचतें, भविष्य निधि | 1,59,141.34 | - | 6,06,248.90 | 6,63,619.39 # | 1,01,770.85 # | (+)57,370.49 | (-)36 | 1,91,010.68 |
| | 27,16,161.62 | | | | 25,73,522.62 # | | | |
| ञ- आरक्षित निधियाँ- | | | | | | | | |
| (क) ब्याज वहन करने वाली आरक्षित निधियाँ- | | | | | | | | |
| 8121- सामान्य एवं अन्य आरक्षित निधियाँ | 87,385.92 | - | 38,183.20 | 7,170.26 | 1,18,398.86 | (+)31,012.94 | (+)35 | 7,183.20 |
| | 1,26,062.05 | | | | 1,26,062.05 | | | |
| कुल-(क)- ब्याज वहन करने वाली आरक्षित निधियाँ | 87,385.92 | - | 38,183.20 | 7,170.26 | 1,18,398.86 | (+)31,012.94 | (+)35 | 7,183.20 |
| | 1,26,062.05 | | | | 1,26,062.05 | | | |
| (ख) ब्याज वहन नहीं करने वाली आरक्षित निधियाँ- | | | | | | | | |
| 8222- ऋण शोधन निधियाँ | 10,063.00 | - | 5,891.00 | - | 15,954.00 | (+)5,891.00 | (+)59 | - |
| | 35,586.76 | | | | 35,586.76 | | | |
| 8223- अकाल राहत निधि | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | 866.96 | | | | 866.96 | | | |

(घ) कृपया ब्यौरे हेतु विवरण संख्या 21 का अवलोकन करें।

(#) कृपया मुख्य शीर्ष-8009, 8011 एवं 1-लघु बचतें, भविष्य निधि इत्यादि के खंड-II के विवरण संख्या 21 के अंतर्गत पाद टिप्पणी (#), (\$), (^), (*), एवं(**) संदर्भ लें।

17. उधार एवं अन्य देयताओं पर विस्तृत विवरण-(जारी)

(क) लोक ऋण एवं अन्य दायित्वों का विवरण-(जारी)

(बोर्ड ऑफ़े संघ राज्य क्षेत्र जम्मू एवं कश्मीर में अभी तक प्रभाजित किए जाने एवं प्रतिधारित किए जाने वाले 30 अक्टूबर 2019 के अंत तक के शेषों को दर्शाते हैं)

| ऋण का विवरण | 1 अप्रैल 2022 तक शेष राशि | संघ राज्य क्षेत्र जम्मू एवं कश्मीर को आंबटित राशि | वर्ष के दौरान वृद्धि | वर्ष के दौरान उन्मोचन | 31 मार्च 2023 को शेष राशि | वर्ष 2022-23 के दौरान निवल वृद्धि(+)/कमी(-) | | भुगतान ब्याज |
|--|---------------------------|---|----------------------|-----------------------|---------------------------|---|--------------|-----------------|
| | | | | | | राशि | प्रतिशत | |
| (₹ लाख में) | | | | | | | | |
| अन्य देयताएं-(जारी) | | | | | | | | |
| ज- आरक्षित निधियाँ-(समाप्त) | | | | | | | | |
| (ख) ब्याज वहन नहीं करने वाली आरक्षित निधियाँ-(समाप्त) | | | | | | | | |
| 8226- आरक्षित निधियों का मूल्यहास/ नवीनीकरण | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | 64,665.33 | | | | 64,665.33 | | | |
| 8229- विकास एवं कल्याण निधियाँ | (-)10,372.21 | - | 0.79 | 290.07 | (-)10,661.49 \$ | (-)289.28 | (-)03 | - |
| | 34,384.93 | | | | 34,384.93 | | | |
| 8235- सामान्य एवं अन्य आरक्षित निधियाँ | 4,936.19 | - | 1,169.63 | 223.65 | 5,882.17 | (+)945.98 | (+)19 | - |
| | 17,890.93 | | | | 17,890.93 | | | |
| कुल-(ख)- ब्याज वहन नहीं करने वाली आरक्षित निधियाँ | 4,626.98 | - | 7,061.42 | 513.72 | 11,174.68 | (+)6,547.70 | * | - |
| | 1,53,394.91 | | | | 1,53,394.91 | | | |
| कुल-ज-आरक्षित निधियाँ | 92,012.90 | - | 45,244.62 | 7,683.98 | 1,29,573.54 | (+)37,560.64 | (+)41 | 7,183.20 |
| | 2,79,456.96 | | | | 2,79,456.96 | | | |
| ट- जमाएं एवं अग्रिम- | | | | | | | | |
| (क) ब्याज वहन करने वाली जमाएं- | | | | | | | | |
| 8336- नागरिक जमाएं | 48,380.99 | - | 1,411.79 | - | 49,792.78 | (+)1,411.79 | (+)03 | - |
| | - | | | | - | | | |
| 8342- अन्य जमाएं | 1,171.09 | - | 1,77,356.97 | 1,78,142.22 | 385.84 | (-)785.25 | (-)67 | - |
| | 5,367.44 | | | | 5,367.44 | | | |
| कुल-(क) ब्याज वहन करने वाली जमाएं | 49,552.08 | - | 1,78,768.76 | 1,78,142.22 | 50,178.62 | (+)626.54 | (+)01 | - |
| | 5,367.44 | | | | 5,367.44 | | | |

17. उधार एवं अन्य देयताओं पर विस्तृत विवरण-(जारी)

(क) लोक ऋण एवं अन्य दायित्वों का विवरण-(जारी)

(बोर्ड ऑफ़े संघ राज्य क्षेत्र जम्मू एवं कश्मीर में अभी तक प्रभाजित किए जाने एवं प्रतिधारित किए जाने वाले 30 अक्टूबर 2019 के अंत तक के शेषों को दर्शाते हैं)

| ऋण का विवरण | 1 अप्रैल 2022 तक शेष राशि | संघ राज्य क्षेत्र जम्मू एवं कश्मीर को आंबटित राशि | वर्ष के दौरान वृद्धि | वर्ष के दौरान उन्मोचन | 31 मार्च 2023 को शेष राशि | वर्ष 2022-23 के दौरान निवल वृद्धि(+)/कमी(-) | | भुगतान ब्याज |
|--|---------------------------|---|----------------------|------------------------|---------------------------|---|--------------|------------------------|
| | | | | | | राशि | प्रतिशत | |
| (₹ लाख में) | | | | | | | | |
| अन्य देयताएं-(समाप्त) | | | | | | | | |
| ट- जमाएं एवं अग्रिम-(समाप्त) | | | | | | | | |
| (ख) ब्याज वहन नहीं करने वाली जमाएं- | | | | | | | | |
| 8443- नागरिक जमा | 75,307.28 | - | 1,47,812.78 | 1,17,221.95 # | 1,05,898.11 # | (+)30,590.83 | (+)41 | - |
| | 5,26,876.70 | | | | 5,20,902.70 # | | | |
| 8448- स्थानीय निधियों की जमाएं | 7,007.27 | - | 1,00,320.99 | 91,671.84 | 15,656.42 | (+)8,649.15 | * | - |
| | 1,01,816.64 | | | | 1,01,816.64 | | | |
| 8449- अन्य जमाएं | 36,737.55 | - | 34,384.29 | 3,546.30 | 67,575.54 | (+)30,837.99 | (+)84 | - |
| | 57,362.51 | | | | 57,362.51 | | | |
| कुल-(ख)- ब्याज वहन नहीं करने वाली जमाएं | 1,19,052.10 | - | 2,82,518.06 | 2,12,440.09 # | 1,89,130.07 # | (+)70,077.97 | (+)59 | - |
| | 6,86,055.85 | | | | 6,80,081.85 # | | | |
| कुल-ट- जमाएं एवं अग्रिम | 1,68,604.18 | - | 4,61,286.82 | 3,90,582.31 # | 2,39,308.69 # | (+)70,704.51 | (+)42 | - |
| | 6,91,423.29 | | | | 6,85,449.29 # | | | |
| कुल- अन्य देयताएं | 4,19,758.42 | - | 11,12,780.34 | 10,61,885.68 # | 4,70,653.08 # | (+)50,894.66 | (+)12 | 1,98,193.88 |
| | 36,87,041.87 | | | | 35,38,428.87 # | | | |
| कुल-लोक ऋण एवं अन्य देयताएं | 29,33,541.52 | - | 49,24,227.90 | 44,68,576.39 \$ | 33,89,193.03 (ड) | (+)4,55,651.51 | (+)16 | 8,24,291.72 (च) |
| | 83,53,663.33 | | | | 82,05,050.33 ^ | | | |

(ड) मशीन पूर्णांकन अपनाए जाने के कारण विवरण संख्या 6 (₹ 33,891.91 करोड़) में लिए गए आँकड़ों से ₹ 0.02 करोड़ की भिन्नता है। इसके अतिरिक्त, जीएसटी क्षतिपूर्ति में कमी के बदले एक के बाद एक निर्माचित ऋणों के रूप में ₹ 5,94,529.00 लाख सम्मिलित हैं।

(च) ऋण के प्रबंधन पर ₹ 1,174.03 लाख प्रवर्तन प्रभार पर ₹ 116.47 लाख और अन्य दायित्व ₹ 23,800.00 लाख पर भुगतान ब्याज सम्मिलित नहीं हैं।

(#) कृपया मुख्य शीर्ष-8443, के-"जमा एवं अग्रिम" खंड-II के विवरण संख्या 21 के अंतर्गत पाद टिप्पणी (\$), (#), का संदर्भ लें।

(\$) तत्कालीन जम्मू एवं कश्मीर राज्य के पुनर्गठन के परिणामस्वरूप विनियोजन की देयता के कारण संघ राज्य क्षेत्र लद्दाख को हस्तांतरित की गई ₹ 1,48,613.00 की राशी सम्मिलित है।

(^) तत्कालीन जम्मू एवं कश्मीर राज्य के पुनर्गठन के परिणामस्वरूप विनियोजन की देयता के कारण संघ राज्य क्षेत्र लद्दाख को हस्तांतरित की गई ₹ 1,48,613.00 की राशी सम्मिलित नहीं है।

17. उधार एवं अन्य देयताओं पर विस्तृत विवरण-(जारी)

| वितरण संख्या 17 हेतु अनुलग्नक | | | | | | |
|---|------------------|-------------------------|----------------------|-----------------------|----------------------|-------------|
| (बोर्ड ऑफ़ डेव्लपमेंट एंड कश्मीर में अभी तक प्रभाजित किए जाने एवं प्रतिधारित किए जाने वाले 30 अक्टूबर 2019 के अंत तक के शेषों को दर्शाते हैं) | | | | | | |
| ऋण का विवरण | 1 अप्रैल 2022 तक | संघ राज्य क्षेत्र जम्मू | वर्ष के दौरान वृद्धि | वर्ष के दौरान उन्मोचन | 31 मार्च 2023 को शेष | |
| | शेष राशि | एवं कश्मीर को | | | राशि | (₹ लाख में) |
| | आंबटित राशि | | | | | |
| (ड) लोक ऋण- | | | | | | |
| 6003- राज्य सरकार का आंतरिक ऋण-(जारी) | | | | | | |
| 101- बाजार ऋण- | | | | | | |
| (क) ब्याज वहन करने वाले ऋण- | | | | | | |
| 7.60% जम्मू एवं कश्मीर राज्य विकास ऋण | 2023 | 20,000.00 | - | - | - | 20,000.00 |
| 7.83% जम्मू एवं कश्मीर राज्य विकास ऋण | 2023 | 30,000.00 | - | - | - | 30,000.00 |
| 8.27% जम्मू एवं कश्मीर राज्य विकास ऋण | 2023 | 20,000.00 | - | - | - | 20,000.00 |
| 8.80% जम्मू एवं कश्मीर राज्य विकास ऋण | 2023 | 50,000.00 | - | - | - | 50,000.00 |
| 9.38% जम्मू एवं कश्मीर राज्य विकास ऋण | 2023 | 30,000.00 | - | - | - | 30,000.00 |
| 8.89% जम्मू एवं कश्मीर राज्य विकास ऋण | 2024 | 30,000.00 | - | - | - | 30,000.00 |
| 8.96% जम्मू एवं कश्मीर राज्य विकास ऋण | 2024 | 30,000.00 | - | - | - | 30,000.00 |
| 8.99% जम्मू एवं कश्मीर राज्य विकास ऋण | 2024 | 15,000.00 | - | - | - | 15,000.00 |
| 9.18% जम्मू एवं कश्मीर राज्य विकास ऋण | 2024 | 15,000.00 | - | - | - | 15,000.00 |
| 9.25% जम्मू एवं कश्मीर राज्य विकास ऋण | 2024 | 40,000.00 | - | - | - | 40,000.00 |
| 9.40% जम्मू एवं कश्मीर राज्य विकास ऋण | 2024 | 30,000.00 | - | - | - | 30,000.00 |
| 9.46% जम्मू एवं कश्मीर राज्य विकास ऋण | 2024 | 18,000.00 | - | - | - | 18,000.00 |
| 8.06% जम्मू एवं कश्मीर राज्य विकास ऋण | 2025 | 20,000.00 | - | - | - | 20,000.00 |
| 8.03% जम्मू एवं कश्मीर राज्य विकास ऋण | 2025 | 50,000.00 | - | - | - | 50,000.00 |
| 8.17% जम्मू एवं कश्मीर राज्य विकास ऋण | 2025 | 30,000.00 | - | - | - | 30,000.00 |
| 8.18% जम्मू एवं कश्मीर राज्य विकास ऋण | 2025 | 50,000.00 | - | - | - | 50,000.00 |
| 8.26% जम्मू एवं कश्मीर राज्य विकास ऋण | 2025 | 15,000.00 | - | - | - | 15,000.00 |
| 8.28% जम्मू एवं कश्मीर राज्य विकास ऋण | 2025 | 45,000.00 | - | - | - | 45,000.00 |
| 8.63% जम्मू एवं कश्मीर राज्य विकास ऋण | 2026 | 35,000.00 | - | - | - | 35,000.00 |
| 6.97% जम्मू एवं कश्मीर राज्य विकास ऋण | 2026 | 34,500.00 | - | - | - | 34,500.00 |
| 7.10% जम्मू एवं कश्मीर राज्य विकास ऋण | 2026 | 5,500.00 | - | - | - | 5,500.00 |
| 7.18% जम्मू एवं कश्मीर राज्य विकास ऋण | 2026 | 30,000.00 | - | - | - | 30,000.00 |
| 7.57% जम्मू एवं कश्मीर राज्य विकास ऋण | 2026 | 40,000.00 | - | - | - | 40,000.00 |
| 7.69% जम्मू एवं कश्मीर राज्य विकास ऋण | 2026 | 30,000.00 | - | - | - | 30,000.00 |
| 8.05% जम्मू एवं कश्मीर राज्य विकास ऋण | 2026 | 50,000.00 | - | - | - | 50,000.00 |
| 7.20% जम्मू एवं कश्मीर राज्य विकास ऋण | 2027 | 30,000.00 | - | - | - | 30,000.00 |
| 7.27% जम्मू एवं कश्मीर राज्य विकास ऋण | 2027 | 60,000.00 | - | - | - | 60,000.00 |
| 7.34% जम्मू एवं कश्मीर राज्य विकास ऋण | 2027 | 60,000.00 | - | - | - | 60,000.00 |
| 7.42% जम्मू एवं कश्मीर राज्य विकास ऋण | 2027 | 30,000.00 | - | - | - | 30,000.00 |

17. उधार एवं अन्य देयताओं पर विस्तृत विवरण-(जारी)

| वितरण संख्या 17 हेतु अनुलग्नक-(जारी) | | | | | | |
|--|------------------|-------------------------|----------------------|-----------------------|------------------|-------------|
| (बॉन्ड ऑफ़डे संघ राज्य क्षेत्र जम्मू एवं कश्मीर में अभी तक प्रभाजित किए जाने एवं प्रतिधारित किए जाने वाले 30 अक्टूबर 2019 के अंत तक के शेषों को दर्शाते हैं) | | | | | | |
| ऋण का विवरण | 1 अप्रैल 2022 तक | संघ राज्य क्षेत्र जम्मू | वर्ष के दौरान वृद्धि | वर्ष के दौरान उन्मोचन | 31 मार्च 2023 को | (₹ लाख में) |
| | शेष राशि | एवं कश्मीर को | | | शेष राशि | |
| | आंबटित राशि | | | | | |
| (ड) लोक ऋण-(जारी) | | | | | | |
| 6003- राज्य सरकार का आंतरिक ऋण-(जारी) | | | | | | |
| 101- बाजार ऋण-(जारी) | | | | | | |
| (a) ब्याज वहन करने वाले ऋण-(जारी) | | | | | | |
| 7.44% जम्मू एवं कश्मीर राज्य विकास ऋण 2027 | 30,000.00 | - | - | - | 30,000.00 | |
| 7.50% जम्मू एवं कश्मीर राज्य विकास ऋण 2027 | 30,000.00 | - | - | - | 30,000.00 | |
| 7.56% जम्मू एवं कश्मीर राज्य विकास ऋण 2027 | 40,000.00 | - | - | - | 40,000.00 | |
| 7.58% जम्मू एवं कश्मीर राज्य विकास ऋण 2027 | 50,000.00 | - | - | - | 50,000.00 | |
| 7.59% जम्मू एवं कश्मीर राज्य विकास ऋण 2027 | 60,000.00 | - | - | - | 60,000.00 | |
| 7.75% जम्मू एवं कश्मीर राज्य विकास ऋण 2027 | 50,000.00 | - | - | - | 50,000.00 | |
| 8.05% जम्मू एवं कश्मीर राज्य विकास ऋण 2027 | 39,000.00 | - | - | - | 39,000.00 | |
| 8.00% जम्मू एवं कश्मीर राज्य विकास ऋण 2028 | 80,000.00 | - | - | - | 80,000.00 | |
| 8.10% जम्मू एवं कश्मीर राज्य विकास ऋण 2028 | 50,000.00 | - | - | - | 50,000.00 | |
| 8.33% जम्मू एवं कश्मीर राज्य विकास ऋण 2028 | 40,000.00 | - | - | - | 40,000.00 | |
| 8.34% जम्मू एवं कश्मीर राज्य विकास ऋण 2028 | 60,000.00 | - | - | - | 60,000.00 | |
| 8.26% जम्मू एवं कश्मीर राज्य विकास ऋण 2028 | 60,000.00 | - | - | - | 60,000.00 | |
| 8.34% जम्मू एवं कश्मीर राज्य विकास ऋण 2028 | 60,000.00 | - | - | - | 60,000.00 | |
| 8.52% जम्मू एवं कश्मीर राज्य विकास ऋण 2028 | 30,000.00 | - | - | - | 30,000.00 | |
| 8.56% जम्मू एवं कश्मीर राज्य विकास ऋण 2028 | 40,000.00 | - | - | - | 40,000.00 | |
| 8.59% जम्मू एवं कश्मीर राज्य विकास ऋण 2028 | 70,000.00 | - | - | - | 70,000.00 | |
| 8.59% जम्मू एवं कश्मीर राज्य विकास ऋण 2028 | 47,540.00 | - | - | - | 47,540.00 | |
| 8.61% जम्मू एवं कश्मीर राज्य विकास ऋण 2028 | 50,000.00 | - | - | - | 50,000.00 | |
| 8.75% जम्मू एवं कश्मीर राज्य विकास ऋण 2028 | 30,000.00 | - | - | - | 30,000.00 | |
| 8.86% जम्मू एवं कश्मीर राज्य विकास ऋण 2028 | 32,460.00 | - | - | - | 32,460.00 | |
| 8.20% जम्मू एवं कश्मीर राज्य विकास ऋण 2029 | 80,000.00 | - | - | - | 80,000.00 | |
| 8.37% जम्मू एवं कश्मीर राज्य विकास ऋण 2029 | 58,400.00 | - | - | - | 58,400.00 | |
| 8.38% जम्मू एवं कश्मीर राज्य विकास ऋण 2029 | 80,000.00 | - | - | - | 80,000.00 | |
| 8.44% जम्मू एवं कश्मीर राज्य विकास ऋण 2029 | 30,000.00 | - | - | - | 30,000.00 | |
| 6.90% जम्मू एवं कश्मीर राज्य विकास ऋण 2029 | 50,000.00 | - | - | - | 50,000.00 | |
| 7.17% जम्मू एवं कश्मीर राज्य विकास ऋण 2029 | 30,000.00 | - | - | - | 30,000.00 | |
| 7.17% जम्मू एवं कश्मीर राज्य विकास ऋण 2029 | 30,000.00 | - | - | - | 30,000.00 | |
| 7.24% जम्मू एवं कश्मीर राज्य विकास ऋण 2029 | 24,900.00 | - | - | - | 24,900.00 | |
| 7.28% जम्मू एवं कश्मीर राज्य विकास ऋण 2029 | 50,000.00 | - | - | - | 50,000.00 | |
| 7.39% जम्मू एवं कश्मीर राज्य विकास ऋण 2029 | 50,000.00 | - | - | - | 50,000.00 | |
| 7.59% जम्मू एवं कश्मीर राज्य विकास ऋण 2029 | 40,000.00 | - | - | - | 40,000.00 | |
| 7.94% जम्मू एवं कश्मीर राज्य विकास ऋण 2029 | 40,000.00 | - | - | - | 40,000.00 | |
| 8.17% जम्मू एवं कश्मीर राज्य विकास ऋण 2029 | 40,000.00 | - | - | - | 40,000.00 | |
| 8.22% जम्मू एवं कश्मीर राज्य विकास ऋण 2029 | 33,400.00 | - | - | - | 33,400.00 | |
| 7.19% जम्मू एवं कश्मीर राज्य विकास ऋण 2029 | 30,000.00 | - | - | - | 30,000.00 | |

17. उधार एवं अन्य देयताओं पर विस्तृत विवरण-(जारी)

| वितरण संख्या 17 हेतु अनुलग्नक-(जारी) | | | | | | |
|---|------------------|------------------------------|----------------------|-----------------------|------------------|-------------|
| (बॉन्ड ऑफ़े संघ राज्य क्षेत्र जम्मू एवं कश्मीर में अभी तक प्रभाजित किए जाने एवं प्रतिधारित किए जाने वाले 30 अक्टूबर 2019 के अंत तक के शेषों को दर्शाते हैं) | | | | | | |
| ऋण का विवरण | 1 अप्रैल 2022 तक | संघ राज्य क्षेत्र जम्मू | वर्ष के दौरान वृद्धि | वर्ष के दौरान उन्मोचन | 31 मार्च 2023 को | (₹ लाख में) |
| | शेष राशि | एवं कश्मीर को आंबटित राशि | | | शेष राशि | |
| (ड) लोक ऋण-(जारी) | | | | | | |
| 6003- राज्य सरकार का आंतरिक ऋण-(जारी) | | | | | | |
| 101- बाजार ऋण-(जारी) | | | | | | |
| (a) ब्याज वहन करने वाले ऋण-(जारी) | | | | | | |
| 7.20% जम्मू एवं कश्मीर राज्य विकास ऋण 2029 | 30,900.00 | - | - | - | 30,900.00 | |
| 7.30% जम्मू एवं कश्मीर राज्य विकास ऋण 2029 | 50,000.00 | - | - | - | 50,000.00 | |
| 7.07% जम्मू एवं कश्मीर राज्य विकास ऋण 2029 | 60,300.00 | - | - | - | 60,300.00 | |
| 7.10% जम्मू एवं कश्मीर राज्य विकास ऋण 2029 | 60,000.00 | - | - | - | 60,000.00 | |
| 7.28% जम्मू एवं कश्मीर राज्य विकास ऋण 2029 | 60,000.00 | - | - | - | 60,000.00 | |
| 7.95% जम्मू एवं कश्मीर राज्य विकास ऋण 2029 | 1,07,400.00 | - | - | - | 1,07,400.00 | |
| 6.46% जम्मू एवं कश्मीर राज्य विकास ऋण 2030 | 80,000.00 | - | - | - | 80,000.00 | |
| 6.58% जम्मू एवं कश्मीर राज्य विकास ऋण 2030 | 80,000.00 | - | - | - | 80,000.00 | |
| 6.62% जम्मू एवं कश्मीर राज्य विकास ऋण 2030 | 40,000.00 | - | - | - | 40,000.00 | |
| 6.65% जम्मू एवं कश्मीर राज्य विकास ऋण 2030 | 50,000.00 | - | - | - | 50,000.00 | |
| 6.70% जम्मू एवं कश्मीर राज्य विकास ऋण 2030 | 40,000.00 | - | - | - | 40,000.00 | |
| 6.79% जम्मू एवं कश्मीर राज्य विकास ऋण 2030 | 50,000.00 | - | - | - | 50,000.00 | |
| 8.15% जम्मू एवं कश्मीर राज्य विकास ऋण 2030 | 80,000.00 | - | - | - | 80,000.00 | |
| 6.84% जम्मू एवं कश्मीर राज्य विकास ऋण 2031 | 20,100.00 | - | - | - | 20,100.00 | |
| 6.99% जम्मू एवं कश्मीर राज्य विकास ऋण 2031 | 70,000.00 | - | - | - | 70,000.00 | |
| 6.70% जम्मू एवं कश्मीर राज्य विकास ऋण 2032 | 1,00,500.00 | - | - | - | 1,00,500.00 | |
| 7.15% जम्मू एवं कश्मीर राज्य विकास ऋण 2032 | 50,000.00 | - | - | - | 50,000.00 | |
| 6.80% जम्मू एवं कश्मीर राज्य विकास ऋण 2035 | 60,000.00 | - | - | - | 60,000.00 | |
| 6.96% जम्मू एवं कश्मीर राज्य विकास ऋण 2035 | 1,00,500.00 | - | - | - | 1,00,500.00 | |
| 6.64% जम्मू एवं कश्मीर राज्य विकास ऋण 2036 | 50,000.00 | - | - | - | 50,000.00 | |
| 7.24% जम्मू एवं कश्मीर राज्य विकास ऋण 2036 | 61,700.00 | - | - | - | 61,700.00 | |
| 6.78% जम्मू एवं कश्मीर राज्य विकास ऋण 2033 | 50,000.00 | - | - | - | 50,000.00 | |
| 6.90% जम्मू एवं कश्मीर राज्य विकास ऋण 2033 | 40,000.00 | - | - | - | 40,000.00 | |
| 7.00% जम्मू एवं कश्मीर राज्य विकास ऋण 2033 | 50,000.00 | - | - | - | 50,000.00 | |
| 7.10% जम्मू एवं कश्मीर राज्य विकास ऋण 2033 | 90,000.00 | - | - | - | 90,000.00 | |
| 7.10% जम्मू एवं कश्मीर राज्य विकास ऋण 2033 | 50,000.00 | - | - | - | 50,000.00 | |
| 7.08% जम्मू एवं कश्मीर राज्य विकास ऋण 2033 | 40,000.00 | - | - | - | 40,000.00 | |
| 7.13% जम्मू एवं कश्मीर राज्य विकास ऋण 2034 | 60,000.00 | - | - | - | 60,000.00 | |
| 6.94% जम्मू एवं कश्मीर राज्य विकास ऋण 2036 | 50,000.00 | - | - | - | 50,000.00 | |
| 6.98% जम्मू एवं कश्मीर राज्य विकास ऋण 2036 | 50,000.00 | - | - | - | 50,000.00 | |
| 7.04% जम्मू एवं कश्मीर राज्य विकास ऋण 2036 | 80,000.00 | - | - | - | 80,000.00 | |
| 7.08% जम्मू एवं कश्मीर राज्य विकास ऋण 2036 | 60,000.00 | - | - | - | 60,000.00 | |
| 7.14% जम्मू एवं कश्मीर राज्य विकास ऋण 2036 | 80,000.00 | - | - | - | 80,000.00 | |

17. उधार एवं अन्य देयताओं पर विस्तृत विवरण-(जारी)

| वितरण संख्या 17 हेतु अनुलग्नक-(जारी) | | | | | |
|--|------------------------------|---|----------------------|-----------------------|------------------------------|
| (बॉन्ड ऑफ़डे संघ राज्य क्षेत्र जम्मू एवं कश्मीर में अभी तक प्रभाजित किए जाने एवं प्रतिधारित किए जाने वाले 30 अक्टूबर 2019 के अंत तक के शेषों को दर्शाते हैं) | | | | | |
| ऋण का विवरण | 1 अप्रैल 2022 तक शेष राशि | संघ राज्य क्षेत्र जम्मू एवं कश्मीर को आंबटित राशि | वर्ष के दौरान वृद्धि | वर्ष के दौरान उन्मोचन | 31 मार्च 2023 को शेष राशि |
| (₹ लाख में) | | | | | |
| (ड) लोक ऋण-(जारी) | | | | | |
| 6003- राज्य सरकार का आंतरिक ऋण-(जारी) | | | | | |
| 101 बाजार ऋण-(जारी) | | | | | |
| (क) ब्याज वहन करने वाले ऋण-(जारी) | | | | | |
| 7.12% जम्मू एवं कश्मीर राज्य विकास ऋण 2037 | 61,400.00 | - | - | - | 61,400.00 |
| 7.39% जम्मू एवं कश्मीर राज्य विकास ऋण 2037 | 94,800.00 | - | - | - | 94,800.00 |
| 7.72% जम्मू एवं कश्मीर राज्य विकास ऋण 2032 | - | - | 1,00,000.00 | - | 1,00,000.00 |
| 7.57% जम्मू एवं कश्मीर राज्य विकास ऋण 2034 | - | - | 50,000.00 | - | 50,000.00 |
| 7.60% जम्मू एवं कश्मीर राज्य विकास ऋण 2035 | - | - | 50,000.00 | - | 50,000.00 |
| 7.77% जम्मू एवं कश्मीर राज्य प्रत्याभूतियां 2035 | - | - | 50,000.00 | - | 50,000.00 |
| 7.79% जम्मू एवं कश्मीर राज्य प्रत्याभूतियां 2035 | - | - | 50,000.00 | - | 50,000.00 |
| 7.80% जम्मू एवं कश्मीर राज्य प्रत्याभूतियां 2035 | - | - | 72,772.00 | - | 72,772.00 |
| 6.68% जम्मू एवं कश्मीर राज्य विकास ऋण 2037 | - | - | 50,000.00 | - | 50,000.00 |
| 7.70% जम्मू एवं कश्मीर राज्य विकास ऋण 2037 | - | - | 49,528.00 | - | 49,528.00 |
| 7.77% जम्मू एवं कश्मीर राज्य विकास ऋण 2037 | - | - | 80,000.00 | - | 80,000.00 |
| 8.06% जम्मू एवं कश्मीर राज्य विकास ऋण 2037 | - | - | 1,25,000.00 | - | 1,25,000.00 |
| 7.55% जम्मू एवं कश्मीर राज्य विकास ऋण 2038 | - | - | 70,000.00 | - | 70,000.00 |
| 7.61% जम्मू एवं कश्मीर राज्य विकास ऋण 2042 | - | - | 1,00,000.00 | - | 1,00,000.00 |
| कुल-(क)-ब्याज वहन करने वाले ऋण | 12,87,221.96 | - | 8,47,300.00 | - | 12,95,694.96 |
| | 32,48,208.00 | | | | 32,48,208.00 |
| (ख) ब्याज वहन नहीं करने वाले ऋण- | | | | | |
| 9.00% जम्मू एवं कश्मीर राज्य विकास ऋण 1999 | 22.04 | - | - | - | - |
| 11.00% जम्मू एवं कश्मीर राज्य विकास ऋण 2002 | 1.00 | - | - | 1.00 | - |
| 14.00% जम्मू एवं कश्मीर राज्य विकास ऋण 2005 | 1.00 | - | - | - | 1.00 |
| 8.89% जम्मू एवं कश्मीर राज्य स्टॉक 2022 | 50,000.00 | - | - | 50,000.00 | - |
| 9.00% जम्मू एवं कश्मीर राज्य विकास ऋण 2022 | 60,000.00 | - | - | 60,000.00 | - |
| 8.66% जम्मू एवं कश्मीर राज्य विकास ऋण 2023 | 50,000.00 | - | - | 50,000.00 | - |
| 8.74% जम्मू एवं कश्मीर राज्य विकास ऋण 2023 | 55,000.00 | - | - | 55,000.00 | - |
| कुल-(ख)- ब्याज वहन न करने वाले ऋण | 2,15,000.00 | - | - | 2,15,001.00 | - |
| | 24.04 | | | | 24.04 |
| कुल -101- बाजार ऋण | 15,02,221.96 | - | 8,47,300.00 | 2,15,001.00 | 21,34,520.96 |
| | 34,29,080.04 | | | | 34,29,080.04 |
| 103- भारतीय जीवन बीमा निगम से ऋण | (-)30,122.00 | - | - | 13,154.31 | (-)43,276.31 \$ |
| | 1,14,871.40 | | | | 1,14,871.40 |
| 104- सामान्य भारतीय बीमा निगम से ऋण | (-)89.28 | - | - | 20.00 | (-)109.28 \$ |
| | 99.24 | | | | 99.24 |

17. उधार एवं अन्य देयताओं पर विस्तृत विवरण-(जारी)

वितरण संख्या 17 हेतु अनुलग्नक-(जारी)

(बोर्ड ऑफ़े संघ राज्य क्षेत्र जम्मू एवं कश्मीर में अभी तक प्रभाजित किए जाने एवं प्रतिधारित किए जाने वाले 30 अक्टूबर 2019 के अंत तक के शेषों को दर्शाते हैं)

| ऋण का विवरण | 1 अप्रैल 2022 तक शेष राशि | संघ राज्य क्षेत्र जम्मू एवं कश्मीर को आंबटित राशि | वर्ष के दौरान वृद्धि | वर्ष के दौरान उन्मोचन | 31 मार्च 2023 को शेष राशि |
|--|---------------------------|---|----------------------|-----------------------|---------------------------|
| (₹ लाख में) | | | | | |
| ई- लोक ऋण-(समाप्त) | | | | | |
| 6003- राज्य सरकार का आंतरिक ऋण- (समाप्त) | | | | | |
| 105- राष्ट्रीय कृषि एवं ग्रामीण विकास बैंक से ऋण | 28,024.27 | - | 68,000.00 | 39,966.73 | 56,057.54 |
| | 1,95,122.49 | | | | 1,95,122.49 |
| 106- क्षतिपूर्ति एवं अन्य बंधपत्र- | | | | | |
| (i)- विद्युत बंधपत्र | - | - | - | - | - |
| (ii)- यूडीएवाई बंधपत्र | (-)21,400.00 | - | - | 35,375.50 | (-)56,775.50 \$ |
| | 3,53,755.00 | | | | 3,53,755.00 |
| कुल-106-क्षतिपूर्ति एवं अन्य बंधपत्र | (-)21,400.00 | - | - | 35,375.50 | (-)56,775.50 \$ |
| | 3,53,755.00 | | | | 3,53,755.00 |
| 109- अन्य संस्थानों से ऋण- | | | | | |
| (i)- ग्रामीण विद्युतीकरण निगम लिमिटेड से ऋण | (-)6,537.66 | - | 75.03 | 1,674.53 | (-)8,137.16 \$ |
| | 3,689.40 | | | | 3,689.40 |
| (ii)- यूनाइटेड इंडिया इंश्योरन्स कम्पनी से ऋण | (-)48.00 | - | - | - | (-)48.00 \$ |
| | 48.00 | | | | 48.00 |
| (iii)- विद्युत वित्तीय निगम से ऋण | - | - | - | 1,000.00 | (-)1,000.00 \$ |
| | 40,000.00 | | | | 40,000.00 |
| कुल-109- अन्य संस्थानों से ऋण | (-)6,585.66 | - | 75.03 | 2,674.53 | (-)9,185.16 \$ |
| | 43,737.40 | | | | 43,737.40 |

17. उधार एवं अन्य देयताओं पर विस्तृत विवरण-(जारी)

वितरण संख्या 17 हेतु अनुलग्नक-(जारी)

(बोर्ड ऑफ़े संघ राज्य क्षेत्र जम्मू एवं कश्मीर में अभी तक प्रभाजित किए जाने एवं प्रतिधारित किए जाने वाले 30 अक्टूबर 2019 के अंत तक के शेषों को दर्शाते हैं)

| ऋण का विवरण | 1 अप्रैल 2022 तक शेष राशि | संघ राज्य क्षेत्र जम्मू एवं कश्मीर को आंबटित राशि | वर्ष के दौरान वृद्धि | वर्ष के दौरान उन्मोचन | 31 मार्च 2023 को शेष राशि |
|--|---------------------------|---|----------------------|-----------------------|---------------------------|
| (₹ लाख में) | | | | | |
| ई- लोक ऋण-(समाप्त) | | | | | |
| 6003- राज्य सरकार का आंतरिक ऋण- (समाप्त) | | | | | |
| 110- आईबीआई से अर्थापाय अग्रिम- | | | | | |
| (i)- अर्थापाय अग्रिम | 49,954.00 | - | 17,97,986.00 | 19,05,547.00 | (-)57,607.00 \$ |
| | 69,211.00 | | | | 69,211.00 |
| (ii)- ओवरड्राफ्ट | 0.01 | - | 10,98,086.53 | 10,98,086.53 | 0.01 ^ |
| | - | | | | - |
| कुल-110- भारतीय रिजर्व बैंक (आरबीआई) से अर्थापाय अग्रिम | 49,954.01 | - | 28,96,072.53 | 30,03,633.53 | (-)57,606.99 \$ |
| | 69,211.00 | | | | 69,211.00 |
| 111- केन्द्र सरकार के राष्ट्रीय लघु बचत कोष को जारी विशेष प्रतिभूतियाँ | 4,08,604.97 | - | - | 84,864.50 | 3,23,740.47 |
| | 3,37,032.48 | | | | 3,37,032.48 |
| कुल-6003- राज्य सरकार का आंतरिक ऋण | 19,30,608.27 | - | 38,11,447.56 | 33,94,690.10 | 23,47,365.73 |
| | 45,42,909.06 | | | | 45,42,909.06 |

17. उधार एवं अन्य देयताओं का विस्तृत विवरण-(जारी)

(ख) परिपक्वता प्रोफाइल

(i) आंतरिक ऋण की परिपक्वता प्रोफाइल (31 मार्च 2023 को समाप्त) (छ)

(बोल्ड आँकड़े संघ राज्य क्षेत्र जम्मू एवं कश्मीर में अभी तक प्रभाजित किए जाने एवं प्रतिधारित किए जाने वाले 30 अक्टूबर 2019 के अंत तक के शेषों को दर्शाते हैं)

(र लाख में)

| वर्ष | बाजार ऋणों का विवरण (जम्मू एवं कश्मीर राज्य विकास ऋण/ स्टॉक) | से ऋण | | | आरईसी/ पीएफसी | विद्युत बंधपत्र (यूडीएवाई) | जारी की गई विशेष प्रतिभूतियाँ एनएसएसएफ | अन्य संस्थानों से ऋण एचडीएफसी | कुल |
|------------|--|--------|--|------------|---------------|----------------------------|---|----------------------------------|------|
| | | एलआईसी | जीआईसी/ ओआईसी/ एनआईसी/ युआईआईसी | एनएबीएआरडी | | | | | |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) | (10) |
| 2023-24 | | | | | | | | | |
| 2024-25 | | | | | | | | | |
| 2025-26 | | | | | | | | | |
| 2026-27 | | | | | | | | | |
| 2027-28 | | | | | | | | | |
| 2028-29 | | | | | | | | | |
| 2029-30 | | | | | | | | | |
| 2030-31 | | | | | | | | | |
| 2031-32 | | | | | | | | | |
| 2032-33 | | | | | | | | | |
| 2033-34 | | | | | | | | | |
| 2034-35 | | | | | | | | | |
| 2035-36 | | | | | | | | | |
| 2036-37 | | | | | | | | | |
| 2037-38 | | | | | | | | | |
| 2038-39 | | | | | | | | | |
| 2039-40 | | | | | | | | | |
| 2040-41 | | | | | | | | | |
| 2041-42 | | | | | | | | | |
| 2042-43 | | | | | | | | | |
| कुल | | | | | | | | | |

(छ) यह लागू नहीं है क्योंकि 30 अक्टूबर 2019 तक की समाप्ति के शेषों को अभी तक दो उत्तराधिकारी संघ राज्य क्षेत्रों में प्रभाजित (जुलाई 2023) किया जाना शेष है।

17. उधार एवं अन्य देयताओं का विस्तृत विवरण-(समाप्त)

(ख) परिपक्वता प्रोफाइल-(समाप्त)

(ii) केंद्र सरकार से ऋण एवं अग्रिमों की परिपक्वता प्रोफाइल (31 मार्च 2023 को समाप्त) (ज)

(बोल्ड आँकड़े संघ राज्य क्षेत्र जम्मू एवं कश्मीर में अभी तक प्रभाजित किए जाने एवं प्रतिधारित किए जाने वाले 30 अक्टूबर 2019 के अंत तक के शेषों को दर्शाते हैं)

(₹ लाख में)

| वर्ष | गैर-नियोजित ऋण | राज्य/ संघ राज्य क्षेत्र योजनाओं हेतु ऋण | केन्द्रीय नियोजित योजनाओं हेतु ऋण | केन्द्र प्रायोजित योजनाओं हेतु ऋण | 1984-85 से पूर्व ऋण | विधानमण्डल युक्त राज्य/ संघ राज्य क्षेत्र योजनाओं हेतु ऋण | कुल |
|------------|----------------|--|-----------------------------------|-----------------------------------|---------------------|---|-----|
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) |
| 2023-24 | | | | | | | |
| 2024-25 | | | | | | | |
| 2025-26 | | | | | | | |
| 2026-27 | | | | | | | |
| 2027-28 | | | | | | | |
| 2028-29 | | | | | | | |
| 2029-30 | | | | | | | |
| 2030-31 | | | | | | | |
| 2031-32 | | | | | | | |
| 2032-33 | | | | | | | |
| 2033-34 | | | | | | | |
| 2034-35 | | | | | | | |
| 2035-36 | | | | | | | |
| 2036-37 | | | | | | | |
| 2037-38 | | | | | | | |
| 2038-39 | | | | | | | |
| कुल | | | | | | | |

(ज) यह लागू नहीं है क्योंकि 30 अक्टूबर 2019 तक की समाप्ति के शेषों को अभी तक दो उत्तराधिकारी संघ राज्य क्षेत्रों में प्रभाजित (जुलाई 2023) किया जाना शेष है।

18. सरकार द्वारा दिये गये ऋणों तथा अग्रिमों का विस्तृत विवरण

अनुभाग 1: ऋणों और अग्रिमों का मुख्य एवं लघु शीर्षवार सारांश

(बोर्ड ऑफ़ डे संघ राज्य क्षेत्र जम्मू एवं कश्मीर में अभी तक विभाजित किए जाने एवं प्रतिधारित किये जाने वाले 30 अक्टूबर 2019 के अंत तक के शेषों को दर्शाते हैं)

| लेखा शीर्ष | 1 अप्रैल 2022 तक शेष राशि | संघ राज्य क्षेत्र जम्मू एवं कश्मीर को आंबटित राशि | वर्ष के दौरान संवितरण | वर्ष के दौरान पुनर्भुगतान | अशोध्य ऋणों एवं अग्रिमों को बड़े खाते में डाला | 31 मार्च 2023 को शेष राशि (2+4)-(5+6) | वर्ष 2022-23 के दौरान निवल वृद्धि(+)/ कमी(-) (7-2) | बकार्यों में ब्याज भुगतान (क) |
|--|---------------------------------|---|--------------------------|------------------------------|--|--|---|-------------------------------------|
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) |
| च-ऋण तथा अग्रिम- | | | | | | | | |
| ख- समाज सेवाओं हेतु ऋण- | | | | | | | | |
| (क) शिक्षा, खेल, कला एवं संस्कृति- | | | | | | | | |
| 6202- शिक्षा, खेल, कला एवं संस्कृति हेतु ऋण- | | | | | | | | |
| 01- सामान्य शिक्षा- | | | | | | | | |
| 203- विश्वविद्यालय एवं उच्चतर शिक्षा | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | 0.01 | | | | | 0.01 | | |
| 600- सामान्य | (-9.44) | - | - | 2.24 | - | (-11.68) \$ | (-2.94) | |
| | 153.59 | | | | | 153.59 | | |
| कुल-01 | (-9.44) | - | - | 2.24 | - | (-11.68) \$ | (-2.94) | |
| | 153.60 | | | | | 153.60 | | |
| 02- तकनीकी शिक्षा- | | | | | | | | |
| 800- अन्य ऋण | (-16.64) | - | - | 6.30 | - | (-22.95) \$ | (-5.60) | |
| | 388.31 | | | | | 388.31 | | |
| कुल-02 | (-16.64) | - | - | 6.30 | - | (-22.95) \$ | (-5.60) | |
| | 388.31 | | | | | 388.31 | | |
| 03- खेल एवं युवा सेवाएं- | | | | | | | | |
| 800- अन्य ऋण | (-0.19) | - | - | 0.11 | - | (-0.30) \$ | (-0.11) | |
| | 3.67 | | | | | 3.67 | | |
| कुल-03 | (-0.19) | - | - | 0.11 | - | (-0.30) \$ | (-0.11) | |
| | 3.67 | | | | | 3.67 | | |
| कुल-6202 | (-26.27) | - | - | 8.65 | - | (-34.92) \$ | (-8.65) | |
| | 545.58 | | | | | 545.58 | | |
| कुल (क)-शिक्षा, खेल, कला एवं संस्कृति | (-26.27) | - | - | 8.65 | - | (-34.92) \$ | (-8.65) | |
| | 545.58 | | | | | 545.58 | | |

(क) पूरे विवरण में सरकार (जुलाई 2023 से सूचना प्रतीक्षित।)

(\$ 30 अक्टूबर 2019 (पुनर्गठन पूर्व) को शेषों के अप्रभाजन के कारण विवरण में घटाव शेष।)

18. सरकार द्वारा दिये गये ऋणों तथा अग्रिमों का विस्तृत विवरण-(जारी)

अनुभाग 1: ऋणों और अग्रिमों का मुख्य एवं लघु शीर्षवार सारांश-(जारी)

(बोर्ड ऑफ़ डे संघ राज्य क्षेत्र जम्मू एवं कश्मीर में अभी तक विभाजित किए जाने एवं प्रतिधारित किये जाने वाले 30 अक्टूबर 2019 के अंत तक के शेषों को दर्शाते हैं)

| लेखा शीर्ष | 1 अप्रैल 2022 तक शेष राशि | संघ राज्य क्षेत्र जम्मू एवं कश्मीर को आंबटित राशि | वर्ष के दौरान संवितरण | वर्ष के दौरान पुनर्भुगतान | अशोध्य ऋणों एवं अग्रिमों को बड़े खाते में डाला | 31 मार्च 2023 को शेष राशि (2+4)-(5+6) | वर्ष 2022-23 के दौरान निवल वृद्धि(+)/ कमी(-) (7-2) | बकार्यों में ब्याज भुगतान (क) |
|---|---------------------------------|---|--------------------------|------------------------------|--|--|---|-------------------------------------|
| | (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) |
| | (₹ लाख में) | | | | | | | |
| च-ऋण तथा अग्रिम-(जारी) | | | | | | | | |
| ख- समाज सेवाओं हेतु ऋण-(जारी) | | | | | | | | |
| (ख) स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण- | | | | | | | | |
| 6210- चिकित्सा एवं जन स्वास्थ्य हेतु ऋण- | | | | | | | | |
| 01- शहरी स्वास्थ्य सेवाएं- | (-3.40 | - | - | 1.44 | - | (-4.84 \$ | (-1.44 | |
| 800- अन्य ऋण | 22.90 | | | | | 22.90 | | |
| | (-3.40 | - | - | 1.44 | - | (-4.84 \$ | (-1.44 | |
| कुल-01 | 22.90 | | | | | 22.90 | | |
| 03- चिकित्सा, शिक्षा, प्रशिक्षण एवं अनुसंधान- | | | | | | | | |
| 105- एलोपैथी | - | - | - | - | - | - | - | |
| | 124.72 | | | | | 124.72 | | |
| 200- अन्य प्रणालियाँ | (-1.29 | - | - | 0.09 | - | (-1.38 \$ | (-0.09 | |
| | 0.83 | | | | | 0.83 | | |
| कुल-03 | (-1.29 | - | - | 0.09 | - | (-1.38 \$ | (-0.09 | |
| | 125.55 | | | | | 125.55 | | |
| 04- जन स्वास्थ्य- | | | | | | | | |
| 800- अन्य ऋण | (-0.21 | - | - | - | - | (-0.21 \$ | - | |
| | 0.14 | | | | | 0.14 | | |
| कुल-04 | (-0.21 | - | - | - | - | (-0.21 \$ | - | |
| | 0.14 | | | | | 0.14 | | |

18. सरकार द्वारा दिये गये ऋणों तथा अग्रिमों का विस्तृत विवरण-(जारी)

अनुभाग 1: ऋणों और अग्रिमों का मुख्य एवं लघु शीर्षवार सारांश-(जारी)

(बोर्ड ऑफ़ डे संघ राज्य क्षेत्र जम्मू एवं कश्मीर में अभी तक विभाजित किए जाने एवं प्रतिधारित किये जाने वाले 30 अक्टूबर 2019 के अंत तक के शेषों को दर्शाते हैं)

| लेखा शीर्ष | 1 अप्रैल 2022 तक शेष राशि | संघ राज्य क्षेत्र जम्मू एवं कश्मीर को आंबटित राशि | वर्ष के दौरान संवितरण | वर्ष के दौरान पुनर्भुगतान | अशोध्य ऋणों एवं अग्रिमों को बड़े खाते में डाला | 31 मार्च 2023 को शेष राशि (2+4)-(5+6) | वर्ष 2022-23 के दौरान निवल वृद्धि(+)/ कमी(-) (7-2) | बकायों में ब्याज भुगतान (क) |
|--|---------------------------------|---|--------------------------|------------------------------|--|--|---|-----------------------------------|
| | (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) |
| | (₹ लाख में) | | | | | | | |
| च-ऋण तथा अग्रिम-(जारी) | | | | | | | | |
| ख- समाज सेवाओं हेतु ऋण-(जारी) | | | | | | | | |
| (ख) स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण-(समाप्त) | | | | | | | | |
| 6210- चिकित्सा एवं जन स्वास्थ्य हेतु ऋण-(समाप्त) | | | | | | | | |
| 80- सामान्य- | | | | | | | | |
| 800- अन्य ऋण | (-)2.33 | - | - | 0.66 | - | (-)2.99 \$ | (-)0.66 | |
| | 43.94 | | | | | 43.94 | | |
| कुल-80 | (-)2.33 | - | - | 0.66 | - | (-)2.99 \$ | (-)0.66 | |
| | 43.94 | | | | | 43.94 | | |
| कुल-6210 | (-)7.23 | - | - | 2.19 | - | (-)9.42 \$ | (-)2.19 | |
| | 192.53 | | | | | 192.53 | | |
| 6211- परिवार कल्याण हेतु ऋण- | | | | | | | | |
| 800- अन्य ऋण | - | - | - | - | - | - | - | |
| | 0.09 | | | | | 0.09 | | |
| कुल-6211 | - | - | - | - | - | - | - | |
| | 0.09 | | | | | 0.09 | | |
| कुल-(ख) - स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण | (-)7.23 | - | - | 2.19 | - | (-)9.42 \$ | (-)2.19 | |
| | 192.62 | | | | | 192.62 | | |
| (ग) जलापूर्ति, स्वच्छता, आवास एवं शहरी विकास- | | | | | | | | |
| 6216- आवास हेतु ऋण- | | | | | | | | |
| 02- शहरी आवास- | | | | | | | | |
| 201- आवास बोर्डों को ऋण- | | | | | | | | |
| मध्यम आय समूह आवास योजनाएं | - | - | - | - | - | - | - | |
| | 56.81 | | | | | 56.81 | | |

18. सरकार द्वारा दिये गये ऋणों तथा अग्रिमों का विस्तृत विवरण-(जारी)

अनुभाग 1: ऋणों और अग्रिमों का मुख्य एवं लघु शीर्षवार सारांश-(जारी)

(बोर्ड ऑफ़ डे संघ राज्य क्षेत्र जम्मू एवं कश्मीर में अभी तक विभाजित किए जाने एवं प्रतिधारित किये जाने वाले 30 अक्टूबर 2019 के अंत तक के शेषों को दर्शाते हैं)

| लेखा शीर्ष | 1 अप्रैल 2022 तक शेष राशि | संघ राज्य क्षेत्र जम्मू एवं कश्मीर को आंबटित राशि | वर्ष के दौरान संवितरण | वर्ष के दौरान पुनर्भुगतान | अशोध्य ऋणों एवं अग्रिमों को बड़े खाते में डाला | 31 मार्च 2023 को शेष राशि (2+4)-(5+6) | वर्ष 2022-23 के दौरान निवल वृद्धि(+)/ कमी(-) (7-2) | बकायों में ब्याज भुगतान (क) |
|---|---------------------------------|---|--------------------------|------------------------------|--|--|---|-----------------------------------|
| | (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) |
| | (₹ लाख में) | | | | | | | |
| च-ऋण तथा अग्रिम-(जारी) | | | | | | | | |
| ख- समाज सेवाओं हेतु ऋण-(जारी) | | | | | | | | |
| (ग) जलापूर्ति, स्वच्छता, आवास एवं शहरी विकास-(जारी) | | | | | | | | |
| 6216- आवास हेतु ऋण-(समाप्त) | | | | | | | | |
| 02- शहरी आवास- | | | | | | | | |
| 800- अन्य ऋण | (-)1.69 | - | - | 0.18 | - | (-)1.87 \$ | (-)0.18 | |
| | 179.47 | | | | | 179.47 | | |
| कुल-02 | (-)1.69 | - | - | 0.18 | - | (-)1.87 \$ | (-)0.18 | |
| | 236.28 | | | | | 236.28 | | |
| 03- ग्रामीण आवास- | | | | | | | | |
| 201- आवास बोर्डों को ऋण | - | - | - | - | - | - | - | |
| | 290.33 | | | | | 290.33 | | |
| 800- अन्य ऋण | - | - | - | - | - | - | - | |
| | 182.93 | | | | | 182.93 | | |
| कुल-03 | - | - | - | - | - | - | - | |
| | 473.26 | | | | | 473.26 | | |
| कुल-6216 | (-)1.69 | - | - | 0.18 | - | (-)1.87 \$ | (-)0.18 | |
| | 709.54 | | | | | 709.54 | | |
| 6217- शहरी विकास हेतु ऋण- | | | | | | | | |
| 01- राज्य का पूँजीगत विकास- | | | | | | | | |
| 191- स्थानीय निकायों, निगमों आदि को ऋण- | | | | | | | | |
| (i) नगरपालिकाओं को ऋण | - | - | - | - | - | - | - | |
| | 517.45 | | | | | 517.45 | | |

18. सरकार द्वारा दिये गये ऋणों तथा अग्रिमों का विस्तृत विवरण-(जारी)

अनुभाग 1: ऋणों और अग्रिमों का मुख्य एवं लघु शीर्षवार सारांश-(जारी)

(बोर्ड ऑफ़ डे संघ राज्य क्षेत्र जम्मू एवं कश्मीर में अभी तक विभाजित किए जाने एवं प्रतिधारित किये जाने वाले 30 अक्टूबर 2019 के अंत तक के शेषों को दर्शाते हैं)

| लेखा शीर्ष | 1 अप्रैल 2022 तक शेष राशि | संघ राज्य क्षेत्र जम्मू एवं कश्मीर को आंबटित राशि | वर्ष के दौरान संवितरण | वर्ष के दौरान पुनर्भुगतान | अशोध्य ऋणों एवं अग्रिमों को बड़े खाते में डाला | 31 मार्च 2023 को शेष राशि (2+4)-(5+6) | वर्ष 2022-23 के दौरान निवल वृद्धि(+)/ कमी(-) (7-2) | बकायों में ब्याज भुगतान (क) |
|--|---------------------------------|---|--------------------------|------------------------------|--|--|---|-----------------------------------|
| | (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) |
| | (₹ लाख में) | | | | | | | |
| च-ऋण तथा अग्रिम-(जारी) | | | | | | | | |
| ख- समाज सेवाओं हेतु ऋण-(जारी) | | | | | | | | |
| (ग) जलापूर्ति, स्वच्छता, आवास एवं शहरी विकास-(जारी) | | | | | | | | |
| 6217- शहरी विकास हेतु ऋण-(जारी) | | | | | | | | |
| <i>01- राज्य का पूँजी विकास-(समाप्त)</i> | | | | | | | | |
| 191- स्थानीय निकायों, निगमों आदि को ऋण-(समाप्त) | | | | | | | | |
| (ii) विकास प्रधिकरण, श्रीनगर के ऋण | | | | | | | | |
| | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | 191.78 | | | | | 191.78 | | |
| कुल-191 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | 709.23 | | | | | 709.23 | | |
| 800- अन्य ऋण | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | 413.72 | | | | | 413.72 | | |
| कुल-01 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | 1,122.95 | | | | | 1,122.95 | | |
| <i>03- लघु एवं मध्यम कस्बों का एकीकृत विकास-</i> | | | | | | | | |
| 191- स्थानीय निकायों, निगमों आदि को ऋण | | | | | | | | |
| | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | 756.54 | | | | | 756.54 | | |
| कुल-03 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | 756.54 | | | | | 756.54 | | |
| <i>60- अन्य शहरी विकास योजनाएं-</i> | | | | | | | | |
| 800- अन्य ऋण- | | | | | | | | |
| (i) फल बाजार के विकास हेतु ऋण | | | | | | | | |
| | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | 127.11 | | | | | 127.11 | | |

18. सरकार द्वारा दिये गये ऋणों तथा अग्रिमों का विस्तृत विवरण-(जारी)

अनुभाग 1: ऋणों और अग्रिमों का मुख्य एवं लघु शीर्षवार सारांश-(जारी)

(बोर्ड ऑफ़ डेव्लपमेंट एंड कश्मीर में अभी तक विभाजित किए जाने एवं प्रतिधारित किये जाने वाले 30 अक्टूबर 2019 के अंत तक के शेषों को दर्शाते हैं)

| लेखा शीर्ष | 1 अप्रैल 2022 तक शेष राशि | संघ राज्य क्षेत्र जम्मू एवं कश्मीर को आंबटित राशि | वर्ष के दौरान संवितरण | वर्ष के दौरान पुनर्भुगतान | अशोध्य ऋणों एवं अग्रिमों को बड़े खाते में डाला | 31 मार्च 2023 को शेष राशि (2+4)-(5+6) | वर्ष 2022-23 के दौरान निवल वृद्धि(+)/ कमी(-) (7-2) | बकायों में ब्याज भुगतान (क) |
|---|---------------------------------|---|--------------------------|------------------------------|--|--|---|-----------------------------------|
| | (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) |
| | | | | | | | | (9) |
| | | | | | | | | (₹ लाख में) |
| च-ऋण तथा अग्रिम-(जारी) | | | | | | | | |
| ख- समाज सेवाओं हेतु ऋण-(जारी) | | | | | | | | |
| (ग) जलापूर्ति, स्वच्छता, आवास एवं शहरी विकास-(समाप्त) | | | | | | | | |
| 6217- शहरी विकास हेतु ऋण-(समाप्त) | | | | | | | | |
| 60- अन्य शहरी विकास योजनाएं-(समाप्त) | | | | | | | | |
| 800- अन्य ऋण-(समाप्त) | | | | | | | | |
| (ii) अन्य ऋण | | | | | | | | |
| | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | 813.72 | | | | | 813.72 | | |
| कुल-60 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | 940.83 | | | | | 940.83 | | |
| कुल-6217 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | 2,820.32 | | | | | 2,820.32 | | |
| | | | | | | | | |
| कुल-(ग)-जलापूर्ति, स्वच्छता, आवास एवं शहरी विकास | (-)1.69 | - | - | 0.18 | - | (-)1.87 | (-)0.18 | |
| | 3,529.86 | | | | | 3,529.86 | | |
| (ङ) अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों एवं अन्य | | | | | | | | |
| पिछड़े वर्ग का कल्याण- | | | | | | | | |
| 6225- अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों एवं अन्य | | | | | | | | |
| पिछड़े वर्ग एवं अल्पसंख्यकों हेतु ऋण- | | | | | | | | |
| 01- अनुसूचित जातियों कल्याण- | | | | | | | | |
| 800- अन्य ऋण | | | | | | | | |
| | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | 8.20 | | | | | 8.20 | | |
| कुल-01 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | 8.20 | | | | | 8.20 | | |

18. सरकार द्वारा दिये गये ऋणों तथा अग्रिमों का विस्तृत विवरण-(जारी)

अनुभाग 1: ऋणों और अग्रिमों का मुख्य एवं लघु शीर्षवार सारांश-(जारी)

(बोर्ड ऑफ़ डेव्लपमेंट संघ राज्य क्षेत्र जम्मू एवं कश्मीर में अभी तक विभाजित किए जाने एवं प्रतिधारित किये जाने वाले 30 अक्टूबर 2019 के अंत तक के शेषों को दर्शाते हैं)

| लेखा शीर्ष | 1 अप्रैल 2022 तक शेष राशि | संघ राज्य क्षेत्र जम्मू एवं कश्मीर को आंबटित राशि | वर्ष के दौरान संवितरण | वर्ष के दौरान पुनर्भुगतान | अशोध्य ऋणों एवं अग्रिमों को बड़े खाते में डाला | 31 मार्च 2023 को शेष राशि (2+4)-(5+6) | वर्ष 2022-23 के दौरान निवल वृद्धि(+)/ कमी(-) (7-2) | बकार्यों में ब्याज भुगतान (क) |
|---|---------------------------------|---|--------------------------|------------------------------|--|--|---|-------------------------------------|
| | (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) |
| | | | | | | | | (9) (₹ लाख में) |
| च-ऋण तथा अग्रिम-(जारी) | | | | | | | | |
| ख- समाज सेवाओं हेतु ऋण-(जारी) | | | | | | | | |
| (ड) अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों एवं अन्य | | | | | | | | |
| पिछड़े वर्ग का कल्याण-(समाप्त) | | | | | | | | |
| 6225- अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों एवं अन्य पिछड़े वर्ग एवं | | | | | | | | |
| अल्पसंख्यकों हेतु ऋण-(समाप्त) | | | | | | | | |
| 02- अनुसूचित जनजातियों का कल्याण- | | | | | | | | |
| 800- अन्य ऋण | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | 4.03 | | | | | 4.03 | | |
| कुल-02 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | 4.03 | | | | | 4.03 | | |
| 03- अन्य पिछड़े वर्ग का कल्याण- | | | | | | | | |
| 800- अन्य ऋण | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | 0.42 | | | | | 0.42 | | |
| कुल-03 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | 0.42 | | | | | 0.42 | | |
| कुल-6225 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | 12.65 | | | | | 12.65 | | |
| कुल-ड-अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों एवं | | | | | | | | |
| अन्य पिछड़े वर्ग का कल्याण | | | | | | | | |
| | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | 12.65 | | | | | 12.65 | | |

18. सरकार द्वारा दिये गये ऋणों तथा अग्रिमों का विस्तृत विवरण-(जारी)

अनुभाग 1: ऋणों और अग्रिमों का मुख्य एवं लघु शीर्षवार सारांश-(जारी)

(बोर्ड ऑफ़ डे संघ राज्य क्षेत्र जम्मू एवं कश्मीर में अभी तक विभाजित किए जाने एवं प्रतिधारित किये जाने वाले 30 अक्टूबर 2019 के अंत तक के शेषों को दर्शाते हैं)

| लेखा शीर्ष | 1 अप्रैल 2022 तक शेष राशि | संघ राज्य क्षेत्र जम्मू एवं कश्मीर को आंबटित राशि | वर्ष के दौरान संवितरण | वर्ष के दौरान पुनर्भुगतान | अशोध्य ऋणों एवं अग्रिमों को बड़े खाते में डाला | 31 मार्च 2023 को शेष राशि (2+4)-(5+6) | वर्ष 2022-23 के दौरान निवल वृद्धि(+)/ कमी(-) (7-2) | बकायों में ब्याज भुगतान (क) |
|--|---------------------------------|---|--------------------------|------------------------------|--|--|---|-----------------------------------|
| | (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) |
| | (₹ लाख में) | | | | | | | |
| च-ऋण तथा अग्रिम-(जारी) | | | | | | | | |
| ख- समाज सेवाओं हेतु ऋण-(जारी) | | | | | | | | |
| (छ) समाज कल्याण एवं पोषण- | | | | | | | | |
| 6235 सामाजिक सुरक्षा एवं कल्याण हेतु ऋण- | | | | | | | | |
| 01- पुनर्वास- | | | | | | | | |
| 112- भारत-पाक संघर्ष, 1971 में प्रभावित व्यक्तियों को | | | | | | | | |
| राहत एवं पुनर्वास- | | | | | | | | |
| (i) सीमावर्ती क्षेत्रों में छापे एवं सैन्य अभियानों से | | | | | | | | |
| प्रभावित व्यक्तियों को ऋण | | | | | | | | |
| | | - | - | - | - | - | - | - |
| | 48.21 | | | | | 48.21 | | |
| (ii) छम्ब एवं जोरियन शरणार्थियों को ऋण | | | | | | | | |
| | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | 395.15 | | | | | 395.15 | | |
| कुल-112 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | 443.36 | | | | | 443.36 | | |
| 202- अन्य पुनर्वास योजनाएं | | | | | | | | |
| | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | 61.08 | | | | | 61.08 | | |
| कुल-01 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | 504.44 | | | | | 504.44 | | |
| 02- समाज कल्याण- | | | | | | | | |
| 190- सार्वजनिक क्षेत्र एवं अन्य उपक्रमों को ऋण | | | | | | | | |
| | 71.57 | - | - | 3.97 | - | 67.60 | (-)3.97 | |
| | 8,744.34 | | | | | 8,744.34 | | |
| कुल-02 | 71.57 | - | - | 3.97 | - | 67.60 | (-)3.97 | |
| | 8,744.34 | | | | | 8,744.34 | | |

18. सरकार द्वारा दिये गये ऋणों तथा अग्रिमों का विस्तृत विवरण-(जारी)

अनुभाग 1: ऋणों और अग्रिमों का मुख्य एवं लघु शीर्षवार सारांश-(जारी)

(बोल्ड आँकड़े संघ राज्य क्षेत्र जम्मू एवं कश्मीर में अभी तक विभाजित किए जाने एवं प्रतिधारित किये जाने वाले 30 अक्टूबर 2019 के अंत तक के शेषों को दर्शाते हैं)

| लेखा शीर्ष | 1 अप्रैल 2022 तक शेष राशि | संघ राज्य क्षेत्र जम्मू एवं कश्मीर को आंबटित राशि | वर्ष के दौरान संवितरण | वर्ष के दौरान पुनर्भुगतान | अशोध्य ऋणों एवं अग्रिमों को बड़े खाते में डाला | 31 मार्च 2023 को शेष राशि (2+4)-(5+6) | वर्ष 2022-23 के दौरान निवल वृद्धि(+)/ कमी(-) (7-2) | बकायों में ब्याज भुगतान (क) |
|---|---------------------------------|---|--------------------------|------------------------------|--|--|---|-----------------------------------|
| | (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) |
| | (₹ लाख में) | | | | | | | |
| च-ऋण तथा अग्रिम-(जारी) | | | | | | | | |
| ख- समाज सेवाओं हेतु ऋण-(जारी) | | | | | | | | |
| (छ) समाज कल्याण एवं पोषण-(जारी) | | | | | | | | |
| 6235 सामाजिक सुरक्षा एवं कल्याण हेतु ऋण-(समाप्त) | | | | | | | | |
| <i>60- अन्य सामाजिक सुरक्षा एवं कल्याण कार्यक्रम-</i> | | | | | | | | |
| 200- अन्य कार्यक्रम- | | | | | | | | |
| स्वर्णकारों को ऋण | | | | | | | | |
| | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | 37.84 | | | | | | 37.84 | |
| 800- अन्य ऋण- | | | | | | | | |
| (i) अन्य सामाजिक सुरक्षा एवं कल्याण कार्यक्रम | | | | | | | | |
| | (-)4.28 | - | - | 33.61 | - | (-)37.89 \$ | (-)33.61 | |
| | 463.58 | | | | | 463.58 | | |
| (ii) विपत्ति ऋण | | | | | | | | |
| | - | - | - | - | - | - | - | |
| | 94.78 | | | | | 94.78 | | |
| कुल-800 | (-)4.28 | - | - | 33.61 | - | (-)37.89 \$ | (-)33.61 | |
| | 558.36 | | | | | 558.36 | | |
| <i>कुल-60</i> | (-)4.28 | - | - | 33.61 | - | (-)37.89 \$ | (-)33.61 | |
| | 596.20 | | | | | 596.20 | | |
| कुल-6235 | 67.29 | - | - | 37.58 | - | 29.71 | (-)37.58 | |
| | 9,844.98 | | | | | 9,844.98 | | |
| 6245- प्राकृतिक आपदाओं के कारण राहत हेतु ऋण- | | | | | | | | |
| <i>03- आगजनी एवं अन्य आपदाएं-</i> | | | | | | | | |
| 800- अन्य ऋण- | | | | | | | | |
| (i) आगजनी एवं अन्य आपदाओं से पीड़ितों को ऋण | | | | | | | | |
| | - | - | - | - | - | - | - | |
| | 448.20 | | | | | 448.20 | | |

18. सरकार द्वारा दिये गये ऋणों तथा अग्रिमों का विस्तृत विवरण-(जारी)

अनुभाग 1: ऋणों और अग्रिमों का मुख्य एवं लघु शीर्षवार सारांश-(जारी)

(बोर्ड ऑफ़ डे संघ राज्य क्षेत्र जम्मू एवं कश्मीर में अभी तक विभाजित किए जाने एवं प्रतिधारित किये जाने वाले 30 अक्टूबर 2019 के अंत तक के शेषों को दर्शाते हैं)

| लेखा शीर्ष | 1 अप्रैल 2022 तक शेष राशि | संघ राज्य क्षेत्र जम्मू एवं कश्मीर को आंबटित राशि | वर्ष के दौरान संवितरण | वर्ष के दौरान पुनर्भुगतान | अशोध्य ऋणों एवं अग्रिमों को बड़े खाते में डाला | 31 मार्च 2023 को शेष राशि (2+4)-(5+6) | वर्ष 2022-23 के दौरान निवल वृद्धि(+)/ कमी(-) (7-2) | बकार्यों में ब्याज भुगतान (क) |
|--|---------------------------------|---|--------------------------|------------------------------|--|--|---|-------------------------------------|
| | (1) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) |
| | (₹ लाख में) | | | | | | | |
| च-ऋण तथा अग्रिम-(जारी) | | | | | | | | |
| ख- समाज सेवाओं हेतु ऋण-(समाप्त) | | | | | | | | |
| (छ) समाज कल्याण एवं पोषण-(समाप्त) | | | | | | | | |
| 6245- प्राकृतिक आपदाओं के कारण राहत हेतु ऋण-(समाप्त) | | | | | | | | |
| 03- आगजनी एवं अन्य आपदाएं-(समाप्त) | | | | | | | | |
| 800- अन्य ऋण-(समाप्त) | | | | | | | | |
| (ii) प्राकृतिक आपदाएं | | | | | | | | |
| | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | 60.28 | | | | | 60.28 | | |
| कुल-800 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | 508.48 | | | | | 508.48 | | |
| कुल-03 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | 508.48 | | | | | 508.48 | | |
| कुल-6245 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | 508.48 | | | | | 508.48 | | |
| कुल-(छ)- समाज कल्याण एवं पोषण | 67.29 | - | - | 37.58 | - | 29.71 | (-)37.58 | |
| | 10,353.46 | | | | | 10,353.46 | | |
| (ज) अन्य समाज सेवाएं- | | | | | | | | |
| 6250- अन्य समाज सेवाओं हेतु ऋण- | | | | | | | | |
| 60- अन्य- | | | | | | | | |
| 800- अन्य ऋण- | | | | | | | | |
| रोजगार | | | | | | | | |
| | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | 13.17 | | | | | 13.17 | | |
| कुल-6250 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | 13.17 | | | | | 13.17 | | |
| कुल-(ज) अन्य समाज सेवाएं | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | 13.17 | | | | | 13.17 | | |
| कुल-ख-समाज सेवाओं हेतु ऋण | 32.10 | - | - | 48.60 | - | (-)16.50 \$ | (-)48.60 | |
| | 14,647.34 | | | | | 14,647.34 | | |

18. सरकार द्वारा दिये गये ऋणों तथा अग्रिमों का विस्तृत विवरण-(जारी)

अनुभाग 1: ऋणों और अग्रिमों का मुख्य एवं लघु शीर्षवार सारांश-(जारी)

(बोर्ड ऑफ़ डे संघ राज्य क्षेत्र जम्मू एवं कश्मीर में अभी तक विभाजित किए जाने एवं प्रतिधारित किये जाने वाले 30 अक्टूबर 2019 के अंत तक के शेषों को दर्शाते हैं)

| लेखा शीर्ष | 1 अप्रैल 2022 तक शेष राशि | संघ राज्य क्षेत्र जम्मू एवं कश्मीर को आंबटित राशि | वर्ष के दौरान संवितरण | वर्ष के दौरान पुनर्भुगतान | अशोध्य ऋणों एवं अग्रिमों को बड़े खाते में डाला | 31 मार्च 2023 को शेष राशि (2+4)-(5+6) | वर्ष 2022-23 के दौरान निवल वृद्धि(+)/ कमी(-) (7-2) | बकायों में ब्याज भुगतान (क) |
|--|---------------------------------|---|--------------------------|------------------------------|--|--|---|-----------------------------------|
| | (1) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) |
| | (₹ लाख में) | | | | | | | |
| च-ऋण तथा अग्रिम-(जारी) | | | | | | | | |
| ग- आर्थिक सेवाओं हेतु ऋण- | | | | | | | | |
| (क) कृषि एवं संबद्ध गतिविधियाँ हेतु ऋण- | | | | | | | | |
| 6401- फसल पैदावार हेतु ऋण- | | | | | | | | |
| 106- उच्च पैदावार किस्मों के लिए कार्यक्रम | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | 38.17 | | | | | 38.17 | | |
| 111- कृषिगत शिक्षा | (-)0.55 | - | - | 0.33 | - | (-)0.88 \$ | (-)0.33 | |
| | 698.49 | | | | | 698.49 | | |
| 113- कृषिगत अभियांत्रिकी | (-)1.02 | - | - | 0.18 | - | (-)1.20 \$ | (-)0.18 | |
| | 289.86 | | | | | 289.86 | | |
| 119- उद्यान कृषि एवं शाक फसलें | - | - | - | - | - | - | - | |
| | 47.51 | | | | | 47.51 | | |
| 800- अन्य ऋण | | | | | | | | |
| (i) तकावी अग्रिम | - | - | - | - | - | - | - | |
| | 128.10 | | | | | 128.10 | | |
| (ii) अन्य कृषि ऋण | (-)1.92 | - | - | 0.85 | - | (-)2.77 \$ | (-)0.85 | |
| | 730.54 | | | | | 730.54 | | |
| कुल-800 | (-)1.92 | - | - | 0.85 | - | (-)2.77 \$ | (-)0.85 | |
| | 858.64 | | | | | 858.64 | | |
| कुल -6401 | (-)3.49 | - | - | 1.36 | - | (-)4.85 \$ | (-)1.36 | |
| | 1,932.67 | | | | | 1,932.67 | | |
| 6402- मृदा एवं जल संरक्षण हेतु ऋण- | | | | | | | | |
| 102- मृदा संरक्षण | - | - | - | - | - | - | - | |
| | 5.12 | | | | | 5.12 | | |
| कुल-6402 | - | - | - | - | - | - | - | |
| | 5.12 | | | | | 5.12 | | |

18. सरकार द्वारा दिये गये ऋणों तथा अग्रिमों का विस्तृत विवरण-(जारी)

अनुभाग 1: ऋणों और अग्रिमों का मुख्य एवं लघु शीर्षवार सारांश-(जारी)

(बोर्ड ऑफ़ डे संघ राज्य क्षेत्र जम्मू एवं कश्मीर में अभी तक विभाजित किए जाने एवं प्रतिधारित किये जाने वाले 30 अक्टूबर 2019 के अंत तक के शेषों को दर्शाते हैं)

| लेखा शीर्ष | 1 अप्रैल 2022 तक शेष राशि | संघ राज्य क्षेत्र जम्मू एवं कश्मीर को आंबटित राशि | वर्ष के दौरान संवितरण | वर्ष के दौरान पुनर्भुगतान | अशोध्य ऋणों एवं अग्रिमों को बड़े खाते में डाला | 31 मार्च 2023 को शेष राशि (2+4)-(5+6) | वर्ष 2022-23 के दौरान निवल वृद्धि(+)/ कमी(-) (7-2) | बकायों में ब्याज भुगतान (क) |
|------------|---------------------------------|---|--------------------------|------------------------------|--|--|---|-----------------------------------|
| | (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) |
| | | | | | | | | (9) |
| | | | | | | | | (₹ लाख में) |

च-ऋण तथा अग्रिम-(जारी)

ग- आर्थिक सेवाओं हेतु ऋण-(जारी)

(क) कृषि एवं संबद्ध गतिविधियों हेतु ऋण-(जारी)

6403- पशुपालन हेतु ऋण-

109- विस्तारण एवं प्रशिक्षण

| | | | | | | | |
|-------|---|---|---|---|---|-------|---|
| - | - | - | - | - | - | - | - |
| 43.06 | | | | | | 43.06 | |

800- अन्य ऋण

| | | | | | | | |
|---------|---|---|---|------|---|------------|---------|
| (-1.60) | - | - | - | 0.31 | - | (-1.91) \$ | (-0.31) |
| 8.25 | | | | | | 8.25 | |

कुल-6403

| | | | | | | | |
|---------|---|---|---|------|---|------------|---------|
| (-1.60) | - | - | - | 0.31 | - | (-1.91) \$ | (-0.31) |
| 51.31 | | | | | | 51.31 | |

6404- डेयरी विकास हेतु ऋण-

102- डेयरी विकास परियोजनाएं

| | | | | | | | |
|-------|---|---|---|---|---|-------|---|
| - | - | - | - | - | - | - | - |
| 30.08 | | | | | | 30.08 | |

कुल-6404

| | | | | | | | |
|-------|---|---|---|---|---|-------|---|
| - | - | - | - | - | - | - | - |
| 30.08 | | | | | | 30.08 | |

6406- वानिकी एवं वन्य जीवन हेतु ऋण-

104- वानिकी-

वन हेतु ऋण

| | | | | | | | |
|------|---|---|---|---|---|------|---|
| - | - | - | - | - | - | - | - |
| 1.64 | | | | | | 1.64 | |

कुल-6406

| | | | | | | | |
|------|---|---|---|---|---|------|---|
| - | - | - | - | - | - | - | - |
| 1.64 | | | | | | 1.64 | |

6425- सहकारिता हेतु ऋण-

107- क्रेडिट सहकारिताओं को ऋण-

(i) सहकारी बैंकों को ऋण

| | | | | | | | |
|-------|---|---|---|---|---|-------|---|
| - | - | - | - | - | - | - | - |
| 44.95 | | | | | | 44.95 | |

18. सरकार द्वारा दिये गये ऋणों तथा अग्रिमों का विस्तृत विवरण-(जारी)

अनुभाग 1: ऋणों और अग्रिमों का मुख्य एवं लघु शीर्षवार सारांश-(जारी)

(बोर्ड ऑफ़ डे संघ राज्य क्षेत्र जम्मू एवं कश्मीर में अभी तक विभाजित किए जाने एवं प्रतिधारित किये जाने वाले 30 अक्टूबर 2019 के अंत तक के शेषों को दर्शाते हैं)

| लेखा शीर्ष | 1 अप्रैल 2022 तक शेष राशि | संघ राज्य क्षेत्र जम्मू एवं कश्मीर को आंबटित राशि | वर्ष के दौरान संवितरण | वर्ष के दौरान पुनर्भुगतान | अशोध्य ऋणों एवं अग्रिमों को बड़े खाते में डाला | 31 मार्च 2023 को शेष राशि (2+4)-(5+6) | वर्ष 2022-23 के दौरान निवल वृद्धि(+)/ कमी(-) (7-2) | बकार्यों में ब्याज भुगतान (क) |
|---|---------------------------------|---|--------------------------|------------------------------|--|--|---|-------------------------------------|
| | (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) |
| | | | | | | | | (9) |
| | | | | | | | | (₹ लाख में) |
| च-ऋण तथा अग्रिम-(जारी) | | | | | | | | |
| ग- आर्थिक सेवाओं हेतु ऋण-(जारी) | | | | | | | | |
| (क) कृषि एवं संबद्ध गतिविधियों हेतु ऋण-(जारी) | | | | | | | | |
| 6425- सहकारिता हेतु ऋण-(समाप्त) | | | | | | | | |
| 107- क्रेडिट सहकारिताओं को ऋण-(समाप्त) | | | | | | | | |
| (ii) स्थानीय अनाज की खरीद हेतु सहकारी बैंकों को अग्रिम | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | 77.87 | | | | | 77.87 | | |
| (iii) भूमि विकास बैंक के ऋण-पत्र | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | 65.52 | | | | | 65.52 | | |
| कुल-107 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | 188.34 | | | | | 188.34 | | |
| 108- अन्य सहकारिताओं को ऋण- | | | | | | | | |
| (i) उपभोक्ता सहकारिताओं को ऋण | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | 23.87 | | | | | 23.87 | | |
| (ii) अन्य ऋण | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | 405.26 | | | | | 405.26 | | |
| (iii) अन्य सहकारिताएं को ऋण | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | 133.67 | | | | | 133.67 | | |
| कुल-108 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | 562.80 | | | | | 562.80 | | |
| 190- सार्वजनिक क्षेत्र एवं अन्य उपक्रमों को ऋण- | | | | | | | | |
| (i) औद्योगिक सहकारिताएं | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | 26.33 | | | | | 26.33 | | |
| कुल-6425 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | 777.47 | | | | | 777.47 | | |

18. सरकार द्वारा दिये गये ऋणों तथा अग्रिमों का विस्तृत विवरण-(जारी)

अनुभाग 1: ऋणों और अग्रिमों का मुख्य एवं लघु शीर्षवार सारांश-(जारी)

(बोर्ड ऑफ़ डे संघ राज्य क्षेत्र जम्मू एवं कश्मीर में अभी तक विभाजित किए जाने एवं प्रतिधारित किये जाने वाले 30 अक्टूबर 2019 के अंत तक के शेषों को दर्शाते हैं)

| लेखा शीर्ष | 1 अप्रैल 2022 तक शेष राशि | संघ राज्य क्षेत्र जम्मू एवं कश्मीर को आंबटित राशि | वर्ष के दौरान संवितरण | वर्ष के दौरान पुनर्भुगतान | अशोध्य ऋणों एवं अग्रिमों को बड़े खाते में डाला | 31 मार्च 2023 को शेष राशि (2+4)-(5+6) | वर्ष 2022-23 के दौरान निवल वृद्धि(+)/ कमी(-) (7-2) | बकायों में ब्याज भुगतान (क) (₹ लाख में) |
|--|---------------------------------|---|--------------------------|------------------------------|--|--|---|--|
| | (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) |
| | | | | | | | | (9) |
| च-ऋण तथा अग्रिम-(जारी) | | | | | | | | |
| ग- आर्थिक सेवाओं हेतु ऋण-(जारी) | | | | | | | | |
| (क) कृषि एवं संबद्ध गतिविधियों हेतु ऋण-(समाप्त) | | | | | | | | |
| 6435- अन्य कृषि कार्यक्रमों हेतु ऋण- | | | | | | | | |
| 01- विपणन एवं गुणवत्ता नियंत्रण- | | | | | | | | |
| 190- सार्वजनिक क्षेत्र एवं अन्य उपक्रमों (जेएण्डकेएचपीएमसी को ऋण) | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | 1,266.58 | | | | | 1,266.58 | | |
| कुल-01 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | 1,266.58 | | | | | 1,266.58 | | |
| कुल-6435 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | 1,266.58 | | | | | 1,266.58 | | |
| कुल-(क)- कृषि एवं संबद्ध गतिविधियों हेतु ऋण | (-)5.09 | - | - | 1.67 | - | (-)6.76 | (-)1.67 | |
| | 4,064.87 | | | | | 4,064.87 | | |
| (ख) ग्रामीण विकास हेतु ऋण- | | | | | | | | |
| 6515- अन्य ग्रामीण विकास कार्यक्रमों हेतु ऋण- | | | | | | | | |
| 101- पंचायती राज | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | 1.12 | | | | | 1.12 | | |
| 102- सामुदायिक विकास | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | 4.29 | | | | | 4.29 | | |
| कुल-6515 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | 5.41 | | | | | 5.41 | | |
| कुल-(ख)- ग्रामीण विकास हेतु ऋण | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | 5.41 | | | | | 5.41 | | |

18. सरकार द्वारा दिये गये ऋणों तथा अग्रिमों का विस्तृत विवरण-(जारी)

अनुभाग 1: ऋणों और अग्रिमों का मुख्य एवं लघु शीर्षवार सारांश-(जारी)

(बोल्ड आँकड़े संघ राज्य क्षेत्र जम्मू एवं कश्मीर में अभी तक विभाजित किए जाने एवं प्रतिधारित किये जाने वाले 30 अक्टूबर 2019 के अंत तक के शेषों को दर्शाते हैं)

| लेखा शीर्ष | 1 अप्रैल 2022 तक शेष राशि | संघ राज्य क्षेत्र जम्मू एवं कश्मीर को आंबटित राशि | वर्ष के दौरान संवितरण | वर्ष के दौरान पुनर्भुगतान | अशोध्य ऋणों एवं अग्रिमों को बड़े खाते में डाला | 31 मार्च 2023 को शेष राशि (2+4)-(5+6) | वर्ष 2022-23 के दौरान निवल वृद्धि(+)/ कमी(-) (7-2) | बकायों में ब्याज भुगतान (क) (क) |
|---|---------------------------------|---|--------------------------|------------------------------|--|--|---|--|
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) |
| (₹ लाख में) | | | | | | | | |
| च-ऋण तथा अग्रिम-(जारी) | | | | | | | | |
| ग- आर्थिक सेवाओं हेतु ऋण-(जारी) | | | | | | | | |
| (ग) विशेष क्षेत्र कार्यक्रमों हेतु ऋण- | | | | | | | | |
| 6575- अन्य विशेष क्षेत्र कार्यक्रमों हेतु ऋण- | | | | | | | | |
| 02- पिछड़े क्षेत्र- | | | | | | | | |
| 299- लद्दाख का विकास | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | 136.26 | | | | | 136.26 | | |
| कुल-02 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | 136.26 | | | | | 136.26 | | |
| 60- अन्य- | | | | | | | | |
| 800- अन्य ऋण | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | 6.88 | | | | | 6.88 | | |
| कुल-60 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | 6.88 | | | | | 6.88 | | |
| कुल-6575 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | 143.14 | | | | | 143.14 | | |
| कुल-(ग)- विशेष क्षेत्र कार्यक्रमों हेतु ऋण | 143.14 | - | - | - | - | 143.14 | - | - |
| (ड) ऊर्जा- | | | | | | | | |
| 6801- विद्युत परियोजनाओं हेतु ऋण- | | | | | | | | |
| 800- विद्युत बोर्ड को ऋण (1) जेकेपीडीसी | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | 8,504.81 | | | | | 8,504.81 | | |
| कुल-6801 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | 8,504.81 | | | | | 8,504.81 | (क) | |
| कुल-(ड)-ऊर्जा | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | 8,504.81 | | | | | 8,504.81 | (क) | |

(क) राज्य सरकार द्वारा सूचित पिछले गतत वर्गीकरण के सुधार के कारण 31 मार्च 2013 को 16,700.00 लाख रुपये की राशी को शेष में प्रोफार्मा कम कर दिया गया है। कृपया मुख्य शीर्ष-4801, विवरण संख्या 16 खंड-II के नीचे पाद टिप्पणी भी देखें।

18. सरकार द्वारा दिये गये ऋणों तथा अग्रिमों का विस्तृत विवरण-(जारी)

अनुभाग 1: ऋणों और अग्रिमों का मुख्य एवं लघु शीर्षवार सारांश-(जारी)

(बोर्ड ऑफ़ डे संघ राज्य क्षेत्र जम्मू एवं कश्मीर में अभी तक विभाजित किए जाने एवं प्रतिधारित किये जाने वाले 30 अक्टूबर 2019 के अंत तक के शेषों को दर्शाते हैं)

| लेखा शीर्ष | 1 अप्रैल 2022 तक शेष राशि | संघ राज्य क्षेत्र जम्मू एवं कश्मीर को आंबटित राशि | वर्ष के दौरान संवितरण | वर्ष के दौरान पुनर्भुगतान | अशोध्य ऋणों एवं अग्रिमों को बड़े खाते में डाला | 31 मार्च 2023 को शेष राशि (2+4)-(5+6) | वर्ष 2022-23 के दौरान निवल वृद्धि(+)/ कमी(-) (7-2) | बकायों में ब्याज भुगतान (क) |
|---|---------------------------------|---|--------------------------|------------------------------|--|--|---|-----------------------------------|
| | (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) |
| | (₹ लाख में) | | | | | | | |
| च-ऋण तथा अग्रिम-(जारी) | | | | | | | | |
| ग- आर्थिक सेवाओं हेतु ऋण-(जारी) | | | | | | | | |
| (च) उद्योग एवं खनिजों हेतु ऋण- | | | | | | | | |
| 6851- ग्राम एवं लघु उद्योगों हेतु ऋण- | | | | | | | | |
| 101- औद्योगिक संपदाएं | - | - | - | 0.05 | - | (-)0.05 \$ | (-)0.05 | |
| | 0.06 | | | | | 0.06 | | |
| 102- लघु उद्योग- | | | | | | | | |
| (i) औद्योगिक ऋण | (-)2.04 | - | - | 0.70 | - | (-)2.74 \$ | (-)0.70 | |
| | 421.41 | | | | | 421.41 | | |
| (ii) छोटे व्यापारियों, दस्तकारों एवं शिल्पकारों को ऋण | - | - | - | - | - | - | - | |
| | 45.13 | | | | | 45.13 | | |
| (iii) लघु उद्योगों को अन्य विविध ऋण | (-)1.21 | - | - | 0.05 | - | (-)1.26 \$ | (-)0.05 | |
| | 359.97 | | | | | 359.97 | | |
| कुल-102 | (-)3.25 | - | - | 0.75 | - | (-)4.00 \$ | (-)0.75 | |
| | 826.51 | | | | | 826.51 | | |
| 103- हथकरघा उद्योग | - | - | - | - | - | - | - | |
| | 262.47 | | | | | 262.47 | | |
| 105- खादी एवं ग्राम उद्योग | - | - | - | - | - | - | - | |
| | 0.12 | | | | | 0.12 | | |
| 108- पावरलूम उद्योग | - | - | - | - | - | - | - | |
| | 24.45 | | | | | 24.45 | | |

18. सरकार द्वारा दिये गये ऋणों तथा अग्रिमों का विस्तृत विवरण-(जारी)

अनुभाग 1: ऋणों और अग्रिमों का मुख्य एवं लघु शीर्षवार सारांश-(जारी)

(बोर्ड ऑफ़ डे संघ राज्य क्षेत्र जम्मू एवं कश्मीर में अभी तक विभाजित किए जाने एवं प्रतिधारित किये जाने वाले 30 अक्टूबर 2019 के अंत तक के शेषों को दर्शाते हैं)

| लेखा शीर्ष | 1 अप्रैल 2022 तक शेष राशि | संघ राज्य क्षेत्र जम्मू एवं कश्मीर को आंबटित राशि | वर्ष के दौरान संवितरण | वर्ष के दौरान पुनर्भुगतान | अशोध्य ऋणों एवं अग्रिमों को बड़े खाते में डाला | 31 मार्च 2023 को शेष राशि (2+4)-(5+6) | वर्ष 2022-23 के दौरान निवल वृद्धि(+)/ कमी(-) (7-2) | बकार्यों में ब्याज भुगतान (क) |
|---|---------------------------------|---|--------------------------|------------------------------|--|--|---|-------------------------------------|
| | (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) |
| | (₹ लाख में) | | | | | | | |
| च-ऋण तथा अग्रिम-(जारी) | | | | | | | | |
| ग- आर्थिक सेवाओं हेतु ऋण-(जारी) | | | | | | | | |
| (च) उद्योग एवं खनिजों हेतु ऋण-(जारी) | | | | | | | | |
| 6851- ग्राम एवं लघु उद्योगों हेतु ऋण-(समाप्त) | | | | | | | | |
| 200- अन्य ग्राम उद्योग- | | | | | | | | |
| (i) अन्य ग्राम उद्योग | | | | | | | | |
| | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | 2,553.80 | | | | | 2,553.80 | | |
| (ii) अन्य ऋण | | | | | | | | |
| | (-0.60) | - | - | 0.40 | - | (-1.00) (\$) | - | |
| | 31.22 | | | | | 31.22 | | |
| कुल-200 | (-0.60) | - | - | 0.40 | - | (-1.00) (\$) | - | |
| | 2,585.02 | | | | | 2,585.02 | (-0.40) | |
| कुल-6851 | (-3.85) | - | - | 1.20 | - | (-5.05) (\$) | (-1.20) | |
| | 3,698.63 | | | | | 3,698.63 | | |
| 6853- अलौह खनन एवं धातुकर्म उद्योगों हेतु ऋण- | | | | | | | | |
| 01- खनिज समन्वेषण एवं विकास- | | | | | | | | |
| 800- अन्य ऋण- | | | | | | | | |
| जेएण्डके मिनरल्स को ऋण | | | | | | | | |
| | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | 186.16 | | | | | 186.16 | | |
| कुल-01 | - | - | - | - | - | - | - | |
| | 186.16 | | | | | 186.16 | | |

18. सरकार द्वारा दिये गये ऋणों तथा अग्रिमों का विस्तृत विवरण-(जारी)

अनुभाग 1: ऋणों और अग्रिमों का मुख्य एवं लघु शीर्षवार सारांश-(जारी)

(बोल्ड आँकड़े संघ राज्य क्षेत्र जम्मू एवं कश्मीर में अभी तक विभाजित किए जाने एवं प्रतिधारित किये जाने वाले 30 अक्टूबर 2019 के अंत तक के शेषों को दर्शाते हैं)

| लेखा शीर्ष | 1 अप्रैल 2022 तक शेष राशि | संघ राज्य क्षेत्र जम्मू एवं कश्मीर को आंबटित राशि | वर्ष के दौरान संवितरण | वर्ष के दौरान पुनर्भुगतान | अशोध्य ऋणों एवं अग्रिमों को बड़े खाते में डाला | 31 मार्च 2023 को शेष राशि (2+4)-(5+6) | वर्ष 2022-23 के दौरान निवल वृद्धि(+)/ कमी(-) (7-2) | बकार्यों में ब्याज भुगतान (क) |
|---|---------------------------------|---|--------------------------|------------------------------|--|--|---|-------------------------------------|
| | (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) |
| | | | | | | | | (9) (₹ लाख में) |
| च-ऋण तथा अग्रिम-(जारी) | | | | | | | | |
| ग- आर्थिक सेवाओं हेतु ऋण-(जारी) | | | | | | | | |
| (च) उद्योग एवं खनिजों हेतु ऋण-(जारी) | | | | | | | | |
| 6853- अलौह खनन एवं धातुकर्म उद्योगों हेतु ऋण-(समाप्त) | | | | | | | | |
| 60- अन्य खनन एवं धातुकर्म उद्योग- | | | | | | | | |
| 800- अन्य ऋण- | | | | | | | | |
| धातुकर्म उद्योग | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | 12.00 | | | | | 12.00 | | |
| कुल-60 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | 12.00 | | | | | 12.00 | | |
| कुल-6853 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | 198.16 | | | | | 198.16 | | |
| 6858 अभियांत्रिकी उद्योगों हेतु ऋण- | | | | | | | | |
| 02- अन्य औद्योगिक मशीनरी उद्योग- | | | | | | | | |
| 800- अन्य ऋण | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | 33.84 | | | | | 33.84 | | |
| कुल-02 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | 33.84 | | | | | 33.84 | | |
| कुल-6858 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | 33.84 | | | | | 33.84 | | |

18. सरकार द्वारा दिये गये ऋणों तथा अग्रिमों का विस्तृत विवरण-(जारी)

अनुभाग 1: ऋणों और अग्रिमों का मुख्य एवं लघु शीर्षवार सारांश-(जारी)

(बोर्ड ऑफ़ डे संघ राज्य क्षेत्र जम्मू एवं कश्मीर में अभी तक विभाजित किए जाने एवं प्रतिधारित किये जाने वाले 30 अक्टूबर 2019 के अंत तक के शेषों को दर्शाते हैं)

| लेखा शीर्ष | 1 अप्रैल 2022 तक शेष राशि | संघ राज्य क्षेत्र जम्मू एवं कश्मीर को आंबटित राशि | वर्ष के दौरान संवितरण | वर्ष के दौरान पुनर्भुगतान | अशोध्य ऋणों एवं अग्रिमों को बड़े खाते में डाला | 31 मार्च 2023 को शेष राशि (2+4)-(5+6) | वर्ष 2022-23 के दौरान निवल वृद्धि(+)/ कमी(-) (7-2) | बकायों में ब्याज भुगतान (क) |
|---|---------------------------------|---|--------------------------|------------------------------|--|--|---|-----------------------------------|
| | (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) |
| | (₹ लाख में) | | | | | | | |
| च-ऋण तथा अग्रिम-(जारी) | | | | | | | | |
| ग- आर्थिक सेवाओं हेतु ऋण-(जारी) | | | | | | | | |
| (च) उद्योग एवं खनिजों हेतु ऋण-(जारी) | | | | | | | | |
| 6860 उपभोक्ता उद्योगों हेतु ऋण- | | | | | | | | |
| 60- अन्य- | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 600- अन्य | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | 1,004.11 | | | | | 1,004.11 | | |
| कुल-60 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | 1,004.11 | | | | | 1,004.11 | | |
| कुल-6860 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | 1,004.11 | | | | | 1,004.11 | | |
| 6885- अन्य उद्योगों एवं खनिजों हेतु ऋण- | | | | | | | | |
| 01- औद्योगिक वित्तीय संस्थानों को ऋण - | | | | | | | | |
| 190- सार्वजनिक क्षेत्र एवं अन्य उपक्रमों को ऋण- | | | | | | | | |
| (i) कृषि उद्योगों को ऋण | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | 4,446.52 | | | | | 4,446.52 | | |
| (ii) सार्वजनिक क्षेत्र इकाइयों को सहायता | 7,705.38 | - | 5,202.69 | 0.02 | - | 12,908.05 | (+5,202.67) | |
| | 8,625.29 | | | | | 8,625.29 | | |
| (iii) अर्थापय अग्रिम (जेएण्डके इण्डस्ट्रीज लिमिटेड) | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | 30,543.43 | | | | | 30,543.43 | | |
| कुल-190 | 7,705.38 | - | 5,202.69 | 0.02 | - | 12,908.05 | (+5,202.67) | |
| | 43,615.24 | | | | | 43,615.24 | | |
| 800- अन्य ऋण- | - | - | - | - | - | - | - | - |
| सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों को सहायता | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | 20,897.48 | | | | | 20,897.48 | | |
| कुल-01 | 7,705.38 | - | 5,202.69 | 0.02 | - | 12,908.05 | (+5,202.67) | |
| | 64,512.72 | | | | | 64,512.72 | | |

18. सरकार द्वारा दिये गये ऋणों तथा अग्रिमों का विस्तृत विवरण-(जारी)

अनुभाग 1: ऋणों और अग्रिमों का मुख्य एवं लघु शीर्षवार सारांश-(जारी)

(बोर्ड ऑफ़ डे संघ राज्य क्षेत्र जम्मू एवं कश्मीर में अभी तक विभाजित किए जाने एवं प्रतिधारित किये जाने वाले 30 अक्टूबर 2019 के अंत तक के शेषों को दर्शाते हैं)

| लेखा शीर्ष | 1 अप्रैल 2022 तक शेष राशि | संघ राज्य क्षेत्र जम्मू एवं कश्मीर को आंबटित राशि | वर्ष के दौरान संवितरण | वर्ष के दौरान पुनर्भुगतान | अशोध्य ऋणों एवं अग्रिमों को बड़े खाते में डाला | 31 मार्च 2023 को शेष राशि (2+4)-(5+6) | वर्ष 2022-23 के दौरान निवल वृद्धि(+)/ कमी(-) (7-2) | बकायों में ब्याज भुगतान (क) |
|---|---------------------------------|---|--------------------------|------------------------------|--|--|---|-----------------------------------|
| | (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) |
| | (₹ लाख में) | | | | | | | |
| च-ऋण तथा अग्रिम-(जारी) | | | | | | | | |
| ग- आर्थिक सेवाओं हेतु ऋण-(जारी) | | | | | | | | |
| (च) उद्योग एवं खनिजों हेतु ऋण-(समाप्त) | | | | | | | | |
| 6885- अन्य उद्योगों एवं खनिजों हेतु ऋण-(समाप्त) | | | | | | | | |
| 02- पिछड़े क्षेत्रों का विकास- | | | | | | | | |
| 190- सार्वजनिक क्षेत्र एवं अन्य उपक्रमों को ऋण- | | | | | | | | |
| अग्रगामी परियोजनाएं (ग्रामीण औद्योगीकरण) | | | | | | | | |
| | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | 3,048.55 | | | | | 3,048.55 | | |
| कुल-02 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | 3,048.55 | | | | | 3,048.55 | | |
| 60- अन्य- | | | | | | | | |
| 800- अन्य ऋण | | | | | | | | |
| | (-)312.50 | - | - | - | - | (-)312.50 \$ | - | - |
| | 7,466.91 | | | | | 7,466.91 | | |
| कुल-60 | (-)312.50 | - | - | - | - | (-)312.50 \$ | - | - |
| | 7,466.91 | | | | | 7,466.91 | | |
| कुल-6885 | 7,392.88 | - | 5,202.69 | 0.02 | - | 12,595.55 | (+)5,202.67 | |
| | 75,028.18 | | | | | 75,028.18 | | |
| कुल-(च)- उद्योग एवं खनिजों हेतु ऋण | 7,389.03 | - | 5,202.69 | 1.22 | - | 12,590.50 | (+)5,201.47 | |
| | 79,962.92 | | | | | 79,962.92 | | |
| (ज) परिवहन- | | | | | | | | |
| 7055- सड़क परिवहन हेतु ऋण- | | | | | | | | |
| 101- सड़क परिवहन निगम को शाश्वत ऋण- | | | | | | | | |
| परिवाहकों हेतु ऋण | | | | | | | | |
| | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | 22,135.04 | | | | | 22,135.04 | | |

18. सरकार द्वारा दिये गये ऋणों तथा अग्रिमों का विस्तृत विवरण-(जारी)

अनुभाग 1: ऋणों और अग्रिमों का मुख्य एवं लघु शीर्षवार सारांश-(जारी)

(बोर्ड ऑफ़ डे संघ राज्य क्षेत्र जम्मू एवं कश्मीर में अभी तक विभाजित किए जाने एवं प्रतिधारित किये जाने वाले 30 अक्टूबर 2019 के अंत तक के शेषों को दर्शाते हैं)

| लेखा शीर्ष | 1 अप्रैल 2022 तक शेष राशि | संघ राज्य क्षेत्र जम्मू एवं कश्मीर को आंबटित राशि | वर्ष के दौरान संवितरण | वर्ष के दौरान पुनर्भुगतान | अशोध्य ऋणों एवं अग्रिमों को बड़े खाते में डाला | 31 मार्च 2023 को शेष राशि (2+4)-(5+6) | वर्ष 2022-23 के दौरान निवल वृद्धि(+)/ कमी(-) (7-2) | बकार्यों में ब्याज भुगतान (क) |
|---|---------------------------------|---|--------------------------|------------------------------|--|--|---|-------------------------------------|
| | (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) |
| | (₹ लाख में) | | | | | | | |
| च-ऋण तथा अग्रिम-(जारी) | | | | | | | | |
| ग- आर्थिक सेवाओं हेतु ऋण-(जारी) | | | | | | | | |
| (ज) परिवहन-(समाप्त) | | | | | | | | |
| 7055- सड़क परिवहन हेतु ऋण-(समाप्त) | | | | | | | | |
| 190- सार्वजनिक क्षेत्र एवं अन्य उपक्रमों को ऋण- | | | | | | | | |
| जम्मू एवं कश्मीर राज्य सड़क परिवहन निगम | | | | | | | | |
| लिमिटेड को ऋण | | | | | | | | |
| | 9,550.00 | - | 750.00 | - | - | 10,300.00 | (+750.00) | |
| | 38,372.76 | | | | | 38,372.76 | | |
| कुल-7055 | 9,550.00 | - | 750.00 | - | - | 10,300.00 | (+750.00) | |
| | 60,507.80 | | | | | 60,507.80 | | |
| 7075- अन्य परिवहन सेवाओं हेतु ऋण- | | | | | | | | |
| 01- सड़कें एवं पुल- | | | | | | | | |
| 800- अन्य ऋण- | | | | | | | | |
| जिला एवं अन्य सड़कें | | | | | | | | |
| | - | - | - | - | - | - | - | |
| | 554.42 | | | | | 554.42 | | |
| कुल-7075 | - | - | - | - | - | - | - | |
| | 554.42 | | | | | 554.42 | | |
| कुल-(च) परिवहन | 9,550.00 | - | 750.00 | - | - | 10,300.00 | (+750.00) | |
| | 61,062.22 | | | | | 61,062.22 | | |
| (ज) सामान्य आर्थिक सेवाएं- | | | | | | | | |
| 7452- पर्यटन हेतु ऋण- | | | | | | | | |
| 60- अन्य- | | | | | | | | |
| 190- सार्वजनिक क्षेत्र एवं अन्य उपक्रमों को ऋण | | | | | | | | |
| | - | - | - | - | - | - | - | |
| | 1,493.68 | | | | | 1,493.68 | | |

18. सरकार द्वारा दिये गये ऋणों तथा अग्रिमों का विस्तृत विवरण-(जारी)

अनुभाग 1: ऋणों और अग्रिमों का मुख्य एवं लघु शीर्षवार सारांश-(जारी)

(बोल्ड आँकड़े संघ राज्य क्षेत्र जम्मू एवं कश्मीर में अभी तक विभाजित किए जाने एवं प्रतिधारित किये जाने वाले 30 अक्टूबर 2019 के अंत तक के शेषों को दर्शाते हैं)

| लेखा शीर्ष | 1 अप्रैल 2022 तक शेष राशि | संघ राज्य क्षेत्र जम्मू एवं कश्मीर को आंबटित राशि | वर्ष के दौरान संवितरण | वर्ष के दौरान पुनर्भुगतान | अशोध्य ऋणों एवं अग्रिमों को बड़े खाते में डाला | 31 मार्च 2023 को शेष राशि (2+4)-(5+6) | वर्ष 2022-23 के दौरान निवल वृद्धि(+)/ कमी(-) (7-2) | बकार्यों में ब्याज भुगतान (क) |
|--|---------------------------------|---|--------------------------|------------------------------|--|--|---|-------------------------------------|
| | (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) |
| | (₹ लाख में) | | | | | | | |
| च-ऋण तथा अग्रिम-(जारी) | | | | | | | | |
| ग- आर्थिक सेवाओं हेतु ऋण-(समाप्त) | | | | | | | | |
| (ज) सामान्य आर्थिक सेवाएं-(समाप्त) | | | | | | | | |
| 7452- पर्यटन हेतु ऋण-(समाप्त) | | | | | | | | |
| 60- अन्य-(समाप्त) | | | | | | | | |
| 800- अन्य ऋण | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | 128.37 | | | | | 128.37 | | |
| कुल-7452 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | 1,622.05 | | | | | 1,622.05 | | |
| 7475- अन्य सामान्य आर्थिक सेवाओं हेतु ऋण- | | | | | | | | |
| 101- सामान्य वित्तीय संस्थान | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | 906.97 | | | | | 906.97 | | |
| 102- व्यापारिक संस्थान | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | 966.75 | | | | | 966.75 | | |
| कुल-7475 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | 1,873.72 | | | | | 1,873.72 | | |
| कुल-(ज)-सामान्य आर्थिक सेवाएं | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | 3,495.77 | | | | | 3,495.77 | | |
| कुल-ग- आर्थिक सेवाओं हेतु ऋण | 16,933.94 | - | 5,952.69 | 2.89 | - | 22,883.74 | (+)5,949.80 | |
| | 1,57,239.14 | | | | | 1,57,239.14 | | |
| 7610- सरकारी कर्मचारियों इत्यादि को ऋण- | | | | | | | | |
| 201- आवास निर्माण अग्रिम | (-)132.95 | - | - | 80.06 | - | (-)213.01 \$ | (-)80.06 | |
| | 1,882.93 | | | | | 1,882.93 | | |
| 202- मोटर वाहनों/ साधनों की खरीद हेतु अग्रिम | (-)7.44 | - | - | 1.03 | - | (-)8.47 \$ | (-)1.03 | |
| | 201.61 | | | | | 201.61 | | |

18. सरकार द्वारा दिये गये ऋणों तथा अग्रिमों का विस्तृत विवरण-(जारी)

अनुभाग 1: ऋणों और अग्रिमों का मुख्य एवं लघु शीर्षवार सारांश-(समाप्त)

(बोल्ड आँकड़े संघ राज्य क्षेत्र जम्मू एवं कश्मीर में अभी तक विभाजित किए जाने एवं प्रतिधारित किये जाने वाले 30 अक्टूबर 2019 के अंत तक के शेषों को दर्शाते हैं)

| लेखा शीर्ष | 1 अप्रैल 2022 तक शेष राशि | संघ राज्य क्षेत्र जम्मू एवं कश्मीर को आंबटित राशि | वर्ष के दौरान संवितरण | वर्ष के दौरान पुनर्भुगतान | अशोध्य ऋणों एवं अग्रिमों को बड़े खाते में डाला | 31 मार्च 2023 को शेष राशि (2+4)-(5+6) | वर्ष 2022-23 के दौरान निवल वृद्धि(+)/ कमी(-) (7-2) | बकार्यों में ब्याज भुगतान (क) |
|--|---------------------------|---|-----------------------|---------------------------|--|---------------------------------------|--|-------------------------------|
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) |
| च-ऋण तथा अग्रिम-(समाप्त) | | | | | | | | |
| 7610- सरकारी कर्मचारियों इत्यादि को ऋण-(समाप्त) | | | | | | | | |
| 203- अन्य वाहनों की खरीद हेतु अग्रिम | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | 22.27 | | | | | 22.27 | | |
| 204- कंप्यूटरों की खरीद हेतु अग्रिम | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | 0.35 | | | | | 0.35 | | |
| 800- अन्य अग्रिम | | | | | | | | |
| (i) अन्य अग्रिम | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | 49.55 | | | | | 49.55 | | |
| कुल-7610 | (-)140.39 | - | - | 81.09 | - | (-)221.48 \$ | (-)81.09 | |
| | 2,156.71 | | | | | 2,156.71 | | |
| कुल योग | 16,825.65 | - | 5,952.69 | 132.58 | - | 22,645.76 | (+)5,820.11 | |
| | 1,74,043.19 | | | | | 1,74,043.19 | | |

(₹ लाख में)

18. सरकार द्वारा दिये गये ऋणों तथा अग्रिमों का विस्तृत विवरण-(जारी)

| अनुभाग: 2 अन्य ऋणी अधिष्ठानों से बकायों में पुनर्भुगतान | | | | | |
|---|-----------------------------|-------|-----|--|--|
| ऋणी अधिष्ठान | 31 मार्च 2023 को बकाया राशि | | | पूर्ववर्ती अवधि जिससे बकाया संबंधित है | 31 मार्च 2023 को अधिष्ठान के प्रति बकाया कुल ऋण (₹ लाख में) |
| | मूलधन | ब्याज | कुल | | |

सरकार से सूचना प्रतीक्षित (जुलाई 2023)।

18. सरकार द्वारा दिये गये ऋणों तथा अग्रिमों का विस्तृत विवरण-(जारी)

अतिरिक्त प्रकटन

वर्ष 2022-23 के दौरान दिये गये नये ऋण एवं अग्रिम

(₹ लाख में)

| ऋणी अधिष्ठान | ऋणों की संख्या | ऋण की कुल राशि | निबंधन एवं शर्तें | |
|---|----------------|-----------------|-------------------|---------------------------|
| | | | ब्याज दर | ऋण स्थगन अवधि, यदि कोई हो |
| जम्मू-कश्मीर, सड़क परिवहन निगम | 1 | 750.00 | 15% | 2 साल |
| जम्मू-कश्मीर, हथकरघा निगम लिमिटेड | 1 | 57.50 | 15% | 2 साल |
| जम्मू-कश्मीर, अनु.जाति/अनु.जनजाति/अन्य पिछड़ा वर्ग निगम लिमिटेड | 5 | 632.00 | 15% | 2 साल |
| जम्मू-कश्मीर, महिला विकास निगम लिमिटेड | 2 | 150.00 | 15% | 2 साल |
| जम्मू और कश्मीर, हस्तशिल्प (बिक्री और निर्यात) निगम लिमिटेड | 1 | 43.75 | 15% | 2 साल |
| | 10 | 1,633.25 | | |

18. सरकार द्वारा दिये गये ऋणों तथा अग्रिमों का विस्तृत विवरण-(जारी)

अतिरिक्त प्रकटन-(जारी)

1. निम्नलिखित मामले जिनमें ऋणों को 'शाश्वत ऋण' के रूप में संस्वीकृत किया गया।

(₹ लाख में)

| क्र. स. | संस्वीकृति वर्ष | संस्वीकृति आदेश सं. | राशि | ब्याज दर |
|---------|-----------------|---------------------|------|----------|
|---------|-----------------|---------------------|------|----------|

सरकार से सूचना प्रतीक्षित है (जुलाई 2023)।

18. सरकार द्वारा दिये गये ऋणों तथा अग्रिमों का विस्तृत विवरण-(जारी)

अतिरिक्त प्रकटन-(जारी)

2. सरकार द्वारा निम्नलिखित ऋण प्रदान किये गए हैं, यद्यपि निबंधन और शर्तें अभी तक तय नहीं हुई हैं:

(₹ लाख में)

| ऋणी अधिष्ठान | ऋणों की संख्या | कुल राशि | प्रारंभिक अवधि जिससे ऋण संबंधित हैं। |
|---|----------------|-----------|--------------------------------------|
| 1 जेकेपीसीसी लिमिटेड | 3 | 3,450.00 | |
| 2 जम्मू-कश्मीर और लद्दाख, वित्तीय निगम लिमिटेड | 1 | 200.00 | |
| 3 जम्मू-कश्मीर, बागवानी उत्पाद विपणन और प्रसंस्करण निगम लिमिटेड | 4 | 300.00 | |
| 4 जम्मू-कश्मीर, व्यापार संवर्धन संगठन | 4 | 171.23 | |
| 5 जम्मू-कश्मीर, सीमेंट्स लिमिटेड | 4 | 58.21 | |
| 6 जम्मू-कश्मीर, पर्यटन विकास निगम लिमिटेड | 2 | 140.00 | |
| | कुल | 18 | 4,319.44 |

18. सरकार द्वारा दिये गये ऋणों तथा अग्रिमों का विस्तृत विवरण-(समाप्त)

अतिरिक्त प्रकटन-(समाप्त)

वर्ष 2022-23 के दौरान उन ऋणी अधिष्ठानों को दिये गये नवीन ऋण एवं अग्रिम, जिनसे पूर्व ऋणों का पुनर्भुगतान बकाया है:

(₹ लाख में)

| ऋणी अधिष्ठान का नाम | वर्ष 2022-23 के दौरान संवितरित ऋण | | 31 मार्च 2023 को बकायों की राशि | | | पूर्ववर्ती अवधि जिससे बकाया | (वर्ष 2022-23 के दौरान संवितरण हेतु कारण |
|---------------------|-----------------------------------|-------|---------------------------------|-------|-----|-----------------------------|--|
| | ब्याज दर | मूलधन | मूलधन | ब्याज | कुल | | |
| | | | | | | | |

सरकार से सूचना प्रतीक्षित (जुलाई 2023)।

19. सरकार के निवेशों का विस्तृत विवरण

अनुभाग 1: वर्ष 2022-23 के दौरान निवेशों का विवरण

(बोल्ड आंकड़े संघ राज्य क्षेत्र जम्मू एवं कश्मीर में अभी भी प्रभाजित किए जाने एवं प्रतिधारित किए जाने वाले 30 अक्टूबर 2019 तक के निवेश को दर्शाते हैं)

| क्र. सं. | समुद्र्यम का नाम | निवेश का वर्ष | निवेश का विवरण | | निवेशित राशि | कुल प्रदत्त पूँजी पर सरकार का निवेश प्रतिशत | वर्ष के दौरान सरकारी खाते में जमा एवं प्राप्त लाभ/ | घोषित सरकारी खाते में जमा न किए गए लाभ/ | अभ्युक्तियाँ | |
|--|---|-------------------------|----------------|--|--------------|---|--|---|--------------|--|
| | | | प्रकार | शेयरों की संख्या/ ऋण पत्रों की संख्या | | | | | | प्रत्येक शेयरों/ ऋण पत्र का अंकित मूल्य |
| (₹ लाख में) | | | | | | | | | | |
| I. सांविधिक निगम-कार्यशील निगम- | | | | | | | | | | |
| 1 | जम्मू एवं कश्मीर व लद्दाख वित्तीय निगम | 1959-60 से 30-10-2019 | साधारण | 1,72,35,400 | 100 | 17,235.40 | 99.69 | शून्य | शून्य | 2020-21 हेतु लेखापरीक्षित लेखाओं के अनुसार निगम ने ₹ 461.13 लाख की हानि को बुक किया। |
| | | 30-10-2019 से 2021-2022 | | शून्य | शून्य | शून्य | शून्य | शून्य | शून्य | |
| | | 2022-23 | | शून्य | शून्य | शून्य | शून्य | शून्य | शून्य | |
| | | | | | | 17,235.40 | | | | |
| 2 | जम्मू एवं कश्मीर राज्य सड़क परिवहन निगम | 1976-77 से 30-10-2019 | साधारण | शेयरों को जारी नहीं किया गया | - | 19,595.43 | - | शून्य | शून्य | वर्ष 2018-19 हेतु लेखापरीक्षित लेखाओं के अनुसार निगम ने ₹ 11,762.42 लाख की हानि बुक की। निगम इसकी अंश पूँजी में केपेक्स नियतन को जोड़ रहा है, निगम द्वारा अभी तक की तिथि तक कोई अंश आबंटित नहीं किया गया है। |
| | | 30-10-2019 से 2021-2022 | | शून्य | शून्य | 19,190.58 | शून्य | शून्य | शून्य | |
| | | 2022-23 | | शून्य | शून्य | 200.00 | शून्य | शून्य | शून्य | |
| | | | | | | 19,390.58 | | | | |
| | | | | | | 19,595.43 | | | | |

19. सरकार के निवेशों का विस्तृत विवरण-(जारी)

| अनुभाग 1: वर्ष 2022-23 के दौरान निवेशों का विवरण-(जारी) | | | | | | | | | | |
|--|-------------------------------|---------------|----------------|---------------------------------------|--------------|---|---|--|--------------|---|
| (बोल्ड आँकड़े संघ राज्य क्षेत्र जम्मू एवं कश्मीर में अभी भी प्रभाजित किए जाने एवं प्रतिधारित किए जाने वाले 30 अक्टूबर 2019 तक के निवेश को दर्शाते हैं) | | | | | | | | | | |
| क्र. सं. | समुद्र्यम का नाम | निवेश का वर्ष | निवेश का विवरण | | निवेशित राशि | कुल प्रदत्त पूँजी पर सरकार का निवेश प्रतिशत | वर्ष के दौरान सरकारी खाते में जमा एवं प्राप्त लाभांश/ ब्याज | घोषित परंतु सरकारी खाते में जमा न किए गए लाभांश/ ब्याज | अभ्युक्तियाँ | |
| | | | प्रकार | शेयरों की संख्या/ ऋण पत्रों की संख्या | | | | | | प्रत्येक अंश/ ऋण पत्र का अंकित मूल्य |
| (₹ लाख में) | | | | | | | | | | |
| I. | सांविधिक निगम-(समाप्त) | | | | | | | | | |
| | कार्यशील निगम--(समाप्त) | | कुल-। | सांविधिक निगम- | 19,390.58 | | | | | |
| | | | | कार्यशील निगम- | 36,830.83 | | | | | |
| II. | ग्रामीण बैंक- | | | | | | | | | |
| 1 | जम्मू एवं कश्मीर ग्रामीण बैंक | 30-10-2019 तक | साधारण | 14,57,000 | 10.00 | 1,457.00 | 15.00 | शून्य | शून्य | वर्ष 2022-23 तक लेखापरीक्षित लेखाओं के अनुसार बैंक को ₹ 5,162.73 लाख की हानि हुई। |
| | | 30-10-2019 से | | | | | | | | |
| | | 2021-2022 | | शून्य | शून्य | शून्य | शून्य | शून्य | शून्य | |
| | | 2022-23 | | शून्य | शून्य | शून्य | शून्य | शून्य | शून्य | |
| | | | | | | शून्य | | | | |
| | | | | | | 1,457.00 | | | | |

19. सरकार के निवेशों का विस्तृत विवरण-(जारी)

| अनुभाग 1: वर्ष 2022-23 के दौरान निवेशों का विवरण-(जारी) | | | | | | | | | |
|--|----------------------------------|----------------------------|----------------|---------------------------------------|-----------------|---|---|--|--|
| (बोर्ड ऑफ़ डेव्लपमेंट संघ राज्य क्षेत्र जम्मू एवं कश्मीर में अभी भी प्रभाजित किए जाने एवं प्रतिधारित किए जाने वाले 30 अक्टूबर 2019 तक के निवेश को दर्शाते हैं) | | | | | | | | | |
| क्र. सं. | समुद्दय का नाम | निवेश का वर्ष | निवेश का विवरण | | निवेशित राशि | कुल प्रदत्त पूँजी पर सरकार का निवेश प्रतिशत | वर्ष के दौरान सरकारी खाते में जमा एवं प्राप्त लाभांश/ ब्याज | घोषित परंतु सरकारी खाते में जमा न किए गए लाभांश/ ब्याज | अभ्युक्तियाँ |
| | | | प्रकार | शेयरों की संख्या/ ऋण पत्रों की संख्या | | | | | |
| (₹ लाख में) | | | | | | | | | |
| II ग्रामीण बैंक-(समाप्त) | | | | | | | | | |
| 2 | इलाकाई देहाती बैंक | साधारण | 3,12,48,000 | 10.00 | 3,124.80 | 15.00 | शून्य | शून्य | वर्ष 2022-23 तक अंतिम रूप दिए गए लेखाओं के अनुसार, बैंक को ₹ 4,151.37 लाख की हानि हुई और संचित हानि ₹ 34,208.17 लाख रही। |
| | 30-10-2019 तक | | | | | | | | |
| | 31-10-2019 से | | | | | | | | |
| | 2021-22 | | 23,50,000 | 10.00 | 235.00 | शून्य | शून्य | शून्य | |
| | 2022-23 | | 1,49,70,000 | 10 | 1,497.00 | शून्य | शून्य | शून्य | |
| | | | | | 1,732.00 | | | | |
| | | | | | 3,124.80 | | | | |
| | | | | | 1,732.00 | | | | |
| | | कुल-II ग्रामीण बैंक | | | 4,581.80 | | | | |
| III सरकारी कंपनियों-कार्यशील कंपनियों- | | | | | | | | | |
| 1 | जम्मू एवं कश्मीर मिनरल्स लिमिटेड | 1960-61 से | इक्विटी | | 800.00 | 100.00 | शून्य | शून्य | कम्पनी द्वारा प्रदान की गई जानकारी के आधार पर वर्ष 2021-22 के दौरान कम्पनी को ₹2,538.30 लाख की हानि हुई। |
| | | 30-10-2019 | | | | | | | |
| | | 31-10-2019 से | | | | | | | |
| | | 2021-2022 | शून्य | शून्य | शून्य | शून्य | शून्य | शून्य | |
| | | 2022-23 | शून्य | शून्य | शून्य | शून्य | शून्य | शून्य | |
| | | | | | शून्य | | | | |
| | | | | | 800.00 | | | | |

| 19. सरकार के निवेशों का विस्तृत विवरण | | | | | | | | | | |
|--|--|--|----------------|---------------------------------------|--------------|-----------------|---------------|---|--------------|---|
| 19. सरकार के निवेशों का विस्तृत विवरण-(जारी) | | | | | | | | | | |
| अनुभाग 1: वर्ष 2022-23 के दौरान निवेशों का विवरण-(जारी) | | | | | | | | | | |
| (बोल्ड आँकड़े संघ राज्य क्षेत्र जम्मू एवं कश्मीर में अभी भी प्रभाजित किए जाने एवं प्रतिधारित किए जाने वाले 30 अक्टूबर 2019 तक के निवेश को दर्शाते हैं) | | | | | | | | | | |
| क्र. सं. | समुद्र्यम का नाम | निवेश का वर्ष | निवेश का विवरण | | निवेशित राशि | कुल प्रदत्त | वर्ष के दौरान | घोषित परंतु सरकारी खाते में जमा एवं प्राप्त | अभ्युक्तियाँ | |
| | | | प्रकार | शेयरों की संख्या/ ऋण पत्रों की संख्या | | | | | | |
| (₹ लाख में) | | | | | | | | | | |
| III सरकारी कंपनियों-(जारी) | | | | | | | | | | |
| कार्यशील कंपनियों(जारी) | | | | | | | | | | |
| 2 | जम्मू एवं कश्मीर बैंक लिमिटेड | 1939-40 से 30-10-2019 से 31-10-2019 से 2021-22 2022-23 | इक्विटी | 32,98,33,032 | 1 | 3,298.33 | 59.23 | - | शून्य | वर्ष 2022-23 हेतु लेखापरीक्षित लेखाओं के अनुसार, बैंक ने ₹1,19,738.00 लाख का लाभ अर्जित किया। |
| | | | | 32,42,65,248 | 1 | 3,242.65 | - | - | - | |
| | | | | शून्य | शून्य | शून्य | शून्य | शून्य | शून्य | |
| | | | | | | 3,242.65 | | | | |
| | | | | | | 3,298.33 | | | | |
| 3 | जम्मू एवं कश्मीर परियोजनाएं निर्माण निगम लिमिटेड | 1965-66 से 30-10-2019 से 31-10-2019 से 2021-2022 2022-23 | इक्विटी | 15,250 | 1000 | 152.50 | 100.00 | शून्य | शून्य | वर्ष 2018-19 हेतु लेखापरीक्षित लेखाओं के अनुसार, निगम ने ₹ 315.88 लाख का लाभ अर्जित किया। |
| | | | | - | - | - | - | - | - | |
| | | | | शून्य | शून्य | शून्य | शून्य | शून्य | शून्य | |
| | | | | | | - | | | | |
| | | | | | | 152.50 | | | | |

19. सरकार के निवेशों का विस्तृत विवरण-(जारी)

| अनुभाग 1: वर्ष 2022-23 के दौरान निवेशों का विवरण-(जारी) | | | | | | | | | | |
|--|--|--|----------------|---------------------------------------|--------------|-------------|---|--|--------------|--|
| (बोल्ड आँकड़े संघ राज्य क्षेत्र जम्मू एवं कश्मीर में अभी भी प्रभाजित किए जाने एवं प्रतिधारित किए जाने वाले 30 अक्टूबर 2019 तक के निवेश को दर्शाते हैं) | | | | | | | | | | |
| क्र. सं. | समुद्दय का नाम | निवेश का वर्ष | निवेश का विवरण | | निवेशित राशि | कुल प्रदत्त | वर्ष के दौरान सरकारी खाते में जमा एवं प्राप्त | घोषित परंतु सरकारी खाते में जमा न किए गए | अभ्युक्तियाँ | |
| | | | प्रकार | शेयरों की संख्या/ ऋण पत्रों की संख्या | | | | | | |
| (₹ लाख में) | | | | | | | | | | |
| III. सरकारी कंपनियों-(जारी) | | | | | | | | | | |
| कार्यशील कंपनियाँ(जारी) | | | | | | | | | | |
| 4 | जम्मू एवं कश्मीर पुलिस आवास निगम लिमिटेड | 1997-98 से 30-10-2019 से 2021-22 2022-23 | इक्विटी | 2,00,000 | 100 | 200.00 | 100.00 | शून्य | शून्य | कम्पनी द्वारा प्रदान की गई जानकारी के अनुसार वर्ष 2020-21 के दौरान कर लेखापरीक्षा प्रतिवेदन के अनुसार ₹1,795.00 लाख का लाभ बुक किया गया। |
| | | | शून्य | शून्य | शून्य | शून्य | शून्य | शून्य | शून्य | |
| | | | शून्य | शून्य | शून्य | शून्य | शून्य | शून्य | शून्य | |
| | | | | | | 200.00 | | | | |
| 5 | जम्मू एवं कश्मीर राज्य विदेश रोजगार निगम लिमिटेड | 2009-10 से 30-10-2019 से 2021-22 2022-23 | इक्विटी | 40,600 | 1000 | 406.00 | 100.00 | शून्य | शून्य | वर्ष 2010-11 के लेखापरीक्षित लेखाओं के अनुसार, निगम ने शून्य लाभ अर्जित किया, तथापि, वर्ष 2021-22 के अलेखापरीक्षित लेखाओं के अनुसार, निगम ने ₹ 29.48 लाख का लाभ अर्जित किया। इसके अतिरिक्त, ₹256.00 लाख की राशि तक के इक्विटी शेयरों को सरकार को जारी किया गया तथा ₹ 150.00 लाख के शेष बचे हुए शेयरों को अभी तक जारी नहीं किया गया है। |
| | | | शून्य | शून्य | शून्य | शून्य | शून्य | शून्य | शून्य | |
| | | | शून्य | शून्य | शून्य | शून्य | शून्य | शून्य | शून्य | |
| | | | | | | 406.00 | | | | |

19. सरकार के निवेशों का विस्तृत विवरण-(जारी)

| अनुभाग 1: वर्ष 2022-23 के दौरान निवेशों का विवरण-(जारी) | | | | | | | | | | |
|---|--|---|----------------|--|-----------------|-----------------|---------------|---|--------------|--|
| (बोल्ड ऑकड़े संघ राज्य क्षेत्र जम्मू एवं कश्मीर में अभी भी प्रभाजित किए जाने एवं प्रतिधारित किए जाने वाले 30 अक्टूबर 2019 तक के निवेश को दर्शाते हैं) | | | | | | | | | | |
| क्र. सं. | समुद्र्यम का नाम | निवेश का वर्ष | निवेश का विवरण | | निवेशित राशि | कुल प्रदत्त | वर्ष के दौरान | घोषित परंतु सरकारी खाते में जमा एवं प्राप्त | अभ्युक्तियाँ | |
| | | | प्रकार | शेयरों की संख्या/ ऋण पत्रों की संख्या | | | | | | |
| (₹ लाख में) | | | | | | | | | | |
| I. सरकारी कंपनियों-(जारी) | | | | | | | | | | |
| कार्यशील कंपनियों(जारी) | | | | | | | | | | |
| 6 | जम्मू एवं कश्मीर राज्य औद्योगिक विकास निगम लिमिटेड (एसआईडीसीओ) | 1968-69 से 30-10-2019 से 2021-22 से 2022-23 | इक्विटी | 17,64,640 | 1000 | 1,764.64 | 100.00 | शून्य | शून्य | वर्ष 2018-19 के लिए अंतिम रूप दिए गए लेखानुसार, निगम ने ₹ 8,808.81 लाख की संचित हानि बुक को किया |
| | | | शून्य | शून्य | शून्य | शून्य | शून्य | शून्य | शून्य | |
| | | | शून्य | शून्य | शून्य | शून्य | शून्य | शून्य | शून्य | |
| | | | | | 1,764.64 | | | | | |
| 7 | जम्मू एवं कश्मीर राज्य कृषि उद्योग विकास निगम लिमिटेड | 1975-76 से 30-10-2019 से 2021-22 से 2022-23 | इक्विटी | 2,59,920 | 100 | 259.92 | 73.49 | शून्य | शून्य | वर्ष 2021-22 हेतु लेखापरीक्षित लेखाओं के अनुसार, निगम ने ₹ 277.28 लाख की हानि बुक की। |
| | | | शून्य | शून्य | शून्य | शून्य | शून्य | शून्य | शून्य | |
| | | | शून्य | शून्य | शून्य | शून्य | शून्य | शून्य | शून्य | |
| | | | | | 259.92 | | | | | |

19. सरकार के निवेशों का विस्तृत विवरण-(जारी)

| अनुभाग 1: वर्ष 2022-23 के दौरान निवेशों का विवरण-(जारी) | | | | | | | | | | |
|--|--|---|----------------|---------------------------------------|--------------|-------------|---|--|--------------|---|
| (बोल्ड आँकड़े संघ राज्य क्षेत्र जम्मू एवं कश्मीर में अभी भी प्रभाजित किए जाने एवं प्रतिधारित किए जाने वाले 30 अक्टूबर 2019 तक के निवेश को दर्शाते हैं) | | | | | | | | | | |
| क्र. सं. | समुद्र्यम का नाम | निवेश का वर्ष | निवेश का विवरण | | निवेशित राशि | कुल प्रदत्त | वर्ष के दौरान सरकारी खाते में जमा एवं प्राप्त | घोषित परंतु सरकारी खाते में जमा न किए गए | अभ्युक्तियाँ | |
| | | | प्रकार | शेयरों की संख्या/ ऋण पत्रों की संख्या | | | | | | |
| (₹ लाख में) | | | | | | | | | | |
| III सरकारी कंपनियों-(जारी) | | | | | | | | | | |
| कार्यशील कंपनियों(जारी) | | | | | | | | | | |
| 8 | जम्मू एवं कश्मीर पर्यटन विकास निगम लिमिटेड | 1969-70 से 30-10-2010 से 2021-22 से 2022-23 | इक्विटी | 50,000 | 10.00 | 500.00 | 100.00 | शून्य | शून्य | वर्ष 2019-20 हेतु लेखापरीक्षित लेखाओं के अनुसार, कंपनी ने ₹ 6,14.46 लाख की हानि बुक की गई। पिछली अवधि के दौरान ₹ 1,096.13 लाख की राशि भी जम्मू एवं कश्मीर सरकार द्वारा अंश अनुप्रयोग रकम की ओर, जिसके प्रति आवंटन लंबित है। |
| | | | शून्य | शून्य | शून्य | शून्य | शून्य | शून्य | शून्य | |
| | | | शून्य | शून्य | शून्य | शून्य | शून्य | शून्य | शून्य | |
| | | | | | | 500.00 | | | | |
| 9 | जम्मू एवं कश्मीर हस्तशिल्प (बिक्री एवं निर्यात) निगम लिमिटेड | 1970-71 से 30-10-2019 से 2021-22 से 2022-23 | इक्विटी | 7,08,120 | 100 | 708.12 | 88.83 | शून्य | शून्य | वर्ष 2018-19 हेतु लेखापरीक्षित लेखाओं के अनुसार, निगम को ₹ 859.52 लाख की हानि हुई। |
| | | | शून्य | शून्य | शून्य | शून्य | शून्य | शून्य | शून्य | |
| | | | शून्य | शून्य | शून्य | शून्य | शून्य | शून्य | शून्य | |
| | | | | | | 708.12 | | | | |

19. सरकार के निवेशों का विस्तृत विवरण-(जारी)

| अनुभाग 1: वर्ष 2022-23 के दौरान निवेशों का विवरण-(जारी) | | | | | | | | | | |
|--|-----------------------------------|-----------------------|----------------|---------------------------------------|--------------|-----------------|---------------|---|--------------|--|
| (बोल्ड आंकड़े संघ राज्य क्षेत्र जम्मू एवं कश्मीर में अभी भी प्रभाजित किए जाने एवं प्रतिधारित किए जाने वाले 30 अक्टूबर 2019 तक के निवेश को दर्शाते हैं) | | | | | | | | | | |
| क्र. सं. | समुद्र्यम का नाम | निवेश का वर्ष | निवेश का विवरण | | निवेशित राशि | कुल प्रदत्त | वर्ष के दौरान | घोषित परंतु सरकारी खाते में जमा एवं प्राप्त | अभ्युक्तियाँ | |
| | | | प्रकार | शेयरों की संख्या/ ऋण पत्रों की संख्या | | | | | | |
| (₹ लाख में) | | | | | | | | | | |
| III सरकारी कंपनियों-(जारी) | | | | | | | | | | |
| कार्यशील कम्पनियों-(जारी) | | | | | | | | | | |
| 10 | जम्मू एवं कश्मीर उद्योग लिमिटेड | 1963-64 से 30-10-2019 | इक्विटी | 1,62,664 | 100 | 1,626.64 | 100.00 | शून्य | शून्य | वर्ष 2020-21 हेतु लेखापरीक्षित लेखाओं के अनुसार, कंपनी द्वारा ₹ 87,160.34 लाख की संचित हानि बुक को बुक किया। |
| | | 31-10-2019 से 2021-22 | | शून्य | शून्य | शून्य | शून्य | शून्य | शून्य | |
| | | 2022-23 | | शून्य | शून्य | शून्य | शून्य | शून्य | शून्य | |
| | | | | | | 1,626.64 | | | | |
| 11 | जम्मू एवं कश्मीर सीमेंट्स लिमिटेड | 1976-77 से 30-10-2019 | इक्विटी | 14,99,670 | 100 | 1,499.67 | 100.00 | शून्य | शून्य | वर्ष 2021-22 के लिए अंतिम रूप दिए गए लेखानुसार, कम्पनी ने ₹ 23,444.14 लाख की हानि वहन की। |
| | | 31-10-2019 से 2021-22 | | शून्य | शून्य | शून्य | शून्य | शून्य | शून्य | |
| | | 2022-23 | | शून्य | शून्य | शून्य | शून्य | शून्य | शून्य | |
| | | | | | | 1,499.67 | | | | |

19. सरकार के निवेशों का विस्तृत विवरण-(जारी)

| अनुभाग 1: वर्ष 2022-23 के दौरान निवेशों का विवरण-(जारी) | | | | | | | | | | |
|---|---|----------------------------------|----------------|---------------------------------------|--------------|---|---|--|--------------|--|
| (बोल्ड ऑकड़े संघ राज्य क्षेत्र जम्मू एवं कश्मीर में अभी भी प्रभाजित किए जाने एवं प्रतिधारित किए जाने वाले 30 अक्टूबर 2019 तक के निवेश को दर्शाते हैं) | | | | | | | | | | |
| क्र. सं. | समुद्र्यम का नाम | निवेश का वर्ष | निवेश का विवरण | | निवेशित राशि | कुल प्रदत्त पूँजी पर सरकार का निवेश प्रतिशत | वर्ष के दौरान सरकारी खाते में जमा एवं प्राप्त लाभांश/ ब्याज | घोषित परंतु सरकारी खाते में जमा न किए गए लाभांश/ ब्याज | अभ्युक्तियाँ | |
| | | | प्रकार | शेयरों की संख्या/ ऋण पत्रों की संख्या | | | | | | प्रत्येक अंश/ ऋण पत्र का अंकित मूल्य |
| (₹ लाख में) | | | | | | | | | | |
| III सरकारी कंपनियों-(जारी) | | | | | | | | | | |
| कार्यशील कंपनियों(जारी) | | | | | | | | | | |
| 12 | जम्मू एवं कश्मीर लघु उद्योग विकास निगम लिमिटेड (एसआईसीओपी) | 1975-76 से 30-10-2019 से 2021-22 | इक्विटी | 89,91,160 | 100 | 8,991.16 | 100.00 | शून्य | शून्य | वर्ष 2018-19 हेतु लेखापरीक्षित लेखाओं के अनुसार, कंपनी ने ₹ 108.88 लाख का लाभ बुक किया। |
| | | 2022-23 | शून्य | शून्य | शून्य | शून्य | शून्य | शून्य | शून्य | |
| | | | शून्य | शून्य | शून्य | शून्य | शून्य | शून्य | शून्य | |
| | | | | | | 8,991.16 | | | | |
| 13 | जम्मू एवं कश्मीर उद्यान कृषि उत्पाद विपणन एवं प्रसंस्करण निगम लिमिटेड | 1978-79 से 30-10-2019 से 2021-22 | इक्विटी | 6,00,000 | 100 | 600.00 | 65.21 | शून्य | शून्य | वर्ष 2016-17 हेतु लेखापरीक्षित लेखाओं के अनुसार, कंपनी ने ₹ 13,476.36 लाख की संचित हानि को बुक किया। |
| | | 2022-23 | शून्य | शून्य | 80.00 | शून्य | शून्य | शून्य | शून्य | |
| | | | | | शून्य | शून्य | शून्य | शून्य | शून्य | |
| | | | | | 80.00 | | | | | |
| | | | | | 600.00 | | | | | |

19. सरकार के निवेशों का विस्तृत विवरण-(जारी)

| अनुभाग 1: वर्ष 2022-23 के दौरान निवेशों का विवरण-(जारी) | | | | | | | | | | |
|--|--|----------------------------------|----------------|---------------------------------------|--------------|---|---|--|--------------|--|
| (बोल्ड आँकड़े संघ राज्य क्षेत्र जम्मू एवं कश्मीर में अभी भी प्रभाजित किए जाने एवं प्रतिधारित किए जाने वाले 30 अक्टूबर 2019 तक के निवेश को दर्शाते हैं) | | | | | | | | | | |
| क्र. सं. | समुद्र्यम का नाम | निवेश का वर्ष | निवेश का विवरण | | निवेशित राशि | कुल प्रदत्त पूँजी पर सरकार का निवेश प्रतिशत | वर्ष के दौरान सरकारी खाते में जमा एवं प्राप्त लाभांश/ ब्याज | घोषित परंतु सरकारी खाते में जमा न किए गए लाभांश/ ब्याज | अभ्युक्तियाँ | |
| | | | प्रकार | शेयरों की संख्या/ ऋण पत्रों की संख्या | | | | | | प्रत्येक अंश/ ऋण पत्र का अंकित मूल्य |
| (₹ लाख में) | | | | | | | | | | |
| III सरकारी कंपनियों-(जारी) | | | | | | | | | | |
| कार्यशील कंपनियों(जारी) | | | | | | | | | | |
| 14 | जम्मू एवं कश्मीर राज्य हथकरघा विकास निगम लिमिटेड | 1981-82 से 30-10-2019 से 2021-22 | इक्विटी | 3,49,430 | 100 | 349.43 | 69.96 | शून्य | शून्य | वर्ष 2020-21 हेतु लेखापरीक्षित लेखाओं के अनुसार, निगम ने ₹ 14,619.56 लाख की संचित हानि बुक की। |
| | | 2022-23 | शून्य | शून्य | शून्य | शून्य | शून्य | शून्य | शून्य | |
| | | | शून्य | शून्य | शून्य | शून्य | शून्य | शून्य | शून्य | |
| | | | | | | 349.43 | | | | |
| 15 | जम्मू एवं कश्मीर अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति एवं अन्य पिछड़ा वर्ग कल्याण निगम लिमिटेड | 1985-86 से 30-10-2019 से 2021-22 | इक्विटी | | 100 | 1,932.00 | 40.78 | शून्य | शून्य | वर्ष 2021-22 के लिए अंतिम रूप दिए गए लेखानुसार, निगम ने ₹ 784.62 लाख की हानि वहन की |
| | | 2022-23 | शून्य | शून्य | 265.00 | शून्य | शून्य | शून्य | शून्य | |
| | | | शून्य | शून्य | 120.00 | शून्य | शून्य | शून्य | शून्य | |
| | | | | | | 385.00 | | | | |
| | | | | | | 1,932.00 | | | | |

19. सरकार के निवेशों का विस्तृत विवरण-(जारी)

| अनुभाग 1: वर्ष 2022-23 के दौरान निवेशों का विवरण-(जारी) | | | | | | | | | |
|--|--|--|----------------|--|--------------|---|---|--|---|
| (बोल्ड आँकड़े संघ राज्य क्षेत्र जम्मू एवं कश्मीर में अभी भी प्रभाजित किए जाने एवं प्रतिधारित किए जाने वाले 30 अक्टूबर 2019 तक के निवेश को दर्शाते हैं) | | | | | | | | | |
| क्र. सं. | समुदय का नाम | निवेश का वर्ष | निवेश का विवरण | | निवेशित राशि | कुल प्रदत्त पूँजी पर सरकार का निवेश प्रतिशत | वर्ष के दौरान सरकारी खाते में जमा एवं प्राप्त लाभांश/ ब्याज | घोषित परंतु सरकारी खाते में जमा न किए गए लाभांश/ ब्याज | अभ्युक्तियाँ |
| | | | प्रकार | शेयरों की संख्या/ ऋण पत्रों की संख्या | | | | | |
| (₹ लाख में) | | | | | | | | | |
| III सरकारी कंपनियों-(जारी) | | | | | | | | | |
| कार्यशील कंपनियों(जारी) | | | | | | | | | |
| 16 | जम्मू एवं कश्मीर राज्य केबल कार निगम लिमिटेड | 1988-89 से 30-10-2019 से 31-10-2019 से 2021-22 2022-23 | इक्विटी | 2,35,700 | 1000 | 2,357.00 | शून्य | शून्य | वर्ष 2013-14 हेतु लेखापरीक्षित लेखाओं के अनुसार, निगम ने ₹ 993.70 लाख का लाभ बुक किया। |
| | | | शून्य | शून्य | शून्य | शून्य | शून्य | शून्य | |
| | | | शून्य | शून्य | शून्य | शून्य | शून्य | शून्य | |
| | | | | | | 2,357.00 | | | |
| 17 | चिनाब घाटी विद्युत परियोजना प्राइवेट लिमिटेड | 30-10-2019 तक 31-10-2019 से 2021-22 2022-23 | इक्विटी | 1,18,78,50,000 | 10 | 1,18,785.00 | 47.90 | शून्य | वर्ष 2022-23 हेतु लेखापरीक्षित लेखाओं के अनुसार, कम्पनी ने ₹2,514.55 लाख का लाभ बुक किया। |
| | | | शून्य | शून्य | 40,915.00 | शून्य | शून्य | शून्य | |
| | | | शून्य | शून्य | 14,800.00 | शून्य | शून्य | शून्य | |
| | | | | | 55,715.00 | | | | |
| | | | | | 1,18,785.00 | | | | |

19. सरकार के निवेशों का विस्तृत विवरण-(जारी)

| अनुभाग 1: वर्ष 2022-23 के दौरान निवेशों का विवरण-(जारी) | | | | | | | | | | |
|--|---|-------------------------------------|----------------|---------------------------------------|--------------------------------------|--------------|---|---|--|---|
| (बोल्ड आँकड़े संघ राज्य क्षेत्र जम्मू एवं कश्मीर में अभी भी प्रभाजित किए जाने एवं प्रतिधारित किए जाने वाले 30 अक्टूबर 2019 तक के निवेश को दर्शाते हैं) | | | | | | | | | | |
| क्र. सं. | समुद्र्यम का नाम | निवेश का वर्ष | निवेश का विवरण | | | निवेशित राशि | कुल प्रदत्त पूँजी पर सरकार का निवेश प्रतिशत | वर्ष के दौरान सरकारी खाते में जमा एवं प्राप्त लाभांश/ ब्याज | घोषित परंतु सरकारी खाते में जमा न किए गए लाभांश/ ब्याज | अभ्युक्तियाँ |
| | | | प्रकार | शेयरों की संख्या/ ऋण पत्रों की संख्या | प्रत्येक अंश/ ऋण पत्र का अंकित मूल्य | | | | | |
| (₹ लाख में) | | | | | | | | | | |
| III सरकारी कंपनियों-(जारी) | | | | | | | | | | |
| कार्यशील कंपनियों(जारी) | | | | | | | | | | |
| 18 | जम्मू एवं कश्मीर महिला विकास निगम लिमिटेड | 1991-92 से 30-10-2019 | इक्विटी | 10,00,000 | 100 | 1,000.00 | 100.00 | शून्य | शून्य | वर्ष 2020-21 हेतु लेखापरीक्षित लेखाओं के अनुसार, कंपनी ने ₹ 24.86 लाख का लाभ बुक किया था। |
| | | 31-10-2019 से | | | | | | | | |
| | | 2021-22 | शून्य | शून्य | शून्य | शून्य | शून्य | शून्य | शून्य | |
| | | 2022-23 | शून्य | शून्य | शून्य | शून्य | शून्य | शून्य | शून्य | |
| | | | | | | 1,000.00 | | | | |
| 19 | जम्मू एवं कश्मीर चिकित्सा आपूर्तियाँ निगम लिमिटेड | 30-10-2019 तक 31-10-2019 से 2021-22 | इक्विटी | 50,000 | 10 | 5.00 | 100.00 | शून्य | शून्य | वर्ष 2021-22 हेतु लेखापरीक्षित लेखाओं के अनुसार, कंपनी ने ₹ 6,710.02 लाख का लाभ बुक किया। |
| | | 2022-23 | शून्य | शून्य | शून्य | शून्य | शून्य | शून्य | शून्य | |
| | | | शून्य | शून्य | शून्य | शून्य | शून्य | शून्य | शून्य | |
| | | | | | | 5.00 | | | | |

19. सरकार के निवेशों का विस्तृत विवरण-(जारी)

| अनुभाग 1: वर्ष 2022-23 के दौरान निवेशों का विवरण-(जारी) | | | | | | | | | | |
|--|---|---------------|----------------|--|--------------|---|---|--|--------------|--|
| (बोल्ड आँकड़े संघ राज्य क्षेत्र जम्मू एवं कश्मीर में अभी भी प्रभाजित किए जाने एवं प्रतिधारित किए जाने वाले 30 अक्टूबर 2019 तक के निवेश को दर्शाते हैं) | | | | | | | | | | |
| क्र. सं. | समुद्र्यम का नाम | निवेश का वर्ष | निवेश का विवरण | | निवेशित राशि | कुल प्रदत्त पूँजी पर सरकार का निवेश प्रतिशत | वर्ष के दौरान सरकारी खाते में जमा एवं प्राप्त लाभांश/ ब्याज | घोषित परंतु सरकारी खाते में जमा न किए गए लाभांश/ ब्याज | अभ्युक्तियाँ | |
| | | | प्रकार | शेयरों की संख्या/ ऋण पत्रों की संख्या | | | | | | प्रत्येक अंश/ ऋण पत्र का अंकित मूल्य |
| (₹ लाख में) | | | | | | | | | | |
| III सरकारी कंपनियों-(जारी) | | | | | | | | | | |
| कार्यशील कंपनियों(जारी) | | | | | | | | | | |
| 20 | जम्मू एवं कश्मीर राज्य विद्युत विकास निगम लिमिटेड | 30-10-2019 तक | इक्विटी | 2,59,33,443 | 1,000 | 2,59,334.00 | 100.00 | शून्य | शून्य | वर्ष 2015-16 हेतु लेखापरीक्षित लेखाओं के अनुसार, निगम ने ₹ 2,041.69 लाख का लाभ अर्जित किया था। |
| | | 31-10-2019 से | | | | | | | | |
| | | 2021-22 | | | | | | | | |
| | | | | शून्य | शून्य | शून्य | शून्य | शून्य | शून्य | |
| | | 2022-23 | | शून्य | शून्य | शून्य | शून्य | शून्य | शून्य | |
| | | | | | | 2,59,334.00 | | | | |
| 21 | राष्ट्रीय परियोजना निर्माण निगम लिमिटेड | 1957-58 से | इक्विटी | 1,000 | 1,000 | 10.00 | 100.00 | शून्य | शून्य | कंपनी द्वारा सूचना (जुलाई 2023) प्रतीक्षित है। |
| | | 30-10-2019 | | | | | | | | |
| | | 31-10-2019 से | | | | | | | | |
| | | 2021-22 | | | | | | | | |
| | | | | प्रतीक्षित | प्रतीक्षित | प्रतीक्षित | प्रतीक्षित | प्रतीक्षित | प्रतीक्षित | |
| | | 2022-23 | | प्रतीक्षित | प्रतीक्षित | प्रतीक्षित | प्रतीक्षित | प्रतीक्षित | प्रतीक्षित | |
| | | | | | | प्रतीक्षित | | | | |
| | | | | | | 10.00 | | | | |

19. सरकार के निवेशों का विस्तृत विवरण-(जारी)

| अनुभाग 1: वर्ष 2022-23 के दौरान निवेशों का विवरण-(जारी) | | | | | | | | | | |
|--|---|---|----------------|--|---|-------------------|-------------|---------------|---|---|
| (बोल्ड आँकड़े संघ राज्य क्षेत्र जम्मू एवं कश्मीर में अभी भी प्रभाजित किए जाने एवं प्रतिधारित किए जाने वाले 30 अक्टूबर 2019 तक के निवेश को दर्शाते हैं) | | | | | | | | | | |
| क्र. सं. | समुद्र्यम का नाम | निवेश का वर्ष | निवेश का विवरण | | | निवेशित राशि | कुल प्रदत्त | वर्ष के दौरान | घोषित परंतु सरकारी खाते में जमा एवं प्राप्त | अभ्युक्तियाँ |
| | | | प्रकार | शेयरों की संख्या/ ऋण पत्रों की संख्या | प्रत्येक अंश/ ऋण पत्र का अंकित मूल्य | | | | | |
| (₹ लाख में) | | | | | | | | | | |
| III सरकारी कम्पनियों-(जारी) | | | | | | | | | | |
| कार्यशील कंपनीयन्त्र-(जारी) | | | | | | | | | | |
| 22 | जम्मू एवं कश्मीर व्यापार प्रोत्साहन संगठन | 30-10-2019 तक 31-10-2019 से 2021-22 2022-23 | इक्विटी | 25,500 | 100 | 255.00 | 51.00 | शून्य | शून्य | वर्ष 2022-23 हेतु लेखापरीक्षित लेखाओं के अनुसार, कंपनी को ₹ 120.43 लाख की हानि हुई। |
| | | | शून्य | शून्य | शून्य | शून्य | शून्य | शून्य | शून्य | |
| | | | शून्य | शून्य | शून्य | शून्य | शून्य | शून्य | शून्य | |
| | | | | | | 255.00 | | | | |
| 23 | जम्मू एवं कश्मीर सड़क विकास निगम | 30-10-2019 तक 31-10-2019 से 2021-22 तक 2022-23 | प्रतीक्षित | प्रतीक्षित | प्रतीक्षित | प्रतीक्षित | प्रतीक्षित | प्रतीक्षित | प्रतीक्षित | कम्पनी कार्यशील नहीं है। |
| | | | प्रतीक्षित | प्रतीक्षित | प्रतीक्षित | प्रतीक्षित | प्रतीक्षित | प्रतीक्षित | प्रतीक्षित | |
| | | | शून्य | शून्य | शून्य | शून्य | शून्य | शून्य | शून्य | |
| | | | | | | प्रतीक्षित | | | | |

19. सरकार के निवेशों का विस्तृत विवरण-(जारी)

| अनुभाग 1: वर्ष 2022-23 के दौरान निवेशों का विवरण-(जारी) | | | | | | | | | |
|--|--|--------------------------|----------------|---------------------------------------|--------------|---|---|--|---|
| (बोल्ड आँकड़े संघ राज्य क्षेत्र जम्मू एवं कश्मीर में अभी भी प्रभाजित किए जाने एवं प्रतिधारित किए जाने वाले 30 अक्टूबर 2019 तक के निवेश को दर्शाते हैं) | | | | | | | | | |
| क्र. सं. | समुद्रयम का नाम | निवेश का वर्ष | निवेश का विवरण | | निवेशित राशि | कुल प्रदत्त पूँजी पर सरकार का निवेश प्रतिशत | वर्ष के दौरान सरकारी खाते में जमा एवं प्राप्त लाभांश/ ब्याज | घोषित परंतु सरकारी खाते में जमा न किए गए लाभांश/ ब्याज | अभ्युक्तियाँ |
| | | | प्रकार | शेयरों की संख्या/ ऋण पत्रों की संख्या | | | | | |
| (₹ लाख में) | | | | | | | | | |
| III सरकारी कम्पनियों-(जारी) | | | | | | | | | |
| कार्यशील कंपनीयन्त्र-(जारी) | | | | | | | | | |
| 24 | जम्मू एवं कश्मीर परिसम्पत्ति पुनर्निर्माण निगम लिमिटेड | 28-04-2017 से 30-10-2019 | प्रतीक्षित | प्रतीक्षित | प्रतीक्षित | प्रतीक्षित | प्रतीक्षित | प्रतीक्षित | निगम को 2019 में दिनांक 24.10.2019 के सरकारी आदेश सं. 43-एफडी के द्वारा बंद किया गया। |
| | | 31-10-2019 से 2021-22 | | शून्य | शून्य | शून्य | शून्य | शून्य | |
| | | 2022-23 | | शून्य | शून्य | शून्य | शून्य | शून्य | |
| | | | | | शून्य | | | | |
| | | | | | प्रतीक्षित | | | | |
| 25 | जम्मू स्मार्ट शहर | 31-10-2019 से 2021-22 | इक्विटी | 1,00,000 | 10 | 10.00 | 100 | शून्य | वर्ष 2021-22 के दौरान कम्पनी द्वारा ₹1,618.04 लाख का लाभ सूचित किया गया है। |
| | | 2022-23 | | शून्य | शून्य | शून्य | शून्य | शून्य | |
| | | | | | शून्य | | | | |
| | | | | | 10.00 | | | | |

19. सरकार के निवेशों का विस्तृत विवरण-(जारी)

| अनुभाग 1: वर्ष 2022-23 के दौरान निवेशों का विवरण-(जारी) | | | | | | | | | | |
|--|---------------------------------|---------------|----------------|---------------------------------------|--------------|-------------|---------------|---|--------------|--|
| (बोल्ड आँकड़े संघ राज्य क्षेत्र जम्मू एवं कश्मीर में अभी भी प्रभाजित किए जाने एवं प्रतिधारित किए जाने वाले 30 अक्टूबर 2019 तक के निवेश को दर्शाते हैं) | | | | | | | | | | |
| क्र. सं. | समुद्र्यम का नाम | निवेश का वर्ष | निवेश का विवरण | | निवेशित राशि | कुल प्रदत्त | वर्ष के दौरान | घोषित परंतु सरकारी खाते में जमा एवं प्राप्त | अभ्युक्तियाँ | |
| | | | प्रकार | शेयरों की संख्या/ ऋण पत्रों की संख्या | | | | | | |
| (₹ लाख में) | | | | | | | | | | |
| III सरकारी कंपनियों-(जारी) | | | | | | | | | | |
| कार्यशील कंपनियों-(जारी) | | | | | | | | | | |
| 26 | श्रीनगर स्मार्ट शहर | 30-10-2019 तक | | 1,00,000 | 10 | 10.00 | 100 | शून्य | शून्य | वर्ष 2022-23 हेतु कम्पनी द्वारा प्रदान की गई सूचना के अनुसार कम्पनी ने शून्य लाभ सूचित किया। |
| | | 31-10-2019 से | | | | | | | | |
| | | 2021-22 | | शून्य | शून्य | शून्य | शून्य | शून्य | शून्य | |
| | | 2022-23 | | शून्य | शून्य | शून्य | शून्य | शून्य | शून्य | |
| | | | | | | 10.00 | | | | |
| 27 | श्रीनगर मास रैपिड ट्रांजिट निगम | 30-10-2019 तक | इक्विटी | 20,000 | 10.00 | 2.00 | 100 | शून्य | शून्य | कंपनी ने अब तक की तिथि (जुलाई 2023) तक भारत के नियंत्रक महालेखापरीक्षक को अपने लेखे लेखापरीक्षा हेतु प्रस्तुत नहीं किये हैं। |
| | | 31-10-2019 से | | | | | | | | |
| | | 2021-22 | | शून्य | शून्य | शून्य | शून्य | शून्य | शून्य | |
| | | 2022-23 | | शून्य | शून्य | शून्य | शून्य | शून्य | शून्य | |
| | | | | | | 2.00 | | | | |
| 28 | जम्मू मास रैपिड ट्रांजिट निगम | 30-10-2019 तक | इक्विटी | 20,000 | 10 | 2.00 | 100 | शून्य | शून्य | कंपनी ने अब तक की तिथि (जुलाई 2023) तक भारत के नियंत्रक महालेखापरीक्षक को अपने लेखे लेखापरीक्षा हेतु प्रस्तुत नहीं किये हैं। |
| | | 31-10-2019 से | | | | | | | | |
| | | 2021-22 | | शून्य | शून्य | शून्य | शून्य | शून्य | शून्य | |
| | | 2022-23 | | शून्य | शून्य | शून्य | शून्य | शून्य | शून्य | |
| | | | | | | 2.00 | | | | |

19. सरकार के निवेशों का विस्तृत विवरण-(जारी)

| अनुभाग 1: वर्ष 2022-23 के दौरान निवेशों का विवरण-(जारी) | | | | | | | | | |
|--|---|---------------|----------------|---------------------------------------|-----------------|---|---|--|--|
| (बोल्ड आंकड़े संघ राज्य क्षेत्र जम्मू एवं कश्मीर में अभी भी प्रभाजित किए जाने एवं प्रतिधारित किए जाने वाले 30 अक्टूबर 2019 तक के निवेश को दर्शाते हैं) | | | | | | | | | |
| क्र. सं. | समुद्र्यम का नाम | निवेश का वर्ष | निवेश का विवरण | | निवेशित राशि | कुल प्रदत्त पूँजी पर सरकार का निवेश प्रतिशत | वर्ष के दौरान सरकारी खाते में जमा एवं प्राप्त लाभांश/ ब्याज | घोषित सरकारी खाते में जमा न किए गए लाभांश/ ब्याज | अभ्युक्तियाँ |
| | | | प्रकार | शेयरों की संख्या/ ऋण पत्रों की संख्या | | | | | |
| (₹ लाख में) | | | | | | | | | |
| III सरकारी कंपनियाँ -(जारी) | | | | | | | | | |
| कार्यशील कंपनियाँ-(जारी) | | | | | | | | | |
| 29 | जम्मू एवं कश्मीर उद्यमिता विकास निगम | 30-10-2019 तक | | | 9,647.75 | | शून्य | शून्य | कंपनी ने अब तक की तिथि (जुलाई 2023) तक लेखापरीक्षा हेतु भारत के नियंत्रक महालेखापरीक्षक को अपने लेखे प्रस्तुत नहीं किये हैं। तथापि जेकेईडीआई ने इस वर्ष यह सूचित किया है कि कम्पनी द्वारा पूर्व के वर्षों में ₹ 3,398.48 का निवेश किया गया। इसलिए चालू वर्ष में उतनी ही राशि शामिल की गई है। |
| | | 31-10-2019 से | | | | | | | |
| | | 2021-22 | शून्य | शून्य | शून्य | शून्य | शून्य | शून्य | |
| | | 2022-23 | शून्य | शून्य | 3,398.48 | शून्य | शून्य | शून्य | |
| | | | | | 3,398.48 | | | | |
| | | | | | 9,647.75 | | | | |
| 30 | जम्मू एवं कश्मीर विद्युत संचरण निगम लिमिटेड | 30-10-2019 तक | 50,000 | 10.00 | 5.00 | 100 | शून्य | शून्य | वर्ष 2020-21 हेतु अंतिम रूप से तैयार लेखाओं के अनुसार कंपनी द्वारा ₹ 19,448.07 लाख की हानि को बुक किया गया है। |
| | | 31-10-2019 से | | | | | | | |
| | | 2021-22 | शून्य | शून्य | शून्य | शून्य | शून्य | शून्य | |
| | | 2022-23 | शून्य | शून्य | शून्य | शून्य | शून्य | शून्य | |
| | | | | | - | | | | |
| | | | | | 5.00 | | | | |
| 31 | कश्मीर विद्युत वितरण निगम लिमिटेड | 30-10-2019 तक | 49,960 | 10.00 | 4.99 | 99.92 | शून्य | शून्य | वर्ष 2022-23 हेतु अंतिम रूप से तैयार लेखाओं के अनुसार कंपनी द्वारा ₹ 14,792.53 लाख की संचित हानि को बुक किया गया है। |
| | | 31-10-2019 से | | | | | | | |
| | | 2021-22 | शून्य | शून्य | शून्य | शून्य | शून्य | शून्य | |
| | | 2022-23 | शून्य | शून्य | शून्य | शून्य | शून्य | शून्य | |
| | | | | | - | | | | |
| | | | | | 4.99 | | | | |

19. सरकार के निवेशों का विस्तृत विवरण-(जारी)

| अनुभाग 1: वर्ष 2022-23 के दौरान निवेशों का विवरण-(जारी) | | | | | | | | | |
|--|--|---------------|----------------|---------------------------------------|--------------|---|---|--|--|
| (बोल्ड आंकड़े संघ राज्य क्षेत्र जम्मू एवं कश्मीर में अभी भी प्रभाजित किए जाने एवं प्रतिधारित किए जाने वाले 30 अक्टूबर 2019 तक के निवेश को दर्शाते हैं) | | | | | | | | | |
| क्र. सं. | समुद्र्यम का नाम | निवेश का वर्ष | निवेश का विवरण | | निवेशित राशि | कुल प्रदत्त पूँजी पर सरकार का निवेश प्रतिशत | वर्ष के दौरान सरकारी खाते में जमा एवं प्राप्त लाभांश/ ब्याज | घोषित सरकारी खाते में जमा न किए गए लाभांश/ ब्याज | अभ्युक्तियाँ |
| | | | प्रकार | शेयरों की संख्या/ ऋण पत्रों की संख्या | | | | | |
| (₹ लाख में) | | | | | | | | | |
| III सरकारी कंपनियों-(जारी) | | | | | | | | | |
| कार्यशील कंपनियों(जारी) | | | | | | | | | |
| 32 | जम्मू विद्युत वितरण लिमिटेड | 30-10-2019 तक | 50,000 | 10.00 | 5.00 | 100 | शून्य | शून्य | वर्ष 2021-22 हेतु अंतिम रूप से तैयार लेखाओं के अनुसार कंपनी द्वारा ₹ 22,072.07 लाख की हानि को बुक किया गया है। |
| | | 31-10-2019 से | | | | | | | |
| | | 2021-22 | शून्य | शून्य | शून्य | शून्य | शून्य | शून्य | |
| | | 2022-23 | शून्य | शून्य | शून्य | शून्य | शून्य | शून्य | |
| | | | | | 5.00 | | | | |
| 33 | जम्मू एवं कश्मीर विद्युत निगम लिमिटेड | 30-10-2019 तक | इक्विटी 50,000 | 10.00 | 5.00 | 100 | शून्य | शून्य | वर्ष 2020-21 हेतु अंतिम रूप से तैयार लेखाओं के अनुसार कंपनी द्वारा ₹ 6,42,292.28 लाख की हानि को बुक किया गया है। |
| | | 31-10-2019 से | | | | | | | |
| | | 2021-22 | शून्य | शून्य | शून्य | शून्य | शून्य | शून्य | |
| | | 2022-23 | शून्य | शून्य | शून्य | शून्य | शून्य | शून्य | |
| | | | | | 5.00 | | | | |
| 34 | जम्मू एवं कश्मीर अवसंरचना विकास वित्त निगम | 30-10-2019 तक | 50,000 | 10.00 | 50.00 | 100 | शून्य | शून्य | मार्च 2021 को समाप्त अंतिम रूप से तैयार वित्तीय विवरण के अनुसार कंपनी द्वारा ₹23.00 लाख की हानि को बुक किया है। |
| | | 31-10-2019 से | | | | | | | |
| | | 2021-22 | शून्य | शून्य | शून्य | शून्य | शून्य | शून्य | |
| | | 2022-23 | शून्य | शून्य | शून्य | शून्य | शून्य | शून्य | |
| | | | | | 50.00 | | | | |

19. सरकार के निवेशों का विस्तृत विवरण-(जारी)

| अनुभाग 1: वर्ष 2022-23 के दौरान निवेशों का विवरण-(जारी) | | | | | | | | | | |
|--|---|--|----------------|---------------------------------------|--------------|---|---|--|---|---|
| (बोल्ड आँकड़े संघ राज्य क्षेत्र जम्मू एवं कश्मीर में अभी भी प्रभाजित किए जाने एवं प्रतिधारित किए जाने वाले 30 अक्टूबर 2019 तक के निवेश को दर्शाते हैं) | | | | | | | | | | |
| क्र. सं. | समुद्र्यम का नाम | निवेश का वर्ष | निवेश का विवरण | | निवेशित राशि | कुल प्रदत्त पूँजी पर सरकार का निवेश प्रतिशत | वर्ष के दौरान सरकारी खाते में जमा एवं प्राप्त लाभांश/ ब्याज | घोषित सरकारी खाते में जमा न किए गए लाभांश/ ब्याज | अभ्युक्तियाँ | |
| | | | प्रकार | शेयरों की संख्या/ ऋण पत्रों की संख्या | | | | | | प्रत्येक अंश/ ऋण पत्र का अंकित मूल्य |
| (₹ लाख में) | | | | | | | | | | |
| III सरकारी कंपनियाँ-(जारी) | | | | | | | | | | |
| कार्यशील कंपनियाँ-(समाप्त) | | | | | | | | | | |
| 35 | जम्मू एवं कश्मीर, आईटी अवसंरचना विकास निगम, जम्मू | 30-10-2019 तक 31-10-2019 से 2021-22 2022-23 | 50,000 | 10.00 | 50.00 | 100 | शून्य | शून्य | वर्ष 2021-22 हेतु लेखापरीक्षित लेखाओं के अनुसार, कंपनी ने ₹ 32.84 लाख की हानि बुक की। | |
| | | | शून्य | शून्य | शून्य | शून्य | शून्य | शून्य | | |
| | | | | शून्य | शून्य | शून्य | शून्य | शून्य | | |
| | | | 50.00 | | | | | | | |
| 36 | जम्मू एवं कश्मीर वन विकास निगम लिमिटेड | 1979-80 से 30-10-2019 से 2021-22 2022-23 | साधारण | शेयरों को जारी नहीं किया गया | लागू नहीं | 903.00 | 100.00 | शून्य | शून्य | 1 जुलाई 1979 को निगम को निगमित किया गया तथा भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक को 1996-97 में लेखापरीक्षा सौंपी गई। जम्मू एवं कश्मीर राज्य वन अधिनियम, 2013 को हटाने के पश्चात दिसंबर 2020 में कम्पनी अधिनियम, 2013 के अन्तर्गत एक सरकारी कम्पनी के रूप में निगमित किया गया। वर्ष 2020-21 हेतु लेखापरीक्षित लेखाओं के अनुसार, निगम को ₹ 1,091.74 लाख की हानि हुई। कंपनी को 01.06.2021 को निगमित किया गया है। जेकेपीडीसी के द्वारा निवेश किया गया। इसमें पूर्व के वित्तीय वर्ष का 4,900.00 लाख निवेश सम्मिलित है। |
| | | | शून्य | शून्य | शून्य | शून्य | शून्य | शून्य | | |
| | | | शून्य | शून्य | शून्य | शून्य | शून्य | शून्य | | |
| | | | 903.00 | | | | | | | |
| 37 | रैटल जलविद्युत ऊर्जा निगम लिमिटेड | 01.06.2021 से 2021-22 2022-23 | इक्विटी | लागू नहीं | लागू नहीं | लागू नहीं | | लागू नहीं | लागू नहीं | |
| | | | | 23,23,00,000 | 10.00 | 23,230.00 | | शून्य | शून्य | |
| | | | | | | 23,230.00 | | | | |
| | | | | | 86,051.13 | | | | | |
| III सरकारी कंपनियाँ-(समाप्त) | | | | | 86,051.13 | | | | | |
| कुल सरकारी कंपनियाँ (कार्यशील कंपनियाँ) | | | | | 4,15,529.15 | | | | | |

19. सरकार के निवेशों का विस्तृत विवरण-(जारी)

| अनुभाग 1: वर्ष 2022-23 के दौरान निवेशों का विवरण-(जारी) | | | | | | | | | | |
|--|-----------------------------|---|----------------|---------------------------------------|--------------|-------------|---------------|---|--------------|--|
| (बोल्ड आँकड़े संघ राज्य क्षेत्र जम्मू एवं कश्मीर में अभी भी प्रभाजित किए जाने एवं प्रतिधारित किए जाने वाले 30 अक्टूबर 2019 तक के निवेश को दर्शाते हैं) | | | | | | | | | | |
| क्र. सं. | समुद्र्यम का नाम | निवेश का वर्ष | निवेश का विवरण | | निवेशित राशि | कुल प्रदत्त | वर्ष के दौरान | घोषित परंतु सरकारी खाते में जमा एवं प्राप्त | अभ्युक्तियाँ | |
| | | | प्रकार | शेयरों की संख्या/ ऋण पत्रों की संख्या | | | | | | |
| (₹ लाख में) | | | | | | | | | | |
| गैर-कार्यशील कंपनियाँ- | | | | | | | | | | |
| 1 | तवी स्कूटर लिमिटेड | 1976-77 से 30-10-2019 31-10-2019 से 2021-22 2022-23 | इक्विटी | 8,04,000 | 10 | 80.40 | 100.00 | शून्य | शून्य | उद्योग और वाणिज्य विभाग द्वारा उपलब्ध कराई गई सूचना के अनुसार, कंपनी को मेसर्स मेडले फार्मास्युटिकल्स प्राइवेट लिमिटेड को नवंबर 2004 में बेच दिया गया। जुलाई 2004 में आयोजित एपेक्स प्रोजेक्ट क्लीयरेंस कमेटी की 9वीं बैठक में मामले को स्वीकृति दी गई थी। |
| | | | | | | 80.40 | | | | |
| 2 | हिमालय वूल कॉम्बर्स लिमिटेड | 1977-78 से 30-10-2019 31-10-2019 से 2021-22 2022-23 | इक्विटी | 1,36,500 | 100 | 136.50 | 100.00 | शून्य | शून्य | कंपनी को दिनांक 16.08.2000 के कैबिनेट निर्णय सं. 129/12 के माध्यम से 2000-2001 में बंद किया गया तथा वर्ष 2000-01 हेतु लेखा बकाया था। कंपनी 2003 से परिसमापक की अभिरक्षा में है। |
| | | | | | | 136.50 | | | | |

19. सरकार के निवेशों का विस्तृत विवरण-(जारी)

| अनुभाग 1: वर्ष 2022-23 के दौरान निवेशों का विवरण-(जारी) | | | | | | | | | | |
|--|---|--|----------------|---------------------------------------|--------------|-------------------------------|---|--|--------------|--|
| (बोल्ड आँकड़े संघ राज्य क्षेत्र जम्मू एवं कश्मीर में अभी भी प्रभाजित किए जाने एवं प्रतिधारित किए जाने वाले 30 अक्टूबर 2019 तक के निवेश को दर्शाते हैं) | | | | | | | | | | |
| क्र. सं. | समुद्र्यम का नाम | निवेश का वर्ष | निवेश का विवरण | | निवेशित राशि | कुल प्रदत्त | वर्ष के दौरान सरकारी खाते में जमा एवं प्राप्त लाभांश/ ब्याज | घोषित सरकारी खाते में जमा न किए गए लाभांश/ ब्याज | अभ्युक्तियाँ | |
| | | | प्रकार | शेयरों की संख्या/ ऋण पत्रों की संख्या | | | | | | प्रत्येक अंश/ ऋण पत्र का अंकित मूल्य |
| (₹ लाख में) | | | | | | | | | | |
| गैर-कार्यशील कंपनियाँ-(समाप्त) | | | | | | | | | | |
| 3 | जम्मू एवं कश्मीर राज्य हथकरघा हस्तशिल्प कच्चा माल आपूर्ति संगठन लिमिटेड | 30-10-2019 तक 31-10-2019 से 2021-22 2022-23 | साधारण | 40,000 | 100 | 40.00 | 100.00 | शून्य | शून्य | कंपनी 2003 से परिसमापक की अभिरक्षा में है। |
| | | | | शून्य | शून्य | शून्य | शून्य | शून्य | शून्य | |
| | | | | लागू नहीं | लागू नहीं | लागू नहीं | लागू नहीं | लागू नहीं | लागू नहीं | |
| | | | | | | 40.00 | | | | |
| | | | | | | 256.90 | | | | |
| | | | | | | 86,051.13 | | | | |
| | | | | | | कुल III सरकारी कंपनियाँ | 4,15,786.05 | | | |
| IV संयुक्त स्टॉक कंपनियाँ | | | | | | | | | | |
| 1 | प्लाई बोर्ड इण्डस्ट्री लिमिटेड | 1961-62 से 30.10.2019 से 2021-22 2022-23 | साधारण | 50,000 | 10 | 5.00 | 20.00 | शून्य | शून्य | कम्पनी गैर-कार्यशील है |
| | | | | लागू नहीं | लागू नहीं | लागू नहीं | लागू नहीं | लागू नहीं | लागू नहीं | |
| | | | | लागू नहीं | लागू नहीं | लागू नहीं | लागू नहीं | लागू नहीं | लागू नहीं | |
| | | | | | | 5.00 | | | | |
| 2 | कश्मीर सेरामिक्स लिमिटेड | 1961-62 से 1970-71 2022-23 | साधारण | 29,400 | 100 | 29.40 | 49.00 | शून्य | शून्य | कम्पनी गैर-कार्यशील है |
| | | | | लागू नहीं | लागू नहीं | लागू नहीं | लागू नहीं | लागू नहीं | लागू नहीं | |
| | | | | | | - | | | | |
| | | | | | | कुल-IV संयुक्त स्टॉक कंपनियाँ | 34.40 | | | |

19. सरकार के निवेशों का विस्तृत विवरण-(जारी)

| अनुभाग 1: वर्ष 2022-23 के दौरान निवेशों का विवरण-(जारी) | | | | | | | | | | |
|--|---|--|----------------|--|--------------|---------------|---|------------------------------------|--------------|--|
| (बोल्ड आँकड़े संघ राज्य क्षेत्र जम्मू एवं कश्मीर में अभी भी प्रभाजित किए जाने एवं प्रतिधारित किए जाने वाले 30 अक्टूबर 2019 तक के निवेश को दर्शाते हैं) | | | | | | | | | | |
| क्र. सं. | समुद्र्यम का नाम | निवेश का वर्ष | निवेश का विवरण | | निवेशित राशि | कुल प्रदत्त | वर्ष के दौरान सरकारी खाते में जमा एवं प्राप्त | घोषित सरकारी खाते में जमा न किए गए | अभ्युक्तियाँ | |
| | | | प्रकार | शेयरों की संख्या/ ऋण पत्रों की संख्या | | | | | | प्रत्येक अंश/ ऋण पत्र का अंकित मूल्य |
| (₹ लाख में) | | | | | | | | | | |
| V सहकारी बैंकों/ सोसायटियों में निवेश - | | | | | | | | | | |
| 1 | जम्मू एवं कश्मीर राज्य सहकारी बैंक लिमिटेड, श्रीनगर | 1965-66 से 30-10-2019 से 31-10-2019 से 2021-22 2022-23 | साधारण | 68,45,000 | 1000 | 68.45 | 8.49 | शून्य | शून्य | वर्ष 2022-23 के बैंक लेखाओं को अंतिम रूप दिया गया। 31.03.2023 तक बैंक की संचित हानि ₹ 26,480.03 लाख रही। |
| | | | | शून्य | शून्य | शून्य | शून्य | शून्य | शून्य | |
| | | | | शून्य | शून्य | शून्य | शून्य | शून्य | शून्य | |
| | | | | | | 68.45 | | | | |
| 2 | नागरिक सहकारी बैंक लिमिटेड, जम्मू | 30-10-2019 तक 31-10-2019 से 2021-22 2022-23 | साधारण | 26,960 | 25 | 6.74 | 0.44 | शून्य | शून्य | वर्ष 2022-23 तक के लेखाओं (अलेखापरीक्षित) को अंतिम रूप दिया गया। बैंक द्वारा ₹ 18.34 लाख का लाभ सूचित किया गया है। |
| | | | | शून्य | शून्य | शून्य | शून्य | शून्य | शून्य | |
| | | | | शून्य | शून्य | शून्य | शून्य | शून्य | शून्य | |
| | | | | | | 6.74 | | | | |
| 3 | जम्मू केन्द्रीय सहकारी बैंक लिमिटेड, जम्मू | 1962-63 से 30-10-2019 से 31-10-2019 से 2021-22 2022-23 | साधारण | | | 150.50 | 41.08 | शून्य | शून्य | वर्ष 2022-23 के बैंक लेखाओं को अंतिम रूप दिया गया। बैंक की संचित हानि ₹ 22,768.97 लाख रही। |
| | | | | शून्य | शून्य | 18,014.01 | शून्य | शून्य | शून्य | |
| | | | | शून्य | शून्य | 18,014.01 | शून्य | शून्य | शून्य | |
| | | | | - | - | 150.50 | | | | |

19. सरकार के निवेशों का विस्तृत विवरण-(जारी)

| अनुभाग 1: वर्ष 2022-23 के दौरान निवेशों का विवरण-(जारी) | | | | | | | | | | |
|--|--|--------------------------------|----------------|---------------------------------------|--------------|---|--|---|--------------|--|
| (बोल्ड आंकड़े संघ राज्य क्षेत्र जम्मू एवं कश्मीर में अभी भी प्रभाजित किए जाने एवं प्रतिधारित किए जाने वाले 30 अक्टूबर 2019 तक के निवेश को दर्शाते हैं) | | | | | | | | | | |
| क्र. सं. | समुद्यम का नाम | निवेश का वर्ष | निवेश का विवरण | | निवेशित राशि | कुल प्रदत्त पूँजी पर सरकार का निवेश प्रतिशत | वर्ष के दौरान सरकारी खाते में जमा एवं प्राप्त लाभ/ ब्याज | घोषित परंतु सरकारी खाते में जमा न किए गए लाभ/ ब्याज | अभ्युक्तियाँ | |
| | | | प्रकार | शेयरों की संख्या/ ऋण पत्रों की संख्या | | | | | | प्रत्येक अंश/ ऋण पत्र का अंकित मूल्य |
| (₹ लाख में) | | | | | | | | | | |
| V सहकारी बैंकों/ सोसायटियों में निवेश-(जारी) | | | | | | | | | | |
| 4 | शहरी सहकारी बैंक लिमिटेड, अनंतनाग | 30-10-2019 तक 31-10-2019 से | साधारण | 285 | 1000 | 2.85 | 24.97 | शून्य | शून्य | वर्ष 2022-23 के लेखाओं को अंतिम रूप दिया गया। वर्ष के दौरान अर्जित लाभ ₹ 2.05 लाख रहा। |
| | | 2021-22 | | शून्य | शून्य | शून्य | शून्य | शून्य | शून्य | |
| | | 2022-23 | | शून्य | शून्य | शून्य | शून्य | शून्य | शून्य | |
| | | | | | | 2.85 | | | | |
| 5 | बारामूला केन्द्रीय सहकारी बैंक लिमिटेड | 30-10-2019 तक 31-10-2019 से | साधारण | 2,715 | 1000 | 27.15 | 34.43 | शून्य | शून्य | वर्ष 2022-23 के लेखाओं को अंतिम रूप दिया गया। संचयी हानि ₹ 16,597.50 लाख रही। |
| | | 2021-22 | | 5,63,600 | 1,000 | 5,636.00 | शून्य | शून्य | शून्य | |
| | | 2022-23 | | शून्य | | शून्य | शून्य | शून्य | शून्य | |
| | | | | | | 27.15 | | | | |
| 6 | जम्मू एवं कश्मीर राज्य सहकारी कृषि एवं ग्रामीण विकास बैंक लिमिटेड, श्रीनगर | 30-10-2019 तक 31-10-2019 से | साधारण | | | 2,637.40 | 87.20 | शून्य | शून्य | वर्ष 2021-22 के लेखाओं को अंतिम रूप दिया गया। संचयी हानि ₹ 13,976.57 लाख रही। |
| | | 2021-22 | | शून्य | शून्य | शून्य | शून्य | शून्य | शून्य | |
| | | 2022-23 | | शून्य | शून्य | शून्य | शून्य | शून्य | शून्य | |
| | | | | | | 2,637.40 | | | | |

19. सरकार के निवेशों का विस्तृत विवरण-(जारी)

| अनुभाग 1: वर्ष 2022-23 के दौरान निवेशों का विवरण-(समाप्त) | | | | | | | | | | |
|--|--|--|--------------------------------|---------------------------------------|--------------------------------------|--------------------------|---|--|---|--|
| (बोल्ड आँकड़े संघ राज्य क्षेत्र जम्मू एवं कश्मीर में अभी भी प्रभाजित किए जाने एवं प्रतिधारित किए जाने वाले 30 अक्टूबर 2019 तक के निवेश को दर्शाते हैं) | | | | | | | | | | |
| क्र. सं. | समुद्र्यम का नाम | निवेश का वर्ष | निवेश का विवरण | | | निवेशित राशि | कुल प्रदत्त पूँजी पर सरकार का निवेश प्रतिशत | वर्ष के दौरान सरकारी खाते में जमा एवं प्राप्त लाभों/ ब्याज | घोषित परंतु सरकारी खाते में जमा न किए गए लाभों/ ब्याज | अभ्युक्तियाँ |
| | | | प्रकार | शेयरों की संख्या/ ऋण पत्रों की संख्या | प्रत्येक अंश/ ऋण पत्र का अंकित मूल्य | | | | | |
| (₹ लाख में) | | | | | | | | | | |
| V सहकारी बैंक/सोसायटियाँ में निवेश-(समाप्त) | | | | | | | | | | |
| 7 | जम्मू एवं कश्मीर हथकरघा कपड़ा विपणन सहकारी सोसायटी लिमिटेड | 30-10-2019 तक (31-10-2019 से 2021-22 2022-23) | साधारण | 508 | 100 | 0.51 | 33.66 | शून्य | शून्य | कंपनी क्रियाशील नहीं है। |
| | | | प्रतीक्षित | प्रतीक्षित | प्रतीक्षित | प्रतीक्षित | प्रतीक्षित | प्रतीक्षित | प्रतीक्षित | |
| | | | शून्य | शून्य | शून्य | शून्य | शून्य | शून्य | शून्य | |
| | | | | | | 0.51 | | | | |
| 8 | पंजीयक, सहकारी सोसायटी जम्मू एवं कश्मीर, श्रीनगर | 30-10-2019 तक (31-10-2019 से 2021-22 2022-23) | | | | 1,889.60 | | शून्य | शून्य | अधिष्ठान को केवल जम्मू एवं कश्मीर सरकार से अनुदान प्राप्त हुई। |
| | | | प्रतीक्षित | प्रतीक्षित | प्रतीक्षित | प्रतीक्षित | प्रतीक्षित | प्रतीक्षित | प्रतीक्षित | |
| | | | शून्य | शून्य | शून्य | शून्य | शून्य | शून्य | शून्य | |
| | | | | | | 1,889.60 | | | | |
| | | | | | | 23,985.21 ^(क) | | | | |
| | | | कुल V- सहकारी बैंक/ सोसायटियाँ | | | 4,783.20 | | | | |
| | | | | | | 1,31,158.92 | | | | |
| | | | कुल योग I+II+III+IV+V | | | 4,62,016.28 | | | | |

(क) पंजीयक सहकारी सोसायटी जम्मू एवं कश्मीर सरकार द्वारा सूचित ₹ 335.20 निवेश सम्मिलित हैं, तथापि बैंक सोसायटी वार ब्याज प्रतीक्षित हैं।

19. सरकार के निवेशों का विस्तृत विवरण-(समाप्त)

अनुभाग 2:- वर्ष 2022-23 के दौरान मुख्य एवं लघु शीर्षवार निवेशों का विवरण

(केवल वही मामले जिनके आँकड़े विवरण सं. 16 में दर्शाये गये आँकड़ों से मेल नहीं खाते)

(बोल्ड आँकड़े जम्मू एवं कश्मीर संघ राज्य क्षेत्र में अभी भी प्रभाजित किए जाने एवं प्रतिधारित किए जाने वाले 30 अक्टूबर 2019 तक के निवेश को दर्शाते हैं)

| विवरण सं. 19 की क्रम संख्या | मुख्य/ लघु शीर्ष | 31 मार्च 2022 की समाप्ति पर निवेश | वर्ष 2022-23 के दौरान निवेश | वर्ष 2022-23 के दौरान विनिवेश | 31 मार्च 2023 की समाप्ति पर निवेश (ज) |
|--------------------------------------|------------------|--------------------------------------|--------------------------------|-------------------------------------|--|
| | | | | | (₹ लाख में) |
| I/1 | 4885 190 | - | - | - | - |
| | | 40.66 | | | 40.66 |
| I/2 | 5055 190 | 19,190.58 | 200.00 | - | 19,390.58 |
| | | 16,880.44 | | | 16,880.44 |
| II/2 | 5465 190 | - | - | - | - |
| | | 54,064.30 | | | 54,064.30 |
| III/6/12 | 4852 190 | 1,079.79 | 429.08 | - | 1,508.87 |
| | | 697.50 | | | 697.50 |
| III/11 | 4853 190 | 541.07 | 96.68 | - | 637.75 |
| | | 2,522.02 | | | 2,522.02 |
| III/15 | 4225 190 | - | - | - | - |
| | | 510.00 | | | 510.00 |
| III/18 | 4235 190 | 565.65 | 222.22 | - | 787.87 |
| | | 1,916.63 | | | 1,916.63 |
| V/6 | 4425 190 | 2,162.89 | 289.73 | - | 2,452.62 |
| | | 26,518.50 | | | 26,518.50 |
| V/8 | 4425 190 | - | - | - | - |
| | | 368.70 | | | 368.70 |
| III/25/26 | 4217 190 | - | 1,849.18 | | 1,849.18 |
| | | - | | | - |

(ज) कृपया "वित्त लेखाओं पर टिप्पणियाँ" के खंड- I के पैरा 3 (viii) का अवलोकन करें।

20. सरकार द्वारा दी गयी प्रत्याभूतियों का विस्तृत विवरण

क श्रेणी वार ब्योरा: [1]

| क्र. सं. | क्षेत्रक (प्रत्याभूतियों की संख्या कोष्ठक में) | वर्ष के दौरान प्रत्याभूतित अधिकतम राशि | | 1 अप्रैल 2022 के आरंभ में बकाया | | वर्ष 2022-23 के दौरान परिवर्धन | | वर्ष 2022-23 के दौरान लोप | | वर्ष 2022-23 के दौरान लागू किया गया | | 31 मार्च 2023 के अंत में बकाया | | प्रत्याभूति कमीशन एवं शुल्क | | अन्य महत्त्वपूर्ण ब्योरा |
|----------|--|--|-------|---------------------------------|-------|--------------------------------|-------|---------------------------|-------|-------------------------------------|--------------|--------------------------------|-------|-----------------------------|---------|--------------------------|
| | | मूलधन | ब्याज | मूलधन | ब्याज | मूलधन | ब्याज | मूलधन | ब्याज | उन्मोचित | गैर-उन्मोचित | मूलधन | ब्याज | प्राप्त | प्राप्य | |

(₹ लाख में)

श्रेणी-वार ब्योरा सरकार से प्रतीक्षित (जुलाई 2023)।

20. सरकार द्वारा दी गयी प्रत्याभूतियों का विस्तृत विवरण- (जारी)

(बोल्ड आंकड़े जम्मू एवं कश्मीर संघ राज्य क्षेत्र में अभी तक प्रभाजित एवं प्रतिधारित की जाने वाली 30 अक्टूबर 2019 के अंत तक की प्रत्याभूति को दर्शाते हैं।)

| ख- प्रत्येक श्रेणी हेतु क्षेत्र वार विवरण | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|--|---------------------------------------|-------|------------------------------------|-------|--------------------------------|-------|---------------------------|-------|-------------------------------------|--------------|--------------------------------|------------|-----------------------------|---------|--------------------------|------------|
| क्र. सं. | क्षेत्रक (कोष्ठक में प्रत्याभूतियों की संख्या) | वर्ष के दौरान अधिकतम प्रत्याभूति राशि | | 1 अप्रैल 2022 के प्रारंभ में बकाया | | वर्ष 2022-23 के दौरान परिवर्धन | | वर्ष 2022-23 के दौरान लोप | | वर्ष 2022-23 के दौरान लागू किया गया | | 31 मार्च 2023 को अंत में बकाया | | प्रत्याभूति कमीशन एवं शुल्क | | अन्य महत्त्वपूर्ण ब्योरा | |
| | | मूलधन | ब्याज | मूलधन | ब्याज | मूलधन | ब्याज | मूलधन | ब्याज | उन्मोचित | गैर-उन्मोचित | मूलधन | ब्याज | प्राप्त | प्राप्त | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | प्रतीक्षित |
| 1 विद्युत (3)* | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| (i) जम्मू एवं कश्मीर राज्य विद्युत बोर्ड | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| [1] | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | आरईसी लिमिटेड/ भारतीय जीवन बीमा निगम/ विद्युत वित्त निगम से प्राप्त बंधपत्रों को जारी करने से ऋण/ बाजार उधार राशि के पुनर्भुगतान हेतु प्रत्याभूति | 65,370.00 | - | 22,931.00 | - | - | - | - | - | - | - | - | 22,931.00 | - | - | - | - |
| (ii) जम्मू एवं कश्मीर विद्युत विकास निगम | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | विद्युत वित्त निगम (पीएफसी), ग्रामीण विद्युतीकरण निगम (आरईसी) एचयूडीसीओ, जम्मू एवं कश्मीर बैंक लिमिटेड, केनरा बैंक और सैन्ट्रल बैंक ऑफ इण्डिया द्वारा बॉण्ड, निवेश और लिये गये ऋण के संबंध में प्रत्याभूति प्रदान की गयी है। | 89,999.00 | - | 1,20,983.00 | - | - | - | 30,984.00 | - | - | - | - | 89,999.00 | - | - | - | - |
| | | प्रतीक्षित | | प्रतीक्षित | - | प्रतीक्षित | - | प्रतीक्षित | - | - | - | - | प्रतीक्षित | - | - | - | - |

(₹ लाख में)

* विवरण संख्या 20 में कोष्ठकों में आंकड़े संस्थानों की संख्या को इंगित करते हैं।

[1] 2004 के सरकारी आदेश संख्या 37-पीडीडी दिनांक 13-02-2004 द्वारा बोर्ड को समाप्त कर दिया गया और परिसंपत्तियाँ एवं देयताओं को विकास आयुक्त (विद्युत) को हस्तांतरित कर दिया गया।

20. सरकार द्वारा दी गयी प्रत्याभूतियों का विस्तृत विवरण- (जारी)

(बोल्ड आँकड़े जम्मू एवं कश्मीर संघ राज्य क्षेत्र में अभी तक प्रभाजित एवं प्रतिधारित की जाने वाली 30 अक्टूबर 2019 के अंत तक की प्रत्याभूति को दर्शाते हैं।)

| ख- प्रत्येक श्रेणी हेतु क्षेत्र वार विवरण | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---------------------------------------|----------|------------------------------------|----------|--------------------------------|----------|---------------------------|----------|-------------------------------------|--------------|--------------------------------|---------------------|-----------------------------|----------|--------------------------|----------|
| क्र. सं. | क्षेत्रक (कोष्ठक में प्रत्याभूतियों की संख्या) | वर्ष के दौरान अधिकतम प्रत्याभूति राशि | | 1 अप्रैल 2022 के प्रारंभ में बकाया | | वर्ष 2022-23 के दौरान परिवर्धन | | वर्ष 2022-23 के दौरान लोप | | वर्ष 2022-23 के दौरान लागू किया गया | | 31 मार्च 2023 को अंत में बकाया | | प्रत्याभूति कमीशन एवं शुल्क | | अन्य महत्त्वपूर्ण ब्योरा | |
| | | मूलधन | ब्याज | मूलधन | ब्याज | मूलधन | ब्याज | मूलधन | ब्याज | उन्मोचित | गैर-उन्मोचित | मूलधन | ब्याज | प्राप्त | प्राप्त | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | प्रत्येक |
| 1 विद्युत (3)*-(समाप्त) | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | (iii) जम्मू एवं कश्मीर विद्युत विकास निगम लिमिटेड | 31,18,872.70 | - | 10,32,183.00 | - | 11,29,179.20 | - | - | - | - | - | - | 21,61,362.20 | - | - | - | - |
| | आरईसी, भारतीय जीवन बीमा निगम तथा विद्युत वित्तीय निगम से प्राप्त बंधपत्रों को जारी करने से बाजार उधारियों की उठायी गयी राशि और ऋण के पुनर्भुगतान के संबंध में | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | कुल-1 | 32,08,871.70 | - | 11,53,166.00 | - | 11,29,179.20 | - | 30,984.00 | - | - | - | - | 22,51,361.20 | - | - | - | - |
| | | 65,370.00 | | 22,931.00 | | - | | - | | - | | - | 22,931.00 | | - | | - |
| 2-क सहकारी बैंक (2)* | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | (i) जम्मू केन्द्रीय सहकारी बैंक लिमिटेड, जम्मू | - | - | (-) 400.00 | - | (-) 2800** | - | - | - | - | - | - | (-) 32,00.00 | - | - | - | - |
| | जम्मू एवं कश्मीर बैंक लिमिटेड से प्राप्त नकद क्रेडिट सीमा के पुनर्भुगतान हेतु राज्य सरकार द्वारा मार्च 2008 से ₹ 04 करोड़ की 20 समान किस्तों में पुनर्भुगतान किये जाने वाली प्रत्याभूति | - | - | 3,200.00 | - | - | - | - | - | - | - | - | 3,200.00 | - | - | - | - |

** जहां सरकार प्रतिभूतिदाता के रूप में है वहां बैंक ने किसी भी संस्थान से कोई ऋण नहीं लिया है, जहां सरकार प्रतिभूतिदाता के रूप में है और बैंक ने सरकार के साथ समझौता जापन हस्ताक्षर किए हैं वहां यह बैंक के प्रति जेएकेएफडी का यह दायित्व है कि वह बजट से प्रत्येक वर्ष ₹4.00 करोड़ के पुनर्भुगतान करे। हर साल. हालांकि, बैंक द्वारा दी गई जानकारी के अनुसार 31.03.2023 तक सरकार द्वारा दी गई प्रतिभूति शून्य है। अतः चालू वर्ष यानी 2022-23 में ₹(-)2,800.00 लाख हटाकर लेखा मिलान कर दिया गया है

(₹ लाख में)

20. सरकार द्वारा दी गयी प्रत्याभूतियों का विस्तृत विवरण- (जारी)

(बोल्ड आंकड़े जम्मू एवं कश्मीर संघ राज्य क्षेत्र में अभी तक प्रभाजित एवं प्रतिधारित की जाने वाली 30 अक्टूबर 2019 के अंत तक की प्रत्याभूति को दर्शाते हैं।)

| ख- प्रत्येक श्रेणी हेतु क्षेत्र वार विवरण | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|--|---------------------------------------|-------|------------------------------------|-------|--------------------------------|-------|---------------------------|-------|-------------------------------------|--------------|--------------------------------|-------|-----------------------------|---------|--------------------------|
| क्र. सं. | क्षेत्रक (कोष्ठक में प्रत्याभूतियों की संख्या) | वर्ष के दौरान अधिकतम प्रत्याभूति राशि | | 1 अप्रैल 2022 के प्रारंभ में बकाया | | वर्ष 2022-23 के दौरान परिवर्धन | | वर्ष 2022-23 के दौरान लोप | | वर्ष 2022-23 के दौरान लागू किया गया | | 31 मार्च 2023 को अंत में बकाया | | प्रत्याभूति कमीशन एवं शुल्क | | अन्य महत्त्वपूर्ण ब्योरा |
| | | मूलधन | ब्याज | मूलधन | ब्याज | मूलधन | ब्याज | मूलधन | ब्याज | उन्मोचित | गैर-उन्मोचित | मूलधन | ब्याज | प्राप्त | प्राप्त | |
| (₹ लाख में) | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2-क सहकारी बैंक (2)*-(समाप्त) | | | | | | | | | | | | | | | | |
| (ii) जम्मू एवं कश्मीर राज्य सहकारी कृषि एवं ग्रामीण विकास बैंक लिमिटेड, श्रीनगर | | | | | | | | | | | | | | | | |
| अन्य वित्तीय संस्थानों से प्राप्त ऋणों के पुनर्भुगतान हेतु प्रत्याभूति | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 10,216.00 | - | 336.72 | - | - | - | - | - | - | - | 336.72 | - | - | - | - |
| कुल-2 क | | | | (-) 400.00 | | (-) 2800 | | | | | | (-) 3200.00 | | | | |
| | | 10,216.00 | - | 3,536.72 | - | - | - | - | - | - | - | 3,536.72 | - | - | - | - |
| 2-ख सहकारी सोसाइटियाँ (4)* | | | | | | | | | | | | | | | | |
| (i) पंजीयक सहकारी सोसाइटियाँ, जम्मू एवं कश्मीर | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | शून्य | - | शून्य | - | शून्य | - | शून्य | - | - | - | शून्य | - | - | - | - |
| (ii) जम्मू सहकारी थोक बिक्री भण्डार, जम्मू | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | प्रतीक्षित | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| (iii) जम्मू एवं कश्मीर भूतपूर्व सैनिक स्टोर, जम्मू | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | प्रतीक्षित | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| (iv) जम्मू एवं कश्मीर सहकारी आपूर्ति और विपणन संघ, जम्मू | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | प्रतीक्षित | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| कुल-2 | | | | (-)400.00 | | (-)2,800.00 | | | | | | (-)3,200.00 | | | | |
| | | 10,216.00 | - | 3,536.72 | - | - | - | - | - | - | - | 3,536.72 | - | - | - | - |

20. सरकार द्वारा दी गयी प्रत्याभूतियों का विस्तृत विवरण- (जारी)

(बोल्ड आँकड़े जम्मू एवं कश्मीर संघ राज्य क्षेत्र में अभी तक प्रभाजित एवं प्रतिधारित की जाने वाली 30 अक्टूबर 2019 के अंत तक की प्रत्याभूति को दर्शाते हैं।)

| ख- प्रत्येक श्रेणी हेतु क्षेत्र वार विवरण | | | | | | | | | | | | | | | | |
|--|--|---------------------------------------|-------|------------------------------------|-------|--------------------------------|-------|---------------------------|-------|-------------------------------------|--------------|--------------------------------|-------|-----------------------------|---------|--------------------------|
| क्र. सं. | क्षेत्रक (कोष्ठक में प्रत्याभूतियों की संख्या) | वर्ष के दौरान अधिकतम प्रत्याभूति राशि | | 1 अप्रैल 2022 के प्रारंभ में बकाया | | वर्ष 2022-23 के दौरान परिवर्धन | | वर्ष 2022-23 के दौरान लोप | | वर्ष 2022-23 के दौरान लागू किया गया | | 31 मार्च 2023 को अंत में बकाया | | प्रत्याभूति कमीशन एवं शुल्क | | अन्य महत्त्वपूर्ण ब्योरा |
| | | मूलधन | ब्याज | मूलधन | ब्याज | मूलधन | ब्याज | मूलधन | ब्याज | उन्मोचित | गैर-उन्मोचित | मूलधन | ब्याज | प्राप्त | प्राप्त | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| (₹ लाख में) | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3 राज्य वित्तीय निगम (1) | | | | | | | | | | | | | | | | |
| (i) जम्मू एवं कश्मीर राज्य वित्तीय निगम | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | अल्पसंख्यक क्षेत्र के वित्तीय उद्यमियों के लिए एनएमडीएफसी से प्राप्त निधि | 1,200.00 | - | (-)8.55 | - | 2,175.00 | 50.00 | 801.00 | - | - | - | 1,365.45 | 50.00 | - | - | - |
| | कुल-3 | 5,000.00 | - | 4,502.87 | - | - | - | - | - | - | - | 4,502.87 | - | - | - | - |
| | | 1,200.00 | - | (-)8.55 | - | 2,175.00 | 50.00 | 801.00 | - | - | - | 1,365.45 | 50.00 | - | - | - |
| | कुल-3 | 5,000.00 | - | 4,502.87 | - | - | - | - | - | - | - | 4,502.87 | - | - | - | - |
| 4 अन्य संस्थान-(9)* | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 4-क निजी फर्म- (3)* | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | (i) वन पट्टाधारी | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | (ii) टेक्नोक्रेटस- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | (iii) टोंगा वाले | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | कुल-4(क) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 4-ख सरकारी कंपनियाँ (6)* | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | (i) जम्मू एवं कश्मीर अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति एवं अन्य पिछड़ा वर्गों विकास निगम लिमिटेड | 1,67,15.46 | - | 2,922.12 | - | 2,940.43 | - | 2,639.55 | - | - | - | 3,223.00 ^ | - | - | - | - |
| | अन्य वित्तीय संस्थानों से अनुबंधित दरों पर उठाये गये ऋणों के पुनर्भुगतान और ब्याज के भुगतान की प्रत्याभूति | - | - | 7,215.46 | - | - | - | - | - | - | - | 7,215.46 | - | - | - | - |

^ इनमे बकाया ऋणों पर ब्याज भी सम्मिलित है

20. सरकार द्वारा दी गयी प्रत्याभूतियों का विस्तृत विवरण- (जारी)

(बोर्ड ऑफ़ जम्मु एवं कश्मीर संघ राज्य क्षेत्र में अभी तक प्रभाजित एवं प्रतिधारित की जाने वाली 30 अक्टूबर 2019 के अंत तक की प्रत्याभूति को दर्शाते हैं।)

| ख- प्रत्येक श्रेणी हेतु क्षेत्र वार विवरण | | | | | | | | | | | | | | | | |
|--|---|---------------------------------------|-------|------------------------------------|--------|--------------------------------|-------|---------------------------|-------|-------------------------------------|--------------|--------------------------------|--------|-----------------------------|---------|--------------------------|
| क्र. सं. | क्षेत्रक (कोष्ठक में प्रत्याभूतियों की संख्या) | वर्ष के दौरान अधिकतम प्रत्याभूति राशि | | 1 अप्रैल 2022 के प्रारंभ में बकाया | | वर्ष 2022-23 के दौरान परिवर्धन | | वर्ष 2022-23 के दौरान लोप | | वर्ष 2022-23 के दौरान लागू किया गया | | 31 मार्च 2023 को अंत में बकाया | | प्रत्याभूति कमीशन एवं शुल्क | | अन्य महत्त्वपूर्ण ब्योरा |
| | | मूलधन | ब्याज | मूलधन | ब्याज | मूलधन | ब्याज | मूलधन | ब्याज | उन्मोचित | गैर-उन्मोचित | मूलधन | ब्याज | प्राप्त | प्राप्य | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 4 अन्य संस्थान (9)* (जारी) | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 4-ख सरकारी कंपनियाँ (6)**-(जारी) | | | | | | | | | | | | | | | | |
| (ii) जम्मु एवं कश्मीर महिला विकास निगम लिमिटेड | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | निगम लिमिटेड | 6,500.00 | - | 2,240.54 | - | 3,550.00 | - | 1,888.56 | - | - | - | 3,901.98 | - | - | - | - |
| | अन्य वित्तीय संस्थानों से उठाये गये ऋणों के पुनर्भूगतान हेतु प्रत्याभूति | 10,149.89 | - | 6,920.53 | - | - | - | - | - | - | - | 6,920.53 | - | - | - | - |
| (iii) हिमालयन वूल कॉम्बर्स लिमिटेड | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | अन्य वित्तीय संस्थानों से अनुबंधित दरों पर उठाये गये ऋणों के पुनर्भूगतान और ब्याज के भूगतान | 118.45 | - | 118.45 | 164.66 | - | - | - | - | - | - | 118.45 | 164.66 | - | - | - |
| (iv) जम्मु एवं कश्मीर राज्य हथकरघा हस्तशिल्प कच्चा माल आपूर्ति संगठन लिमिटेड | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 2000-01 के मंत्रिमण्डल निर्णय संख्या- 129/12 दिनांक 18-08-2010 के माध्यम से कंपनी बंद हो गई थी। | 40.00 | - | 40.00 | - | - | - | - | - | - | - | 40.00 | - | - | - | - |
| | संगठन लिमिटेड | - | - | (-40.00) | - | - | - | - | - | - | - | (-40.00) | - | - | - | - |
| (v) जम्मु एवं कश्मीर अवसरचना विकास वित्त निगम लिमिटेड | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | वित्त निगम लिमिटेड | 2,50,000.00 | - | 75,000.00 | - | 1,54,789.00** | - | - | - | - | - | 2,29,789.00 | - | - | - | - |
| | वित्तीय संस्थानों से लिए गए ऋण हेतु प्रत्याभूति दी गई | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |

(₹ लाख में)

** यह आंकड़े 01.04.2023 की बकाया शेष में से 31.03.2022 की बकाया शेष को घटाने के बाद प्राप्त हुए हैं।

20. सरकार द्वारा दी गयी प्रत्याभूतियों का विस्तृत विवरण- (जारी)

(बोल्ड आँकड़े जम्मू एवं कश्मीर संघ राज्य क्षेत्र में अभी तक प्रभाजित एवं प्रतिधारित की जाने वाली 30 अक्टूबर 2019 के अंत तक की प्रत्याभूति को दर्शाते हैं।)

| ख- प्रत्येक श्रेणी हेतु क्षेत्र वार विवरण | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---------------------------------------|-------|------------------------------------|---------------|--------------------------------|-------|---------------------------|-------|-------------------------------------|--------------|--------------------------------|------------------|-----------------------------|---------|--------------------------|---|
| क्र. सं. | क्षेत्रक (कोष्ठक में प्रत्याभूतियों की संख्या) | वर्ष के दौरान अधिकतम प्रत्याभूति राशि | | 1 अप्रैल 2022 के प्रारंभ में बकाया | | वर्ष 2022-23 के दौरान परिवर्धन | | वर्ष 2022-23 के दौरान लोप | | वर्ष 2022-23 के दौरान लागू किया गया | | 31 मार्च 2023 को अंत में बकाया | | प्रत्याभूति कमीशन एवं शुल्क | | अन्य महत्त्वपूर्ण ब्योरा | |
| | | मूलधन | ब्याज | मूलधन | ब्याज | मूलधन | ब्याज | मूलधन | ब्याज | उन्मोचित | गैर-उन्मोचित | मूलधन | ब्याज | प्राप्त | प्राप्य | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| (₹ लाख में) | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 4 अन्य संस्थान (9)*- (समाप्त) | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 4-ख सरकारी कंपनियों (6)*(समाप्त) | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| (vi) | जम्मू एवं कश्मीर, सीमेंट लिमिटेड | - | - | प्रतीक्षित | - | 343.43** | - | - | - | - | - | - | 343.43** | - | - | - | - |
| | सांबा परियोजना तथा जीएसटी देयता की निकासी के लिए ऋण उठाने हेतु प्रत्याभूति दी गई। | 4,804.00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | कुल-4 (ख) | 2,73,215.46 | - | 80,122.66 | - | 1,61,622.86 | - | 4,528.11 | - | - | - | - | 2,37,217.41 | - | - | - | - |
| | | 15,112.34 | - | 14,294.44 | 164.66 | | | | | | | | 14,294.44 | 164.66 | | | |
| | कुल-1+2+3+4 | 34,83,287.16 | - | 12,32,880.11 | - | 12,90,177.06 | 50.00 | 36,313.11 | - | - | - | - | 24,86,744.06 | \$ 50.00 | - | - | - |
| | | 95,698.34 | - | 45,265.03 | 164.66 | | | | | | | | 45,265.03 | 164.66 | | | |

(**) कंपनी द्वारा प्रदान की गई सूचनानुसार 31.03.2023 को बकाया शेष ₹ 343.43 लाख था। पिछले वर्ष बकाया शेष को प्रतिक्षित दर्शाया गया था, अतः 2022-23 के दौरान ₹ 343.43 लाख को अतिरिक्त दर्शाया गया है।

(\$) आँकड़े मिलान के अधीन हैं। (जुलाई 2023)

20. सरकार द्वारा दी गयी प्रत्याभूतियों का विस्तृत विवरण-(समाप्त)

व्याख्यात्मक टिप्पणी

(बोर्ड ऑफ़ जम्मू एवं कश्मीर संघ राज्य क्षेत्र में अभी तक प्रभाजित किए जाने एवं प्रतिधारित किए जाने वाले 30 अक्टूबर 2019 के अंत तक शेषों को दर्शाते हैं)

| | |
|---|--------------------|
| (क) प्रत्याभूति मोचन निधि: सरकार ने वर्ष 2005-06 में प्रत्याभूति मोचन निधि को स्थापित किया था। निधि का विस्तृत लेखा निम्नानुसार है: | (₹ लाख में) |
| (i) 31.03.2022 तक अथ शेष | 400.00 |
| | 2,042.00 |
| (ii) जोड़: वर्ष 2022-23 के दौरान निधि में हस्तांतरित राशि | 100.00 \$ |
| (iii) कुल | 500.00 |
| | 2,042.00 |
| (iv) घटाव: आहत प्रत्याभूतियों के उन्मोचन हेतु निधि से प्राप्त राशि | शून्य |
| (v) 31.03.2023 तक अंत शेष | 500.00 |
| | 2,042.00 |
| (vi) प्रत्याभूति से निर्मित निवेश की राशि | शून्य |
| (ख) अवलंबित प्रत्याभूतियों का विवरण | शून्य |
| (ग) वर्ष 2022-23 के दौरान जारी 'लैटर ऑफ़ कंफर्ट' का ब्योरा। | शून्य |

(\$) कृपया "वित्त लेखाओं पर टिप्पणियाँ" के पैरा -5 (ii) (बी) (ख) का संदर्भ लें।

21. आकस्मिकता निधि एवं अन्य लोक लेखा संव्यवहारों पर विस्तृत विवरण

| (बोर्ड ऑफ़े जम्मू एवं कश्मीर संघ राज्य क्षेत्र में अभी तक प्रभाजित किए जाने एवं प्रतिधारित किए जाने वाले 30 अक्टूबर 2019 के अंत तक के शेषों को दर्शाते हैं) | | | | | | | | |
|---|----------------------------|---|------------------------------|--------------------------|-----------------------------|--|--------------------------|--------------------|
| लेखा शीर्ष | 1 अप्रैल 2022 को अथ शेष | जम्मू एवं कश्मीर संघ राज्य क्षेत्र को आंबटित राशि | वर्ष के दौरान प्राप्तियाँ | वर्ष के दौरान संवितरण | 31 मार्च 2023 तक अंत शेष | वर्ष 2022-23 के दौरान निवल वृद्धि (+) कमी (-) | राशि | प्रतिशत |
| (₹ लाख में) | | | | | | | | |
| भाग-II आकस्मिकता निधि | | | | | | | | |
| 8000- आकस्मिकता निधि | | | | | | | | |
| 201 समेकित निधि से विनियोग | क्रे. | 2,500.00 | - | - | क्रे. | 2,500.00 | - | - |
| | क्रे. | 100.00 | | | क्रे. | 100.00 | | |
| कुल-भाग II-आकस्मिकता निधि | क्रे. | 2,500.00 | - | - | क्रे. | 2,500.00 | - | - |
| | क्रे. | 100.00 | | | क्रे. | 100.00 | | |
| भाग III-लोक लेखा- | | | | | | | | |
| झ- लघु बचतें, भविष्य निधियाँ इत्यादि- | | | | | | | | |
| (ख) राज्य भविष्य निधि- | | | | | | | | |
| 8009- राज्य भविष्य निधि- | | | | | | | | |
| <i>01- नागरिक-</i> | | | | | | | | |
| 101- सामान्य भविष्य निधि | क्रे. | 1,35,739.64 | - | 5,76,083.40 | 6,41,230.63 \$ | क्रे. | 70,592.41 \$ | (-)65,147.23 (-)48 |
| | क्रे. | 26,06,400.20 | | | | क्रे. | 24,65,261.20 # | |
| 102- अंशदायी भविष्य निधि | क्रे. | 97.12 | - | - | - | क्रे. | 97.12 | - |
| | क्रे. | 5,557.68 | | | | क्रे. | 5,557.68 | |
| 104- अखिल भारतीय सेवा भविष्य निधि | क्रे. | 15.73 | - | 28.50 | - | क्रे. | 44.23 | (+)28.50 * |
| | क्रे. | 3,528.61 | | | | क्रे. | 3,528.61 | |
| <i>कुल-01</i> | क्रे. | 1,35,852.49 | - | 5,76,111.90 (क) | 6,41,230.63 \$ | क्रे. | 70,733.76 \$ | (-)65,118.73 (-)48 |
| | क्रे. | 26,15,586.49 | | | | क्रे. | 24,74,447.49 # | |
| कुल-8009 | क्रे. | 1,35,852.49 | - | 5,76,111.90 | 6,41,230.63 \$ | क्रे. | 70,733.76 (ख)\$ | (-)65,118.73 (-)48 |
| | क्रे. | 26,15,586.49 | | | | क्रे. | 24,74,447.49 (ख)# | |
| कुल-(ख)- राज्य भविष्य निधि | क्रे. | 1,35,852.49 | - | 5,76,111.90 | 6,41,230.63 \$ | क्रे. | 70,733.76 \$ | (-)65,118.73 (-)48 |
| | क्रे. | 26,15,586.49 | | | | क्रे. | 24,74,447.49 # | |

(क) वर्ष 2022-23 के दौरान सरकार द्वारा भुगतान किया गया ₹ 1,83,196.04 लाख ब्याज सम्मिलित है। कृपया खण्ड-II के विवरण संख्या 15 में मुख्य शीर्ष- 2049 के नीचे पाद टिप्पणी का संदर्भ ले।

(ख) ऑफ़े समाधान (जुलाई 2023) के अधीन है।

(*) विवरण में 100 प्रति शत से अधिक।

(\$) इसमें तत्कालीन जम्मू-कश्मीर राज्य के पुनर्गठन के परिणामस्वरूप देयताओं के विनियोग के कारण संघ राज्य क्षेत्र लद्दाख को हस्तांतरित की गई ₹ 1,41,139.00 लाख की राशि भी सम्मिलित है।

(#) इसमें तत्कालीन जम्मू-कश्मीर राज्य के पुनर्गठन के परिणामस्वरूप देयताओं के विनियोग के कारण संघ राज्य क्षेत्र लद्दाख को हस्तांतरित की गई ₹ 1,41,139.00 लाख की राशि सम्मिलित नहीं है।

21. आकस्मिकता निधि एवं अन्य लोक लेखा संव्यवहारों पर विस्तृत विवरण-(जारी)

| (बोल्ड आँकड़े जम्मू एवं कश्मीर संघ राज्य क्षेत्र में अभी तक प्रभाजित किए जाने एवं प्रतिधारित किए जाने वाले 30 अक्टूबर 2019 के अंत तक के शेषों को दर्शाते हैं) | | | | | | | | |
|---|-----------------|----------------------|---------------|---------------|-----------------------|----------------------------|-------------|---------|
| लेखा शीर्ष | 1 अप्रैल 2022 | जम्मू एवं कश्मीर | वर्ष के दौरान | वर्ष के दौरान | 31 मार्च 2023 तक | वर्ष 2022-23 के दौरान निवल | | |
| | को अथ शेष | संघ राज्य क्षेत्र को | प्राप्तियाँ | संवितरण | अंत शेष | वृद्धि (+) कमी (-) | | |
| | | आंबटित राशि | | | | | राशि | प्रतिशत |
| | | | | | | | (₹ लाख में) | |
| भाग III-लोक लेखा-(जारी) | | | | | | | | |
| झ- लघु बचतें, भविष्य निधियाँ इत्यादि-(जारी) | | | | | | | | |
| (ग) अन्य लेखा- | | | | | | | | |
| 8011- बीमा एवं पेन्शन निधियाँ- | | | | | | | | |
| 105- राज्य सरकार बीमा निधि | ₹. 21,947.78 | - | 14,254.97 (ग) | 6,771.08 ^ | ₹. 29,431.67 ^ | (+7,483.89 | (+34 | |
| | ₹. 87,253.99 | | | | ₹. 85,753.99 # | | | |
| 106- अन्य निधि बीमा एवं पेन्शन- | | | | | | | | |
| (i) श्रीनगर नगरपालिका पेन्शन निधि | ₹. (-)5,952.15 | - | 3,371.71 | 5,443.28 | ₹. (-)8,023.72 (\$) | (-)2,071.57 | (-)35 | |
| | ₹. 1,083.12 | | | | ₹. 1,083.12 | | | |
| (ii) जम्मू नगरपालिका पेन्शन निधि | ₹. 855.30 | - | 5,405.00 | 3,358.17 | ₹. 2,902.13 | (+)2,046.83 | * | |
| | ₹. 3,855.44 | | | | ₹. 3,855.44 | | | |
| (iii) टीएसी/ एनएसी पेन्शन निधि | ₹. 5,727.83 | - | 6,505.55 | 6,257.28 | ₹. 5,976.10 | (+)248.27 | (+)04 | |
| | ₹. 8,174.58 | | | | ₹. 8,174.58 | | | |
| (iv) अन्य बीमा एवं पेन्शन निधियाँ | ₹. 710.09 | - | 599.77 | 558.95 | ₹. 750.91 | (+)40.82 | (+)06 | |
| | ₹. 208.00 | | | | ₹. 208.00 | | | |
| कुल-106 | ₹. 1,341.07 | - | 15,882.03 | 15,617.68 | ₹. 1,605.42 | (+)264.35 | (+)20 | |
| | ₹. 13,321.14 | | | | ₹. 13,321.14 | | | |
| कुल-8011 | ₹. 23,288.85 | - | 30,137.00 | 22,388.76 ^ | ₹. 31,037.09 ^ | (+)7,748.24 | (+)33 | |
| | ₹. 1,00,575.13 | | | | ₹. 99,075.23 # | | | |
| कुल-(ग)- अन्य लेखा | ₹. 23,288.85 | - | 30,137.00 | 22,388.76 ^ | ₹. 31,037.09 ^ | (+)7,748.24 | (+)33 | |
| | ₹. 1,00,575.13 | | | | ₹. 99,075.23 # | | | |
| कुल-झ- लघु बचतें, भविष्य निधियाँ आदि | ₹. 1,59,141.34 | - | 6,06,248.90 | 6,63,619.39 * | ₹. 1,01,770.85 (घ)* | (-)57,370.49 | (+)36 | |
| | ₹. 27,16,161.62 | | | | ₹. 25,73,522.62 (घ)** | | | |

(ग) वर्ष 2022-23 के दौरान सरकार द्वारा भुगतान किया गया ₹ 7,814.64 लाख ब्याज सम्मिलित है। कृपया खण्ड-II के विवरण संख्या 15 में मुख्य शीर्ष- 2049 के नीचे पाद टिप्पणी का संदर्भ ले।

(घ) आँकड़े मिलानाधीन हैं (जुलाई 2023)।

(ङ) 30 अक्टूबर 2019 (पुनर्गठन पूर्व) तक के शेषों के अप्रभाजन के कारण विवरण में ऋण शेष हैं।

(#) इसमें तत्कालीन जम्मू-कश्मीर राज्य के पुनर्गठन के परिणामस्वरूप देयताओं के विनियोग के कारण संघ राज्य क्षेत्र लद्दाख को हस्तांतरित की गई ₹ 1,500.00 लाख की राशि सम्मिलित नहीं है।

(^*) इसमें तत्कालीन जम्मू-कश्मीर राज्य के पुनर्गठन के परिणामस्वरूप देयताओं के विनियोग के कारण संघ राज्य क्षेत्र लद्दाख को हस्तांतरित की गई ₹ 1,500.00 लाख की राशि भी सम्मिलित है।

(*) इसमें तत्कालीन जम्मू-कश्मीर राज्य के पुनर्गठन के परिणामस्वरूप देयताओं के विनियोग के कारण संघ राज्य क्षेत्र लद्दाख को हस्तांतरित की गई ₹ 1,42,639.00 लाख की राशि भी सम्मिलित है।

(***) इसमें तत्कालीन जम्मू-कश्मीर राज्य के पुनर्गठन के परिणामस्वरूप देयताओं के विनियोग के कारण संघ राज्य क्षेत्र लद्दाख को हस्तांतरित की गई ₹ 1,42,639.00 लाख की राशि सम्मिलित नहीं है।

21. आकस्मिकता निधि एवं अन्य लोक लेखा संव्यवहारों पर विस्तृत विवरण-(जारी)

| (बोल्ड आँकड़े जम्मू एवं कश्मीर संघ राज्य क्षेत्र में अभी तक प्रभाजित किए जाने एवं प्रतिधारित किए जाने वाले 30 अक्टूबर 2019 के अंत तक के शेषों को दर्शाते हैं) | | | | | | | | | | |
|---|----------------------------|---|------------------------------|--------------------------|-----------------------------|----------------------------|--------------------|------------------------|--------------|-------|
| लेखा शीर्ष | 1 अप्रैल 2022 को अथ शेष | जम्मू एवं कश्मीर संघ राज्य क्षेत्र को आंबटित राशि | वर्ष के दौरान प्राप्तियाँ | वर्ष के दौरान संवितरण | 31 मार्च 2023 तक अंत शेष | वर्ष 2022-23 के दौरान निवल | | | | |
| | | | | | | वृद्धि (+) | कमी (-) | राशि | प्रतिशत | |
| (₹ लाख में) | | | | | | | | | | |
| भाग-III-लोक लेखा-(जारी) | | | | | | | | | | |
| त्र-आरक्षित निधियाँ- | | | | | | | | | | |
| (क) ब्याज वहन करने वाली आरक्षित निधियाँ- | | | | | | | | | | |
| 8121- सामान्य एवं अन्य आरक्षित निधियाँ- | | | | | | | | | | |
| 122- राज्य आपदा प्रतिक्रिया कोष | क्र. | 10,928.77 | - | 38,183.20 (ड) | 7,170.26 (घ) | क्र. | 41,941.71 | (+)31,012.94 | * | |
| | क्र. | 1,27,148.12 | | | | क्र. | 1,27,148.12 | | | |
| 126- राज्य आपदा प्रतिक्रिया कोष-निवेश लेखा | डे. | - | - | - | - | डे. | - | - | - | |
| | डे. | 1,086.07 | | | | डे. | 1,086.07 | | | |
| 129- राज्य प्रतिकर वनरोपण जमा | क्र. | 76,457.15 | - | - | - | क्र. | 76,457.15 | - | - | |
| | क्र. | - | | | | क्र. | - | | | |
| कुल-8121 | | | | | | | | | | |
| सकल शेष | क्र. | 87,385.92 | - | 38,183.20 | 7,170.26 | क्र. | 1,18,398.86 | (+)31,012.94 | (+)35 | |
| | क्र. | 1,27,148.12 | | | | क्र. | 1,27,148.12 | | | |
| निवेश | डे. | - | - | - | - | डे. | - | - | - | |
| | डे. | 1,086.07 | | | | डे. | 1,086.07 | | | |
| कुल-(क)-ब्याज वहन करने वाली आरक्षित निधियाँ | | | | | | | | | | |
| | सकल शेष | क्र. | 87,385.92 | - | 38,183.20 | 7,170.26 | क्र. | 1,18,398.86 (ड) | (+)31,012.94 | (+)35 |
| | | क्र. | 1,27,148.12 | | | | क्र. | 1,27,148.12 (ड) | | |
| | निवेश | डे. | - | - | - | - | डे. | - | - | - |
| | | डे. | 1,086.07 | | | | डे. | 1,086.07 (ड) | | |

(ड) मुख्य शीर्ष 2245-05-101-"आरक्षित निधि और जमाओं को हस्तांतरण " के डेबिट द्वारा ₹ 27,900.00 लाख भारत सरकार का अंश, ₹ 3,100.00 लाख संघ राज्य क्षेत्र का अंश तथा ₹ 7,183.20 लाख ब्याज को सम्मिलित करता है। निधि में प्रत्यक्ष रूप से क्रेडिट किए गए सम्मिलित हैं। कृपया विलेख लेखाओं पर टिप्पणियों के खण्ड -1 के पैरा 5 (ii) (अ) (क) का अवलोकन करें।

(घ) मुख्य शीर्ष 2245-05-901 "एसडीआरएफ से कटौती राशि " को कटौती डेबिट द्वारा हस्तांतरित राशि को दर्शाता है। कृपया "लेखाओं पर टिप्पणियों" खण्ड-II के विवरण संख्या 15 के मुख्य शीर्ष 2245 की पाद टिप्पणी क का संदर्भ लें।

(छ) शेष विचारधीन हैं (जुलाई 2023)

21. आकस्मिकता निधि एवं अन्य लोक लेखा संव्यवहारों पर विस्तृत विवरण-(जारी)

| (बोल्ड आँकड़े जम्मू एवं कश्मीर संघ राज्य क्षेत्र में अभी तक प्रभाजित किए जाने एवं प्रतिधारित किए जाने वाले 30 अक्टूबर 2019 के अंत तक के शेषों को दर्शाते हैं) | | | | | | | | | | |
|---|----------------------------|---|------------------------------|--------------------------|-----------------------------|----------------------------|-----------|-----------|----------------|----------------|
| लेखा शीर्ष | 1 अप्रैल 2022 को अथ शेष | जम्मू एवं कश्मीर संघ राज्य क्षेत्र को आंबटित राशि | वर्ष के दौरान प्राप्तियाँ | वर्ष के दौरान संवितरण | 31 मार्च 2023 तक अंत शेष | वर्ष 2022-23 के दौरान निवल | | राशि | प्रतिशत | |
| | | | | | | वृद्धि (+) कमी (-) | | | | |
| (₹ लाख में) | | | | | | | | | | |
| भाग-III- लोक लेखा -(जारी) | | | | | | | | | | |
| ज- आरक्षित निधियाँ-(जारी) | | | | | | | | | | |
| (ख) ब्याज वहन नहीं करने वाली आरक्षित निधियाँ- | | | | | | | | | | |
| 8222- ऋण शोधन निधियाँ | | | | | | | | | | |
| 01- ऋण परिहार या कमी हेतु विनियोजन | | | | | | | | | | |
| 101- ऋण शोधन निधियाँ | क्र. | 10,063.00 | - | 5,891.00 (ज) | - | क्र. | 15,954.00 | (+) | 5,891.00 (+)59 | |
| | क्र. | 35,586.76 | | | | क्र. | 35,586.76 | | | |
| | कुल-8222 | क्र. | 10,063.00 | - | 5,891.00 | - | क्र. | 15,954.00 | (+) | 5,891.00 (+)59 |
| | | क्र. | 35,586.76 | | | | क्र. | 35,586.76 | | |
| 8223- अकाल राहत कोष | | | | | | | | | | |
| 101- अकाल राहत कोष | क्र. | | - | - | - | क्र. | - | - | - | |
| | क्र. | 866.96 | | | | क्र. | 866.96 | | | |
| | कुल-8223 | क्र. | | - | - | - | क्र. | - | - | |
| | | क्र. | 866.96 | | | | क्र. | 866.96 | | |
| 8226- आरक्षित निधि का मूल्यहास/ नवीनीकरण | | | | | | | | | | |
| 101- सरकार के वाणिज्यिक विभागों/ उपक्रमों की | | | | | | | | | | |
| आरक्षित निधियों का मूल्यहास | क्र. | - | - | - | - | क्र. | - | - | - | |
| | क्र. | 57,379.34 | | | | क्र. | 57,379.34 | | | |
| 102- सरकार के गैर-वाणिज्यिक विभागों की आरक्षित | | | | | | | | | | |
| निधियों का मूल्यहास | क्र. | - | - | - | - | क्र. | - | - | - | |
| | क्र. | 7,285.99 | | | | क्र. | 7,285.99 | | | |
| | कुल-8226 | क्र. | | - | - | - | क्र. | | - | |
| | | क्र. | 64,665.33 | | | | क्र. | 64,665.33 | | |

(ज) मुख्य शीर्ष 2048-101-" ऋण शोधन निधि" से हस्तांतरित राशि को दर्शाता है। कृपया "वित्त लेखाओं पर टिप्पणी" के खण्ड - II के विवरण संख्या 15 में मुख्य शीर्ष-2048 के नीचे पाद टिप्पणी का संदर्भ लें।

21. आकस्मिकता निधि एवं अन्य लोक लेखा संव्यवहारों पर विस्तृत विवरण-(जारी)

| (बोल्ड आँकड़े जम्मू एवं कश्मीर संघ राज्य क्षेत्र में अभी तक प्रभाजित किए जाने एवं प्रतिधारित किए जाने वाले 30 अक्टूबर 2019 के अंत तक के शेषों को दर्शाते हैं) | | | | | | | | | |
|---|-------------------------|---|---------------------------|-----------------------|--------------------------|----------------------------|------|--------------|---------|
| लेखा शीर्ष | 1 अप्रैल 2022 को अथ शेष | जम्मू एवं कश्मीर संघ राज्य क्षेत्र को आंबटित राशि | वर्ष के दौरान प्राप्तियाँ | वर्ष के दौरान संवितरण | 31 मार्च 2023 तक अंत शेष | वर्ष 2022-23 के दौरान निवल | | राशि | प्रतिशत |
| | | | | | | वृद्धि (+) कमी (-) | | | |
| (₹ लाख में) | | | | | | | | | |
| भाग-III- लोक लेखा -(जारी) | | | | | | | | | |
| अ- आरक्षित निधियाँ-(समाप्त) | | | | | | | | | |
| (ख) ब्याज वहन नहीं करने वाली आरक्षित निधियाँ - | | | | | | | | | |
| 8229- विकास एवं कल्याण निधियाँ- | | | | | | | | | |
| 103- कृषि उद्देश्यों हेतु विकास निधियाँ | ₹. | - | - | - | ₹. | - | - | - | - |
| | ₹. | 4,052.06 | | | ₹. | 4,052.06 | | | |
| 109- सहकारी विकास निधियाँ | ₹. | - | - | - | ₹. | - | - | - | - |
| | ₹. | 0.10 | | | ₹. | 0.10 | | | |
| 200- अन्य विकास एवं कल्याण निधियाँ | ₹. | (-)10,372.21 ^ | 0.79 | 290.07 | ₹. | (-)10,661.49 | (\$) | (-)289.28 | (-)03 |
| | ₹. | 30,332.77 | | | ₹. | 30,332.77 | | | |
| कुल-8229 | ₹. | (-)10,372.21 ^ | 0.79 | 290.07 | ₹. | (-)10,661.49 | (\$) | (-)289.28 | (-)03 |
| | ₹. | 34,384.93 | | | ₹. | 34,384.93 | | | |
| 8235- सामान्य एवं अन्य आरक्षित निधियाँ- | | | | | | | | | |
| 105 समान्य बीमा निधि- जनता बीमा | ₹. | 3,700.73 | - | 7.35 | ₹. | 3,708.08 | | (+)7.35 | ^ |
| 112- राज्य आपदा प्रतिक्रिया निधि- निवेश लेखा | ₹. | - | | | ₹. | - | | | |
| | ₹. | 4,119.21 | | | ₹. | 4,119.21 | | | |
| 117- प्रत्याभूति मोचन निधि | ₹. | 400.00 | - | 100.00 (इ) | ₹. | 500.00 | | (+)100.00 | (+)25 |
| | ₹. | 2,042.00 | | | ₹. | 2,042.00 | | | |
| 200- अन्य निधियाँ | ₹. | 835.46 | - | 1,062.28 | ₹. | 1,674.09 | | (+)838.63 | (+)100 |
| | ₹. | 11,729.72 | | | ₹. | 11,729.72 | | | |
| कुल-8235 | ₹. | 4,936.19 | - | 1,169.63 | ₹. | 5,882.17 | | (+)945.98 | (+)19 |
| | ₹. | 17,890.93 | | | ₹. | 17,890.93 | | | |
| कुल-(ब)- ब्याज वहन न करने वाली आरक्षित निधियाँ | | | | | | | | | |
| | ₹. | 4,626.98 ^ | 7,061.42 | 513.72 | ₹. | 11,174.68 | | (+)6,547.70 | * |
| | ₹. | 1,53,394.91 | | | ₹. | 1,53,394.91 | | | |
| कुल-(अ) आरक्षित निधियाँ | | | | | | | | | |
| सकल शेष | ₹. | 92,012.90 | - | 45,244.62 | ₹. | 1,29,573.54 | | (+)37,560.64 | (+)41 |
| | ₹. | 2,80,543.03 | | | ₹. | 2,80,543.03 | | | |
| निवेश | ₹. | - | | | ₹. | - | | | |
| | ₹. | 1,086.07 | | | ₹. | 1,086.07 | | | |

(इ) एम एच 2075-800 "अन्य व्यय" से अंशदान के रूप में हस्तांतरित राशि को दर्शाता है। कृपया खण्ड-II विवरण सख्या -15 के मुख्य शीर्ष -2075 के नीचे पाद टिप्पणी तथा "वित्त लेखाओं पर टिप्पणियाँ" के खण्ड-I के पैरा 5 (ii) (ब) (ख) का भी अवलोकन करें।

(*) नगण्य

21. आकस्मिकता निधि एवं अन्य लोक लेखा संव्यवहारों पर विस्तृत विवरण-(जारी)

| (बोल्ड आँकड़े जम्मू एवं कश्मीर संघ राज्य क्षेत्र में अभी तक प्रभाजित किए जाने एवं प्रतिधारित किए जाने वाले 30 अक्टूबर 2019 के अंत तक के शेषों को दर्शाते हैं) | | | | | | | | | |
|---|------------------------------------|---|------------------------------|--------------------------|-----------------------------|----------------------------|--------------|--------------|-------------------|
| लेखा शीर्ष | 1 अप्रैल 2022 को अथ शेष | जम्मू एवं कश्मीर संघ राज्य क्षेत्र को आंबटित राशि | वर्ष के दौरान प्राप्तियाँ | वर्ष के दौरान संवितरण | 31 मार्च 2023 तक अंत शेष | वर्ष 2022-23 के दौरान निवल | | राशि | प्रतिशत |
| | | | | | | वृद्धि (+) कमी (-) | | | |
| (₹ लाख में) | | | | | | | | | |
| भाग-III- लोक लेखा-(जारी) | | | | | | | | | |
| ट-जमा एवं अग्रिम- | | | | | | | | | |
| (क) ब्याज वहन करने वाली जमाएं- | | | | | | | | | |
| 8336- नागरिक जमा- | | | | | | | | | |
| 103- राज्य प्रतिकर वनरोपण जमा- | ₹. | 48,380.99 ^ | - | 1,411.79 | - | ₹. | 49,792.78 | (+)1,411.79 | (+)03 |
| | ₹. | - | | | | ₹. | - | | |
| | कुल-8336 | ₹. | 48,380.99 | - | 1,411.79 | - | ₹. | 49,792.78 | (+)1,411.79 (+)03 |
| | | ₹. | - | | | | ₹. | - | |
| 8342- अन्य जमा | | | | | | | | | |
| 117- सरकारी कर्मचारियों हेतु परिभाषित अंशदायी | ₹. | 1,171.09 | - | 1,77,356.97 (अ) | 1,78,142.22 | ₹. | 385.84 | (-)785.25 | (-)67 |
| | ₹. | 5,367.44 | | | | ₹. | 5,367.44 | | |
| | कुल-8342 | ₹. | 1,171.09 | - | 1,77,356.97 | 1,78,142.22 | ₹. | 385.84 | (-)785.25 (-)67 |
| | | ₹. | 5,367.44 | | | | ₹. | 5,367.44 | |
| | कुल-(क)- ब्याज वहन करने वाली जमाएं | ₹. | 49,552.08 ^ | - | 1,78,768.76 | 1,78,142.22 | ₹. | 50,178.62 | (+)626.54 (+)01 |
| | | ₹. | 5,367.44 | | | | ₹. | 5,367.44 | |
| (ख) ब्याज वहन नहीं करने वाली जमाएं - | | | | | | | | | |
| 8443- सिविल जमा-(ट) | | | | | | | | | |
| 101- राजस्व जमा | ₹. | 4,201.93 | - | 74,437.06 | 61,833.65 | ₹. | 16,805.34 | (+)12,603.41 | * |
| | ₹. | 2,41,009.78 | | | | ₹. | 2,41,009.78 | | |
| 102- सीमा शुल्क और अफीम जमा | ₹. | - | - | - | - | ₹. | - | - | - |
| | ₹. | 7,090.86 | | | | ₹. | 7,090.86 | | |
| 103- सुरक्षा जमा | ₹. | 9,260.73 | - | 13,760.47 | 11,212.45 \$ | ₹. | 11,808.75 \$ | (+)2,548.02 | (+)28 |
| | ₹. | 15,961.11 | | | | ₹. | 9,987.11 # | | |
| 104- सिविल न्यायालयों की जमा राशियाँ | ₹. | 2,853.44 | - | 704.01 | 219.72 | ₹. | 3,337.73 | (+)484.29 | (+)17 |
| | ₹. | 25,434.61 | | | | ₹. | 25,434.61 | | |
| 105- आपराधिक न्यायालयों की जमा राशियाँ | ₹. | 31.66 | - | 14.61 | 5.14 | ₹. | 41.13 | (+)9.47 | (+)30 |
| | ₹. | 1,898.64 | | | | ₹. | 1,898.64 | | |

(अ) ₹ 77,156.27 लाख की कर्मचारी हिस्सेदारी और ₹ 1,00,200.70 लाख के सरकारी अंश को दर्शाता है। कृपया "वित्त लेखाओं पर टिप्पणियों" के खण्ड-1 के पैरा 5 (i) का अवलोकन करें।

(ट) कृपया विवरण सं 13 खण्ड-1 के नीचे व्याख्यात्मक टिप्पणी ख को देखें।

(\$) इसमें तत्कालीन जम्मू-कश्मीर राज्य के पुनर्गठन के परिणामस्वरूप देयताओं के विनियोग के कारण संघ राज्य क्षेत्र लद्दाख को हस्तांतरित की गई ₹ 5,974.00 लाख की राशि भी सम्मिलित है।

(#) इसमें तत्कालीन जम्मू-कश्मीर राज्य के पुनर्गठन के परिणामस्वरूप देयताओं के विनियोग के कारण संघ राज्य क्षेत्र लद्दाख को हस्तांतरित की गई ₹ 5,974.00 लाख की राशि सम्मिलित नहीं है।

21. आकस्मिकता निधि एवं अन्य लोक लेखा संव्यवहारों पर विस्तृत विवरण-(जारी)

| (बोल्ड आँकड़े जम्मू एवं कश्मीर संघ राज्य क्षेत्र में अभी तक प्रभाजित किए जाने एवं प्रतिधारित किए जाने वाले 30 अक्टूबर 2019 के अंत तक के शेषों को दर्शाते हैं) | | | | | | | | | |
|---|----------------------------|---|------------------------------|--------------------------|-----------------------------|----------------------------|------------|-----------|--|
| लेखा शीर्ष | 1 अप्रैल 2022 को अथ शेष | जम्मू एवं कश्मीर संघ राज्य क्षेत्र को आंबटित राशि | वर्ष के दौरान प्राप्तियाँ | वर्ष के दौरान संवितरण | 31 मार्च 2023 तक अंत शेष | वर्ष 2022-23 के दौरान निवल | | | |
| | | | | | | वृद्धि (+) कमी (-) | राशि | प्रतिशत | |
| (₹ लाख में) | | | | | | | | | |
| भाग III- लोक लेखा-(जारी) | | | | | | | | | |
| ट-जमा एवं अग्रिम-(जारी) | | | | | | | | | |
| (ख) ब्याज वहन नहीं वाली जमाएं-(जारी) | | | | | | | | | |
| 8443- सिविल जमा-(समाप्त) | | | | | | | | | |
| 108- लोक निर्माण कार्य जमा | ₹. 58,027.84 | - | 52,131.15 | 42,488.29 | ₹. 67,670.70 | (+)9,642.86 | (+) | 17 | |
| | ₹. 1,58,013.85 | | | | ₹. 1,58,013.85 | | | | |
| 109- वन जमाएं | ₹. - | - | - | - | ₹. - | - | - | - | |
| | ₹. 284.44 | | | | ₹. 284.44 | | | | |
| 111- अन्य विभागीय जमाएं | ₹. (-)7,151.05 | - | 1,246.21 | 1,232.56 | ₹. (-)7,137.40 (\$) | (+)13.64 | ^ | | |
| | ₹. 3,980.48 | | | | ₹. 3,980.48 | | | | |
| 115- सरकारी वाणिज्यिक उपक्रमों द्वारा प्राप्त जमाएं | ₹. - | - | - | - | ₹. - | - | - | - | |
| | ₹. 34.90 | | | | ₹. 34.90 | | | | |
| 116- विभिन्न केन्द्रीय एवं राज्य अधिनियमों के अधीन जमा - अनुबंधित श्रमिक (नियमन एवं उन्मूलन अधिनियम 1970) के अधीन जमा | ₹. - | - | - | - | ₹. - | - | - | - | |
| | ₹. 0.01 | | | | ₹. 0.01 | | | | |
| 118- सरकारी सेवकों द्वारा निजी निकायों हेतु किये गये कार्यों के लिए प्राप्त शुल्क | ₹. - | - | - | - | ₹. - | - | - | - | |
| | ₹. 0.20 | | | | ₹. 0.20 | | | | |
| 121- निर्वाचन संबंधी जमाएं | ₹. 155.70 | - | 1.00 | 1.88 | ₹. 154.82 | (-)0.88 | # | | |
| | ₹. 99.06 | | | | ₹. 99.06 | | | | |
| 123- शिक्षा संस्थानों की जमाएं | ₹. - | - | - | - | ₹. - | - | - | - | |
| | ₹. 264.63 | | | | ₹. 264.63 | | | | |
| 124- भविष्य निधि में गैर-दावाकृत जमाएं | ₹. - | - | - | - | ₹. - | - | - | - | |
| | ₹. 92.35 | | | | ₹. 92.35 | | | | |
| 800- अन्य जमा | ₹. 7,927.03 | - | 5,518.27 | 228.26 | ₹. 13,217.04 | (+)5,290.01 | (+) | 67 | |
| | ₹. 72,711.78 | | | | ₹. 72,711.78 | | | | |
| कुल-8443 | ₹. 75,307.28 | - | 1,47,812.78 | 1,17,221.95 \$ | ₹. 1,05,898.11 \$ | (+)30,590.83 | (+) | 41 | |
| | ₹. 5,26,876.70 | | | | ₹. 5,20,902.70 # | | | | |

(\$)

(#)

21. आकस्मिकता निधि एवं अन्य लोक लेखा संव्यवहारों पर विस्तृत विवरण-(जारी)

| (बोल्ड आँकड़े जम्मू एवं कश्मीर संघ राज्य क्षेत्र में अभी तक प्रभाजित किए जाने एवं प्रतिधारित किए जाने वाले 30 अक्टूबर 2019 के अंत तक के शेषों को दर्शाते हैं) | | | | | | | |
|---|----------------------------|---|------------------------------|--------------------------|-----------------------------|--|-----------------|
| लेखा शीर्ष | 1 अप्रैल 2022 को अथ शेष | जम्मू एवं कश्मीर संघ राज्य क्षेत्र को आंबटित राशि | वर्ष के दौरान प्राप्तियाँ | वर्ष के दौरान संवितरण | 31 मार्च 2023 तक अंत शेष | वर्ष 2022-23 के दौरान निवल वृद्धि (+) कमी (-) | राशि प्रतिशत |
| (₹ लाख में) | | | | | | | |
| भाग III- लोक लेखा-(जारी) | | | | | | | |
| ट-जमा एवं अग्रिम-(जारी) | | | | | | | |
| (ख) ब्याज वहन नहीं करने वाली जमाएं-(जारी) | | | | | | | |
| 8448- स्थानीय निधियों की जमाएं- | | | | | | | |
| 101- जिला निधियाँ | ₹. - | - | - | ₹. - | - | - | - |
| | ₹. 2,275.15 | - | - | ₹. 2,275.15 | - | - | - |
| 102- नगरपालिका निधियाँ | ₹. 25,287.08 | - | 1,00,320.99 | ₹. 91,671.84 | ₹. 33,936.23 | (+)8,649.15 | (+)34 |
| | ₹. 13,339.66 | - | - | ₹. 13,339.66 | - | - | - |
| 107- राज्य विद्युत बोर्ड कार्यकारी निधियाँ | ₹. - | - | - | ₹. - | - | - | - |
| | ₹. 79.04 | - | - | ₹. 79.04 | - | - | - |
| 108- राज्य आवास बोर्ड निधियाँ | ₹. - | - | - | ₹. - | - | - | - |
| | ₹. 8.07 | - | - | ₹. 8.07 | - | - | - |
| 109- पंचायत निकाय निधियाँ | ₹. - | - | - | ₹. - | - | - | - |
| | ₹. 27.48 | - | - | ₹. 27.48 | - | - | - |
| 110- शिक्षा निधियाँ | ₹. - | - | - | ₹. - | - | - | - |
| | ₹. 258.98 | - | - | ₹. 258.98 | - | - | - |
| 111- चिकित्सा एवं धर्मार्थ निधियाँ | ₹. - | - | - | ₹. - | - | - | - |
| | ₹. 58.02 | - | - | ₹. 58.02 | - | - | - |
| 113- लद्दाख स्वायत्त पर्वतीय विकास परिषद निधि | ₹. - | - | - | ₹. - | - | - | - |
| | ₹. 78,725.48 | - | - | ₹. 78,725.48 | - | - | - |
| 120- अन्य निधियाँ | ₹. (-)18,279.81 | - | - | ₹. (-)18,279.81 | ₹. (-)18,279.81 | - | - |
| | ₹. 7,044.76 | - | - | ₹. 7,044.76 | - | - | - |
| | ₹. 7,007.27 | - | 1,00,320.99 | ₹. 91,671.84 | ₹. 15,656.42 | (+)8,649.15 | * |
| कुल-8448 | ₹. 1,01,816.64 | - | - | ₹. 1,01,816.64 | - | - | - |
| 8449- अन्य जमाएं | | | | | | | |
| 103- केन्द्रीय सड़क एवं अवसंरचना निधि से प्राप्त संसाहायिकी | ₹. 36,713.97 | - | 34,361.00 (घ) | ₹. 3,469.87 (घ) | ₹. 67,605.10 | (+)30,891.13 | (+)84 |
| | ₹. 57,332.94 | - | - | ₹. 57,332.94 | - | - | - |

(घ) एम एच 3054-80-797 "आरक्षित निधि जमा को" से हस्तांतरित और एम एच -5054-80-902 "कटौती-केन्द्रीय सड़क एवं अवसंरचना निधि" से सरकारी अनुदान से हस्तांतरित राशि को दर्शाता है। कृपया विवरण संख्या 15 में एम एच-3054 तथा विवरण संख्या 16

खण्ड -II के एम एच -5054 के नीचे पाद टिप्पणियों का संदर्भ लें।

21. आकस्मिकता निधि एवं अन्य लोक लेखा संव्यवहारों पर विस्तृत विवरण-(जारी)

| (बोल्ड आँकड़े जम्मू एवं कश्मीर संघ राज्य क्षेत्र में अभी तक प्रभाजित किए जाने एवं प्रतिधारित किए जाने वाले 30 अक्टूबर 2019 के अंत तक के शेषों को दर्शाते हैं) | | | | | | | | | |
|---|---------------|----------------------|---------------|---------------|------------------|----------------------------|----------------------|--------------|-------|
| लेखा शीर्ष | 1 अप्रैल 2022 | जम्मू एवं कश्मीर | वर्ष के दौरान | वर्ष के दौरान | 31 मार्च 2023 तक | वर्ष 2022-23 के दौरान निवल | | | |
| | को अथ शेष | संघ राज्य क्षेत्र को | प्राप्तियाँ | संवितरण | अंत शेष | वृद्धि (+) कमी (-) | | | |
| | | | | | | राशि | प्रतिशत | | |
| (₹ लाख में) | | | | | | | | | |
| भाग III- लोक लेखा-(जारी) | | | | | | | | | |
| ट- जमा एवं अग्रिम-(समाप्त) | | | | | | | | | |
| (ख) ब्याज वहन नहीं करने वाली जमाएं-(समाप्त) | | | | | | | | | |
| 8449- अन्य जमा-(समाप्त) | | | | | | | | | |
| 123- राष्ट्रीय खनिज खोज ट्रस्ट जमा | ₹. | 23.58 | - | 23.29 | 76.43 | ₹. | (-)29.56 \$ | (-)49.14 | * |
| | ₹. | 29.57 | | | | ₹. | 29.57 | | |
| कुल-8449 | ₹. | 36,737.55 | - | 34,384.29 | 3,546.30 | ₹. | 67,575.54 | (+)30,837.99 | (+)84 |
| | ₹. | 57,362.51 | | | | ₹. | 57,362.51 | | |
| कुल-(ख)-ब्याज वहन नहीं करने वाली जमाएं | ₹. | 1,19,052.10 | - | 2,82,518.06 | 2,12,440.09 \$ | ₹. | 1,89,130.07 \$ | (+)70,077.97 | (+)59 |
| | ₹. | 6,86,055.85 | | | | ₹. | 6,80,081.85 # | | |
| (ग) अग्रिम- | | | | | | | | | |
| 8550- सिविल अग्रिम- | | | | | | | | | |
| 101- वन अग्रिम | ₹. | - | - | - | - | ₹. | - | - | - |
| | ₹. | 671.51 | | | | ₹. | 671.51 | | |
| 103- अन्य विभागीय अग्रिम | ₹. | - | - | - | - | ₹. | - | - | - |
| | ₹. | 212.25 | | | | ₹. | 212.25 | | |
| 104- अन्य अग्रिम | ₹. | - | - | - | - | ₹. | - | - | - |
| | ₹. | 385.43 | | | | ₹. | 385.43 | | |
| कुल-8550 | ₹. | - | - | - | - | ₹. | - | - | - |
| | ₹. | 1,269.19 | | | | ₹. | 1,269.19 | | |
| कुल-(ग)- अग्रिम | ₹. | - | - | - | - | ₹. | - | - | - |
| | ₹. | 1,269.19 | | | | ₹. | 1,269.19 | | |
| कुल-ट- जमा एवं अग्रिम | ₹. | 1,68,604.18 | - | 4,61,286.82 | 3,90,582.31 \$ | ₹. | 2,39,308.69 \$ | (+)70,704.51 | (+)42 |
| | ₹. | 6,90,154.10 | | | | ₹. | 6,84,180.10 # | | |
| ठ- उचित एवं विविध- | | | | | | | | | |
| (ख) उचित- | | | | | | | | | |
| 8658- उचित लेखा- | | | | | | | | | |
| 101- वेतन एवं लेखा कार्यालय का उचित | ₹. | 10,718.83 | - | 144.63 | 4,649.97 | ₹. | 15,224.17 | (+)4,505.34 | (+)42 |
| | ₹. | 33,926.93 | | | | ₹. | 33,926.93 | | |

(\$) इसमें तत्कालीन जम्मू-कश्मीर राज्य के पुनर्गठन के परिणामस्वरूप देयताओं के विनियोग के कारण संघ राज्य क्षेत्र लद्दाख को हस्तांतरित की गई ₹ 5,974.00 लाख की राशि भी सम्मिलित है।

(#) इसमें तत्कालीन जम्मू-कश्मीर राज्य के पुनर्गठन के परिणामस्वरूप देयताओं के विनियोग के कारण संघ राज्य क्षेत्र लद्दाख को हस्तांतरित की गई ₹ 5,974.00 लाख की राशि सम्मिलित नहीं है।

21. आकस्मिकता निधि एवं अन्य लोक लेखा संव्यवहारों पर विस्तृत विवरण-(जारी)

| (बोल्ड आँकड़े जम्मू एवं कश्मीर संघ राज्य क्षेत्र में अभी तक प्रभाजित किए जाने एवं प्रतिधारित किए जाने वाले 30 अक्टूबर 2019 के अंत तक के शेषों को दर्शाते हैं) | | | | | | | | | | |
|---|----------------------------|---|------------------------------|--------------------------|-----------------------------|----------------------------|----|------------------|--------------|-------|
| लेखा शीर्ष | 1 अप्रैल 2022 को अथ शेष | जम्मू एवं कश्मीर संघ राज्य क्षेत्र को आंबटित राशि | वर्ष के दौरान प्राप्तियाँ | वर्ष के दौरान संवितरण | 31 मार्च 2023 तक अंत शेष | वर्ष 2022-23 के दौरान निवल | | राशि | प्रतिशत | |
| | | | | | | वृद्धि (+) कमी (-) | | | | |
| (₹ लाख में) | | | | | | | | | | |
| भाग III- लोक लेखा-(जारी) | | | | | | | | | | |
| ठ- उचंत एवं विविध-(जारी) | | | | | | | | | | |
| (ख) उचंत-(जारी) | | | | | | | | | | |
| 8658- उचंत लेखा-(जारी) | | | | | | | | | | |
| 102- उचंत लेखा (सिविल) | ₹. | 3,151.70 | - | 22,480.94 | ₹. | 632.44 | ₹. | 18,696.80 | (+)21,849.71 | * |
| | ₹. | 7,911.24 | | | ₹. | | ₹. | 7,911.24 | | |
| 107- रोकड़ निपटान उचंत लेखा | ₹. | - | - | - | ₹. | - | ₹. | - | - | - |
| | ₹. | 669.05 | | | ₹. | | ₹. | 669.05 | | |
| 109- आरबीआई उचंत (एचक्यूआरएस) | ₹. | 31.42 | - | (-)9.32 | ₹. | 11.69 | ₹. | 10.41 | (-)21.01 | (-)67 |
| | ₹. | 303.73 | | | ₹. | | ₹. | 303.73 | | |
| 110- आरबीआई (केंद्रीय लेखा) | ₹. | 49.31 | - | - | ₹. | 32.39 | ₹. | 81.70 | (+)32.39 | (+)66 |
| | ₹. | 151.91 | | | ₹. | | ₹. | 151.91 | | |
| 111- विभागीय समायोजन लेखा | ₹. | 0.01 | - | - | ₹. | - | ₹. | 0.01 | - | - |
| 112- स्रोत पर कर कटौती (टीडीएस) उचंत | ₹. | 38,470.61 | - | 1,36,439.76 | ₹. | 1,24,897.04 | ₹. | 50,013.33 | (+)11,542.71 | (+)30 |
| | ₹. | 10,996.60 | | | ₹. | | ₹. | 10,996.60 | | |
| 113- भविष्य निधि उचंत | ₹. | - | - | - | ₹. | - | ₹. | - | - | - |
| | ₹. | 225.35 | | | ₹. | | ₹. | 225.35 | | |
| 120- अतिरिक्त महंगाई भत्ता जमा उचंत लेखा | ₹. | - | - | - | ₹. | - | ₹. | - | - | - |
| | ₹. | 152.56 | | | ₹. | | ₹. | 152.56 | | |
| 123- अखिल भारतीय सेवा अधिकारी समूह बीमा योजना | ₹. | 88.36 | - | 1.48 | ₹. | - | ₹. | 86.88 | (-)1.48 | (-)02 |
| | ₹. | 215.20 | | | ₹. | | ₹. | 215.20 | | |
| 136- सीमा शुल्क | ₹. | - | - | - | ₹. | - | ₹. | - | - | - |
| | ₹. | 67.00 | | | ₹. | | ₹. | 67.00 | | |
| 137- वेतन एवं लेखा कार्यालय उचंत | ₹. | - | - | - | ₹. | - | ₹. | - | - | - |
| | ₹. | 2,825.68 | | | ₹. | | ₹. | 2,825.68 | | |

21. आकस्मिकता निधि एवं अन्य लोक लेखा संव्यवहारों पर विस्तृत विवरण-(जारी)

| (बोल्ड आंकड़े जम्मू एवं कश्मीर संघ राज्य क्षेत्र में अभी तक प्रभाजित किए जाने एवं प्रतिधारित किए जाने वाले 30 अक्टूबर 2019 के अंत तक के शेषों को दर्शाते हैं) | | | | | | | | | |
|---|----------------------------|---|------------------------------|--------------------------|-----------------------------|----------------------------|----------------|--------------|-------|
| लेखा शीर्ष | 1 अप्रैल 2022 को अथ शेष | जम्मू एवं कश्मीर संघ राज्य क्षेत्र को आंबटित राशि | वर्ष के दौरान प्राप्तियाँ | वर्ष के दौरान संवितरण | 31 मार्च 2023 तक अंत शेष | वर्ष 2022-23 के दौरान निवल | | | |
| | | | | | | वृद्धि (+) कमी (-) | राशि | प्रतिशत | |
| (₹ लाख में) | | | | | | | | | |
| भाग III- लोक लेखा-(जारी) | | | | | | | | | |
| ठ- उच्चत एवं विविध-(जारी) | | | | | | | | | |
| (ख) उच्चत-(समाप्त) | | | | | | | | | |
| 8658- उच्चत लेखा-(समाप्त) | | | | | | | | | |
| 139- जीएसटी- स्रोत उच्चत पर कर कटौती | क्र. | 443.98 | - | 674.58 | 622.94 | क्र. | 495.62 | (+)51.64 | (+)12 |
| | डे. | - | | | | डे. | - | | |
| कुल-8658 | क्र. | 24,937.81 | - | 1,59,732.07 | 1,30,846.47 | क्र. | 53,823.41 | (+)28,885.60 | * |
| | डे. | 34,414.18 | | | | डे. | 34,414.18 | | |
| कुल-(ख)-उच्चत | क्र. | 24,937.81 | - | 1,59,732.07 | 1,30,846.47 | क्र. | 53,823.41 | (+)28,885.60 | * |
| | डे. | 34,414.18 | | | | डे. | 34,414.18 | | |
| (ग) अन्य लेखा- | | | | | | | | | |
| 8671- विभागीय शेष- | | | | | | | | | |
| 101- नागरिक | क्र. | 0.03 | - | - | - | क्र. | 0.03 | - | - |
| | डे. | 496.97 | | | | डे. | 496.97 | | |
| कुल-8671 | क्र. | 0.03 | - | - | - | क्र. | 0.03 | - | - |
| | डे. | 496.97 | | | | डे. | 496.97 | | |
| 8672- स्थायी रोकड़ अग्रदाय- | | | | | | | | | |
| 101- नागरिक | डे. | - | - | - | - | डे. | - | - | - |
| | डे. | 12.59 | | | | डे. | 12.59 | | |
| कुल-8672 | डे. | - | - | - | - | डे. | - | - | - |
| | डे. | 12.59 | | | | डे. | 12.59 | | |
| 8673- रोकड़ शेष निवेश लेखा- | | | | | | | | | |
| 101- रोकड़ शेष निवेश लेखा | क्र. | 0.01 | - | 22,73,852.53 | 22,73,852.53 | क्र. | 0.01 | - | - |
| | डे. | 38,391.91 | | | | डे. | 38,391.91 | | |
| कुल-8673 | क्र. | 0.01 | - | 22,73,852.53 | 22,73,852.53 | क्र. | 0.01 | - | - |
| | डे. | 38,391.91 | | | | डे. | 38,391.91 (**) | | |
| कुल-(ग)- अन्य लेखा | क्र. | 0.04 | - | 22,73,852.53 | 22,73,852.53 | क्र. | 0.04 | - | - |
| | डे. | 38,901.47 | | | | डे. | 38,901.47 | | |

(**) सरकार से निवेश का ब्याज प्रतीक्षित (जुलाई 2023)।

21. आकस्मिकता निधि एवं अन्य लोक लेखा संव्यवहारों पर विस्तृत विवरण-(जारी)

| (बोल्ड आँकड़े जम्मू एवं कश्मीर संघ राज्य क्षेत्र में अभी तक प्रभाजित किए जाने एवं प्रतिधारित किए जाने वाले 30 अक्टूबर 2019 के अंत तक के शेषों को दर्शाते हैं) | | | | | | | | |
|---|----------------------------|---|------------------------------|--------------------------|-----------------------------|--|-------------|---------|
| लेखा शीर्ष | 1 अप्रैल 2022 को अथ शेष | जम्मू एवं कश्मीर संघ राज्य क्षेत्र को आंबटित राशि | वर्ष के दौरान प्राप्तियाँ | वर्ष के दौरान संवितरण | 31 मार्च 2023 तक अंत शेष | वर्ष 2022-23 के दौरान निवल वृद्धि (+) कमी (-) | | |
| | | | | | | | राशि | प्रतिशत |
| | | | | | | | (₹ लाख में) | |
| भाग III- लोक लेखा-(जारी) | | | | | | | | |
| ठ- उचंत एवं विविध-(समाप्त) | | | | | | | | |
| (ड) विविध- | | | | | | | | |
| 8680- विविध सरकारी लेखे- | | | | | | | | |
| 102- लेखा शीर्ष के अंत शेष से बढ़े खाते में डालना | - | - | 1.00 | - | - | - | - | |
| कुल- 8680 | | | 1.00 | | | | | |
| कुल-(ड) विविध | - | - | 1.00 | - | - | - | - | |
| कुल-ठ - उचंत एवं विविध क्र. | 24,937.85 | - | 24,33,584.60 | 24,04,699.00 | क्र. 53,823.45 | (+)28,885.60 | * | |
| | | | 1.00 | | | | | |
| | ₹. 73,315.65 | | | | ₹. 73,315.65 | | | |
| ड-प्रेषण- | | | | | | | | |
| (क) धन आदेश एवं अन्य प्रेषण- | | | | | | | | |
| 8782- एक समान महालेखाकार/ लेखा अधिकारी को लेखा प्रदान करने वाले अधिकारियों के मध्य रोकड़ प्रेषण एवं समायोजन- | | | | | | | | |
| कोषागारों एवं करेंसी चेस्ट्स (तिजोरियों) के मध्य रोकड़ प्रेषण | | | | | | | | |
| 101- कोषागारों एवं करेंसी चेस्ट्स (तिजोरियों) के मध्य रोकड़ प्रेषण | क्र. | - | - | - | क्र. | - | - | |
| | क्र. | 5,761.34 | - | - | क्र. | 5,761.34 | - | |
| 102- लोक निर्माण प्रेषण | क्र. | - | - | - | क्र. | - | - | |
| | क्र. | 46,041.57 | - | - | क्र. | 46,041.57 | - | |
| 103- वन प्रेषण | क्र. | - | - | - | क्र. | - | - | |
| | क्र. | 5,285.62 | - | - | क्र. | 5,285.62 | - | |
| 104- सरकारी वाणिज्यिक उपक्रमों का प्रेषण | ₹. | - | - | - | ₹. | - | - | |
| | ₹. | 1,119.77 | - | - | ₹. | 1,119.77 | - | |
| 108- अन्य विभागीय प्रेषण | क्र. | - | - | - | क्र. | - | - | |
| | क्र. | 18,706.55 | - | - | क्र. | 18,706.55 | - | |

21. आकस्मिकता निधि एवं अन्य लोक लेखा संव्यवहारों पर विस्तृत विवरण-(जारी)

| (बोल्ड आँकड़े जम्मू एवं कश्मीर संघ राज्य क्षेत्र में अभी तक प्रभाजित किए जाने एवं प्रतिधारित किए जाने वाले 30 अक्टूबर 2019 के अंत तक के शेषों को दर्शाते हैं) | | | | | | | |
|---|---------------------------------|----------------------|--------------------|---------------|------------------|----------------------------|--------------------|
| लेखा शीर्ष | 1 अप्रैल 2022 | जम्मू एवं कश्मीर | वर्ष के दौरान | वर्ष के दौरान | 31 मार्च 2023 तक | वर्ष 2022-23 के दौरान निवल | |
| | को अथ शेष | संघ राज्य क्षेत्र को | प्राप्तियाँ | संवितरण | अंत शेष | वृद्धि (+) कमी (-) | |
| | | आंबटित राशि | | | | | |
| | | | | | | | राशि प्रतिशत |
| | | | | | | | (₹ लाख में) |
| भाग III- लोक लेखा-(जारी) | | | | | | | |
| ड-प्रेषण-(जारी) | | | | | | | |
| (क) धनादेश एवं अन्य प्रेषण-(समाप्त) | | | | | | | |
| एक समान महालेखाकार/ लेखा अधिकारी को लेखा | | | | | | | |
| 8782- प्रदान करने वाले अधिकारियों के मध्य रोकड़ प्रेषण | | | | | | | |
| एवं समायोजन- (समाप्त) | | | | | | | |
| 110- विविध प्रेषण | ₹. | 68,907.02 | - | - | ₹. | 68,911.85 | (+)4.83 ^ |
| | क्र. | 2,10,999.12 | | | क्र. | 2,10,999.12 | |
| | कुल-8782 | ₹. | 68,907.02 | - | - | ₹. | 68,911.85 |
| | | क्र. | 2,85,674.43 | | | क्र. | 2,85,674.43 |
| | कुल-(क)- धनादेश एवं अन्य प्रेषण | ₹. | 68,907.02 | - | - | ₹. | 68,911.85 |
| | | क्र. | 2,85,674.43 | | | क्र. | 2,85,674.43 |
| (ख) अंतर सरकार लेखा समायोजन- | | | | | | | |
| केंद्र एवं राज्य सरकारों के मध्य लेखा समायोजन | | | | | | | |
| 8786- | ₹. | - | - | - | ₹. | - | - |
| (ड) | | | | | | | |
| | ₹. | 546.43 | | | ₹. | 546.43 | |
| | कुल-8786 | ₹. | - | - | ₹. | - | - |
| | | ₹. | 546.43 | | ₹. | 546.43 | |
| 8793- अंतरराज्यीय उचित लेखा- | ₹. | 924.63 | - | 117.59 | ₹. | 144.72 | (-)1,069.35 * |
| | ₹. | 379.44 | | | ₹. | 379.44 | |
| | कुल-8793 | ₹. | 924.63 | - | 117.59 | ₹. | 144.72 |
| | | ₹. | 379.44 | | ₹. | 379.44 | |

(ड) आग में अभिलेखों के नष्ट हो जाने के कारण मार्च 1977 से पूर्व अंगीकृत किए गए शेषों का समायोजन एवं विश्लेषण का प्रस्तुतीकरण कठिन है, मामला अभी भी जांच के अधीन है (जुलाई 2023)।

21. आकस्मिकता निधि एवं अन्य लोक लेखा संव्यवहारों पर विस्तृत विवरण-(जारी)

| (बोल्ड आंकड़े जम्मू एवं कश्मीर संघ राज्य क्षेत्र में अभी तक प्रभाजित किए जाने एवं प्रतिधारित किए जाने वाले 30 अक्टूबर 2019 के अंत तक के शेषों को दर्शाते हैं) | | | | | | | |
|---|----------------------------|---|------------------------------|--------------------------|-----------------------------|--|-----------------|
| लेखा शीर्ष | 1 अप्रैल 2022 को अथ शेष | जम्मू एवं कश्मीर संघ राज्य क्षेत्र को आंबटित राशि | वर्ष के दौरान प्राप्तियाँ | वर्ष के दौरान संवितरण | 31 मार्च 2023 तक अंत शेष | वर्ष 2022-23 के दौरान निवल वृद्धि (+) कमी (-) | राशि प्रतिशत |
| | | | | | | | (₹ लाख में) |
| भाग III- लोक लेखा-(समाप्त) | | | | | | | |
| ड-प्रेषण-(समाप्त) | | | | | | | |
| कुल-(ख)- अंतर सरकार समायोजन लेखा | डे. 924.63 | - | 117.59 | (-)951.76 | क्रे. 144.72 | (-)1,069.35 | * |
| | डे. 925.87 | | | | डे. 925.87 | | |
| कुल-ड - प्रेषण | डे. 69,831.65 | - | 117.59 | (-)946.93 | डे. 68,767.13 | (-)1,064.52 | (-)02 |
| | क्रे. 2,84,748.56 | | | | क्रे. 2,84,748.56 | | |
| कुल-भाग- III-लोक लेखा | | | 35,46,483.53 | 34,65,637.77 | | | |
| कुल-भाग I, भाग II और भाग III- प्राप्तियाँ/ | | | | | | | |
| संवितरण | | | 1,42,55,659.13 | 1,42,55,592.83 | | | |
| ढ- रोकड़ शेष- | | | | | | | |
| 8999-रोकड़ शेष (क) | | | 1,44,764.58 | 1,44,830.86 | | | |
| | | | (-)44,195.18 | (-)44,195.18 | | | |
| कुल योग | | | 1,44,00,423.71 | 1,44,00,423.69 # | | | |
| (ध) आरंभिक एवं अंत रोकड़ शेषों का सार | | | | | | | |
| | | | (₹लाख में) | | | | |
| | | | आरंभिक शेष | अंत शेष | | | |
| (i) राजकोषों में रोकड़ | | | 676.64 | 676.64 | | | |
| (ii) बैंक में रोकड़ | | | 2,101.92 | 2,101.92 | | | |
| (iii) भारतीय रिजर्व बैंक के पास जमा | | | 1,44,764.58 ^ | 1,44,830.86 (ण) | | | |
| | | | (-)46,973.74 | (-)46,973.74 | | | |
| कुल | | | 1,44,764.58 | 1,44,830.86 | | | |
| | | | (-)44,195.18 | (-)44,195.18 | | | |

(ण) "रिजर्व बैंक के पास जमा" के प्रति शेष सरकारी लेखा के अनुसार शेष को प्रस्तुत करता है, जिसमें 10 अप्रैल 2023 तक भारतीय रिजर्व बैंक के परामर्शनुसार सरकारी समायोजन सम्मिलित है। लेखों में, जैसा कि आंकड़े प्रतिबिंबित हुए हैं, के मध्य ₹ 265.14 लाख (डे.)

का निवल अंतर है, (₹ 1,44,830.86 लाख (डे.) और जिसे भारतीय रिजर्व बैंक के द्वारा सूचित किया गया है (₹ 1,44,565.72 लाख (क्रे))। यह अंतर भारतीय रिजर्व बैंक एवं संघ राज्य क्षेत्र सरकार के साथ समायोजन के अधीन है (जुलाई 2023)।

(#) विवरण संख्या 21 में मशीन पूर्णकनन अपनाए जाने के कारण कुल प्राप्तियाँ तथा संवितरणों में ₹ 0.02 लाख की भिन्नता है।

21. आकस्मिकता निधि एवं अन्य लोक लेखा संव्यवहारों पर विस्तृत विवरण-(जारी)

| विवरण संख्या-21 का अनुलग्नक | | | | | | |
|--|---|----------------------|-----------------|--|--------------------------------|---|
| उत्त शेष एवं प्रेषण शेष का विश्लेषण | | | | | | |
| (बोर्ड ऑफ़ जम्मू एवं कश्मीर संघ राज्य क्षेत्र में अभी तक प्रभाजित किए जाने एवं प्रतिधारित किए जाने वाले 30 अक्टूबर 2019 के अंत तक के शेषों को दर्शाते हैं) | | | | | | |
| (₹ लाख में) | | | | | | |
| क्र. सं. | लेखा शीर्ष एवं मंत्रालय/ विभाग जिनके साथ लंबित है | 31 मार्च 2023 तक शेष | | संक्षेप में संव्यवहारों की प्रकृति | पूर्ववर्ती वर्ष जिससे लंबित है | रोकड़ शेष पर बकाया का प्रभाव |
| | | डे. | क्रे. | | | |
| (क) | 8658- उत्त लेखा- | | | | | |
| 1 | 101- वेतन एवं लेखा कार्यालय | | | | | |
| | (i) सीपीएओ, नई दिल्ली | 15,172.24 | - | | 31.10.2019 | बकाया डेबिट और क्रेडिट के समाशोधन की सीमा तक, रोकड़ शेष क्रमशः बढ़ेगा और कम होगा। |
| | | 32,239.34 | 471.59 | | 2003-04 | |
| | (ii) अन्य | 76.01 | 24.08 | ये बहुत पुराने शेष हैं, अतः संव्यवहारों की वास्तविक प्रकृति ज्ञात नहीं है। | 31.10.2019 | समायोजन पर रोकड़ शेष की वृद्धि होगी। |
| | | 8,133.38 | 5,974.19 | | 1976-77 | |
| 2 | 102- उत्त लेखा (सिविल) | | | | | |
| | (i) सीडीए, पेन्शन, इलाहाबाद | 30.84 | - | राज्य/ संघ राज्य सरकार द्वारा रक्षा पेन्शन भोगियों को किया गया भुगतान। | 31.10.2019 | समाशोधन पर रोकड़ शेष की वृद्धि होगी |
| | | 2,245.79 | 1,091.52 | | 2003-04 | |
| | (ii) सीडीए (डब्ल्यूसी), चण्डीगढ़ | 14.04 | - | पेन्शन, परिवहन आदि के कारण किया गया भुगतान। | 31.10.2019 | बकाया डेबिट और क्रेडिट के समाशोधन की सीमा तक, रोकड़ शेष क्रमशः बढ़ेगा और कम होगा। |
| | | 186.01 | - | | 2003-04 | |
| | (iii) सीडीए (एससी), पुणे | - | 0.05 | पेन्शन, परिवहन आदि के कारण किया गया भुगतान। | 31.10.2019 | बकाया डेबिट और क्रेडिट के समाशोधन की सीमा तक, रोकड़ शेष क्रमशः बढ़ेगा और कम होगा। |
| | | 88.43 | 80.02 | | 2003-04 | |

21. आकस्मिकता निधि एवं अन्य लोक लेखा संव्यवहारों पर विस्तृत विवरण-(जारी)

| विवरण संख्या-21 का अनुलग्नक-(जारी) | | | | | | |
|---|---|----------------------|------------------|--|--------------------------------|---|
| उचंत शेष एवं प्रेषण शेष का विश्लेषण-(जारी) | | | | | | |
| (बोल्ड आँकड़े जम्मू एवं कश्मीर संघ राज्य क्षेत्र में अभी तक प्रभाजित किए जाने एवं प्रतिधारित किए जाने वाले 30 अक्टूबर 2019 के अंत तक के शेषों को दर्शाते हैं) | | | | | | |
| (₹ लाख में) | | | | | | |
| क्र. सं. | लेखा शीर्ष एवं मंत्रालय/ विभाग जिनके साथ लंबित है | 31 मार्च 2023 तक शेष | | संक्षेप में संव्यवहारों की प्रकृति | पूर्ववर्ती वर्ष जिससे लंबित है | रोकड़ शेष पर बकाया का प्रभाव |
| | | डे. | क्रे. | | | |
| (क) | 8658- उचंत लेखा - (जारी) | | | | | |
| | 102- उचंत लेखा (सिविल)-(जारी) | | | | | |
| (iv) | सीडीए (एनसी), जम्मू | 680.90 | - | पेन्शन, परिवहन इत्यादि के कारण किया गया भुगतान। | 31.10.2019 | बकाया डेबिट और क्रेडिट के समाशोधन की सीमा तक, रोकड़ शेष क्रमशः बढ़ेगा और कम होगा। |
| | | 556.98 | 253.49 | | 2003-04 | |
| (v) | उत्तर रेलवे, नई दिल्ली | 19.83 | - | उत्तर रेलवे के पेन्शनभोगियों को पेन्शन का भुगतान किया गया। | 31.10.2019 | बकाया डेबिट और क्रेडिट के समाशोधन की सीमा तक, रोकड़ शेष क्रमशः बढ़ेगा और कम होगा। |
| | | 371.27 | 9.29 | | 1998-99 | |
| (vi) | पीएण्डटी, कपूरथला | - | - | प्रेषण एवं पीएलआई की वसूली के कारण संव्यवहार। | 31.10.2019 | बकाया डेबिट और क्रेडिट के समाशोधन की सीमा तक, रोकड़ शेष क्रमशः बढ़ेगा और कम होगा। |
| | | 1,113.98 | 67.13 | | 2003-04 | |
| (vii) | अन्य | 18.11 | 19,461.68 | पुराना शेष, मामला संबंधित अभिकरणों के साथ पत्राचाराधीन। | 31.10.2019 | बकाया डेबिट और क्रेडिट के समाशोधन की सीमा तक, रोकड़ शेष क्रमशः बढ़ेगा और कम होगा। |
| | | 32,240.13 | 27,389.90 | | 1976-77 | |

21. आकस्मिकता निधि एवं अन्य लोक लेखा संव्यवहारों पर विस्तृत विवरण-(जारी)

| विवरण संख्या-21 का अनुलग्नक-(जारी) | | | | | |
|--|----------------------|-----------|--|--------------------------------|---|
| उचंत शेष एवं प्रेषण शेष का विश्लेषण-(जारी) | | | | | |
| (बोल्ड आँकड़े जम्म एवं कश्मीर संघ राज्य क्षेत्र में अभी तक प्रभाजित किए जाने एवं प्रतिधारित किए जाने वाले 30 अक्टूबर 2019 के अंत तक के शेषों को दर्शाते हैं) | | | | | |
| क्र. सं. लेखा शीर्ष एवं मंत्रालय/ विभाग जिनके साथ लंबित है | 31 मार्च 2023 तक शेष | | संक्षेप में संव्यवहारों की प्रकृति | पूर्ववर्ती वर्ष जिससे लंबित है | रोकड़ शेष पर बकाया का प्रभाव |
| | डे. | क्रे. | | | |
| (क) 8658- उचंत लेखा-(जारी) | | | | | |
| 3 107- रोकड़ समायोजन उचंत लेखा (सिविल) | - | - | लोक/ निर्माण मंडलों के मध्य स्टॉक/ सेवा संव्यवहारों का अंतिम रोकड़ समायोजन लंबित। | 31.10.2019 1976-77 | रोकड़ शेष पर कोई प्रभाव नहीं। |
| 4 109- रिजर्व बैंक का उचंत-(मुख्यालय) | 8.10 | 18.51 | वर्ष 2011-12 के दौरान पेन्शन/ टीए आदि के कारण किया गया भुगतान। | 31.10.2019 2011-12 | बकाया डेबिट और क्रेडिट के समाशोधन की सीमा तक, रोकड़ शेष क्रमशः बढ़ेगा और कम होगा। |
| 5 110- रिजर्व बैंक का उचंत-केन्द्रीय लेखा | 91.73 | 10.03 | 2011-12 के दौरान पेन्शन/ टीए आदि के कारण किया गया भुगतान। | 31.10.2019 2011-12 | बकाया डेबिट और क्रेडिट के समाशोधन की सीमा तक, रोकड़ शेष क्रमशः बढ़ेगा और कम होगा। |
| 6 112- स्रोत पर कर कटौती | - | 50,013.32 | सीबीडीटी को देय स्रोत पर आय कर आदि की कटौती के कारण प्राप्तियाँ। | 31.10.2019 2009-10 | बकाया क्रेडिट के समाशोधन की सीमा तक रोकड़ शेष कम होगा। |
| 7 113- भविष्य निधि उचंत | - | - | सामान्य भविष्य निधि खाते क्रेडिट/ डेबिट जमा को अभिदाताओं के खाते में समायोजन प्रामाणिक साक्ष्यों के आधार पर अंतिम समायोजन तक प्रतीक्षित। | 31.10.2019 1976-77 | रोकड़ शेष पर कोई प्रभाव नहीं। |
| | 225.35 | | | | |

21. आकस्मिकता निधि एवं अन्य लोक लेखा संव्यवहारों पर विस्तृत विवरण-(जारी)

| विवरण संख्या-21 का अनुलग्नक-(जारी) | | | | | | |
|---|---|----------------------|-------------|---|--------------------------------|--|
| उचंत शेष एवं प्रेषण शेष का विश्लेषण-(जारी) | | | | | | |
| (बोल्ड आँकड़े जम्मू एवं कश्मीर संघ राज्य क्षेत्र में अभी तक प्रभाजित किए जाने एवं प्रतिधारित किए जाने वाले 30 अक्टूबर 2019 के अंत तक के शेषों को दर्शाते हैं) | | | | | | |
| (₹ लाख में) | | | | | | |
| क्र. सं. | लेखा शीर्ष एवं मंत्रालय/ विभाग जिनके साथ लंबित है | 31 मार्च 2023 तक शेष | | संक्षेप में संव्यवहारों की प्रकृति | पूर्ववर्ती वर्ष जिससे लंबित है | रोकड़ शेष पर बकाया का प्रभाव |
| | | डे. | क्रे. | | | |
| (क) | 8658- उचंत लेखा-(समाप्त) | | | | | |
| 8 | 123-अखिल भारतीय सेवा अधिकारियों की समूह बीमा योजना | 86.89 | - | केन्द्र सरकार कर्मचारी समूह बीमा योजना कटौती/ वसूलियों को समायोजित करती है। | 31.10.2019 1976-77 | समाशोधन पर रोकड़ शेष में बढ़ोतरी होगी। |
| 9 | 139-जीएसटी स्रोत उचंत पर कर कटौती | - | 495.62 | केन्द्र और राज्यों/ संघ राज्य सरकारों के प्रति सीजीएसटी/ एसजीएसटी/ आईजीएसटी का समायोजन। | 2019-20 | समाशोधन पर रोकड़ शेष में कमी होगी। |
| (ख) | 8782-समान महालेखाकार/ लेखा अधिकारी को लेखा प्रदान करने वाले अधिकारियों के मध्य रोकड़ प्रेषण एवं समायोजन | | | | | |
| 1 | 102- लोक निर्माण प्रेषण | - | - | (i) राजकोषों में प्रेषण एवं (ii) लोक निर्माण बैंकों को मंडलीय लेखाओं में क्रमशः डेबिट और क्रेडिट के रूप में वर्गीकृत किया जाता है। प्राप्त पर, संबंधित राजकोष इस शीर्ष को क्रेडिट और डेबिट करते हैं। | 31.10.2019 1976-77 | रोकड़ या लेखा पर कोई प्रभाव नहीं। |
| | | 1,27,882.95 | 1,73,924.52 | | | |
| 2 | 103- वन प्रेषण | - | - | (i) राजकोषों में प्रेषण एवं (ii) वन बैंक को प्रभागीय लेखाओं में क्रमशः डेबिट और क्रेडिट के रूप में वर्गीकृत किया जाता है। प्राप्त पर संबंधित राजकोष इस शीर्ष को क्रेडिट और डेबिट के माध्यम से करती हैं। | 31.10.2019 1976-77 | रोकड़ पर कोई प्रभाव नहीं। |
| | | 10,726.09 | 16,011.71 | | | |

21. आकस्मिकता निधि एवं अन्य लोक लेखा संव्यवहारों पर विस्तृत विवरण-(समाप्त)

| विवरण संख्या-21 का अनुलग्नक-(समाप्त) | | | | | | |
|---|---|----------------------|-------------|---|--------------------------------|---|
| उचंत शेष एवं प्रेषण शेष का विश्लेषण-(समाप्त) | | | | | | |
| (बोल्ड आँकड़े जम्मू एवं कश्मीर संघ राज्य क्षेत्र में अभी तक प्रभाजित किए जाने एवं प्रतिधारित किए जाने वाले 30 अक्टूबर 2019 के अंत तक के शेषों को दर्शाते हैं) | | | | | | |
| (₹ लाख में) | | | | | | |
| क्र. सं. | लेखा शीर्ष एवं मंत्रालय/ विभाग जिनके साथ लंबित है | 31 मार्च 2023 तक शेष | | संक्षेप में संव्यवहारों की प्रकृति | पूर्ववर्ती वर्ष जिससे लंबित है | रोकड़ शेष पर बकाया का प्रभाव |
| | | डे. | क्रे. | | | |
| (ख) | 8782- समान महालेखाकार/ लेखा अधिकारी को लेखा प्रदान करने वाले अधिकारियों के मध्य रोकड़ प्रेषण एवं समायोजन-(समाप्त) | | | | | |
| 3 | 108- अन्य विभागीय प्रेषण | - | - | यह शीर्ष उन विभागों जैसे उत्पाद शुल्क इत्यादि द्वारा संचालित किया जाता है जिन्हें राजकोषों के साथ प्रेषण संव्यवहार की सुविधा प्रदान की जाती है। | 31.10.2019 1976-77 | रोकड़ लेखा पर कोई प्रभाव नहीं। |
| | | - | 18,706.55 | | | |
| | 110- विविध प्रेषण | 68,911.85 | - | यह शीर्ष उन विभागों के द्वारा संचालित किया जाता है जिन्हें राजकोषों के साथ प्रेषण लेन देन की सुविधा प्रदान की गयी होती है। | 31.10.2019 1976-77 | रोकड़ लेखा पर कोई प्रभाव नहीं। |
| | | - | 2,10,999.12 | | | |
| 1 | 8793- अंतर्राज्यीय उचंत लेखा | 2.39 | 147.11 | पेन्शन/ टीए इत्यादि के कारण किए गए भुगतान को निरूपित करता है। | 31.10.2019 2011-12 | बकाया डेबिट और क्रेडिट के समायोजन की सीमा तक, रोकड़ शेष क्रमशः बढ़ेगा और कम होगा। |
| | | 401.64 | 22.20 | | | |

22. चिह्नित शेषों के निवेशों पर विस्तृत विवरण

| (बोर्ड ऑफ़ जम्मू एवं कश्मीर संघ राज्य क्षेत्र में अभी तक प्रभाजित किए जाने एवं प्रतिधारित किए जाने वाले 30 अक्टूबर 2019 के अंत तक के शेषों को दर्शाते हैं) | | | | | | |
|--|---------------------------|-----------------|--------------------|---------------------------|-----------------|--------------------|
| आरक्षित निधि या जमा लेखा का नाम | 1 अप्रैल 2022 को शेष राशि | | | 31 मार्च 2023 को शेष राशि | | |
| | रोकड़ | निवेश | कुल | रोकड़ | निवेश | कुल |
| (₹ लाख में) | | | | | | |
| अ आरक्षित निधियाँ- | | | | | | |
| (क) ब्याज वहन करने वाली आरक्षित निधियाँ- | | | | | | |
| 8121- सामान्य एवं अन्य आरक्षित निधियाँ- | | | | | | |
| 122- राज्य आपदा प्रतिक्रिया निधि | 10,928.77 | - | 10,928.77 | 41,941.71 | - | 41,941.71 |
| | 1,27,148.12 | 1,086.07 | 1,27,148.12 | 1,27,148.12 | 1,086.07 | 1,27,148.12 |
| 129- राज्य प्रतिकर वनरोपण कोष | 76,457.15 | - | 76,457.15 | 76,457.15 | - | 76,457.15 |
| | - | - | - | - | - | - |
| कुल-क- ब्याज वहन करने वाली आरक्षित निधियाँ | 87,385.92 | - | 87,385.92 | 1,18,398.86 | - | 1,18,398.86 |
| | 1,27,148.12 | 1,086.07 | 1,27,148.12 | 1,27,148.12 | 1,086.07 | 1,27,148.12 |
| (ख) ब्याज वहन नहीं करने वाली आरक्षित निधियाँ- | | | | | | |
| 8222- ऋण-शोधन निधियाँ- | | | | | | |
| | 10,063.00 | - | 10,063.00 | 15,954.00 | - | 15,954.00 |
| | 35,586.76 | - | 35,586.76 | 35,586.76 | - | 35,586.76 |
| कुल-8222 | 10,063.00 | - | 10,063.00 | 15,954.00 | - | 15,954.00 |
| | 35,586.76 | - | 35,586.76 | 35,586.76 | - | 35,586.76 |
| 8223- अकाल राहत कोष- | | | | | | |
| 101- अकाल राहत कोष | - | - | - | - | - | - |
| | 866.96 | - | 866.96 | 866.96 | - | 866.96 |
| कुल-8223 | - | - | - | - | - | - |
| | 866.96 | - | 866.96 | 866.96 | - | 866.96 |
| 8226- आरक्षित निधियों का मूल्यहास/ नवीनीकरण- | | | | | | |
| 101- सरकारी वाणिज्यिक विभागों/ उपक्रमों की आरक्षित निधियों का मूल्यहास | | | | | | |
| | - | - | - | - | - | - |
| | 57,379.34 | - | 57,379.34 | 57,379.34 | - | 57,379.34 |
| 102- सरकारी गैर-वाणिज्यिक विभागों की आरक्षित निधियों का मूल्यहास | - | - | - | - | - | - |
| | 7,285.99 | - | 7,285.99 | 7,285.99 | - | 7,285.99 |
| कुल-8226 | - | - | - | - | - | - |
| | 64,665.33 | - | 64,665.33 | 64,665.33 | - | 64,665.33 |

22. चिह्नित शेषों के निवेशों पर विस्तृत विवरण-(जारी)

| (बोल्ड आँकड़े जम्मू एवं कश्मीर संघ राज्य क्षेत्र में अभी तक प्रभाजित किए जाने एवं प्रतिधारित किए जाने वाले 30 अक्टूबर 2019 के अंत तक के शेषों को दर्शाते हैं) | | | | | | |
|---|---------------------------|----------|---------------------|---------------------------|----------|---------------------|
| आरक्षित निधियाँ जमा लेखा का नाम | 1 अप्रैल 2022 को शेष राशि | | | 31 मार्च 2023 के शेष राशि | | |
| | रोकड़ | निवेश | कुल | रोकड़ | निवेश | कुल |
| (₹ लाख में) | | | | | | |
| ज आरक्षित निधियाँ-(समाप्त) | | | | | | |
| (ख) ब्याज वहन नहीं करने वाली आरक्षित निधियाँ-(समाप्त) | | | | | | |
| 8229- विकास एवं कल्याण निधियाँ- | | | | | | |
| 103- कृषि उद्देश्यों हेतु विकास निधियाँ | - | - | - | - | - | - |
| | 4,052.06 | | 4,052.06 | 4,052.06 | | 4,052.06 |
| 109- सहकारी विकास निधियाँ | - | - | - | - | - | - |
| | 0.10 | | 0.10 | 0.10 | | 0.10 |
| 200- अन्य विकास एवं कल्याण निधियाँ | (-)10,372.21 | - | (-)10,372.21 | (-)10,661.49 | - | (-)10,661.49 |
| | 30,332.77 | | 30,332.77 | 30,332.77 | | 30,332.77 |
| कुल-8229 | (-)10,372.21 | - | (-)10,372.21 | (-)10,661.49 | - | (-)10,661.49 |
| | 34,384.93 | | 34,384.93 | 34,384.93 | | 34,384.93 |
| 8235- सामान्य और आरक्षित निधियाँ- | | | | | | |
| 105- सामान्य बीमा निधि (जनता बीमा) | 3,700.73 | - | 3,700.73 | 3,708.08 | - | 3,708.08 |
| | 4,119.21 | | 4,119.21 | 4,119.21 | | 4,119.21 |
| 117- प्रत्याभूति मोचन निधि | 400.00 | - | 400.00 | 500.00 | - | 500.00 |
| | 2,042.00 | | 2,042.00 | 2,042.00 | | 2,042.00 |
| 200- अन्य निधियाँ | 835.46 | - | 835.46 | 1,674.09 | - | 1,674.09 |
| | 11,729.72 | | 11,729.72 | 11,729.72 | | 11,729.72 |
| कुल-8235 | 4,936.19 | - | 4,936.19 | 5,882.17 | - | 5,882.17 |
| | 17,890.93 | | 17,890.93 | 17,890.93 | | 17,890.93 |
| कुल-(ख)- ब्याज वहन नहीं करने वाली आरक्षित निधियाँ | 4,626.98 | - | 4,626.98 | 11,174.68 | - | 11,174.68 |
| | 1,53,394.91 | | 1,53,394.91 | 1,53,394.91 | | 1,53,394.91 |
| कुल-ज- आरक्षित निधियाँ | 92,012.90 | - | 92,012.90 | 1,29,573.54 | - | 1,29,573.54 |
| | 2,79,456.96 | 1,086.07 | 2,80,543.03 | 2,79,456.96 | 1,086.07 | 2,80,543.03 |

22. चिह्नित शेषों के निवेशों पर विस्तृत विवरण-(जारी)

| (बोल्ड आँकड़े जम्मू एवं कश्मीर संघ राज्य क्षेत्र में अभी तक प्रभाजित किए जाने एवं प्रतिधारित किए जाने वाले 30 अक्टूबर 2019 के अंत तक के शेषों को दर्शाते हैं) | | | | | | |
|---|---------------------------|-----------------|--------------------|---------------------------|-----------------|------------------------|
| आरक्षित निधियाँ जमा लेखा का नाम | 1 अप्रैल 2022 को शेष राशि | | | 31 मार्च 2023 के शेष राशि | | |
| | रोकड़ | निवेश | कुल | रोकड़ | निवेश | कुल |
| (₹ लाख में) | | | | | | |
| ट-जमाएं एवं अग्रिम- | | | | | | |
| (क) ब्याज वहन करने वाली जमाएं- | | | | | | |
| 8336- सिविल जमाएं- | | | | | | |
| 103- राज्य प्रतिकर वनरोपण जमा | 48,380.99 | - | 48,380.99 | 49,792.78 | - | 49,792.78 |
| | - | - | - | - | - | - |
| कुल-8336 | 48,380.99 | - | 48,380.99 | 49,792.78 | - | 49,792.78 |
| | - | - | - | - | - | - |
| कुल-(क)-ब्याज वहन करने वाली जमाएं | 48,380.99 | - | 48,380.99 | 49,792.78 | - | 49,792.78 |
| | - | - | - | - | - | - |
| (ख) ब्याज वहन नहीं करने वाली जमाएं- | | | | | | |
| 8449- अन्य जमाएं- | | | | | | |
| 103- केन्द्रीय सड़क निधि से संसहायिकी | 36,713.97 | - | 36,713.97 | 67,605.10 | - | 67,605.10 |
| | 57,332.93 | | 57,332.93 | 57,332.93 | | 57,332.93 |
| 123- राष्ट्रीय खनिज समन्वेषण न्यास जमाएं | 23.58 | - | 23.58 | (-)25.56 | - | (-)25.56 |
| | 29.57 | | 29.57 | 29.57 | | 29.57 |
| कुल-8449 | 36,737.55 | - | 36,737.55 | 67,575.54 | - | 67,575.54 |
| | 57,362.50 | | 57,362.50 | 57,362.50 | | 57,362.50 |
| कुल-(ख)- ब्याज वहन नहीं करने वाली जमाएं | 36,737.55 | - | 36,737.55 | 67,575.54 | - | 67,575.54 |
| | 57,362.50 | | 57,362.50 | 57,362.50 | | 57,362.50 |
| कुल ट- जमाएं एवं अग्रिम | 85,118.54 | - | 85,118.54 | 1,17,368.32 | - | 1,17,368.32 |
| | 57,362.50 | | 57,362.50 | 57,362.50 | | 57,362.50 |
| कुल योग | 1,77,131.44 | - | 1,77,31.44 | 2,46,941.86 | - | 2,46,941.86 (क) |
| | 3,36,819.46 | 1,086.07 | 3,37,905.53 | 3,36,819.46 | 1,086.07 | 3,37,905.53 (क) |

(क) आँकड़े मिलानाधीन हैं (जुलाई 2023)।

22. चिह्नित शेषों के निवेशों पर विस्तृत विवरण-(समाप्त)

विवरण संख्या-22 की व्याख्यात्मक टिप्पणी

ऋण शोधन निधि का ब्योरा

(बोल्ड आँकड़े जम्मू एवं कश्मीर संघ राज्य क्षेत्र में अभी तक प्रभाजित किए जाने एवं प्रतिधारित किए जाने वाले 30 अक्टूबर 2019 के अंत तक के शेषों को दर्शाते हैं)

| ऋण का वर्णन | 1 अप्रैल 2022 को शेष राशि | राजस्व से विनियोजित राशि का जोड़ | निवेश पर ब्याज जोड़ | कुल | प्रतिभूतियों के क्रय पर प्रदत्त ब्याज | वर्ष के दौरान कम उन्मोचन | ऋण की परिपक्वता पर विविध सरकारी लेखा में हस्तांतरित राशि | 31 मार्च 2023 को शेष | अभ्युक्तियाँ |
|--------------|---------------------------|----------------------------------|---------------------|------------------|---------------------------------------|--------------------------|--|----------------------|--------------|
| | | | | | | | | | (₹ लाख में) |
| ऋण शोधन निधि | 10,063.00 | 5,891.00 | - | 15,954.00 | - | - | - | 15,954.00 | - |
| | 35,586.76 | - | - | 35,586.76 | - | - | - | 35,586.76 | - |

ऋण शोधन निधि निवेश लेखा का ऋण परिशोधन विवरण

| ऋण का वर्णन | 1 अप्रैल 2022 को शेष राशि | प्रतिभूतियों का क्रय | कुल | प्रतिभूतियों का विक्रय | 31 मार्च 2023 को शेष | अंकित मूल्य | बाजार मूल्य |
|-------------|---------------------------|----------------------|-----|------------------------|----------------------|-------------|-------------|
| | | | | | | | (₹ लाख में) |

संघ राज्य क्षेत्र जम्मू एवं कश्मीर सरकार द्वारा कोई राशि निवेशित नहीं की गयी है (31 मार्च 2023)।

भाग-II
परिशिष्ट

परिशिष्ट-I

वेतन पर तुलनात्मक व्यय

(तिरछे आकड़े प्रभारित व्यय को प्रदर्शित करते हैं)

| विभाग | मुख्य शीर्ष | विवरण | 2022-23 | | | 2021-22 | | |
|----------------------------------|-------------|---|-----------------------------|-------------------------------------|--------------------|-----------------------------|-------------------------------------|--------------------|
| | | | संघ राज्य क्षेत्र निधि व्यय | केन्द्रीय सहायता (सीएसएस/सीएस सहित) | कुल | संघ राज्य क्षेत्र निधि व्यय | केन्द्रीय सहायता (सीएसएस/सीएस सहित) | कुल |
| | | | | | | | | (₹ लाख में) |
| व्यय शीर्ष-(राजस्व लेखा)- | | | | | | | | |
| सामान्य प्रशासन | 2012- | राष्ट्रपति, उप राष्ट्रपति/ राज्यपाल/ संघ राज्य क्षेत्रों के प्रशासक | 917.04 | - | 917.04 | - | - | 865.14 |
| | 2015- | चुनाव | 22.52 | - | 22.52 | 23.01 | - | 23.01 |
| | 2051- | लोक सेवा आयोग | 859.19 | - | 859.19 | 904.30 | - | 904.30 |
| | 2052- | सचिवालय-सामान्य सेवाएं | 10,729.61 | - | 10,729.61 | 10,908.28 | - | 10,908.28 |
| | 2062- | सतर्कता | 6,560.58 | - | 6,560.58 | 6,092.89 | - | 6,092.89 |
| | 2070- | अन्य प्रशासनिक सेवाएं | 437.70 | - | 437.70 | 441.01 | - | 441.01 |
| | 2251- | सचिवालय-सामान्य सेवाएं | 4,437.35 | - | 4,437.35 | 4,048.65 | - | 4,048.65 |
| | 3435- | पारिस्थितिकी एवं पर्यावरण | 182.08 | - | 182.08 | 167.76 | - | 167.76 |
| | 3451- | सचिवालय-आर्थिक सेवाएं | 8,003.82 | - | 8,003.82 | 7,195.11 | - | 7,195.11 |
| | 3452- | पर्यटन | 443.71 | - | 443.71 | 519.52 | - | 519.52 |
| कुल-सामान्य प्रशासन | | | 30,817.37 | - | 32,593.60 | 29,396.23 | - | 31,165.67 |
| | | | 1,776.23 | | | 1,769.44 | | |
| गृह | 2055- | पुलिस | 6,47,595.73 | - | 6,47,595.73 | 6,04,510.78 | - | 6,04,510.78 |
| | 2056- | कारावास | 7,668.83 | - | 7,668.83 | 6,909.16 | - | 6,909.16 |
| | 2070- | अन्य प्रशासनिक सेवाएं | 30,477.13 | - | 30,477.13 | 28,670.59 | - | 28,670.59 |
| | 2235- | सामाजिक सुरक्षा और कल्याण | 764.18 | - | 764.18 | 659.71 | - | 659.71 |
| कुल-गृह | | | 6,86,505.87 | - | 6,86,505.87 | 6,40,750.24 | - | 6,40,750.24 |
| योजना | 2235- | सामाजिक सुरक्षा और कल्याण | 778.21 | - | 778.21 | 709.52 | - | 709.52 |
| | 3454- | जनगणना सर्वेक्षण एवं सांख्यिकी | 7,823.88 | - | 7,823.88 | 7,267.74 | - | 7,267.74 |
| कुल-योजना | | | 8,602.09 | - | 8,602.09 | 7,977.26 | - | 7,977.26 |

परिशिष्ट-I-(जारी)

वेतन पर तुलनात्मक व्यय-(जारी)

(तिरछे आंकड़े प्रभारित व्यय को प्रदर्शित करते हैं)

| विभाग | मुख्य शीर्ष | विवरण | 2022-23 | | | 2021-22 | | |
|---------------------------------|-------------|---|-----------------------------|-------------------------------------|--------------------|-----------------------------|-------------------------------------|--------------------|
| | | | संघ राज्य क्षेत्र निधि व्यय | केन्द्रीय सहायता (सीएसएस/सीएस सहित) | कुल | संघ राज्य क्षेत्र निधि व्यय | केन्द्रीय सहायता (सीएसएस/सीएस सहित) | कुल |
| | | | | | | | | (र लाख में) |
| व्यय शीर्ष-(राजस्व लेखा)-(जारी) | | | | | | | | |
| सूचना | 2220- | सूचना एवं प्रचार | 2,720.83 | - | 2,720.83 | 2,668.83 | - | 2,668.83 |
| कुल-सूचना | | | 2,720.83 | - | 2,720.83 | 2,668.83 | - | 2,668.83 |
| विद्युत विकास | 2801- | विद्युत | 734.87 | - | 734.87 | 753.92 | - | 753.92 |
| कुल-विद्युत विकास | | | 734.87 | - | 734.87 | 753.92 | - | 753.92 |
| शिक्षा | 2202- | सामान्य शिक्षा | 9,26,045.65 | - | 9,26,045.65 | 8,25,762.93 | 26,176.64 | 8,51,939.57 |
| | 2204- | खेल और युवा सेवाएं | 1,191.72 | - | 1,191.72 | 1,109.11 | - | 1,109.11 |
| कुल-शिक्षा | | | 9,27,237.37 | - | 9,27,237.37 | 8,26,872.04 | 26,176.04 | 8,53,048.68 |
| वित्त | 2030- | स्टाम्प एवं पंजीकरण | 306.04 | - | 306.04 | 286.62 | - | 286.62 |
| | 2039- | राज्य उत्पाद शुल्क | 2,868.18 | - | 2,868.18 | 2,701.69 | - | 2,701.69 |
| | 2040- | बिक्री कर | 108.84 | - | 108.84 | 118.00 | - | 118.00 |
| | 2043- | राज्य वस्तु एवं सेवा कर के अंतर्गत संग्रहण प्रभार | 9,573.83 | - | 9,573.83 | 8,604.80 | - | 8,604.80 |
| | 2045- | वस्तुओं और सेवाओं पर अन्य कर एवं शुल्क | 27.90 | - | 27.90 | 22.36 | - | 22.36 |
| | 2054- | कोषागार और लेखा प्रशासन | 14,640.34 | - | 14,640.34 | 13,947.03 | - | 13,947.03 |
| कुल-वित्त | | | 27,525.13 | - | 27,525.13 | 25,680.50 | - | 25,680.50 |
| संसदीय मामले | 2011- | संसद/ राज्य/ संघ राज्य क्षेत्र विधानमण्डल | 2,105.00 | - | 2,105.00 | 2,021.10 | - | 2,021.10 |
| कुल-संसदीय मामले | | | 2,105.00 | - | 2,105.00 | 2,021.10 | - | 2,021.10 |

परिशिष्ट-I-(जारी)

वेतन पर तुलनात्मक व्यय-(जारी)

(तिरछे आंकड़े प्रभारित व्यय को प्रदर्शित करते हैं)

| विभाग | मुख्य शीर्ष | विवरण | 2022-23 | | | 2021-22 | | |
|---------------------------------|-------------------|-----------------------------|-----------------------------|-------------------------------------|------------------|-----------------------------|-------------------------------------|------------------|
| | | | संघ राज्य क्षेत्र निधि व्यय | केन्द्रीय सहायता (सीएसएस/सीएस सहित) | कुल | संघ राज्य क्षेत्र निधि व्यय | केन्द्रीय सहायता (सीएसएस/सीएस सहित) | कुल |
| | | | | | | | | (र लाख में) |
| व्यय शीर्ष-(राजस्व लेखा)-(जारी) | | | | | | | | |
| विधि | 2014- | न्याय प्रशासन | 20,786.77 | - | 26,917.79 | 18,757.66 | - | 24,297.08 |
| | | | 6,131.02 | | | 5,539.42 | | |
| | 2015- | चुनाव | 1,450.42 | - | 1,450.42 | 1,226.04 | - | 1,226.04 |
| | 2030- | स्टाम्प एवं पंजीकरण | 119.75 | - | 119.75 | 112.83 | - | 112.83 |
| | 2041- | वाहनों पर कर | 90.08 | - | 90.08 | 85.00 | - | 85.00 |
| | 2070- | अन्य प्रशासनिक सेवाएं | 86.75 | - | 86.75 | 79.46 | - | 79.46 |
| 2230- | श्रम एवं रोजगार | 78.24 | - | 78.24 | 71.22 | - | 71.22 | |
| कुल-विधि | | | 22,612.01 | - | 28,743.03 | 20,332.21 | - | 25,871.63 |
| | | | 6,131.02 | | | 5,539.42 | | |
| उद्योग और वाणिज्य | 2851- | ग्राम एवं लघु उद्योग | 17,531.48 | - | 17,531.48 | 17,494.32 | - | 17,494.32 |
| | 2853- | अलौह खनन एवं धात्विक उद्योग | 5,759.54 | - | 5,759.54 | 5,404.73 | - | 5,404.73 |
| कुल-उद्योग और वाणिज्य | | | 23,291.02 | - | 23,291.02 | 22,899.65 | - | 22,899.65 |
| कृषि | 2401- | फसल पैदावार | 50,047.64 | - | 50,047.64 | 48,088.94 | - | 48,088.94 |
| | 2406- | वानिकी एवं वन्य जीवन | 8,316.34 | - | 8,316.34 | 8,026.71 | - | 8,026.71 |
| | 2705- | कमान क्षेत्र विकास | 2,862.38 | - | 2,862.38 | 2,729.67 | - | 2,729.67 |
| | 2851- | ग्राम एवं लघु उद्योग | 8,417.66 | - | 8,417.66 | 8,334.05 | - | 8,334.05 |
| कुल-कृषि | | | 69,644.02 | - | 69,644.02 | 67,179.37 | - | 67,179.37 |
| पशु/ भेड़पालन | 2403- | पशुपालन | 54,522.29 | - | 54,522.29 | 51,328.95 | - | 51,328.95 |
| | कुल-पशु/ भेड़पालन | | | 54,522.29 | - | 54,522.29 | 51,328.95 | - |

वेतन पर तुलनात्मक व्यय-(जारी)
(तिरछे आकड़े प्रभारित व्यय को प्रदर्शित करते हैं)

| विभाग | मुख्य शीर्ष | विवरण | 2022-23 | | | 2021-22 | | |
|---|-------------|--|-----------------------------|-------------------------------------|--------------------|-----------------------------|-------------------------------------|--------------------|
| | | | संघ राज्य क्षेत्र निधि व्यय | केन्द्रीय सहायता (सीएसएस/सीएस सहित) | कुल | संघ राज्य क्षेत्र निधि व्यय | केन्द्रीय सहायता (सीएसएस/सीएस सहित) | कुल |
| | | | | | | | | (र लाख में) |
| व्यय शीर्ष-(राजस्व लेखा)-(जारी) | | | | | | | | |
| राजस्व | 2030- | स्टाम्प एवं पंजीकरण | 502.53 | - | 502.53 | 284.35 | - | 284.35 |
| | 2053- | जिला प्रशासन | 51,939.60 | - | 51,939.60 | 48,222.67 | - | 48,222.67 |
| | 2070- | अन्य प्रशासनिक सेवाएं | 125.54 | - | 125.54 | 130.65 | - | 130.65 |
| | 2250- | अन्य सामाजिक सेवाएं | 105.61 | - | 105.61 | 116.07 | - | 116.07 |
| कुल-राजस्व | | | 52,673.28 | - | 52,673.28 | 48,753.74 | - | 48,753.74 |
| खाद्य, नागरिक आपूर्ति और उपभोक्ता मामले | 2408- | खाद्य, भण्डार एवं भण्डारण | 16,026.82 | - | 16,026.82 | 14,312.90 | - | 14,312.90 |
| | 3475- | अन्य सामान्य आर्थिक सेवाएं | 998.10 | - | 998.10 | 966.02 | - | 966.02 |
| कुल-खाद्य, नागरिक आपूर्ति और उपभोक्ता मामले | | | 17,024.92 | - | 17,024.92 | 15,278.92 | - | 15,278.92 |
| लोक निर्माण | 2059- | लोक निर्माण | 63,264.71 | - | 63,264.71 | 60,853.10 | - | 60,853.10 |
| | 3054- | सड़कें एवं पुल | 43.09 | - | 43.09 | 22.63 | - | 22.63 |
| कुल-लोक निर्माण | | | 63,307.80 | - | 63,307.80 | 60,875.73 | - | 60,875.73 |
| स्वास्थ्य एवं चिकित्सा शिक्षा | 2210- | चिकित्सा एवं जन स्वास्थ्य | 2,92,413.02 | 13.66 | 2,92,426.68 | 2,74,006.26 | 18.35 | 2,74,024.61 |
| | 2211- | परिवार कल्याण | 3,348.05 | 13,862.64 | 17,210.69 | 3,207.38 | 10,773.86 | 13,981.24 |
| कुल-स्वास्थ्य एवं चिकित्सा शिक्षा | | | 2,95,761.07 | 13,876.30 | 3,09,637.37 | 2,77,213.64 | 10,792.21 | 2,88,005.85 |
| समाज कल्याण | 2070- | अन्य प्रशासनिक सेवाएं | 230.21 | - | 230.21 | 202.37 | - | 202.37 |
| | 2225- | अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्गों और अल्पसंख्यकों का कल्याण | 302.33 | - | 302.33 | 659.21 | - | 659.21 |
| | 2235- | सामाजिक सुरक्षा और कल्याण | 6,180.64 | - | 6,180.64 | 5,663.21 | 125.42 | 5,788.63 |
| | 2236- | पोषण | 3,987.87 | 14.15 | 4,002.02 | 4,531.20 | 6,727.05 | 11,258.24 |
| कुल-समाज कल्याण | | | 10,701.05 | 14.15 | 10,715.20 | 11,055.99 | 6,852.46 | 17,908.45 |
| आवास एवं शहरी विकास विभाग | 2217- | शहरी विकास | 6,319.73 | - | 6,319.73 | 6,352.11 | - | 6,352.11 |
| कुल-आवास एवं शहरी विकास विभाग | | | 6,319.73 | - | 6,319.73 | 6,352.11 | - | 6,352.11 |

परिशिष्ट-I-(जारी)

वेतन पर तुलनात्मक व्यय-(जारी)

(तिरछे आंकड़े प्रभारित व्यय को प्रदर्शित करते हैं)

| विभाग | मुख्य शीर्ष | विवरण | 2022-23 | | | 2021-22 | | |
|--|-------------|-----------------------------|-----------------------------|-------------------------------------|------------------|-----------------------------|-------------------------------------|--------------------|
| | | | संघ राज्य क्षेत्र निधि व्यय | केन्द्रीय सहायता (सीएसएस/सीएस सहित) | कुल | संघ राज्य क्षेत्र निधि व्यय | केन्द्रीय सहायता (सीएसएस/सीएस सहित) | कुल |
| | | | | | | | | (र लाख में) |
| व्यय शीर्ष-(राजस्व लेखा)-(जारी) | | | | | | | | |
| पर्यटन | 3452- | पर्यटन | 3,743.46 | - | 3,743.46 | 3,491.69 | - | 3,491.69 |
| कुल-पर्यटन | | | 3,743.46 | - | 3,743.46 | 3,491.69 | - | 3,491.69 |
| वन | 2402- | मृदा एवं जल संरक्षण | 5,280.60 | - | 5,280.60 | 5,066.90 | - | 5,066.90 |
| | 2406- | वानिकी एवं वन्य जीवन | 75,070.15 | - | 75,070.15 | 71,584.24 | - | 71,584.24 |
| | 3435- | पारिस्थितिकी एवं पर्यावरण | 3,279.74 | - | 3,279.74 | 3,049.96 | - | 3,049.96 |
| कुल-वन | | | 83,630.49 | - | 83,630.49 | 79,701.10 | - | 79,701.10 |
| सिंचाई एवं बाढ़ नियंत्रण | 2700- | मुख्य सिंचाई | 417.78 | - | 417.78 | 435.99 | - | 435.99 |
| | 2701- | मध्यम सिंचाई | 2,943.44 | - | 2,943.44 | 2,923.37 | - | 2,923.37 |
| | 2702- | लघु सिंचाई | 33,965.87 | - | 33,965.87 | 33,205.60 | - | 33,205.60 |
| | 2711- | बाढ़ नियंत्रण एवं अपवाह | 9,320.58 | - | 9,320.58 | 9,253.61 | - | 9,253.61 |
| कुल-सिंचाई एवं बाढ़ नियंत्रण | | | 46,647.67 | - | 46,647.67 | 45,818.57 | - | 45,818.57 |
| जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी | 2055- | पुलिस | 5.49 | - | 5.49 | 475.12 | - | 475.12 |
| | 2215- | जलापूर्ति एवं स्वच्छता | 92,354.80 | - | 92,354.80 | 1,02,926.76 | - | 1,02,926.76 |
| कुल-जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी | | | 92,360.29 | - | 92,360.29 | 1,03,401.88 | - | 1,03,401.88 |
| आतिथ्य और प्रोटोकॉल | 2055- | पुलिस | 1,208.46 | - | 1,208.46 | 1,508.46 | - | 1,508.46 |
| | 2070- | अन्य प्रशासनिक सेवाएं | 2,172.49 | - | 2,172.49 | 2,185.14 | - | 2,185.14 |
| | 2216- | आवास | 4,143.01 | - | 4,143.01 | 3,932.31 | - | 3,932.31 |
| कुल-आतिथ्य और प्रोटोकॉल | | | 7,523.96 | - | 7,523.96 | 7,625.91 | - | 7,625.91 |
| श्रम, लेखन सामग्री एवं मुद्रण | 2058- | लेखन सामग्री एवं मुद्रण | 2,906.88 | - | 2,906.88 | 2,939.14 | - | 2,939.14 |
| | 2230- | श्रम, रोजगार एवं कौशल विकास | 3,163.09 | - | 3,163.09 | 3,017.69 | - | 3,017.69 |
| कुल-श्रम, लेखन सामग्री एवं मुद्रण | | | 6,069.97 | - | 6,069.97 | 5,956.83 | - | 5,956.83 |
| मत्स्यपालन | 2405- | मत्स्यपालन | 9,434.59 | - | 9,434.59 | 8,913.03 | - | 8,913.03 |
| कुल-मत्स्यपालन | | | 9,434.59 | - | 9,434.59 | 8,913.05 | - | 8,913.05 |

परिशिष्ट-I-(जारी)

वेतन पर तुलनात्मक व्यय-(जारी)

(तिरछे आंकड़े प्रभारित व्यय को प्रदर्शित करते हैं)

| विभाग | मुख्य शीर्ष | विवरण | 2022-23 | | | 2021-22 | | |
|---------------------------------|-------------------|--|-----------------------------|-------------------------------------|------------------|-----------------------------|-------------------------------------|------------------|
| | | | संघ राज्य क्षेत्र निधि व्यय | केन्द्रीय सहायता (सीएसएस/सीएस सहित) | कुल | संघ राज्य क्षेत्र निधि व्यय | केन्द्रीय सहायता (सीएसएस/सीएस सहित) | कुल |
| | | | | | | | | (र लाख में) |
| व्यय शीर्ष-(राजस्व लेखा)-(जारी) | | | | | | | | |
| उच्चतर शिक्षा | 2202- | सामान्य शिक्षा | 59,961.66 | - | 59,961.66 | 53,249.25 | - | 53,249.25 |
| | 2203- | तकनीकी शिक्षा | 2,090.04 | - | 2,090.04 | 1,767.35 | - | 1,767.35 |
| कुल-उच्चतर शिक्षा | | | 62,051.70 | - | 62,051.70 | 55,016.60 | - | 55,016.60 |
| ग्रामीण विकास | 2236- | पोषण | 477.26 | - | 477.26 | 512.70 | - | 512.70 |
| | 2501- | ग्रामीण विकास हेतु विशेष कार्यक्रम | 2,162.27 | - | 2,162.27 | 2,791.96 | - | 2,791.96 |
| | 2515- | अन्य ग्रामीण विकास कार्यक्रम | 49,467.92 | - | 49,467.92 | 41,246.02 | - | 41,246.02 |
| कुल-ग्रामीण विकास | | | 52,107.45 | - | 52,107.45 | 44,550.68 | - | 44,550.68 |
| परिवहन | 2041- | वाहनों पर कर | 1,722.85 | - | 1,722.85 | 1,640.02 | - | 1,640.02 |
| | 2070- | अन्य प्रशासनिक सेवाएं | 4,159.26 | - | 4,159.26 | 3,952.95 | - | 3,952.95 |
| कुल-परिवहन | | | 5,882.11 | - | 5,882.11 | 5,592.97 | - | 5,592.97 |
| जनजातीय मामले | 2225- | अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्गों और अल्पसंख्यकों का कल्याण | 1,470.98 | - | 1,470.98 | 1,252.86 | - | 1,252.86 |
| | कुल-जनजातीय मामले | | | 1,470.98 | - | 1,470.98 | 1,252.86 | - |
| संस्कृति | 2202- | शिक्षा | 298.16 | - | 298.16 | 346.86 | - | 346.86 |
| | 2205- | कला और संस्कृति | 2,167.80 | - | 2,167.80 | 1,812.40 | - | 1,812.40 |
| | 3454- | जनगणना सर्वेक्षण एवं सांख्यिकी | - | - | - | 36.41 | - | 36.41 |
| कुल-संस्कृति | | | 2,465.96 | - | 2,465.96 | 2,195.67 | - | 2,195.67 |
| उद्यान कृषि | 2401- | फसल पैदावार | 11,045.18 | - | 11,045.18 | 9,987.16 | - | 9,987.16 |
| | 2435- | अन्य कृषिगत कार्यक्रम | 2,474.53 | - | 2,474.53 | 2,422.64 | - | 2,422.64 |
| कुल-उद्यान कृषि | | | 13,519.71 | - | 13,519.71 | 12,409.80 | - | 12,409.80 |

परिशिष्ट-I-(जारी)

वेतन पर तुलनात्मक व्यय-(समाप्त)

(तिरछे आंकड़े प्रभारित व्यय को प्रदर्शित करते हैं)

| विभाग | मुख्य शीर्ष | विवरण | 2022-23 | | | 2021-22 | | |
|--|------------------------------|---|-----------------------------|-------------------------------------|---------------------|-----------------------------|-------------------------------------|---------------------|
| | | | संघ राज्य क्षेत्र निधि व्यय | केन्द्रीय सहायता (सीएसएस/सीएस सहित) | कुल | संघ राज्य क्षेत्र निधि व्यय | केन्द्रीय सहायता (सीएसएस/सीएस सहित) | कुल |
| | | | | | | | | (र लाख में) |
| व्यय शीर्ष-(राजस्व लेखा)-(समाप्त) | | | | | | | | |
| आपदा प्रबंधन, राहत, पुनर्वास और पुनर्निर्माण | 2055- | पुलिस | 24,454.79 | - | 24,454.79 | 17,700.11 | - | 17,700.11 |
| | 2235- | सामाजिक सुरक्षा और कल्याण | 17.67 | - | 17.67 | 20.84 | - | 20.84 |
| | 2245- | प्राकृतिक आपदाओं के कारण राहत | 65.58 | - | 65.58 | 74.41 | - | 74.41 |
| कुल-आपदा प्रबंधन, राहत, पुनर्वास और पुनर्निर्माण | | | 24,538.04 | - | 24,538.04 | 17,795.36 | - | 17,795.36 |
| युवा सेवा और तकनीकी शिक्षा | 2203- | तकनीकी शिक्षा | 10,161.77 | - | 10,161.77 | 9,611.01 | - | 9,611.01 |
| | 2204- | खेल और युवा सेवाएं | 31,179.73 | - | 31,179.73 | 29,449.93 | - | 29,449.93 |
| | 2230- | श्रम एवं रोजगार | 1,059.51 | - | 1,059.51 | 993.22 | - | 993.22 |
| कुल-युवा सेवा और तकनीकी शिक्षा | | | 42,401.01 | - | 42,401.01 | 40,054.16 | - | 40,054.16 |
| विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी | 3435- | पारिस्थितिकी एवं पर्यावरण | 1,081.19 | - | 1,081.19 | 1,064.10 | - | 1,064.10 |
| | कुल-विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी | | | 1,081.19 | - | 1,081.19 | 1,064.10 | - |
| सहकारी | 2425- | सहकारिता | 4,985.02 | - | 4,985.02 | 4,317.56 | - | 4,317.56 |
| | कुल- | | | 4,985.02 | - | 4,985.02 | 4,317.56 | - |
| कुल-वेतन पर व्यय शीर्ष (राजस्व लेखा) | | | 27,62,019.29 | 13,890.45 | 27,83,816.98 | 25,56,548.63 | 43,821.31 | 26,07,678.80 |
| | | | 7,907.24 | | | 7,308.86 | | |
| व्यय शीर्ष-(पूँजीगत लेखा)- | | | | | | | | |
| योजना | 4235- | सामाजिक सुरक्षा एवं कल्याण पर पूँजीगत परिव्यय | - | - | - | - | - | - |
| कुल-योजना | | | - | - | - | - | - | - |
| कुल-वेतन पर व्यय शीर्ष (पूँजीगत लेखा) | | | - | - | - | - | - | - |
| कुल-योग-वेतन पर व्यय (राजस्व तथा पूँजीगत लेखा) | | | 27,62,019.29 | 13,890.45 | 27,83,816.98 | 25,56,548.63 | 43,821.31 | 26,07,678.80 |
| | | | 7,907.24 | | | 7,308.86 | | |

परिशिष्ट-II

सहायिकी पर तुलनात्मक व्यय

(तिरछे आँकड़े प्रभारित व्यय को दर्शाते हैं)

| विभाग | लेखा शीर्ष | विवरण | 2022-23 | | | 2021-22 | | |
|-----------------------------|---------------|---|--------------------------------|--|----------|--------------------------------|--|----------|
| | | | संघ राज्य क्षेत्र निधि व्यय | केन्द्रीय सहायता (सीसीएस/ सीएस सहित) | कुल | संघ राज्य क्षेत्र निधि व्यय | केन्द्रीय सहायता (सीसीएस/ सीएस सहित) | कुल |
| व्यय शीर्ष- (राजस्व लेखा) | | | (रुलाख में) | | | | | |
| कृषि | 2402-101-0016 | मृदा सर्वेक्षण और परीक्षण पर सहायिकी | - | - | - | - | - | - |
| | | कुल-कृषि | - | - | - | - | - | - |
| | | कुल-सहायिकियों पर व्यय शीर्ष (राजस्व लेखा) | - | - | - | - | - | - |
| व्यय शीर्ष- (पूँजीगत लेखा)- | | | | | | | | |
| कृषि | 4401-119-2381 | राष्ट्रीय उद्यान कृषि मिशन पर सहायिकी | - | 0.56 | 0.56 | - | - | - |
| | 4401-800-2449 | कृषि सिंचाई योजना पर सहायिकी | - | - | - | - | 13.70 | 13.70 |
| | 4402-101-0016 | मृदा सर्वेक्षण पर सहायिकी | - | - | - | - | 580.17 | 580.17 |
| | | कुल -कृषि | - | 0.56 | 0.56 | - | 593.87 | 593.87 |
| उद्यान कृषि | 4401-119-2381 | राष्ट्रीय उद्यान कृषि मिशन पर सहायिकी | - | 2.30 | 2.30 | - | - | - |
| | 4401-119-2415 | राष्ट्रीय उद्यान कृषि मिशन पर सहायिकी | - | 2,800.00 | 2,800.00 | - | 8,871.89 | 8,871.89 |
| | 4401-800-0222 | राष्ट्रीय उद्यान कृषि निर्माण कार्यक्रम पर सहायिकी | 0.17 | - | 0.17 | - | - | - |
| | | कुल- उद्यान कृषि | 0.17 | 2,802.30 | 2,802.47 | - | 8,871.89 | 8,871.89 |
| परिवहन | 5055-102-1317 | पुराने बड़े के पुनर्स्थापन पर सहायिकी | - | - | - | 50.00 | - | 50.00 |
| | | कुल-परिवहन | - | - | - | 50.00 | - | 50.00 |
| | | कुल-सहायिकियों पर व्यय शीर्ष (पूँजीगत लेखा) | 0.17 | 2,802.86 | 2,803.03 | 50.00 | 9,465.76 | 9,515.76 |
| | | कुल-सहायिकियों पर व्यय शीर्ष (राजस्व और पूँजीगत लेखा) | 0.17 | 2,802.86 | 2,803.03 | 50.00 | 9,465.76 | 9,515.76 |

परिशिष्ट-III

| संघ राज्य क्षेत्र सरकार द्वारा दी गयी सहायता/ सहायता अनुदान | | | | | | | | | | |
|---|----------------------------------|--|--------------------------------|---|-----------|---|--------------------------------|---|-----------|--|
| (संस्थान-वार और योजना-वार) | | | | | | | | | | |
| प्राप्तकर्ता | योजना | टीएसपी/ एससीएसपी/ सामान्य/ एफसी/ ईएपी | 2022-23 | | | जारी की गई कुल राशियों में से परिसंपत्तियों के सृजन हेतु संस्वीकृति राशि (क) | 2021-22 | | | जारी की गई कुल राशियों में से परिसंपत्तियों के सृजन हेतु संस्वीकृति राशि (क) |
| | | | संघ राज्य क्षेत्र निधि व्यय | केन्द्रीय सहायता (सीएसएस/ सीएस सहित) | कुल | | संघ राज्य क्षेत्र निधि व्यय | केन्द्रीय सहायता (सीएसएस/ सीएस सहित) | कुल | |
| (₹ लाख में) | | | | | | | | | | |
| जम्मू नगरपालिका | बजटीय सहायता/ पेन्शन पूल निधि | सामान्य | 46,967.16 | - | 46,967.16 | - | 20,527.50 | - | 20,527.50 | - |
| श्रीनगर नगरपालिका | बजटीय सहायता/ पेन्शन पूल निधि | सामान्य | 35,019.89 | - | 35,019.89 | - | 18,316.20 | - | 18,316.20 | - |
| शहरी स्थानीय निकाय, कश्मीर | बजटीय सहायता/ पेन्शन पूल निधि | सामान्य | 19,395.83 | - | 19,395.83 | - | 15,284.61 | - | 15,284.61 | - |
| शहरी स्थानीय निकाय, जम्मू | बजटीय सहायता/ पेन्शन पूल निधि | सामान्य | 13,669.75 | - | 13,669.75 | - | 10,317.99 | - | 10,317.99 | - |
| शहरी विकास | बजटीय सहायता/ पेन्शन पूल निधि | सामान्य | 63.52 | - | 63.52 | - | 178.07 | - | 178.07 | - |
| राष्ट्रीय शहरी आजीविका मिशन | बजटीय सहायता/ पेन्शन पूल निधि | सामान्य | 1,095.84 | - | 1,095.84 | - | 838.60 | - | 838.60 | - |
| राष्ट्रीय ग्रामिण आजीविका मिशन | बजटीय सहायता/ पेन्शन पूल निधि | सामान्य | 500.47 | 12,819.42 | 13,319.42 | - | - | 3,851.24 | 3,851.24 | - |
| आदिवासी उपयोजना | बजटीय सहायता/ पेन्शन पूल निधि | टीएसपी | 2.02 | 496.09 | 498.09 | - | - | 2,112.98 | 2,112.98 | - |
| डल विकास | बजटीय सहायता/ पेन्शन पूल निधि | सामान्य | 1,947.85 | - | 1,947.85 | - | 1,908.04 | - | 1,908.04 | - |

(क) पूरे परिशिष्ट में संघ राज्य क्षेत्र सरकार द्वारा सूचना प्रस्तुत नहीं की गयी थी (जुलाई 2023)।

परिशिष्ट-III-(जारी)

| संघ राज्य क्षेत्र सरकार द्वारा दी गयी सहायता/ सहायता अनुदान | | | | | | | | | | |
|--|--------------|--|--------------------------------|---|-----------|---|--------------------------------|---|-----------|--|
| (संस्थान-वार और योजना-वार) | | | | | | | | | | |
| प्राप्तकर्ता | योजना | टीएसपी/ एससीएसपी/ सामान्य/ एफसी/ ईएपी | 2022-23 | | | जारी की गई कुल राशियों में से परिसंपत्तियों के सृजन हेतु संस्वीकृति राशि (क) | 2021-22 | | | जारी की गई कुल राशियों में से परिसंपत्तियों के सृजन हेतु संस्वीकृति राशि (क) |
| | | | संघ राज्य क्षेत्र निधि व्यय | केन्द्रीय सहायता (सीएसएस/ सीएस सहित) | कुल | | संघ राज्य क्षेत्र निधि व्यय | केन्द्रीय सहायता (सीएसएस/ सीएस सहित) | कुल | |
| (₹ लाख में) | | | | | | | | | | |
| शेर-ए-कश्मीर कृषि विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय, कश्मीर | बजटीय सहायता | सामान्य | 27,900.00 | - | 27,900.00 | - | 26,586.00 | - | 26,586.00 | - |
| शेर-ए-कश्मीर कृषि विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय, जम्मू | बजटीय सहायता | सामान्य | 12,774.94 | - | 12,774.94 | - | 9,669.75 | - | 9,669.75 | - |
| खादी एवं ग्रामोद्योग बोर्ड जम्मू एवं कश्मीर खेल परिषद | बजटीय सहायता | सामान्य | 2,700.20 | - | 2,700.20 | - | 2,156.00 | - | 2,156.00 | - |
| जम्मू एवं कश्मीर कला, संस्कृति एवं भाषा अकादमी | बजटीय सहायता | सामान्य | 3,900.00 | - | 3,900.00 | - | 2,375.00 | - | 2,375.00 | - |
| जम्मू विश्वविद्यालय | बजटीय सहायता | सामान्य | 2,539.16 | - | 2,539.16 | - | 1,545.00 | - | 1,545.00 | - |
| जम्मू विश्वविद्यालय | बजटीय सहायता | सामान्य | 25,016.68 | - | 25,016.68 | - | 19,700.00 | - | 19,700.00 | - |

परिशिष्ट-III-(जारी)

| संघ राज्य क्षेत्र सरकार द्वारा दी गयी सहायता/ सहायता अनुदान | | | | | | | | | | |
|---|--------------|--|--------------------------------|---|-----------|---|--------------------------------|---|-----------|---|
| (संस्थान-वार और योजना-वार) | | | | | | | | | | |
| प्राप्तकर्ता | योजना | टीएसपी/ एससीएसपी/ सामान्य/ एफसी/ ईएपी | 2022-23 | | | परिसंपत्तियों के सृजन हेतु कुल संस्वीकृति राशि, निर्माचित राशि का (क) | 2021-22 | | | परिसंपत्तियों के सृजन हेतु कुल संस्वीकृति राशि, निर्माचित राशि का (क) |
| | | | संघ राज्य क्षेत्र निधि व्यय | केन्द्रीय सहायता (सीएसएस/ सीएस सहित) | कुल | | संघ राज्य क्षेत्र निधि व्यय | केन्द्रीय सहायता (सीएसएस/ सीएस सहित) | कुल | |
| (₹ लाख में) | | | | | | | | | | |
| कश्मीर विश्वविद्यालय | बजटीय सहायता | सामान्य | 33,436.00 | - | 33,436.00 | - | 28,000.00 | - | 28,000.00 | - |
| अन्य विश्वविद्यालय | बजटीय सहायता | सामान्य | 10,173.27 | - | 10,173.27 | - | 8,662.72 | - | 8,662.72 | - |
| गैर-सरकारी महाविद्यालय | बजटीय सहायता | सामान्य | 4,473.10 | - | 4,473.10 | - | 4,386.94 | - | 4,386.94 | - |
| गैर-सरकारी शैक्षणिक संस्थान | बजटीय सहायता | सामान्य | 1,385.24 | - | 1,385.24 | - | - | - | - | - |
| सरकारी शैक्षणिक संस्थान | बजटीय | सामान्य | 4,894.97 | 50,376.66 | 55,271.63 | - | 6,070.62 | 50,465.98 | 56,536.60 | - |
| अभियांत्रिकी/ तकनीकी महाविद्यालय | बजटीय सहायता | सामान्य | - | 287.44 | 287.44 | - | - | 700.00 | 700.00 | - |
| विविध विकास प्राधिकरण | बजटीय सहायता | सामान्य | 7,791.56 | - | 7,791.56 | - | 7,107.83 | - | 7,107.83 | - |
| प्रबंधन एवं लोक प्रशासन संस्थान | बजटीय सहायता | सामान्य | 2,436.98 | - | 2,436.98 | - | 2,238.84 | - | 2,238.84 | - |
| जम्मू एवं कश्मीर राज्य उच्च न्यायालय/ राज्य विधिक सेवाएं | बजटीय सहायता | सामान्य | 1,865.94 | 158.00 | 2,023.94 | - | 1,492.45 | 263.58 | 1,756.03 | - |

परिशिष्ट-III-(समाप्त)

| संघ राज्य क्षेत्र सरकार द्वारा दी गयी सहायता/ सहायता अनुदान | | | | | | | | | | |
|---|--|--|--------------------------------|---|--------------------|---|--------------------------------|---|--------------------|---|
| (संस्थान-वार और योजना-वार) | | | | | | | | | | |
| प्राप्तकर्ता | योजना | टीएसपी/ एससीएसपी/ सामान्य/ एफसी/ ईएपी | 2022-23 | | | परिसंपत्तियों के सृजन हेतु कुल संस्वीकृति राशि, निर्माचित राशि का (क) | 2021-22 | | | परिसंपत्तियों के सृजन हेतु कुल संस्वीकृति राशि, निर्माचित राशि का (क) |
| | | | संघ राज्य क्षेत्र निधि व्यय | केन्द्रीय सहायता (सीएसएस/ सीएस सहित) | कुल | | संघ राज्य क्षेत्र निधि व्यय | केन्द्रीय सहायता (सीएसएस/ सीएस सहित) | कुल | |
| (₹ लाख में) | | | | | | | | | | |
| समाज कल्याण | मरकज बहबूदी खवातीन मिस्कीन बाग की स्थापना | सामान्य | 106.43 | - | 106.43 | - | 246.42 | - | 246.42 | - |
| | गुज्जर एवं बकरवाल आवास मिस्कीन बाग | सामान्य | 50.30 | - | 50.30 | - | 26.32 | - | 26.32 | - |
| | अनुसूचित जाति / अनुसूचित जनजाति का कल्याण | सामान्य | - | - | - | - | - | - | - | - |
| जम्मू एवं कश्मीर पावर कम्पनियां* | संचारण और वितरण | सामान्य | 1,28,688.39 | - | 1,28,688.39 | - | 1,18,823.19 | - | 1,18,823.19 | - |
| | सहकारिता | सामान्य | 2,850.00 | - | 2,850.00 | - | 450.00 | - | 450.00 | - |
| | एकीकृत बाल विकास योजना | | 1,616.38 | 3,534.40 | 5,150.78 | - | 724.81 | 14,691.43 | 15,416.24 | - |
| | युवा मिशन | | 1,061.38 | - | 1,061.38 | - | 553.70 | - | 553.70 | - |
| | चिकित्सा शिक्षा प्रशिक्षण और अनुसंधान | सामान्य | 6,383.64 | 99,727.33 | 1,06,110.97 | - | 7,441.63 | 56,644.74 | 64,086.37 | - |
| | कार्यान्वयन बजटीय सहायता | सामान्य | 25,711.36 | 34,233.40 | 59,944.76 | - | 36,735.29 | 5,991.94 | 42,727.23 | - |
| | कुल | | 4,26,418.22 | 2,01,632.74 | 6,28,050.96 | ₹ - | 3,52,363.52 | 1,34,721.89 | 4,87,085.41 | - |

(₹) पूंजीगत व्यय से प्राप्त ₹ 19,110.37 लाख सम्मिलित हैं।

(*) जम्मू और कश्मीर पावर कॉर्पोरेशन ₹ 1,423.72 लाख, जम्मू पावर डिस्कॉम ₹ 49,792.99 लाख, कश्मीर पावर डिस्कॉम ₹ 60,164.60 लाख और पावर ट्रेडिंग कॉर्पोरेशन ₹ 17,307.08 लाख।

परिशिष्ट-IV

| बाहय रूप से सहायता प्राप्त परियोजनाओं का विवरण | | | | | | | | | | | | | | |
|--|---|---------------------|------------|-------------|---------------|----|-----|---------|----|-----|-------------------------|---------|---------------|---------|
| सहायता अभिकरण | योजना/ परियोजना | कुल अनुमोदित सहायता | | | प्राप्त राशि* | | | | | | पुनर्भुगतान की गयी राशि | | व्यय | |
| | | | | | वर्ष के दौरान | | | वर्ष तक | | | वर्ष के दौरान | वर्ष तक | वर्ष के दौरान | वर्ष तक |
| | | अनुदान | ऋण | कुल | अनुदान | ऋण | कुल | अनुदान | ऋण | कुल | | | | |
| (₹ लाख में) | | | | | | | | | | | | | | |
| एशियन विकास बैंक | 2151- जम्मू एवं कश्मीर में अवसंरचना पुनर्वास हेतु आईएनडी बहुक्षेत्रक परियोजना | 1,01,250.00 | 1,12,50.00 | 1,12,500.00 | - | - | - | | | | | | | |
| एशियन विकास बैंक | 2331-आईएनडी जम्मू एवं कश्मीर शहरी क्षेत्र विकास निवेश कार्यक्रम परियोजना-1 | 16,740.00 | 1,860.00 | 18,600.00 | - | - | - | | | | | | | |
| एशियन विकास बैंक | 2925-आईएनडी जम्मू एवं कश्मीर शहरी क्षेत्र विकास निवेश कार्यक्रम परियोजना-I एवं II | 42,750.00 | 4,750.00 | 47,500.00 | - | - | - | | | | | | | |

(*यह जानकारी परिशिष्ट में लागू नहीं है क्योंकि 30 अक्टूबर 2019 को समाप्त होने वाली शेष राशि को दो उत्तराधिकारी संघ राज्य क्षेत्रों के बीच प्रभाजित किया जाना शेष है।

परिशिष्ट-IV-(समाप्त)

| बाह्य रूप से सहायता प्राप्त परियोजनाओं का विवरण-(समाप्त) | | | | | | | | | | | | | | |
|--|--|---------------------|--------|----------|---------------|----|-----|---------|----|-----|--------------------------|---------|---------------|---------|
| सहायता अभिकरण | योजना/ परियोजना | कुल अनुमोदित सहायता | | | प्राप्त राशि | | | | | | पुनर्भुगतान की गयी राशि* | | व्यय* | |
| | | | | | वर्ष के दौरान | | | वर्ष तक | | | वर्ष के दौरान | वर्ष तक | वर्ष के दौरान | वर्ष तक |
| | | अनुदान | ऋण | कुल | अनुदान | ऋण | कुल | अनुदान | ऋण | कुल | | | | |
| (₹ लाख में) | | | | | | | | | | | | | | |
| एशियन विकास बैंक | 3132-आईएनडी जम्मू एवं कश्मीर शहरी क्षेत्र विकास निवेश कार्यक्रम परियोजना-III | 3,240.00 | 360.00 | 3,600.00 | - | - | - | | | | | | | |
| अंतर्राष्ट्रीय विकास संगठन | 5695-आईएन झेलम और तवी बाढ़ रिकवरी परियोजना | (क) | (क) | (क) | - | - | - | | | | | | | |

(*यह जानकारी परिशिष्ट में लागू नहीं है क्योंकि 30 अक्टूबर 2019 को समाप्त होने वाली शेष राशि को दो उत्तराधिकारी संघ राज्य क्षेत्रों के बीच प्रभाजित किया जाना शेष है।

(क) सरकार से सूचना प्रतीक्षित (जुलाई 2023) थी।

परिशिष्ट-V

योजनाओं पर व्यय

क-केन्द्रीय योजनाएं (केन्द्रीय प्रायोजित योजनाएं और केन्द्रीय योजनाएं)

| क्र. सं. | भारत सरकार योजना (सीएसएस, सीपी) / साझेदारी प्रतिमान केंद्र : संघ राज्य क्षेत्र | व्यय लेखा शीर्ष के अंतर्गत संघ राज्य क्षेत्र योजनाएं | सामान्य/ जनजातीय उप योजना/ अनुसूचित जाति उप योजना | बजट प्रावधान 2022-23 (क) | | | वास्तविक 2022-23 (ख) | | | |
|-------------|---|--|---|--------------------------|---------------------------|-----|------------------------|----------------|---------------------------|-----|
| | | | | भारत सरकार अंश | संघ राज्य क्षेत्र योजनाएं | कुल | व्यय | | | |
| | | | | | | | भारत सरकार निर्माण (ख) | भारत सरकार अंश | संघ राज्य क्षेत्र योजनाएं | कुल |
| (₹ लाख में) | | | | | | | | | | |
| 1 | एनएफएसए (75:25) के तहत खाद्यान्नों के अंतर्राज्यीय अवागमन प्रबंधन और ईपीएस डीलर मार्जिन पर व्यय को पूरा करने के लिए राज्यों/ संघ राज्य क्षेत्रों को जारी केंद्रीय सहायता के मानदंडों में संशोधन | खाद्यान्न व ईपीएस | सामान्य | | | | 6,856.00 | | | |
| 2 | आरसीएच और स्वास्थ्य प्रणाली सुदृढीकरण, राष्ट्रीय स्वास्थ्य कार्यक्रम और राष्ट्रीय शहरी स्वास्थ्य मिशन के लिए लचीला पूल (90:10) | स्वास्थ्य | सामान्य | | | | 49,425.00 | | | |
| 3 | स्वच्छ भारत मिशन-ग्रामीण (एसबीएम-ग्रामीण) (90:10) | आवास | सामान्य | | | | 11,679.40 | | | |
| 4 | औषध की मांग में कमी के लिए राष्ट्रीय कार्य योजना (100) | सामाजिक न्याय | सामान्य | | | | 125.00 | | | |
| 5 | प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना (पीएमएमएसवाई) (100) | पीएमएमएसवाई | सामान्य | | | | 1,475.35 | | | |
| 6 | 100 स्मार्ट शहरों के विकास के लिए मिशन (50:50) | आवास | सामान्य | | | | 4,900.00 | | | |
| 7 | राज्य/ संघ राज्य क्षेत्र घटक-पीएमएसवाई-शहरी की अन्य मदें (90:10) | आवास | सामान्य | | | | 7,403.31 | | | |
| 8 | शहरी कायाकल्प मिशन-500 शहर (100) | आवास | सामान्य | | | | 15,859.70 | | | |
| 9 | औद्योगिक मूल्य संवर्धन के लिए कौशल सुदृढीकरण (100) | आवास | सामान्य | | | | 247.44 | | | |
| 10 | राष्ट्रीय ग्राम स्वराज अभियान (आरजीएसए) (100) | आरजीएसए | सामान्य | | | | 4,000.00 | | | |
| 11 | इंदिरा गांधी राष्ट्रीय दिव्यांग पेंशन योजना (100) | दिव्यांग पेन्शन योजना | सामान्य | | | | 44.98 | | | |
| 12 | इंदिरा गांधी राष्ट्रीय वृद्धावस्था पेंशन योजना (100) | वृद्धावस्था पेन्शन योजना | सामान्य | | | | 1,926.41 | | | |
| 13 | इंदिरा गांधी राष्ट्रीय विधवा पेंशन योजना (100) | विधवा पेन्शन योजना | सामान्य | | | | 141.26 | | | |
| 14 | प्रधानमंत्री पोषण शक्ति निर्माण (पूर्व का स्कूलों में मध्याह्न भोजन राष्ट्रीय कार्यक्रम) | मध्याह्न भोजन | सामान्य | | | | 8,684.90 | | | |
| 15 | समग्र शिक्षा (90:10) | उच्चतर शिक्षा | सामान्य | | | | 36,497.18 | | | |
| 16 | सिंचाई गणना (100) | सिंचाई | सामान्य | | | | 63.71 | | | |

(क) पूरे परिशिष्ट में सरकार से सूचना प्रतीकित (जुलाई 2023)

(ख) पूरे परिशिष्ट में अंकड़े वित्त लेखा 2022-23 के विवरण संख्या 14 से लिए गए हैं।

परिशिष्ट-V-(जारी)

योजनाओं पर व्यय-(जारी)

| क-केन्द्रीय योजनाएं (केन्द्रीय प्रायोजित योजनाएं और केन्द्रीय योजनाएं)-(जारी) | | | | | | | | | | |
|---|---|--|---|--------------------------|---------------------------|-----|------------------------|----------------|---------------------------|-----|
| क्र. सं. | भारत सरकार (सीएसएस, सीपी) / साझेदारी प्रतिमान : संघ राज्य क्षेत्र | व्यय लेखा शीर्ष के अंतर्गत संघ राज्य क्षेत्र योजनाएं | सामान्य/जनजातीय उप योजना/अनुसूचित जाति उप योजना | बजट प्रावधान 2022-23 (क) | | | वास्तविक 2022-23 (क) | | | |
| | | | | भारत सरकार अंश | संघ राज्य क्षेत्र योजनाएं | कुल | व्यय | | | |
| | | | | | | | भारत सरकार निर्माण (ख) | भारत सरकार अंश | संघ राज्य क्षेत्र योजनाएं | कुल |
| (₹ लाख में) | | | | | | | | | | |
| 17 | जनजातीय अनुसंधान संस्थानों को सहायता | जनजातीय | जनजातीय | | | | 170.84 | | | |
| 18 | राष्ट्रीय शहरी आजीविका मिशन (एनयूएलएम)-राज्य घटक (90:10) | आवास | सामान्य | | | | 1,346.21 | | | |
| 19 | राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन (90:10) | एनआरएचएम | सामान्य | | | | 12,842.76 | | | |
| 20 | राष्ट्रीय नदी संरक्षण योजना (90:10) | सिंचाई | सामान्य | | | | 2,466.50 | | | |
| 21 | सक्षम आंगनवाड़ी और पोषण (किशोर लड़कियों के लिए अम्ब्रेला आईसीडीएस-आंगनवाड़ी सेवा पोषण अभियान योजना राष्ट्रीय क्रेच योजना) (95:05) | आईसीडीएस | सामान्य | | | | 47,901.11 | | | |
| 22 | जलीय पारिस्थितिकी तंत्र का संरक्षण (100) | वन | सामान्य | | | | 900.00 | | | |
| 23 | मनरेगा (100) | नरेगा | सामान्य | | | | 34,625.41 | | | |
| 24 | न्यायपालिका के लिए बुनियादी सुविधाओं का विकास (100) | न्यायपालिका के विकास हेतु अवसंरचना सुविधाएं | सामान्य | | | | 1,260.00 | | | |
| 25 | अनुसूचित जाति के लिए पोस्ट मैट्रिक छात्रवृत्ति (60:40) | अनुसूचित जातियों के लिए छात्रवृत्ति | सामान्य | | | | 5.00 | | | |
| 26 | राष्ट्रीय आजीविका मिशन (एनआरएलएम) (90:10) | एनएलएम | सामान्य | | | | 675.35 | | | |
| 27 | राष्ट्रीय आयुष मिशन (90:10) | आयुष | सामान्य | | | | 4,895.09 | | | |
| 28 | अटल वायो अभ्यन्दय योजना (100) | सामाजिक न्याय | सामान्य | | | | 150.10 | | | |
| 29 | खाद्य एवं पोषण सुरक्षा (कृषोन्नति योजना) (100) | कृषि | सामान्य | | | | 138.47 | | | |
| 30 | बागवानी का एकीकृत विकास (90:10) | कृषि | सामान्य | | | | 3,425.00 | | | |
| 31 | कृषि विस्तार (100) | कृषि | सामान्य | | | | 514.50 | | | |
| 32 | पुलिस बल का आधुनिकीकरण (90:10) | आवास | सामान्य | | | | 1,53,036.34 | | | |
| 33 | बीज एवं रोपण सामग्री (100) | कृषि | सामान्य | | | | 978.78 | | | |
| 34 | तृतीयक देखभाल कार्यक्रम (100) | स्वास्थ्य | सामान्य | | | | 115.09 | | | |
| 35 | प्रधानमंत्री आवास योजना-ग्रामीण (पीएमएवाई) (90:10) | पीएमएवाई | सामान्य | | | | 1,03,157.62 | | | |

परिशिष्ट-V-(जारी)

योजनाओं पर व्यय-(जारी)

| क-केन्द्रीय योजनाएं (केन्द्रीय प्रायोजित योजनाएं और केन्द्रीय योजनाएं)-(जारी) | | | | | | | | | | |
|---|---|--|---|--------------------------|---------------------------|-----|-------------------------|----------------|---------------------------|---------|
| क्र. सं. | भारत सरकार (सीएसएस, सीपी) / साझेदारी प्रतिमान : संघ राज्य क्षेत्र | व्यय लेखा शीर्ष के अंतर्गत संघ राज्य क्षेत्र योजनाएं | सामान्य/जनजातीय उप योजना/अनुसूचित जाति उप योजना | बजट प्रावधान 2022-23 (क) | | | वास्तविक 2022-23 (ख) | | | |
| | | | | भारत सरकार अंश | संघ राज्य क्षेत्र योजनाएं | कुल | भारत सरकार निर्माचन (ख) | भारत सरकार अंश | संघ राज्य क्षेत्र योजनाएं | कुल (ख) |
| (₹ लाख में) | | | | | | | | | | |
| 36 | प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना (पीएमजीएसवाई) (90:10) | पीएमजीएसवाई | सामान्य | | | | 71,700.00 | | | |
| 37 | राष्ट्रीय कृषि विकास योजना (आरकेवीवाई) (100) | कृषि विकास योजना | सामान्य | | | | 481.05 | | | |
| 38 | संस्थागत प्रशिक्षण के लिए बुनियादी ढांचे का सुदृढीकरण (100) | कौशल विकास | सामान्य | | | | 350.00 | | | |
| 39 | आदिवासियों के लिए पोस्ट मैट्रिक छात्रवृत्ति (90:10) | जनजातीय | जनजातीय | | | | 683.57 | | | |
| 40 | जनजातीय उपयोजनाओं को विशेष केन्द्रीय सहायता (90:10) | जनजातीय | जनजातीय | | | | 932.39 | | | |
| 41 | राष्ट्रीय कैरियर सेवा (100) | श्रम | सामान्य | | | | 98.23 | | | |
| 42 | राष्ट्रीय महिला सुरक्षा मिशन (निर्भया फंड) (90:10) | महिलाओं की सुरक्षा | सामान्य | | | | 158.00 | | | |
| 43 | प्राथमिक कृषि सहकारी समितियों का डिजिटलीकरण (90:10) | कृषि सहकारी समितियाँ | सामान्य | | | | 525.00 | | | |
| 44 | मिशन वात्सल्य (बाल संरक्षण सेवाएँ और बाल कल्याण सेवाएँ) (90:10) | सीपी | सामान्य | | | | 2,822.85 | | | |
| 45 | हरित भारत मिशन-राष्ट्रीय वनीकरण कार्यक्रम (100) | राष्ट्रीय वनरोपण कार्यक्रम | सामान्य | | | | 649.00 | | | |
| 46 | बुनियादी ढांचे का रखरखाव | बुनियादी ढांचे का रखरखाव | सामान्य | | | | 13,233.12 | | | |
| 47 | राज्य औषधि नियामक प्रणाली का सुदृढीकरण (90:10) | राज्य औषधि नियामक प्रणाली | सामान्य | | | | 1,102.00 | | | |
| 48 | स्वास्थ्य और चिकित्सा शिक्षा के लिए मानव संसाधन (90:10) | स्वास्थ्य एवं चिकित्सा शिक्षा | सामान्य | | | | 1,147.00 | | | |
| 49 | श्यामा प्रसाद मुखर्जी रूर्बन मिशन (90:10) | रूर्बन मिशन | सामान्य | | | | 130.94 | | | |
| 50 | प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना-वाटरशेड विकास घटक (100) | पीएमकेसवाई | सामान्य | | | | 953.00 | | | |

परिशिष्ट-V -(जारी)

योजनाओं पर व्यय-(जारी)

ख-संघ राज्य क्षेत्र योजनाएं-(जारी)

संघ राज्य क्षेत्र/ भारत सरकार योजनाएं अनुदान विवरण:

क्र. सं. योजना का नाम-

(₹ लाख में)

| | | |
|----|--|-------------|
| 1 | राष्ट्रीय उद्यान कृषि मिशन | 3,425.00 |
| 2 | खाद्य एवं पोषण सुरक्षा (कृषोन्नति योजना) | 138.47 |
| 3 | राष्ट्रीय कृषि विकास योजना (आरकेवीवाई) | 481.05 |
| 4 | कृषि विस्तार | 514.50 |
| 5 | बीज और रोपण सामग्री | 978.78 |
| 6 | एनएफएसए के तहत खाद्यान्नों की अंतरराज्यीय आवागामन और ईपीएस डीलरों के मार्जिन पर व्यय को पूरा करने के लिए राज्यों/ संघ राज्य क्षेत्रों को जारी केंद्रीय सहायता के मानदंडों में संशोधन | 6,856.00 |
| 7 | जलीय पारिस्थितिकी प्रणालियों का संरक्षण | 900.00 |
| 8 | हरित भारत मिशन-राष्ट्रीय वनीकरण कार्यक्रम | 649.00 |
| 9 | आरसीएच और स्वास्थ्य प्रणाली सुदृढीकरण, राष्ट्रीय स्वास्थ्य कार्यक्रम और राष्ट्रीय शहरी स्वास्थ्य मिशन के लिए लचीला पूल | 49,425.00 |
| 10 | बुनियादी ढांचे का रखरखाव | 13,233.12 |
| 11 | राज्य औषधि नियामक प्रणालियों को सुदृढ बनाना | 1,102.00 |
| 12 | राष्ट्रीय आयुष मिशन (एनएएम) | 4,895.09 |
| 13 | स्वास्थ्य और चिकित्सा शिक्षा के लिए मानव संसाधन | 1,147.00 |
| 14 | तृतीयक देखभाल कार्यक्रम | 115.09 |
| 15 | पुलिस बलों का आधुनिकीकरण | 1,53,036.34 |
| 16 | राष्ट्रीय कैरियर सेवा | 98.23 |
| 17 | न्यायपालिका के लिए बुनियादी सुविधाएं | 1,260.00 |
| 18 | महिलाओं की सुरक्षा के लिए राष्ट्रीय मिशन (फास्ट-ट्रैक विशेष कोर्ट-निर्भया फंड) | 158.00 |
| 19 | प्राथमिक कृषि सहकारी समितियों का डिजिटलीकरण | 525.00 |
| 20 | स्वच्छ भारत मिशन-ग्रामीण (एसबीएम-ग्रामीण) | 11,679.40 |
| 21 | राष्ट्रीय पशुधन मिशन | 675.35 |
| 22 | प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना (पीएमएमएसवाई) | 1,475.35 |

परिशिष्ट-V -(जारी)

योजनाओं पर व्यय-(जारी)

ख-संघ राज्य क्षेत्र योजनाएं-(जारी)

संघ शासित क्षेत्र/ भारत सरकार योजनाएं अनुदान विवरण:-(जारी)

क्र. सं. योजना का नाम-

(₹ लाख में)

| | | |
|----|---|-------------|
| 23 | 100 स्मार्ट शहरों के विकास के लिए मिशन | 4,900.00 |
| 24 | राष्ट्रीय शहरी आजीविका मिशन-राज्य घटक | 1,346.21 |
| 25 | राज्य/संघ राज्य क्षेत्र घटक की अन्य वस्तुएं- पीएमएवाई शहरी | 7,403.31 |
| 26 | शहरी कायाकल्प मिशन-500 शहर | 15,859.70 |
| 27 | संस्थागत प्रशिक्षण के लिए बुनियादी ढांचे का सुदृढीकरण | 350.00 |
| 28 | औद्योगिक मूल्य संवर्धन के लिए कौशल सुदृढीकरण | 247.44 |
| 29 | राष्ट्रीय ग्राम स्वराज अभियान (आरजीएसए) | 4,000.00 |
| 30 | इंदिरा गांधी राष्ट्रीय दिव्यांग पेंशन योजना | 44.98 |
| 31 | इंदिरा गांधी राष्ट्रीय वृद्धावस्था पेंशन योजना | 1,926.41 |
| 32 | इंदिरा गांधी राष्ट्रीय विधवा पेंशन योजना | 141.26 |
| 33 | महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण गारंटी कार्यक्रम | 34,625.41 |
| 34 | राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन (एनआरएलएम) | 12,842.76 |
| 35 | प्रधानमंत्री आवास योजना-ग्रामीण (पीएमएवाई) | 1,03,157.62 |
| 36 | प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना (पीएमजीएसवाई) | 71,700.00 |
| 37 | श्यामा प्रसाद मुखर्जी रूबन मिशन | 130.94 |
| 38 | प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना- वाटरशेड विकास घटक | 953.00 |
| 39 | प्रधान मंत्री पोषण शक्ति निर्माण (स्कूलों में मध्याह्न भोजन का पूर्व राष्ट्रीय कार्यक्रम) | 8,684.90 |
| 40 | समग्र शिक्षा | 36,497.18 |
| 41 | अनुसूचित जातियों के लिए पोस्ट मैट्रिक छात्रवृत्ति | 5.00 |
| 42 | अटल वायो अभ्यन्दय योजना (एवीवाईएवाई) | 150.10 |
| 43 | नशीली दवाओं की मांग में कमी के लिए राष्ट्रीय कार्य योजना | 125.00 |
| 44 | पूर्व माध्यमिक छात्रवृत्ति- जनजाति | 683.57 |

परिशिष्ट-V -(समाप्त)

योजनाओं पर व्यय-(समाप्त)

ख-संघ राज्य क्षेत्र योजनाएं-(समाप्त)

संघ शासित क्षेत्र/ भारत सरकार योजनाएं अनुदान विवरण:- (समाप्त)

क्र. सं. योजना का नाम-

(₹ लाख में)

| | | |
|----|---|--------------------|
| 45 | जनजातीय उप-योजनाओं के लिए विशेष केंद्रीय सहायता | 932.39 |
| 46 | जनजातीय अनुसंधान संस्थानों को सहायता | 170.84 |
| 47 | सिंचाई जनगणना | 63.71 |
| 48 | राष्ट्रीय नदी संरक्षण योजना-अन्य बेसिन | 2,466.50 |
| 49 | मिशन वात्सल्य (बाल संरक्षण सेवाएँ और बाल कल्याण सेवाएँ) | 2,822.85 |
| 50 | सक्षम आंगनवाड़ी और पोषण (किशोर लड़कियों के लिए राष्ट्रीय क्रेच योजना अम्ब्रेला आईसीडीएस-आंगनवाड़ी सेवा पोषण अभियान योजना) | 47,901.11 |
| | कुल योग | 6,12,899.96 |

परिशिष्ट-VI

संघ राज्य क्षेत्र में कार्यान्वयन एजेन्सियों को केन्द्रीय योजना निधियों का प्रत्यक्ष हस्तांतरण

(संघ राज्य क्षेत्र बजट के अलावा प्राप्त निधियों) (अलेखापरीक्षित आँकड़े)

| भारत सरकार योजना | संघ राज्य क्षेत्र में कार्यान्वयन एजेन्सियाँ | 2022-23 (क) | 2021-22 | 2020-21 |
|---|--|-------------|----------|-----------|
| योजना का नाम | | (₹ लाख में) | | |
| स्व रोजगार और प्रतिभा उपयोगिता (एसईटीयू) सहित अटल नवाचार मिशन (एआईएम) | विभिन्न सरकारी उच्चतर माध्यमिक विद्यालय | 46.00 | 336.00 | 110.00 |
| कृषि जनगणना | जम्मू एवं कश्मीर कृषि उत्पादन विभाग | 200.92 | - | - |
| एनएफएसए के अंतर्गत खाद्यान्नों और एफपीएस डीलर मार्जिन की अंतर्राज्यीय गतिशीलता हेतु राज्य एजेन्सियों को सहायता | उपभोक्ता मामले और लोक वितरण विभाग जम्मू एवं कश्मीर | - | 4,750.57 | 13,784.68 |
| आयुष्मान भारत-प्रधान मंत्री जन आरोग्य योजना (पीएनजेवाई) | स्वास्थ्य और परिवार कल्याण विभाग | 8,561.69 | - | - |
| जैव प्रौद्योगिकी अनुसंधान और विकास | महिलाओं के लिए सरकारी महाविद्यालय, एमए रोड, श्रीनगर, एसकेआईएसएस, सौरा, श्रीनगर | - | - | 68.00 |
| बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ | विभिन्न उपायुक्त, जम्मू एवं कश्मीर सरकार | - | - | 320.52 |
| स्वास्थ्य अनुसंधान के प्रोत्साहन हेतु अवसंरचना का विकास | चिकित्सा महाविद्यालय, श्रीनगर | - | 32.19 | 47.99 |
| नर्सिंग सेवाओं का विकास | जम्मू एवं कश्मीर के विभिन्न नर्सिंग विद्यालय | - | - | 1,125.00 |
| स्थापना व्यय (ईएफ & सीएल) | प्रधान मुख्य वन संरक्षक, जम्मू एवं कश्मीर | 476.28 | 138.46 | - |
| जोनोटिक रोगों और अन्य नेगेलेक्टड ट्रोपिकल डिजीज के नियंत्रण और तैयारी हेतु एनसीडीसी शाखाओं और स्वास्थ्य पहल अंतर क्षेत्रीय समन्वयन का सशक्तिकरण और स्थापना वायरल हेपेटाइटिस एन्टी माइक्रोबियल रिजिस्टेंस की निगरानी | सरकारी चिकित्सा महाविद्यालय, जम्मू/ श्रीनगर | - | - | 3.96 |
| ई-न्यायालय चरण-II | महा पंजीयक, जम्मू एवं कश्मीर उच्च न्यायालय | - | - | 100.12 |

(क) आँकड़े दिनांक 10.04.2023 को डाउनलोड किये गये महालेखा नियंत्रक के पोर्टल 'लोक वित्तीय प्रबंधन प्रणाली (पीएफएमएस)' से लिये गये हैं। ये अलेखापरीक्षित आँकड़े हैं।

परिशिष्ट-VI-(जारी)

संघ राज्य क्षेत्र में कार्यान्वयन एजेन्सियों को केन्द्रीय योजना निधियों का प्रत्यक्ष हस्तांतरण

(संघ राज्य क्षेत्र बजट के अलावा प्राप्त निधियाँ) (अलेखापरीक्षित आँकड़े)

| भारत सरकार योजना | संघ राज्य क्षेत्र में कार्यान्वयन एजेन्सियाँ | 2022-23 (क) | 2021-22 | 2020-21 |
|---|--|-------------|-----------|-----------|
| योजना का नाम | | (₹ लाख में) | | |
| अनुसंधान संस्थानों इत्यादि के माध्यम से अतिरिक्त भित्ति अनुसंधान परियोजनाएं | सरकारी आयुर्वेदिक अस्पताल, जम्मू | - | - | 9.00 |
| मानव संसाधन तथा क्षमता विकास | सरकारी चिकित्सा अस्पताल, जम्मू | - | 17.52 | 6.54 |
| आपातकालीन चिकित्सा सेवाओं के लिए स्वास्थ्य क्षेत्र की आपदा तैयारी व प्रतिक्रिया | सरकारी चिकित्सा अस्पताल, जम्मू | - | - | - |
| मानव संसाधन विकास | | - | 124.26 | - |
| कृषि संगणना और सांख्यिकी पर एकीकृत योजना | जम्मू एवं कश्मीर कृषि उत्पादन विभाग | - | 207.17 | 313.78 |
| लोक वितरण प्रणाली का एकीकृत प्रबंधन | उपभोक्ता मामले और लोक वितरण विभाग जम्मू एवं कश्मीर | 115.87 | 64.80 | 45.42 |
| नवाचार, प्रौद्योगिकी विकास और परिनियोजन | जम्मू एवं कश्मीर विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी परिषद | - | 20.26 | 198.60 |
| अवसंरचना और प्रौद्योगिकी विकास योजनाएं | जिला विकास आयुक्त, बडगाम | - | - | 103.58 |
| पंचायत का प्रोत्साहनीकरण | राष्ट्रीय ग्राम स्वराज अभियान | - | - | 60.00 |
| सासंद स्थानीय क्षेत्र विकास योजना (एमपीएलएडी) | जम्मू एवं कश्मीर सरकार के विभिन्न जिला उपायुक्त | 2,200.00 | 1,300.00 | 2,250.00 |
| राष्ट्रीय राजमार्गों का अनुरक्षण- सीआरएफ से वित्त पोषित | परिवहन उपायुक्त, जम्मू एवं कश्मीर सरकार | - | - | 20.00 |
| ग्रामीण विकास कार्यक्रमों को प्रबंधन सहायता तथा जिला योजना प्रक्रिया का सशक्तिकरण | क्षेत्रीय विस्तार प्रशिक्षण केंद्र, बडगाम | - | 16.61 | - |
| राष्ट्रीय अंग प्रत्यारोपण कार्यक्रम | सरकारी चिकित्सा अस्पताल, जम्मू | - | 22.00 | - |
| वन स्टॉप सेन्टर | उपायुक्त, जम्मू एवं कश्मीर सरकार | - | - | 218.84 |
| संधारणीय हेतु आधिकारिक विकास सहायता | एसपीवी-आकांक्षा-बारामूला/ कुपवाड़ा | - | 1,602.40 | - |
| प्रधान मंत्री मातृ वंदना योजना | समाज कल्याण विभाग, जम्मू एवं कश्मीर सरकार | - | - | 750.11 |
| प्रधान मंत्री किसान सम्मान निधि (पीएम-किसान) | कृषि उत्पादन विभाग, जम्मू एवं कश्मीर सरकार | 52,482.10 | 66,458.12 | 70,883.40 |
| प्रधान मंत्री किसान संपदा योजना-मेगा फूड पार्क | उद्यान कृषि विभाग, जम्मू एवं कश्मीर सरकार | - | - | 150.00 |
| पीएम फॉर्मलाइजेशन ऑफ माइक्रो फूड प्रोसेसिंग इंटरप्राइजेज पीएम-एफएमई | उद्यान कृषि विभाग, जम्मू एवं कश्मीर सरकार | - | 2.33 | 668.64 |

(क) आँकड़े दिनांक 10.04.2023 को डाउनलोड किये गये महालेखा नियंत्रक के पोर्टल 'लोक वित्तीय प्रबंधन प्रणाली (पीएफएमएस)' से लिये गये हैं। ये अलेखापरीक्षित आँकड़े हैं।

परिशिष्ट-VI-(समाप्त)

संघ राज्य क्षेत्र में कार्यान्वयन एजेन्सियों को केन्द्रीय योजना निधियों का प्रत्यक्ष हस्तांतरण

(संघ राज्य क्षेत्र बजट के अलावा प्राप्त निधियाँ) (अलेखापरीक्षित आँकड़े)

| भारत सरकार योजना | संघ राज्य क्षेत्र में कार्यान्वयन एजेन्सियाँ | 2022-23 (क) | 2021-22 | 2020-21 |
|--|--|----------------------|------------------|------------------|
| योजना का नाम | | (₹ लाख में) | | |
| मूल्य अनुवीक्षण संरचना | उपभोक्ता मामले और लोक वितरण विभाग जम्मू एवं कश्मीर | - | - | 3.42 |
| प्रवासियों और प्रत्यावर्तितों हेतु राहत और पुनर्वास | जम्मू एवं कश्मीर के उपायुक्त/ अपर उपायुक्त | 65.00 | 12.00 | - |
| अल्पसंख्यकों हेतु विकास योजनाओं का अनुसंधान/ अध्ययन, प्रचार, अनुवीक्षण तथा मूल्यांकन | सरकारी डिग्री महाविद्यालय सोपोर, कश्मीर | - | 2.50 | 2.50 |
| अनुसंधान, प्रशिक्षण तथा अध्ययन और अन्य सड़क सुरक्षा योजनाएं | परिवहन उपायुक्त, जम्मू एवं कश्मीर सरकार | 101.90 | 373.15 | 104.65 |
| सामर्थ्य (बीबीबीबी शिशुगृह पीएमएमवीवाई लिंग बजट अनुसंधान कौशल प्रशिक्षण इत्यादि) | समाज कल्याण विभाग, जम्मू एवं कश्मीर सरकार | 2,060.28 | 4,037.77 | - |
| दिव्यांगजनों के लिए योजनाएं | अवर सचिव, दिव्यांगजनों हेतु आयुक्त, जम्मू | 16.00 | - | - |
| संबल (वन स्टॉप सेन्टर महिला पुलिस स्वयंसेवक महिला हेल्पलाइन स्वाधार उज्ज्वला विधवा आवास इत्यादि) | विभिन्न वन स्टॉप केंद्र | - | 388.85 | - |
| विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी संस्थागत और मानव क्षमता निर्माण | सरकारी डिग्री महाविद्यालय | - | 42.27 | 13.50 |
| लोक वितरण प्रणाली परिचालन का सशक्तिकरण | उपभोक्ता मामले और लोक वितरण विभाग जम्मू एवं कश्मीर | 11,551.90 | - | - |
| पीडीएस के अंतर्गत भुगतान योग्य चीनी सहायिकी | उपभोक्ता मामले और लोक वितरण विभाग जम्मू एवं कश्मीर | 476.32 | 254.13 | 208.26 |
| सांख्यिकी सशक्तिकरण हेतु सहायता | आर्थिक एवं सांख्यिकी निदेशालय, जम्मू एवं कश्मीर | - | - | 137.75 |
| सड़क संकेत के अंतर्गत निर्माण | उपायुक्त, पुलवामा | 340.89 | - | - |
| महिला हैल्प लाइन | उपायुक्त, जम्मू | - | - | 60.07 |
| अन्य | | - | 0.25 | - |
| | कुल | 78,695.15 (ख) | 80,203.61 | 91,768.33 |

(क) आँकड़े दिनांक 10.04.2023 को डाउनलोड किये गये महालेखा नियंत्रक के पोर्टल 'लोक वित्तीय प्रबंधन प्रणाली (पीएफएमएस)' से लिये गये हैं। ये अलेखापरीक्षित आँकड़े हैं।

(ख) भारत सरकार द्वारा निर्माचित ₹ 4,23,734.48 लाख की कुल राशि में से ₹ 78,695.15 लाख की राशि जम्मू एवं कश्मीर सरकार के विभिन्न विभागों तथा ₹ 3,45,039 लाख की राशि सरकार के विभिन्न स्वायत्तशासी निकायों/ अन्य अधिष्ठानों को हस्तांतरित की गयी है। कृपया लेखाओं पर टिप्पणियाँ खण्ड-I के पैरा 3 (xiv) का संदर्भ लें।

परिशिष्ट-VII

(क) शेषों की स्वीकृति और मिलान (जैसा कि विवरण 18 और 21 में प्रदर्शित है)

| क्र. सं. | लेखा शीर्ष और संस्थान का नाम | प्रतीक्षित स्वीकृतियों की संख्या | पूर्ववर्ती वर्ष जिससे स्वीकृतियाँ प्रतीक्षित हैं | अंतर की राशि |
|----------|------------------------------|----------------------------------|--|--------------|
| | | | | (₹ लाख में) |

मुख्य शीर्ष 7610-सरकारी सेवकों को ऋण के अधीनस्थ लघु शीर्ष 201-आवास निर्माण अग्रिम और 202-मोटर वाहनों की खरीद हेतु अग्रिम के विस्तृत लेखा को प्रधान महालेखाकार (लेखा व हकदारी) द्वारा अनुरक्षित किया जाता है। शेषों को अभी तक संबंधित ऋणियों को सूचित किया जाना है क्योंकि 30 अक्टूबर 2019 तक के शेषों को अभी भी दो नये संघ राज्य क्षेत्रों अर्थात् संघ राज्य क्षेत्र जम्मू एवं कश्मीर और संघ राज्य क्षेत्र जम्मू लद्दाख के मध्य प्रभाजित किया जाना है।

परिशिष्ट-VII-(समाप्त)

(ख) शेषों की स्वीकृति और मिलान (जैसा कि विवरण 18 और 21 में प्रदर्शित है)

(बोल्ड में आँकड़े संघ राज्य क्षेत्र जम्मू एवं कश्मीर में प्रतिधारित और प्रभाजित किये जाने वाले 30 अक्टूबर 2019 के अंत तक के शेषों को दर्शाते हैं)

| लेखा शीर्ष | पूर्ववर्ती वर्ष जिससे अंतर संबंधित हैं | अंतर की राशि | विभागीय अधिकारी/ कोषागार अधिकारी जिनके साथ अंतर समाधानाधीन है | प्रतीक्षित दस्तावेज/ विवरण इत्यादि का ब्योरा |
|--------------------------------------|---|--------------|---|--|
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) |
| (₹ लाख में) | | | | |
| 7610- सरकारी सेवकों को ऋण- | | | | |
| 201- आवास निर्माण अग्रिम | 2002-03 | 1.30 | सभी विभागीय अधिकारियों/ कोषागार अधिकारियों से शेषों का मिलान प्रतीक्षित है। | वाउचर/ चालान |
| 202- मोटर वाहनों के क्रय हेतु अग्रिम | 2002-03 | 7.64 | सभी विभागीय अधिकारियों/ कोषागार अधिकारियों से शेषों का मिलान प्रतीक्षित है। | वाउचर/ चालान |

परिशिष्ट-VIII

सिंचाई योजनाओं के वित्तीय परिणाम

(बोर्ड में आकड़े सघ राज्य क्षेत्र जम्मू एव कश्मीर में प्रातिघारित और प्रभाजित किये जाने वाले 30 अक्टूबर 2019 के अंत तक के शेषों को दर्शाते हैं)

| क्र. सं. | परियोजना का नाम\$ | वर्ष के दौरान पूँजीगत परिव्यय | | | वर्ष के अंत में पूँजीगत परिव्यय | | | वर्ष के दौरान राजस्व प्राप्ति | | | वर्ष के दौरान कार्यकारी खर्च और अनुरक्षण | | | ब्याज रहित निवल राजस्व | | | ब्याज प्राप्त के पश्चात् निवल लाभ या हानि | | | |
|-------------|-------------------|-------------------------------|------------|-----|---------------------------------|------------|-----------|-------------------------------|---------------------|--------------|--|------------------------|------------|------------------------|---|--|---|---|---|----|
| | | प्रत्यक्ष | अप्रत्यक्ष | कुल | प्रत्यक्ष | अप्रत्यक्ष | कुल | प्रत्यक्ष राजस्व प्राप्ति | अप्रत्यक्ष प्राप्ति | कुल प्राप्ति | वर्ष के दौरान कुल राजस्व | वर्ष के दौरान कुल खर्च | प्रत्यक्ष# | अप्रत्यक्ष | कुल व्यय (कॉलम 16) पर राजस्व (कॉलम 13) अधिशेष (+) या राजस्व | वर्ष की समाप्ति पर पूँजीगत परिव्यय पर ब्याज राजस्व (-) पर व्यय की दर | प्रत्यक्ष | व्यय (+) पर राजस्व अधिशेष या राजस्व (-) पर व्यय की अधिकता | वर्ष की समाप्ति पर पूँजीगत परिव्यय पर प्रतिशत | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| (र लाख में) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | कठुआ फीडर नहर | - | - | - | 1,828.32 | 420.51 | 2,248.83 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 2 | प्रताप नहर | - | - | - | 5,142.94 | 3,729.50 | 8,872.44 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 3 | रणबीर नहर | - | - | - | 16,456.77 | 3,614.74 | 20,071.51 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 4 | मार्तण्ड नहर | - | - | - | 1,770.62 | 407.25 | 2,177.87 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |

\$ विवरण में सम्मिलित सभी सिंचाई परियोजनाओं को वाणिज्यिक दर्जे की घोषित किया गया।

कॉलम 14 के अंतर्गत आँकड़ों को एम एच-2700 "मुख्य सिंचाई" और मुख्य शीर्ष-2701- "मध्यम सिंचाई" से लिया गया है जैसा कि सरकार द्वारा बजट प्रावधान के प्रति व्यय बुक किया गया।

परिशिष्ट-VIII-(समाप्त)

सिंचाई योजनाओं के वित्तीय परिणाम-(समाप्त)

(बोर्ड में ऑकड़े संघ राज्य क्षेत्र जम्मू एवं कश्मीर में प्रतिधारित और प्रभाजित किये जाने वाले 30 अक्टूबर 2019 के अंत तक के शेषों को दर्शाते हैं)

| क्र. सं. | परियोजना का नाम\$ | वर्ष के दौरान पूँजीगत परिव्यय | | | वर्ष के अंत में पूँजीगत परिव्यय | | | वर्ष के दौरान राजस्व प्राप्तियाँ | | | वर्ष के दौरान कार्यकारी खर्चे और अनुरक्षण | | | ब्याज रहित निवल राजस्व | | ब्याज प्राप्त के पश्चात् निवल लाभ या हानि | | | | |
|-------------|-------------------|-------------------------------|------------|-----|---------------------------------|-----------------|------------------|----------------------------------|------------------------|-----------------|---|-------------------------|-----------------------|--|--|---|---|----|----|----|
| | | प्रत्यक्ष | अप्रत्यक्ष | कुल | प्रत्यक्ष | अप्रत्यक्ष | कुल | प्रत्यक्ष राजस्व प्राप्तियाँ | अप्रत्यक्ष प्राप्तियाँ | कुल प्राप्तियाँ | वर्ष के दौरान कुल राजस्व | वर्ष के दौरान कुल खर्चे | प्रत्यक्ष# अप्रत्यक्ष | कुल व्यय (कॉलम 16) पर राजस्व (कॉलम 13) पर अधिशेष (+) या राजस्व पर दर | वर्ष की समाप्ति पर पूँजीगत परिव्यय पर ब्याज राजस्व (-) पर व्यय की अधिकता | व्यय (+) पर राजस्व या अधिशेष | वर्ष की समाप्ति पर पूँजीगत परिव्यय पर प्रतिशत | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| (र लाख में) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 5 | जैनगीर नहर | - | - | - | 8.75 | 2.01 | 10.76 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | | | | | 773.54 | 51.45 | 824.99 | | | | | | | | | | | | | |
| 6 | आजी नहर | - | - | - | 1,610.55 | 370.43 | 1,980.98 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | | | | | 1,610.55 | 370.43 | 1,980.98 | | | | | | | | | | | | | |
| 7 | दादी नहर | - | - | - | 2,395.68 | 64.44 | 2,460.12 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | | | | | 2,395.68 | 64.44 | 2,460.12 | | | | | | | | | | | | | |
| | कुल | - | - | - | 8.75 | 2.01 | 10.76 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | | | | | 29,978.42 | 8,658.32 | 38,636.74 | | | | | | | | | | | | | |

\$ विवरण में सम्मिलित सभी सिंचाई परियोजनाओं को वाणिज्यिक दर्जे की घोषित किया गया।

कॉलम 14 के अंतर्गत आंकड़ों को एमएच-2700 "मुख्य सिंचाई" और मुख्य शीर्ष-2701-"मध्यम सिंचाई" से लिया गया है जैसा कि सरकार द्वारा बजट प्रावधान के प्रति व्यय बुक किया गया।

परिशिष्ट-IX

सरकार की प्रतिबद्धताएं- ₹1 करोड़ और अधिक लागत वाले अपूर्ण पूँजीगत निर्माण कार्यों की सूची

| क्र. सं. | परियोजना/ कार्य का नाम | कार्य की लागत | संस्वीकृति की दिनांक | प्रारंभ का वर्ष | समापन का लक्ष्य वर्ष | कार्य की भौतिक प्रगति (प्रतिशत में) | वर्ष के दौरान व्यय | वर्ष के अंत में प्रगतिशील व्यय | लंबित भुगतान | संशोधित लागत (यदि कोई हो)/ परिशोधन की तिथि | प्रास्थिति |
|--|--|---------------|----------------------|-----------------|----------------------|-------------------------------------|--------------------|--------------------------------|--------------|--|------------|
| (₹ लाख में) | | | | | | | | | | | |
| (क) जल शक्ति विभाग (पीएचई) कश्मीर | | | | | | | | | | | |
| 1 | जम्मू का डब्ल्यूएसएस राजिंदर नगर इलाका | 233.69 | 2017-18 | 2017-18 | 2022-23 | 70 | 28.89 | 167.87 | - | - | जारी है |
| 2 | गाज़ियाबाद को महत्वपूर्ण/ अगस्त की जल आपूर्ति | 149.00 | 2018-19 | 2018-19 | 2022-23 | 99 | 22.46 | 65.22 | - | - | जारी है |
| 3 | कटरा शहर में स्टेज-शून्य की मौजूदा प्रणाली का उन्नयन | 106.00 | 2020-21 | 2020-21 | 2022-23 | 50 | 15.44 | 105.97 | - | 205.28 | जारी है |
| 4 | पीएचईएसएस2021100110-समर्पित फीडरों के लिए प्रावधान | 300.00 | 2021-22 | 2021-22 | 2022-23 | | 53.68 | 253.68 | - | - | जारी है |
| (ख) लोक निर्माण (आर एंड बी) विभाग जम्मू | | | | | | | | | | | |
| 1 | ब्लॉक में अखनूर से सुमाह सड़क का चौड़ीकरण/ सुधार एवं उन्नयन | 259.56 | 2017-18 | 2018-19 | मार्च.2023 | 90 | 23.82 | 252.41 | 7.15 | - | जारी है |
| 2 | लोहड़ी चक से सोहागानी होते हुए चकराली तक सड़क का सुधार/ उन्नयन | 300.00 | 2017-18 | 2018-19 | मार्च.2023 | 90 | 0.00 | 186.00 | 114.00 | - | जारी है |
| 3 | चुचु दा अंब से लोहड़ी चक रोड का सुधार/उन्नयन | 462.90 | 2020-21 | 2021-22 | मार्च.2023 | 90 | 147.33 | 225.07 | 237.83 | - | जारी है |
| 4 | कथार बस स्टैंड से ऊपरी कथार होते हुए पेट्रा तक सड़क का निर्माण | 233.87 | 2021-22 | 2022-23 | मार्च. 2023 | 90 | 121.77 | 121.77 | 112.10 | - | जारी है |
| 5 | नानकचक से चक मेदु तक और इंद्रा कॉलोनी से रेडियन तक निकटवर्ती लिंक सड़क का सुधार/उन्नयन | 245.73 | 2017-18 | 2018-19 | मार्च.2023 | 85 | 6.07 | 173.88 | 71.85 | - | जारी है |
| 6 | मुख्य सुंब रोड से समलाह होते हुए एसटी बस्ती अंबाला तक लिंक रोड का निर्माण | 249.24 | 2019-20 | 2020-21 | मार्च.2023 | 85 | 56.06 | 56.06 | 193.18 | - | जारी है |
| 7 | राष्ट्रीय राजमार्ग तारो से डेरा पट्टी तक लिंक रोड का निर्माण (लंबाई-1.90 किलोमीटर) | 226.37 | 2019-20 | 2020-21 | मार्च.2023 | 85 | 34.78 | 114.78 | 115.59 | - | जारी है |
| 8 | दारुई से ग्राम बरधान तक सड़क का निर्माण | 300.00 | 2019-20 | 2020-21 | मार्च.2023 | 95 | 125.28 | 142.72 | 152.28 | - | जारी है |
| 9 | ग्राम पाखरी से कज्याल राजावती और रतनपुर होते हुए कौलपुर तक संपर्क सड़क का सुधार/उन्नयन | 303.12 | 2019-20 | 2020-21 | मार्च.2023 | 98 | 80.00 | 125.75 | 177.37 | - | जारी है |
| 10 | लंगलोटे लिंक रोड (डबल लेन) का सुधार/उन्नयन | 672.00 | 2016-17 | 2017-18 | मार्च.2023 | 85 | 9.42 | 412.47 | 259.53 | - | जारी है |
| 11 | मंगलूर से बालोटे सराह होते हुए गढ़ तक सड़क का निर्माण | 400.00 | 2019-20 | 2020-21 | मार्च.2023 | 90 | 169.32 | 235.89 | 164.11 | - | जारी है |
| 12 | बोमिका मंदिर कटरा से पुराना गांव दरूर तक सड़क का निर्माण | 200.20 | 2019-20 | 2020-21 | मार्च.2023 | 95 | 62.39 | 92.39 | 107.81 | - | जारी है |

परिशिष्ट-IX-(जारी)

| सरकार की प्रतिबद्धताएं- ₹1 करोड़ और अधिक लागत वाले अपूर्ण पूँजीगत निर्माण कार्यों की सूची | | | | | | | | | | | |
|---|--|---------------|----------------------|-----------------|----------------------|-------------------------------------|--------------------|--------------------------------|--------------|--|-----------------|
| क्र. सं. | परियोजना/ कार्य का नाम | कार्य की लागत | संस्वीकृति की दिनांक | प्रारंभ का वर्ष | समापन का लक्ष्य वर्ष | कार्य की भौतिक प्रगति (प्रतिशत में) | वर्ष के दौरान व्यय | वर्ष के अंत में प्रगतिशील व्यय | लंबित भुगतान | संशोधित लागत (यदि कोई हो)/ परिशोधन की तिथि | प्रास्थिति (\$) |
| (₹ लाख में) | | | | | | | | | | | |
| (ख) लोक निर्माण (आर एंड बी) विभाग जम्मू (जारी) | | | | | | | | | | | |
| 13 | सुमारी से सूरी नाला होते हुए मुंथन तक सड़क का सुधार/उन्नयन (l=2 किमी) | 301.80 | 2020-21 | 2021-22 | मार्च.2023 | 95 | 70.35 | 148.85 | 152.95 | - | जारी है |
| 14 | मिडिल स्कूल लोअर लूथेरा मोहल्लालोपोरा से डुंगी भाक तक लिंक रोड का निर्माण | 264.70 | 2016-17 | 2017-18 | मार्च.2023 | 90 | 25.52 | 242.75 | 21.95 | - | जारी है |
| 15 | पीएमजीएसवाई गुरसल मोड़ से मोहल्ला गुरसैन मेंढर होते हुए गुरसल नाले तक सड़क का निर्माण | 299.35 | 2016-17 | 2017-18 | मार्च.2023 | 85 | 0.00 | 264.62 | 34.73 | - | जारी है |
| 16 | बंजार से भारसी तक मोटर योग्य सड़क का निर्माण | 400.00 | 2017-18 | 2018-19 | मार्च.2023 | 90 | 0.00 | 187.70 | 212.30 | - | जारी है |
| 17 | थाई से क्वाथ रोड तक लिंक सड़क का निर्माण | 248.00 | 2016-17 | 2017-18 | मार्च.2023 | 90 | 0.00 | 73.44 | 174.56 | - | जारी है |
| 18 | गुज्जरमढ़ तक बनिहाल चांजलू सड़क का सुधार/उन्नयन | 249.00 | 2017-18 | 2018-19 | मार्च.2023 | 95 | 61.47 | 176.74 | 72.26 | - | जारी है |
| 19 | मेरान तेथर ब्रिज पुराने एनएचडब्ल्यू से नए एनएचडब्ल्यू लांबर तक सड़क का निर्माण | 299.97 | 2017-18 | 2018-19 | मार्च.2023 | 95 | 185.11 | 235.93 | 64.04 | - | जारी है |
| 20 | किला सेरी से दुग्गा चरण। होते हुए दयार गली तक सड़क का निर्माण | 249.84 | 2017-18 | 2018-19 | मार्च.2023 | 95 | 13.74 | 207.18 | 42.66 | - | जारी है |
| 21 | बंटालाब से अघोर तक डबल लेन स्टॉट्स रोड, जिला जम्मू तक सड़क का सुधार/उन्नयन | 1,624.00 | 2015-16 | 2017-18 | मार्च.-2023 | 95 | 79.65 | 1,267.10 | 356.90 | - | जारी है |
| 22 | गैलमैन से कोहली कोपर होते हुए दसानु तक सड़क का निर्माण। | 1,000.00 | 2017-18 | 2019-20 | मार्च.-2023 | 90 | 374.43 | 621.08 | 378.92 | - | जारी है |
| 23 | मनकोट में मेंढर नाले पर दोनों तरफ 1.2 मीटर चौड़े पैदल मार्ग के साथ 140 मीटर (4x35 मीटर) डबल लेन प्री-स्ट्रेसड कंक्रीट | 1,109.90 | 2017-18 | 2019-20 | मार्च.-2023 | 90 | 19.74 | 980.86 | 129.04 | - | जारी है |
| 24 | गंदोह जाई रोड का निर्माण (शेष भाग) | 950.00 | 2013-14 | 2015-16 | मार्च.-2023 | 85 | 0.00 | 622.78 | 327.22 | - | जारी है |
| 25 | संगर रेलवे स्टेशन से दोमेल जंद्रा रोड पर छल्लाना गांव में तवी नदी पर 250 मीटर का प्री स्ट्रेसड कंक्रीट पुल (एचसीएम प्रतिबद्धता) का निर्माण | 1,733.76 | 2011-12 | 2011-12 | मार्च.-2023 | 95 | 119.89 | 1,685.88 | 52.26 | 1,738.14 | जारी है |

परिशिष्ट-IX-(जारी)

| सरकार की प्रतिबद्धताएं- ₹1 करोड़ और अधिक लागत वाले अपूर्ण पूँजीगत निर्माण कार्यों की सूची | | | | | | | | | | | |
|---|--|---------------|----------------------|-----------------|----------------------|-------------------------------------|--------------------|--------------------------------|--------------|--|-----------------|
| क्र. सं. | परियोजना/ कार्य का नाम | कार्य की लागत | संस्वीकृति की दिनांक | प्रारंभ का वर्ष | समापन का लक्ष्य वर्ष | कार्य की भौतिक प्रगति (प्रतिशत में) | वर्ष के दौरान व्यय | वर्ष के अंत में प्रगतिशील व्यय | लंबित भुगतान | संशोधित लागत (यदि कोई हो)/ परिशोधन की तिथि | प्रास्थिति (\$) |
| (₹ लाख में) | | | | | | | | | | | |
| 26 | गुलहाटी संज्योत रोड पर सुक्खर नाले पर 35 मीटर स्पैन स्टील गर्डर पल का निर्माण | 298.50 | 2019-20 | 2019-20 | मार्च.-2023 | 90 | 9.42 | 194.12 | 104.38 | 298.50 | जारी है |
| 27 | अथोली पट्टार (जेकेपीसीसी) एचसीएम पब्लिक दरबार में 114 मीटर स्पैन फ़ुट सर्पेंशन ब्रिज का निर्माण | 424.50 | 2010-11 | 2010-11 | मार्च.-2023 | 80 | 0.00 | 558.00 | 72.00 | 630.00 | जारी है |
| 28 | बेहरी मोड़ मालानी से पट्टन तक पहुंच मार्ग पर किमी 1 आरडी 300-350 में नीरू नाले पर स्टील मोटरेबल ब्रिज का निर्माण | 211.00 | 2020-21 | 2020-21 | मार्च.-2023 | 85 | 69.82 | 134.82 | 76.18 | 211.00 | जारी है |
| 29 | सिंबलीवाला में रणबीर नहर पर टाइप डबल लेन ब्रिज के माध्यम से 22.50 मीटर स्पैन सीमेंट कंक्रीट का निर्माण | 197.00 | 2018-19 | 2018-19 | मार्च.-2023 | 90 | 1.00 | 98.36 | 98.64 | 197.00 | जारी है |
| 30 | जलालाबाद, मोमिनाबाद, असराराबाद और बल्ती मोहल्ला चौधी और गांव टांडा आरएस पुरा (मुख्यालय श्री खजान सिंह के सामने) में निर्माण संख्या. 5 के छोटे पुल/क्रॉस ड्रेनेज का निर्माण | 281.20 | 2019-20 | 2019-20 | मार्च.-2023 | 90 | 52.07 | 161.80 | 119.40 | 281.20 | जारी है |
| 31 | 150 मीटर के शेष कार्य का निर्माण। धारा समोटे में स्पैन एफएस पुल | 355.72 | 2016-17 | 2016-17 | मार्च.-2023 | 95 | 38.00 | 333.69 | 22.03 | 355.72 | जारी है |
| 32 | कॉन्स्ट. नातियान में नाला बर्माईन पर 72 मीटर लंबे स्टील फुटब्रिज का निर्माण | 226.48 | 2020-21 | 2020-21 | मार्च.-2023 | 80 | 52.89 | 88.14 | 138.34 | 226.48 | जारी है |
| 33 | करीम शाह ज़ियारत पर मोहल्ला द्रौगियन पुंछ के माध्यम से बेला सनाई में बेली प्रकार के मोटर योग्य पुल का निर्माण | 290.73 | 2020-21 | 2020-21 | मार्च.-2023 | 85 | 90.00 | 151.55 | 139.18 | 290.73 | जारी है |
| 34 | पातली गनाया रोड पर 45 मीटर लंबे मोटर योग्य पुल का निर्माण | 242.50 | 2018-19 | 2018-19 | मार्च.-2023 | 92 | 119.25 | 62.90 | 60.36 | - | जारी है |
| 35 | मुख्य सड़क डंडानी से गोजरी पुल तक सड़क का निर्माण | 166.00 | 2018-19 | 2018-19 | मार्च.-2023 | 85 | 68.13 | 0.00 | 97.87 | - | जारी है |
| 36 | कॉन्स्ट. मृगलिया मोड़ से अजमताबाद तक सड़क का निर्माण | 118.60 | 2018-19 | 2018-19 | मार्च.-2023 | 90 | 80.41 | - | 38.19 | - | जारी है |
| 37 | कोटेढेरा पीरी रोड से सड़क का निर्माण (4.50 किमी की शेष लंबाई के लिए) | 450.23 | 2018-19 | 2018-19 | मार्च.-2023 | 95 | 307.02 | 55.03 | 88.18 | - | जारी है |

परिशिष्ट-IX-(जारी)

| सरकार की प्रतिबद्धताएं- ₹1 करोड़ और अधिक लागत वाले अपूर्ण पंजीगत निर्माण कार्यों की सूची | | | | | | | | | | | |
|--|---|---------------|----------------------|-----------------|----------------------|-------------------------------------|--------------------|--------------------------------|--------------|--|-----------------|
| क्र. सं. | परियोजना/ कार्य का नाम | कार्य की लागत | संस्वीकृति की दिनांक | प्रारंभ का वर्ष | समापन का लक्ष्य वर्ष | कार्य की भौतिक प्रगति (प्रतिशत में) | वर्ष के दौरान व्यय | वर्ष के अंत में प्रगतिशील व्यय | लंबित भुगतान | संशोधित लागत (यदि कोई हो)/ परिशोधन की तिथि | प्रास्थिति (\$) |
| (₹ लाख में) | | | | | | | | | | | |
| (ख) लोक निर्माण (आर एंड बी) विभाग जम्मू (जारी) | | | | | | | | | | | |
| 38 | धार रोड से म्हुल्ला लुनिया तक लिंक रोड का निर्माण | 289.11 | 2018-19 | 2018-19 | मार्च.-2023 | 90 | 10.34 | 121.05 | 157.72 | - | जारी है |
| 39 | मोहल्ला चौहाना (पुराना) के लिए लिंक सड़क का सुधार (एल = 2.00 किमी) | 110.06 | 2018-19 | 2018-19 | मार्च.-2023 | 98 | 90.16 | 0.00 | 19.90 | - | जारी है |
| 40 | चंदक से बूढ़ा अमरनाथ तक सड़क का सुधार/ उन्नयन | 920.25 | 2020-21 | 2020-21 | मार्च.-2023 | 95 | 626.22 | 782.76 | 137.49 | - | जारी है |
| 41 | केवल मोड़ से गोदू होते हुए तारगाई तक सड़क का निर्माण (चरण 1) | 331.09 | 2020-21 | 2020-21 | मार्च.-2023 | 99 | 94.68 | 94.68 | 236.41 | - | जारी है |
| 42 | बम्याल से पवित्र मंदिर होते हुए देवा माई मंदिर तक सड़क का निर्माण, जिसमें पवित्र नाला पर 45 मीटर लंबा पुल भी सम्मिलित है। | 648.32 | 2020-21 | 2020-21 | मार्च.-2023 | 90 | 519.53 | 519.53 | 128.79 | - | जारी है |
| 43 | उत्तरबनी गांव में देवक नदी पर उत्तरबनी में पुल का निर्माण | 572.00 | 2020-21 | 2020-21 | मार्च.-2023 | 85 | 112.75 | 112.75 | 459.25 | - | जारी है |
| 44 | सांबा सुंब सड़क का सुधार/ उन्नयन/ मजबूतीकरण | 660.00 | 2020-21 | 2020-21 | मार्च.-2023 | 98 | 454.88 | 454.88 | 205.12 | - | जारी है |

नोट: सरकार द्वारा पूरी जानकारी प्रतीक्षित है। (जुलाई 2023)

परिशिष्ट-X

वेतन और गैर-वेतन भाग के विसंयोजन सहित अनुरक्षण व्यय

| अनुदान सं. | अनुदान का नाम | व्यय शीर्ष | विवरण | व्यय का घटक (₹ लाख में) | | |
|----------------------------------|-----------------|-----------------|--------------------------|-------------------------|-----------------|----------|
| | | | | वेतन | गैर-वेतन | कुल |
| व्यय शीर्ष (राजस्व लेखा)- | | | | | | |
| 1 | सामान्य प्रशासन | 2012-03-090-023 | अनुरक्षण और मरम्मत | - | 5.89 | 5.89 |
| | | 2051-00-102-023 | अनुरक्षण और मरम्मत | - | 7.49 | 7.49 |
| | | 2052-00-090-023 | अनुरक्षण और मरम्मत | - | 19.32 | 19.32 |
| | | 2062-00-105-023 | अनुरक्षण और मरम्मत | - | 5.99 | 5.99 |
| | | 3451-90-001-023 | अनुरक्षण और मरम्मत | - | 1.12 | 1.12 |
| | | 3452-80-001-023 | अनुरक्षण और मरम्मत | - | 577.30 | 577.30 |
| कुल-सामान्य प्रशासन | | | - | 617.11 | 617.11 | |
| 2 | गृह | 2055-00-001-023 | अनुरक्षण और मरम्मत | - | 1,440.11 | 1,440.11 |
| | | 2055-00-116-023 | अनुरक्षण और मरम्मत | - | 20.12 | 20.12 |
| | | 2056-00-001-023 | अनुरक्षण और मरम्मत | - | 20.00 | 20.00 |
| | | 2056-00-101-023 | अनुरक्षण और मरम्मत | - | 449.67 | 449.67 |
| | | 2070-00-107-023 | अनुरक्षण और मरम्मत | - | 9.50 | 9.50 |
| | | 2070-00-108-023 | अनुरक्षण और मरम्मत | - | 130.17 | 130.17 |
| | | 2070-00-108-363 | समारक्षण का बाह्य स्रोतन | 11.10 | - | 11.10 |
| | | 2235-02-001-023 | अनुरक्षण और मरम्मत | - | 5.26 | 5.26 |
| कुल-गृह | | | 11.10 | 2,074.83 | 2,085.93 | |
| 3 | योजना | 3454-02-112-023 | अनुरक्षण और मरम्मत | - | 3.00 | 3.00 |
| कुल-योजना | | | - | 3.00 | 3.00 | |
| 4 | सूचना | 2220-60-001-023 | अनुरक्षण और मरम्मत | - | 25.16 | 25.16 |
| कुल-सूचना | | | - | 25.16 | 25.16 | |
| 7 | शिक्षा | 2202-01-101-023 | अनुरक्षण और मरम्मत | - | 13.12 | 13.12 |
| | | 2202-01-104-023 | अनुरक्षण और मरम्मत | - | 23.55 | 23.55 |
| | | 2202-02-001-023 | अनुरक्षण और मरम्मत | - | 73.60 | 73.60 |
| | | 2202-02-109-023 | अनुरक्षण और मरम्मत | - | 1.00 | 1.00 |
| | | 2202-80-003-023 | अनुरक्षण और मरम्मत | - | 0.58 | 0.58 |
| | | 2204-00-102-023 | अनुरक्षण और मरम्मत | - | 13.80 | 13.80 |
| कुल-शिक्षा | | | - | 125.65 | 125.65 | |

परिशिष्ट-X-(जारी)

वेतन और गैर-वेतन भाग के विसंयोजन सहित अनुरक्षण व्यय-(जारी)

| अनुदान सं | अनुदान का नाम | व्यय शीर्ष | विवरण | व्यय का घटक (₹ लाख में) | | |
|--|-------------------|------------------------------|--------------------------|-------------------------|---------------|---------------|
| | | | | वेतन | गैर-वेतन | कुल |
| व्यय शीर्ष (राजस्व लेखा)-(जारी) | | | | | | |
| 8 | वित्त | 2039-01-001-023 | अनुरक्षण और मरम्मत | - | 8.81 | 8.81 |
| | | 2040-00-800-363 | समारक्षण का बाह्य स्रोतन | 0.97 | - | 0.97 |
| | | 2043-00-001-023 | अनुरक्षण और मरम्मत | - | 85.86 | 85.86 |
| | | 2054-00-003-023 | अनुरक्षण और मरम्मत | - | 6.96 | 6.96 |
| | | 2054-00-095-023 | अनुरक्षण और मरम्मत | - | 4.68 | 4.68 |
| | | 2054-00-097-023 | अनुरक्षण और मरम्मत | - | 43.49 | 43.49 |
| | | 2054-00-098-023 | अनुरक्षण और मरम्मत | - | 8.83 | 8.83 |
| | | 2054-00-800-023 | अनुरक्षण और मरम्मत | - | 5.17 | 5.17 |
| | | कुल-वित्त | | 0.97 | 163.80 | 164.77 |
| 09 | संसदीय मामले | 2011-02-103-023 | अनुरक्षण और मरम्मत | - | 62.91 | 62.91 |
| | | 2011-02-103-363 | समारक्षण का बाह्य स्रोतन | 5.88 | - | 5.88 |
| | | कुल-संसदीय मामले | | 5.88 | 62.91 | 68.79 |
| 10 | विधि | 2014-00-102-023 | अनुरक्षण और मरम्मत | - | 37.76 | 37.76 |
| | | 2014-00-105-023 | अनुरक्षण और मरम्मत | - | 14.74 | 14.74 |
| | | 2014-00-114-023 | अनुरक्षण और मरम्मत | - | 1.67 | 1.67 |
| | | 2015-00-102-023 | अनुरक्षण और मरम्मत | - | 2.45 | 2.45 |
| | | कुल-विधि | | - | 56.62 | 56.62 |
| 11 | उद्योग और वाणिज्य | 2851-00-001-023 | अनुरक्षण और मरम्मत | - | 9.82 | 9.82 |
| | | 2851-00-101-023 | अनुरक्षण और मरम्मत | - | 0.26 | 0.26 |
| | | 2851-00-102-023 | अनुरक्षण और मरम्मत | - | 6.86 | 6.86 |
| | | 2851-00-103-023 | अनुरक्षण और मरम्मत | - | 7.84 | 7.84 |
| | | 2853-02-001-023 | अनुरक्षण और मरम्मत | - | 1.33 | 1.33 |
| | | कुल-उद्योग और वाणिज्य | | - | 26.11 | 26.11 |

परिशिष्ट-X-(जारी)

वेतन और गैर-वेतन भाग के विसंयोजन सहित अनुरक्षण व्यय-(जारी)

| अनुदान सं. | अनुदान का नाम | व्यय शीर्ष | विवरण | व्यय का घटक (₹ लाख में) | | |
|--|--|---|--------------------------|-------------------------|------------------|------------------|
| | | | | वेतन | गैर-वेतन | कुल |
| व्यय शीर्ष (राजस्व लेखा)-(जारी) | | | | | | |
| 12 | कृषि | 2401-00-001-023 | अनुरक्षण और मरम्मत | - | 38.37 | 38.37 |
| | | 2401-00-119-363 | समारक्षण का बाह्य स्रोतन | 0.22 | - | 0.22 |
| | | 2406-02-112-023 | अनुरक्षण और मरम्मत | - | 199.13 | 199.13 |
| | | 2705-00-602-023 | अनुरक्षण और मरम्मत | - | 2.00 | 2.00 |
| | | 2705-00-602-363 | समारक्षण का बाह्य स्रोतन | 6.09 | - | 6.09 |
| | | 2705-00-603-023 | अनुरक्षण और मरम्मत | - | 18.75 | 18.75 |
| | | 2851-00-107-023 | अनुरक्षण और मरम्मत | - | 9.49 | 9.49 |
| | | कुल-कृषि | | 6.31 | 267.74 | 274.05 |
| 13 | पशु/ भेड़पालन | 2403-01-001-023 | अनुरक्षण और मरम्मत | - | 3.80 | 3.80 |
| | | कुल-पशु/ भेड़पालन | | - | 3.80 | 3.80 |
| 14 | राजस्व | 2030-03-001-023 | अनुरक्षण और मरम्मत | - | 2.89 | 2.89 |
| | | 2053-00-093-023 | अनुरक्षण और मरम्मत | - | 8.60 | 8.60 |
| | | 2053-00-094-023 | अनुरक्षण और मरम्मत | - | 8.64 | 8.64 |
| | | 2053-00-101-023 | अनुरक्षण और मरम्मत | - | 8.50 | 8.50 |
| | | 2053-00-101-363 | समारक्षण का बाह्य स्रोतन | 2.14 | - | 2.14 |
| | | कुल-राजस्व | | 2.14 | 28.63 | 30.77 |
| 15 | खाद्य, नागरिक आपूर्तियाँ और उपभोक्ता मामले | 2408-01-001-023 | अनुरक्षण और मरम्मत | - | 45.82 | 45.82 |
| | | 2408-02-800-023 | अनुरक्षण और मरम्मत | - | 4.52 | 4.52 |
| | | 3475-00-106-023 | अनुरक्षण और मरम्मत | - | 4.96 | 4.96 |
| | | कुल-खाद्य, नागरिक आपूर्तियाँ और उपभोक्ता मामले | | - | 55.30 | 55.30 |
| 16 | लोक निर्माण | 2059-80-001-023 | अनुरक्षण और मरम्मत | - | 3,044.75 | 3,044.75 |
| | | 2216-07-053-023 | अनुरक्षण और मरम्मत | - | 1,073.21 | 1,073.21 |
| | | 3054-03-103-023 | अनुरक्षण और मरम्मत | - | 162.77 | 162.77 |
| | | 3054-04-337-023 | अनुरक्षण और मरम्मत | - | 16,247.09 | 16,247.09 |
| | | 3054-80-001-023 | अनुरक्षण और मरम्मत | - | 10,467.92 | 10,467.92 |
| | | कुल-लोक निर्माण | | - | 30,995.74 | 30,995.74 |

परिशिष्ट-X-(जारी)

वेतन और गैर-वेतन भाग के विसंयोजन सहित अनुरक्षण व्यय-(जारी)

| अनुदान सं. | अनुदान का नाम | व्यय शीर्ष | विवरण | व्यय का घटक (₹ लाख में) | | |
|--|------------------------------|---|--------------------------|-------------------------|-----------------|-----------------|
| | | | | वेतन | गैर-वेतन | कुल |
| व्यय शीर्ष (राजस्व लेखा)-(जारी) | | | | | | |
| 17 | स्वास्थ्य और चिकित्सा शिक्षा | 2210-01-001-023 | अनुरक्षण और मरम्मत | - | 248.20 | 248.20 |
| | | 2210-01-001-363 | समारक्षण का बाह्य स्रोतन | 3.65 | - | 3.65 |
| | | 2210-01-104-023 | अनुरक्षण और मरम्मत | - | 1.98 | 1.98 |
| | | 2210-01-110-023 | अनुरक्षण और मरम्मत | - | 2,972.59 | 2,972.59 |
| | | 2210-01-110-363 | समारक्षण का बाह्य स्रोतन | 767.70 | - | 767.70 |
| | | 2210-02-101-023 | अनुरक्षण और मरम्मत | - | 18.15 | 18.15 |
| | | 2210-02-101-363 | समारक्षण का बाह्य स्रोतन | 0.35 | - | 0.35 |
| | | 2210-03-103-023 | अनुरक्षण और मरम्मत | - | 74.75 | 74.75 |
| | | 2210-03-103-363 | समारक्षण का बाह्य स्रोतन | 0.20 | - | 0.20 |
| | | 2210-03-110-023 | अनुरक्षण और मरम्मत | - | 7.07 | 7.07 |
| | | 2210-05-101-023 | अनुरक्षण और मरम्मत | - | 1.49 | 1.49 |
| | | 2210-05-105-023 | अनुरक्षण और मरम्मत | - | 4,317.62 | 4,317.62 |
| | | 2210-05-105-363 | समारक्षण का बाह्य स्रोतन | 838.69 | - | 838.69 |
| | | 2210-06-101-023 | अनुरक्षण और मरम्मत | - | 9.00 | 9.00 |
| | | 2210-06-104-023 | अनुरक्षण और मरम्मत | - | 12.40 | 12.40 |
| | | 2210-06-107-023 | अनुरक्षण और मरम्मत | - | 10.35 | 10.35 |
| | | 2211-06-101-023 | अनुरक्षण और मरम्मत | - | 7.12 | 7.12 |
| | | कुल-स्वास्थ्य और चिकित्सा शिक्षा | | 1,610.59 | 7,680.72 | 9,291.31 |
| 18 | समाज कल्याण | 2225-03-102-023 | अनुरक्षण और मरम्मत | - | 9.89 | 9.89 |
| | | 2235-02-001-023 | अनुरक्षण और मरम्मत | - | 6.58 | 6.58 |
| | | 2235-02-101-023 | अनुरक्षण और मरम्मत | - | 0.89 | 0.89 |
| | | 2235-02-102-023 | अनुरक्षण और मरम्मत | - | 2.74 | 2.74 |
| | | 2235-02-103-023 | अनुरक्षण और मरम्मत | - | 1.90 | 1.90 |
| | | कुल-समाज कल्याण | | - | 22.00 | 22.00 |

परिशिष्ट-X-(जारी)

वेतन और गैर-वेतन भाग के विसंयोजन सहित अनुरक्षण व्यय-(जारी)

| अनुदान सं. | अनुदान का नाम | व्यय शीर्ष | विवरण | व्यय का घटक | | |
|--|-------------------------|------------------------------------|--------------------------|---------------|-----------------|-----------------|
| | | | | वेतन | गैर-वेतन | कुल |
| (र लाख में) | | | | | | |
| व्यय शीर्ष (राजस्व लेखा)-(जारी) | | | | | | |
| 19 | आवास एवं शहरी विकास | 2217-03-001-023 | अनुरक्षण और मरम्मत | - | 3.58 | 3.58 |
| | | 2217-05-001-023 | अनुरक्षण और मरम्मत | - | 0.38 | 0.39 |
| | | 2217-80-001-023 | अनुरक्षण और मरम्मत | - | 821.25 | 821.25 |
| | | कुल-आवास एवं शहरी विकास | | - | 825.21 | 825.22 |
| 20 | पर्यटन | 3452-01-101-023 | अनुरक्षण और मरम्मत | - | 43.53 | 43.53 |
| | | 3452-01-102-023 | अनुरक्षण और मरम्मत | - | 56.82 | 56.82 |
| | | 3452-80-001-023 | अनुरक्षण और मरम्मत | - | 129.15 | 129.15 |
| | | 3452-80-104-023 | अनुरक्षण और मरम्मत | - | 34.92 | 34.92 |
| | | कुल-पर्यटन | | - | 264.42 | 264.42 |
| 21 | वन | 2402-00-001-023 | अनुरक्षण और मरम्मत | - | 5.33 | 5.33 |
| | | 2406-01-004-023 | अनुरक्षण और मरम्मत | - | 5.69 | 5.69 |
| | | 2406-01-070-023 | अनुरक्षण और मरम्मत | - | 40.05 | 40.05 |
| | | 2406-01-102-023 | अनुरक्षण और मरम्मत | - | 29.04 | 29.04 |
| | | 2406-02-110-023 | अनुरक्षण और मरम्मत | - | 9.82 | 9.82 |
| | | 2406-02-110-363 | समारक्षण का बाह्य स्रोतन | 21.25 | - | 21.25 |
| | | 2406-04-103-023 | अनुरक्षण और मरम्मत | - | 346.75 | 346.75 |
| | | 2406-04-103-363 | समारक्षण का बाह्य स्रोतन | 942.54 | - | 942.54 |
| | | 3435-04-103-023 | अनुरक्षण और मरम्मत | - | 3.68 | 3.68 |
| | | कुल-वन | | 963.79 | 440.36 | 1,404.15 |
| 22 | सिंचाई और बाढ़ नियंत्रण | 2700-01-001-023 | अनुरक्षण और मरम्मत | - | 415.90 | 415.90 |
| | | 2701-04-001-023 | अनुरक्षण और मरम्मत | - | 941.01 | 941.01 |
| | | 2701-04-612-023 | अनुरक्षण और मरम्मत | - | 288.63 | 288.63 |
| | | 2702-80-001-023 | अनुरक्षण और मरम्मत | - | 1,713.48 | 1,713.48 |
| | | 2711-01-001-023 | अनुरक्षण और मरम्मत | - | 1,572.11 | 1,572.11 |
| | | कुल-सिंचाई और बाढ़ नियंत्रण | | - | 4,931.13 | 4,931.13 |

परिशिष्ट-X-(जारी)

वेतन और गैर-वेतन भाग के विसंयोजन सहित अनुरक्षण व्यय-(जारी)

| अनुदान सं. | अनुदान का नाम | व्यय शीर्ष | विवरण | व्यय का घटक | | |
|---|------------------------------|--------------------------|--------------------------|---------------|-----------------|-----------------|
| | | | | वेतन | गैर-वेतन | कुल |
| (रु लाख में) | | | | | | |
| व्यय शीर्ष (राजस्व लेखा)-(जारी) | | | | | | |
| 23 | जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी | 2215-01-001-023 | अनुरक्षण और मरम्मत | - | 3,752.33 | 3,752.33 |
| | | 2215-01-001-363 | समारक्षण का बाह्य स्रोतन | 0.05 | - | 0.05 |
| कुल-जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी | | | | 0.05 | 3,752.33 | 3,752.38 |
| 24 | आतिथ्य और प्रोटोकॉल | 2059-80-103-363 | समारक्षण का बाह्य स्रोतन | 49.24 | - | 49.24 |
| | | 2070-00-800-023 | अनुरक्षण और मरम्मत | - | 172.92 | 172.92 |
| | | 2070-00-800-363 | समारक्षण का बाह्य स्रोतन | 79.17 | - | 79.17 |
| | | 2216-05-053-023 | अनुरक्षण और मरम्मत | - | 2,744.43 | 2,744.43 |
| कुल-आतिथ्य और प्रोटोकॉल | | | | 128.41 | 2,917.35 | 3,045.76 |
| 25 | श्रम, लेखन सामग्री और मुद्रण | 2058-00-103-023 | अनुरक्षण और मरम्मत | - | 35.15 | 35.15 |
| | | 2230-01-001-023 | अनुरक्षण और मरम्मत | - | 7.35 | 7.35 |
| कुल-श्रम, लेखन सामग्री और मुद्रण | | | | - | 42.50 | 42.50 |
| 26 | मत्स्यपालन | 2405-00-001-023 | अनुरक्षण और मरम्मत | - | 40.47 | 40.47 |
| | | कुल-मत्स्यपालन | | - | 40.47 | 40.47 |
| 27 | उच्चतर शिक्षा | 2202-03-103-023 | अनुरक्षण और मरम्मत | - | 1.19 | 1.19 |
| | | कुल-उच्चतर शिक्षा | | - | 1.19 | 1.19 |
| 28 | ग्रामीण विकास | 2515-00-001-023 | अनुरक्षण और मरम्मत | - | 54.46 | 54.46 |
| | | 2515-00-102-023 | अनुरक्षण और मरम्मत | - | 10.06 | 10.06 |
| कुल-ग्रामीण विकास | | | | - | 64.52 | 64.52 |
| 29 | परिवहन | 2041-00-001-023 | अनुरक्षण और मरम्मत | - | 3.69 | 3.69 |
| | | 2070-00-114-023 | अनुरक्षण और मरम्मत | - | 2.92 | 2.92 |
| कुल-परिवहन | | | | - | 6.61 | 6.61 |
| 30 | जनजातीय मामले | 2225-03-102-023 | अनुरक्षण और मरम्मत | - | 15.48 | 15.48 |
| | | कुल-जनजातीय मामले | | - | 15.48 | 15.48 |

परिशिष्ट-X-(समाप्त)

वेतन और गैर-वेतन भाग के विसंयोजन सहित अनुरक्षण व्यय-(समाप्त)

| अनुदान सं. | अनुदान का नाम | व्यय शीर्ष | विवरण | व्यय का घटक | | |
|--|--|--|-------------------------|-----------------|------------------|------------------|
| | | | | वेतन | गैर-वेतन | कुल |
| (रु लाख में) | | | | | | |
| व्यय शीर्ष (राजस्व लेखा)-(समाप्त) | | | | | | |
| 31 | संस्कृति | 2205-00-104-023 | अनुरक्षण और मरम्मत | - | 21.07 | 21.07 |
| | | 2205-00-105-023 | अनुरक्षण और मरम्मत | - | 4.31 | 4.31 |
| | | कुल-संस्कृति | | - | 25.38 | 25.38 |
| 32 | उद्यान कृषि | 2401-00-119-023 | अनुरक्षण और मरम्मत | - | 27.64 | 27.64 |
| | | 2435-01-101-023 | अनुरक्षण और मरम्मत | - | 7.82 | 7.82 |
| | | कुल-उद्यान कृषि | | - | 35.46 | 35.46 |
| 33 | आपदा प्रबंधन, राहत, पुनर्वास और पुनर्निर्माण | 2055-00-001-023 | अनुरक्षण और मरम्मत | - | 1.40 | 1.40 |
| | | कुल-पदा प्रबंधन, राहत, पुनर्वास और पुनर्निर्माण | | - | 1.40 | 1.40 |
| 34 | युवा सेवाएं और तकनीकी शिक्षा | 2203-00-001-023 | अनुरक्षण और मरम्मत | - | 6.92 | 6.92 |
| | | 2204-00-001-023 | अनुरक्षण और मरम्मत | - | 10.96 | 10.96 |
| | | 2230-02-001-023 | अनुरक्षण और मरम्मत | - | 2.84 | 2.84 |
| | | कुल-युवा सेवाएं और तकनीकी शिक्षा | | | 20.72 | 20.72 |
| 35 | विज्ञान एवं तकनीक | 3435-60-800-023 | अनुरक्षण और मरम्मत | - | 0.40 | 0.40 |
| | | कुल- विज्ञान एवं तकनीक | | - | 0.40 | 0.40 |
| 36 | सहकारिता | 2425-00-001-023 | अनुरक्षण और मरम्मत | - | 1.50 | 1.50 |
| | | 2425-00-001-363 | समायोजन का बाह्य स्रोतन | 2.38 | - | 2.38 |
| | | कुल- सहकारिता | | 2.38 | 1.50 | 3.88 |
| | | कुल-व्यय शीर्ष (राजस्व लेखा) | | 2,731.62 | 55,595.55 | 58,327.17 |
| व्यय शीर्ष (पूँजीगत लेखा)- | | | | | | |
| | | कुल-व्यय शीर्ष (पूँजीगत लेखा) | | - | - | - |
| | | कुल-योग- व्यय शीर्ष (राजस्व और पूँजीगत लेखा) | | 2,731.62 | 55,595.55 | 58,327.17 |

परिशिष्ट-XI

वर्ष के दौरान सरकार के मुख्य नीतिगत निर्णय या बजट में प्रस्तावित नयी योजनाएं (क)

| क्र. सं. | नीति निर्धारण की प्रकृति/ नयी योजनाएं | प्राप्ति/ व्यय/ दोनों | आवर्ती/ एक बार | आवर्ती के मामले में निवल नकद प्रवाह पर वार्षिक आंकलन का प्रभाव | | वार्षिक व्यय | | संभावित स्रोत जिनसे नयी योजनाओं के लिए व्यय किया जाना है | | |
|----------|---------------------------------------|-----------------------|----------------|--|--------|--------------|---------|--|---------------------|----------|
| | | | | निश्चित अवधि | स्थायी | राजस्व | पूँजीगत | संघ शासित क्षेत्र के स्वयं के संसाधन | केन्द्रीय हस्तांतरण | सृजित ऋण |
| | | | | | | | | | | |

(क) संघ राज्य क्षेत्र सरकार द्वारा आँकड़े/ सूचना उपलब्ध नहीं करायी गयी (जुलाई 2023)।

परिशिष्ट-XII

| सरकार की प्रतिबद्ध देयताएं | | | | | | | | |
|----------------------------|---|----------------------------------|---|------------------------|-------------------------|----------------------------|--|--|
| क्र. सं. | देयता की प्रकृति | देयता राशि (1 अप्रैल 2022 को) | संभावित स्रोत जिन से प्राप्त प्रस्तावित | | | उन्मोचन का संभाव्य वर्ष | वर्तमान वर्ष के दौरान उन्मोचित देयताएं (2022-23) | शेष बाकी (31 मार्च 2023 की समाप्ति पर) |
| | | | राज्य के स्वयं के संसाधन | केन्द्रीय हस्तांतरण | सृजित ऋण (विशेषीकृत) | | | |
| (₹ लाख में) | | | | | | | | |
| I | देय लेखे | | | | | | | |
| | 1 विद्युत | | | | | | | |
| | 2 चिकित्सा प्रतिपूर्ति | | | | | | | |
| | 3 टीएण्डडी प्रणाली का कार्यान्वयन | | | | | | | |
| | 4 अवकाश वेतन | | | | | | | |
| | 5 निर्माण | | | | | | | |
| | 6 बाह्य स्रोतन और समारक्षण | | | | | | | |
| | 7 आर.आर.टी. | | | | | | | |
| | कुल | | | | | | | |
| II | केन्द्रीय प्रायोजित योजनाओं में राज्य का अंश | | | | | | | |
| | 1 भूमि प्रतिकर | | | | | | | |
| | कुल | | | | | | | |
| III | गैर-नियोजित शीर्षों को आयोजना योजनाओं के अंतरण के रूप में देयताएं | | | | | | | |
| | कुल | | | | | | | |
| IV | अपूर्ण परियोजनाओं से उत्पन्न देयताएं | | | | | | | |
| | 1 पीएमआरपी निर्माण | | | | | | | |
| | कुल | | | | | | | |

परिशिष्ट-XII-(समाप्त)

| सरकार की प्रतिबद्ध देयताएं-(समाप्त) | | | | | | | | |
|-------------------------------------|------------------------------------|---|---|------------------------|-------------------------|----------------------------|--|---|
| क्र. सं. | देयता की प्रकृति | देयता राशि (1 अप्रैल 2022 को) (क) | संभावित स्रोत जिन से प्राप्त प्रस्तावित | | | उन्मोचन का संभाव्य वर्ष | वर्तमान वर्ष के दौरान उन्मोचित देयताएं (2022-23) | शेष बाकी (31 मार्च 2023 की समाप्ति पर) (ख) |
| | | | राज्य के स्वयं के संसाधन | केन्द्रीय हस्तांतरण | सृजित ऋण (विशेषीकृत) | | | |
| (₹ लाख में) | | | | | | | | |
| V | अन्य/ विविध | | | | | | | |
| 1 | भूमि अधिग्रहण प्रभार | 2,69,187.00 | | | | | | |
| 2 | निर्माण और आपूर्ति पर अप्रदत्त बिल | 1,93,696.00 | | | | | | |
| 3 | मुख्य निर्माण और संविदाएं | 45,129.00 | | | | | | |
| | कुल | 5,08,012.00 | | | | | | |
| | कुल योग | 5,08,012.00 | | | | | | |

(क) वर्ष 2023-24 हेतु आँकड़े एफआरबीएम अधिनियम 31 मार्च 2022 की अवधि के लिए डाटा संसद में प्रस्तुत किए गए (मार्च 2023)। कृपया पैरा 3 (xii) को "वित्त लेखा पर टिप्पणियां" खण्ड-I का संदर्भ लें।

(ख) सरकार से डाटा प्रतिक्षित है (जुलाई 2023)

परिशिष्ट-XIII

संघ राज्य क्षेत्रों का पुनर्गठन- मर्दें जिनके लिए संघ राज्य क्षेत्रों के मध्य/ बीच शेषों के आबंटन को अंतिम रूप नहीं दिया गया है

| क्र. सं. | लेखा शीर्ष | उत्तराधिकारी संघ राज्य क्षेत्रों के मध्य आबंटित की जाने वाली राशि | | |
|----------------------|---|---|---|-------------------|
| | | पुनर्गठन के समय | संघ राज्य क्षेत्र जम्मू एवं कश्मीर को आबंटित राशि | वर्तमान में |
| | | | | (₹ लाख में) |
| पूँजीगत लेखा- | | | | |
| 1 | 4047- अन्य राजकोषीय सेवाओं पर पूँजीगत परिव्यय | डे. | 407.12 | - डे. 407.12 |
| 2 | 4055- पुलिस पर पूँजीगत परिव्यय | डे. | 1,35,687.13 | - डे. 1,35,687.13 |
| 3 | 4058- लेखन सामग्री एवं मुद्रण पर पूँजीगत परिव्यय | डे. | 3,495.66 | - डे. 3,495.66 |
| 4 | 4059- लोक निर्माण पर पूँजीगत परिव्यय | डे. | 6,15,332.68 | - डे. 6,15,332.68 |
| 5 | 4070- अन्य प्रशासनिक सेवाओं पर पूँजीगत परिव्यय | डे. | 10,438.18 | - डे. 10,438.18 |
| 6 | 4075- अन्य विविध सामान्य सेवाओं पर पूँजीगत परिव्यय | डे. | 16,321.31 | - डे. 16,321.31 |
| 7 | 4202- शिक्षा, खेल, कला और संस्कृति पर पूँजीगत परिव्यय | डे. | 6,98,252.70 | - डे. 6,98,252.70 |
| 8 | 4210- स्वास्थ्य और जन स्वास्थ्य पर पूँजीगत परिव्यय | डे. | 4,90,621.72 | - डे. 4,90,621.72 |
| 9 | 4211- परिवार कल्याण पर पूँजीगत परिव्यय | डे. | 797.04 | - डे. 797.04 |
| 10 | 4215- जलापूर्ति और स्वच्छता पर पूँजीगत परिव्यय | डे. | 7,94,676.20 | - डे. 7,94,676.20 |
| 11 | 4216- आवास पर पूँजीगत परिव्यय | डे. | 37,407.10 | - डे. 37,407.10 |
| 12 | 4217- शहरी विकास पर पूँजीगत परिव्यय | डे. | 4,99,489.56 | - डे. 4,99,489.56 |
| 13 | 4220- सूचना और प्रचार पर पूँजीगत परिव्यय | डे. | 3,349.14 | - डे. 3,349.14 |
| 14 | 4225- अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्गों और अल्पसंख्यकों के कल्याण पर पूँजीगत परिव्यय | डे. | 30,537.92 | - डे. 30,537.92 |
| 15 | 4235- सामाजिक सुरक्षा और कल्याण पर पूँजीगत परिव्यय | डे. | 2,77,764.10 | - डे. 2,77,764.10 |
| 16 | 4236- पोषण पर पूँजीगत परिव्यय | डे. | 37,082.30 | - डे. 37,082.30 |
| 17 | 4250- अन्य सामाजिक सेवाओं पर पूँजीगत परिव्यय | डे. | 37,260.88 | - डे. 37,260.88 |
| 18 | 4401- फसल पैदावार पूँजीगत परिव्यय | डे. | 1,94,640.11 | - डे. 1,94,640.11 |
| 19 | 4402- मृदा एवं जल संरक्षण पर पूँजीगत परिव्यय | डे. | 39,096.00 | - डे. 39,096.00 |
| 20 | 4403- पशुपालन पर पूँजीगत परिव्यय | डे. | 37,142.41 | - डे. 37,142.41 |
| 21 | 4404- डेयरी विकास पर पूँजीगत परिव्यय | डे. | 1,156.14 | - डे. 1,156.14 |
| 22 | 4405- मत्स्यपालन पर पूँजीगत परिव्यय | डे. | 22,229.55 | - डे. 22,229.55 |

परिशिष्ट-XIII-(जारी)

| संघ राज्य क्षेत्रों का पुनर्गठन- मर्दें जिनके लिए संघ राज्य क्षेत्रों के मध्य/ बीच शेषों के आबंटन को अंतिम रूप नहीं दिया गया है- (जारी) | | | | | |
|---|---|--|--------------------------------------|-------------|--------------|
| क्र. सं. | लेखा शीर्ष | आनुक्रमिक संघ शासित क्षेत्रों के मध्य आबंटित की जाने वाली राशि | | | |
| | | पुनर्गठन के समय | यूटी जन्मू एवं कश्मीर को आबंटित राशि | वर्तमान में | (₹ लाख में) |
| | पूँजीगत लेखा-(जारी) | | | | |
| 23 | 4406- वानिकी एवं वन्य जीवन पर पूँजीगत परिव्यय | ₹. | 93,344.02 | - ₹. | 93,344.02 |
| 24 | 4408- खाद्य भण्डार एवं भण्डारण पर पूँजीगत परिव्यय | ₹. | 3,26,748.53 | - ₹. | 3,26,748.53 |
| 25 | 4415- कृषि अनुसंधान और शिक्षा पर पूँजीगत परिव्यय | ₹. | 33,607.44 | - ₹. | 33,607.44 |
| 26 | 4416- कृषिगत एवं वित्तीय संस्थानों में निवेश | ₹. | 0.40 | - ₹. | 0.40 |
| 27 | 4425- सहकारिता पर पूँजीगत परिव्यय | ₹. | 40,160.94 | - ₹. | 40,160.94 |
| 28 | 4435- अन्य कृषिगत कार्यक्रमों पर पूँजीगत परिव्यय | ₹. | 407.33 | - ₹. | 407.33 |
| 29 | 4515- अन्य ग्रामीण विकास कार्यक्रमों पर पूँजीगत परिव्यय | ₹. | 10,25,935.83 | - ₹. | 10,25,935.83 |
| 30 | 4575- अन्य विशेष क्षेत्र कार्यक्रमों पर पूँजीगत परिव्यय | ₹. | 3,68,881.76 | - ₹. | 3,68,881.76 |
| 31 | 4701- मध्यम सिंचाई पर पूँजीगत परिव्यय | ₹. | 1,25,765.21 | - ₹. | 1,25,765.21 |
| 32 | 4702- लघु सिंचाई पर पूँजीगत परिव्यय | ₹. | 2,06,062.60 | - ₹. | 2,06,062.60 |
| 33 | 4705- कमान क्षेत्र विकास पर पूँजीगत परिव्यय | ₹. | 32,206.01 | - ₹. | 32,206.01 |
| 34 | 4711- बाढ़ नियंत्रण परियोजनाओं पर पूँजीगत परिव्यय | ₹. | 1,69,600.97 | - ₹. | 1,69,600.97 |
| 35 | 4801- विद्युत परियोजनाओं पर पूँजीगत परिव्यय | ₹. | 14,21,279.98 | - ₹. | 14,21,279.98 |
| 36 | 4851- ग्राम एवं लघु उद्योगों पर पूँजीगत परिव्यय | ₹. | 1,81,859.49 | - ₹. | 1,81,859.49 |
| 37 | 4852- लौह एवं इस्पात उद्योगों पर पूँजीगत परिव्यय | ₹. | 20,924.24 | - ₹. | 20,924.24 |
| 38 | 4853- अलौह खनन एवं धात्विक उद्योगों पर पूँजीगत परिव्यय | ₹. | 7,769.55 | - ₹. | 7,769.55 |
| 39 | 4854- सीमेन्ट एवं अधात्विक खनिज उद्योगों पर पूँजीगत परिव्यय | ₹. | 24.06 | - ₹. | 24.06 |
| 40 | 4858- अभियांत्रिकी उद्योगों पर पूँजीगत परिव्यय | ₹. | 125.23 | - ₹. | 125.23 |
| 41 | 4860- उपभोक्ता उद्योगों पर पूँजीगत परिव्यय | ₹. | 3,133.77 | - ₹. | 3,133.77 |
| 42 | 4875- अन्य उद्योगों पर पूँजीगत परिव्यय | ₹. | 6.01 | - ₹. | 6.01 |
| 43 | 4885- अन्य उद्योगों एवं खनिजों पर पूँजीगत परिव्यय | ₹. | 4,272.91 | - ₹. | 4,272.91 |
| 44 | 5054- सड़कों एवं पुलों पर पूँजीगत परिव्यय | ₹. | 13,70,818.51 | - ₹. | 13,70,818.51 |
| 45 | 5055- सड़क परिवहन पर पूँजीगत परिव्यय | ₹. | 26,325.02 | - ₹. | 26,325.02 |
| 46 | 5056- अंतर्देशीय एवं जल परिवहन पर पूँजीगत परिव्यय | ₹. | 2,774.37 | - ₹. | 2,774.37 |
| 47 | 5275- अन्य संचार सेवाओं पर पूँजीगत परिव्यय | ₹. | 2.09 | - ₹. | 2.09 |

परिशिष्ट-XIII-(जारी)

संघ राज्य क्षेत्रों का पुनर्गठन- मर्दें जिनके लिए संघ राज्य क्षेत्रों के मध्य/ बीच शेषों के आबंटन को अंतिम रूप नहीं दिया गया है- (जारी)

| क्र. सं. | लेखा शीर्ष | आनुक्रमिक संघ राज्य क्षेत्रों के मध्य आबंटित की जाने वाली राशि | | |
|------------------------------|--|--|---|-----------------------------|
| | | पुनर्गठन के समय | संघ राज्य क्षेत्र जम्मू एवं कश्मीर को आबंटित राशि | वर्तमान में |
| | | | | (₹ लाख में) |
| पूँजीगत लेखा-(समाप्त) | | | | |
| 48 | 5425- अन्य वैज्ञानिक और पर्यावरणीय अनुसंधान पर पूँजीगत परिव्यय | डे. | 15,933.59 | - डे. 15,933.59 |
| 49 | 5452- पर्यटन पर पूँजीगत परिव्यय | डे. | 2,28,477.74 | - डे. 2,28,477.74 |
| 50 | 5465- सामान्य वित्तीय एवं व्यापार संस्थानों में निवेश | डे. | 60,819.24 | - डे. 60,819.24 |
| 51 | 5475- अन्य सामान्य आर्थिक सेवाओं पर पूँजीगत परिव्यय | डे. | 5,49,623.65 | - डे. 5,49,623.65 |
| कुल पूँजीगत लेखा | | डे. | 1,03,00,075.44 | - डे. 1,03,00,075.44 |
| ड- सार्वजनिक ऋण- | | | | |
| 1 | 6003- राज्य सरकार के आंतरिक ऋण | क्रे. | 45,42,909.06 | - क्रे. 45,42,909.06 |
| 2 | 6004- केन्द्र सरकार से ऋण और अग्रिम | क्रे. | 1,23,712.40 | - क्रे. 1,23,712.40 |
| कुल सार्वजनिक ऋण | | क्रे. | 46,66,621.46 | - क्रे. 46,66,621.46 |
| च- ऋण और अग्रिम- | | | | |
| 1 | 6202- शिक्षा, खेल, कला और संस्कृति हेतु ऋण | डे. | 545.58 | - डे. 545.58 |
| 2 | 6210- चिकित्सा और जन स्वास्थ्य हेतु ऋण | डे. | 192.53 | - डे. 192.53 |
| 3 | 6211- परिवार कल्याण हेतु ऋण | डे. | 0.09 | - डे. 0.09 |
| 4 | 6216- आवास हेतु ऋण | डे. | 709.54 | - डे. 709.54 |
| 5 | 6217- शहरी विकास हेतु ऋण | डे. | 2,820.32 | - डे. 2,820.32 |
| 6 | 6225- अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों, अन्य पिछड़ा वर्गों और अल्पसंख्यकों के कल्याण हेतु ऋण | डे. | 12.65 | - डे. 12.65 |
| 7 | 6235- सामाजिक सुरक्षा और कल्याण हेतु ऋण | डे. | 9,844.98 | - डे. 9,844.98 |
| 8 | 6245- प्राकृतिक आपदाओं के कारण राहत हेतु ऋण | डे. | 508.48 | - डे. 508.48 |
| 9 | 6250- अन्य सामाजिक सेवाओं हेतु ऋण | डे. | 13.17 | - डे. 13.17 |
| 10 | 6401- फसल पैदावार हेतु ऋण | डे. | 1,932.67 | - डे. 1,932.67 |
| 11 | 6402- मृदा एवं जल संरक्षण हेतु ऋण | डे. | 5.12 | - डे. 5.12 |
| 12 | 6403- पशुपालन हेतु ऋण | डे. | 51.31 | - डे. 51.31 |
| 13 | 6404- डेयरी विकास हेतु ऋण | डे. | 30.08 | - डे. 30.08 |
| 14 | 6406- वानिकी एवं वन्य जीवन हेतु ऋण | डे. | 1.64 | - डे. 1.64 |

परिशिष्ट-XIII-(जारी)

संघ राज्य क्षेत्रों का पुनर्गठन- मर्दें जिनके लिए संघ राज्य क्षेत्रों के मध्य/ बीच शेषों के आबंटन को अंतिम रूप नहीं दिया गया है-(जारी)

| क्र. सं. | लेखा शीर्ष | आनुक्रमिक संघ राज्य क्षेत्रों के मध्य आबंटित की जाने वाली राशि | | |
|---------------------------------|--|--|---|--------------------------|
| | | पुनर्गठन के समय | संघ राज्य क्षेत्र जम्मू एवं कश्मीर को आबंटित राशि | वर्तमान में |
| (₹ लाख में) | | | | |
| च- ऋण और अग्रिम-(समाप्त) | | | | |
| 15 | 6425- सहकारिता हेतु ऋण | डे. | 777.47 | - डे. 777.47 |
| 16 | 6435- अन्य कृषिगत कार्यक्रमों हेतु ऋण | डे. | 1,266.58 | - डे. 1,266.58 |
| 17 | 6515- अन्य ग्रामीण विकास कार्यक्रमों हेतु ऋण | डे. | 5.41 | - डे. 5.41 |
| 18 | 6575- अन्य विशेष क्षेत्र कार्यक्रमों हेतु ऋण | डे. | 143.14 | - डे. 143.14 |
| 19 | 6801- विद्युत परियोजनाओं हेतु ऋण | डे. | 8,504.81 | - डे. 8,504.81 |
| 20 | 6851- ग्राम एवं लघु उद्योगों हेतु ऋण | डे. | 3,698.63 | - डे. 3,698.63 |
| 21 | 6853- अलौह खनन एवं धात्विक उद्योगों हेतु ऋण | डे. | 198.16 | - डे. 198.16 |
| 22 | 6858- अभियांत्रिकी उद्योगों हेतु ऋण | डे. | 33.84 | - डे. 33.84 |
| 23 | 6860- उपभोक्ता उद्योगों हेतु ऋण | डे. | 1,004.11 | - डे. 1,004.11 |
| 24 | 6885- उद्योगों और खनिजों को अन्य ऋण | डे. | 75,028.18 | - डे. 75,028.18 |
| 25 | 7055- सड़क परिवहन हेतु ऋण | डे. | 60,507.80 | - डे. 60,507.80 |
| 26 | 7075- अन्य परिवहन सेवाओं हेतु ऋण | डे. | 554.42 | - डे. 554.42 |
| 27 | 7452- पर्यटन हेतु ऋण | डे. | 1,622.05 | - डे. 1,622.05 |
| 28 | 7475- अन्य सामान्य आर्थिक सेवाओं हेतु ऋण | डे. | 1,873.72 | - डे. 1,873.72 |
| 29 | 7610- सरकारी सेवकों इत्यादि को ऋण | डे. | 2,156.71 | - डे. 2,156.71 |
| | कुल ऋण और अग्रिम | डे. | 1,74,043.19 | - डे. 1,74,043.19 |
| आकस्मिकता निधि- | | | | |
| 1 | 8000- आकस्मिकता निधि | क्रे. | 100.00 | - क्रे. 100.00 |
| | कुल आकस्मिकता निधि | क्रे. | 100.00 | - क्रे. 100.00 |
| लोक लेखा- | | | | |
| 1 | 8009- राज्य भविष्य निधियाँ | क्रे. | 26,15,586.49 | - क्रे. 24,74,447.49 |
| 2 | 8011- बीमा और पेन्शन निधियाँ | क्रे. | 1,00,575.13 | - क्रे. 99,075.13 |
| 3 | 8121- सामान्य और अन्य आरक्षित निधियाँ | क्रे. | 1,26,062.05 | - क्रे. 1,26,062.05 |
| 4 | 8222- ऋण शोधन निधियाँ | क्रे. | 35,586.76 | - क्रे. 35,586.76 |
| 5 | 8223- अकाल राहत कोष | क्रे. | 866.96 | - क्रे. 866.96 |

परिशिष्ट-XIII-(समाप्त)

संघ शासित क्षेत्रों का पुनर्गठन- मं. जिनके लिए संघ राज्य क्षेत्रों के मध्य/ बीच शेषों के आबंटन को अंतिम रूप नहीं दिया गया है- (समाप्त)

| क्र. सं. | लेखा शीर्ष | आनुक्रमिक संघ राज्य क्षेत्रों के मध्य आबंटित की जाने वाली राशि | | | |
|--------------------------|---|--|---|-------------|---------------------|
| | | पुनर्गठन के समय | संघ राज्य क्षेत्र जम्मू एवं कश्मीर को आबंटित राशि | वर्तमान में | |
| (₹ लाख में) | | | | | |
| लोक लेखा-(समाप्त) | | | | | |
| 6 | 8226- मूल्यहास/ नवीकरणीय आरक्षित निधि | ₹. | 64,665.33 | - ₹. | 64,665.33 |
| 7 | 8229- विकास और कल्याण निधियाँ | ₹. | 34,384.93 | - ₹. | 34,384.93 |
| 8 | 8235- सामान्य और अन्य आरक्षित निधियाँ | ₹. | 17,890.93 | - ₹. | 17,890.93 |
| 9 | 8342- अन्य जमाएं | ₹. | 5,367.44 | - ₹. | 5,367.44 |
| 10 | 8443- सिविल जमाएं | ₹. | 5,26,876.70 | - ₹. | 5,20,902.70 |
| 11 | 8448- स्थानीय निधियों की जमाएं | ₹. | 1,01,816.64 | - ₹. | 1,01,816.64 |
| 12 | 8449- अन्य जमाएं | ₹. | 57,362.51 | - ₹. | 57,362.51 |
| 13 | 8550- सिविल अग्रिम | ₹. | 1,269.19 | - ₹. | 1,269.19 |
| 14 | 8658- उचंत लेखे | ₹. | 34,414.18 | - ₹. | 34,414.18 |
| 15 | 8671- विभागीय शेष | ₹. | 496.97 | - ₹. | 496.97 |
| 16 | 8672- स्थायी रोकड़ अग्रदाय | ₹. | 12.59 | - ₹. | 12.59 |
| 17 | 8673- नकद शेष निवेश लेखा | ₹. | 38,391.91 | - ₹. | 38,391.91 |
| 18 | 8782- समान लेखा अधिकारी को लेखा प्रस्तुत करने वाले अधिकारियों के मध्य रोकड़ प्रेषण और | ₹. | 2,85,674.43 | - ₹. | 2,85,674.43 |
| समायोजन | | | | | |
| 19 | 8786- केन्द्र और राज्य सरकार के मध्य लेखा समायोजन | ₹. | 546.43 | - ₹. | 546.43 |
| 20 | 8793- अंतर्राज्यीय उचंत लेखे | ₹. | 379.44 | - ₹. | 379.44 |
| 21 | 8999- रोकड़ शेष | ₹. | 44,195.18 | - ₹. | 44,195.18 |
| निवल लोक लेखा | | ₹. | 39,41,400.77 | - ₹. | 37,92,787.77 |

© भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक
2023
www.cag.gov.in

<https://cag.gov.in/ae/jammu-and-kashmir/hi>